दृष्टि
The Vision

# करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जून, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

# अनुक्रम


## संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- यदि राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका तो मृत्युदंड के दोषियों के लिये अगला विकल्प क्या है ? 11
- भारत में तंबाकू धूम्रपान में कमी : WHO 12
- प्रवासियों को दूर रखने के लिये अरुणाचल का कदम 13
- बंगाल के मदरसों में लड़कों की संख्या में तेज़ी से गिरावट 15
- मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 16
- सभी स्वास्थ्यकर्मियों हेतु हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण 17
- भारतीय नौसेना ने पूरे किये हरित पहल कार्यक्रम के चार वर्ष 18
- हरित निर्माण मानदंड : अभी भी पिछड़े हुए है अधिकांश राज्य 19
- 2 अक्तूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य 20
- डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में होगा संशोधन 22
- भारत में मातृ मृत्यु दर में 28 प्रतिशत की कमी 23
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में कृषि सुधार के लिये उठाए कई महत्त्वपूर्ण कदम 24
- नीति आयोग ने की 3,000 और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा 26
- कोयला मंत्रालय की चार वर्ष की उपलब्धियाँ एवं अभिनव कदम 28
- मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी 29
- रेल मंत्रालय : उपलब्धियाँ एवं पहल 31
- पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को मिली स्वीकृति 32
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड : प्रमुख पहल 33
- भारत में अधिक नौकरियों का सृजन 36
- बाढ़ के पूर्वानुमान के लिये गूगल के साथ काम करेगी सरकार 38
- 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन रिपोर्ट : उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ 39
- भारत की तीन प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजनाएँ 41
- कृषि एवं मनरेगा संबंधी नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय हेतु उप-समूह का गठन 42
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 43
- सुरक्षा, मानकीकरण एवं मज़बूती की दिशा में एक प्रभावी कदम 47


दृष्टि The Vision

**नोट :**

➢ भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना अधर में 49
➢ गत 4 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को मज़बूत बनाने हेतु की गई नई पहलें 50
➢ एयर इंडिया' के निजीकरण की योजना टली 52
➢ SAT का आदेश : रिलायंस के NW18 अधिग्रहण की फिर से हो जाँच 53
➢ आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को पूर्ण समर्थन 54
➢ जेलों में महिलाएँ : वर्तमान स्थिति, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ 56
➢ केंद्र सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति की गारंटी नहीं दे सकता 58
➢ आपराधिक जाँच में नहीं होगा आधार का उपयोग : यूआईडीएआई 59
➢ सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए रोस्टर सिस्टम की घोषणा 60
➢ यूजीसी की जगह लेगा एचईसीआई 61
➢ चौथी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक और उपभोक्ता की सुरक्षा : परिणाम और कार्य-नीति 62
➢ नीति आयोग ने ज़ारी की आकांक्षी ज़िलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 64
➢ ओडिशा द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर 65

**आर्थिक घटनाक्रम 67**

➢ क्या भारत के कोयला संयंत्रों को दयनीय दशा में छोड़ देना ठीक होगा? 67
➢ निर्यातकों की मदद के लिये केंद्र की टैक्स रिफंड ड्राइव 68
➢ भूमि अधिग्रहण पर टकराव के रास्ते पर गुजरात के किसान 69
➢ जीडीपी का अनंतिम अनुमान : भारत तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बना रहेगा 70
➢ निजी क्षेत्र में उधार देने के लिये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की योजना 72
➢ हरित नौकरियों के लिये हरित कौशल का महत्त्व 73
➢ वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन, 2018 75
➢ क्या दालों के उत्पादन के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भरता तक पहुँच गया है? 76
➢ प्रमुख बंदरगाहों के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिये नया कानून तैयार 76
➢ विश्व में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में भारत अग्रणी राष्ट्र 77
➢ बेनामी संपत्ति पर एक और वार : शुरू हुई मुखबिर योजना 78
➢ समृद्ध राज्यों की तुलना में गरीब राज्यों में हाइब्रिड चावल अधिक लोकप्रिय 80
➢ विलफुल डिफॉल्टर टैग के बिना बिजली कंपनियाँ NCLT में शामिल नहीं होंगी 81
➢ सरकार द्वारा किसान कल्याण निधि के लिये जीएसटी में बढ़ोतरी पर विचार 82
➢ किसानों को नहीं मिल पा रहा उचित मूल्य 82
➢ कृषि कल्याण अभियान 84
➢ भारत ने शुरू किया रूस से एलएनजी आयात 85
➢ दीनदयाल बंदरगाह पर एक विशेष एवं यंत्रीकृत संचालन सुविधा 86

दृष्टि The Vision

**नोट :**

- अत्याधुनिक ई-टिकट प्रणाली हेतु रेल मंत्रालय का नया यूज़र इंटरफेस 87
- मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा : रिज़र्व बैंक ने चार साल में पहली बार की रेपो दर में वृद्धि 88
- विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना के लिये ₹ 6,000 करोड़ की मंजूरी दी 89
- पंजाब में बढ़ती चावल की पैदावार 90
- जारी रहेगा ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम 91
- चीनी क्षेत्र की वर्तमान समस्या से निपटने हेतु उपाय 92
- कमज़ोर पीएसयू की स्थिति में सुधार हेतु एक और प्रयास 93
- आरबीआई अधिसूचना: 'डीबीटी मोड के माध्यम से दिये जाएंगे अल्पकालिक सब्सिडीयुक्त फसल ऋण' 94
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय : उपलब्धियाँ और पहलें 95
- एसएफआईओ द्वारा मुखौटा कंपनियों के डाटाबेस का संकलन 98
- भारतीय अर्थव्यवथा में एमएससीआई क्यों महत्त्वपूर्ण है ? 100
- रिजोल्यूशन पेशेवरों का पैनल स्थापित करने की तैयारी में आईबीबीआई 101
- क्यों आंदोलन कर रहे हैं किसान ? 102
- तेल की ऊँची कीमतों के बावजूद प्रेषित धन की प्राप्ति में कमी आने के आसार 103
- अधिशेष का समय 104
- तिलहन क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने का समय 105
- भारत के एनपीए और वैश्विक परिदृश्य 106
- सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ध्यान से देखभाल करने की आवश्यकता 107
- एयर इंडिया : विनिवेश का मार्ग 108
- भारतीय रोज़गार बाजार में तेजी से बढ़ रहे शिक्षा से रिटर्न 110
- सेबी ने विदेशों में शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिये विशेषज्ञ समिति गठित की 111
- प्रतिबंध के बावजूद नए तरीकों से बढ़ रहे हैं क्रिप्टो-एक्सचेंज 112
- निवेश की लुभावनी तस्वीर 113
- एक राष्ट्रीय रबड़ नीति की ज़रूरत 115
- कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' संस्थानों की तीन वर्षीय कार्य योजना को मिली मंज़ूरी 116
- आयुष्मान भारत के लिये प्रीमियम दरें अलग-अलग होंगी 117
- उत्तर-पूर्व पर्यटन के 2019 तक 12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद 118
- भारत में स्विस चैलेंज की प्रासंगिकता 119
- 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा का लक्ष्य 120
- दिल्ली मेट्रो दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा 121
- AIIB इंफ्रा फंड में 200 मिलियन डॉलर निवेश करेगी 122
- मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित 123
- तमिलनाडु द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के साथ 'प्रति बूंद अधिक फसल' की अवधारणा को प्रोत्साहन 124


**नोट :**

➢ मिलावट के खिलाफ नियमों में संशोधन हेतु एफएसएसएआई का मसौदा 124
➢ भारत में घट रही है अनाज उत्पादकता : वर्ल्ड एटलस ऑफ डेज़र्टीफिकेशन रिपोर्ट 126
➢ ECGC तथा NEIA में पूंजी निवेश को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 127
➢ 6.5 लाख टन क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने को मंज़ूरी 129
➢ डॉलर के मज़बूत होने से भारतीय मुद्रा को अधिक जोखिम नहीं : मूडीज 130
➢ वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक में भारत 35वें स्थान पर 131
➢ रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना में साझेदारी हेतु सऊदी अरामको और एडनॉक में समझौता 131
➢ आदेश का पालन न करने वाले उद्योग बंद किये जाएंगे 132

**अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 134**

➢ भारत सरकार और विश्व बैंक में 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता 134
➢ अमेरिका ने लगाया स्टील, एल्युमीनियम पर आयात शुल्क: वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका 135
➢ भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता 137
➢ भारत-इंडोनेशिया : बदलते संबंधों का नया रूप 138
➢ पश्चिम एशिया में उभरता गतिरोध 139
➢ विभिन्न देशों के साथ भारत के अहम समझौते 140
➢ भारत हेग संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा 144
➢ भारत के लिये शंघाई सहयोग संगठन के मायने 145
➢ भारत-ईरान संबंध और ट्रंप 146
➢ डिजिटल सिल्क रोड पर पीछे छूटता भारत 147
➢ WIPO बैठक में भारत अन्यायपूर्ण प्रस्ताव के खिलाफ 149
➢ भारत-अमेरिका बैठक की रूपरेखा 150
➢ जी-7 विभाजन की राह पर 152
➢ ऑस्ट्रेलिया में यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय स्तर की जाँच की शुरुआत 154
➢ भारत का जवाबी पलटवार : अमेरिकी सामान पर लगाया भारी शुल्क 155
➢ कार्रवाई के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक : सतत् विकास के लिये जल 2018-2028' विषय पर सम्मेलन 157
➢ ओपेक बैठक भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है ? 158
➢ ओपेक का एक और निर्णय : तेल कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास 160
➢ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को विस्तार देंगे भारत-क्यूबा 161
➢ ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जुबानी तकरार 163
➢ अंततः नौसेना बेस विकसित करने को तैयार हुआ सेशेल्स 164
➢ भारत और अन्य देशों के बीच महत्त्वपूर्ण एमओयू तथा समझौते 164
➢ सेशेल्स को एक और डोर्नियर विमान का तोहफा 166

**नोट :**

The Vision

- एफएटीएफ ने पाकिस्तान के लिये 10 बिंदुओं की योजना बनाई 167

## विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 169

- सेल थेरेपी को बढ़ावा देने के लिये नई स्टोरेज तकनीक 169
- रूस के साथ भारत का एस-400 रक्षा सौदा 170
- छोटे तथा बड़े वन्यजीवों की सुरक्षा 171
- 100 अरब रुपए से अधिक की इसरो परियोजनाओं को मंजूरी 172
- भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बढ़ता नेतृत्व 174
- डिजिटल क्रांति की ओर भारत 176
- कैंसर से बचने के लिये विटामिन D का कवच 177
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन अधिगम कौशल के साथ भावी चुनौतियों की तैयारी 178
- कश्मीर पर यूएन रिपोर्ट विवादित क्यों? 180
- भारत द्वारा नए एक्सोप्लैनेट की खोज और इसका वैज्ञानिक महत्त्व 181
- ट्यूबरकुलोसिस के लिये इंजेक्शन या गोली? 182
- मधुमेह के रोगियों के लिये एक टीबी टीका 184
- अंतरिक्ष के मलबे और कचरे की सफाई करेगा 'रिमूव डिब्री' 185
- साइंस स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन को बढ़ावा देगा IISC 186

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 188

- अरब सागर के शैवाल 188
- कम तीव्रता वाली वर्षा में गिरावट से उत्तर भारत में भूजल रिचार्ज में आई कमी 189
- केंद्र राज्यों के 'ग्रीन जीडीपी' की गणना करेगी 190
- 2017 में भारत में खोजी गई 539 प्रजातियाँ 191
- जलवायु परिवर्तन के कारण अरब जगत की बढ़ती मुश्किलें 192
- PM 2.5 में नाइट्रोजन कण का सबसे बड़ा हिस्सा : अध्ययन 193
- भारत के भूजल में घुला है व्यापक मात्रा में यूरेनियम 194
- बन्नेरघट्टा बफर ज़ोन गंभीर खतरे में 195
- केरल के जंगलों में शिकारियों द्वारा हाथीदाँत का घातक खेल 196
- नदी पारिस्थितिकी पर छोटे बांधों का भी गंभीर प्रभाव 197
- बढ़ता $CO_2$ खतरनाक चरम मौसम की वृद्धि कर सकता है : अध्ययन 198
- देश में जल संकट पर नीति आयोग की रिपोर्ट 199
- प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता संजाल 200
- तापमान में वृद्धि का एक और कारण : भू उपयोग में बदलाव 202


नोट :

➢ बेलीज़ का रीफ संकटापन्न स्थिति से बाहर हो सकता है 203

➢ मानव तथा हाथी के बीच संघर्षों को रोकने के लिये हाथियों का स्थानांतरण 204

➢ तमिलनाडु ने नई इकोटूरिज्म नीति का अनावरण किया 205

➢ 2050 तक भारतीय जीडीपी के 2.8% क्षति हेतु उत्तरदायी होगा जलवायु परिवर्तन 206

**भूगोल एवं आपदा प्रबंधन** **207**

➢ क्या है ग्रीष्म अयनांत का मतलब? 207

➢ निएंडरथल समूह में और नज़दीक से शिकार करते थे : अध्ययन 208

**सामाजिक मुद्दे** **209**

➢ 44% अफगान बच्चे स्कूल से दूर : यूनिसेफ 209

➢ राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्त्वावधान में नए केंद्रीयकृत प्राधिकरण का प्रस्ताव 209

➢ स्वास्थ्य क्षेत्र में दलित महिलाओं की चिंतनीय दशा 210

➢ बाल संरक्षण पर रेलवे के सहयोग से जागरूकता अभियान 211

➢ स्वच्छ भारत के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 85% से अधिक 212

➢ ICSSR का नया विज़न : प्रासंगिक नीति के लिये अनुसंधान को बढ़ावा 215

**कला एवं संस्कृति** **217**

➢ सांगली की हल्दी को मिला जीआई टैग 217

➢ सागरमाला' को 52वें स्कॉच सम्मेलन 2018 में स्वर्ण पुरस्कार मिला 217

**आंतरिक सुरक्षा** **219**

➢ बांग्लादेश सीमा : एक गुलाबी गोली बनी मौत का खेल 219

➢ वित्त क्षेत्र में साइबर हमलों की संख्या पूर्व की तुलना में आधी : रिपोर्ट 220

**नीतिशास्त्र** **221**

➢ पाँच साल के शांतिकाल के बाद, भारत में उत्थान पर नैदानिक परीक्षण 221

**विविध** **222**

➢ अमित खरे बने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव 222

➢ इंडो-पैसिफिक कमांड **222**

➢ संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 222

➢ आंध्र प्रदेश के नए राजकीय प्रतीक 223

➢ विदेशी योगदान की निगरानी के लिये ऑनलाइन विश्लेषण टूल 223

**नोट :**

दृष्टि The Vision

➢ स्लीपिंग लॉयन 223
➢ डेक्कन क्वीन 224
➢ 3डी प्रिंटेड स्मार्ट जेल 224
➢ सेवा भोज योजना 224
➢ देश की पहली आधुनिक फोरेंसिक लैब 225
➢ दुष्कर्म मामलों के लिये विशेष फोरेंसिक किट 225
➢ चीन का नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 226
➢ अग्नि-5' मिसाइल 226
➢ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना 227
➢ दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन 227
➢ डब्ल्यूटीओ का अनौपचारिक सम्मेलन **228**
➢ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर : महेश कुमार जैन 229
➢ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 229
➢ बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 230
➢ भारतीय रिज़र्व बैंक 231
➢ भारत - इंडोनेशिया समन्वित निगरानी अभियान 232
➢ डॉ. वर्जीनिया ऐपगार 232
➢ ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी 233
➢ सेंटोसा द्वीप 233
➢ गुरुग्राम में देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस 234
➢ सीबीडीटी ने पखवाड़े को प्रभाव-पुष्टि मामलों की लंबित अपील को समर्पित किया 234
➢ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये पेंशन में उर्ध्वमुखी संशोधन 234
➢ बिज़नेस फर्स्ट पोर्टल 235
➢ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्राफी 235
➢ 'भारत के प्रधानमंत्री' संग्रहालय के लिये तीन समितियों का गठन 236
➢ रीसाइकिल न हो पाने वाले प्लास्टिक से बन सकेगा ईंधन 236
➢ विश्व महासागर दिवस 237
➢ मॉरीशस करेगा विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी 237
➢ कैंसर की लड़ाई में एक नया सहयोगी 238
➢ एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला प्लास्टिक 239
➢ मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' हुआ लॉन्च 239
➢ 'रेल मदद' 240
➢ 'घोस्ट पार्टिकल' 240

दृष्टि The Vision

**नोट :**

➢ पृथ्वी के समान आकार वाले तीन नए ग्रहों की खोज 241
➢ मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' हुआ लॉन्च 241
➢ 'रेल मदद' 242
➢ 'घोस्ट पार्टिकल' 242
➢ पृथ्वी के समान आकार वाले तीन नए ग्रहों की खोज 243
➢ ऊर्जा कुशल अचल संपत्ति उद्योग के लिये पहला उत्कृष्टता केंद्र 243
➢ ग्लोबल वार्मिंग के कारण शाक-सब्जियाँ हो जाएंगी दुर्लभ 244
➢ क्रेडिट इन्हान्समेंट फंड 244
➢ भवानी नदी 245
➢ तेज़ी से रक्त परीक्षण करने वाला स्वचालित रोबोट डिवाइस 245
➢ कछुए की नई प्रजाति 245
➢ संक्रमण का शीघ्र पता लगाने का नया तरीका 246
➢ एक्सेंचर का नया टूल 246
➢ आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 247
➢ भारतीय मूल की दिव्या बनी अमेरिकी कंपनी GM की मुख्य वित्तीय अधिकारी 247
➢ तेज़ी से पिघल रही है अंटार्कटिका की बर्फ़ 248
➢ विश्व रक्तदान दिवस 248
➢ स्वच्छ आइकॉनिक स्थल चरण-III 248
➢ यूरोपीय संघ फिल्म फेस्टिवल 249
➢ दुधवा के पसंदीदा हाथी की मौत 250
➢ ग्रीस और मेसेडोनिया के बीच 27 साल पुराने विवाद का अंत 250
➢ शरद कुमार नए सर्तकता आयुक्त 251
➢ राउरकेला इस्पात संयंत्र की पुनर्निर्मित ब्लास्ट फर्नेस-1 राष्ट्र को समर्पित 251
➢ प्रोजेक्ट कश्मीर सुपर 50 252
➢ 'अटसनमोबाइल' एप 252
➢ 'धरोहर गोद लें' योजना 253
➢ दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर 253
➢ राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्र को समर्पित 254
➢ 150 साल बाद फिर से मिली दुर्लभ स्पाइडर की प्रजाति 255
➢ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 255
➢ योग प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिये 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार 255
➢ विश्व शरणार्थी दिवस 256
➢ शिलॉन्ग (मेघालय) 100वीं स्मार्ट सिटी 256

**नोट :**

दृष्टि The Vision

- राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2018 257
- 7-स्टार ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना 257
- इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018: सूरत को 'सिटी अवार्ड' 258
- उरुग्वे के बाद कनाडा में भी वैध हुआ मारिजुआना 258
- विश्व का पहला मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र 259
- CEMS करेगा मुंबई और वीजैग में 24 प्रयोगशालाओं की स्थापना 259
- बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री' स्कोच अवार्ड 260
- एनीड ब्लीटन पात्रों के नाम पर नई मकड़ी प्रजातियाँ 260
- फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशक मंडल का 19वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन 260
- विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रो मोट 261
- दुबई और आबुधाबी में भारतीयों को फ्री ट्रांज़िट वीज़ा 262
- एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक : अर्जित बसु 262
- रानी रश्मोनी' 263
- तुर्की में संविधानिक सुधारों का प्रभाव 263
- लिबोर 263
- गौहर जान 264
- संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस 27 जून, 2018 264
- मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 265
- नासा करेगा सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर लाल रंग के विशाल धब्बे का अध्ययन 265
- किफायती प्लास्टिक सेंसर करेगा बीमारियों की पहचान 266
- कट्टुपल्ली बंदरगाह 266
- आईआईटी चेन्नई ने तैयार किया मानव रहित वायुयान 266
- कबीर की 500वीं पुण्य तिथि 267
- पोषण अभियान के लिये टेक-थॉन का आयोजन 267
- चुनावी बॉण्ड योजना, 2018 268
- हायाबुसा 2 268
- Re unite एप 268
- शनि ग्रह के उपग्रह इंसेलेडस पर मिले जीवन के संकेत 269

# संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

## यदि राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका तो मृत्युदंड के दोषियों के लिये अगला विकल्प क्या है ?

### चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जगत राय की दया याचिका खारिज कर दी है उसे सहयोगियों के साथ बिहार के रामपुर श्यामचंद गाँव में 2006 में सोते समय एक महिला और पाँच नाबालिग बच्चों की आग लगाकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मृत्यु की सज़ा को बरकरार रखा था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार करने के बाद भी मृत्युदंड के दोषी के लिये न्यायिक विकल्प मौजूद रहते हैं।

### दया याचिका कब राष्ट्रपति के पास पहुँचती है ?

- एक विचारण न्यायालय (trial court) द्वारा पारित मृत्युदंड की सज़ा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात् दोषी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
- सितंबर 2014 में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अवधारित किया कि मृत्युदंड की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ द्वारा की जाएगी।
- यदि उच्चतम न्यायालय इस तरह की अपील को खारिज कर देता है, तो दोषी एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकता है और इसके पश्चात् एक उपचारात्मक याचिका (curative petition) दायर कर सकता है।
- यदि इन सभी को खारिज कर दिया जाता है, तो दोषी के पास दया याचिका (mercy petition) का विकल्प होता है।
- दया याचिका पर निर्णय देने के लिये कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है।

### क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।
- अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है लेकिन यह शक्ति मृत्युदंड के लिये नहीं है।
- राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये इस दया याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेजता है।
- मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जवाब के आधार पर यह मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है।
- कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि दया याचिका पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। इस संबंध में 1980 में मारु राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले महत्त्वपूर्ण हैं।
- यद्यपि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिये बाध्य हैं लेकिन अनुच्छेद 74(1) उन्हें एक बार पुनर्विचार के लिये इसे वापस भेजने की शक्ति देता है।
- यदि मंत्रिपरिषद किसी भी बदलाव के खिलाफ फैसला करती है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

### राष्ट्रपति के निर्णय के बाद की स्थिति

- अक्तूबर 2006 में ईपुरु सुधाकर तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया कि अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

नोट :

- उनके निर्णय को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है-
  - (a) इसे बुद्धिमत्तापूर्ण पारित न किया गया हो।
  - (b) इसे बदनीयती से पारित किया गया हो।
  - (c) यह अपरिपक्व या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर आधारित होकर पारित किया गया हो।
  - (d) प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में न रखा गया हो।
  - (e) यह स्वेच्छाचारिता से प्रभावित हो।

क्या राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार करने की स्थिति में उच्च न्यायालय इनका पुनरीक्षण कर सकता है?

- यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
- छत्तीसगढ़ के सोनू सरदार को 2004 में दो नाबालिगों सहित एक स्क्रैप डीलर के परिवार के पाँच सदस्यों की हत्या के लिये 2008 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी।
- राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका अस्वीकार करने के बाद सोनू सरदार ने 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय में "देरी, शक्ति का अनुचित प्रयोग और अवैध एकांत कारावास" का हवाला देते हुए याचिका को अस्वीकार किये जाने को चुनौती दी।
- 28 जून, 2017 को उच्च न्यायालय ने मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया।
- केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 को एक नोटिस जारी किया।
- सरकार ने तर्क दिया कि केवल सर्वोच्च न्यायालय को दया याचिका के खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं का विचारण करना चाहिये न कि उच्च न्यायालय को।

---

# भारत में तंबाकू धूम्रपान में कमी : WHO

## चर्चा में क्यों?

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तंबाकू धूम्रपान के प्रसार का प्रतिशत वर्ष 2000 में 19 .4% से घटकर 2005 में 11.5% हो गया।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस रिपोर्ट में तंबाकू धूम्रपान का प्रसार 2020 तक 9.8% और 2025 तक 8.5% गिरने का अनुमान लगाया गया है।
- तंबाकू उपयोग का प्रसार उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में धीरे-धीरे घट रहा है, क्योंकि इन निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों द्वारा शुरू की गई कठोर तंबाकू नियंत्रण नीतियाँ तंबाकू उद्योगों द्वारा लगातार बाधित होती रहती हैं।
- हालाँकि रिपोर्ट में धूम्रपान के रूप में केवल तंबाकू का उपयोग शामिल है, भारत में चबाने वाले तंबाकू के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और इसके कारण अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- धूम्रपान के प्रसार में गिरावट वैश्विक प्रौढ़ तंबाकू सर्वेक्षण (Global Adult Tobacco Survey -GATS) के परिणामों के साथ समन्वित है।
- तंबाकू का उपयोग कैंसर और फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि यह दिल की बीमारी और पक्षाघात का भी सबसे बड़ा कारण है।
- इस बार 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के अवसर पर WHO इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि तंबाकू के कारण केवल कैंसर ही नहीं होता है, यह सचमुच आपके दिल की धड़कन को रोक देता है।

तंबाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति अज्ञानता

- इस रिपोर्ट ने तंबाकू से जुड़े कई स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी में भारी कमी का खुलासा किया।
- रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू का उपयोग और सेकेंड हैंड धूम्रपान का प्रसार हृदय संबंधी बीमारियों के प्रमुख कारण थे, जिनमें दिल का दौरा और पक्षाघात भी शामिल थे, जिनके कारण प्रतिवर्ष लगभग तीन मिलियन से अधिक मौतें होती हैं।

नोट :

- हालाँकि कई लोग जानते हैं कि तंबाकू का उपयोग कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि तंबाकू के उपयोग से हृदय संबंधी बीमारियाँ भी होती हैं।
- वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (Global Adult Tobacco Survey) के अनुसार चीन में 60% से ज़्यादा आबादी इस बात से अनजान थी कि धूम्रपान से दिल का दौरा पड़ सकता है।

### निष्कर्ष

- वर्ष 2000 से 2016 के बीच तंबाकू के उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन विश्व स्तर पर हृदय संबंधी और अन्य गैर-संक्रमणीय बीमारियों (NCDs) से पीड़ित लोगों को मौत से बचाने के लक्ष्य को पूरा करने के क्रम यह कमी अपर्याप्त है।
- भारत में तंबाकू चबाने की एक अनूठी समस्या है। तंबाकू उपयोगकर्त्ताओं में से तीन-चौथाई से अधिक इसका उपयोग चबाने के रूप में करते हैं।
- इसलिए, हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो तंबाकू के इस रूप का हल निकाल सके।

### विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

## प्रवासियों को दूर रखने के लिये अरुणाचल का कदम

### संदर्भ

चूँकि असम 30 जून तक नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अंतिम मसौदे को प्रकाशित करने के लिये तैयार हो गया है, इसे देखते हुए पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिये अपनी सीमाओं को मज़बूत कर रहा है।

### क्या है मामला?

- पिछले महीने, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के ठेकेदारों ने कहा कि 90 बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ रुकी हुई हैं क्योंकि 2,000 मज़दूरों ने यह सुनिश्चित करने के लिये काम करना छोड़ दिया था कि उनके नाम NRC में शामिल हैं।
- पंद्रह दिन से अधिक समय बाद, लोंगडिंग जिले में पुलिस ने 87 मज़दूरों को पकड़ा जिनके पास इनर लाइन परमिट (ILP) नहीं था और उन्हें वापस असम भेज दिया गया जहाँ से वे आए थे ।
- 'ILP उल्लंघन करने वालों' के खिलाफ इसी तरह के अभियानों ने अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य ज़िलों से 350 से ज़्यादा लोगों को निकाला है।
- लेकिन इटानगर में प्रशासन ने संकेत दिया कि अवैध प्रवासियों, जो कानून और व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं तथा शांति भंग कर सकते हैं, पर प्रतिबंध लगाने के लिये इस अभियान में अभी बहुत कुछ करना है।
- यह इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि अंतिम प्रारूप के सार्वजनिक होने के बाद असम अंततः लाखों नागरिकताविहीन लोगों को राज्य से निकाल सकता है।

### ILP (Inner Line Permit) क्या है?

- ब्रिटिश काल से ही, ILP एक यात्रा दस्तावेज़ है जो भारतीय नागरिकों को उत्तर-पूर्वी भारत के सीमावर्ती राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड में प्रवेश करने हेतु आवश्यक है।
- यह उन राज्यों में ऐसे लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत जारी किया जाता है, जो कि इन राज्यों से संबंधित नहीं हैं।

नोट :

- ILP एक सप्ताह के लिये मान्य होता है, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- जो लोग इन राज्यों में अक्सर काम के लिये आते रहते हैं वे एक विशेष ILP का चुनाव कर सकते हैं। इस विशेष ILP का वार्षिक रूप से नवीनीकरण कराना पड़ता है।
- चूँकि ILP भारतीयों के लिये और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट विदेशियों के लिये अनिवार्य है, तथ्य यह है कि अरुणाचल प्रदेश से निकाले गए मजदूरों के पास परमिट नहीं था, जो उनकी राष्ट्रीयता को संदेह के दायरे में लाता है।

## NRC कहाँ उपयुक्त होता है ?

- 31 दिसंबर, 2017 को NRC का पहला मसौदा प्रकाशित होने के बाद, असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि जो लोग सूची में अपना नाम शामिल करने में असफल रहे हैं उन्हें विदेशियों के रूप में पहचाना जाएगा तथा उन्हें सभी संवैधानिक अधिकारों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कहा है कि NRC 5 लाख से 10 लाख लोगों को छोड़ सकता है, इनमें से अधिकाँश पर 'बांग्लादेशी' या नागरिकता विहीन का टैग लग सकता है।

## अन्य राज्यों का डर

- असम के पड़ोसी राज्यों को डर है कि ये घोषित गैर-नागरिक सस्ते श्रम की मांग पर नकदी के लिये इनके क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकते हैं।
- 4 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने पुलिस को असम के साथ लगी सीमा के साथ निगरानी को मज़बूत करने का आदेश दिया था।
- लगभग उसी समय, पूर्व नगालैंड के गृह मंत्री कुज़ोलुज़ो निएनू, ILP के दायरे में राज्य के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर को लाना चाहते थे क्योंकि "अवैध प्रवासियों ने इस शहर के माध्यम से नगालैंड में घुसपैठ की।"
- ILP दीमापुर में लागू नहीं है।

## कहाँ जाएँगे असम तथा अन्य राज्यों द्वारा निकाले गए अवैध प्रवासी ?

- ये सिस्टर स्टेट अक्सर "अवैध प्रवासियों", जो कुशल और अकुशल श्रमिकों के रूप में विडंबनापूर्ण रूप से अनिवार्य हैं, के साथ अपनी समस्याओं के लिये असम को दोष देते हैं। नगालैंड में उनके लिये भी एक शब्द है - IBI, जिसका तात्पर्य है अवैध बांग्लादेशी आप्रवासन (Illegal Bangladeshi Immigrant)।
- नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसे संगठन गैर-नगा और IBI की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिये 'जनगणना' आयोजित करते हैं।

## पूर्व में हुई घटनाएँ

- 2008 में, कई बांग्ला भाषी मुसलमानों को नगालैंड के मोकोकचुंग शहर से बाहर निकाला गया था और इसने "जनसांख्यिकीय परिवर्तन" के चलते प्रवासियों के खिलाफ सतर्कता को जन्म दिया।
- 2015 में इसी तरह की एक घटना हुई, जबकि अक्तूबर 2017 में चुमुकेदीमा शहर के निवासियों ने IBI को बाहर रखने के लिये एक प्रस्ताव अपनाया।

## सामाजिक वैज्ञानिकों का मत

- सामाजिक वैज्ञानिकों का कहना है कि असम के शहरी क्षेत्रों में इन बाढ़ तथा क्षरण-विस्थापित लोगों की गतिविधि निकट भविष्य में स्वदेशी लोगों की तुलना में अवैध प्रवासियों के बारे में प्रलय के दिन वाले सिद्धांतों को बढ़ावा देती है।

## अवैध प्रवासियों की निर्भरता

- इस तरह के लोग अस्थायी रूप से दैनिक कामकाज या ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की रेती पर निर्भर होते हैं।

## क्या कहते हैं आँकड़े ?

- असम में 3,500 से अधिक रेती (sandbar) हैं, हालाँकि 14 साल पहले की पिछली जनगणना के अनुसार, इनकी आधिकारिक संख्या 2,089 है।
- उस समय दैनिक मजदूरों के रूप में इनकी संख्या 24.9 लाख अर्थात् असम की आबादी के 9.35% थी।

### NRC क्या है ?

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं।
- NRC को वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था।
- इसे जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था।
- 31 दिसंबर, 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया।
- इसके अंतर्गत कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में तकरीबन 3.29 करोड़ आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से कुल 1.9 करोड़ लोगों के नामों को ही इसमें शामिल किया गया है।

## बंगाल के मदरसों में लड़कों की संख्या में तेज़ी से गिरावट

### चर्चा में क्यों ?

1 जून को जारी पश्चिम बंगाल दसवीं मदरसा बोर्ड परीक्षा के आँकड़ों के अनुसार 70% बालिकाओं ने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया है जो कि लड़कों की संख्या में  भारी गिरावट का संकेत देता है। इस वर्ष परीक्षा देने वाले कुल 52,502 छात्रों में 36,565 लड़कियाँ हैं और 15, 937 लड़के।

### बालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण

- मदरसा बोर्ड के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में कन्याश्री तथा  सशर्त नकदी हस्तांतरण योजनाएँ महत्त्वपूर्ण रही हैं।
- स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल उपलब्ध कराने वाली योजना सबुज साथी ने भी लड़कियों को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित किया है।
- कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा देने वाली लड़कियों की उच्च संख्या पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ माध्यमिक परीक्षा के आँकड़ों में भी दिखाई दे रही है।
- 2018 में परीक्षाओं के लिये उपस्थित हुए कुल 11,02,921 उम्मीदवारों में से  लड़कियों की संख्या 6,21,266 (56.3%) थी, जबकि लड़कों की संख्या 4,81,555 (43.66%) थी।
- ये आँकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसंख्यक बाहुल्य ज़िलों, माल्दा और मुर्शिदाबाद में लड़कों के स्कूल छोड़ने की संख्या अधिक है।

### लड़कों की संख्या में कमी के कारण

- राज्य में लड़कों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण काम के लिये अन्य राज्यों में प्रवास करना है।
- अधिकांश मदरसे माल्दा और मुर्शिदाबाद ज़िलों में स्थित हैं और इन ज़िलों के लड़कों में अन्य राज्यों में नौकरियों के लिये बाहर निकलने और प्रवास करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

### विधिक स्थिति

- हालाँकि 1927 में मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई थी, लेकिन 1994 तक इसकी कोई विधिक स्थिति नहीं थी।
- पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया गया  जिसके तहत मदरसा बोर्ड तथा संबद्ध संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- राज्य में 614 उच्च मदरसे हैं, जो अरबी और इस्लामिक अध्ययन (इस्लाम परिचय) के दो वैकल्पिक विषयों के साथ भाषा, विज्ञान, गणित जैसे नियमित विषयों की शिक्षा प्रदान करते हैं।
- बोर्ड से 102 उच्च मदरसे भी संबद्ध हैं जो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और अलीम (कक्षा X) और फजिल (कक्षा XII) समकक्ष परीक्षा आयोजित कर रहे हैं।
- यहां तक कि अलीम परीक्षा में भी काफी संख्या में लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में भाग लेने वाले कुल 8,760 छात्रों में से 5,114 लड़कियाँ थीं।

नोट :

# मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 जून, 2018 को मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इम्फाल (मणिपुर) में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (विशेष विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मणिपुर सरकार द्वारा पहले ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिये जमीन आवंटित कर दी गई है।

- आपकी जानकारी के लिये बता दें कि इम्फाल में विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी एक विधेयक पहले से ही संसद में लंबित पड़ा है।
- यह अध्यादेश अगस्त 2017 में लोकसभा में पेश किये गए विधेयक की तर्ज पर लाया गया है।

### मुख्य तथ्य

- यह अपनी तरह का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा, जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को शामिल किया जाएगा।
- वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 2014-15 के बजट में इस कार्य के लिये 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करने का अनुमोदन भी किया गया था।
- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मणिपुर सरकार ने लगभग 325.90 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई है।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश में खेल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे – खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण आदि में व्याप्त अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 के तहत मणिपुर खेल विश्वविद्यालय के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति होगी।
- यह विधेयक सरकार को देश के अन्य हिस्सों में खेल परिसरों और अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान करता है।

### उद्देश्य

- शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्रदान करने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा इसके विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना।
- शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना।
- विभिन्न स्तरों पर ज्ञान क्षमताओं, कौशल और योग्यता में वृद्धि करना।
- प्रतिभाशाली एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

### राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश

- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 की तर्ज पर होगा जिसे 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशिक्षण समेत खेल शिक्षा को बढ़ावा देगा।
- विधेयक में इस बात का जिक्र है कि विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अपनी तरह का इकलौता विश्वविद्यालय होगा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

### पृष्ठभूमि

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट भाषण में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी।
- फिलहाल देश में कुछ संस्थान हैं जो एथलीट और कोच के लिये विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम चलाते हैं लेकिन खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन वाले प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश के खेल वातावरण में कमी है। इस खेल विश्वविद्यालय से यह कमी पूरी हो जाएगी।

नोट :

# सभी स्वास्थ्यकर्मियों हेतु हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण

## चर्चा में क्यों

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा के निर्देश पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेपेटाइटिस बी संक्रमण (Hepatitis-B infection) के शिकार होने की आशंका वाले सभी स्वास्थ्यकर्मियों को हेपेटाइटिस-बी का टीका (Hepatitis B vaccination) लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे कर्मियों में डिलिवरी कराने वाले, सुई लगाने वाले और खून एवं रक्त उत्पाद के प्रभाव में आने वाले स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं।

## हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis B)

- यह एक वायरल संक्रमण (viral infection) है, जो गुर्दे पर हमला करता है और गंभीर रोग का कारण हो सकता है।
- संक्रमित व्यक्ति के खून, वीर्य तथा शरीर के तरल पदार्थ के असंक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने से यह संक्रमण होता है।
- यह संक्रमण यौन संपर्क, सुई/सिरिंज साझा करने, सुई से होने वाले ज़ख्म या जन्म के समय माँ से बच्चे को हो सकता है।
- इस गंभीर हेपेटाइटिस-बी बीमारी के लिये कोई निश्चित इलाज नहीं है।
- हेपेटाइटिस-बी खतरनाक है, क्योंकि यह एक "शांत संक्रमण" है, जो लोगों को उनकी जानकारी के बिना ही संक्रमित करता है।
- अधिकतर लोग, जो हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित होते हैं, वे इस संक्रमण से अंजान रहते हैं और अनजाने में वायरस को दूसरे लोगों में खून के द्वारा और शरीर के संक्रमित प्रवाही द्वारा फैलाते हैं।

## प्रमुख बिंदु

- हेपेटाइटिस-बी संक्रमण स्वास्थ्यकर्मियों के पेशे से जुड़े जोखिम के रूप में माना जाता है। रोगियों और संक्रमणकारी सामग्री के संपर्क में रहने के कारण सामान्य लोगों की तुलना में स्वास्थ्यकर्मियों के लिये यह अधिक जोखिमभरा हैं।
- स्वास्थ्यकर्मी अक्सर संक्रमणकारी खून तथा शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ की संक्रमण क्षमता से अनभिज्ञ रहते हैं। हेपेटाइटिस-बी का टीका शुरू में दिये जाने से स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित रहते हैं।
- यह प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है और अति गंभीर प्रकार का वायरल हेपेटाइटिस है। एक अनुमान के अनुसार, हेपेटाइटिस-बी के परिणामस्वरूप लीवर सिरोसिस तथा लीवर कैंसर से प्रत्येक वर्ष 780,000 लोग मर जाते हैं।

## आँकड़ों के संदर्भ में

- भारत की आबादी में 2 से 8 प्रतिशत लोगों में हेपेटाइटिस-बी है। भारत के 50 मिलियन मामलों में यह बीमारी पाई जाती है।
- सामान्य जन की तुलना में स्वास्थ्यकर्मियों में 2 से 4 गुणा अधिक हेपेटाइटिस-बी संक्रमण की संभावना होती है। हेपेटाइटिस-बी की रोकथाम वर्तमान में सुरक्षित और प्रभावकारी टीकों से की जा सकती है।

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रयास

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हेपेटाइटिस-बी की रोकथाम के लिये अनेक कदम उठा रहा है। इसमें जन्म के समय दिया जाने वाला हेपेटाइटिस-बी का टीका भी शामिल है।
- यह सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित टीकाकरण के रूप में दिया जाता है। टीका लगाने में डिस्पोजेबल सिरिंजों का उपयोग किया जाता है।
- भारत की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि केवल 16-60 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों का पूरी तरह एचबीवी (Hepatitis-B Virus - HBV) टीकाकरण हुआ है। चिकित्सा सहायकों में एचबीवी संक्रमण का जोखिम अधिक होता है।
- चिकित्सा सहायक, डॉक्टरों की तुलना में टीकाकरण कम कराते हैं। हेपेटाइटिस-बी का टीका 90-95 प्रतिशत सुरक्षा करने में कारगर है।

नोट :

## भारतीय नौसेना ने पूरे किये हरित पहल कार्यक्रम के चार वर्ष

### संदर्भ

इस विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय नौसेना ने अपने हरित पहल कार्यक्रमों (Green Initiatives Program) के चार वर्ष पूरे किये। भारतीय नौसेना ने पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा दक्ष प्रणाली की दिशा में कई नीतियाँ बनाकर लागू की हैं जिसके परिणामस्वरूप सभी नौसैनिक अड्डों पर बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं। नौसेना ने 'भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोडमैप' (Indian Navy Environment Conservation Roadmap) को अपनाया है, जिसके तहत नौसेना पर्यावरण को ध्यान रखते हुए अपनी समुद्री क्षमताओं में वृद्धि कर रही है।

### हरित पहल कार्यक्रम (Green Initiative Program)

भारतीय नौसेना ने औपचारिक रूप से 05 जून, 2014 को, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'हरित पहल कार्यक्रम' को राष्ट्रीय ऊर्जा के साथ नौसैनिक डोमेन के सभी क्षेत्रों में, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण लक्ष्यों को एकीकृत करने की विचारधारा के साथ अपनाया। इसके अंतर्गत एक 'व्यापक भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोडमैप' (INECR) को, इकाइयों/प्रतिष्ठानों द्वारा लघु, मध्यम और लंबी अवधि के लक्ष्यों के साथ लागू किया गया था।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शून्य कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्यावरण हितैषी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
- नौसेना ने अपने कार्यालयों को पेपरलैस बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कागज की खपत को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सूचना तकनीक की मदद से डिजिटल तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं।
- नौसेना ने 16,000 की संख्या में वृक्षारोपण किया है, जिससे अनुमानित तौर पर 324 टन कार्बन डाईऑक्साइड कम होगी।
- नौसैनिक अड्डों पर ऊर्जा की खपत कम हो, इसके लिये समय-समय पर ऑडिट कार्य किया जा रहा है।
- नौसेना के एक बेहद महत्त्वपूर्ण अड्डे पर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11 फीसदी ऊर्जा की खपत कम हुई है।
- नौसेना विश्व पर्यावरण दिवस 2018 को 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना, थीम के साथ मना रही है।
- नौसेना ने अपनी 95 फीसदी स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइट से बदल दिया है। 21 मेगावॉट की सौर परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
- केंद्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) के तहत 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नौसेना भी सराहनीय योगदान दे रही है।

### विश्व पर्यावरण दिवस

- सारी दुनिया में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिवस वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण विषय पर स्टॉकहोम में आयोजित सम्मलेन की याद में मनाया जाता है।
- इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1972 में की थी लेकिन पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 1974 को मनाया गया था।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगो को जागरूक करना है।
- इस बार 45वाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।

### निष्कर्ष

एक विकासशील राष्ट्र और दुनिया के आधुनिक प्रगतिशील रक्षा बल के रूप में हमें अपने परिवेश तथा अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संज्ञान लेना आवश्यक है। समग्र कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना 'हमारी अगली पीढ़ियों के लिये ग्रीनर और क्लीनर भविष्य' (Greener and Cleaner future for our next generations) सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिये हरित पहल (Green Initiative) का अनुसरण करते हुए मार्च करने को 'तैयार एवं प्रतिबद्ध' है। भारतीय नौसेना द्वारा हरित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किया जाने वाला अथक प्रयास, ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण स्थिरता और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने में सहायता करेगा।

नोट :

# हरित निर्माण मानदंड : अभी भी पिछड़े हुए है अधिकांश राज्य

## चर्चा में क्यों ?

राज्य ऊर्जा संरक्षण मानदंडों को लागू किये जाने के एक दशक बाद भी अभी तक अधिकांश राज्यों द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। केवल दर्जनभर राज्यों ने ही इन मानदंडों को अपनाया है।

## पृठभूमि

- प्रथम ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code -ECBC) को मई 2007 में जारी किया गया था। तब से अब तक केवल 12 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने ही इसे अधिसूचित किया है।
- एक दशक बाद इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया और वे राज्य जिन्होंने इसके पिछले संस्करण को अपनाया है, इन नए मानदंडों का अनुपालन करने के लिये अपनी अधिसूचनाओं को संशोधित कर रहे हैं।

## ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता

- 27 मई, 2007 को भारत सरकार द्वारा नए वाणिज्यिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को अधिसूचित किया गया।
- ईसीबीसी में 100 किलोवॉट के संयोजित लोड के साथ या 120 केवीए और इससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक तय किये गए हैं।
- ईसीबीसी ऊर्जा प्रदर्शन के मानदंडों को परिभाषित करता है और उस देश के जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखता है जहाँ भवन स्थित है।
- भवन के प्रमुख घटक जो संहिता के माध्यम से संबोधित किये जा रहे हैं :
    - एन्वेलप (वॉल, रूफ्स, विंडो)
    - लाइटिंग प्रणाली
    - एचवीएसी प्रणाली
    - जल ताप और पम्पिंग प्रणाली
    - इलेक्ट्रिकल विद्युत प्रणाली
- ऊर्जा दक्ष भवनों के बाज़ार को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिये एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग का विकास किया है जो भवन व इसके क्षेत्रफल में केडब्ल्यूएच/वर्गमीटर/वर्ष में व्यक्त ऊर्जा उपयोग के संदर्भ में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है।
- वर्तमान में भवनों की चार श्रेणियों (दिन में उपयोग होने वाले कार्यालय भवन/बीपीओ/शॉपिंग मॉल/अस्पताल) के लिये स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का विकास किया गया है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया गया है।
- अलग-अलग श्रेणियों के तहत 150 से अधिक व्यावसायिक भवनों का मूल्यांकन किया गया है।

## संहिता का अनुपालन करने वाले राज्य

- मई 2017 तक ईसीबीसी मानदंडों को नौ राज्यों - राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक तथा संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी द्वारा अधिसूचित किया गया है। बहुत जल्द असम और केरल भी इस सूची में शामिल होने जा रहे है।
- शुरू में राज्य ईसीबीसी को अपनाने के लिये अनिच्छुक थे क्योंकि वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिये अनुमोदन करते समय इसके दूसरे स्तर के अनुपालन की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में जल्द ही अनुपालन का आकलन करने हेतु एक सॉफ्टवेयर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

## ड्राफ्ट संशोधन

- राज्यों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिये ईसीबीसी संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है।

नोट :

- नई संहिता के अंतर्गत देश भर में नई व्यावसायिक इमारतों के निर्माण के लिये ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को निर्धारित किया गया है। संहिता के तहत अक्षय ऊर्जा को शामिल करने संबंधी प्रावधान एवं एयर-कंडीशनिंग सिस्टम हेतु आवश्यकताओं आदि को शामिल करने की पेशकश की गई है।
- ईसीबीसी 2017 को अपनाने में होने वाली देरी का परिणाम यह होगा कि इससे 2030 तक ऊर्जा उपयोग में 50 प्रतिशत की कटौती के उद्देश्य को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा।

### एकाधिक हितधारक

- विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक जानकारी के अनुसार, ईसीबीसी 2017 के सफल अनुपालन से जहाँ एक ओर 2030 तक लगभग 300 अरब इकाइयों की ऊर्जा बचत होगी वहीं दूसरी ओर एक वर्ष में 15 गीगावाट से अधिक की ऊर्जा मांग में कमी आएगी।
- दूसरे शब्दों में इससे तकरीबन ₹ 35,000 करोड़ की बचत तो होगी ही साथ ही 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी भी आएगी।
- ईसीबीसी को विद्युत मंत्रालय के तहत तैयार किया गया था। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग (नगरपालिका निगमों और शहरी स्थानीय निकायों) के साथ नामित राज्य एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है।
- संहिता को अपनाने, इसका कार्यान्वयन और प्रवर्तन करने में कई हितधारकों को शामिल किया गया है। इन सब में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ राज्य एवं स्थानीय समकक्षों की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- भारत में ईसीबीसी को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये स्थानीय निकायों के प्रयासों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ एकीकृत करना बेहद ज़रुरी है। ईसीबीसी के उचित कार्यान्वयन और निष्पादन के लिये अधिकारियों की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ जवाबदेहिता में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

ऊर्जा दक्षता में सुधार से स्थायी विकास को प्रोत्साहन देने और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्द्धी बनाने का दोहरा उद्देश्य पूरा होता है। ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने की विकट चुनौतियों को पहचानते हुए और एक स्थायी विधि से वांछित गुणवत्ता की पर्याप्त और विविध ऊर्जा प्रदान करते हुए, दक्षता में सुधार लाना ऊर्जा नीति का महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है। ऊर्जा संरक्षण को घटते ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के विचार के साथ भी अधिक महत्व दिया गया है।

## 2 अक्तूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य

### चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी ज़िलाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण [Swachh Bharat Mission Gramin (SBM-G)] की प्रगति की समीक्षा की। इसमें केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्तूबर, 2019 की अवधि से पहले 2 अक्तूबर, 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free - ODF) होने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित करने के स्थान पर जन आंदोलन बनाने पर ज़ोर दिया। साथ ही सभी ज़िलाधिकारियों से इसकी ज़िम्मेदारी लेने का आह्वान करते हुए उनसे समाज के सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित करने और कार्यक्रम की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिये कम-से-कम एक घंटा प्रतिदिन देने के लिये कहा।
- मुख्यमंत्री ने सभी ज़िलाधिकारियों से सोशल मीडिया का लाभ उठाकर ज़मीनी स्तर पर इसकेनक्रियान्वयन की बेहतर निगरानी करने पर बल दिया। इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और स्वच्छाग्रही तथा राजमिस्त्री के मानदेय का समय पर भुगतान करने के लिये कहा।

### वर्तमान स्थिति

- उत्तर प्रदेश ने गत छह माह में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और राज्य के 28 हजार से अधिक गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

- राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्य वर्ष 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 85 प्रतिशत हो गया है और 3.75 लाख गाँव, 389 ज़िले, 13 राज्य तथा 4 संघ शासित प्रदेशों को पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

## केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

- सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। इसका प्राथमिक उददेश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और महिलाओं की समस्या से निजात दिलाकर उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान करना था।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा निजी पारिवारिक शौचालय बनावाए जाने और उसका इस्तेमाल किये जाने की उनकी उपलबिधयों को मान्यता देने के लिये उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिये गए।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रियाकलाप शुरू करने के अलावा विद्यालय शौचालय इकाइयों, आंगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिये भी सहायता का विस्तार किया गया।

## स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है| यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो कि शहरों और गाँवों की सफाई के लिये आरंभ किया गया है|
- इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढाँचे को बदलना आदि शामिल है।इस अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट, नई दिल्ली में 2 अक्तूबर, 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन के 6 प्रमुख घटक हैं-

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय।
- सामुदायिक शौचालय।
- सार्वजनिक शौचालय।
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- सूचना और शिक्षित संचार (आईईसी) और सार्वजनिक जागरूकता।
- क्षमता निर्माण।

## मुख्य उददेश्य

- सरकारी, शिक्षा जगत, व्यापार और पर्यावरण सूचना प्रणाली सहित गैर सरकारी संगठनों के सूचना प्रयोगकर्त्ताओं, वाहकों और प्रदात्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना।
- देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये स्वच्छता कवरेज में तेज़ी लाना।
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिये किफायती तथा उपयुक्त प्रौधोगिकियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिये ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना।

# डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में होगा संशोधन

## चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks - GDS) के वेतन भत्तों में संशोधन को मंज़ूरी दी है। वेतन भत्तों में संशोधन के लिये वर्ष 2018-19 के दौरान 1257.75 करोड़ रुपए का खर्च, इसमें 860.95 करोड़ रुपए का गैर-आवर्ती खर्च (Non-Recurring expenditure) और 396.80 करोड़ रुपए का आवर्ती खर्च (Recurring expenditure) होने का अनुमान है।

- वेतन भत्तों में इस संशोधन से 3.07 लाख ग्रामीण डाक सेवक लाभान्वित होंगे।

## प्रमुख बिंदु

- समय से संबंधित नियमित्ता भत्ता (Time Related Continuity allowance –TRCA) ढाँचा और स्लैब को युक्ति संगत बनाया गया है।
- कुल जीडीएस को इन दो श्रेणियों के तहत लाया गया है – ब्रांच पोस्ट मास्टर (Branch Postmasters-BPMs) और ब्रांच पोस्टर से इतर जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (Assistant Branch Postmaster - ABPMs)।
- मौजूदा 11 TRCA स्लैब को केवल तीन स्लैबों के तहत लाया गया है जिनमें बीपीएम एवं बीपीएम के इतर कर्मियों के लिये एक-एक स्तर होंगे।
- समय से संबंधित नियमित्ता भत्ते (टीआरसीए) के रूपरेखा इस प्रकार होगी:

| काम के घंटे/स्तर के अनुसार GDSs की प्रस्तावित दो श्रेणियों का न्यूनतम TRCA | | | |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | श्रेणी | चार घंटे/स्तर 1 के लिये न्यूनतम TRCA | पाँच घंटे/स्तर 2 के लिये न्यूनतम TRCA |
| 1. | BPM | 12,000 रुपए | 14,500 रुपए |
| 2. | ABPM/डाक सेवक | 10,000 रुपए | 12,000 रुपए |

- महंगाई भत्ते का भुगतान अलग से जारी रहेगा और केंद्रीय कर्मचारियों के लिये उसमें समय-समय पर बदलाव होता रहेगा।
- नई योजना के तहत 7000 रुपए की सीमा तक TRCA + DA की गणना के साथ अनुग्रह बोनस (ex-gratia bonus) जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
- 1.1.2016 से संशोधित वेतनमान के लागू होने की तिथि तक की अवधि के लिये एरियर की गणना 2.57 गुणक के साथ बढ़े हुए बेसिक TRCA के अनुसार की जाएगी। एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
- वार्षिक बढ़ोतरी 3 फीसदी की दर से होगी और वह हर साल पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई को दी जा सकती है जो जीडीएस के लिखित आग्रह पर आधारित होगी।
- एक नया जोखिम एवं कठिनाई भत्ता को भी लागू किया गया है। अन्य भत्ते जैसे कार्यालय रख-रखाव भत्ता एकीकृत ड्यूटी भत्ता, नकदी लाने-ले जाने का शुल्क, साइकिल रख-रखाव भत्ता, नाव भत्ता और निर्धारित स्टेशनरी शुल्क में संशोधन किया गया है।

## कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

- ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल एवं सस्ती बुनियादी डाक सुविधाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित वेतन वृद्धि से वे अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में समर्थ होंगे।

## इसके क्या-क्या प्रभाव होंगे?

- डाकघरों की ग्रामीण शाखा गाँवों एवं दूरदराज के क्षेत्रों में संचार एवं वित्तीय सेवाओं का आधार है। ग्राहकों को भुगतान के लिये पोस्ट मास्टर को काफी रकम का हिसाब रखना पड़ता है और इसलिये उनके काम की ज़िम्मेदारी पहले से ही निर्धारित है।
- इस वेतन वृद्धि से उनमें ज़िम्मेदारी का भाव और बढ़ेगा।

नोट :

- कुल मिलाकर ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय समावेशीकरण की प्रक्रिया में भारतीय डाक भुगतान बैंक (India Post Payment Bank - IPPB), सीडीएस नेटवर्क की अहम भूमिका होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समावेशन के रूप में आईपीपीबी की स्थापना बजटीय घोषणाओं का एक अंग था। डाक विभाग ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना के लिये सितंबर 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक की 'सैद्धांतिक रूप में स्वीकृति' प्राप्त की।
- भारतीय डाक भुगतान बैंक से देशभर में उपभोक्ताओं के लिये आसान, कम कीमतों, गणवत्ता युक्त वित्तीय सेवाओं की आसानी से पहुँच के लिये विभाग के नेटवर्क और संसाधनों का लाभ मिलता है।

### भुगतान बैंक के कार्य

- भुगतान बैंक केवल भुगतान का दायित्व संभालते है।
- भुगतान बैंक लोगों से जमा स्वीकार कर कैशलेस खरीदारी को बढ़ावा देते है। इसके ज़रिये आसानी से एक से दूसरी जगह पैसा भेजा जा सकता है।
- ये बैंक किसी को कर्ज नहीं देते है।
- शुरुआत में यहाँ ग्राहक एक लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
- भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड देने की अनुमति नहीं होगी।
- भुगतान बैंक का लाइसेंस पाने वालों को परिचालन कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय 18 महीने की समयसीमा में शुरू करना होगा।
- भुगतान बैंकों से उन लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने में मदद मिलेगी जो अब तक इनसे वंचित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश में भुगतान बैंकों के लिये लाइसेंस देने का रिज़र्व बैंक का निर्णय एक बड़ा कदम है, इससे बैंकिंग प्रणाली में और अधिक धन आएगा तथा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा।

### पृष्ठभूमि

- भारतीय डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय व्यवस्था की स्थापना 150 वर्ष पहले उन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आर्थिक एवं कुशल डाक सेवा मुहैया कराने के लिये की गई थी जहाँ पूर्णकालिक कर्मचारियों को बहाल करने का कोई औचित्य नहीं था।
- 1,29,346 अतिरिक्त विभागीय डाक शाखा का संचालन मुख्य तौर पर ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जा रहा है।
- साथ ही, ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर के अलावा शाखा, उप एवं मुख्य डाक घरों में भी काम करते हैं।
- ग्रामीण डाक सेवकों को बहाल करने की मुख्य विशेषता यह है कि वे तीन से पाँच घंटे प्रतिदिन अंशकालिक कार्य करते हैं और इससे प्राप्त आय उनके मुख्य आय का पूरक है जो उनके लिये अपने परिवार का भरण पोषण करने का एक पर्याप्त साधन है। वे 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे।

## भारत में मातृ मृत्यु दर में 28 प्रतिशत की कमी

### चर्चा में क्यों ?

मातृ मृत्यु दर (MMR) को इंगित करने वाले नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) डेटा के मुताबिक देश में एमएमआर (प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या) 167 (2011-2013 में, अंतिम एसआरएस अवधि) से गिरकर 130 हो गई है। यह 28% की गिरावट एक उपलब्धि है। मातृ और शिशु मृत्यु दर तथा रुग्णता को प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक माना जाता है क्योंकि ये महिला स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति को दर्शाते हैं।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

एसआरएस, राज्यों को तीन समूहों में विभाजित करता है-

1. सशक्त कार्य समूह (Empowered Action Group-EAG) - बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम।
2. दक्षिणी राज्य- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
3. अन्य- शेष राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।

नोट :

- अंतिम एसआरएस से सबसे ज़्यादा कमी EAG राज्यों में हुई है जो 23% है अर्थात् यह 246 (2011-2013) से गिरकर 188 हो गया है, जबकि अन्य राज्यों में 19% की कमी आई है, 2011-2013 में एमएमआर 115 से घटकर 93 हो गया है।
- दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में जिनका बेहतर औसत 77 है गिरकर 17% हो गया है।
- उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड में 29% की भारी गिरावट आई है जहाँ एमएमआर 285 से 201 हो गया है।
- केरल 46 के एमएमआर (61 से नीचे) के साथ शीर्ष पर है।
- महाराष्ट्र ने 61 के साथ अपनी दूसरी स्थिति बरकरार रखी है, लेकिन गिरावट की गति सुस्त है जहाँ 2011-13 के दौरान एमएमआर 68 था।
- 66 (पूर्व में 79) के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मुताबिक, भारत ने 2014-2016 के लिये 139 के एमडीजी लक्ष्य को बेहतर बनाया है। यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है।
- यह एनएचएम के तहत केंद्र और राज्यों द्वारा व्यवस्थित ढंग से किये गए कार्यों का नतीजा है जिसके परिणामस्वरूप 2015 में 12,000 और जान बचाई गई।
- 2013 की तुलना में 2016 में प्रसव के समय माँ की मुत्यु के मामलों में करीब 12 हज़ार की कमी आई है और ऐसी स्थिति में माताओं की मृत्यु का कुल आँकड़ा पहली बार घटकर 32 हज़ार पर आ गया है।
- इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 2013 की तुलना में अब हर दिन 30 से अधिक गर्भवती महिलाओं को बचाया जा रहा है।
- तीन राज्यों ने एमएमआर 70 के संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य को पहले से ही हासिल कर लिया है।
- कुल मिलाकर, यह विशेष रूप से EAG राज्यों में प्रभावशाली प्रगति का संकेत देता है।
- केरल और तमिलनाडु को और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिये लेकिन कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और हरियाणा ने निराश किया है।

### मातृ मृत्यु दर (MMR) क्या होती है?

- मातृ मृत्यु दर दुनिया के सभी देशों में प्रसव के पूर्व या उसके दौरान या बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिये एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एमएमआर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से (आकस्मिक या अप्रत्याशित कारणों को छोड़कर) प्रति 100,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या है।

## कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में कृषि सुधार के लिये उठाए कई महत्त्वपूर्ण कदम

### संदर्भ

फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद देश में आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति मंज़ूर की गई, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ किसानों की निवल आय में भी वृद्धि करना था। वर्तमान सरकार में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

### महत्त्वपूर्ण प्रयास Model Agricultural Land Leasing Act, 2016

- Model Agricultural Land Leasing Act, 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भू-धारकों वरन लीज प्राप्तकर्त्ता की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
- इस एक्ट के माध्यम से भू-धारक वैधानिक रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिये आपसी सहमति से भूमि लीज पर दे सकते हैं।
- यहाँ यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में लीज प्राप्तकर्त्ता का कृषि भूमि पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- लीज प्राप्तकर्त्ता के दृष्टिकोण से यह ध्यान दिया गया है कि उसे संस्थागत ऋण, इंश्योरेंस तथा आपदा राहत राशि उपलब्ध हों, जिससे उसके द्वारा अधिक-से-अधिक कृषि पर निवेश हो सके।

नोट :

## राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम

- अप्रैल, 2016 में ही राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई-नाम) के तहत बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

## कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017

- 24 अप्रैल, 2017 को मॉडल "कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017" राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाये जाने हेतु जारी किया गया। जिसमें ई-व्यापार, सब-यार्ड के रूप में गोदामों, सिल्लोज, शीत भंडारण की घोषणा, मंडी शुल्क एवं कमीशन प्रभार को तर्कसंगत बनाना तथा कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधार शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में देश के 22,000 ग्रामीण कृषि मंडियों के विकास के लिये नाबार्ड के माध्यम से दो हज़ार करोड़ रुपएकी राशि भी प्रस्तावित की गई है। यहाँ स्पष्ट है कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के संबंध में वर्ष 2004 के बाद दिये गए आयोग के सुझाव का क्रियान्वयन भी इन्हीं 4 सालों के अंदर किया गया।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना

- पुरानी योजनाओं के विस्तृत अध्ययन के बाद उनमें सुधार किया गया है तथा विश्व की सबसे बड़ी किसान अनुकूल फसल बीमा योजना अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना को शुरू किया है।
- वर्ष 2019-20 तक सकल फसल क्षेत्र के 50 प्रतिशत को कवर किये जाने का लक्ष्य है।

## सूक्ष्म सिंचाई

- सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है।
- सूक्ष्म सिंचाई (MI) कवरेज की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर 15 प्रतिशत है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 9.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को एमआई के तहत लाया गया है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त अब तक का अधिकतम कवरेज है।
- वर्ष 2022-23 तक 1.5 से 2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष कवरेज़ का लक्ष्य है।
- बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ-साथ 5,000 करोड़ का कॉर्पस फण्ड भी स्थापित किया गया है।

## कृषि वानिकी उपमिशन-राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति

- किसानों की आय में वृद्धि करने तथा जलवायु सहायता प्राप्त करने के लिये कृषि वानिकी उपमिशन-राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति तैयार की गई है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान "हर मेढ़ प्रति पेड़" के उद्देश्य से एक विशेष स्कीम "कृषि वानिकी उपमिशन" को शुरू तथा संचालित किया गया था।
- कृषि वानिकी उप-मिशन के तहत सहायता के लिये पारगमन विनियमों में छूट एक पूर्व अपेक्षा है।
- 21 राज्यों ने इस विनियम में छूट प्रदान कर दी है तथा सभी राज्यों को इस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।

## पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन

- राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM) को प्रारंभिक रूप से वर्ष 2006-07 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किया गया था तथा वर्ष 2014-15 के दौरान इसे समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत लाया गया था और वर्ष 2015-16 तक जारी रखा गया था।
- यह योजना मुख्यत: सीमित मौसम और शोधन इकाइयों तथा बाँस बाज़ार के कारण बाँस की खेती और प्रचार-प्रसार तक ही सीमित है।
- इस योजना की मुख्य कमियों में उत्पादकों (किसानों) और उद्योगों के बीच संपर्क का अभाव था।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पिछले वर्ष संशोधन किया गया था जिससे वन क्षेत्र के बाहर बोए गए बाँस को 'पेड़ों' की परिभाषा से हटा दिया गया है तथा 1,290 करोड़ रुपए के परिव्यय से पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

नोट :

### यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- सरकार ने 12 मानदंडों के अनुसार परिक्षित मृदा नमूनों के आधार पर किसानों को भूमि की उर्वरता के बारे में सूचना प्रदान करने के लिये विश्व में सबसे बड़ा यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की है।
- यह अध्ययन दर्शाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सिफारिशों के अनुसार उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप 8 से 10 प्रतिशत के बीच रासायनिक उर्वरक अनुप्रयोग की कमी पाई गई है और फसल पैदावार में 5-6 प्रतिशत तक की समग्र वृद्धि हुई है।

### परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) को देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह मृदा स्वास्थ्य एवं जैविक पदार्थ सामग्री में सुधार लाएगी तथा इससे किसानों की निवल आय में बढ़ोत्तरी होगी ताकि प्रीमियम मूल्यों की पहचान की जा सके।
- लक्षित 50 एकड़ (2015-16 से 2017-18) तक की प्रगति संतोषजनक है।
- अब इसे क्लस्टर आधार (लगभग प्रति 1000 हेक्टेयर) पर शुरू किया गया है।
- यहाँ उल्लेखनीय है कि सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिये जैविक खेती की सिफारिश भी मोदी सरकार के समय ही संस्थागत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित की गई।

### जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को पहचान कर केंद्रीय क्षेत्र योजना के तौर पर शुरू किया गया है और पूर्वोत्तर को भारत के जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

### Model Contract Farming and Services Act, 2018

- सरकार ने वर्ष 2018 में Model Contract Farming and Services Act, 2018 जारी किया है जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।
- इस एक्ट के माध्यम से जहाँ एक ओर कृषि जिंसों का अच्छा दाम किसानों को मिल सकेगा, वहीं फसल कटाई उपरांत नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।
- साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।

### शत-प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया

- वर्ष 2003-05 के बीच में इस देश के वैज्ञानिकों ने यूरिया को शतप्रतिशत नीम कोटेड करने की बात कही थी और यह भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था जिसे वर्तमान सरकार के आने के बाद दो वर्षों में पूरा किया गया।

---

## नीति आयोग ने की 3,000 और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा

### संदर्भ

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) ने अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की स्थापना के लिये 3,000 और स्कूलों का चयन किया है। इसके साथ ही ATL स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- चयनित स्कूलों को देश भर में माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता की भावना बढ़ाने हेतु अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिये अगले पाँच वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपए दिये जाएंगे।
- जल्द ही भारत के प्रत्येक ज़िले में ATL की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य नवाचार परितंत्र को स्थापित करना है।

- इससे प्रौद्योगिकी नवाचार और शिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा।
- ये 3,000 अतिरिक्त स्कूल ATL कार्यक्रम की पहुँच को काफी हद तक बढ़ा देंगे जिससे और ज़्यादा संख्या में बच्चे टिंकरिंग एवं नवाचार से अवगत हो सकेंगे।
- इसके साथ ही भारत के युवा अन्वेषकों की पहुँच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कि 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और माइक्रोप्रोसेसर तक सुनिश्चित हो जाएगी।
- इन अतिरिक्त ATL स्कूलों से वर्ष 2020 तक 10 लाख से भी ज़्यादा आधुनिक बाल अन्वेषकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
- ये ATL इन विद्यार्थी अन्वेषकों के लिये नवाचार हब (केंद्र) के रूप में कार्य करेंगी जिससे उन्हें उन अनूठी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढने में आसानी होगी जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है।
- इन नए अतिरिक्त ATL स्कूलों की स्थापना के साथ ही ATL स्कूलों की संख्या बढ़कर कुल 5,441 हो जाएगी जो सभी राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में से पाँच केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- इन नए स्कूलों के साथ ही नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) के तहत ATL पहल द्वारा सृजित उस सहयोगात्मक परितंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक और औद्योगिक भागीदार नवाचार को बढ़ावा देंगे और आज के उन बच्चों में वैज्ञानिक समझ एवं उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिये कार्य करेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक उल्लेखनीय योगदान करेंगे।
- इन नव चयनित स्कूलों से उन सभी औपचारिकताओं के संबंध में शीघ्र ही संपर्क स्थापित किया जाएगा जो उन्हें अनुदान प्राप्त करने और अपने-अपने परिसरों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिये पूरी करनी है।

## अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला

- नीति आयोग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन (Atal innovation Mission) के हिस्से के रूप में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (Atal Tinkering Lab) नामक पहल की शुरुआत की है।
- माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिये नीति आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के स्कूलों में प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना बनाई है।

## प्रमुख विशेषताएँ तथा उद्देश्य

- अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करना है जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी।
- इन प्रयोगशालाओं का लक्ष्य 500 समुदायों और स्कूलों में 250,000 युवाओं को भविष्य के लिये अभिनव कौशल प्रदान करना है।
- युवाओं द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिये परामर्शदाताओं के क्षमता निर्माण और मेकर इकोसिस्टम के साथ संपर्क कायम करने, अवधारणा तैयार करने, डिज़ाइन के बारे में चिंतन करने और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यशालाएँ आयोजित करने में इंटेल की ओर से नीति आयोग को सहायता मिलेगी।
- नीति आयोग के अनुसार, यदि भारत को अगले तीन दशकों में निरंतर 9 से 10 प्रतिशत विकास दर कायम रखनी है तो यह अत्यंत आवश्यक होगा कि देश समस्याओं के लिये अभिनव समाधान के उपाय करने में सक्षम हो।
- नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, विशेषकर अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के बल पर लाखों की संख्या में बाल अन्वेषकों को तैयार करने में मदद मिलेगी, जो युवा उद्यमियों के रूप में विकसित होंगे और भारत का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला देश भर के स्कूलों में स्थापित की जाएंगी। इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कार्य में तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

## नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के बारे में

- अटल नवाचार मिशन (AIM) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है।

नोट :

- AIM का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नज़र रखना और नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये एकछत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिये समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके।
- अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज़ (ATL) अन्वेषकों और अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों का सृजन करने के साथ-साथ पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्रों को आवश्यक सहायता मुहैया कराती है, ताकि नवाचारों को बाज़ार में उपलब्ध कराना और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों की स्थापना करना सुनिश्चित हो सके।

### नीति आयोग

- 1 जनवरी, 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आए नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्ययोजनाएँ तैयार करना है।
- केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देश भर से सुझाव आमंत्रित करके जन-भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियाँ बनाने का काम करता है।
- 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी। उसके बाद जब योजना आयोग भंग हुआ तो उसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया।
- नीति आयोग की स्थापना के बाद योजनांतर्गत व्यय और गैर-योजनांतर्गत व्यय का अंतर समाप्त हो चुका है।
- अब केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धनराशि का हस्तांतरण केवल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है।

## कोयला मंत्रालय की चार वर्ष की उपलब्धियाँ एवं अभिनव कदम

### संदर्भ

हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा चार वर्षों की उपलब्धियों को जारी किया गया है। इन 4 वर्षों (2014-18) में कोयला उत्पादन में 105 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जिसे हासिल करने में 2013-14 से पहले लगभग सात वर्ष लगे थे।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पिछले चार वर्षों के दौरान विशिष्ट कोयला उपभोग (प्रति यूनिट बिजली के लिये आवश्यक कोयले की मात्रा) में 8 प्रतिशत की कमी आई है जो 'सरकार की साफ नीयत, सही विकास' के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
- देश के कोयला क्षेत्र में सुधार ने ऊर्जा क्षमता, दक्षता एवं सुरक्षा बढ़ोतरी में योगदान दिया है।
- अब तक का सर्वाधिक महत्त्वाकाँक्षी कोयला क्षेत्र सुधार, वाणिज्यिक कोयला खनन उच्चतर निवेश एवं बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजन में सहायक होगा।
- 'शक्ति' योजना के तहत-16 ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- केंद्र सरकार ने कोयला एवं रेल मंत्रालय के बेहतर समन्वयन के ज़रिये बेहतर माल ढुलाई पर भी फोकस किया है।
- कोल इंडिया का कोयला लदान 2014-15 के 195 रेक प्रति दिन से बढ़ कर 2017-18 में 230 रेक प्रतिदिन हो गया है।
- 14 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये कोयला निकालने हेतु समयबद्ध कार्य निष्पादन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का कोयला उत्पादन 2013-14 के 462 मिलियन टन से बढ़ कर 2017-18 में 567 मिलियन टन तक पहुँच गया है।
- उत्खनन के क्षेत्र 2013-14 के 6.9 लाख मीटर की तुलना में लगभग दोगुनी बढ़कर 2017-18 में 13.7 लाख मीटर तक पहुँच गई।
- बढ़े हुए कोयला उत्पादन से 'सभी के लिये 24 घंटे किफायती बिजली' के विज़न को साकार करने में मदद मिलेगी, जो 2022 तक नवीन भारत विज़न का एक हिस्सा है।

नोट :

| | अखिल भारतीय कोयला उत्पादन में वृद्धि (मिलियन टन में) | सीआईएल कोयला उत्पादन में वृद्धि (मिलियन टन में) | अखिल भारतीय कोयला डिस्पैच में वृद्धि (मिलियन टन में) | सीआईएल कोयला डिस्पैच में वृद्धि (मिलियन टन में) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11से 2013-14 | 33 | 31 | 48.6 | 46.62 |
| 2014-15से 2017-18 | 67 | 73 | 87.76 | 91.44 |
| 4 वर्षों की अवधि में विकास की प्रतिशत वृद्धि | 103% | 135% | 80.6% | 96.14% |

मंत्रालय ने उत्कृष्ट कोयला गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये किस प्रकार कार्य किया है?

- तीसरे पक्ष की नमूना प्रक्रिया लागू की गई है।
- कोयला गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं पक्षता सुनिश्चित करने के लिये उत्तम एप लॉन्च किया गया है।
- कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के सभी खदानों का पुनर्श्रेणीकरण किया गया है।
- फोकस निम्न लागत एवं उच्च गुणवत्ता के जरिये बिजली की लागत पर रहा है और पिछले चार वर्षों के दौरान विशिष्ट कोल उपभोग (प्रति यूनिट बिजली के लिये आवश्यक कोयले की मात्रा) में 8 प्रतिशत की कमी आई है।

## कोयला खदानों की पारदर्शी नीलामी एवं आवंटन

- 89 कोयला खदानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की गई है और उन्हें कोयला धारित राज्यों को 100 प्रतिशत राजस्व के साथ आवंटित किया गया है जिससे खासकर, सामाजिक रूप से पिछड़े एवं आकांक्षी ज़िलों के लिये आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में राज्यों को सहायता मिलेगी।
- 45.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पारदर्शी तरीके से गैर-विनियमित क्षेत्र को नीलामी की गई है।
- कोयला लिंकेज की नीलामी एवं आवंटन के लिये भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला को उपयोग में लाने एवं आवंटन करने की योजना (शक्ति) से किफायती बिजली मिलेगी एवं कोयला के आवंटन में पारदर्शिता आएगी।

## अन्य महत्त्वपूर्ण कदम

- बिजली क्षेत्र में कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाने के परिणामस्वरूप 3,359 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत क्षमता के साथ 55.66 मिलियन टन की कुल कोयला आवाजाही तर्कसंगत रूप में सामने आई है।
- इसके अतिरिक्त, कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये, चिर प्रतीक्षित टोरी-शिवपुर रेल लाइन (44 किमी) का एक हिस्सा और टोरी-बालूमठ रेल खंड को 9 मार्च, 2018 को आरंभ कर दिया गया।
- ओडिशा में झारसुगुडा-बारापल्ली (53 किमी) रेल लाइन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

# मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

## संदर्भ

देश भर में 5,200 से अधिक बांधों में जल्द ही समान सुरक्षा मानदंड लागू होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आगामी मानसून सत्र के दौरान बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में पेश किया जाएगा। अग्रणी भारतीय विशेषज्ञों और अतंर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विर्मश के बाद विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है।

नोट :

## बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

- यह विधेयक राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं के मामले में एकरूपता अपनाने में मदद करेगा, जिससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन बांधों से होने वाले लाभ सुरक्षित रहेंगे। इससे मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी।
- विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है, ताकि उनका सुरक्षित काम-काज सुनिश्चित किया जा सके।
- विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।
- विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन नियामक संस्था के रूप में करने का प्रावधान है। यह प्राधिकरण नीति, दिशा-निर्देश और देश में बांध सुरक्षा के लिये मानकों को लागू करेगा।
- विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का भी प्रावधान है।

## राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

- यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिये राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- प्राधिकरण देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
- प्राधिकरण किसी प्रमुख बांध की विफलता के कारणों की जाँच करेगा।
- प्राधिकरण नियमित निरीक्षण तथा बांधों की विस्तृत जाँच के लिये मानक दिशा-निर्देशों और नियंत्रण सूचियों को प्रकाशित करेगा और अद्यतन रखेगा।
- प्राधिकरण उन संगठनों की मान्यता या प्रत्ययन का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्हें जांच, नए बांधों की डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठन के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच विवाद का उचित समाधान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे- एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा और इस तरह अंतर-राज्य विवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।

## बांध सुरक्षा पर राज्य समिति

- यह समिति राज्य में निर्दिष्ट सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी की बांध सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा।
- अधिकारियों में प्राथमिक रूप से बांध डिज़ाइन, हाईड्रो-मेकेनिकल इंजीनियरिंग, हाईड्रोलॉजी, भू तकनीकी जाँच और बांध पुनर्वास क्षेत्र के अधिकारी होंगे।

## पृष्ठभूमि

- भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध हैं और लगभग 450 बांध निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त मझौले और छोटे हजारों बांध हैं।
- भारत में बांध सुरक्षा के लिये कानूनी और संस्थागत व्यवस्था नहीं होने के कारण बांध सुरक्षा चिंता का विषय है।
- असुरक्षित बांधों से खतरा बना रहता है और इनके टूटने से आपदा आ सकती है, परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता है।
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य योजना, विस्तृत सुरक्षा के लिये पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष इंस्ट्रूमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं।
- इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिये दंड का प्रावधान है।

# रेल मंत्रालय : उपलब्धियाँ एवं पहल

## चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार द्वारा चार साल की उपलब्धियों के क्रम में रेल मंत्रालय द्वारा पिछले चार साल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों एवं महत्त्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी दी गई है।

### सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

- सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है और इसके परिणामस्वरूप ट्रेन दुर्घटनाओं का आँकड़ा वर्ष 2013-14 के 118 से घटकर वर्ष 2017-18 में 73 हो गया है। इस तरह ट्रेन दुर्घटनाएँ घटकर 62 प्रतिशत के स्तर पर आ गईं।
- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) फंड को 5 वर्षों में सुरक्षा खर्च के लिये 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटित किये गए हैं।
- असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने के लिये पिछले चार वर्षों में 5,479 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है।
- बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपायों के तहत भर्ती के माध्यम से 1.1 लाख सुरक्षा कर्मचारियों के पद भी भरे जा रहे हैं।

### पूंजीगत व्यय में वृद्धि

- 'नए भारत' के लिये बुनियादी ढाँचे की नींव रखकर पूंजीगत व्यय में व्यापक वृद्धि की गई है।
- पिछले 4 वर्षों में औसत वार्षिक पूंजीगत व्यय दरअसल वर्ष 2009-14 के दौरान हुए औसत व्यय की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।

### पूरे भारत को जोड़ने का कार्य

- रेलवे अत्यंत तेज़ गति से पूरे भारत को जोड़ रही है।
- नई लाइनों को चालू करने की औसत गति में 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो 4.1 किमी (2009-14) से बढ़कर 6.53 किमी प्रतिदिन (2014-18) के स्तर पर पहुँच गई है।

### दैनिक आवाजाही को बढ़ावा

- उन्नयन और बेहतर बुनियादी ढाँचे के लिये बंगलूरू उपनगरीय प्रणाली (2018-19 के बजट में 17,000 करोड़ रुपए) और मुंबई उपनगरीय प्रणाली (2018-19 के बजट में 54,777 करोड़ रुपए) हेतु व्यापक निवेश निर्धारित करने से भारत के शहरी क्षेत्रों में नियमित दैनिक यात्रियों की आवाजाही को काफी बढ़ावा मिला है।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एचएसआर) गति, सुरक्षा और सेवा के माध्यम से भारत के परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

### रोज़गार तथा आर्थिक विकास

- HSR परियोजना से 'मेक इन इंडिया' संबंधी लाभों के अलावा रेलवे लातूर, (मराठवाड़ा) महाराष्ट्र; न्यू बोंगाईगाँव, असम; लुमडिंग, असम; झांसी, (बुंदेलखंड) उत्तर प्रदेश और सोनीपत, हरियाणा में अनेक आगामी परियोजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसरों का सृजन और आर्थिक विकास कार्य कर रही है।

### रेलवे का विद्युतीकरण

- रेलवे ने विद्युतीकरण में छह गुना वृद्धि के साथ टिकाऊ रेल परिवहन की ओर अग्रसर होना शुरू कर दिया है। इसके तहत विद्युतीकरण को वर्ष 2013-14 के दौरान 610 आरकेएम से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 के दौरान 4,087 आरकेएम कर दिया गया है।

### माल ढुलाई में वृद्धि

- रेलवे ने वर्ष 2017-18 में 1,162 MT और वर्ष 2016-17 में 1,107 MT की सर्वाधिक माल ढुलाई के साथ देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है।
- माल ढुलाई आमदनी भी पिछले साल की तुलना में अनुमानित 12 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है।
- वर्ष 2019-20 तक विभिन्न चरणों में समर्पित माल गलियारों (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर) के चालू हो जाने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

### स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा

- डिज़ाइन में स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देते हुए रेलवे एस्केलेटर, लिफ्ट, नि:शुल्क वाई-फाई इत्यादि सहित आधुनिक सुविधाएँ स्थापित करके स्टेशनों का रूप-रंग पूरी तरह बदलने समेत यात्री सुविधाओं को बेहतरीन कर रही है।
- मार्च 2019 तक 68 रेलवे स्टेशनों में सुधार लाया जाना निर्धारित है। सरकार ने तेज़स, अंत्योदय एवं हमसफर रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करने समेत रेलगाड़ियों एवं रेल डिब्बों में काफी सुधार किया है।
- यात्रियों की यात्रा एवं आराम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए त्योहारी मांग पूरी करने के लिये 1.37 लाख रेल सेवाओं के साथ पिछले चार वर्षों के दौरान 407 नई रेल सेवाएँ आरंभ की गई हैं।

### खान-पान

- खान-पान (केटरिंग) भी रेलवे का एक फोकस क्षेत्र रहा है जिसमें 300 से भी अधिक रेलगाड़ियों में खाने-पीने की सभी वस्तुओं पर एमआरपी की प्रिंटिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ ही गुणवत्ता एवं स्वच्छता में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिये बेस किचनों में भोजन बनाने पर करीबी नजर रखने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का उपयोग किया जा रहा है।

### बुनियादी ढाँचा तथा सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता

- बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण अल्पावधि में समय के पालन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन लंबी अवधि में इससे त्वरित और सुरक्षित ट्रेन आवाजाही सुनिश्चित होगी।
- रनिंग समय को कम करके और नियोजित रखरखाव ब्लॉकों की अनुमति देकर ट्रेनों की समय-सारणी बेहतर कर दी गई है।
- ट्रेनों में किसी भी देरी के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिये 1,373 ट्रेनों पर एसएमएस सेवाएँ आरंभ की गई हैं।

### महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती को समर्पित

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिये भारतीय रेल भी अपनी ओर से इसमें अहम योगदान दे रही है।
- साफ-सफाई, तीसरे या अन्य पक्ष द्वारा स्वतंत्र सर्वेक्षणों सहित स्वच्छता, एकीकृत मशीनीकृत साफ-सफाई की शुरुआत , बॉयो-टॉयलेट, गंदगी साफ करने के लिये ऑटोमैटिक रेल-माउंटेड मशीन इत्यादि पर प्रमुखता के साथ फोकस रहा है।

### डिजिटल पहलें

- भारतीय रेलवे ने डिजिटल पहलों और पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है।
- ई-रिवर्स नीलामी नीति शुरू की जा रही है जिससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिल सकती है।
- अनुसंधान डिज़ाइन एवं मानक संगठन में सरल अनुमोदन प्रक्रियाओं की बदौलत संबंधित प्रक्रिया में लगने वाली समय-सीमा 30 माह से घटाकर 6 माह कर दी गई है।

### कर्मचारी सशक्तीकरण तथा कौशल निर्माण

- 13 लाख से भी अधिक सदस्यों वाले रेल परिवार को सशक्त बनाने और उनका कौशल बढ़ाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए निचले स्तर पर अधिकारों को सौंपने या हस्तांतरण करने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
- वडोदरा में भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय अगस्त 2018 में खुलने के लिये तैयार है।
- कर्मचारी सशक्तीकरण से लेकर कौशल बढ़ाने के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेलवे अपने कार्यबल में एक नई ऊर्जा भर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे जीवन रेखा बन जाए और जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सके और 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

## पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को मिली स्वीकृति

### चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को इस संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

नोट :

### संगठन

- नई व्यवस्था के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
- इस संस्था में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं।
- मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- NEC राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है।
- यह परिषद अंतर-राज्यीय विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिये मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।
- NEC अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्यीय विषयों पर विचार-विमर्श के लिये विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किये जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी।
- NEC के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये कारगर संस्था बनेगी।
- परिषद समय-समय पर परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदि के लिये राज्यों के बीच समन्वय के लिये कारगर उपायों की सिफारिश करेगी।
- परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

### पृष्ठभूमि :

- NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी।
- इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने केलिये शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।
- इसके सदस्य पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं।
- इसका मुख्यालय शिलॉन्ग में स्थित है और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत आती है।
- 2002 के संशोधन के बाद NEC को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और NEC इस क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी।
- परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएँ और योजनाएँ बनाएगी।

### पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का दायित्व पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास संबंधी परियोजनाओं के लिये योजना बनाने, उनका किर्यान्वयन और देख-रेख करना है।
- इसका दृष्टिकोण क्षेत्र के सामाजिक - आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है ताकि इसे देश के अन्य भागों में हो रहे विकास के समान लाभ मिल सकें।

## भारतीय पशु कल्याण बोर्ड : प्रमुख पहल

### पृष्ठभूमि

वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण कानून, 1960 के खण्ड चार के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड पशु कल्याण से संबंधित कानूनों का देश में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता है और इस कार्य से जुड़ी संस्थाओं की मदद करता है तथा केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में परामर्श देता है। कानून के मुताबिक बोर्ड में 28 सदस्य हैं जिसमें 6 सांसद हैं (4 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से)। बोर्ड का उद्देश्य है कि मनुष्यों को छोड़कर सभी प्रकार के जीवों की पीड़ा से बचाव करना। सरकार ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु से हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ में स्थानांतरित कर दिया है।

नोट :

### बोर्ड के प्रमुख कार्य

- निरंतर अध्ययन के तहत पशुओं के खिलाफ हिंसा रोकने वाले भारत में प्रवृत्त कानूनों से अद्यतन रहना और समय-समय पर इनमें संशोधन करने का सरकार को सुझाव देना।
- केंद्र सरकार को पशुओं की अनावश्यक पीड़ा या परेशानी रोकने के संदर्भ में नियम बनाने का परामर्श देना।
- भार ढोने वाले पशुओं के बोझ को कम करने के लिये केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति के माध्यम से पशुओं द्वारा चालित वाहनों के डिज़ाइन में सुधार करना।
- केंद्र सरकार को पशुओं के अस्पताल में प्रदान की जाने वाली चिकित्सकीय देखभाल एवं ध्यान रखने से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देना और जब कभी बोर्ड ज़रूरी समझे पशु अस्पतालों को वित्तीय एवं अन्य मदद मुहैया कराना।
- वित्तीय मदद एवं अन्य तरीके से पिंजरा, शरणगाहों, पशु शेल्टर, अभयारण्य इत्यादि के निर्माण या अवस्थापना को बढ़ावा देना जहाँ पशुओं एवं पक्षियों को उस दौरान शरण मिल सके जब वे वृद्ध हो जाते हैं एवं बेकार हो जाते हैं या जब उन्हें संरक्षण की जरूरत होती है।
- किसी भी ऐसे मामले पर जो पशु कल्याण या पशुओं को अनावश्यक पीड़ा देने एवं हिंसा से संबद्ध हों, केंद्र सरकार को परामर्श देना।

## बोर्ड की प्रमुख पहलें

### गोचर/ चरागाह भूमि

- बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती चरागाहों की घटती संख्या है जिसकी वज़ह से पशुओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें चारे से लेकर सभी मौलिक आवश्यकताओं का अभाव हो जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी प्रकार के चरागाहों का संरक्षण किया जाना चाहिये और इन्हें केवल पशु कल्याण के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये।
- बोर्ड ने इस संबंध में सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

## राज्य पशु कल्याण बोर्ड एवं पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिये समितियाँ

### डबलिन सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (DSPCA)

- पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिये बोर्ड का ज़मीनी स्तर पर अपना नेटवर्क है।
- 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य एवं ज़िला स्तर पर ऐसे त्रिस्तरीय बोर्डों और समितियों के गठन का आदेश दिया था।
- लेकिन बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिये एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। जिसके तहत बोर्ड राज्य से लेकर ज़िला स्तर पर नेटवर्क तैयार करेगा।
- पशुओं के प्रति क्रूरता को नियंत्रित करने वाले इस नेटवर्क पर बोर्ड का नियंत्रण होगा और इसे राज्यों से मदद प्राप्त होगी।

### आवारा पशु

- आवारा पशुओं की समस्या भले ही वे गाय, कुत्ते, बिल्लियाँ और बंदरों की हो, हमारे देश में सर्वव्याप्त है।
- इसलिये सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इन आवारा पशुओं को शरणस्थल, भोजन एवं जल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसे क्रूरता माना जाएगा।
- इसके अलावा बंदरों एवं कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं को रोकने के लिये इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये इनके बधियाकरण के कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिये।

### बेहतर तालमेल के लिये सलाह

- बोर्ड ने सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को पशु तालाबों एवं कांजी हाउसों को दोबारा चालू करने और उनकी क्षमता से ज़्यादा पशु वहाँ पर नहीं रखने के निर्देश दिये हैं।
- बोर्ड इन आदेशों के अनुपालन के लिये निरीक्षण भी करेगा।

### केस प्रापर्टी एनिमल रूल्स, 2017 को लागू करना

- क्योंकि राज्य सरकारों ने इन नियमों को लागू नहीं किया है इसलिये बोर्ड ने सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लिखा है, साथ ही न्यूनतम दर तय करने की सलाह भी दी है कि पशुओं को क्रूरता का सामना ना करना पड़े।

### स्मार्ट शहरों एवं महानगरों में पशु संरक्षण गृह एवं पशुओं के लिये शरणस्थली स्थापित करना

- सभी नगरों को पर्यावरण के लिये अनुकूल तरीके से विकसित करने एवं माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुसार वहां पर पशुओं की सुरक्षा और देखभाल किये जाने हेतु बोर्ड ने सभी राज्यों एवं सभी क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने का निर्णय लिया है।
- इसके लिये बोर्ड ने केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय के साथ इन मामलों को राज्यों और संघीय क्षेत्रों के साथ उठाया है।
- AWBI बनाम ए. नागराज, 2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार बोर्ड उन सभी विभागों एवं संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा जो कि न्यायालय के निर्देशों एवं बोर्ड के परामर्श का पालन नहीं करेंगे।

## बोर्ड की मौजूदा योजनाओं में सुधार

### A. AWBI योजना कार्यक्रम (नियमित)

- गोशालाओं एवं पिंजरा केंद्रों को आर्थिक मदद।
- संरक्षण, चरा, भोजन, दवाइययाँ और पानी तथा निकास की व्यवस्था के विकास एवं संरक्षण गृह की मरम्मत जैसे मामले मदद के योग्य।
- न्यूनतम 50 एकड़ के चरागाह के विकास के लिये 50 लाख रुपए तक की मदद।
- सराहनीय कार्य करने वालों का पुरस्कृत करना।
- 2018-19 के बजट में 22 करोड़ रुपए की मांग।

### B. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पशु

- प्राकृतिक आपदा में बचाए गए पशुओं की देखभाल के लिये वित्तीय मदद।
- अवैध तस्करी एवं वध से बचाए गए पशुओं की मदद के लिये वित्तीय सहायता प्रस्तावित।
- राज्य बोर्डों इत्यादि के लिये अस्थायी संरक्षण गृह, भोजन, चारे की व्यवस्था के लिये तत्काल सहायता।
- 2018-19 के बजट में 10 करोड़ रुपए की मांग।

### C. संरक्षण गृह योजना

- संरक्षण गृह, चिकित्सालय, पानी की टंकी और निकास की व्यवस्था।
- पशुओं की संख्या के आधार पर बोर्ड या स्थानीय इकाई द्वारा मंजूर किफायती डिज़ाइन।
- 22,50,000/- रुपए की अधिकतम सहायता।
- 2018-19 के बजट में 10 करोड़ रुपए की मांग।

### D. पशु चिकित्सा वाहन योजना

- पशुओं एवं चारे का परिवहन।
- प्रति पशु कल्याण संस्था को प्रति वाहन अधिकतन 4.5 लाख रुपए की मदद।
- आपात स्थिति में पशुओं की सहायता के लिये एंबुलेंस की व्यवस्था।
- प्रत्येक राज्य या विभाग को प्रति एंबुलेंस के लिये अधिकतम 15 लाख रुपए की मदद।
- आरंभ में प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र को कम-से-कम एक एंबुलेंस और हॉटलाइन मुहैया कराना।
- 2018-19 के बजट में 10 करोड़ रुपए की मांग।

### E. एबीसी-एआर विशेष पायलट परियोजना

- पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण और रैबीज प्रतिरोधी वैक्सीन के लिये संबंधित संस्थाओं की मदद।
- इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रत्येक राज्य की 2 नगरपालिकाओं में लागू किया जाएगा।
- 2018-19 के बजट में 30 करोड़ रुपए की मांग।

नोट :

### F. पीएसी को सुचारु बनाना

- पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये पीएसी का पुनर्गठन।
- अभी पीएसी समितियों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि, पीसीसीएफ हरियाणा, पशु पालन विभाग हरियाणा के महानिदेशक, फिल्म निर्माता एवं पत्रकार शामिल हैं।
- प्रदर्शन दिखाने वाले पशुओं के चलचित्रों इत्यादि में फिल्मांकन से पहले की अनुमति, पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को जल्दी ही ऑनलॉइन किया जाएगा।
- प्रदर्शन दिखाने वाले पशुओं के संबंध में पूर्व सूचना को अनिवार्य बना दिया गया है ताकि एक जाँच दल द्वारा उनके प्रति किसी प्रकार की क्रूरता की जाँच की जा सके और इसे रोका जा सके।
- पशुओं के वध स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका वध मानवीय तरीके से और कानून के अनुसार किया जा रहा है।

### अन्य पहलें

- सभी तरह के प्रपत्रों का सरलीकरण।
- ज़िला एवं राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण 1 जुलाई 2018 से आरंभ होगा।
- यदि कोई पशु संरक्षण अधिकारी पाँच वर्ष से ज़्यादा किसी संरक्षण गृह का संचालन कर रहा है तो इसे नियमित बनाया जाएगा या स्थानीय प्रशासन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा।

### नई पहलें

- प्रत्येक जिले में बीमार पशुओं की मदद के लिये टेलीफोन सहायता सेवा स्थापित करना।
- पशुओं की बलि के विरुद्ध अभियान चलाना।
- सभी स्मार्ट शहरों एवं महानगरों में पशुओं के लिये संरक्षण गृह एवं चरागाहों के विकास के लिये नगरीय विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस मामले को सभी राज्य सरकारों एवं संघीय क्षेत्रों के साथ उठाना ताकि पशुओं को शहर के बाहर न फेंका जाए या उनका वध ना किया जाए।
- चारगाहों से जुड़े मुद्दों को उठाने एवं आवारा पशुओं के लिये भोजन एवं संरक्षण की व्यवस्था करने के लिये प्रमुख सचिवों एवं अतिरिक्त प्रमुख सचिवों (राजस्व) के साथ मामले को उठाना ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- जलीकट्टू का सफलतापूर्वक आयोजन जिसमें पशुओं के प्रति क्रूरता की कोई भी घटना सामने नहीं आई।

## भारत में अधिक नौकरियों का सृजन

### संदर्भ

नई प्रौद्योगिकियाँ विनिर्माण प्रक्रियाओं के आकार को बदल सकती हैं और प्रतिस्पर्द्धी लाभ के ऐतिहासिक स्रोतों को बाधित कर सकती हैं। ग्राहकों की प्राथमिकताओं को भी बदल सकती हैं। व्यापार बाधाएँ बढ़ा सकती हैं। हालाँकि, जब सभी देशों में सरकारों पर अपने नागरिकों के लिये नौकरियाँ सुनिश्चित करने के लिये दबाव बनाया जा रहा है तो ऐसे में उन्हें कुछ क्षेत्रों की रक्षा करनी होगी, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और भविष्य में नौकरियाँ सृजित करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा भी देश में रोज़गार सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है।

### भारत में रोज़गार सृजन की आवश्यकता

- भारत सरकार हेतु 'जनसांख्यिकीय आपदा' को रोकने के लिये अधिक रोज़गार सृजन एक अस्तित्ववादी आवश्यकता है। 'श्रम गहन' रोज़गार क्षेत्रों को बढ़ावा देना भारत सरकार के लिये अनिवार्य हो गया है।
- ऐसी चेतावनी दी जा रही है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्वचालन के तेज़ी से विकास से कम श्रम लागत वाले देशों के प्रतिस्पर्द्धी लाभों के समाप्त होने का खतरा है।

- हालाँकि, औद्योगिक परिवर्तन रेखीय (linear) नहीं होगा, यह गतिशील होगा। श्रम गहन उद्योग गायब नहीं होंगे, वास्तव में वे बढ़ सकते हैं।
- इसके लिये जूता उद्योग का उदाहरण लिया जा सकता है। चीन में नाइक, एडिडास और समृद्ध देशों के अन्य ब्राण्डों के जूतों की आपूर्ति के लिये लाखों नौकरियाँ सृजित की गई हैं।
- जर्मनी में 3-डी प्रिंटर की रिपोर्ट व एडिडास की स्वचालित कारखानों की रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि अमेरिकी बाज़ार में जूता निर्माण पुनर्जीवित हो रहा है, जिससे भारत और अन्य विकासशील देशों में जूता निर्माण क्षेत्र में भविष्य के लिये चिंता की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- हालाँकि, द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जूता उद्योग को कैसे बदला जा रहा है।
- 3-डी प्रिंटिंग का लाभ यह है कि इससे स्थानीय रूप से भी उत्पादों को व्यवहार्य बनाया जा सकता है। हालाँकि यह सस्ता नहीं है।
- ईसीसीओ, डेनिश कंपनी, जूते के लिये विशिष्ट रूप से निर्मित इंसोल का उत्पादन करने के लिये अपने स्टोर में 3-डी तकनीक का प्रयोग कर रही है। इससे ग्राहकों को $ 140 का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- जूते, कपड़े, कालीन आदि उत्पादों का विशिष्ट रूप से निर्माण उच्च आय को बढ़ाता है।
- लंदन जूता स्टोर लॉब, $ 5,500 मूल्य के विशिष्ट रूप से निर्मित जूते बेचता है।
- नई प्रौद्योगिकियाँ अमीर देशों के उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को अपने देशों के भीतर किये गए उत्पादन से पूरा करने में सक्षम बनाती हैं।
- कम आय स्तर वाले भारतीय किस प्रकार के जूते चाहते हैं? और क्या विनिर्माण प्रौद्योगिकियाँ और उद्यमों के आकार (बड़े पैमाने पर कारखानों, या छोटे उद्यमों के क्लस्टर) इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये बेहतर रूप से सुसज्जित होंगे?
- जब भविष्य के उद्योगों का अनुमान लगाना कठिन हो रहा हो और जब विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के बीच सीमाएँ धुँधली हो गई हों, तो ऐसे में यह चयन नहीं किया जा सकता है कि किस औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए।
- फिर भी सरकारों को आर्थिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों का समर्थन करने के लिये आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर किया जाता है जो उनके देशों में सबसे अधिक रोज़गार पैदा करने की संभावना रखते हैं।

## डोमेस्टिक ड्राइव

- एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले एक विकासशील देश में बढ़ती घरेलू मांग वाले बाज़ारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। हालाँकि, यह एक चिकन और अंडे की जैसी स्थिति है। यदि नौकरियाँ और आय तेज़ी से नहीं बढ़ती है, तो मांग में वृद्धि नहीं हो सकती है।
- उत्पादन की प्रक्रिया में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण इंजन साबित होगा।
- इसलिये उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ज़रुरत है जिनमें घरेलू मांग अधिक हो।
- यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण भारत की मांग ने उन कंपनियों के राजस्व को बढ़ावा दिया है जिन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया है, भले ही समग्र आर्थिक विकास धीमा ही क्यों न हो गया हो।
- चूँकि निर्यात की मांग भारत के आर्थिक विकास के लिये एक टर्बो-चार्जर हो सकती है, अत: विकास का मुख्य इंजन घरेलू मांग होनी चाहिये।
- स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिये उत्पादन प्रणाली, व्यावसायिक मॉडल तथा नई प्रौद्योगिकियों का लाभ लिया जाना चाहिये।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें नियोजित करने के लिये बड़ी संख्या में लोगों की उपलब्धता का भी लाभ उठाना चाहिये।
- अधिक लोगों को रोज़गार नहीं देने से आर्थिक विकास धीमा होगा और यहाँ तक कि 'जनसांख्यिकीय आपदा' की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
- उपलब्ध लोगों का बड़ा पूल घरेलू मांग और निर्यात दोनों के लिये भारत में उत्पादित वस्तुएँ उद्यमों के लिये टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धी लाभ का स्रोत हो सकती हैं, बशर्ते उनकी उत्पादन प्रणालियों का लाभ उठाने के लिये उन्हें नवीन रूप से डिज़ाइन किया गया हो।
- इटली, जर्मनी, ताइवान, चीन, अमेरिका और अन्य देशों में भी सफल औद्योगिक विकास के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ उद्यमों के समूह के साथ कई छोटे समूह भी एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
- क्लस्टर प्रबंधन संघ औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ छोटे और अनौपचारिक उद्यमों के लिये एक औपचारिक इंटरफेस प्रदान कर सकते हैं।

नोट :

### श्रम गहन समूह

- बड़े, पूंजी गहन कारखानों के आधार पर औद्योगिक विकास का एक मॉडल अब व्यवहार्य नहीं है।
- निर्यात संबंधी मांगों को पूरा करने के लिये तट (और कुछ अंतर्देशीय) के साथ उद्यमों के बड़े समूहों का खाका तैयार करने की रणनीति, जो चीन की वृद्धि को प्रेरित करती है, केवल भारत के विकास के लिये एक पूरक रणनीति हो सकती है। तकनीक बदल रही है। व्यापार बाधाएँ बढ़ रही हैं।
- भारत के विकास का मुख्य इंजन उद्यमों का समूह होना चाहिये जिसे देश भर में विस्तृत होना चाहिये, साथ ही उनमें अधिक से अधिक नौकरियाँ सृजित कर बढ़ती घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिये।
- श्रम-केंद्रित समूह निर्यात बाज़ारों में भी नई प्रौद्योगिकियों के साथ अनुकूलित उत्पादों की मांग की आपूर्ति करके प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है, जैसे-इतालवी जूता क्लस्टर और कुछ भारतीय क्लस्टर भी हैं जैसे कि राजस्थान में कालीन निर्माता।

### निष्कर्ष

- संक्षेप में भारत की औद्योगिक नीति का ध्यान रोज़गार सृजन पर अधिक होना चाहिये। इसे उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिये जिनमें घरेलू मांग बढ़ रही हो और वह उद्यमों के अच्छी तरह से प्रबंधित समूहों के विकास का समर्थन करता हो।
- उद्यमियों को भारत में बढ़ते बाज़ार, साथ ही संभावित श्रमिकों के बड़े पूल का लाभ उठाने के लिये अभिनव उत्पादन विधियों और व्यावसायिक मॉडल को विकसित करना चाहिये।

---

## बाढ़ के पूर्वानुमान के लिये गूगल के साथ काम करेगी सरकार

### चर्चा में क्यों?

मानसून के चलते केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ चेतावनी के संबंध में Google के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष प्रौद्योगिकी संगठन केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission - CWC) ने गूगल के साथ एक सहयोग समझौता किया है।

### वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में CWC जलाशयों में बढ़ते पानी के स्तर के आधार पर बाढ़ की चेतावनी देता है। पिछले साल आयोग ने 3 दिवसीय बाढ़ का पूर्वानुमान संबंधी एक परीक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया था।
- फिलहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) द्वारा CWC को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है कि कहाँ-कहाँ भारी बारिश होने की संभावना है, ताकि इससे यह अनुमान लगाया जा सके कि किन-किन क्षेत्रों में भारी मात्रा में बारिश का पानी नदियों और तटबंधों को पार करते हुए एक आपदा का रूप धारण कर सकता है।
- इसमें Google का सहयोग मिल जाने के बाद यह कार्य और भी आसन हो जाएगा क्योंकि Google बाढ़ का विज़ुअलाइजेशन प्रदान करेगा, जो कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में लाभदायक साबित होगा।
- निकटस्थ बाढ़ के संकेतों को ध्यान में रखते हुए Google मानचित्र उपयोगकर्त्ता यह देखने में सक्षम होगा कि पहले किन क्षेत्रों में जल भराव की संभावना है और कौन-कौन से क्षेत्र खतरे में हैं।

### समझौते के प्रमुख बिंदु

- गूगल के साथ गठबंधन से भारत में बाढ़ का कारगर या प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
- CWC जल संसाधनों के कारगर प्रबंधन, विशेषकर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने एवं बाढ़ संबंधी सूचनाएँ आम जनता को सुलभ कराने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), मशीन लर्निंग एवं भू-स्थानिक मानचित्रण के क्षेत्र में गूगल द्वारा की गई अत्याधुनिक प्रगति का उपयोग करेगा।
- इस पहल से आपदा प्रबंधन एजेंसियों को जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजिकल) संबंधी समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलने की आशा है।

- इसकी सहायता से बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों को बेहतर किया जा सकेगा, जिससे स्थान-लक्षित आवश्यक कार्रवाई से उपयुक्त बाढ़ चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी।
- साथ ही इसके अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन की परिकल्पना करने एवं इसमें बेहतरी के लिये गूगल अर्थ इंजन का उपयोग करने से जुड़ी उच्च प्राथमिकता वाली अनुसंधान परियोजना को शामिल किया जा सकेगा।

### इसके लाभ क्या-क्या होंगे?

- गूगल उच्च स्तरीय डिजिटल तकनीक जिसमें वह अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता के साथ CWC द्वारा प्रदत्त जानकारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा।
- अब संभवत: बाढ़ आने के तीन दिन पहले ही लोगों को जानकारी मिल सकेगी। इस समझौते के बाद सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी।
- इससे सरकार और आपदा प्रबंधन संगठनों को बाढ़ प्रभावित स्थानों और जनसंख्या की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। यह पहल बेहतर बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी।

### राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

- मंत्रालय ने इससे पहले वर्ष 2016-17 के दौरान एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (National Hydrology Project' - NHP)' शुरू किया था। NHP विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें पूरे देश को कवर किया गया है।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन संबंधी सूचनाओं, बाढ़ से जुड़े निर्णय, सहायता प्रणाली एवं बेसिन स्तरीय संसाधन आकलन/नियोजन के विस्तार, गुणवत्ता एवं पहुँच को बेहतर करना और लक्षित जल संसाधन प्रोफेशनलों एवं भारत के प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मज़बूत करना है।
- लंबे समय से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग बाढ़ आने से पहले समय रहते सटीक चेतावनी दिये जाने की मांग करे रहे थे। इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी।
- विदित हो कि 2016 तक केन्द्रीय जल आयोग अधिकतम एक दिन पहले के बाढ़ के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा था। 2017 में बाढ़ के दौरान CWC ने बारिश आधारित मॉडल के सहारे परीक्षण के आधार पर तीन दिन पहले बाढ़ के चेतावनी जारी की।

## 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन रिपोर्ट : उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

### चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission report) की 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन (Common Review Mission - CRM) रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2013 से मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) में रिकॉर्ड 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। देश में मातृ मृत्यु दर 2011-13 में 167 थी, जो 2013-16 में घटकर 130 हो गई है।

- इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये 11वीं CRM टीम द्वारा 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया गया, जिनमें 4 पूर्वोत्तर के राज्य, 6 उच्च ध्यान केंद्रित राज्य (High Focus States) और 6 गैर उच्च ध्यान केंद्रित राज्य (Non-High Focus States) थे।
- रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है; गुणवत्ता आश्वासन; RMNCH + A (Reproductive, Maternal, Newborn, Child and adolescent health - RMNCH+A); मानव संसाधन; सामुदायिक प्रक्रियाएँ; सूचना और ज्ञान; हेल्थकेयर वित्तपोषण; दवाओं, निदान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की खरीद; राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM) और शासन एवं प्रबंधन।
- सीआरएम रिपोर्ट के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के सभी पहलुओं पर गौर किया जाता है तथा इसके लिये आवश्यक उपायों के मद्देनज़र माध्यमिक डेटा समीक्षा, सुविधाओं का तीव्र मूल्यांकन, कार्यान्वयनकर्त्ता और लाभार्थी दृष्टिकोण के संदर्भ में कार्यवाही की जाती है।

## रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार नियोजन के मामले में महिलाओं को 'असमान बोझ' (uneven burden) उठाना पड़ता है। देश में 93 प्रतिशत से अधिक नसबंदी के मामले महिलाओं के हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में परिवार नियोजन के संबंध में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अधिक है। रिपोर्ट में यह भी निहित किया गया है कि देश में पुरुष नसबंदी सेवाओं (male sterilisation services) की उपलब्धता अभी भी अपर्याप्त है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सामान्य समीक्षा मिशन की 11वीं रिपोर्ट में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System - HMIS) से प्राप्त नवीनतम आँकड़ों का हवाला देते हुए इस मुद्दे को रेखांकित किया गया हैं।
- HMIS पर राज्यों द्वारा नसबंदी सहित एनएचएम के विभिन्न मानकों पर आधारित डेटा अपलोड किया गया है।
- सामान्य समीक्षा मिशन की 11वीं रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को परिवार नियोजन और नसबंदी के आवधिक तरीकों का असमान बोझ उठाना पड़ता है।
- HMIS के अनुसार, 2017-18 (अक्तूबर तक) में कुल 14,73,418 नसबंदी प्रक्रियाओं में केवल 6.8% मामले पुरुष नसबंदी के थे जबकि 93.1% मामले महिला नसबंदी के थे।
- हालाँकि इन आँकड़ों में पिछले वर्ष से मामूली सुधार दर्ज किया गया है, कुछ वर्ष पहले तक देश में नसबंदी के मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी 98 प्रतिशत थी।
- सरकारी कार्यक्रमों के तहत 2015-16 में देश भर में 41,41,502 नसबंदी के मामलों में से 40,61,462 ट्यूबेक्टोमी (tubectomies) अर्थात महिला नसबंदी के थे। वर्ष 2014-15 में 40,30,409 नसबंदी के मामलों में से 39,52,043 ट्यूबक्टोमी के थे।
- विशेषज्ञों के अनुसार, नसबंदी की प्रक्रिया का सामना करने के संबंध में भारतीय पुरुषों की अनिच्छा के पीछे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, तार्किक सीमाओं जैसे बहुत से कारक जिम्मेदार हैं।
- आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी की घटनाओं ने समाज के सामने इस प्रक्रिया को बुरे तरीके से पेश किया है, इसके बारे में गलत जानकारी ने पुरुषों में एक भ्रांति पैदा कर दी कि इससे उनके पौरुष में कमी आएगी, जिसके कारण इस प्रक्रिया के संबंध में उनके रुझान में निरंतर कमी देखने को मिली है।
- इसका प्रमाण हमें इस रूप में देखने को मिलता है कि वर्तमान में देश में बहुत कम पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता मौजूद हैं, जिसके परिणामस्वरूप गाँव में किसी महिला आशा कार्यकर्त्ता द्वारा पुरुषों से नसबंदी के बारे में बात करना बेहद मुश्किल होता है।
- पुरुष नसबंदी को और अधिक स्वीकार्य बनाने के प्रयासों के बावजूद समीक्षा मिशन (यह प्रमुख स्वास्थ्य मिशन का बाहरी मूल्यांकन माध्यम है) द्वारा पाया गया कि बहुत कम केंद्रों पर गैर-स्केलपल वेसेक्टॉमी (Non-Scalpel Vasectomy) सेवाएँ (यह एक प्रकार की पुरुष नसबंदी होती है जिसमें शुक्रवाहिनी को काट कर हटा दिया जाता है) उपलब्ध हैं और इन सेवाओं के उत्थान के संबंध में सभी राज्यों में कोई विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। यह मादा नसबंदी या ट्यूबक्टोमी की तुलना में एक आसान प्रक्रिया होती है।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को लचीला वित्तपोषण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुर्नजीवित करने का सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निम्नलिखित चार घटकों को शामिल किया गया है- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिये मानव संसाधन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य से परे ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। इसलिये इसके तहत संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही ज़िला और उप ज़िला स्तर पर बुनियादी ढाचा सुविधाओं में सुधार किया गया है।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सीख को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समन्वित किया गया है।

नोट :

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दो विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को पुर्नजीवित करने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण समन्वय देखा गया है। इसी प्रकार का एकीकरण राज्य स्तर पर भी किया गया था।
- एनएचएम का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने को उच्च प्राथमिकता देने का महत्त्वपूर्ण प्रभाव मातृत्व मृत्यु दर और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (अंडर 5 एमआर) पर पड़ा है।
- स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की सुदृढ़ प्रणाली के कारण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य और उप ज़िला स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर [Sub Health Centres as Health and Wellness Centres (HWC-SHC)] के रूप में मज़बूत किया है, ताकि 2022 तक 1,50,000 एचडब्ल्यूसी परिचालित करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

---

# भारत की तीन प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजनाएँ

## चर्चा में क्यों?

- नदियों को जोड़ने के लिये बनाई गई विशेष समिति ने हाल ही में जुलाई 2016 से मार्च 2018 तक किये गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और केंद्रीय कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।
- एक जल संपन्न नदी घाटी से जल की कमी वाली दूसरी नदी घाटी को जोड़ने की परियोजना का विचार भारत में पिछले चार दशकों से चर्चा में है।

## पृष्ठभूमि

- सिंचाई व्यवस्था को सुधारने,पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने तथा सूखा और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से नदियों को जोड़ने का विचार आया ताकि जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जल की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके।
- नदियों के संजाल को लेकर दायर 2012 की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया जिसे उस समय उप समितियों का गठन करना था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विशेष समिति को योजना की स्थिति और प्रगति पर एक द्विवार्षिक रिपोर्ट केंद्र को सौंपने के लिये निर्देशित किया गया और केंद्र को उस पर उचित निर्णय लेने को कहा गया।
- स्थिति रिपोर्ट से आशय भावी राष्ट्रीय योजना से समरूपता है। यह योजना 1980 में अंतर-घाटी स्थानांतरण मामले के लिये सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) द्वारा बनाई गई थी जिसके दो मुख्य घटक – प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास थे।
- भारत में 1982 में गठित एक राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी भी है जो सर्वेक्षण कराती है और यह देखती है कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के प्रस्ताव कितने व्यवहार्य हैं।

## प्रमुख बिंदु

- केन-बेतवा, दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा, इन तीन परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट कैबिनेट के साथ साझा की गई और 2015 में कैबिनेट द्वारा इनके लिये विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की गई।
- केन–बेतवा परियोजना के अंतर्गत केन (बुंदेलखंड क्षेत्र में)और बेतवा को जोड़ना प्रस्तावित है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बहती हैं। इस योजना के तहत केन नदी पर बांध बनाकर उसके अतिरिक्त जल को नहर के माध्यम से बेतवा नदी तक पहुँचाया जाएगा।
- प्रारंभिक विकास स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से दोनों राज्यों में पहले चरण में 6.35 लाख हेक्टेयर तथा दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 0.99 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। पहले चरण के लिये प्रारंभिक लागत अनुमान 18000 करोड़ रुपए तथा दूसरे चरण के लिये 8000 करोड़ रुपए है।
- दमनगंगा-पिंजल नदियों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य पश्चिम भारत में नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग कर वृहद् मुंबई की घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस परियोजना के अंतर्गत दमनगंगा पर प्रस्तावित भुगड़ जलाशय और वाघ (दमनगंगा की सहायक)पर प्रस्तावित खारगिहिल जलाशय के अतिरिक्त जल को दाबित सुरंग के माध्यम से पिंजल जलाशय में स्थानांतरित किया जाएगा।

- दमनगंगा-पिंजल परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट मार्च 2014 में पूरी करके महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वृहद् मुंबई क्षेत्र को 895 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का लाभ प्राप्त होगा।
- पार-तापी-नर्मदा परियोजना के अंतर्गत उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में प्रस्तावित 7 जलाशयों के माध्यम से अतिरिक्त जल को पश्चिमी घाट से सौराष्ट्र और कच्छ के जल की कमी वाले क्षेत्रों की ओर ले जाया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत 7 बांधों, 3 दिशा परिवर्तन करने वाले बांधों, 2 सुरंगों (5 किमी. और 0.5 किमी.), 395 किमी. की नहर (पार-तापी विस्तार में सहायक नहरों सहित 205 किमी. और तापी-नर्मदा में 190 किमी.), 6 उर्जा-गृहों और बड़ी संख्या में पार-जल निकासी व्यवस्था का कार्य आदि निर्माण प्रस्तावित हैं।

### प्रमुख चिंताएँ

- प्रत्येक नदी की अपनी अलग पारिस्थितिकी होती है, विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि दो नदियों को मिलाने से जैव विविधता प्रभावित होगी।
- चूँकि इस कार्यक्रम के तहत बड़े स्तर पर नहरों का जाल और बाँधों का निर्माण प्रस्तावित है, अत: इससे बड़े स्तर पर लोगों का विस्थापन होगा एवं कृषि पद्धत्तियों में बदलाव होगा और आजीविका प्रभावित होगी।
- 2001 में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना की कुल लागत (राहत और पुनर्वास तथा अन्य खर्चों जैसे कुछ क्षेत्रों में जलमग्नता से निपटने के उपाय आदि को छोड़कर) 5,60,000 करोड़ रुपए अनुमानित थी। दो वर्ष पूर्व मंत्रालय की एक समिति ने सुझाव दिया कि यह लागत वास्तव में बहुत ज़्यादा है और लागत-लाभ अनुपात की दृष्टि से बहुत हितकारी नहीं है।
- एक अन्य आपत्ति यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है, इसलिये जिस घाटी क्षेत्र में इस समय जल आधिक्य है कुछ वर्षों में वहाँ जल की अधिकता में कमी आ सकती है।

---

## कृषि एवं मनरेगा संबंधी नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय हेतु उप-समूह का गठन

### चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (Agriculture Sector and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme - MGNREGS) पर समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण हेतु सात मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके संयोजक हैं।

- आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों तथा नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद को इस उप-समूह का सदस्य बनाया गया है। इस उप-समूह को नीति आयोग द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री के विज़न को ध्यान में रखते हुए ही इस उप-समूह का गठन किया गया है।
- इसके अंतर्गत मनरेगा स्कीम का उपयोग करते हुए बुवाई-पूर्व एवं फसल कटाई-उपरांत उपायों पर विशेष बल देते हुए ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करने का सुझाव दिया गया जिसकी सहायता से किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में व्याप्त मुश्किलों को कम किया जा सके।

### इस उप-समूह के विचारार्थ निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा:

- बुवाई-पूर्व और फसल कटाई-उपरांत दोनों ही स्थिति के लिये राज्य को विशिष्ट उपायों के व्यापक विकल्प सुझाना, ताकि आमदनी, जल संरक्षण और कचरे से संपदा निर्माण पर दिये जा रहे विशेष ज़ोर को और बढ़ाया जा सके।
- मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़ी आवश्यकताओं से पूरी तरह सुव्यवस्थित करना।
- मनरेगा से जुड़े विशिष्ट उपायों पर ऐसी सिफारिशें पेश करना, जिससे कि कृषि क्षेत्र में मुश्किलें कम हो सकें। इनमें कार्य की उपलब्धता, मज़दूरी की दरें, सीजन विशेष संबंधी कार्य, इत्यादि से संबंधित समस्याएँ शामिल हैं।
- विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों से जुड़े छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका में विविधता के साथ-साथ विकास के लिये एक आजीविका स्रोत के रूप में मनरेगा के तहत संभावनाएँ तलाशना।

- आजीविका के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उत्पादक समूहों एवं उत्पाद कंपनियों से जुड़े आजीविका संबंधी उपायों पर विशेष ज़ोर के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के तरीके सुझाना।
- कोष का इष्टतम उपयोग, दक्षता, प्रभावकारिता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न विभागों के बीच संसाधनों के सफल सामंजस्य की संभावनाएँ तलाशने के लिये कार्यक्रम आयोजित करना।

उपर्युक्त उप-समूह अपने गठन की तिथि से तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश कर देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुविधा के अनुसार ही इस उप-समूह की पहली बैठक अगले माह होने की आशा है।

### महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ऐसा मांग आधारित रोज़गार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अकुशल व शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के मज़दूरी (रोज़गार) की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
- इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की अकुशल मज़दूरी उपलब्ध कराना, जिससे निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हो।
  - गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना।
  - सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
  - पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

### प्रमुख कार्य

- जल संरक्षण या जल संग्रहण की योजना से संबंधित सूखा बचाव कार्य जैसे- पेड़ लगाना या वनों का विकास करना।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों या भूमि सुधार से लाभ पाने वालों के लिये सिंचाई की व्यवस्था करवाने से संबंधित।
- झीलों व तालाबों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य। भूमि सुधार व गाँवों को सड़क से जोड़ने का कार्य।
- बाढ़ नियंत्रण-सुरक्षा, जल-जमाव क्षेत्रों में जल निकासी से संबंधित।

इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही उन परिवारों के वयस्क सदस्यों को वित्त वर्ष में सौ दिन की (पारिश्रमिक), रोज़गार गारंटी प्रदान करना है, जो अकुशल मानव कार्य करने के इच्छुक हैं।

### आगे की राह

- आने वाले वर्षों में मनरेगा की प्रक्रिया को सरल और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया गया है जिसमें इस कानून को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार के सभी प्रमुख निर्देशों का उल्लेख किया गया है। राज्यों को इसमें लचीलापन लाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।
- इस संबंध में समवर्ती ऑडिट और निगरानी करने संबंधी प्रावधान भी किये गए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा श्रमिकों को कुशल बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्हें स्वरोज़गार और जीविका के लिये पारिश्रमिक अर्जित करने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।

## बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून, 2018 को बांध सुरक्षा विधेयक (Dam Safety Bill), 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस विधेयक का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एकसमान देशव्यापी प्रक्रियाएँ विकसित करने में सहायता देना है।

## बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 के प्रावधानों से केंद्र और राज्यों में बांध सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्थाओं को शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इससे पूरे देश में मानकीकरण एवं बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- विधेयक में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य-योजना, विस्तृत सुरक्षा के लिये पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं।
- इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिये दंड का प्रावधान भी है।

## संस्थागत ढांचा

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 के अंतर्गत बांध सुरक्षा के लिये संस्थागत ढाँचे का प्रावधान है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety -NCDS)

- विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।

II. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority - NDSA)

- विधेयक नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा के लिये नीति, दिशा-निर्देशों तथा मानकों को लागू करने का दायित्व निभाएगा।
- यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिये राज्य बांध सुरक्षा संगठनों तथा बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- प्राधिकरण देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
- प्राधिकरण किसी प्रमुख बांध की विफलता के कारणों की जाँच करेगा।
- प्राधिकरण नियमित निरीक्षण तथा बांधों की विस्तृत जाँच के लिये मानक व दिशा-निर्देशों, नियंत्रण सूचियों को प्रकाशित और अद्यतन करेगा।
- प्राधिकरण उन संगठनों की मान्यता या प्रत्यायन का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्हें जाँच, नए बांधों की डिज़ाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच विवाद का उचित समाधान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे- एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा और इस तरह अंतर-राज्यीय विवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।

III. बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (State Committee on Dam Safety - SCDS)

- विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।
- यह समिति राज्य में निर्दिष्ट सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी की बांध सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है।
- यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। इन अधिकारियों में प्राथमिक रूप से बांध डिज़ाइन, हाईड्रो-मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाईड्रोलॉजी, भू-तकनीकी जाँच और बांध पुनर्वास क्षेत्र के अधिकारी होंगे।

IV. राज्य बांध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organizations -SDSO)

- विधेयक में निर्दिष्ट संख्या में बांध वाले प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा।

नोट :

### कर्त्तव्य और कार्य

- विधेयक में प्रावधान है कि सभी निर्दिष्ट बांध उस राज्य के SDSO के क्षेत्राधिकार में आएंगे जिस राज्य में वे बांध हैं।
- सीपीएसयू (Community and Public Sector Union - CPSUs) के स्वामित्व वाले निर्दिष्ट बांधों के लिये या जहाँ बांध दो और दो से अधिक राज्यों में विस्तारित हैं या राज्य स्वामित्व वाला कोई बांध दूसरे राज्य में है तो NDSA को SDSO माना जाएगा।
- अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी बांधों के लिये राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
  - निरंतर निगरानी।
  - नियमित निरीक्षण।
  - संचालन और रख-रखाव की निगरानी।
  - आवश्यकता अनुसार जाँच करना तथा डाटा एकत्रित करना।
  - एनसीडीएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक बांध को कमज़ोर और खतरनाक बांध की श्रेणी में रखना।
  - निगरानी/निरीक्षण और अन्य गतिविधियों का लॉग बुक/डाटाबेस रखना।
  - प्रमुख बांध घटनाओं का रिकार्ड रखना।
  - सुरक्षा या समाधान उपायों के बारे में संबंधित बांध स्वामी को सलाह देना।

### बांध के स्वामियों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- रख-रखाव तथा मरम्मत के लिये पर्याप्त कोष निर्धारित करना तथा SDSO की सिफारिशों को लागू करना।
- बांध सुरक्षा से संबंधित सभी तकनीकी प्रलेखनों को संकलित करना और साथ-साथ बांध विफलता से प्रभावित संसाधनों/सुविधाओं के बारे में सूचना संकलित करना।
- अत्याधुनिक प्रबंधन साधनों को प्रयोग में लाना।
- बांध सुरक्षा के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, नियमों द्वारा निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखेंगे तथा पर्याप्त प्रशिक्षण लेंगे।

### बांधों के निर्माण या बदलावों के मामले में

- मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा जाँच, डिज़ाइन और निर्माण का कार्य किया जाएगा।
- बीआईएस (Bureau of Indian Standards) के प्रासंगिक मानक संहिताओं तथा दिशा-निर्देशों का उपयोग किया जाएगा।
- जाँच, डिज़ाइन और निर्माण के लिये एनसीडीएस द्वारा निर्दिष्ट योग्यता प्राप्त अनुभवी और सक्षम इंजीनियर होंगे।
- स्वीकृति के लिये डिज़ाइन, सुरक्षा, संचालन मानकों तथा नीतियों को NDSA / SDSO को दिखाना होगा।
- NCDS द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण उपाय अपनाए जाएंगे।
- केवल सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से ही नए बांध का निर्माण या बदलाव/वर्तमान बांध को विस्तारित करने का काम किया जा सकता है।
- किसी जलाशय को शुरू में भरने से पहले उसे भरने के मानक और प्रारम्भिक भराव योजना तैयार करनी होगी।
- प्रारम्भिक भराव से पहले SDSO द्वारा सुरक्षा व्यस्व्था का निरीक्षण किया जाएगा।
- पर्याप्त कर्मियों के साथ ओएंडएम (Operations and Maintenance - O&M) व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
- अच्छे ढंग से प्रलेखित ओएंडएम (Operations and Maintenance - O&M) मैनुअल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

### सुरक्षा निरीक्षण तथा डाटा संग्रह

- प्रत्येक बांध के लिये उसके O&M व्यवस्था के भीतर एक बांध सुरक्षा इकाई की स्थापना की जाएगी।
- बांध के स्वामी द्वारा बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से बांधों का मॉनसून पूर्व तथा मॉनसून पश्चात् निरीक्षण किया जाएगा।
- बाढ़ के दौरान, बाढ़ के बाद और भूकंप के बाद दिखाई देने वाले असामान्य परिवर्तन को लेकर विशेष निरीक्षण किया जाएगा।
- इंजीनियर SDSO की सहमति से पूरी मॉनसून अवधि के दौरान तथा भूकंप/आपदा के बाद आपात अवधि के दौरान बांध पर तैनात रहेंगे।

- बांध के स्वामी को प्रत्येक बांध के लिये न्यूनतम संख्या में बांध उपकरण लगाने होंगे, रीडिंग का रिकॉर्ड रखना होगा और विश्लेषणों को SDSO को अग्रसारित करना होगा।
- प्रत्येक बांध स्थल पर हाइड्रो-मौसम विज्ञान स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
- तीस मीटर से ऊँचे बांधों या जोन-III और उससे ऊपर के जोन में आने वाले बांधों के लिये भूकंप विज्ञान केंद्र स्थपित किये जाएंगे।

## आपात कार्य -योजना तथा आपदा प्रबंधन

प्रत्येक बांध स्वामी को बांध के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- हाइड्रो-मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना।
- आपात बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थापना।
- उपरोक्त प्रणालियों के लिये समय-समय पर जाँच।
- अंदरूनी प्रभावों, बाह्य प्रभावों, बाढ़ संबंधी चेतावनी तथा विपरीत प्रभावों से संबंधित सूचना को अधिकारियों तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।
- प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुचारू बनाए रखने में NDSA को सहयोग देना।
- निर्दिष्ट अंतराल पर जोखिम का मूल्यांकन व अध्ययन करना, ऐसा पहला अध्ययन पाँच वर्षों के अंदर किया जाएगा।
- आपात कार्य योजना में निम्नलिखित आपात कार्य शामिल किये जा सकते हैं- बांध विफलता की स्थिति में आनेवाली बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, आबादी, ढाँचे और प्रतिष्ठान, चेतावनी प्रक्रियाएँ, जान-माल के नुकसान को टालने के लिये विपरीत परिस्थितियों से निपटने की अग्रिम तैयारी, परामर्श एजेंसियों के साथ सहयोग।

## विस्तृत बांध सुरक्षा मूल्यांकन

- विधेयक में स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विस्तृत सुरक्षा मूल्यांकन किये जाने का प्रावधान है।
- पहले पाँच वर्षों के अंदर सीएसई और उसके बाद NCDS द्वारा नियमित अंतरालों पर निर्दिष्ट ढाँचे या डिज़ाइन के मानक में बड़े बदलाव, बांध पर या जलाशय रीम पर असामान्य स्थिति का पाया जाना, अत्यधिक जलीय या भूकंप की प्रभावशाली घटना के मामले में CSE अनिवार्य होगा।

## दोष और दंड

- बांध सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं करने पर दोष/दंड का प्रावधान है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी/कर्मचारी के कार्य में बाधा डालता है या केंद्र/राज्य सरकार या NCDS/NDSA/SCDS/SDSO के किसी निर्देश का पालन करने से मना करता है तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष जेल की सजा या दंड (जीवन नुकसान के लिये दो वर्ष) का प्रावधान है।
- यदि किसी विभाग द्वारा दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो विभाग प्रमुख को दोषी माना जाएगा यदि उसकी जानकारी में अपराध होता है।
- यदि दोषपूर्ण कार्य किसी कंपनी/कारपोरेट द्वारा किया जाता है तो कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिये प्रभारी/उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाएगा।
- केंद्र/राज्य सरकार या NCDS/NDSA/SCDS/SDSO द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर दोषपूर्ण कार्य का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

## वर्तमान में भारत में बांधों की स्थिति

- भारत ने पिछले 50 वर्षों में बांधों तथा संबंधित अवसंरचनाओं में भारी निवेश किया है और बड़े बांधों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान अमेरिका और चीन के बाद तीसरा है।
- देश में 5254 बड़े बांध हैं और 450 बांध निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त बहुत-से मझौले और हज़ारों छोटे बांध हैं।

नोट :

### निष्कर्ष

यद्यपि बांधों ने कृषि के सतत् विकास और भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये लंबे समय से एकरूप कानून और प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission), बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety -NCDS), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (Central Dam Safety Organization - CDSO) तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (State Dam Safety Organizations - SDSO) के माध्यम से इस दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन इन संगठनों के पास वैधानिक शक्तियाँ नहीं हैं और ये संगठन केवल परामर्शदायी भूमिका में हैं। यह चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के लगभग 75 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और लगभग 164 बांध 100 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। खराब रख-रखाव के कारण असुरक्षित बांध मानव जीवन, वनस्पति, सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों और पर्यावरण के लिये खतरनाक हो सकते हैं। भारत में बांध विफलताओं की 36 घटनाएँ हुई हैं। इनमें राजस्थान में 11, मध्य प्रदेश में 10, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 4 और आंध्र प्रदेश में 2 तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु एवं ओडिशा में एक-एक घटना हुई है।

## सुरक्षा, मानकीकरण एवं मज़बूती की दिशा में एक प्रभावी कदम

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक जानकारी के अनुसार, बीते चार सालों के दौरान शिक्षा क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिये सरकार द्वारा बहुत-सी नई पहलें शुरू की गईं। एचआरडी मंत्रालय द्वारा बीते चार सालों में शिक्षा क्षेत्र को सुगम, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सभी के लिये समानतापूर्ण और किफायती बनाने के लिये व्यापक बदलाव किये गए हैं और साथ ही शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया गया है।

### मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पहलों का विवरण

#### 'लर्निंग आउटकम्स' नामक पहल

- नई पहल 'लर्निंग आउटकम्स' सीखने के परिणाम) को प्रत्येक साल हर विषय और कक्षा में विद्यार्थी द्वारा हासिल की गई क्षमताओं के एक बेंचमार्क के रूप में शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों में विश्वसनीयता पैदा करना, साथ ही विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

#### राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण

- राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के अंतर्गत कक्षा 3, 5 और 8 के लगभग 22 लाख विद्यार्थी और कक्षा 10 के 15 लाख विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया।
- इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों को संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के साथ साझा किया गया है, ताकि इस विषय में आवश्यक कदम उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावकारी बनाने की दिशा में प्रयास किये जा सकें।

#### नो-डिटेंशन (अवरोध रहित) नीति

- नो-डिटेंशन (अवरोध रहित) नीति के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पहले ही पेश किया जा चुका है और प्रस्तावित संशोधन के तहत राज्यों को कक्षा 5 और 8 में विद्यार्थियों की परीक्षा करानी होगी।
- यदि कोई विद्यार्थी दूसरे प्रयास में भी असफल रहता है तो वह पढ़ाई जारी रख सकता है। इस प्रकार विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रहने से उसके प्रदर्शन में सुधार होगा।

#### पाठ्यक्रम को दुरुस्त करने की दिशा में सरकार का प्रयास

- सरकार पाठ्यक्रम को दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रायोगिक ज्ञान, आजीविका के लिये आवश्यक कौशल शिक्षा, रचनात्मक कौशल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये और ज़्यादा समय की ज़रूरत है।

- समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक साल बजट में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन 11.4 विद्यालयों में 9.5 करोड़ बच्चों को ताज़ा खाना परोसा जाता है, जिस पर प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए की लागत आती है। केंद्र सरकार भोजन, परिवहन लागत और भोजन को पौष्टिक बनाने के लिये ज़्यादा धनराशि के आवंटन के माध्यम से कार्यक्रम को मज़बूती प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

## उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

- उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बीते चार सालों के दौरान 141 विश्वविद्यालय, 14 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 7 आईआईटी और 1 एनआईटी खोला गया है। अगले 4 सालों के दौरान उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency-HEFA) 1,00,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।
- 2022 तक 'शिक्षा में बुनियादी ढाँचा और प्रणालियों को पुनर्जीवित करने' (Revitalising Infrastructure & Systems in Education - RISE) की पहल के तहत इसका क्रियान्वयन किया गया है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता के संबंध में आईआईएम विधेयक पारित किया गया है, वहीं 60 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को ग्रेड आधारित स्वायत्तता दी गई है।

## राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan - RUSA) के अंतर्गत बजट को तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से की गई एक अन्य पहल ज्ञान-शैक्षणिक नेटवर्क के लिये वैश्विक पहल के बारे में भी बात की गई है।

## उत्कृष्टता और रैंकिंग

- उत्कृष्टता और रैंकिंग से संबंधित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework-NIRF) को लगातार तीसरे साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- यह संस्थानों के बीच गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धा की भावना से युक्त एक बेंचमार्क बन गया है। इसमें 4,500 से ज़्यादा संस्थानों ने हिस्सा लिया।

## स्वयं पोर्टल

- डिजिटल पहल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संकायों के द्वारा 1,032 कोर्स के साथ स्वयं पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस परस्पर संवादात्मक शिक्षा कार्यक्रम का लाभ 2 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्त्ता उठा रहे हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के अंतर्गत 1.7 करोड़ डिजिटल पुस्तकों और पत्रिकाओं का ऑनलाइन पुस्तकालय उपलब्ध है। 32 लाख पंजीकृत उपयोगकर्त्ता मुफ्त में एनडीएल का लाभ उठा रहे हैं।
- नेशनल एकेडमिक डिपॉज़िटरी के अंतर्गत प्रमाण पत्रों और डिग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। लगभग 400 विश्वविद्यालय परिसरों और 10,000 महाविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा दे दी गई है।

## इमप्रिंट इंडिया

- इमप्रिंट-1 और 2 के साथ शोध और नवाचार की पहलों का शुभारंभ कर दिया गया है। इस पहल के अंतर्गत सामाजिक महत्त्व के मुद्दों पर शोध परियोजनाओं के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण की शुरुआत की गई है। साथ ही 323 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

## स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पहल

- स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पहल के माध्यम से सामान्य समस्याओं का समाधान कराने के लिये महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खुला आमंत्रण दिया गया है।

# भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना अधर में

## चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच जल-साझाकरण के मुद्दे पर असहमति और गैर-वन भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाई के कारण 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली केन-बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को शुरू करने में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है।

## पृष्ठभूमि

- परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिज़र्व के एक हिस्से को वनों की कटाई शामिल है, को इस शर्त पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंज़ूरी दे दी गई थी कि मुआवज़े के रूप में अभयारण्य के लिये वैकल्पिक ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी।
- अभी इस योजना में यह सुनिश्चित किया जाना शेष है कि इस क्षेत्र में वन्यजीव गलियारों को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी।

## इस वर्ष परियोजना का शुरू होना असंभव है

- परियोजना में आने वाली एक अन्य बाधा यह है कि दोनों लाभार्थी राज्य (उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश) रबी फसल के मौसम में किस प्रकार जल साझा करेंगे इसका निर्णय नहीं हो पाया है।
- इन प्रमुख मुद्दों के कारण यह संभावना और अधिक प्रबल हो जाती है कि यह परियोजना इस वर्ष भी शुरू नहीं हो पाएगी।
- इस बीच दोनों राज्यों के बीच लगातार बढ़ता विवाद भी चिंता का विषय है तथा इस परियोजना को केंद्र सरकार के पास मंज़ूरी के लिये भेजने से पहले अन्य कई मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

## केन-बेतवा संपर्क परियोजना

- केन-बेतवा संपर्क परियोजना जिसे दो चरणों में पूरा करने की कल्पना की गई थी भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।
- इस परियोजना को अंतर्राज्यीय नदी हस्तांतरण मिशन के लिये एक मॉडल योजना के रूप में माना जाता है।
- इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के आधिक्य जल को बेतवा बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा जो सूखा प्रवण क्षेत्र बुंदेलखंड तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों की सिंचाई में मदद करेगा।
- 230 किमी. लंबी पक्की नहर उत्तर प्रदेश के झाँसी, बाँदा और महोबा तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर ज़िलों से होकर गुजरेगी।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की ज़रूरत को भी पूरा करेगी।

## इस परियोजना के कारण खतरा

- इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व के एक भाग का निर्वनीकरण किया जाना शामिल है जो कि इस पूरे रिज़र्व का लगभग 10 प्रतिशत है।

## परियोजना का पहला चरण

- चरण-1 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 3.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु केन नदी से अतिरिक्त पानी स्थानांतरित करने के लिये 77 मीटर लंबे और 2 किमी चौड़े एक बांध तथा 230 किमी लंबी नहर का निर्माण किया जाना शामिल है।
- मूल रूप से इस चरण में सालाना 6,35,661 हेक्टेयर (मध्य प्रदेश में 3,69,881 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2,65,780 हेक्टेयर) सिंचाई की कल्पना की गई थी।
- इसके अलावा, परियोजना में पीने के लिये 49 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी की आपूर्ति करना शामिल था।

## जल साझाकरण के लिये पिछला समझौता वैध नहीं

- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच वर्ष 2005 में एक समझौता हुआ था कि पानी कैसे साझा किया जाएगा लेकिन मध्य प्रदेश ने पिछले साल कहा था कि ये धारणाएँ अब वैध नहीं हैं और पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र तरीका पहले चरण में कुछ स्थानीय जल प्रबंधन परियोजनाओं- कोटा बैराज, लोअर ओर सिंचाई परियोजना और बीना कॉम्प्लेक्स (बीना नदी परियोजना) को शामिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले इन्हें परियोजना के दूसरे चरण के रूप में परिकल्पित किया गया था।

नोट :

### केन नदी

- केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी. उत्तर की ओर बढ़ने के बाद बांदा ज़िले में यमुना में मिलती है।

### बेतवा नदी

- बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले से निकलकर 576 किमी. क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है।

### निष्कर्ष

- नदी जोड़ो परियोजना बेशक एक महत्त्वाकांक्षी और महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसे अमल में लाने का समुचित प्रयास होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि राज्यों से विचार-विमर्श के बाद एक ऐसी नीति का निर्माण करे, जो जल के बँटवारे से संबंधित विवादों और जल को लेकर पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं का समाधान कर सके। इन सुधारों पर कार्य करते हुए इस परियोजना की तरफ कदम बढ़ाया जाना चाहिये।

# गत 4 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को मज़बूत बनाने हेतु की गई नई पहलें

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक जानकारी के अनुसार, बीते चार सालों के दौरान शिक्षा क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिये सरकार द्वारा बहुत-सी नई पहलें शुरू की गईं। एचआरडी मंत्रालय द्वारा बीते चार सालों में शिक्षा क्षेत्र को सुगम, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सभी के लिये समानतापूर्ण और किफायती बनाने के लिये व्यापक बदलाव किये गए हैं और साथ ही शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया गया है।

## मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पहलों का विवरण

### 'लर्निंग आउटकम्स' नामक पहल

- नई पहल 'लर्निंग आउटकम्स' सीखने के परिणाम) को प्रत्येक साल हर विषय और कक्षा में विद्यार्थी द्वारा हासिल की गई क्षमताओं के एक बेंचमार्क के रूप में शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों में विश्वसनीयता पैदा करना, साथ ही विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

### राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण

- राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के अंतर्गत कक्षा 3, 5 और 8 के लगभग 22 लाख विद्यार्थी और कक्षा 10 के 15 लाख विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया।
- इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों को संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के साथ साझा किया गया है, ताकि इस विषय में आवश्यक कदम उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावकारी बनाने की दिशा में प्रयास किये जा सकें।

### नो-डिटेंशन (अवरोध रहित) नीति

- नो-डिटेंशन (अवरोध रहित) नीति के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पहले ही पेश किया जा चुका है और प्रस्तावित संशोधन के तहत राज्यों को कक्षा 5 और 8 में विद्यार्थियों की परीक्षा करानी होगी।
- यदि कोई विद्यार्थी दूसरे प्रयास में भी असफल रहता है तो वह पढ़ाई जारी रख सकता है। इस प्रकार विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रहने से उसके प्रदर्शन में सुधार होगा।

### पाठ्यक्रम को दुरुस्त करने की दिशा में सरकार का प्रयास

- सरकार पाठ्यक्रम को दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रायोगिक ज्ञान, आजीविका के लिये आवश्यक कौशल शिक्षा, रचनात्मक कौशल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये और ज़्यादा समय की ज़रूरत है।

नोट :

- समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक साल बजट में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन 11.4 विद्यालयों में 9.5 करोड़ बच्चों को ताज़ा खाना परोसा जाता है, जिस पर प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए की लागत आती है। केंद्र सरकार भोजन, परिवहन लागत और भोजन को पौष्टिक बनाने के लिये ज़्यादा धनराशि के आवंटन के माध्यम से कार्यक्रम को मज़बूती प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

## उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

- उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बीते चार सालों के दौरान 141 विश्वविद्यालय, 14 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 7 आईआईटी और 1 एनआईटी खोला गया है। अगले 4 सालों के दौरान उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency-HEFA) 1,00,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।
- 2022 तक 'शिक्षा में बुनियादी ढाँचा और प्रणालियों को पुनर्जीवित करने' (Revitalising Infrastructure & Systems in Education - RISE) की पहल के तहत इसका क्रियान्वयन किया गया है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता के संबंध में आईआईएम विधेयक पारित किया गया है, वहीं 60 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को ग्रेड आधारित स्वायत्तता दी गई है।

## राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan - RUSA) के अंतर्गत बजट को तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से की गई एक अन्य पहल ज्ञान-शैक्षणिक नेटवर्क के लिये वैश्विक पहल के बारे में भी बात की गई है।

## उत्कृष्टता और रैंकिंग

- उत्कृष्टता और रैंकिंग से संबंधित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework-NIRF) को लगातार तीसरे साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- यह संस्थानों के बीच गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धा की भावना से युक्त एक बेंचमार्क बन गया है। इसमें 4,500 से ज़्यादा संस्थानों ने हिस्सा लिया।

## स्वयं पोर्टल

- डिजिटल पहल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संकायों के द्वारा 1,032 कोर्स के साथ स्वयं पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस परस्पर संवादात्मक शिक्षा कार्यक्रम का लाभ 2 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्त्ता उठा रहे हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के अंतर्गत 1.7 करोड़ डिजिटल पुस्तकों और पत्रिकाओं का ऑनलाइन पुस्तकालय उपलब्ध है। 32 लाख पंजीकृत उपयोगकर्त्ता मुफ्त में एनडीएल का लाभ उठा रहे हैं।
- नेशनल एकेडमिक डिपॉज़िटरी के अंतर्गत प्रमाण पत्रों और डिग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। लगभग 400 विश्वविद्यालय परिसरों और 10,000 महाविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा दे दी गई है।

## इमप्रिंट इंडिया

- इमप्रिंट-1 और 2 के साथ शोध और नवाचार की पहलों का शुभारंभ कर दिया गया है। इस पहल के अंतर्गत सामाजिक महत्त्व के मुद्दों पर शोध परियोजनाओं के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण की शुरुआत की गई है। साथ ही 323 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

## स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पहल

- स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पहल के माध्यम से सामान्य समस्याओं का समाधान कराने के लिये महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खुला आमंत्रण दिया गया है।

# एयर इंडिया' के निजीकरण की योजना टली

## संदर्भ

कुछ समय पूर्व सरकार ने एयरलाइंस की दुनिया में 'महाराजा' के नाम से जानी जाने वाली भारत की सरकारी विमानन सेवा एयर इंडिया के विनिवेश के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव आमंत्रित करने के क्रम में निर्धारित तिथि तक किसी ने भी एयर इंडिया को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई।

## पृष्ठभूमि

- इस वर्ष मार्च के अंत में सरकारी विमानन सेवा एयर इंडिया के निजीकरण (विनिवेश) के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये गए थे, लेकिन 31 मई की तय समय सीमा के भीतर कोई प्रस्तावक सामने न आने की वज़ह से सरकार ने फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
- लगभग 47 हज़ार करोड़ के क़र्ज़ तथा अन्य देयताओं के बोझ तले दबे एयर इंडिया में सरकार अपना 76% हिस्सा बेचना चाहती थी। इसे खरीदने वाले को 33,392 करोड़ रुपए के कर्ज़ और वर्तमान देयताओं का भार भी उठाना पड़ता।

## प्रमुख बिंदु

- सरकार ने एयर इंडिया के लिये 76% विनिवेश का प्रस्ताव रखा था।
- इस विनिवेश में भारी-भरकम ऋण तथा देयताएँ आड़े आईं।
- CAPA ने इसकी पुनर्संरचना की जरुरत बताई है।
- सरकार अपने जिस 76% हिस्से को बेचना चाहती थी, उसमें इसकी सहायक इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा ग्राउंड हैंडलिंग इकाई AI-SATS (एयरपोर्ट इंडिया और सिंगापुर की एसएटीएस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) का 50% हिस्सा शामिल था।
- खरीदने वाले को 33,392 करोड़ रुपए के कर्ज़ और वर्तमान देयताओं का भार उठाना पड़ता।
- सरकार ने इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण भी निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव किया था।
- अन्य विमान सेवाओं ने एयर इंडिया के भारी-भरकम क़र्ज़ के अलावा सरकार द्वारा 24% हिस्सेदारी अपने पास रखने पर भी सवाल उठाए।
- लगभग 15 हज़ार कर्मियों को मिलने वाले लाभ और दायित्वों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट न होने की बात सामने आई।
- सरकार ने 24% हिस्सा अपने पास रखने के पीछे तर्क यह दिया था कि इससे खरीदने वाले पर क़र्ज़ का भार 25 हज़ार करोड़ रुपए कम पड़ता।
- इसकी हालत सुधारने के लिये निजी क्षेत्र से अनुभवी व्यक्तियों को शीर्ष पदों पर लाने का प्रयास किया जाएगा तथा साथ ही कॉस्ट कटिंग के नए तरीके खोजे जाएंगे।
- धन की कमी की समस्या को कम करके विमान सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिये एयर इंडिया की संपत्ति का मौद्रीकरण करने के प्रयास किये जाएंगे।
- एयरलाइन को परिचालन लाभ प्राप्त हो रहा है तथा दक्ष लागत व्यवस्था के ज़रिये परिचालन दक्षता में सुधार के प्रयास किये जाएंगे।
- सरकार एयर इंडिया के पुनरोद्धार के ज़रिये उसे कुल लाभ की स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है, ताकि इसे सूचीबद्ध कराया जा सके।
- फिलहाल नकदी की समस्या से जूझ रही एयर इंडिया अपने लगभग 15 हज़ार स्थायी तथा संविदा कर्मियों को इस माह का वेतन नहीं दे पाई है और इसके लिये सरकार से 1000 करोड़ रुपए का अल्पावधि क़र्ज़ मांगा है।
- विनिवेश प्रस्ताव पर कोई भी प्रस्ताव न मिलने के कारण फिलहाल सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है तथा इसे बाद में पुनः लाने की बात कही है। इसके लिये विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

## एयर इंडिया

- एयर इंडिया 140 विमानों वाली देश की सबसे बड़ी विमान सेवा है तथा इसके विमान 41 अंतर्राष्ट्रीय और 72 घरेलू गंतव्यों पर उड़ान भरते हैं।
- यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वाहक भी है, जिसकी बाज़ार में हिस्सेदारी 17% है और यह घरेलू यात्री बाज़ार के 14.6% भाग पर नियंत्रण रखती है।

नोट :

### CAPA का सुझाव

- एयर इंडिया की हालत को देखते हुए सिडनी के शोध संस्थान सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (CAPA) ने सरकार से इसका व्यापक स्तर पर पुनर्गठन करने को कहा है।
- उसने विनिवेश को टालने को भी सही नहीं ठहराया और एयर इंडिया के निजीकरण के लिये नियमों को सरल बनाने तथा पूरी बिक्री प्रक्रिया और शर्तों पर फिर से काम करने की आवश्यकता बताई।
- कापा के अनुसार, इस विफलता के बाद विनिवेश की योजना को छोड़ना उचित नहीं होगा तथा सरकार को एयर इंडिया के निजीकरण से संबंधित नियमों को सरल बनाना चाहिये।
- कंपनी को एक आकर्षक निवेश अवसर के रूप में सामने आने के लिये पूरी बिक्री प्रक्रिया और शर्तों पर फिर से काम करने की आवश्यकता है।

### निजीकरण क्या है ?

- निजीकरण का तात्पर्य किसी संपत्ति अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को देना है।
- इसके अतिरिक्त इसमें सार्वजनिक रूप से चलने वाली कंपनी का कार्यभार किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी को सौंप दिया जाता है।
- निजीकरण होने से सरकार के वित्त भार तथा करों से जुड़े जोखिम समाप्त हो जाते हैं तथा निजीकृत इकाई की दक्षता और प्रतिस्पर्द्धा में भी सुधार होता है।

---

## SAT का आदेश : रिलायंस के NW18 अधिग्रहण की फिर से हो जाँच

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (The Securities Appellate Tribunal -SAT) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) को निर्देश दिया है कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) द्वारा नेटवर्क 18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स (NW 18) और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट (TV18) को लेकर हासिल किये गए नियंत्रण की एक बार फिर से जाँच करे और यह सुनिश्चित करे कि क्या इन कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा लिस्टिंग अनुबंध (Listing Agreement) का उल्लंघन किया गया है।

### क्या थी शिकायत ?

NW 18 के दो छोटे निवेशकों ने न्यायाधिकरण से की गई शिकायत में दावा किया था कि RIL यह स्पष्ट करने में असफल रहा था कि उसने अपने विशेष लाभ के लिये स्थापित 'इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट' (Independent Media Trust -IMT) के माध्यम से NW 18 और TV 18 पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल किया है।

### पृष्ठभूमि

जनवरी 2017 में सेबी ने यह कहते हुए इन निवेशकों की शिकायत को समाप्त कर दिया था कि यह ट्रस्ट शेयर बाज़ार की सूची में सम्मिलित कंपनी का ट्रस्ट नहीं है इसलिये लिस्टिंग अनुबंध के खंड 36 के अंतर्गत किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। सेबी के इस निर्णय के बाद निवेशकों ने अपना रुख SAT की ओर किया था।

### क्या कहता है लिस्टिंग अनुबंध का खंड 36 ?

लिस्टिंग अनुबंध के खंड 36 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि "जब एक सूचीबद्ध कंपनी किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी पर ट्रस्ट या किसी अन्य इकाई के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त करती है, तो ऐसे अधिग्रहण को स्टॉक एक्सचेंज के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिये।"

### SAT द्वारा पूर्व में दिये गए निर्देश

यह पहली बार नहीं है कि न्यायाधिकरण ने पूंजी बाज़ार के निगरानीकर्त्ता को इस मामले की फिर से जाँच करने के लिये आदेश दिया है।

- अप्रैल 2016 में एसएटी ने सेबी को यह पता लगाने के लिये कहा कि आरआईएल को टेकओवर विनियमों के पालन के बिना दोनों कंपनियों का नियंत्रण मिला है या नहीं।

नोट :

- फरवरी 2012 में IMT, जिसकी एकमात्र लाभ प्राप्तकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, ने राघव बहल एंड बहल ग्रुप की छः नियंत्रक कंपनियों के साथ निवेश समझौता किया था।
- यह निवेश शून्य कूपन, वैकल्पिक और पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर (Zero Coupon, Optionally & Fully Convertible Debentures -ZOCDs) जारी करके किया गया था।

### इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का आदेश

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने मई 2012 में एक आदेश पारित किया था जिसमें विशेष रूप से यह माना गया था कि IMT ने ZOCDs की सदस्यता प्राप्त कर शेयर धारण करने वाली कंपनियों पर नियंत्रण हासिल किया था और इसके परिणामस्वरूप NW18 और TV18 पर इसका नियंत्रण अप्रत्यक्ष था।

### भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)

- यह एक बाज़ार नियामक है।
- यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है।
- इसकी स्थापना सेबी अधिनियम, 1992 के तहत 12 अप्रैल, 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

### सेबी के प्रमुख कार्य

- प्रतिभूति बाज़ार का नियमन करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।
- प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
- प्रतिभूति बाज़ार के विकास का उन्नयन करना।

### प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)

- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, भारत अधिनियम प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 1992 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करने के लिये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या अधिनियम के तहत अधिनिर्णीत अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और उसका निपटान करता है।

### भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (competition Commission of India-CCI) भारत की एक विनियामक संस्था है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन के लिये की गई थी और यह मार्च, 2009 में विधिवत गठित हुआ।

### भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के लक्ष्य

- प्रतिस्पर्द्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना।
- बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा का संवर्द्धन और उसे बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा।
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

---

## आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को पूर्ण समर्थन

### चर्चा में क्यों ?

आईएमए (Indian Medical Association - IMA) के प्रतिनिधियों ने आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन [Ayushman Bharat- National Health Protection Mission (AB-NHPM)] के बेहतर कार्यान्वयन के लिये अस्पतालों के पैनल बनाने, जागरूकता फैलाने तथा लाभार्थियों की पहचान करने जैसे क्षेत्रों में आपसी समर्थन पर सहमति जताई है।

नोट :

- आईएमए, AB-NHPM का एक विशिष्ट हितधारक है। चूँकि AB-NHPM की सफलता के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं देखभाल तक पहुँच बनाने और मरीज़ आधारित देखभाल के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में इस संदर्भ में आईएमए का महत्त्व बढ़ जाता है।

## प्रमुख बिंदु

- आईएमए द्वारा AB-NHPM से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाताओं का एक विशाल नेटवर्क तैयार करना हैं।
- आईएमए द्वारा AB-NHPM को समर्थन देने के लिये अस्पतालों को किये जाने वाले भुगतान, अनुभवों को साझा करने व शिकायतों को निपटाने के लिये कागज रहित व्यवस्था विकसित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना करने जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया है।
- इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा लागत संबंधी अध्ययन भी किया गया है। इसमें लाभप्रद पैकेजों व दरों का समायोजन प्रस्तावित है। इसलिये आईएमए को अपने ज्ञान तथा पेशेवर विशेषज्ञता के आधार पर एनएचए को समर्थन देने की ज़रूरत है।
- AB-NHPM को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह 10 करोड़ से ज्यादा गरीब व वंचित परिवारों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जिससे कि वे महँगी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- इसमें बिना नकद भुगतान किये अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिये पाँच लाख रुपए प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है।

## आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

- AB-NHPM में चालू केंद्र प्रायोजित योजनाएँ- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (Rashtriya Swasthya Bima Yojana -RSBY) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (Senior Citizen Health Insurance Scheme -SCHIS) समाहित होंगी।

## प्रमुख विशेषताएँ

- AB-NHPM को लक्षित लाभार्थियों को कवर करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ किया जाएगा।
- AB-NHPM में प्रतिवर्ष प्रति परिवार पाँच लाख रुपए का परिभाषित लाभ कवर (विधेयक में वर्णित प्रावधानों के अनुसार) होगा।
- इसमें सभी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधा प्रक्रियाएँ शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई व्यक्ति (महिलाएँ, बच्चे तथा वृद्धजन) छूट न जाए, इसे ध्यान में रखते हुए योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत कवर किये गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी।
- लाभार्थी पैनल में शामिल सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में लाभ ले सकेंगे। AB-NHPM लागू करने वाले राज्यों के सभी सरकारी अस्पतालों को योजना के लिये पैनल में शामिल समझा जाएगा।
- निजी अस्पताल, परिभाषित मानक के आधार पर ऑनलाइन तरीके से पैनल में शामिल किये जाएंगे।
- लागत को नियंत्रित करने के लिये पैकेज दर (सरकार द्वारा अग्रिम रूप में परिभाषित) के आधार पर इलाज के लिये भुगतान किया जाएगा। पैकेज दर में इलाज से संबंधित सभी लागतें शामिल होंगी। लाभार्थियों के लिये यह कैशलेस, कागज रहित लेन-देन होगा।
- AB-NHPM का एक प्रमुख सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों को लचीलापन प्रदान करना है। इसमें सह-गठबंधन के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी का प्रावधान है।
- योजना को लागू करने के लिये राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) की ज़रूरत होगी।
- योजना को लागू करने के लिये राज्यों के पास एसएचए के रूप में वर्तमान ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य नोडल एजेंसी के उपयोग करने का विकल्प होगा या नया ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य स्वास्थ्य एजेंसी बनाने का विकल्प होगा।
- इससे संभावित दुरुपयोग की पहचान साथ ही धोखेबाजी और दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। इसमें सुपरिभाषित शिकायत समाधान व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त (उपचार से संबंधित) नैतिक खतरों (दुरुपयोग की संभावना) के साथ इलाज पूर्व अधिकार को अनिवार्य बनाया जाएगा।

नोट :

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि योजना वांछित लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों तक पहुँचे, एक व्यापक मीडिया तथा आउटरिच रणनीति विकसित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पारंपरिक मीडिया, आईईसी सामग्री तथा आउटडोर गतिविधियाँ शामिल होंगी।

## जेलों में महिलाएँ : वर्तमान स्थिति, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

### चर्चा में क्यों ?

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'जेलों में महिलाएँ' विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका उद्देश्य महिला बंदियों के विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनकी समस्याओं पर विचार करना और उनका संभव समाधान करना है।

- इस रिपोर्ट में 134 सिफारिशें की गई हैं, ताकि जेल में बंद महिलाओं के जीवन में सुधार लाया जा सके। गर्भवती तथा जेल में बच्चे का जन्म, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, समाज के साथ एकीकरण और उनकी देखभाल ज़िम्मेदारियों पर विचार के लिये ये सिफारिशें की गई हैं।
- रिपोर्ट में राष्ट्रीय आदर्श जेल मैन्युअल 2016 में विभिन्न परिवर्तन किये जाने का सुझाव दिया गया है ताकि इसे अंतर्राष्टीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

रिपोर्ट की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- रिपोर्ट में महिला बंदियों की अनेक समस्याओं को कवर किया गया है और इसमें बुजुर्गों तथा दिव्यांग लोगों की आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट में न केवल गर्भवती महिलाओं की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है, बल्कि उन महिलाओं पर भी विचार किया गया है जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है लेकिन उनके बच्चे जेल में उनके साथ नहीं हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में बंद किये जाने से पहले सेवा देखभाल ज़िम्मेदारी वाली महिलाओं को अपने बच्चों का प्रबंध करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- रिपोर्ट में उन विचाराधीन महिला कैदियों को जमानत देने की सिफारिश की गई है जिन्होंने अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई समय जेल में बिताया है।
- ऐसा कानूनी प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 436 ए में आवश्यक परिवर्तन करके किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में अधिकतम सज़ा की आधी अवधि पूरी करने पर रिहाई का प्रावधान है।
- प्रसव पश्चात् के चरणों में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट में नवजात शिशु के जन्म के बाद माताओं के लिये पृथक आवासीय व्यवस्था की सिफारिश की गई है, ताकि साफ-सफाई का ध्यान रखा जा सके और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके।
- कानूनी सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी विचार-विमर्श गोपनीयता के साथ और बिना सेंसर के किया जाना चाहिये।
- ऐसी महिलाओं का समाज में फिर से एकीकरण एक गंभीर समस्या है क्योंकि जेल में बंद होने से महिलाओं पर धब्बा लगता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि जेल में बंद महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया जाता है।
- रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि जेल अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करें, कि महिला बंदी को रिहाई के बाद प्रताड़ित न होना पड़े। बंदी महिलाओं को मताधिकार देने की सिफारिश भी की गई है।
- जेलों में शिकायत समाधान व्यवस्था अपर्याप्त है और इस व्यवस्था के दुरुपयोग और बदले की भावना से काम करने की गुंजाइश बनी हुई है। इस तरह एक मज़बूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।
- बंदी महिलायों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर बंदियों का संपर्क महिला काउंसिलरों और महिला मनोवैज्ञानिकों से हो सके।

- यह सामान्य रूप से ज्ञात है कि जेल में बंद महिलाओं को पुरूष बंदियों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जेल में बंद किये जाने से उन पर सामाजिक धब्बा लगता है। साथ ही बंदी महिला वित्तीय रूप से अपने परिवार और पति पर निर्भर रहती है। ऐसे में जब बंदी महिलाओं के बच्चे होते हैं तो कठिनाईयाँ और भी बढ़ जाती हैं ।
- इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा ताकि गृह मंत्रालय रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये राज्य को परामर्श दे सके।

रिपोर्ट के बारे में महिला और बाल विकास मंत्रालय का विचार है कि इस पहल से बंदी महिलाओं के प्रति जेल प्रशासन की धारणा बदलेगी।

## महिला और बाल विकास मंत्रालय

- महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी। इस विभाग को 30 जनवरी, 2006 से मंत्रालय के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।

## विज़न

- हिंसा से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रह रहीं तथा देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रहीं सशक्त महिलाएँ और सुसंपोषित बच्चे, जिन्हें शोषण-मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्राप्त हों।

## मिशन

- विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के विकास संबंधी सरोकारों को मुख्यधारा में जोड़कर, महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु उन्हें संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

## नीतिगत पहल

- बच्चों के समग्र विकास के लिये मंत्रालय द्वारा अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाओं तथा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा को शामिल करके सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराते हुए समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) नामक विश्व का सबसे बड़ा तथा अद्वितीय आउटरीच कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।
- मंत्रालय 'स्वयंसिद्धा' का भी क्रियान्वन कर रहा है जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये एक समेकित स्कीम है। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कारगर समन्वयन तथा प्रबंधन किया जा रहा है।
- मंत्रालय के अधिकांश कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जाते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी संगठनों की अधिक कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते है।
- मंत्रालय द्वारा हाल ही में आरंभ की गई प्रमुख नीतिगत पहलों में आईसीडीएस तथा किशोरी शक्ति योजना का सर्वसुलभीकरण, किशोरियों के लिये पोषण कार्यक्रम शुरू करना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित करना शामिल है।

## मंत्रालय को आवंटित विषय

- परिवार कल्याण।
- महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों के कार्यकलापों का समन्वयन।
- महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार के संबंध में संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों से संदर्भ में।
- प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित स्कूल पूर्व बच्चों की देख0रेख।
- राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य-योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन।
- इस मंत्रालय को आवंटित विषयों से संबंधित धर्मार्थ तथा धार्मिक अक्षय निधियाँ।
- मंत्रालय को आवंटित विषयों से संबंधित स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्द्धन तथा विकास।

नोट :

# केंद्र सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति की गारंटी नहीं दे सकता

## चर्चा में क्यों ?

बिजली मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरुण कुमार वर्मा ने हाल ही में कहा है कि बिजली ग्रिड से सभी घरों और गाँवों को जोड़ने या बिजली के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने की ज़िम्मेदारी केंद्र की है। बिजली आपूर्ति की गारंटी नहीं दी जा सकती। वास्तविक आपूर्ति की ज़िम्मेदारी प्रत्येक राज्य में बिजली वितरण कंपनियों की है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने देश भर के सभी गाँवों में 100% तथा सभी घरों में 83% विद्युतीकरण का दावा किया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि साल के अंत तक सभी घरों में विद्युतीकरण कर लिया जाएगा।

## दावों में विसंगतियाँ

- हालाँकि एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किये गए विश्लेषण में विद्युतीकरण की वास्तविक स्थिति और कागज़ी स्थिति के बीच कई विसंगतियाँ पाई गई हैं।
- कुछ मामलों में  केबल्स और ट्रांसफार्मर जैसे इलेक्ट्रिकिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल किये जाने के कुछ दिनों बाद ही चुरा लिया गया था, जिससे लक्षित गाँवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया लेकिन सरकारी आँकड़ों में उन्हें विद्युतिकृत दिखाया गया है।
- साथ ही अधिकांश जगहों पर दिन में केवल कुछ घंटों के लिये ही बिजली की आपूर्ति की जाती है।
- संयुक्त सचिव ने कहा कि हर गाँव में जाना और यह जाँच करना हमारा काम नहीं है कि वहाँ बुनियादी ढाँचा है या नहीं अथवा बिजली की आपूर्ति हो रही है या नहीं।।
- उन्होंने कहा कि इसे राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों (डिस्काम) द्वारा किया जाना है। लेकिन हमें पता है कि बिजली तक पहुँच का मतलब निरंतर आपूर्ति है।
- उन्होंने कहा कि हम मार्च 2019 तक समयसीमा के भीतर 24X7 के आधार पर विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिये संकल्पित हैं।

## भारी बिजली कटौती

- बिजली अधिशेष राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के बावजूद देश के लगभग सभी राज्य बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर चरम गर्मी के दौरान।
- बिजली क्षेत्र के विश्लेषकों के मुताबिक यह इसलिये है क्योंकि सभी राज्यों के डिस्काम अभी भी बहुत अप्रभावी हैं, क्योंकि वे ट्रांसमिशन लागतों के मुकाबले ज़्यादा राजस्व कमाते हैं।
- हालाँकि, विद्युत मंत्रालय ने दावा किया है कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम (UDAY) के तहत स्थिति में तेज़ी से सुधार हो रहा है।
- विद्युत मंत्री आरके सिंह ने हाल ही में कहा है कि 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में 51,096 करोड़ रुपए नुकसान जबर्दस्त रूप से घटकर 17,352 करोड़ रुपए हो गया है।

## बहुत कुछ हासिल किया जाना अभी शेष है

- हालाँकि, विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि डिस्काम के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, फिर भी वे 24X7 आधार पर आपूर्ति के लिये सक्षम नहीं हैं।
- कई डिस्काम दो कारणों से 24X7 आधार पर विद्युत प्रदान करने के लिये तैयार नहीं हैं। पहला, उनमें से अधिकतर ऐसा करने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं। दूसरा, केवल कुछ ही डिस्काम में निरंतरता के आधार पर अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करने के लिये आधारभूत संरचना मौजूद है।
- लेकिन यदि संबंधित राज्य सरकारें डिस्काम को वित्तीय सहायता और आश्वासन देना जारी रखती हैं, तो यह विद्युत आपूर्ति में निश्चित रूप से सुधार ला सकती है।

नोट :

# आपराधिक जाँच में नहीं होगा आधार का उपयोग : यूआईडीएआई

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार के तहत एकत्रित की गई पहचान संबंधी जानकारी को आपराधिक जाँच में प्रयोग किये जाने से इनकार किया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आधार संबंधी जानकारियों को न तो इससे पहले कभी किसी भी आपराधिक जाँच एजेंसी के साथ साझा किया गया है और न ही आगे किया जाएगा।

- प्राधिकरण ने अधिसूचित किया है कि आधार अधिनियम, 2016 के तहत आपराधिक जाँच हेतु आधार बॉयोमीट्रिक डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- हाल ही में हैदराबाद में आयोजित फिंगर प्रिंट्स ब्यूरो के निदेशक मंडल के 19वें अखिल भारतीय सम्मेलन में एनसीआरबी ने अपराधियों को पकड़ने और अज्ञात निकायों की पहचान के उद्देश्य से पुलिस को आधार संबंधी सूचनाओं की सीमित उपलब्धता प्रदान किये जाने की बात कही थी।

## बॉयोमीट्रिक डाटा से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- आधार अधिनियम 2016 की धारा 29 के अनुसार, आधार में दर्ज लोगों की बायोमीट्रिक जानकारियों का आपराधिक जाँच के लिये इस्तेमाल करने की स्वीकृति नहीं है। हालाँकि अधिनियम की धारा 33 के तहत कुछ मामलों में जानकारी साझा करने की छूट दी गई है।
- धारा 33 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होने पर आधार की बायोमीट्रिक सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह भी सिर्फ तभी संभव है जब मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसके लिये पूर्व - प्राधिकार दे चुकी हो।
- प्राधिकरण ने स्पष्ट कहा कि उनके पास दर्ज की गई बायोमीट्रिक जानकारियों का इस्तेमाल करने का अधिकार या तो आधार बनाने वाले या आधार धारक के वेरिफिकेशन करने के लिये किया जा सकता है। इन दोनों मामलों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य से आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

- यह एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई, 2016 को की गई।
- एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था।
- बाद में सरकार द्वारा सरकारी कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करके 12 सितंबर, 2015 को यूआईडीएआई को तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के साथ संबद्ध कर दिया गया।
- यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को "आधार" नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान करने हेतु की गई थी ताकि इसके द्वारा (क) दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और (ख) उसे आसानी से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।
- प्रथम यूआईडी नम्बर महाराष्ट्र के निवासी, नन्दूरबार को 29 सितंबर, 2010 को जारी किया गया।
- आधार अधिनियम, 2016 के तहत यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, आधार जीवन चक्र के सभी चरणों के प्रबंधन और संचालन सहित व्यक्तियों को आधार नम्बर जारी करने और प्रमाणीकरण के लिये नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने तथा पहचान संबंधी जानकारी तथा प्रमाणीकरण रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

### लक्ष्य

- भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराना, जिसे डिजिटल माध्यम से कहीं भी, कभी भी सत्यापित किया जा सके।

### उद्देश्य

- ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिये नीति, प्रक्रिया और व्यवस्था विकसित करना, जो नामांकन की प्रक्रिया अपनाकर अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत करके इस हेतु अनुरोध करेंगे।

नोट :

- आधार धारकों के डिजिटल पहचान को अद्यतन और प्रमाणित करने के लिये नीति, प्रक्रिया और व्यवस्था संबंधी प्रक्रिया विकसित करना।
- यूआईडीएआई के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिये दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- सभी व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा आधार अधिनियम का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिये आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

# सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए रोस्टर सिस्टम की घोषणा

## चर्चा में क्यों ?

न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर की सेवानिवृत्ति के दो दिन बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के आवंटन के लिये 24 जून, 2018 को नया रोस्टर जारी किया है। यह रोस्टर दो जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद न्यायालय का नियमित कामकाज दो जुलाई से शुरू होगा।

### सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश

- इस अधिसूचना में उन सभी मामलों की सूची शामिल की गई है जिनकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीशों - जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस एस.ए बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए.के. गोयल, जस्टिस आर.एफ. नरीमन और जस्टिस ए.एम. सप्रे की खंडपीठों द्वारा की जाएगी।

### सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सामाजिक न्याय, चुनाव, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अदालत की अवमानना से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
- न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी सेवानिवृत्त होने वाले है। हालाँकि उन्हें श्रम कानूनों, अप्रत्यक्ष करों, पर्सनल लॉ और कंपनी लॉ से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है।
- न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को सेवा, सामाजिक न्याय, पर्सनल लॉ, भूमि अधिग्रहण, खदान एवं खनिज, उपभोक्ता संरक्षण और सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों से जुड़े मामलों की सुनवाई की ज़िम्मेदारी दी गई है।
- न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की खंडपीठ को पारिस्थितिकीय असंतुलन से जुड़े मामलों, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, पेड़ों की कटाई और भूजल स्तर से जुड़े मामलों की ज़िम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति लोकुर को सेवा, सामाजिक न्याय, पर्सनल लॉ, भूमि अधिग्रहण, खानों, उपभोक्ता संरक्षण और सेना व सशस्त्र बालों से संबंधित मामले भी दिये गए हैं।
- न्यायमूर्ति जोसेफ की खंडपीठ को श्रम कानूनों, किराया कानून, पारिवारिक कानून, अदालत की अवमानना और पर्सनल लॉ के मामले दिये गए हैं। वह धार्मिक एवं परमार्थ दान के अलावा सभी भूमि कानूनों एवं कृषि काश्तकारीयों के मामलों की भी सुनवाई करेंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय के पाँच सदस्यीय कोलेजियम के नए सदस्य न्यायमूर्ति सीकरी की पीठ को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों, चुनाव एवं आपराधिक मामलों, पर्सनल लॉ, अदालत की अवमानना, सामान्य दीवानी मामलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों की ज़िम्मेदारी दी गई है।

### पृष्ठभूमि

विदित हो कि जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, तथा जस्टिस एम.बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के आवंटन संबंधी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद एक फरवरी को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोस्टर जारी किया गया।

# यूजीसी की जगह लेगा एचईसीआई

## संदर्भ

सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम लगाने के लिये यूजीसी अधिनियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के तहत यूजीसी को समाप्त कर उसके स्थान पर HECI (Higher Education Commission of India) को लाने का प्रस्ताव किया गया है।

## प्रमुख बिंदु

- हायर एजुकेशन कमीशन एकल नियामक संस्था होगी जो केंद्रीय, निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिये सभी प्रकार के नियम तय करेगी। अब तक यह काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किये जाते थे।
- मंत्रालय केवल वित्तीय कामकाज संभालेगा, जिसके तहत विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान देना, स्कॉलरशिप राशि आदि का भुगतान करना भी शामिल रहेगा।
- आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शुल्क के निर्धारण हेतु मानदंडों और प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करेगा और सभी के लिये शिक्षा को सुलभ बनाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों के बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को सलाह दे सकता है।
- नए अधिनियम का नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट-2018 होगा।
- अन्य नियामक संस्थाओं, मुख्य रूप से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (All India Council for Technical Education-AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education-NCTE) के प्रमुखों को सम्मिलित करने से आयोग और मज़बूत होगा।
- इस अधिनियम के लागू होते ही 61 साल पुराने यूजीसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
- उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिये पहली बार HECI एक्ट 2018 में जुर्माने के साथ सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर सीपीसी के तहत तीन साल या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है।
- आवश्यक अकादमिक मानकों को बनाए रखने में विफल पाए गए संस्थानों के परामर्श के लिये एक यह रोडमैप प्रदान करेगा।
- आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिये भी प्रोत्साहित करेगा कि वे शिक्षा, शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करें।
- आयोग एक राष्ट्रीय डेटा बेस के माध्यम से आयोग ज्ञान के नये उभरते क्षेत्रों में हो रहे विकास और सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों के संतुलित विकास विशेषकर के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करेगा।

## हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (HECI) की संरचना

- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कार्यकारी सदस्य, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और उद्योग जगत का एक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होगा।
- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें नेतृत्व क्षमता, संस्थानों का विकास करने की प्रमाणित योग्यता और उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं कार्यों की गहरी समझ होगी।
- इसके साथ ही आयोग का एक सचिव भी होगा, जो सदस्य सचिव के रुप में काम करेगा। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- देश में मानकों के निर्धारण और उनमें समन्वय के लिये आयोग को सलाह देने के लिये एक सलाह समिति होगी। इसमें राज्यों की उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की जाएगी।

## शक्तियाँ

- यह आयोग फर्ज़ी एवं मानकों पर खरा न उतरने वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है।
- नए नियामक संस्थान को शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने का अधिकार होगा।
- आदेश नहीं मानने वाले के खिलाफ जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान है। वर्तमान में यूजीसी अपनी वेबसाइट पर फर्ज़ी संस्थानों की केवल सूची प्रकाशित करती है।

नोट :

### प्रमुख कार्य

- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना
- शैक्षिक मानकों को बनाए रखना
- शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिये मानक तय करना
- शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में असफल संस्थानों की निगरानी करना

### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूरू में हैं।

---

## चौथी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक और उपभोक्ता की सुरक्षा : परिणाम और कार्य-नीति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मंत्रियों की चौथी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपभोक्ता सशक्तीकरण, संरक्षण और कल्याण के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य की अधिक प्रभावी, कुशल एवं लक्षित आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

- इस अवसर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से केंद्र के साथ मिलकर काम करने हेतु आग्रह किया गया ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा जा सके।

### राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में शामिल प्रमुख बिंदु

- प्राय: आवश्यक वस्तुओं की कीमतें (कुछेक में मौसमी/अल्पकालिक वृद्धि को छोड़कर) सापेक्ष रूप से स्थिर रहती हैं। इनकी नियमित रूप से निगरानी किये जाने की आवश्यकता है, इसका एक कारण यह है कि जुलाई से नवंबर के बीच शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष स्कीम को शुरू कर सकती हैं।
- 01 जनवरी, 2018 से विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) (संशोधन) नियमावली, 2017 को कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि मात्रात्मक आश्वासन में सुधार करते हुए उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण किया जा सके।
- इस नियमावली के अंतर्गत ई-कॉमर्स मंच पर विधिक माप विज्ञान नियमों के तहत घोषणाएँ करने, घोषणाओं में दिये गए शब्दों एवं अंकों के आकार को बड़ा करने, कोई भी व्यक्ति द्वारा समरूप पूर्व पैकबंद वस्तु पर अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य (दोहरा एम.आर.पी.) घोषित करने आदि का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार 12 अक्तूबर, 2017 को लागू नए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के माध्यम से उत्पाद के गुणवत्ता आश्वासन में काफी सुधार दर्ज किया गया है। इस नए अधिनियम के अंतर्गत बाज़ार सर्वेक्षण, जागरूकता का सृजन, सुरक्षा तथा वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि, निगरानी एवं प्रबंधन की सुविधा जैसे उपाय किये गए हैं।
- नए अधिनियम में मूल्यवान धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने संबंधी अनुमोदित प्रावधान को भी शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के कल्याण और संरक्षण पर केंद्रित विभिन्न अधिनियमों, कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक समन्वित और समेकित प्रशासनिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिये। इस आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए तीसरी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में देश के प्रत्येक राज्य में एक अलग उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग के सृजन का निर्णय लिया गया था।

- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ज़िला मंचों के साथ एक त्रि-स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र की भी स्थापना की गई है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों के ज़रिये वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं लक्षित बनाया गया है। साथ ही सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।
- जहाँ तक बात है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तो यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि इस अधिनियम के अंतर्गत तीन वर्ष बाद निर्गम मूल्यों में संशोधन करने का प्रावधान है, तथापि सरकार ने जून 2019 तक इन मूल्यों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। अर्थात् मोटे अनाज/गेहूं/चावल के लिये मूल्य क्रमशः 1/2/3 रुपए प्रति किलोग्राम बना रहेगा, इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। लाभार्थियों के प्रमाणन और लेन-देन की इलेक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग के लिये करीब 60% उचित दर की दुकानों में ई-पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की स्थापना भी की गई है।
- इसके अतिरिक्त जिन-जिन क्षेत्रों में यह कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहाँ तय समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खादयान्नों का समय से उठान सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया, ताकि खादयान्नों के मासिक वितरण में कोई विलम्ब न हो।

### उपभोक्ता सशक्तीकरण: केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

- सम्मेलन के अंतर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करना भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि सभी के द्वारा समन्वित रूप से कार्रवाई की जाए।

### अगले वर्ष की कार्य-योजना

इसके अलावा राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में अगले वर्ष के लिये निम्नलिखित कार्य-योजना को अपनाने पर भी सहमति व्यक्त की गई-

- राज्य के सभी मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा सप्ताह के सातों दिन और आँकड़ों के संग्रहण के लिये निर्धारित किये गए तरीके के अनुसार ये मूल्य आँकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिये। जिन राज्यों में केन्द्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, वहाँ अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है।
- भारत सरकार द्वारा प्रभावी बाज़ार उपायों को ध्यान में रखते हुए 20 लाख मीट्रिक टन तक दालों के बफर स्टॉक का सृजन किया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मिड-डे-मील, आंगनबाड़ी स्कीम, अस्पतालों, छात्रावासों जैसी स्कीमों सहित विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के लिये आवश्यकतानुसार इस स्टॉक का उपयोग किया जा सकता है।
- समरूप वस्तुओं में प्रभावी बाज़ार उपायों के लिये राज्यों द्वारा राज्स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जा सकती है। राज्य मूल्य स्थिरीकरण कोष में भारत सरकार का अंशदान, मूल्य स्थिरीकरण कोष के संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा।
- राज्य सरकारों द्वारा समरूप पूर्व-पैकबंद वस्तुओं पर दोहरी एम.आर.पी. की घोषणा पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिये।
- राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ई-कॉमर्स की सभी संस्थाएँ विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) नियमावली के अनुसार ही अनिवार्य घोषणाएँ करें।
- राज्य सरकारें, राज्य और ज़िला उपभोक्ता मंचों के लिये नियुक्ति, सेवाकाल आदि के संबंध में मॉडल नियम का कार्यान्वयन कर सकती है जिसका अनुमोदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है।
- राज्य सरकारों को उपभोक्ता मंचों के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों की रिक्तियों को भरने, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने, राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना करने की दिशा में प्रभावी कार्य करना चाहिये।
- राज्य सरकारें, नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं और प्रत्यक्ष बिक्री दिशा-निर्देश, 2016 के तहत तंत्र की मॉनिटरिंग के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकती हैं।

नोट :

# नीति आयोग ने ज़ारी की आकांक्षी ज़िलों की पहली डेल्टा रैंकिंग

## चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने 31 मार्च, 2018 से 31 मई, 2018 के बीच ज़िलों के स्व-रिपोर्ट किये गए आँकड़ों (self-reported data) के आधार पर आकांक्षी ज़िलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है. इस कार्य के लिये पाँच विकासात्मक क्षेत्रों -वृद्धिशील प्रगति के लिये स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा; कृषि और जल संसाधन; वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना को आधार माना गया है।

### उद्देश्य

- इस रैंकिंग का उद्देश्य ज़िलों में गतिशील टीमों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा करना है।
- चूँकि इन ज़िलों को विरासत (legacy), अप्रयुक्त या कमज़ोर संसाधन आधार (unexploited or weak resource base), कठोर जीवन परिस्थितियों आदि के कारण विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिये इस रैंकिंग को विभिन्न क्षेत्रों और सूचक विशिष्ट चुनौतियों (indicator specific challenges) की पहचान करने के एक प्रभावकारी साधन के रूप में भी देखा जा सकता है।

### चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड में दर्ज किये गए आँकड़े

- आँकड़ों को दर्ज करने का काम 1 अप्रैल, 2018 से चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (Champions of Change Dashboard) के तहत शुरू किया गया। कुल 112 में से 108 ज़िलों ने इस रैंकिंग में भाग लिया। शेष चार ज़िलों की डेटा प्रविष्टि अभी प्रगति पर है, इसलिये वे इस रैंकिंग का हिस्सा नहीं हैं।
- इसके अतिरिक्त कुछ आँकड़ों को केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त किया गया हैं उदाहरण के लिये - वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत बुनियादी ढाँचे के तीन संकेतक (घरेलू विद्युत कनेक्शन, घरेलू शौचालय और ग्रामीण पेयजल)। हालाँकि, अधिकांश डेटा बिंदुओं को स्वयं विभिन्न ज़िलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

### रैंकिंग के अनुसार

- गुजरात के दाहौद ज़िले ने 19.8 अंकों का सुधार करते हुए डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। (यह बेसलाइन रैंकिंग में 17वें स्थान पर था)।
- सिक्किम का पश्चिम सिक्किम ज़िला 18.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो बेसलाइन रैंकिंग में 30वें स्थान पर था।
- छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले ने 14.7 अंकों का सुधार कर डेल्टा रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि बेसलाइन रैंकिंग में यह 45वें स्थान पर था।
- तेलंगाना का आसिफाबाद ज़िला इस साल मार्च में जारी बेसलाइन रैंकिंग में 100वें स्थान पर था, पिछले दो महीनों में इसने महत्त्वपूर्ण सुधार करते हुए डेल्टा रैंकिंग में 15वाँ स्थान हासिल किया है।

## रैंकिंग के सूचक

### क्या हैं इस डेल्टा रैंकिंग के लाभ ?

- डेल्टा रैंकिंग एक कदम और आगे बढ़ते हुए सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के विशिष्ट पहलुओं को देखती है और विश्लेषण करती है कि इन ज़िलों ने पिछले दो महीनों में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन किया है।
- यह रैंकिंग ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों को इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और भविष्य में अपनी रैंकिग में सुधार करने में सहायता करेगी।
- नीति आयोग के ज्ञान भागीदारों – टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (ID Insights) द्वारा 13 सर्वेक्षण संकेतकों पर डेटा उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है और उन्होंने 29 डेटा प्वाइंट्स के लिये मान वैध किये हैं। अगली रैंकिंग इन इनपुटों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी।

नोट :

## 'आकांक्षी ज़िलों का परिवर्तन' कार्यक्रम

- जनवरी 2018 में शुरू किये गए कार्यक्रम 'आकांक्षी ज़िलों का परिवर्तन' (Transformation of Aspirational Districts) का उद्देश्य देश के कुछ सबसे अधिक पिछड़े ज़िलों में तेज़ी से और प्रभावी परिवर्तन लाना है।
- कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं), सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी और ज़िलाधिकारी) और जन आंदोलन द्वारा संचालित ज़िलों के बीच प्रतिस्पर्द्धा है।
- इस कार्यक्रम के तहत राज्य मुख्य वाहक के रूप में हैं और यह कार्यक्रम प्रत्येक ज़िले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा, तत्काल सुधार के लिये बेहतर परिणाम देने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा, प्रगति को मापेगा और ज़िलों की रैंकिंग करेगा।
- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा मूलभूत बुनियादी ढाँचा आदि इस कार्यक्रम के तहत विशेष ध्यान दिये जाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं।
- विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद ज़िलों की प्रगति को मापने के लिये 49 प्रमुख निष्पादन संकेतक चुने गए हैं।
- ज़िलों को अपने राज्य में सबसे अच्छे ज़िले के समान स्थिति में पहुँचने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में प्रतिसपर्द्धी तथा सहकारी संघवाद की भावना से दूसरों से प्रतिस्पर्द्धा करके और दूसरों से सीखकर देश के सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिये प्रेरित किया जाता है।

# ओडिशा द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर

## संदर्भ

हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य में आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) को बढ़ावा देने के लिये थाईलैंड स्थित रीज़नल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System-RIMES) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये हैं। यह सहयोगपूर्ण प्रयास बाढ़, सूखा, हीट वेव, बिजली और सड़क दुर्घटनाओं जैसे सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करेगा।

## सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से प्राप्त मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी का उपयोग करते हुए ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक डोमेन डेटा सेट तैयार करने के प्रयास किये जाएंगे।
- समझौता ज्ञापन OSDMA के संचालन में जोखिम आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली "क्या मौसम करेगा" से "क्या मौसम होगा" में परिवर्तित हो सकता है।
- समझौता ज्ञापन राज्य को ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) के साथ 48 RIMES सदस्य देशों सहित नई पीढ़ी के डिजिटल एल्गोरिदम (algorithm) आधारित प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने में मदद करेगा।

## शुरुआत में 5 साल के लिये

- प्रारंभ में यह समझौता पाँच साल के लिये लागू होगा जिसपर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- राज्य सरकार ने किसानों के सशक्तीकरण के लिये तीन अन्य एमओयू पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
- किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य के साथ किये गए इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अगले तीन वर्ष के दौरान नौ ज़िलों में दो लाख छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करना है।

## नई तकनीकें

- राज्य सरकार ने सभी ज़िलों में स्थित ग्रामीण संस्थानों और स्थानीय संघों के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों और जल निकायों को बहाल करने का भी प्रयास किया है।

नोट :

- एक अन्य समझौता ज्ञापन किसानों को कठिन श्रम से निजात दिलाने के लिये नई प्रौद्योगिकियों के नवोन्मेष का इरादा रखता है।
- उम्मीद है कि ये सभी कार्यक्रम पारिस्थितिक रूप से बेहतर कृषि प्रथाओं और जल प्रबंधन को बढ़ावा देंगे, उत्पादन की लागत को कम करेंगे, उत्पादकता में वृद्धि और मूल्य प्राप्ति को बढ़ावा देंगे तथा ज़मीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देंगे।
- RIMES और OSDMA सहयोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क में व्यक्त किये गए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की उपलब्धता और पहुँच को बढ़ाने हेतु लक्षित वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा।

## RIMES के बारे में

- आरआईएमईएस संयुक्त राष्ट्र द्वारा पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-सरकारी संस्थान है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन 48 सदस्यों और सहयोगी राज्यों द्वारा उत्पादन क्षमता निर्माण और उपयोगकर्त्ता द्वारा प्रासंगिक प्रारंभिक चेतावनी सूचना के उपयोग के लिये किया जाता है।

दृष्टि The Vision

# आर्थिक घटनाक्रम

## क्या भारत के कोयला संयंत्रों को दयनीय दशा में छोड़ देना ठीक होगा?

### संदर्भ

अमेरिका आधारित थिंक टैंक क्लाइमेट पालिसी इनिशिएटिव (CPI) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कोयला संयंत्रों का पुन:अभियांत्रिकीकरण किया जाना चाहिये और इन्हें "लचीला" बनाया जाना चाहिये ताकि इनका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अंतराल को भरने के लिये किया जा सके। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी बाधा इसकी अंतर्विरामशीलता (intermittency) है क्योंकि पवन टरबाइन केवल तेज़ हवा के दौरान लाइनों के माध्यम से बिजली भेज सकती है और एक सौर मॉड्यूल विद्युत तभी उत्पन्न कर सकता है जब सूर्य चमक रहा हो।

### भारतीय कोयला संयंत्रों की दयनीय स्थिति

- पवन और सौर संयंत्रों से कम लागत वाली बिजली के उत्पादन और भारत की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की दयनीय स्थिति के कारण विद्युत उत्पादन में इसके तीसरे स्थान पर पहुँचने की संभावना है।
- चूँकि भारत में 197,171 मेगावाट की कोयले से उत्पादित विद्युत क्षमता है जिसमें से एक-तिहाई (65,723 मेगावाट) ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है किंतु बड़ा सवाल यह है कि इसे किस प्रकार उपयोग में लाया जाए।
- 2017 में देश के अधिकांश कोयला संयंत्रों ने औसतन केवल 60 प्रतिशत ही बिजली उत्पादन किया।
- इसके सबसे बड़े कारणों में से एक यह था कि पवन और सौर संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत सस्ते दर पर उपलब्ध थी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोयला संयंत्रों की क्षमता का उपयोग 52 प्रतिशत से नीचे रहता है, जैसा कि नवीनीकरण ऊर्जा के उदय से संभावित है, तो कोयला आधारित संयंत्रों के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
- प्रदूषण की अधिरोपित लागत को कम किये बिना भी स्वच्छ ऊर्जा के सामने प्रदूषित कोयला अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है।
- हालाँकि इस हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला संयंत्रों के लिये सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, ज़रूरत है इनके पुन: अभियांत्रिकीकरण की और लचीला बनाए जाने की।
- भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने पिछले साल कहा था कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के एक बड़े हिस्से को हटा देने से रोज़गार और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा।

क्या किये जाने की ज़रूरत है?

### लचीला कोयला (Flexible coal)

- कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी लचीले कोयले की वकालत कर रही है। तकनीकी रूप से यह संभव हो सकता है।
- उदाहरण के लिये जर्मनी के मुरबर्ग में दो संयंत्रों, प्रत्येक में 800 मेगावाट, (प्रत्येक सीपीआई रिपोर्ट में उद्धृत) को लचीले संयंत्रों के रूप में संचालित करने के लिये परिवर्तित कर दिया गया है जो अपनी क्षमता से यदि 40 प्रतिशत से कम पर भी संचालित हों तो भी वे व्यवसाय में बने रह सकते हैं।
- CPI के अध्ययन के अनुसार, भारतीय कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के मुद्दे पर निवेश, लागत और नियामक परिवर्तन जैसे पहलुओं पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि "लचीला कोयला" पर विचार करना व्यावहारिक और विवेकपूर्ण है।
- सबसे पहले, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े हिस्से का एकीकरण बिजली के स्रोत के निर्माण के लिये किया जाना चाहिये जिसे स्वच्छ बिजली उत्पादन में अंतराल को भरने के लिये कम समय में स्विच-ऑन और स्विच-ऑफ किया जा सकता है।

नोट :

- CPI रिपोर्ट के अनुसार बैटरी या पंप स्टोरेज पर निवेश लागत मौजूदा कोयला संयंत्रों को लचीला बनाने के लिये आवश्यक निवेश से कहीं अधिक है।
- नीति आयोग के मुताबिक बैटरी और पंप स्टोरेज लागत प्रति मेगावाट (MW) क्षमता क्रमश: 14 करोड़ और 11.4 करोड़ रुपए है।
- CPI के अनुमानों के अनुसार, संयंत्र की श्रेष्ठता और आवश्यक लचीलापन परिमाण के आधार पर कोयला संयंत्र बनाने पर लचीलापन लागत एक मेगावाट पर 70 लाख से 2.3 करोड़ रुपए के बीच होगी।

### लागत वसूली (Cost recovery)

- CPI रिपोर्ट यह मानती है कि मौजूदा कोयला संयंत्रों को लचीले संयंत्रों में बदलना बहुत सरल काम नहीं है क्योंकि उन्नयन के लिये आवश्यक निवेश, लचीलापन के लिये विशिष्ट पर्यावरण नीति, प्रोत्साहन तंत्र और जनशक्ति कौशल की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में देश में कोयला संयंत्र लंबे समय से बिजली खरीद समझौतों पर काम करते हैं। बिजली के लिये जो कीमत मिलती है वह निश्चित और परिवर्तनीय लागत हेतु क्षतिपूर्ति के लिये एक घटक का योग होता है।
- अत: एक लचीला कोयला संयंत्र के लिये अनुबंधों को फिर से प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।
- बिजली नियामकों (प्रत्येक राज्य के लिये एक) को संयंत्र-दर-संयंत्र के आधार पर लचीलापन लाने के लिये क्षतिपूर्ति की गणना करना आवश्यक है।

---

## निर्यातकों की मदद के लिये केंद्र की टैक्स रिफंड ड्राइव

### चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ महीनों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड, सरकार और व्यापार जगत दोनों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है। अभी तक सरकार द्वारा जीएसटी रिफंड के रूप में 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि को मंज़ूरी दी जा चुकी है। इस राशि के अंतर्गत आईजीएसटी के 16,000 करोड़ रुपए और आईटीसी के 14,000 करोड़ रुपए को भी शामिल किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आईटीसी के आँकड़ों में केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा दी गई मंज़ूरियों को शामिल किया गया है।

- इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार के पास 14,000 करोड़ रुपए के रिफंड के दावे लंबित हैं, जिसमें इनपुट कर क्रेडिट दावों के साथ-साथ आईजीएसटी रिफंड दावों को भी शामिल किया गया है।

### मुख्य बिंदु

- सीबीआईसी (Central Board of Indirect Taxes and Customs -CBIC) ने जून के पहले पखवाड़े में टैक्स रिफंड ड्राइव लॉन्च करने के साथ-साथ निर्यातकों द्वारा दायर रिटर्न में विसंगतियाँ होने के कारण उनके रिफंड दावों को तेजी से निपटाने के निर्देश जारी किये हैं।
- यह कदम नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को व्यवस्थित करने और निर्यातकों के नकद धनराशि प्राप्त करने में सुविधा के लिये लाया गया है।
- बहुत समय से निर्यातकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि रिफंड में होने वाली देरी के कारण उनके बीच न केवल प्रतिस्पर्द्धा में कमी आई है बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है।
- यही कारण है कि सीबीआईसी द्वारा रिफंड में होने वाली देरी को कम करने की कोशिश की जा रही है लेकिन निर्यातकों द्वारा दायर रिटर्न में व्याप्त विसंगतियाँ इस राह में एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
- ऐसे में रिफंड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में बदलाव होने और 31 मई से 14 जून तक रिफंड ड्राइव होने से इस समस्या का समाधान निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
- निर्यातकों द्वारा सरकार के इस कदम का स्वागत किया गया है। एफआईईओ (Federation of Indian Exports Organisations - FIEO) के अनुसार, यह कदम विशेष रूप से उन निर्यातकों की मदद करेगा, जिनका वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न में विसंगतियों होने की वज़ह से रिफंड नहीं हो पा रहा था।

नोट :

- 28 मई को सीबीआईसी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी किये गए एक परिपत्र में विभिन्न परिदृश्यों के तहत, निर्यातकों के रिफंड संबंधी दावों को आगे बढ़ाने के लिये निम्नलिखित प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया है-
- सीमा शुल्क, केंद्र एवं राज्य जीएसटी पदाधिकारियों को 30 अप्रैल, 2018 को एवं उससे पहले प्राप्त समस्त जीएसटी रिफंड आवेदनों को निपटाने को कहा गया है।
- इसमें निर्यात पर अदा किये गए आईजीएसटी के रिफंड, अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड और 'फॉर्म जीएसटी आरएफडी–01ए' में जमा किये गए सभी अन्य जीएसटी के रिफंड को शामिल किया गया है।
- इस परिपत्र में यह निहित किया गया है कि निर्यातकों ने अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अनजाने में निर्यात पर भुगतान किये गए आईजीएसटी (integrated GST - IGST) को अंतर्राज्यीय घरेलू आपूर्ति (interstate domestic supplies) पर भुगतान किये गए आईजीएसटी के रूप में घोषित कर दिया है।
- कुछ निर्यातकों ने अपने सेल्स रिटर्न में घोषित देयता के खिलाफ कम करों का भुगतान किया है। इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप अभी तक रिफंड को संसाधित नहीं किया जा सका है।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नए तंत्र को स्थापित किया गया है लेकिन कुछ और मुद्दे रिफंड प्रक्रिया को निर्बाध बनाने में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड का दावा करने के लिये सॉफ़्टवेयर को संशोधित करने की आवश्यकता है, जिस पर काम किया जा रहा है।
- सभी जीएसटी रिफंड दावेदारों से कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2018 को अथवा उससे पहले जमा किये गए अपने किसी भी रिफंड दावे के निपटान के लिये वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण में जाएँ।
- यदि किसी विशेष दावेदारी के लिये क्षेत्राधिकार (अर्थात् केन्द्र अथवा राज्य) को परिभाषित नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में वह इनमें से किसी भी क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण के यहाँ जा सकता/सकती है।
- सभी आईजीएसटी रिफंड दावेदार अपने रिफंड की ताज़ा स्थिति से अवगत होने के लिये आइसगेट वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- सीमा शुल्क से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्यातकों की ओर से व्यापक कदम उठाए जाने को ध्यान में रखते हुए अपने अतिरिक्त श्रमबल और बुनियादी ढाँचागत संसाधनों को इस कार्य में लगा दें।

## भूमि अधिग्रहण पर टकराव के रास्ते पर गुजरात के किसान

### चर्चा में क्यों ?

गुजरात के भावनगर जिले के किसानों और राज्य सरकार द्वारा संचालित गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GPCL) के मध्य भूमि अधिग्रहण संबंधी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जिले के घोघा तालुका के एक दर्जन से अधिक गाँव के किसान जीपीसीएल द्वारा लिग्नाइट के खनन हेतु उनकी जमीन के अधिग्रहण के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस लिग्नाइट का प्रयोग जीपीसीएल के 500 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिये ईंधन के रूप में किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- यह आंदोलन दिसंबर 2017 में शुरू हुआ था और अभी तक यह कमोबेश एक शांत आंदोलन ही था। लेकिन हाल ही में तमिलनाडु में हुए स्टरलाइट संबंधी आंदोलन से प्रेरणा लेकर इस आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली।
- गौरतलब है कि तमिलनाडु में हुए इस हालिया आंदोलन के हिंसात्मक स्वरूप धारण करने के कारण 13 लोगों की जान चली गई। हालाँकि, इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने संयंत्र को बंद करने का आदेश दे दिया है।
- जिले के किसानों का कहना है कि वे हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते। उनका मकसद केवल सरकार और कंपनी को अपना पक्ष सुनाना तथा मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकालना है। लेकिन, सरकार उन्हें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और रैली निकालने की इजाजत भी नहीं दे रही है। इस कारण उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है।

नोट :

- इन गाँव के लगभग लगभग 50 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
- कंपनी ने 1993-94 में यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने और लिग्नाइट खनन करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया था। जिस पर अब उसने कब्ज़ा (possession) करना शुरू कर दिया है।
- किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार, यदि अधिग्रहित जमीन पर पाँच साल के अंदर कब्ज़ा नहीं किया जाता है, तो इसे जमीन के मालिकों को वापस करना होगा और अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।
- किसानों का कहना है कि जमीन का उपयोग खेती के लिये किया जा रहा है और इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अत: सरकार को उनकी मांग के अनुसार मुआवजा प्रदान करना होगा, क्योंकि यह किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।
- ऐसे में सरकार को बड़ी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ, परियोजना की लागत ₹3,500 करोड़ से बढ़कर ₹5,000 करोड़ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लिग्नाइट की आपूर्ति न हो पाने और संयंत्र के कमीशन में देरी के कारण प्रतिदिन ₹ 4 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- दूसरी तरफ, उसे उच्च मुआवजे के बारे में विचार न करने के कारण किसानों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा रहा है।
- वहीं, कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को पहले ही प्रचलित दरों से 3-4 गुना अधिक भुगतान किया जा चुका है। साथ ही, 1997-2005 के दौरान एक पुनर्वास पैकेज भी प्रदान किया जा चुका है। अत: किसानों का जो भी बकाया था, उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
- हालाँकि, इस संदर्भ में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की व्याख्या पर कोर्ट का फैसला आना शेष है।

## जीडीपी का अनंतिम अनुमान : भारत तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बना रहेगा

### चर्चा में क्यों ?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office -CSO) ने वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिये सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product - GDP) के अनुमान जारी किये। इसके साथ-साथ वित्त वर्ष 2017-18 के लिये राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (Provisional estimates - PE) भी जारी किये गए हैं।

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी चालू वित्त वर्ष के लिये भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अपने अनुमान जारी किये। इन अनुमानों में जीडीपी दर को 7.5 से घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया गया है।
- मुड़ीज़ के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार हो रहा है लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें और मुश्किल वित्तीय हालात सुधार की रफ्तार को धीमा करेंगी।

### चौथी तिमाही 2017-18 के संबंध में अनुमान

- वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत आँकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की प्रथम तीन तिमाहियों यथा पहली, दूसरी और तीसरी में जीडीपी वृद्धि दर क्रमश: 5.6, 6.3 तथा 7.0 प्रतिशत रही थी।
- जीडीपी वृद्धि दर के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन में कृषि (4.5 प्रतिशत), विनिर्माण (9.1 प्रतिशत) और निर्माण (11.5 प्रतिशत) क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है।
- क्षेत्रवार स्तर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिये स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीवीए (Gross Value Added) वृद्धि दर क्रमश: 4.5, 8.8 और 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
- पूंजीगत सामान की 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर की बदौलत स्थिर मूल्यों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वृद्धि दर चौथी तिमाही में बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गई, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाहियों में यह वृद्धि दर क्रमश: 0.8, 6.1 तथा 9.1 प्रतिशत थी।

2017-18 के लिये जीडीपी के अनंतिम अनुमान

- राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिये स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

- वित्त वर्ष 2017-18 में क्षेत्रवार स्तर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिये स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीवीए वृद्धि दर क्रमश: 3.4, 5.5 और 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

## 2017-18 के लिये वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने स्थिर (2011-12) और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिये राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान जारी किये हैं।

- स्थिर (2011-12) और वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2017-18 के साथ-साथ वित्त वर्ष 2017-18 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दरों का उल्लेख निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से किया गया है:

| जीडीपी वृद्धि दरें | | |
|---|---|---|
| | स्थिर मूल्य (2011-12) | वर्तमान मूल्य |
| वार्षिक 2017-18 | 6.7 | 10.0 |
| पहली तिमाही, 2017-18 (अप्रैल-जून) | 5.6 | 8.3 |
| दूसरी तिमाही, 2017-18 (जुलाई-सितंबर) | 6.3 | 9.5 |
| तीसरी तिमाही, 2017-18 (अक्तूबर-दिसंबर) | 7.0 | 11.0 |
| चौथी तिमाही, 2017-18 (जनवरी-मार्च) | 7.7 | 10.9 |

- वर्ष 2017-18 के लिये राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान 28 फरवरी, 2018 को जारी किये गए थे।
- कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीनतम अनुमानों और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- रेलवे, परिवहन (रेलवे को छोड़कर), संचार, बैंकिंग तथा बीमा के प्रदर्शन और सरकारी व्यय को शामिल करते हुए इन अनुमानों को अब संशोधित करके प्रस्तुत किया गया है।

## स्थिर (2011-12) मूल्यों पर अनुमान

### सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

- वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़कर 130.11 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2016-17 के लिये प्रथम संशोधित अनुमानों में यह 121.96 लाख करोड़ रुपए आँका गया था। यह 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

### बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added (GVA) at Basic Prices)

- वर्ष 2017-18 में बुनियादी स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वास्तविक जीवीए अर्थात जीवीए के बढ़कर 119.76 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2016-17 के प्रथम संशोधित अनुमानों में 112.48 लाख करोड़ रुपए था। यह 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- जिन क्षेत्रों ने 7.0 फीसदी से ज़्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ (10.0 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाएँ (8.0 प्रतिशत) और विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ (7.2 प्रतिशत) शामिल हैं।
- कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण और वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाओं की वृद्धि दर क्रमश: 3.4, 2.9, 5.7, 5.7 और 6.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

### सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income - GNI)

- वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 128.64 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह अनुमानित राशि 120.52 लाख करोड़ रुपए थी।

- वृद्धि दरों की दृष्टि से वर्ष 2017-18 के दौरान सकल राष्ट्रीय आय में 6.7 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि दर 7.1 फीसदी थी।

### प्रति व्यक्ति आय

- वर्ष 2017-18 के दौरान सही अर्थों में (2011-12 के मूल्यों पर) प्रति व्यक्ति आय के बढ़कर 86,668 रुपये के स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है, जो वर्ष 2016-17 में 82229 रुपए थी।
- वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 5.7 फीसदी थी।

## वर्तमान मूल्यों पर अनुमान

### सकल घरेलू उत्पाद

- वर्ष 2017-18 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के बढ़कर 167.73 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 में 152.54 लाख करोड़ रुपअ आँकी गई थी। यह 10.0 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाती है।
- वर्तमान मूल्यों पर जिन क्षेत्रों (सेक्टर) ने 9 फीसदी एवं उससे ज़्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें खनन एवं उत्खनन, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएँ, वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाएँ और लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ शामिल हैं।

### राष्ट्रीय आय

- वर्ष 2017-18 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 165.87 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 में 150.77 लाख करोड़ रुपए थी। यह 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

### प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय

- वर्ष 2017-18 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के बढ़कर 112835 रुपए के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 में अनुमानित 103870 रुपए थी। यह 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

### चौथी तिमाही के जीडीपी अनुमान विकास की तेज गति का प्रतिबिंब है : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय के अनुसार, 2017-18 के लिये वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2018) के अनुमान इस तथ्य को प्रतिबिंबित करते हैं कि देश में विकास की तेज़ गति अभी भी जारी है।
- श्री देबरॉय के अनुसार, अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (सेक्टर) में निरंतर तेज़ गति से विकास जारी है।
- साहसिक ढाँचागत सुधारों को लागू करने की दिशा में सरकार द्वारा निरंतर प्रयास जारी रखने की बदौलत ही जीडीपी वृद्धि दर के आँकड़े बेहतर हो पाए हैं।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता लागू करने, बैंकों को नई पूंजी उपलब्ध कराने, शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण, पुरातन कानूनों को निरस्त करने, कारोबार में और ज़्यादा सुगमता सुनिश्चित करने जैसे कदमों ने विकास की तेज़ गति में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

# निजी क्षेत्र में उधार देने के लिये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की योजना

## चर्चा में क्यों?

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), अंतत: निजी क्षेत्र को ऋण के रूप में अपनी परियोजना पोर्टफोलियो का 30 प्रतिशत भाग देना चाहता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यह फैसला निजी क्षेत्र द्वारा ऋण की बढ़ती मांग को देखते हुए किया है।

नोट :

### क्या है ब्रिक्स का फैसला

- बैंक द्वारा अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में सरकारी तथा गैर-सरकारी ऋण के बीच विभाजनों को लक्षित करने के दौरान विशेष रूप से ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका तथा रूस में निजी क्षेत्र के ऋण की अत्यधिक मांग पाई गई। इस मांग को देखते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यह फैसला किया है।
- हाल ही में शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने छह नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
- बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में से 5.1 बिलियन डॉलर से अधिक राशि 21 परियोजनाओं के लिये आवंटित की गई है।
- बैंक द्वारा स्वीकृत किये गए ऋणों में से दो गैर-सरकारी ऋण थे, जिन्हें सरकारी गारंटी के बिना कंपनियों को जारी किया जाता है।

### पूर्व में बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

- बैंक की पहली गैर-सरकारी परियोजना, ब्राज़ील के पेट्रोब्रास को पर्यावरणीय संरक्षण योजना के लिये 200 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की थी।
- दूसरी परियोजना के अंतर्गत डरबन में बंदरगाह का पुनर्निर्माण करने के लिये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसनेट को 200 मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराना शामिल था।

### न्यू डेवलपमेंट बैंक

- यह ब्रिक्स (BRICS) देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- इसे अमेरिकी वर्चस्व वाले मौजूदा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, की स्थापना इन पाँच देशों में वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिये की गई है।
- इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है।
- विश्व बैंक के विपरीत, जो पूंजीगत हिस्से के आधार पर वोटों को प्रदान करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित है और किसी भी देश के पास वीटो शक्ति नहीं है।
- NDB को ब्रिक्स अर्थात् ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की पहली बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है

### ब्रिक्स क्या है?

- तेज़ी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था वाले पाँच देशों के समूह का नाम है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं।
- ये सभी देश जी-20 का भी हिस्सा हैं, जो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और सरकारों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- ब्रिक्स के पाँच सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है।
- इन पाँच देशों की संयुक्त जीडीपी लगभग 16.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 22 प्रतिशत है।

## हरित नौकरियों के लिये हरित कौशल का महत्त्व

### संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु संरक्षण के प्रयासों को नौकरियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कदम करार दिया था। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) ने वैश्विक रोजगार बाजार पर जारी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि पेरिस समझौते के 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने से 2030 तक दुनिया भर में 18 मिलियन नौकरियों की शुद्ध वृद्धि होगी।

## प्रमुख बिंदु

- 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2018-ग्रीनिंग विद जॉब्स' रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारत के 2022 तक नवीकरणीय संसाधनों से 175 GW विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में 300,000 से अधिक लोगों को नियोजित किया जाएगा। हालाँकि, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हरित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करने की आवश्यकता होगी।
- भारत सौर, पवन और बायोमास के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है।
- हालाँकि, मौजूदा कौशल विसंगति न केवल भविष्य की संवृद्धि में बाधक बन सकती है, बल्कि गरीबों को इस संवृद्धि से बाहर भी कर सकती है।
- इस हरित कौशल संबंधी अंतराल को समाप्त करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ताकि मजबूत पर्यावरणीय कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सके।
- प्रारंभिक कदम के रूप में आवश्यक कौशल की पहचान करनी होगी। हरित नौकरियों को दो प्रकार से सृजित किया जा सकता है। प्रथम, कार्बन-आधारित उत्पादन वाले उद्योगों में नौकरियों की संख्या में गिरावट लाना। दूसरा, कामगारों के कौशल में परिवर्तन से श्रमिकों को कृषि एवं अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में काम करने का कौशल प्रदान किया जा सकता है।
- पहले वाले तरीके में सामाजिक-आर्थिक व्यवधान का प्रबंधन और दूसरे वाले तरीके में उद्योग की मांग के साथ समन्वय स्थापित करने के लिये मात्रात्मक और गुणात्मक रोजगार आँकड़ों की आवश्यकता होगी।
- उदाहरणस्वरूप, दक्षिण अफ्रीका नियमित रूप से उन व्यवसायों की एक सूची प्रकाशित करता है जो उच्च मांग में हैं। इसमें हरित क्षेत्र भी शामिल है।
- फ्राँस में हरित अर्थव्यवस्था में नौकरियों और कौशल आकलन हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय वेधशाला है, जो नियमित रूप से हरित अर्थव्यवस्था (green economy) में रोजगार रुझान का आकलन करती है।
- हालाँकि, भारत में नौकरियों के सृजन हेतु तेज हुई बहसों में विश्वसनीय और सामयिक डाटा के अभाव को रेखांकित किया गया है।
- अगले चरण के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हरित कौशल का समावेशन करना होगा।
- सरकार द्वारा विनियमित टीवीईटी कार्यक्रम (Technical and vocational education and training-Tvet) उद्योग की मांग के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को संरेखित करने में विफल रहे हैं। इस कारण स्नातक लोग अच्छी नौकरियों से वंचित रह जा रहे हैं।
- यह एक दीर्घकालिक समस्या है, जो हरित नौकरियों के मामले में विशेष रूप से हानिकारक है। क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
- सरकार की यह विफलता लगभग निश्चित थी, क्योंकि वर्तमान में लगभग 17 मंत्रालय शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास में लगे हुए हैं।
- उदाहरणस्वरूप, 2015 में लॉन्च किया गया 'स्किल इंडिया मिशन' पटरी से उतर चुका है, क्योंकि यह खराब प्रबंधन और योग्य प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में एक ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी) लॉन्च किया किया, जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में पर्यावरण और वन क्षेत्रों में 550,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है। यदि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो अतीत की विफलताओं से सीख लेनी होंगी।
- उन सीखों में से एक सीख निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के महत्त्व को पहचानने की है।
- फरवरी 2018 तक भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्षमता 65 GW थी, जबकि देश का लक्ष्य 2022 तक 175 GW का उत्पादन करना है। यदि सरकार वास्तव में इस लक्ष्य तक पहुँचना चाहती है, तो उसे हरित ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

नोट :

# वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन, 2018

## चर्चा में क्यों ?

वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन 25 से 28 सितंबर, 2018 को किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन ज़र्मनी के प्रमुख नगर तथा बंदरगाह हैम्बर्ग में किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- पवन उर्जा पर यह पहला वैश्विक आयोजन है।
- पवन उर्जा पर यह सम्मेलन दुनिया भर में पवन उद्योग की सबसे बड़ी और सबसे महत्त्वपूर्ण बैठक है।
- इस चार दिवसीय सम्मेलन के आयोजन में भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन और डेनमार्क समेत लगभग 100 देश भाग लेंगे।
- इस कार्यक्रम में दो अन्य सम्मेलनों, विंड एनर्जी हैम्बर्ग और विंड यूरोप को भी शामिल किया गया है।
- इन दोनों सम्मेलनों को एक साथ आयोजित करने से इसमें दुनिया भर से 1,400 प्रतिभागी और 250 वक्ता उपस्थित होंगे।
- यह कार्यक्रम पवन ऊर्जा उत्पादन के लिये नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने हेतु दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा।

### सम्मेलन के प्रमुख विषय

यह सम्मेलन मुख्यत: तीन प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

1. गतिशील बाज़ार।
2. लागत दक्षता।
3. स्मार्ट ऊर्जा।

इसके अलावा इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी:

- नए बाजारों को कैसे विकसित करें?
- उत्पादों को किस प्रकार प्रतिस्पर्द्धी बनाएँ?
- कैसे सभी ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिये पवन ऊर्जा का उपयोग करें?

### भारत की भूमिका

- इस सम्मेलन में भारत की कई कंपनियाँ भाग ले रही हैं।
- चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद पवन उर्जा का उत्पादन करने वाला भारत चौथा सबसे बड़ा देश है।
- भारत की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 33 GW है।
- सरकार ने 2022 तक 60 GW ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत इस ऊर्जा के लिये एक बड़ा बाज़ार है। और यही कारण है कि बहुत सी कंपनियाँ इस समय भारत पर नज़र रखे हुए हैं।

### क्या है पवन उर्जा ?

- गतिमान वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन उर्जा कहते हैं।
- पवन उर्जा के उत्पादन के लिये हवादार स्थानों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
- इस यांत्रिक उर्जा को जनित्र (Dynamo) की मदद से विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
- इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 में किया गया था।

नोट :

## क्या दालों के उत्पादन के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भरता तक पहुँच गया है?

### संदर्भ

पिछले कुछ समय तक भारत को, खाद्य तेल और दालों के आयातक के रूप में देखा जाता था, जिनका निरंतर और बढ़ती हुई मात्रा में आयात किया जा रहा था। 2010-11 और 2016-17 के बीच खाद्य तेल की आयात कीमत $4.72 बिलियन से बढ़कर $10.89 बिलियन हो गई, जबकि दालों के संदर्भ में यह कीमत $2.25 बिलियन से बढ़कर $4.24 बिलियन हो गई। मार्च 2018 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान खाद्य तेल का आयात मूल्य बढ़कर $11.64 बिलियन हो गया। लेकिन अब दालों के संबंध में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं।

### प्रमुख बिंदु

- इस परिवर्तन का कारण 2017-18 में आयात मूल्य में गिरावट नहीं है, बल्कि इसका कारण घरेलू उत्पादन में हुई वृद्धि है।
- आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में देश के दाल उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दाल उत्पादन बढ़कर लगभग 23-24 मिलियन टन हो गया है।
- यह उत्पादन पिछले दो वर्षों से पूर्व के दो वर्षों (2014-15 और 2015-16) के 16-17 मिलियन टन की तुलना में काफी अधिक है, जबकि देश के कई बड़े दाल उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की परिस्थितियाँ थीं।
- पिछले कुछ समय के 18 मिलियन टन के औसत के सापेक्ष भी देखें तो, उत्पादन में लगभग एक-तिहाई की वृद्धि हुई है जो छोटी मात्रा नहीं है।
- यदि 23-24 मिलियन टन को घरेलू दाल उत्पादन का नया सामान्य स्तर मानें तो इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव होंगे।
- वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिये प्रकाशित किये गए एक हालिया पेपर 'चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न एंड रोल्स ऑफ पल्सेज इन न्यूट्रीशन एंड फ्यूचर डिमांड प्रोजेक्शंस' में भारत में 2030 तक दालों की मांग का अनुमान लगाया गया है।
- इस पेपर में दालों की घरेलू मांग का तीन अलग-अलग आय वृद्धि परिदृश्यों में अनुमान लगाया गया है।
- वर्तमान जीडीपी वृद्धि दर पर मांग 2010 के 18.02 मिलियन टन से बढ़कर 2020 में 21.87 मिलियन टन तक जा सकती है और 2030 तक इसके 26.58 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- यदि जीडीपी वृद्धि दर कम रहती है (मौजूदा दरों से 25% कम), तो मांग 2020 में केवल 21.40 मिलियन टन पर पहुँचेगी और 2030 में इसका स्तर 25.22 मिलियन टन होगा।
- यदि जीडीपी वृद्धि दर अधिक रहती है (वर्तमान दरों से 25% अधिक), तो मांग 2020 में 22.36 मिलियन टन और 2030 में 28.07 मिलियन होगी।
- यहाँ दो बातों पर ध्यान दिया जाना बेहद आवश्यक है। प्रथम, पिछले दो वर्षों में देश में हुए 23-24 मिलियन टन के उत्पादन ने पहले ही इंस्टिट्यूट द्वारा अनुमानित 22.36 मिलियन टन के आँकड़े को पार कर लिया है।
- द्वितीय, यदि अगले दशक में उत्पादन में आगे कोई और बढ़ोतरी नहीं होती है, तो भी देश को 2030 में वार्षिक रूप से 4 मिलियन टन से अधिक का आयात नहीं करना पड़ेगा।
- लेकिन यदि उत्पादन में पिछले दो सालों की तरह बढ़ोतरी होती रहती है, तो भारत आयातक के बजाय, दालों का निर्यातक बन सकता है, जिसकी कुछ समय पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।

## प्रमुख बंदरगाहों के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिये नया कानून तैयार

### चर्चा में क्यों?

जहाज़रानी मंत्रालय ने देश के बंदरगाहों के लिये एक शताब्दी पुराने बहुप्रयोजन वाले कानून को फिर से लिखने के लिये भारतीय बंदरगाह विधेयक 2018 का मसौदा तैयार किया है। भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को फिर से लिखने का कदम इस बात का प्रतीक है कि केंद्र एक कानून के माध्यम से ट्रस्ट के रूप में चलने वाले 12 बंदरगाहों के संवैधानिक ढाँचे को परिवर्तित करने के लिये प्लान B तैयार करा रहा था।

नोट :

## क्या है संशोधन ?

- संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल की सहमति का अनुसरण करते हुए जहाज़रानी मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक के कुछ खंडों में संशोधन किया है, यह उन 11 प्रमुख बंदरगाहों को प्राधिकरण बनाने की मांग करता है, जो कि वर्तमान में ट्रस्ट के रूप में संचालित हो रहे हैं।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों के निगमीकरण या निजीकरण के प्रावधान नहीं हैं।

## कर्मचारियों की नाराज़गी

- हालाँकि इन परिवर्तनों ने उन कर्मचारी संगठनों का शमन नहीं किया है जो मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ढाँचागत सुधार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और इस संशोधन को 'कॉस्मेटिक तथा फर्जी' कहते हुए विधेयक को वापिस लेने की मांग कर रहे थे।
- अन्य बातों के अलावा, इन कर्मचारी संगठनों को डर है कि सरकार 'बंदरगाह प्राधिकरण' को 'कंपनी' में बदलने के लिये नीतिगत निर्देश जारी करने हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है तथा यह भी संभव है कि बाद में इन बंदरगाहों के निजीकरण की ओर अग्रसर हो सकती है।

## समिति की शर्तें

- कमेटी, जिसने इस विधेयक का प्रारूपण किया है, के अनुमोदन की शर्तों में अप्रचलित खंडों को निरस्त करने और अपने प्रशासन में व्यावसायिकता लाने के लिये एक नई धारा को शामिल करने हेतु जनादेश शामिल था।
- समिति ने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को फिर से लिखते समय लगभग 20 खंडों को समाप्त कर दिया जिसमें आलोचकों के अनुसार प्रमुख बंदरगाहों के राजस्व उत्पादन को क्षति पहुँचाने की क्षमता थी।
- अधिक गंभीर बात यह है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2018 में एक नया खंड जोड़ा गया है जो सरकार को "विशेष मामलों में बंदरगाह के परिवर्तनों संबंधी पूरे या किसी भी हिस्से को मुक्त करने" के लिये शक्ति प्रदान करता है।
- इससे केवल जहाज़ उत्पादक संघों को लाभ होगा।

## विधेयकों का विवादास्पद विलय

- अपने मौजूदा रूप में भारत बंदरगाह अधिनियम का प्रयोग गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल जैसे बंदरगाहों का निजीकरण (केंद्र सरकार के नियंत्रण के बाहर) करने के लिये तटवर्ती राज्यों द्वारा किया गया है।
- सरकार के अंतर्गत ही एक वर्ग का मानना है कि श्रमिक संघों की चिंताओं पर ध्यान दिये बिना बंदरगाहों के निगमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये दोनों कानूनों का विलय यह एक "आदर्श" सिद्ध होगा।
- प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन को इस नए अधिनियम में एक अध्याय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- लेकिन सरकार ने पहले प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को स्थानांतरित कर दिया, जो अब संसद की संपत्ति है।

## निष्कर्ष

- भारतीय बंदरगाह विधेयक वर्तमान में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया से गुज़र रहा है। एक बार इसकी पुष्टि हो जाने के बाद यह एक नीति निर्णय बन जाएगा।

---

# विश्व में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में भारत अग्रणी राष्ट्र

## चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2014-18 के बीच देश में नारियल की खेती में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, इसी का परिणाम है कि अब भारत नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में अग्रणी राष्ट्र बन गया है। यदि आँकड़ों के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2017-18 के दौरान 1602.38 करोड़ रुपए मूल्य के नारियल का निर्यात किया गया था, जबकि इसकी तुलना में आयात केवल 259.70 करोड़ रुपए का हुआ था।

### निर्यात में हुई वृद्धि

- नारियल के उत्पादन में बढ़ोतरी की बदौलत भारत अप्रैल 2017 से ही मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को नारियल तेल का निर्यात कर रहा है, जबकि मार्च 2017 तक भारत नारियल तेल का आयात करता था।
- इसके साथ ही भारत पहली बार अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ी संख्या में शुष्क नारियल का निर्यात भी कर रहा है।

### उत्पादकता के संदर्भ में बात करें तो

- वर्ष 2013-14 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 10,122 फलों की थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 11,516 फलों तक पहुँच गई।
- वर्ष 2010-14 के 9,561 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2014-18 में 13,117 हेक्टेयर क्षेत्र को नए बागानों के अंतर्गत शामिल किया गया।
- वैज्ञानिक नारियल खेती विधियों को किसान सहभागिता निर्देशन के अंतर्गत विभिन्न नारियल उत्पादक राज्यों में पिछले चार वर्षों में 62,403 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया, जो वर्ष 2010-14 तक 36,477 हेक्टेयर था।
- उल्लेखनीय है कि नए क्षेत्रों में नारियल खेती का फैलाव हुआ है। वर्ष 2014-18 तक विभिन्न राज्यों में नारियल खेती के अधीन 13,117 हेक्टेयर का नया क्षेत्र लाया गया, जो वर्ष 2010-14 तक कुल 9,561 हेक्टेयर था।

### प्रबंधन हेतु समितियों का गठन

- पिछले चार वर्षों (2014-18) में 5,115 नारियल उत्पादक समितियाँ, 430 नारियल उत्पादक फेडरेशन और 67 नारियल उत्पादक कंपनियाँ गठित की गईं, जबकि वर्ष 2004-14 के दौरान यह संख्या क्रमश: 4,467, 305 और 15 थी।
- नारियल उत्पादों के निर्यात से अर्जित आय वर्ष 2014-18 के दौरान 6,448 करोड़ रुपए आँकी गई है जो वर्ष 2004-2014 तक 3,975 करोड़ रुपए थी।
- कौशल विकास कार्यक्रम 'फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री' के अंतर्गत 33,228 बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षण दिलाया गया, जबकि वर्ष 2004-14 तक यह संख्या 27,770 थी।

### 'फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री' कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) ने एफओसीटी (Coconut Development Board's Friends of Coconut Tree - FoCT) प्रशिक्षण कार्यक्रम को नारियल उत्पादक देशों के लिये एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में एडॉप्ट किया है।
- बैंकाक में आयोजित एफएओ की एशिया-प्रशांत बैठक में एफओसीटी मॉडल को अन्य देशों में भी लागू करने की संभावना जताई गई थी।
- अगस्त 2011 में शुरू हुए एफओसीटी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कई राज्यों के लगभग 20,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने का उद्देश्य नारियल कलाईम्बर्स (coconut climbers) की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ 'नारियल तकनीशियनों' (coconut technicians) के एक समूह को विकसित करना है।
- एफओसीटी को नारियल कलाईम्बर्स की कमी की समस्या का समाधान करने के लिये शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रदत्त प्रशिक्षण पुरुषों और महिलाओं दोनों को बेहतर मज़दूरी कमाने में मदद करता है।

## बेनामी संपत्ति पर एक और वार : शुरू हुई मुखबिर योजना

### चर्चा में क्यों?

मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण और विदेशी काले धन पर कानून बनाने के बाद बेनामी संपत्ति और लेन-देन पर नियंत्रण करने के लिये एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। बेनामी लेन-देन वह होता है जिसमें ऐसी संपत्ति दाँव पर होती है, जिसमें वह खरीदी तो किसी और के नाम पर जाती है, लेकिन उसके लिये भुगतान कोई और करता है।

- अर्थव्यवस्था में काले धन को छिपाने के लिये बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियों की खरीदारी होती है। पारिभाषिक रूप से बेनामी संपत्ति वह है, जो व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर खरीदता है।

- भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके धन का कोई हिसाब-किताब नहीं है और वे आयकर भी नहीं चुकाते, वे अमूमन बेनामी संपत्तियों में धन लगाते हैं।
- यदि संपत्ति पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी निकट सदस्य के नाम पर है तो वह बेनामी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर दर्ज है, तब उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

## बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

अनेक मामलों में यह पाया गया है कि दूसरों के नाम से संपत्तियों की खरीद में काले धन का निवेश किया जा रहा है और इसका लाभ निवेशक द्वारा अपने आयकर रिटर्न में लाभकारी स्वामित्व को छुपाकर लिया जा रहा है।

- काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा 'बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018' शीर्षक से एक नई पुरस्कार योजना जारी की है।
- इस योजना का उद्देश्य छिपे हुए निवेशकों और लाभान्वित होने वाले स्वामियों द्वारा किये गए बेनामी लेन-देन तथा संपत्तियों व ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय के बारे में सूचना देने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- 'बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' के अंतर्गत बेनामी लेन-देन तथा संपत्तियाँ तथा ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियाँ जो बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई के योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जाँच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
- इस पुरस्कार के लिये विदेशी भी पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।

## आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने 'आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' नामक नई पुरस्कार योजना जारी की है। यह योजना 2007 में जारी पुरस्कार योजना का स्थान लेगी।

- संशोधित योजना के अंतर्गत भारत में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में आयकर विभाग में जाँच निदेशालय के निर्दिष्ट अधिकारियों को तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाला व्यक्ति 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकता है।
- भारत सरकार ने इससे पहले काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम 2015 लागू किया था ताकि भारत में कर योग्य लोगों द्वारा विदेशों में रखी गई उनकी आय और परिसंपत्तियों की जाँच की जा सके।
- इन पर करों की वसूली की जा सके तथा दंड और मुकदमे जैसे कदम उठाए जा सकें। काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य ऐसी आय और परिसंपत्तियों के बारे में सूचना देने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई पुरस्कार योजना में 5 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत पुरस्कार राशि अधिक रखी गई है ताकि विदेशों के संभावित स्रोत आकर्षित हो सकें।
- इस योजना के अंतर्गत काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई योग्य विदेशों में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाले व्यक्ति पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सूचना निर्धारित प्रक्रिया में आयकर महानिदेशक (जाँच) या अधिकृत अधिकारी को देनी होगी। इस योजना के लिये विदेशी भी पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।

सरकार ने इससे पहले बेनामी संपत्ति लेन-देन अधिनियम, 1988 में बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधन किया था ताकि कानून को और मज़बूत बनाया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य एक व्यापक समावेशी ढाँचा तैयार करना है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के बेहतर नियमन की सुनवाई के लिये विशेष सुनवाई प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

नोट :

# समृद्ध राज्यों की तुलना में गरीब राज्यों में हाइब्रिड चावल अधिक लोकप्रिय

## चर्चा में क्यों?

कोई राज्य जितना गरीब होता है, उसके किसानों द्वारा उच्च पैदावार वाली बीज तकनीक को अपनाने की संभावना उतनी ही कम होती है, लेकिन हाइब्रिड चावल के मामले में यह बात सही साबित नहीं हो रही है देश के हाइब्रिड धान के अंतर्गत आने वाले कुल अनुमानित 65.8 लाख एकड़ (26.6 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र में से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा संयुक्त रूप से 83% क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं।

### प्रमुख बिंदु

- ये वे राज्य हैं, जिनके किसानों की दशा उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण भारत के राज्यों के किसानों जितनी अच्छी नहीं है।
- हाइब्रिड बीजों को आनुवंशिक विविधता वाले पौधों के मध्य संकरण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
- इस तरह उत्पादित प्रथम पीढ़ी के पौधे सामान्यत: अपने पूर्वजों अर्थात् खुली परागित किस्मों (open-pollinated varieties) से अधिक पैदावार देते हैं।
- हालाँकि, ओपीवी के विपरीत हाइब्रिड अनाज भविष्य के लिये सुरक्षित रखने और बीज के रूप में पुन: उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं होते। क्योंकि इनसे उत्पादित पौधों में इनके समान शक्ति नहीं रह जाती।
- अत: किसान हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब ओपीवी की तुलना में इनसे होने वाली पैदावार अधिक हो।
- पूर्वी और मध्य भारत के कम समृद्ध बेल्ट, जहाँ ओपीवी से प्रति एकड़ औसतन 15 क्विंटल धान पैदा होता है, वहीं हाइब्रिड बीजों के माध्यम से किसान प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान उत्पादन कर सकते हैं।
- हाइब्रिड धान में बीज की आवश्यकता कम होती है। प्रति एकड़ में लगभग 6 किलोग्राम हाइब्रिड बीज की आवश्यकता होती है, जबकि ओपीवी के संदर्भ में यह मात्रा 20-30 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। क्योंकि, हाइब्रिड पौधे अधिक मात्रा में स्टेम उत्पन्न करते हैं।
- ₹355/किलोग्राम कीमत के हिसाब से एरिज 6444 गोल्ड नामक किस्म के 6 किलोग्राम बीज की लागत ₹2130 प्रति एकड़ बैठती है।
- लेकिन, चूँकि हाइब्रिड बीजों द्वारा 10 क्विंटल अधिक धान का उत्पादन होता है। अत: सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित कीमत ₹1,500 प्रति क्विंटल के आधार पर ₹15,500 का अतिरिक्त लाभ होता है। झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों के किसानों के लिये यह अतिरिक्त राशि हर रोपण के मौसम से पहले होने वाले खर्चों हेतु फायदेमंद हो सकती है।
- हालाँकि, यह बात सच है कि हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में हाइब्रिड फसल उतनी लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों के किसान उच्च प्रबंधन वाली कृषि पद्धतियों का पालन करते हैं और यहाँ सिंचाई सुविधाएँ काफी बेहतर रूप में मौजूद हैं।
- पंजाब और हरियाणा में ओपीवी बीजों से प्रति एकड़ 30 क्विंटल से अधिक पैदावार होती है और चूँकि हाइब्रिड बीजों से ओपीवी के मुकाबले 10% अधिक पैदावार ही होती है, अत: प्रति एकड़ लगभग 33 क्विंटल पैदावार ही हो पाएगी। ऐसे में केवल 3 क्विंटल अधिक पैदावार के साथ हाइब्रिड बीज यहाँ के किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने में असफल रहे हैं।
- भारत में चावल की फसल के अंतर्गत आने वाले कुल 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से हाइब्रिड्स के अधीन केवल 3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ही आता है। जबकि चीन में यह आँकड़ा 30 मिलियन हेक्टेयर में से 18 मिलियन हेक्टेयर है।
- चीन की औसत धान पैदावार 6.75 टन प्रति हेक्टेयर (27.3 क्विंटल / एकड़) है, जो भारत के 3.6 टन प्रति हेक्टेयर (14.6 क्विंटल/एकड़) से काफी ज्यादा है। जबकि वहाँ के किसान आमतौर पर हाइब्रिड्स के माध्यम से 10 टन प्रति हेक्टेयर (40 क्विंटल / एकड़) का उत्पादन करते हैं।
- 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा आरएच-10 किस्म जारी की, जो पहली बासमती गुणवत्ता वाली सुगंधित हाइब्रिड किस्म थी। इससे प्रति हेक्टेयर 7 टन की धान उपज होती थी। साथ ही इसकी परिपक्वता अवधि 110-115 दिन थी। इसने पूसा बासमती-1 किस्म से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे प्रति हेक्टेयर 6 टन की धान उपज होती थी एवं परिपक्वता अवधि 135-140 दिन थी।
- हालाँकि, इस पूसा आरएच के बाद आई दो अन्य किस्मों पूसा-1121 और पूसा-1509 ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी पकड़ बना ली।

# विलफुल डिफॉल्टर टैग के बिना बिजली कंपनियाँ NCLT में शामिल नहीं होंगी

## संदर्भ

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया है कि एक बिजली कंपनी को ऋण चुकाने के लिये तब तक दिवालियापन अदालत (bankruptcy court) में नहीं ले जाया जा सकता है जब तक कि उसे विलफुल डिफाल्टर घोषित नहीं किया जाता है। न्यायालय ने वित्त सचिव को जून में बिजली उत्पादकों से मिलकर उनसे बातचीत करने के निर्देश दिये हैं ताकि वे वित्तीय संकटों पर चर्चा कर सकें।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह निर्णय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फरवरी के निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिया गया है जो कि ऋणदाताओं को व्यतिक्रम के लिये 180 दिनों के भीतर संकटग्रस्त ऋणों के समाधान के लिये कहता है, जिसमें विफल होने पर कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को संदर्भित किया जाना था।
- यह बिजली क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी क्षेत्रों के लिये 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऋणों पर लागू था जो बिजली खरीद समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता, सरकारी मंज़ूरी में देरी और कोयले की अनुपलब्धता जैसे कई कारकों के कारण पीड़ित थे।
- एक विलफुल डिफॉल्टर वह होता है जिसके पास ऋण चुकाने की सामर्थ्य होती है फिर भी वह जानबूझकर ऋण नहीं चुकाना चाहता।
- एसएमए -1 या एसएमए -2 श्रेणी में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया वाली कंपनियों को वर्गीकृत किया गया है जिसका मतलब है कि उन्होंने देय तिथि 30 से 60 दिनों के भीतर अपनी मासिक किस्तों का भुगतान नहीं किया है।
- एसएमए का तात्पर्य विशेष उल्लेख खाते से है। अदालत के फैसले से बैंकों को संकटग्रस्त खातों के लिये समाधान खोजने को अधिक समय मिलेगा।

## स्थायी समिति की रिपोर्ट

- आरबीआई सर्कुलर ने 1 मार्च को 180 दिनों की अवधि के लिये संदर्भ तिथि के रूप में निर्धारित किया था और इस प्रकार दिवालियापन अदालत के बाहर तनावग्रस्त खातों को हल करने के लिये बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय था।
- साथ ही, भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 22% पहले ही गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में गिना जाता है।
- आरबीआई के आँकड़ों के मुताबिक अप्रैल में बिजली क्षेत्र में भारत के बैंकों का अनाश्रयता 5.19 लाख करोड़ रुपए थी।
- इंडियन पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।
- अदालत ने वित्त सचिव से बिजली उत्पादकों की 'शिकायत पर विचार' करने के लिये कहा और यह भी कहा कि समस्या का कोई समाधान संभव है या नहीं, इसपर विचार किया जाए।
- खंडपीठ ने तनावग्रस्त ऋण के संबंध में मार्च 2018 में प्रस्तुत ऊर्जा पर स्थायी समिति की 37वीं रिपोर्ट में किये गए एक अवलोकन को भी संदर्भित किया।

## बैठक को रोक दिया जाना

- एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के अनुसार, नए आरबीआई मानदंडों के कारण 70,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता को ऋणशोधन के खतरे का सामना करना पड़ता है।
- हाल ही में बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त ऋण को हल करने के तरीकों को खोजने के लिये बिजली मंत्रालय, आरबीआई और उधारदाताओं की बैठकें दो बार रद्द कर दी गई हैं।
- बिजली क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिये सरकार और नियामकों द्वारा किये गए उपायों में 8-12 महीने लग सकते हैं, अत: बैंकों द्वारा उत्पादकों को अधिक समय देने की ज़रूरत है।
- उपरोक्त उद्धृत संसदीय रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली क्षेत्र दबाव में है।
- हज़ारों मेगावाट वाले संयंत्र गंभीर वित्तीय तनाव में हैं और वर्तमान में एसएमए-1 या 2 चरण या एनपीए बनने के कगार पर हैं।
- यह ईंधन की कमी, सब-ऑप्टीमल लोडिंग, अप्रत्याशित क्षमताओं, FSA की अनुपस्थिति और PPA की कमी आदि के कारण है।
- इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय ज़रूरतों और बिजली की मांग के साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया गया था।

## सरकार द्वारा किसान कल्याण निधि के लिये जीएसटी में बढ़ोतरी पर विचार

### चर्चा में क्यों ?

जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GOM) के विचाराधीन प्रस्ताव के मुताबिक किसान कल्याण कोष के वित्तपोषण के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में 1% की वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि को गन्ना किसानों के बीच संकट कम करने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित शुगर उपकर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

### कृषि संकट को कम करना

- जीएसटी दरों में वृद्धि के प्रस्ताव में गन्ना किसानों समेत समस्त किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये तथा किसान कल्याण निधि के वित्तपोषण हेतु केंद्र और राज्यों के बीच अतिरिक्त राजस्व साझा करना शामिल है।
- असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय जीओएम ने इथेनॉल पर जीएसटी में मौजूदा 18% लेवी से 5% की कमी और चीनी के निर्यात के लिये सरकारी सब्सिडी में वृद्धि की जाँच की।
- केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसहाक ने सभी स्लैबों में जीएसटी में एक समान 1% की वृद्धि की संभावना पर चर्चा की।
- इसमें से 0.5% को केंद्र के साथ रखा जा सकता है और शेष राज्यों के साथ।
- इस धन का उपयोग सभी किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये किया जा सकता है|
- लेकिन सेस लगाना जीएसटी के सिद्धांत को धोखा देना होगा| वर्तमान में जीएसटी दर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% पर आँका गया है, जबकि कुछ वस्तुओं पर शून्य है।
- गन्ना किसानों के लिये उत्पन्न स्थिति के मामले में किसानों के लिये वित्तीय सहायता का विस्तार करना होगा और राज्यों को वितरण के लिये अपने हिस्से पर नियंत्रण रखना होगा।

### शुगर सेस का विरोध

- केरल ने 4 मई को जीएसटी परिषद की बैठक में चीनी पर उपकर लगाने को लेकर पहले ही असंतोष व्यक्त किया था।
- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र ने भी इसका विरोध किया है|
- महाराष्ट्र ने कहा कि जीओएम ने एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करने का फैसला किया है और अटॉर्नी जनरल की राय का इंतजार किया जा रहा है कि जीएसटी पर सेस कल्याणकारी उद्देश्यों के लिये लगाया जा सकता है या इसे केवल मुआवज़े के प्रयोजनों के लिये लगाया जा सकता है।
- परिषद जीओएम की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय करेगी। इथेनॉल पर जीएसटी को 18% से काम कर 5% तक लाने की संभावना पर भी चर्चा की गई जिससे गन्ना किसानों की मदद मिलेगी।
- इस साल देश में उपलब्ध पर्याप्त चीनी भंडार को ध्यान में रखते हुए चीनी पर निर्यात सब्सिडी बढ़ाने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ इस उत्पाद को अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाता है|
- लगभग 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत के साथ चीनी की वार्षिक आवश्यकता लगभग 250 लाख मीट्रिक टन है।
- इस साल चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष से 45 लाख मीट्रिक टन रिजर्व के साथ 320 लाख मीट्रिक टन रहा है।

## किसानों को नहीं मिल पा रहा उचित मूल्य

### चर्चा में क्यों ?

हाल के समय में देश भर के सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पादन की लागत भी नहीं मिल पा रही है। देश के कई राज्यों में किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उन्हें मजबूरन अपने उत्पादों को कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ रहा है।

## क्यों कम हो रही हैं कीमतें?

- आलू और टमाटर के बाद लहसुन की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। बंपर उत्पादन के पश्चात् किसानों को सही रिटर्न न मिल पाने के कारण अपने उत्पादों को त्यागना पड़ रहा है।
- आर्थिक रूप से तंग किसानों की समस्याओं का निराकरण दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। देश भर में किसान कई मंचों के माध्यम से अपने उत्पादों की लाभकारी कीमतों और कृषि ऋणों की माफी की मांग कर रहे हैं।
- बहुत सारी समस्याओं ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। देश के 45 प्रतिशत लहसुन का उत्पादन करने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को पिछले दिनों थोक मूल्य पर अपने माल को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ा।
- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में किसानों को टमाटरों को खेतों में ही डंप करना पड़ गया।
- अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2017-18 के दौरान टमाटर का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.8% अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जबकि यह पिछले पाँच वर्षों के औसत उत्पादन से 20% अधिक है।
- इसी तरह, आलू का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% अधिक होने का अनुमान है। जबकि पिछले पाँच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में यह 8.7% अधिक है।
- इन आँकड़ों से पता चलता है कि किसान अच्छे रिटर्न के बिना अधिक उत्पादन कर रहे हैं। लगभग हर सीजन में किसानों को बंपर या खराब उत्पादन के चलते मांग-आपूर्ति में उतार-चढ़ाव, व्यापारियों द्वारा जमाखोरी आदि के कारण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है।

## क्या व्यापारी कीमतों में हेरफेर कर रहे हैं?

- मध्य प्रदेश में, लहसुन की कीमतों में तेज गिरावट के बाद सरकार ने इसे भावांतर भुगतान योजना (Price Deficit Payment Scheme) के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। यह योजना 2017 के खरीफ के सीजन में शुरू की गई थी।
- हालाँकि, किसानों का कहना है कि इस योजना के साथ जुड़ी शर्तों के कारण उनमें से अधिकांश इसका लाभ नहीं उठा पाते।
- इस योजना का उद्देश्य उस स्थिति में किसानों को मूल्य घाटे का भुगतान प्रदान करना है, जब उत्पादों की बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होती है।
- किसान नेताओं का मानना है कि पहले सीजन में इस योजना के कार्यान्वयन के कारण किसानों को थोड़ा लाभ हुआ, क्योंकि इसने व्यापारियों द्वारा कीमतों में छेड़छाड़ को रोकने हेतु कोई प्रभावी योगदान नहीं दिया।
- किसानों के अनुसार, सरकार ने दावा किया है कि उसने क्षतिपूर्ति हेतु ₹1,900 करोड़ का वितरण किया। लेकिन किसानों के एक बड़े भाग को इस योजना में शामिल नहीं किया गया, और जो किसान इससे बाहर रह गए, उन्हें बाजार कीमतों में हेरफेर के कारण बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा।

## आगे की राह

- सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक चिरस्थाई समस्या बन चुकी है और यह आमतौर पर मांग-आपूर्ति के अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है।
- मुख्य रूप से छोटे भूमिधारक और सीमांत किसान अपने उत्पादों के विक्रय के लिये मध्यस्थों पर निर्भर होते हैं।
- शीघ्र खराब होने के कारण, सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की अधिक संभावना बनी रहती है। अत: इनके भंडारण और विपणन के लिये बेहतर आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है।
- वित्तीय जोखिमों से बचने हेतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादों के लिये पूर्व-सहमत मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित होती है।
- केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध खेती एवं सेवाएँ (प्रोत्साहन एवं सहूलियत) अधिनियम, 2018 को मंजूरी दे दी।
- इस अधिनियम में अनुबंध के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसानों को कमजोर पक्ष मानते हुए उनके हितों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।
- अधिनियम का उद्देश्य एक या अधिक उत्पाद, पशुधन और संबंधित उत्पादों की पूर्व-सहमत मात्रा की खरीद सुनिश्चित करना है।
- हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विभिन्न रूप मौजूद हैं, लेकिन इसके औपचारिक तंत्र की व्यापकता की कमी है।

नोट :

- सामान्यत: कपास, गन्ना. तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती में अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तत्त्व दिखाई पड़ते हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ सब्जी और फल उत्पादकों का एकीकरण उत्पादकों के लिये फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कीमतों में उतार-चढ़ाव का ख्याल रखा जाता है जिससे उत्पादन जोखिम को कम करने में मदद मिलती है

## कृषि कल्याण अभियान

### चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक के लिये कृषि कल्याण अभियान (Krishi kalyan Abhiyaan) की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत किसानों को उत्तम तकनीक एवं आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी।

### प्रमुख बिंदु

- कृषि कल्याण अभियान आकांक्षी ज़िलों (Aspirational Districts) के 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 25 गाँवों में चलाया जा रहा है। इन गाँवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है।
- जिन ज़िलों में गाँवों की संख्या 25 से कम है, वहाँ के सभी गाँवों को (1000 से अधिक आबादी वाले) इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने मिलकर एक कार्य-योजना तैयार की है, जिसके तहत विशिष्ट गतिविधियों का चयन किया गया है।
- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare - DAC&FW), पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन विभग (Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries - DAHD&F), कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research & Education - DARE-ICAR) मिलकर ज़िलों के 25-25 गाँवों में कार्यक्रमों का संचालन करेंगे।
- प्रत्येक ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र सभी 25-25 गाँवों में कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करेंगे।
- प्रत्येक ज़िले में एक अधिकारी को कार्यक्रम की निगरानी एवं सहयोग करने का प्रभार दिया गया है। इन अधिकारियों का चयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों और संबद्ध कार्यालयों से किया गया है।

### किन-किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है?

- कृषि आय बढ़ाने और बेहतर पद्धतियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं :
  - मृदा स्वास्थ्य कार्डों का सभी किसानों में वितरण।
  - प्रत्येक गाँव में खुर और मुँह रोग (Foot and Mouth Disease – FMD) से बचाव के लिये सौ प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण।
  - भेड़ और बकरियों में पीपीआर बीमारी (Peste des Petits ruminants – PPR) से बचाव के लिये सौ फीसदी कवरेज़।
  - सभी किसानों के बीच दालों और तिलहन की मिनी किट का वितरण।
  - प्रति परिवार पाँच बागवानी/कृषि वानिकी/बाँस के पौधों का वितरण।
  - प्रत्येक गाँव में 100 एनएडीएपी पिट (एम.डी. पंढरीपांडे, जिसे "नडेपकाका" भी कहा जाता है द्वारा विकसित खाद बनाने की विधि) बनाना।
  - कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना।
  - सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन।
  - बहु-फसली कृषि के तौर-तरीकों का प्रदर्शन।

- इसके अलावा, इस अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई और एकीकृत फसल के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही किसानों को नवीनतम तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी के विषय में भी अवगत कराया जाएगा।
- इसके साथ-साथ आईसीएआर/केवीएस द्वारा प्रत्येक गाँव में मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती और गृह उद्यान के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिला प्रतिभागियों और किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है।

# भारत ने शुरू किया रूस से एलएनजी आयात

## चर्चा में क्यों ?

भारत ने अपने आपूर्ति स्रोतों को विविधता देने और तेजी से बढ़ती स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी रणनीति के तहत रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (liquefied natural gas) का आयात करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार का कहना है कि वह देश को पूरी तरह से गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रतिबद्ध है और रूस से शुरू हुई हालिया आपूर्ति इसमें मददगार साबित होगी।

### प्रमुख बिंदु

- रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कतर के बाद भारत में दीर्घकालिक एलएनजी की आपूर्ति शुरू करने वाला नवीनतम देश है। दो साल पहले तक, देश पूरी तरह से कतर पर दीर्घावधिक आपूर्ति हेतु निर्भर था।
- देश में गैस आयात और आपूर्ति हेतु एलएनजी आयात टर्मिनलों और पाइपलाइनों के निर्माण में भारी निवेश किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति में सक्षम नहीं है। अत: देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।
- भारत उपभोग की जाने वाली कुल प्राकृतिक गैस का 45% आयात करता है।
- देश के ऊर्जा मिश्रण में एलएनजी का हिस्सा बढ़ाने की सरकार की योजना के तहत 2030 तक इस इसका भाग 15% तक करने की योजना है, जो वर्तमान में लगभग 6.5% है। अत: भविष्य में आयात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- 2017-18 में देश में प्राकृतिक गैस खपत 5% बढ़कर 58 बिलियन घन मीटर हो गई।
- सरकार को उम्मीद है कि वर्तमान में चल रहे नए लाइसेंसिंग राउंड के बाद देश के आधे भाग में कुकिंग और परिवहन हेतु पाइप गैस तक पहुँच स्थापित हो जाएगी।
- 2012 में सरकार द्वारा संचालित गैस कंपनी गेल (GAIL) ने रूस की ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनी गैज़प्रोम (Gazprom) के साथ एक बीस वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत गेल प्रति वर्ष 2.5 मिलियन टन प्राकृतिक गैस की खरीदारी करेगी।
- गेल ने अमेरिकी आपूर्तिकर्त्ताओं से भी प्रति वर्ष 5.8 मिलियन टन एलएनजी आयात हेतु दीर्घावधिक अनुबंध किये हैं। अमेरिका से आपूर्ति इस साल के आरंभ में शुरू हो चुकी है।
- कुछ साल पहले कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतों में तेज गिरावट के फलस्वरूप आयातित प्राकृतिक गैस भारत के लिये और किफायती बन गई। साथ ही, इससे गैस की घरेलू मांग को भी बढ़ावा मिला।
- पिछले तीन सालों में गेल और पेट्रोनेट ने मध्य-पूर्व, रूस और ऑस्ट्रेलिया से आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ अपने अनुबंधों का पुनर्गठन किया, जिससे अधिक कीमतों और वितरण में लचीलापन आया।
- गैज़प्रोम के साथ समझौते के पुनर्गठन के बाद अनुबंध की अवधि तीन वर्ष बढ़ा दी गई है।
- पिछले कुछ सालों में भारत और रूस ने अपनी ऊर्जा भागीदारी को मजबूत किया है और दोनों देशों की कंपनियों ने एक दूसरे के यहाँ ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया है।

नोट :

# दीनदयाल बंदरगाह पर एक विशेष एवं यंत्रीकृत संचालन सुविधा

## चर्चा में क्यों?

शिपिंग मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) ने कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह पर उर्वरक कार्गो के लिये एक विशेष एवं पूर्ण एकीकृत संचालन सुविधा स्थापित करने हेतु परियोजना को मंज़ूरी दी है। परियोजना के लिये निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इस सुविधा या यूनिट के अक्तूबर 2020 तक चालू हो जाने की आशा है।

### मुख्य तथ्य

- यह सुविधा अथवा यूनिट बंदरगाह संख्या 4 पर विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण लगभग 138 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
- यह बंदरगाह अपने आंतरिक संसाधनों से परियोजना के लिये लगभग 340 करोड़ रुपए का और निवेश करेगा।
- आरंभ में प्रस्तावित सुविधा अथवा यूनिट 2.60 एमएमटीपीए (Million Metric Tonne Per Annum- MMTPA) का संचालन करेगी और बाद में यह मात्रा बढ़ाकर 4.50 MMTPA कर दी जाएगी।
- प्रस्तावित परियोजना में बल्क उर्वरक कार्गो को जहाज़ से नीचे उतारने से लेकर उर्वरक की बोरियों को वैगनों पर चढ़ाने तक की समस्त गतिविधियाँ पूरी तरह से यंत्रीकृत होंगी।
- उर्वरक कार्गो को जहाज़ों से नीचे उतारने का काम मोबाइल हॉपर पर लगी मोबाइल हार्बर क्रेन का इस्तेमाल करके संपन्न किया जाएगा।
- टिपर सिस्टम (tipper system) युक्त कन्वेयर सिस्टम (conveyor system) 38,500 वर्ग मीटर आकार के कार्गो भंडारण शेड में कार्गो का हस्तांतरण करेगा।

### वर्तमान स्थिति

- मौजूदा समय में दीनदयाल बंदरगाह पर उर्वरक कार्गो के संचालन में कई तरह की गतिविधियाँ पूरी करनी पड़ती हैं और इसके साथ ही कई एजेंसियों को इस काम में संलग्न होना पड़ता है।
- अत: यंत्रीकृत सुविधा से इसमें लगने वाला समय कम हो जाएगा और साथ ही अंतिम उपयोगकर्त्ताओं तक कार्गो की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित हो जाएगी। लागत एवं त्वरित डिलीवरी की दृष्टि से यह किसानों के लिये फायदेमंद साबित होगी।

### कांडला बंदरगाह

- यह एक समुद्री बंदरगाह है, जिसे कांडला बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।
- यह भारत के पश्चिमी तट का एक बड़ा बंदरगाह है। विभाजन के बाद देश के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह 'कराची बंदरगाह' पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद 1950 में भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाज़रानी मंत्रालय के हाथ में है।
- यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारीय पत्तन है।
- 4 अक्तूबर, 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर 'दीनदयाल बंदरगाह' कर दिया गया।
- दीनदयाल बंदरगाह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 256 समुद्री मील (दक्षिण-पूर्व में) एवं मुंबई बंदरगाह से 430 समुद्री मील (उत्तर-पश्चिम में) की दूरी पर अवस्थित है।
- भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह-
  - दीनदयाल पोर्ट (कांडला, गुजरात)
  - मुंबई पोर्ट (महाराष्ट्र)
  - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (न्हावा शेवा, महाराष्ट्र)
  - मर्मुगाओ (गोवा)
  - न्यू मंगलौर (कर्नाटक)
  - कोच्चि (केरल)

नोट :

- भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह-
  - कोलकाता (प. बंगाल)
  - पारादीप (ओडिशा)
  - विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
  - एन्नौर (तमिलनाडु)
  - चेन्नई (तमिलनाडु)
  - तूतीकोरिन (तमिलनाडु)

## अत्याधुनिक ई-टिकट प्रणाली हेतु रेल मंत्रालय का नया यूज़र इंटरफेस

### चर्चा में क्यों?

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रचलित उत्कृष्ट सुविधाओं को अपनाकर उपयोगकर्त्ताओं (यूज़र) को बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने हेतु रेलवे के ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल www.irctc.co.in ने अब अपने नए यूज़र इंटरफेस का बीटा वर्ज़न लॉन्च किया है। नए लिंक में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और भी ज़्यादा विशेषताएँ हैं।

- 'डिजिटल इंडिया' पहल ने सरकारी संगठनों के लिये प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने और भारत के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
- रेलवे की नई ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली ने अत्याधुनिक ई-टिकट (Next Generation e-Ticketing - NGeT) प्रणाली सृजित कर यात्रा की योजना एवं टिकटों की खरीद को स्वत: स्वरूप प्रदान किया है। इससे रेल टिकटों की बुकिंग अधिक आसान एवं तेज़ हो जाएगी।
- वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में कुल आरक्षित टिकटों के लगभग दो-तिहाई की ही ऑनलाइन बुकिंग होती है।

### नए यूज़र इंटरफेस की मुख्य विशेषताएँ

- ई-टिकटिंग वेबसाइट के नए इंटरफेस की लॉन्चिंग के साथ ही यूज़र अब बिना लॉग-इन किये भी रेलगाड़ियों के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं/सर्च कर सकते हैं और सीटों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- ऐसे में उपयोगकर्त्ताओं का बहुमूल्य समय बचेगा। यूज़र अब वेबसाइट पर फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, ताकि वेबसाइट पर देखने में आसानी हो।
- नए रंग-रूप वाले इंटरफेस पर बेहतर श्रेणी-वार, रेलगाड़ी-वार, गंतव्य–वार, प्रस्थान/आगमन समय-वार और कोटा-वार, फिल्टर की व्यवस्था की गई है, ताकि अपनी यात्रा के बारे में योजना बना रहे यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके।
- ट्रेन संख्या, ट्रेन का नाम, प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन और उनके बीच की दूरी, आगमन एवं प्रस्थान समय व यात्रा समय सहित ट्रेन संबंधी सारी सूचनाएँ एक ही स्क्रीन पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- इसके अलावा, कुछ नई विशेषताओं जैसे कि 'माई ट्रांजेक्शंस' पर नए फिल्टर की व्यवस्था की गई है, जहाँ यूज़र अब यात्रा की तिथि पर आधारित बुक किये गए टिकटों, बुकिंग तिथि, आगामी यात्रा और पूर्ण हो चुकी यात्रा के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं।
- उपभोक्ताओं के बुकिंग अनुभव को बेहतर करने के लिये कई रोचक विशेषताएँ जैसे कि 'प्रतीक्षा सूची संबंधी पूर्व सूचना' शुरू की गई है। इस खूबी का उपयोग कर यूज़र अब यह जाँच सकता है कि प्रतीक्षा सूची अथवा आरएसी टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है।
- यह प्रौद्योगिकी किसी विशेष ट्रेन के ऐतिहासिक बुकिंग रुझान पर आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करती है। इससे रेलवे की ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग प्रणाली में एक नई खूबी जुड़ जाएगी।
- नए रंग-रूप और एहसास वाली इस व्यवस्था के तहत यूज़र को जो सुविधा मिल रही है, उसके तहत वे कुछ रेलगाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी ट्रेनों के लिये पूरी अग्रिम आरक्षण अवधि यानी 120 दिनों तक के लिये बर्थ उपलब्धता के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
- नई प्रणाली में यूज़र बेहतर इंटरफेस के साथ टिकटों को रद्द करने, टिकटों की छपाई, अतिरिक्त एसएमएस के लिये अनुरोध, 'विकल्प' का उपयोग कर वैकल्पिक ट्रेन का चयन करने और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन पर चढ़ने के स्थान में परिवर्तन करने जैसी कई गतिविधियाँ पूरी कर सकते हैं।

नोट :

- अब नया इंटरफेस का बीटा वर्ज़न आईआरसीटीसी के ई-टिकट पोर्टल के पुराने इंटरफेस का स्थान ले लेगा, जिससे यूज़र्स के लिये नए इंटरफेस पर काम करना और ज़्यादा सुगम हो जाएगा।

## मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा : रिज़र्व बैंक ने चार साल में पहली बार की रेपो दर में वृद्धि

### संदर्भ

रिज़र्व बैंक ने महँगाई बढऩे की चिंता के चलते मुख्य नीतिगत दर रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया जिससे बैंक कर्ज़ महँगा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पिछले कुछ महीनों के दौरान कच्चे तेल के दाम बढऩे से महँगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। रिज़र्व बैंक ने पिछले चार साल में पहली बार रेपो दर में वृद्धि की है।

### प्रमुख बिंदु

- मौद्रिक नीति समिति के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में तेज़ी से बढ़कर 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस दौरान खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर अन्य समूहों में तीव्र वृद्धि का इसमें अधिक योगदान रहा।
- नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे बैंक कर्ज़ महँगा हो सकता है।
- रिवर्स रेपो दर 6 प्रतिशत तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत है।
- जनवरी 2014 के बाद पहली बार रेपो दर में वृद्धि की गई है।
- समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.4 प्रतिशत पर पूर्ववत बनाए रखा गया है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिये खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 4.8-4.9 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि वर्ष की दूसरी छमाही के लिये इसे 4.7 प्रतिशत रखा गया है।
- रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति के इस अनुमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े महँगाई भत्ते का असर भी शामिल है।
- पिछले दो माह में कच्चे तेल की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेज़ी आई है।
- भू-राजनीतिक जोखिम, वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव, व्यापार संरक्षणवाद का घरेलू वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।

### मौद्रिक नीति समिति

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सौंप दिया गया है।

- वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक करता है।
- रिज़र्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

### उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index या CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं (goods and services) के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं का यह मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का समूह होता है।

### रेपो दर

जैसा कि हम जानते हैं बैंकों को अपने काम-काज के लिये अक्सर बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। बैंक इसके लिये आरबीआई से अल्पकाल के लिये कर्ज़ मांगते हैं और इस कर्ज़ पर रिज़र्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो दर कहते हैं। रेपो दर अधिक होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज़ महँगे हो जाएँगे. जैसे कि होम लोन, वाहन लोन इत्यादि।

### रिवर्स रेपो दर

यह रेपो दर के विपरीत होती है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो दर बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है।

### मुद्रास्फीति

- जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं।
- अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था के लिये ठीक होती है।
- मुद्रास्फीति मुख्यत: दो कारणों से होती है- मांग कारक और मूल्य वृद्धि कारक से।
- मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मंदी आ जाती है।
- मुद्रास्फीति का मापन तीन प्रकार से किया जाता है- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं राष्ट्रीय आय विचलन विधि से।

### रेपो दर और मुद्रास्फीति में संबंध

- रेपो दर कम होने से बैंकों के लिये रिज़र्व बैंक से कर्ज़ लेना सस्ता हो जाता है और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम कर्ज़ के तौर पर दी जा सके। रेपो दर में वृद्धि होने पर सभी प्रकार के क़र्ज़ महँगे हो जाते हैं।
- मुद्रास्फीति बढ़ने का एक मतलब यह भी है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण, बढ़ी हुई क्रय शक्ति के बावजूद लोग पहले की तुलना में वर्तमान में कम वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई का कार्य यह है कि वह बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिये बाज़ार से पैसे को अपनी तरफ खींच ले। अत: आरबीआई रेपो दर में बढ़ोतरी कर देता है ताकि बैंकों के लिये कर्ज़ लेना महँगा हो जाए और वे अपने बैंक दरों को बढ़ा दें तथा लोग कर्ज़ न ले सकें।

### निष्कर्ष

जीडीपी में शानदार वृद्धि, खुदरा महँगाई दर का निचले स्तर पर होना, मजबूत GST संग्रह और सकारात्मक निवेशक विचारों के साथ मौद्रिक नीति इस बात की पुष्टि करती है कि आर्थिक गतिविधियों में उछाल आ रहा है।

---

## विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना के लिये ₹ 6,000 करोड़ की मंजूरी दी

### चर्चा में क्यों?

भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होने की चिंताओं को दूर करने के लिये विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना (ABHY) के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना 2018-19 से 2022-23 तक पांच साल की अवधि में लागू की जानी है। योजना के प्रस्ताव को पहले ही व्यय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

### प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- इस योजना के तहत पहचान किये गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम वाले तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं।

- भारत के भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है जिसके कारण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी।
- 2011 में नमूना मूल्यांकन के अनुसार, भारत के 71 ज़िलों में से 19 में भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया। जिसका अर्थ है कि जलाशयों की प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता से अधिक जल की निकासी की गई है।
- 2013 में किये गए आकलन के अनुसार, जिसमें ज़िलों के ब्लाकों को शामिल किया गया और पाया गया कि यहाँ का 31% जल खारा हो गया था।
- विश्व बैंक से मिलने वाली यह निधि भूजल के लिये राज्यों में काम करने वाले संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा भूजल को बढ़ावा देने के लिये सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।

### अटल भूजल योजना

- इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- अटल भूजल योजना का उद्देश्य समुदाय भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।
- इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50:50 की है।
- यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 ज़िलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है। सामान्यत: इसे 'डार्क जोन' (पानी के संकट की स्थिति) कहा जाता है।

### विश्व बैंक

- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरीका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया गया था।
- विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- विश्व बैंक समूह पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- इसके उद्देश्यों में शामिल है- विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना, विश्व में गरीबी को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना।

## पंजाब में बढ़ती चावल की पैदावार

### संदर्भ

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) में वर्ष 1962 से चावल अनुसंधान की शुरुआत के बाद से अब तक जबरदस्त उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। फिर चाहे वह विभिन्न किस्मों के विकास की बात हो या उत्पादन के मानकीकरण की। इसका प्रभाव पंजाब में चावल के उत्पादन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ उत्पादन 1970-71 के 6.88 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 132.58 लाख टन हो चुका है। साथ ही प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हुई है और यह इस दौरान 1,765 किलोग्राम से बढ़कर 4,325 किलोग्राम हो गई है। उत्पादन और उत्पादकता में यह उछाल शोधकर्त्ताओं और तकनीकी प्रेमी किसानों के अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ है।

### प्रमुख बिंदु

- उभरती चुनौतियों और मिलर्स एवं उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समय-समय पर प्रजनन रणनीतियों को समायोजित किया गया है।

नोट :

- पिछले समय में घटता जलस्तर एक बड़ी समस्या रही है। इस कारण ऐसी किस्मों के विकास की आवश्यकता महसूस हुई, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती हो, साथ ही कम समय में पक कर तैयार हो जाएँ और उत्पादकता में भी कमी न आए।
- पीएयू द्वारा हाल में जारी की गई चावल की किस्में 123-145 दिनों में परिपक्व हो जाती हैं। इन्हें किसानों द्वारा बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये उच्च उत्पादकता वाली किस्में हैं और साथ ही पानी, उर्वरक, कीटनाशक और श्रमिक उपयोग में बचत करती हैं।
- नई गैर-बासमती किस्में पीआर 121 (2013 में जारी), पीआर 122 (2013), पीआर 123 (2014), पीआर 124 (2015) और पीआर 126 (2016) पहले की पॉपुलर किस्मों, जैसे-पीआर 118 (158 दिन की परिपक्वता अवधि) और पूसा 44 (160 दिन) से एक से पाँच सप्ताह पहले परिपक्व हो जाती हैं। जबकि इनकी उत्पादकता लगभग समान होती है।
- लेकिन गहनता से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि नई किस्मों की उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई समय, प्रति इकाई लागत के मामले में पूर्व की किस्मों से काफी अधिक होती है।
- साथ ही ये किस्में मार्कर-समर्थित पिरामिड बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी जीन (एक्सए 4 / एक्सए 5 / एक्सए 13 / एक्सए 21) भी धारण करती हैं। अत: ये पंजाब में पाई जाने वाली सभी दस ज्ञात बैक्टीरियल ब्लाइट पाथोटाइप्स के लिये प्रतिरोधी हैं।
- 2012 खरीफ के मौसम के दौरान, पंजाब में कुल गैर-बासमती धान क्षेत्र का 39% लंबी अवधि वाली, देर से परिपक्व होने वाली पूसा 44 किस्म और 33% पीएयू (पीआर) किस्म के अंतर्गत कवर था। शेष 28% क्षेत्र में अन्य किस्मों और हाइब्रिड्स का उत्पादन किया जाता था।
- लेकिन, 2017 के सीजन में पीएयू / पीआर किस्मों का क्षेत्रफल बढ़कर 68.5% हो गया। खरीफ के 2018 के मौसम में इसके बढ़कर 75-80% तक होने की उम्मीद है। साथ ही, 2017 में पूसा 44 का प्रतिशत घटकर 17.7% हो गया तथा इसके आगामी खरीफ सीजन में 10% के नीचे गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- नई और उच्च उत्पादकता वाली अल्पावधिक किस्मों को बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा अपनाए जाने के कारण खरीफ 2017 के सीजन में पंजाब ने धान की 6,488 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उच्चतम उत्पादकता हासिल की। राज्य ने पिछले वर्ष 198.87 लाख टन धान का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया।
- चूँकि, नई अल्पावधिक किस्में पूर्व के किस्मों से अधिक दक्ष हैं और इनकी परिपक्वता अवधि भी 125-140 दिन है, अत: ये किसानों को अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक खेतों को आगामी गेहूँ की फसल बोने हेतु सक्षम बनाती हैं।

## जारी रहेगा ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2020 तक अतिरिक्त 118 मेगावाट पीक (Mega Watt peak - MWp) ऑफ-ग्रिड सौर पीवी क्षमता हासिल करने के लिये ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी (फोटो वोल्टिक) अनुप्रयोग कार्यक्रम [Decentralised Solar PV (Photo Voltaic) Application Programme] के तीसरे चरण को लागू किये जाने की स्वीकृति दी है।

### ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी (फोटो वोल्टिक) अनुप्रयोग कार्यक्रम की विशेषताएँ

1. सौर स्ट्रीट लाइट
   - ग्रिड पावर के माध्यम से देश भर में 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, जिसमें मुख्य ज़ोर ऐसे क्षेत्रों पर होगा जहाँ स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की सुविधा नहीं है।
   - इनमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य और वामपंथी चरमपंथ (Left Wing Extremism-LWE) प्रभावित ज़िले शामिल हैं।
2. एकल सौर ऊर्जा संयंत्र
   - ऐसे क्षेत्रों में 25 kWp (kilo Watt peak) क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ ग्रिड विद्युत की पहुँच नहीं है या विश्वसनीय नहीं है।

- इस भाग का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों, छात्रावासों, पंचायतों, पुलिस थानों और अन्य सरकारी संस्थानों को बिजली उपलब्ध कराना है। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 100 MWp होगी।

3. सौर स्टडी लैंप

- पूर्वोत्तर राज्यों और LWE प्रभावित ज़िलों को 25,00,000 सौर स्टडी लैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

### वित्तीय आवंटन

- पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों और संघशासित द्वीपों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइट एवं सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिये बेंचमार्क लागत का 30 प्रतिशत वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
- वहीं पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों और संघशासित द्वीपों में इसके लिये बेंचमार्क लागत का 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
- सौर स्टडी लैंप के लिये लाभार्थी विद्यार्थी को लैंप की लागत का सिर्फ 15 प्रतिशत वहन करना पड़ेगा और शेष धनराशि वित्तीय सहयोग के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रणालियाँ पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

### कार्यक्रम का तीसरा चरण

- चरण – 3 में शामिल इस परियोजना के तीन घटकों पर कुल 1,895 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 637 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

### लाभ

- ऑफ ग्रिड सौर प्रणालियों से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर आजीविका के अवसर पैदा होंगे, जिससे ऐसे क्षेत्रों में स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
- एक अनुमान के अनुसार, चरण – 3 के लागू होने से स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलने के अलावा कुशल और अकुशल कामगारों के लिये 8.67 लाख कार्य दिवस के बराबर रोज़गार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम का देश के ऐसे ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, जहाँ या तो ग्रिड पावर की पहुँच नहीं है या यह विश्वसनीय नहीं है। चरण-3 के दौरान इस कार्यक्रम से 40 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा, कार्यक्रम में प्रस्तावित ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्यालयों, छात्रावासों, पंचायतों, पुलिस थानों और अन्य सरकारी संस्थानों तक बिजली पहुँचने से आम जनता को व्यापक रूप से मदद मिलेगी। साथ ही शैक्षणिक, सामाजिक और आजीविका से संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

## चीनी क्षेत्र की वर्तमान समस्या से निपटने हेतु उपाय

### चर्चा में क्यों?

चीनी मिलों में व्याप्त नकदी की समस्या के कारण किसानों को उनके गन्ना मूल्य का बकाया नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी मीलों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है।

इस समस्या का समाधान करने के लिये मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित उपायों की स्वीकृति दी गई है:

- एक वर्ष के लिये 30 लाख मिट्रिक टन (Lakh metric tonnes - LMT) चीनी का सुरक्षित भंडार तैयार करने के लिये अनुमानित 1,175 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
- इसके अंतर्गत यह भी निश्चित किया गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution-DFPD) द्वारा बाज़ार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत अदायगी तिमाही के आधार पर की जाएगी। किसानों के गन्ने के मूल्य का बकाया राशि मिलों की ओर से सीधे उनके खातों में जमा करवाई जाएगी।

- मिल में सफेद/परिष्कृत चीनी (white/refined sugar) का न्यूनतम विक्रयमूल्य तय करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अंतर्गत चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश 2018 को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि कम मूल्य पर चीनी मिल द्वारा सफेद/परिष्कृत चीनी की घरेलू बाज़ार में विक्रयनही की जा सके।
- सफेद चीनी का न्यूनतम विक्रयमूल्य गन्ने के उचित लाभ मूल्य (Fair Remunerative Price - FRP) और सफेद/रिफाइंड चीनी की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के आधार पर तय किया जाएगा।
- सफेद/रिफाइंड चीनी का न्यूनतम विक्रयमूल्य शुरू में 29 रुपए प्रति किलो तय किया जाएगा, जिसमें बाद में DFPD द्वारा FRP आदि में परिवर्तन के आधार पर संशोधन किया जा सकता है।
- इससे उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और सरकार ऐसी प्रक्रिया लागू करेगी जिससे चीनी के खुदरा मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्तमान में चीनी मिलों में भंडारण की सीमा तय कर यह कार्य किया जाएगा। मिलों में भंडारण की सीमा को शुरू में वर्तमान चीनी अवधि के लिये लागू किया जाएगा, जिसकी किसी भी समय DFPD समीक्षा कर सकता है।
- चीनी मिलों से संबंधित मौजूदा भट्टियों में इन्सिनरेशन बॉयलर (Incineration Boilers) और नई भट्टियाँ लगाकर उनकी सुधार कर क्षमता बढ़ा कर; सरकार पाँच वर्ष की अवधि के लिये 1332 करोड़ रुपए के अधिकतम आर्थिक सहायता पर ब्याज वहन करेगी, जिसमें ऋण स्थगन की एक वर्ष की अवधि का लगभग 4,440 करोड़ रुपए का बैंक ऋण शामिल है जो तीन वर्ष की अवधि में बैंक द्वारा चीनी मिलों को आवंटित किया जाएगा।
- इस संबंध में DFPD विस्तृत योजना तैयार करेगा। इससे अतिरिक्त चीनी होने की स्थिति में चीनी को कम आयात सूची में रखने में मदद मिलेगी।

### पृष्ठभूमि

- वर्तमान अवधि में चीनी का अत्यधिक उत्पादन और आगामी अवधि में उच्च उत्पादन के संकेत से चीनी का बाज़ार मूल्य लगातार कम हो रहा है।
- बाज़ार के माहौल और चीनी के मूल्य में कमी के कारण चीनी मिलों पर नकदी की समस्या पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण गन्ना मूल्य का अत्यधिक बकाया हो गया है। यह बकाया राशि 22000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है।
- मिलों में नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिये चीनी उत्पादन को उचित स्तर पर स्थिर करने के वास्ते किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि देना आवश्यक है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले चार महिने में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
  - देश में चीनी का आयात रोकने के लिये चीनी के आयात पर सीमाशुल्क 50 प्रतिशत से बढ़ाकर शत प्रतिशत किया गया।
  - घरेलू चीनी मूल्य को स्थिर करने के लिये फरवरी और मार्च, 2018 में चीनी उत्पादकों पर भंडारण सीमा लागू की गई।
  - चीनी के निर्यात की संभावनाएँ तलाशने के लिये चीनी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु चीनी के निर्यात पर सीमा शुल्क हटा लिया गया।
  - अवधि 2017-18 के दौरान निर्यात के लिये मील के अनुसार 20 एलएमटी का न्यूनतम निर्देशात्मक निर्यात कोटा (एमआईक्यू) आवंटित किया गया।
  - चीनी मिलों में अतिरिक्त चीनी के निर्यात के लिये सहायता और सुविधा हेतु सीमा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजना दोबारा शुरू की गई।
  - गन्ने की लागत की भरपाई के लिये अवधि 2017-18 के दौरान चीनी मिलों को 5.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर वित्तीय सहायता दी गई।

## कमज़ोर पीएसयू की स्थिति में सुधार हेतु एक और प्रयास

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कमज़ोर/घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) को समयबद्ध तरीके से बंद करने तथा उनकी चल एवं अंचल संपत्तियों के निपटारे के लिये सार्वजनिक उपक्रम विभाग (Department of Public Enterprises-DPE) के संशोधित दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दी है।

- संशोधित दिशा-निर्देशों से कमज़ोर/घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की योजनाओं को लागू करने में हो रही देरी से निपटने में मदद मिलेगी। ये दिशा-निर्देश डीपीई द्वारा सितंबर 2016 में जारी दिशा-निर्देश की जगह लेंगे।

### मुख्य बिंदु

- इन दिशा-निर्देशों से सीपीएसई को बंद करने के लिये तथा विभिन्न प्रक्रियाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिये एक व्यापक ढाँचा उपलब्ध होगा।
- इसके तहत सीपीएसई को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिये इस प्रक्रिया से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई आदि की जिम्मेदारियाँ तय की जाएंगी।
- प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों एवं सीपीएसई द्वारा कार्ययोजना पहले से ही तैयार करने, सीपीएसई को बंद करने का प्रस्ताव तैयार करने, वैधानिक मुद्दों एवं अन्य दायित्व तय करने तथा इन सीपीएसई की चल एवं अचल संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में मदद मिलेगी।
- इन दिशा-निर्देशों के तहत बंद होने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की भू-संपत्तियों का इस्तेमाल आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) के संबद्ध दिशा-निर्देशों के तहत किफायती आवासीय परियोजनाओं में किया जाएगा।
- चूँकि इन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अभी भी कर्मचारी कार्यरत हैं, इसलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन इस ढंग से होना चाहिये कि इन कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- यही कारण है कि सभी कार्यरत कर्मचारियों को 2007 के राष्ट्रीय वेतन भत्ते पर वीआरएस देने के लिये एक समान नीति तैयार की जा रही है।

### उक्त दिशा-निर्देश किस पर लागू होंगे?

- प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को बंद करने संबंधी प्रस्ताव के लिये सीसीईए/मंत्रिमंडल से मंज़ूरी/सैद्धांतिक मंज़ूरी हासिल हों। अथवा
- सीपीएसई को बंद करने के लिये प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के निर्णय के बाद प्राधिकृत अधिकारी से मंज़ूरी लेने की प्रक्रिया में हों।

बंद होने वाले कमज़ोर/घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के भूखंड के किफायती आवासों को प्राथमिकता देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित सरकार के प्रमुख किफायती आवास कार्यक्रम के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

## आरबीआई अधिसूचना: 'डीबीटी मोड के माध्यम से दिये जाएंगे अल्पकालिक सब्सिडीयुक्त फसल ऋण'

### चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष से ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

### प्रमुख बिंदु

- सरकार ने अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज अनुदान हेतु 2018-19 के लिये ₹15,000 करोड़ निर्धारित किये हैं।
- एक अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कहा गया है कि ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) 2018-19 को पूर्व में लागू प्रावधानों के आधार पर ही अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आरबीआई को सूचित किया है कि उसने ब्याज अनुदान योजना 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- अधिसूचना में कहा गया है कि अंतरिम उपाय के रूप में ब्याज अनुदान योजना को 2018-19 में तब तक 2017-18 के नियम व शर्तों पर चलाया जाएगा, जब तक नए दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते।
- इस योजना के अनुसार, किसान ₹3 लाख तक का अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की सब्सिडीयुक्त ब्याज दर पर पा सकते हैं।
- फसल ऋण राशि पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना ऋण दिये जाने के तारीख से लेकर किसान द्वारा पुनर्भुगतान की तिथि या बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की देय तिथि,जो भी पहले हो (अधिकतम एक वर्ष), तक की जाएगी।
- आरबीआई की अधिसूचना में बैंकों से लाभार्थियों के कैटेगरी वाइज डाटा (सामान्य, एससी, एसटी आदि) तैयार करने का आदेश दिया गया है, ताकि इस डाटा को आईएसएस पोर्टल पर अपडेट किया जा सके और सबंधित दावों का निराकरण किया जा सके।

# उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय : उपलब्धियाँ और पहलें

## चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और सुधारों के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मई 2014 से अभी तक अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। खाद्य प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल बनाने न देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनेक पहल शुरू की गई।

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

### 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act-NFSA)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनयम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है, जिससे लगभग 80.72 करोड़ आबादी लाभान्वित हुई है।
- सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, अर्थात मोटे अनाज/गेँहू/चावल के लिये 1/2/3 रुपए प्रति किलोग्राम।
- इसके परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी अब 1.43 लाख करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2014-15 में 1.13 लाख करोड़ रुपए से 26% अधिक है।

#### राशन कार्डों को समाप्त करना

- राशन कार्डों/लाभार्थियों के रिकार्डों के डिजीटीकरण, आधार सीडिंग के कारण नकली राशन कार्डों की समाप्ति, स्थानातंरण/निवास स्थान परिवर्तन/मृत्यु, लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन होने तक की अवधि तथा इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ राशन कार्ड समाप्त कर दिये गए हैं।
- इसके आधार पर सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 17,000 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी सही लाभार्थियों के लिये लक्षित की है।
- राज्यों के भीतर खाद्यान्नों के संचलन तथा उचित दर दुकानों के डीलरों की मार्जिन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को वर्ष 2016-17 के दौरान 2500 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 के दौरान 4500 करोड़ रुपए जारी किये गए।

#### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (नकद)

- 21 अगस्त, 2015 को 'खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण नियम, 2015' अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है।
- वर्तमान में चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की दिशा में व्यवस्थित रूप से प्रगति कर रहा है।

### 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार

- जाली/अपात्र/नकली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिये तथा इसे सही रूप से लक्षित करने के लिये 83.41 प्रतिशत अर्थात् लगभग 19.41 करोड़ राशन कार्ड (29 मई 2018 की स्थिति के अनुसार) आधार के साथ जोड़े गए हैं।

#### उचित दर दुकानों का स्वचालन

- पायलट योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर 2014 में उचित दर दुकानों पर पीओएस मशीनों के इस्तेमाल के लिये दिशा-निर्देश और विनिर्दिष्टियाँ निर्धारित की थीं।
- फिलहाल (29 मई, 2018 की स्थिति के अनुसार) 5,27,930 उचित दर दुकानों में से 3,16,600 दुकानों में पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं।

#### सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल/कैशलेस/लेस-कैश भुगतान

- लेस-कैश/डिजिटल भुगतान तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभाग ने 7 दिसंबर, 2016 को एईपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी, डेबिट/रुपे कार्डों और ई-वॉलेट के इस्तेमाल के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। फिलहाल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 51,479 उचित दर दुकानों में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

नोट :

- उपर्युक्त के अलावा, राशन कार्ड डाटा का 100% डिजिटीकरण कर दिया गया है, सभी राज्यों के पास पारदर्शिता पोर्टल है, 30 राज्यों में खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रखला प्रबंधन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

### केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" Integrated Management of PDS (IM-PDS)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार करने हेतु सेंट्रल डाटा रिपोज़ीटरी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की केंद्रीय मानीटरिंग प्रणाली (Public Distribution System Network – PDSN) की स्थापना करने और राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी (National level portability) के कार्यान्वयन के लिये यह स्कीम 127.3 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है, जिसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किया जाएगा।

## 3. खाद्यान्नों की खरीद में सुधार

- रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 347 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी, जो पिछले पाँच वर्षों में सर्वाधिक है।
- खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के दौरान 381.06 लाख टन धान (चावल के रूप में) की रिकार्ड मात्रा की खरीद की गई।

## 4. खाद्यान्नों के भंडारण में सुधार

### गोदामों का निर्माण

- पिछले चार वर्षों के दौरान निजी उद्यमी गारंटीस्कीम के अंतर्गत कुल 22.23 लाख टन भंडारण क्षमता जोड़ी गई है।

### साईलो - भंडारण में आधुनिक प्राद्यौगिकी का इस्तेमाल

- गेहूं और चावल के भंडारण के लिये भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पद्धति से स्टील साइलो के रूप में 100 लाख टन भंडारण क्षमता के निर्माण की रूपरेखा अनुमोदित की गई है।
- 6.25 लाख टन क्षमता के साईलो का निर्माण कर लिया गया है और 23.5 लाख टन क्षमता के लिये संविदाएँ सौंप दी गई हैं।

### अन्य देशों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

- भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से दान/मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 1.10 लाख टन गेहूँ की आपूर्ति की गई है।

### ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली Online Procurement Management System (OPMS)

- भारतीय खाद्य निगम ने ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली के लिये एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसका उपयोग खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में खरीद के लिये किया जा रहा है।
- खरीद करने वाले 19 प्रमुख राज्यों में से 17 राज्यों में अब ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह कार्यान्वित कर दी गई है।

### डिपो ऑनलाइन प्रणाली (Depot Online system)

- भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के सभी प्रचालनों को ऑनलाइन करने तथा डिपो स्तर पर लीकेज को रोकने और कार्यों को स्वचालित करने के उद्देश्य से मार्च 2016 में 27 राज्यों में पायलट आधार पर 31 डिपुओं में 'डिपो ऑनलाइन' प्रणाली शुरू की गई थी।

## 5. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में परिवर्तन

- वेयरहाऊसों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और उनेक बेहतर और प्रभावी विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिये नया नियम अर्थात भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारण पंजीकरण नियम [Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules], 2017 अधिसूचित किया गया है।

### रिपोज़ीटरीज़ का पंजीकरण

- एनडब्ल्यूआर प्रणाली [Electronic Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR)System] में सुरक्षा, विश्वसनीयता का प्रावधान करने और बैंकों के वित्तीय विश्वास में वृद्धि करने के लिये भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण ने वेयरहाऊस पंजीयन की ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू की है और रिपोज़ीटरीज़ के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक एनडब्ल्यूआर जारी करने की शुरुआत की है।

नोट :

- भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण ने ई-एनडब्ल्यूआर के सृजन तथा प्रबंधन के लिये नेशनल इलेक्ट्रोनिक रिपोजीटरी लिमिटेड (National Commodity & Derivatives Exchange Limited-NCDEX द्वारा प्रायोजित) और सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजीटरी लिमिटेड (Central Depository Services Ltd -CDSL द्वारा प्रायोजित) नामक दो रिपोज़ीटरीज़ की नियुक्ति की है। दोनों रिपोज़ीटरीज़ ने दिनांक 26.09.2017 से ई-एनडब्ल्यूआर जारी करना शुरू कर दिया है।

### 6. एससी/एसटी/ओबीसी हॉस्टल में पोषण के पर्याप्त मानकों को सुनिश्चित करने के लिये अनाज आवंटन

- भारत सरकार ने एक नई स्कीम रिवैम्प करके अधिसूचित की है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी हॉस्टल में पोषण के पर्याप्त मानकों को सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी वाली कीमतों पर खाद्य पदार्थों को कल्याण और समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिये आवंटित किया जा रहा है।
- योजनाबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी समुदाय से संबंधित निवासी छात्रों के कम-से-कम 2/3 वाले छात्रावास सभी निवासी छात्रों के लिये सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, जिनमें अन्य श्रेणियों के लोग शामिल हैं।
- इस योजना के तहत खाद्यान्न का केंद्रीय मूल्य बीपीएल दरों पर तय किया गया है। गेहूँ और चावल के मुद्दे (विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य आदतों के आधार पर तय किया जाने वाला अनुपात) निवासियों की पोषण आवश्यकता के अनुसार है, प्रति माह अधिकतम 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति निर्धारित है।

### 7. भारतीय खाद्य निगम में पेंशन स्कीम और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम

- पेंशन स्कीम और सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम को लागू की मांग भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा काफी समय से की जा रही थी।
- भारत सरकार द्वारा दोनों स्कीम अगस्त 2016 में अनुमोदित की गईं और इनमें भारतीय खाद्य निगम के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। पेंशन स्कीम 01.12.2008 से कार्यान्वित की गई है और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम 01.04.2016 से प्रभावी हुई है।

## उपभोक्ता मामले विभाग

### 1. बेहतर उपभोक्ता संरक्षण

- 31 वर्ष पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये 05.01.2018 को संसद में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया गया।
- इस विधेयक में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जानी जाने वाली एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना करने का प्रावधान है, जो अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों इत्यादि की जाँच करेगी।
- उपभोक्ता विवादों के संबंध में त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करने हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" का प्रावधान; किसी दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ता को होने वाली हानि के लिये उत्पाद दायित्व संबंधी प्रावधान और उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गए हैं।

### 2. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

- उपभोक्ता विवादों के प्रभावी एवं तीव्र प्रतितोष के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन का सुदृढ़ीकरण किया गया है।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उनकी भाषा में जानकारी देने तथा उनकी भाषा में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करने के लिये छह जोनल हेल्पलाइन, प्रत्येक में 10 हेल्पडेस्क सहित, स्थापित की गई हैं।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अंतर्गत कंवर्जेंस कार्यक्रम में 430 कंपनियों के साथ भागीदारी की गई हैं, जो शिकायतों का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित करता है।

### 3. बेहतर गुणता आश्वासन

- 12 अक्टूबर, 2017 से नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 लागू किया गया है।

नोट :

- इस नए अधिनियम में किसी अनुसूचित उद्योग की वस्तु अथवा मद, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा, जिसे जनहित में अथवा मानव, पशु अथवा पादप स्वास्थ्य के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा अथवा अनुचित व्यापार की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है, को अनिवार्य प्रमाणन क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिये सक्षम बनाने का प्रावधान है।
- इसमें विनिर्माताओं को कारोबार करने की सरल सुविधा प्रदान करने के लिये अनुरूपता की स्वतः घोषणा सहित अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के बहु-प्रकार को अधिसूचित करने का भी प्रावधान है। इसमें मूल्यवान धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है।

### 4. मात्रा आश्वासन

- उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने तथा व्यवसाय की सुविधा प्रदान करने के लिये, विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) नियमावली में 1 जनवरी, 2018 से निम्नानुसार संशोधन किया गया:-
  - ई-कॉमर्स मंच पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं पर नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाएँ होनी चाहिये।
  - नियमावली में यह विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति समरूप पूर्व-पैकबंद वस्तु पर भिन्न-भिन्न अधिकतम खुदरा मूल्य (दोहरा एम.आर.पी.) घोषित नहीं करेगा।
- घोषणा के लिये अक्षरों तथा संख्याओं के आकार को बढ़ाया गया है, ताकि उपभोक्ता इन्हें आसानी से पढ़ सकें, निबल मात्रा जाँच को और अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है।
  - स्वैच्छिक आधार पर बार-कोड/क्यू आर कोडिंग की अनुमति दी गई है।
  - खाद्य उत्पादों पर घोषणाओं के संबंध में प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमन के साथ सुमेलित किये गए हैं।
  - औषध घोषित किये गए चिकित्सा यंत्रों को नियमावली के अंतर्गत की जाने वाली घोषणाओं के दायरे में लाया गया है।
  - क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं द्वारा 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ समय का प्रसार "सेकेंड" किया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग प्रणाली में सहायता मिलेगी।

### 5. आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य

- पहली बार, 20.5 लाख मीट्रिक टन तक के दालों के बफर स्टॉक का सृजन उपभोक्ता मामले विभाग की मूल्य स्थिरीकरण कोष स्कीम के ज़रिये उपभोक्ताओं के लिये दालों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- देश भर के 102 केंद्रों की 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। इनमें से, देश भर में वर्ष 2014 से 45 नए मूल्य सूचना केंद्रों को जोड़ा गया है, जिनमें से दो केंद्र पूर्वोत्तर से है।

### 6. डिजीटल पहलें

- उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष तंत्र तथा उपभोक्ताओं को जानकारी का प्रसार करने में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिये एक साझा आई.टी. मंच प्रदान करने हेतु सितंबर 2016 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अंतर्गत एक नया पोर्टल इनग्राम आरंभ किया गया है।
- बारकोड रीडर एप "स्मार्ट कंज़्यूमर" जो कि उत्पाद का विवरण जानने तथा पैकबंद वस्तुओं के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिये एक एप्लीकेशन है, को लाया गया है।

---

## एसएफआईओ द्वारा मुखौटा कंपनियों के डाटाबेस का संकलन

### चर्चा में क्यों?

मुखौटा कंपनियों पर कार्यबल (Task Force on Shell Companies) के गठन के बाद से अभी तक इसकी 8 बार बैठक हो चुकी है। इस दौरान कार्यबल ने मुखौटा कंपनियों के खतरों को नियंत्रित करने के लिये अति सक्रिय और समन्वित कदम उठाए हैं।

### मुखौटा कंपनियों पर कार्यबल (Task Force on Shell Companies)

- इस कार्यबल का गठन फरवरी 2017 में राजस्व सचिव तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया गया था और इसे प्रणालीबद्ध तरीके से विविध एजेंसियों ने समन्वय के ज़रिये कर चोरी सहित गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल मुखौटा कंपनियों को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा।

नोट :

- वित्तीय सेवा विभाग, सीबीडीटी, सीबीईसी, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, एफआईयू- आईएनडी, आरबीआई, सेबी, डीजी जीएसटीआई तथा डीजी – सीईआईबी इस कार्यबल के सदस्य हैं।
- कार्यबल को इस उद्देश्य के लिये अपीलीय प्राधिकार (appellate authority) प्राप्त है।
- कानून लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की मानक संचालन प्रक्रिया भी तय कर ली गई है और नोडल एजेंसी केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो (Central Economic Intelligence Bureau) द्वारा वितरित की गई है।
- कार्यबल की प्रमुख उपलब्धियों में एसएफआईओ (Serious Fraud Investigation Office –SFIO) द्वारा संकलित मुखौटा कंपनियों का डाटाबेस है।

## SFIO द्वारा किया गया डेटा संकलन

- नवीनतम स्थिति के अनुसार, इस डाटाबेस में तीन सूचियाँ यानी कनफर्म्ड लिस्ट (Confirmed List), डेराइव्ड लिस्ट (Derived List) और सस्पेक्ट लिस्ट (Suspect List) है।
- कनफर्म्ड लिस्ट में 16,537 मुखौटा कंपनियाँ हैं जो कंपनियों के लिये विभिन्न कानून लागू करने वाली एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) से प्राप्त सूचना के आधार पर पक्के तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं।
- डेराइव्ड लिस्ट में 16,739 कंपनियाँ हैं, जिनमें पूरी तरह मुखौटा कंपनियों के साथ 100 प्रतिशत साझा निदेशक हैं।
- सस्पेक्ट लिस्ट में 80,670 संदिग्ध मुखौटा कंपनियाँ हैं। यह सूची SFIO द्वारा बनाई गई है। कार्यबल ने कुछ संकेतकों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल और मुखौटा कंपनियों की पहचान करने में किया जाएगा।

## वर्तमान स्थिति

- वित्त वर्ष 2017-18 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) की देख-रेख में चलाए गए अभियान में कंपनियों के रजिस्ट्रार (Registrars of Companies-ROCs) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत 2,26,166 कंपनियों को चिन्हित किया और उनके नाम कंपनी रजिस्टर से हटाए।
- ये ऐसी कंपनियाँ थीं जिन्होंने लगातार दो या उससे और अधिक वित्तीय वर्षों के लिये वित्तीय सूचना या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया था।
- तीन वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 तथा 2015-16) से पहले की अवधि हेतु वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के लिये 3,09,619 निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 164(2)(a), जो कंपनी अधिनियम अनुच्छेद 167(1) के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया।
- निर्दिष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त इन बैंक खातों से वे तब तक कोई राशि नहीं निकाल सकते जब तक कि कंपनी फिर से कंपनी अधिनियम अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बहाल नहीं हो जाती।
- वास्तविक कंपनियों (genuine corporate) के लंबित रिटर्न को नियमित बनाने में मदद देने के लिये विलंब योजना (Condonation of Delay Scheme), 2018 को लाई गई। यह 1 जनवरी, 2018 से 1 मई, 2018 तक प्रभावी थी। इस योजना के अंतर्गत कुल 13,993 कंपनियों को लाभ हुआ।

## एलएलपी अधिनियम, 2008

- चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दूसरा अभियान चलाया जाएगा। इसमें कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत रजिस्टर से नाम हटाने के लिये कुल 2,25,910 कंपनियाँ चिन्हित की गई हैं।
- इसके साथ ही एलएलपी अधिनियम (Limited Liability Partnership - LLPs Act), 2008 के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कार्रवाई के लिये 7191 एलएलपी हैं। इन कंपनियों की पहचान 2015-16 तथा 2016-17 के लिये वित्तीय ब्योरा दाखिल नहीं करने के कारण की गई है।
- इन चिन्हित कंपनियों तथा एलएलपी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उन्हें डिफॉल्ट तथा प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में नोटिस जारी किया जाएगा। उनके उत्तरों पर विचार करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
- कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों के बीच दस्तावेज़ तथा सूचना साझा करने की व्यवस्था की गई है।

नोट :

- दस्तावेज़ों को साझा करने के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे अनुपालन के लिये कानून लागू करने वाली एजेंसियों में वितरित कर दिया गया है।

### अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कार्यबल ने कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे चार्टेड एकाउंटेंटों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्योरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकांउटेंट ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) को भेजें।
- लेखा परीक्षण (auditing profession) के लिये स्वतंत्र नियामक (independent regulator) यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च, 2018 को स्वीकृति दी और इसे 21 मार्च, 2018 को अधिसूचित कर दिया गया।
- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 447 में धोखाधड़ी को मनीलॉन्डरिंग रोकथाम अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के अंतर्गत विशिष्ट अपराध माना गया है।
- सरकार को आशा है कि उसके प्रयासों के चलते रजिस्ट्री से मुखौटा कंपनियों के नाम हटाने से भारत में पारदर्शी और परिपालक कॉरपोरेट व्यवस्था बनेगी, कारोबारी सहजता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।

### पृष्ठभूमि

कालाधन न केवल अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा करता है, बल्कि यह आतंक तथा मनीलॉन्डरिंग जैसे अपराधों को वित्त पोषण भी करता है, इससे ईमानदार लोगों को नुकसान पहुँचता है, यह राज्य को संचालन के लिये आवश्यक राजस्व से वंचित करता है तथा अंतत: देश के गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यही कारण है कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने कालेधन के खिलाफ निरंतर अभियान शुरू किये हैं। उदाहरण के तौर पर, 'कालेधन पर विशेष जाँच दल' का गठन किया गया, ब्लैक मनी (Undisclosed Foreign Income and Assets) और कर अधिनियम (Imposition of Tax Act), 2015, आय घोषणा योजना (Income Declaration Scheme), 2016, बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम [Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act], 2016 और विमुद्रीकरण योजना (demonetization scheme) आदि कुछ ऐसी ही बहुत महत्त्वपूर्ण पहलें हैं।

## भारतीय अर्थव्यवथा में एमएससीआई क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

### चर्चा में क्यों ?

एमएससीआई इंक (MSCI Inc), के हाल ही में एक व्यापक रूप से ट्रैक किये गए वैश्विक इंडेक्स कंपाइलर (index compiler) के अनुसार, यह निवेशक पहुँच को सीमित करने के लिये भारत सहित कुछ उभरते बाजारों को प्राथमिकता दे रहा है। इस खंड में MSCI से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

### एमएससीआई क्या है ?

- यह दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स कंपाइलर है, इसके पास 10 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जिसमें से उभरते बाज़ार के रूप में अकेले भारत में इसकी $ 2 ट्रिलियन संपत्ति निवेशित है।

### एमएससीआई सूचकांक क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

- वैश्विक निवेशकों द्वारा किसी देश में निवेश करने से पहले सूचकांक का बारीकी से अध्ययन और ट्रैकिंग की जाती है। एमएससीआई इंक के स्टॉक इंडेक्स में शामिल होने से किसी देश विशेष में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश किये जाने का मार्ग तो खुलता ही है, साथ ही वित्तीय विश्वसनीयता के संबंध में भी इज़ाफा होता है।

### एमएससीआई भारत को प्राथमिकता क्यों दे रहा है ?

- एमएससीआई के अनुसार, यह निवेशक पहुँच को सीमित करने के लिये भारत और ब्राज़ील समेत कई उभरते बाज़ारों को प्राथिकता प्रदान कर रहा है। अपने इस वक्तव्य की पुष्टि के लिये एमएससीआई द्वारा इस तथ्य का हवाला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बाज़ार नियामक यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - SEBI) के साथ लंबी और बोझिल अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

नोट :

- जैसा कि ज्ञात है, फरवरी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (National Stock Exchange of India - NSE) ने निफ्टी डेरिवेटिव्स (Nifty derivatives) में व्यापार करने से विदेशी मुद्रा बाज़ारों पर रोक लगा दी थी। जिसके चलते एनएसई और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के बीच एक कानूनी झगड़ा शुरू हो गया जो अभी तक जारी है। एमएससीआई द्वारा इस तरह के विवाद के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है।

### इसके आगे की राह क्या है ?

- एमएससीआई के अनुसार, तुर्की और दक्षिण कोरिया के साथ-साथ भारत और ब्राज़ील कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनमें स्टॉक मार्केट की उभरती संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इनकी भविष्यगामी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए इन्हें एमएससीआई सूचकांक में शामिल किया जा सकता है।

### एमएससीआई में भारत की हिस्सेदारी

- वर्तमान में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स (MSCI Emerging Markets Index) में भारत की हिस्सेदारी 8.3% है। मई 2018 में यह 8.48% थी, 31 मई को चीन के ए-प्लस शेयर (China A- shares) के आंशिक समावेशन के बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है।

चूँकि भारतीय बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी काफी अच्छे अनुपात में है ऐसे में इसके अंतर्गत भारत की हिस्सेदारी में किया गया कोई भी बदलाव देश में विदेशी निवेशकों के प्रवाह को प्रभावित करेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होगा। ऐसे में भारत को अपनी नीतियों और कार्य-प्रणाली के संदर्भ में सतर्क रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी विवाद से बचा जा सके जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

---

## रिजोल्यूशन पेशेवरों का पैनल स्थापित करने की तैयारी में आईबीबीआई

### चर्चा में क्यों ?

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने योग्य रिजोल्यूशन पेशेवरों से गठित किये जाने वाले पैनल का हिस्सा बनने के लिये इओआई(expression of interest) आमंत्रित किये हैं।

### प्रमुख बिंदु

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की सभी शाखाओं के लिये इस प्रकार के पैनल का गठन किया जाएगा। देश में एनसीएलटी की 10 शाखाएँ हैं।
- जो भी रिजोल्यूशन पेशेवर पैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको 15 जून तक विधिवत भरे हुए फॉर्म आईबीबीआई जमा करवाने होंगे।
- पैनल का हिस्सा बनने के लिये एक रिजोल्यूशन पेशेवर का चयन करते समय एक स्कोरिंग प्रारूप अपनाया जाएगा।
- पैनल के गठन के बाद अधिनिर्णयन प्राधिकरण (NCLT) अंतरिम रिजोल्यूशन पेशेवर (IRP) के रूप में चुने जाने वाले रिजोल्यूशन पेशेवरों के नाम का चयन कर सकेगा।
- आईबीसी नियमों के तहत गठित किये गए पैनल की वैधता अवधि छह माह होगी तथा छह माह बाद पुराने पैनल को एक नए पैनल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।
- दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान आईबीसी विनियमन में आईआरपी पर कुछ शर्तें आरोपित की गई हैं। यथा- वह अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा आईआरपी या लिक्विडेटर के तौर नियुक्त किये जाने के पश्चात् कार्य करने से इनकार नहीं कर सकता, आईआरपी/लिक्विडेटर के रूप में कार्य करने को लेकर अपनी अभिरुचि वापस नहीं ले सकता, पैनल की वैलिडिटी के दौरान अपने पंजीकरण को सरेंडर नहीं कर सकता।

### क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' ?

- विदित हो कि 2016 में केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था।

- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुज़रना पड़ता है। देश में अभी तक दिवालियापन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।

## क्यों आंदोलन कर रहे हैं किसान ?

### संदर्भ

अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के बाद वर्तमान सरकार ने एक बड़ा मीडिया अभियान शुरू किया, जिसे '48 मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' नाम दिया गया। सरकार द्वारा कई इन्फोग्राफिक्स और ट्वीट्स के माध्यम से किसानों को खुशहाल दिखाया गया और यह दर्शाया गया कि इन 48 महीनों में किसानों के जीवन में बड़े बदलाव आ गए हैं। लेकिन सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। हाल के दिनों में किसानों द्वारा देश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किये जाने की घटनाएँ सामने आई हैं।

### प्रमुख बिंदु

- किसानों द्वारा किये गए हालिया प्रदर्शनों का उद्देश्य उनकी बेशुमार समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें कृषि उत्पादों की कम कीमतों पर विशेष जोर दिया गया था।
- पिछले 48 महीनों में सरकार के कृषि क्षेत्र में किये गए प्रदर्शन के बारे में कुछ आँकड़ों के माध्यम से प्रकाश डाला जा सकता है और किसानों के आंदोलनरत होने के कारणों का पता लगाया जा सकता है।
- सीएसओ के आँकड़ों के अनुसार इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था( जीडीपी के संदर्भ में) औसतन 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह (कृषि जीडीपी) प्रतिवर्ष मात्र 2.5 प्रतिशत की दर से बड़ी है।
- कृषि में निवेश (कृषि में सकल पूंजी निर्माण, कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) 2013-14 के 17.7 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में 15.5 प्रतिशत पर आ गया।
- कृषिगत निर्यात 2013-14 के $42 बिलियन से घटकर 2015-16 में $32 बिलियन हो गया, जो 2017-18 में सुधरकर $38 बिलियन हो गया।
- कृषिगत आयात 2013-14 के $16 बिलियन से बढ़कर 2017-18 में $24 बिलियन हो गया। इस कारण कृषिगत व्यापार अधिशेष 2013-14 के $26 बिलियन से घटकर 2017-18 में $14 बिलियन हो गया।
- साथ ही, अधिकांश प्रमुख फसलों की लाभप्रदता 2013-14 की तुलना में 2017-18 में लगभग एक तिहाई तक कम हो चुकी है।
- 2002-03 और 2012-13 के बीच किसानों की वास्तविक आय की वार्षिक वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी, जो पिछले 48 महीनों में घटकर लगभग 2.5 प्रतिशत हो चुकी है।
- कुल मिलाकर, आँकड़ों से पता चलता है कि 2013-14 के बाद कृषि के मोर्चे पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
- कृषि क्षेत्र में सामान्य से निम्न प्रदर्शन किसानों के आक्रोश का प्रमुख कारण है।
- किसानों की दो प्रमुख मांगें हैं- पहली, सरकार द्वारा किये गए 'लागत पर 50 प्रतिशत लाभप्रदता' के वादे को पूरा किया जाए और दूसरी, पूर्ण ऋण माफी सुनिश्चित की जाए।
- लाभकारी कीमतों संबंधी वादा 2006 की एम एस स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 50 प्रतिशत अधिक रखने की सिफारिश की थी।
- कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना उत्पादक किसानों को 2017-18 में प्राप्त हुआ मार्जिन 2013-14 के मर्जिनों से भी कम है। ऐसे में यदि 2018-19 में खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो भी जाती है तो भी सरकार के खरीद तंत्र की सीमित पहुँच को देखते हुए इस बढ़ोतरी का लाभ सीमित किसानों तक ही पहुँचने की उम्मीद है।

नोट :

- बेहतर कीमतों के लिये कुशल और टिकाऊ समाधान हेतु कृषि विपणन ढाँचे को व्यवस्थित करना बेहद आवश्यक है। साथ ही इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में भी उचित परिवर्तन करने होंगे।
- केंद्र सरकार के पास कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार करने का एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि वर्तमान में देश के अधिकांश राज्यों में एनडीए की सरकारें है।
- लेकिन, आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए, इस बात की संभावना अधिक है कि सरकार ऋण माफी पर ज्यादा जोर दे। इस कदम से किसानों को अस्थाई राहत भले ही मिल जाए, लेकिन इससे कृषि क्षेत्र के पुनरुत्थान की संभावना बेहद कम है।
- कृषिगत जीडीपी में 4 प्रतिशत की दर से सतत् वृद्धि प्राप्त करना अभी भी बड़ी चुनौती है और कृषि क्षेत्र की वर्तमान दशा को देखते हुए 2022 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने का लक्ष्य बहुत दूर नजर आता है।
- सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि कृषि क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। साथ ही उसे वर्तमान में चल रहे कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का समयोचित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

## तेल की ऊँची कीमतों के बावजूद प्रेषित धन की प्राप्ति में कमी आने के आसार

### चर्चा में क्यों ?

भारत वर्ष 2017 में प्रेषित धन (remittances) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 2017 में प्राप्त हुआ प्रेषित धन 2016 से 10 प्रतिशत अधिक था। लेकिन अनुमानों के मुताबिक इसमें आने वाले समय में कमी आ सकती है।

### प्रमुख बिंदु

- भारत आमतौर पर खाड़ी क्षेत्र से प्रेषण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है और वैसा ही 2017 में भी हुआ।
- चूँकि प्रेषित धन का बड़ा हिस्सा मध्य-पूर्व से आता है, अत: यह कहना गलत नहीं होगा कि इसका प्रवाह और पैटर्न कच्चे तेल की कीमतों के साथ सघनता से संबंधित होता है, क्योंकि मध्य-पूर्व के अधिकांश देश तेल-आधारित अर्थव्यवस्थाएँ हैं।
- लेकिन इस ट्रेंड में बदलाव आ सकता है। खाड़ी देशों में राष्ट्रवादी भावनाएँ उत्थान पर हैं, जो भारत को प्रेषित होने वाले धन के लिये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, फिर भले ही तेल की कीमतें मज़बूत क्यों न हों।
- खाड़ी देशों में नौकरियों में विदेशी लोगों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी रही है एवं वहाँ की सरकारें सार्वजनिक खर्चों में बढ़ोतरी कर रही हैं।
- प्रेषित धन के स्रोत वाले शीर्ष सात में से पाँच देशों द्वारा अपनाई जा रही स्थानीय भर्ती संबंधी योजनाएँ/कानून तेल की ऊँची कीमतों के कारण हो सकने वाली प्रेषित धन की मात्रा में बढ़ोतरी में बड़ी बाधक बन सकती हैं।
- ये पाँच देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान है। इन देशों की नीतियाँ कार्यबल के आवश्यक प्रतिशत की पूर्ति अपने देशों के नागरिकों से करने पर ध्यान केंद्रित कर रहीं हैं।
- अनुमानों के अनुसार, आगामी तिमाहियों में सऊदी अरब, कुवैत और ओमान में कुछ चुनिंदा नौकरियाँ/ सेक्टर इन देशों से होने वाले धन प्रेषण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले हैं।
- हालाँकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (विशेष रूप से अमेरिका) में मजबूत आर्थिक स्थितियों द्वारा भारत की समग्र प्रेषण प्राप्ति में कुछ सहारे की उम्मीद है। स्मरणीय है कि 2017 में अमेरिका दूसरा प्रमुख योगदानकर्त्ता था, जो भारत को होने वाले प्रेषण की 17% हिस्सेदारी के लिये जिम्मेदार था।
- खाड़ी क्षेत्र में उभरते प्रेषण संबंधी संबंधी जोखिम से भारत के चालू खाता घाटा (current account deficit) की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।

# अधिशेष का समय

## संदर्भ

हाल के समय में भारतीय कृषि में आपूर्ति प्रक्रिया में बदलाव आ चुका है। अब किसान कीमतें बढ़ने के समय उत्पादन बढ़ाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। पहले फसल आपूर्ति वक्र लगभग लंबवत था, अर्थात् चाहे कीमतें कितनी भी हों, उत्पादन और बेची जाने वाली मात्रा समान रहती थी। उदाहरण के तौर पर दालों को लिया जा सकता है। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक देश का औसत उत्पादन 13 मिलियन टन (एमटी) से थोडा अधिक था। जो सूखे की स्थितियों में 11-12 मिलियन टन तक गिर गया, जबकि सबसे अच्छे उत्पादन वर्षों के दौरान भी यह 15 मिलियन टन से थोड़ा कम ही बना रहा।

### प्रमुख बिंदु

- पहली बार 2010-11 में दालों का उत्पादन न केवल 15 मिलियन टन को पार कर गया, बल्कि 18 मिलियन टन तक पहुँच गया।
- यहाँ तक कि 2014-15 और 2015-16 में, जो दोनों सूखे के वर्ष थे, उत्पादन 16-17 मिलियन तक के स्तर पर बना रहा।
- चूँकि, किसानों ने 2015 और 2016 की उच्च कीमतों के जवाब में रोपण को बढ़ाया, इसलिये 2016-17 में उत्पादन 23.13 मिलियन और 2017-18 में 24.51 मिलियन तक बढ़ गया।
- जुलाई से शुरू होने वाले नए फसल वर्ष से पहले ही सरकार के पास घरेलू रूप से खरीदी गई दालों का 4 मिलियन टन का स्टॉक मौजूद है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था।
- यह परिदृश्य केवल दालों के मामले में ही सत्य नहीं है, बल्कि चीनी उत्पादन के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
- पूर्व में चीनी उत्पादन को सूखे की स्थितियों से उभरने में आमतौर पर दो साल लगते थे। लेकिन, 2017-18 में उत्पादन पिछले साल के 20.26 मिलियन टन के निचले स्तर से उबर कर 32 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। अत: पुराना चीनी चक्र, जिसमें तीन बंपर पैदावार वाले सीजनों के बाद दो वर्ष कम उत्पादन होता था, वह अब घटकर पाँच साल में एक साल रह गया है।
- सब्जियों के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। पिछले साल कर्नाटक में पैदा हुई सूखे की स्थिति के कारण प्याज की कीमतों में तेजी आ गई और इसकी कीमत बढ़कर ₹30 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गईं। अत: किसानों ने पिछले रबी के सीजन में बड़े स्तर पर प्याज की बुआई की। फलत: इस वर्ष अप्रैल-मई में प्याज की कीमतें ₹6-7 प्रति किलोग्राम तक गिर गईं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति टमाटर के संदर्भ में देखी गई।
- ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इस बदले हुए परिदृश्य के लिये कौनसे कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

### बढ़ते उत्पादन के लिये जिम्मेदार कारक

- वास्तव में बेहतर बीज और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने बड़ा फर्क पैदा किया है। उदाहरण के तौर पर 2011 में जारी की गई गेहूँ की एक किस्म एचडी-2967 पाँच साल के भीतर एक सीजन में 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर सकती है।
- इसी प्रकार, गन्ने की एक किस्म Co-0238 का भी उदाहरण लिया जा सकता है, जो न सिर्फ प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्रदान करने में सक्षम है , बल्कि प्रति टन अधिक चीनी भी प्रदान करती है। पहली बार 2013-14 में रोपित किये जाने के बाद, वर्तमान में यह उत्तर भारत में गन्ने के अंतर्गत आने वाले आधे से अधिक प्रदेश में उगाई जाती है और उत्तर प्रदेश के इस सीजन के 12 मिलियन टन चीनी उत्पादन के लिये जिम्मेदार है।
- इसी प्रकार हाइब्रिड किस्मों के चलन के बाद चावल, मक्का जैसी अन्य किस्मों के उत्पादन में भी जमकर बढ़ोतरी हुई है और देश के कुछ हिस्सों में इनका उत्पादन पश्चिमी देशों के कृषि समृद्ध प्रदेशों में होने वाले उत्पादन के बराबर है।
- इसी प्रकार ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ने भारत के दुग्ध उत्पादन को 1970-71 के 22 मिलियन टन से 1995-96 में 66.2 मिलियन टन तक बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। यह उत्पादन 2016-17 में 165.4 मिलियन टन पर पहुँच चुका है।
- संक्षेप में कहें तो उन्नत बीज, तकनीक और बेहतर अवसंरचनात्मक सुधारों के कारण उत्पादन मंष जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब किसान कीमतों और नई किस्मों के बारे में और सजग रहते हैं और फसल संरक्षण और बीज उपचार को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में सक्षम हैं।

नोट :

- हालाँकि, हमारे नीति निर्माता अभी भी उत्पादन अधिशेष की स्थिति का बेहतर लाभ उठाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हुए हैं। समय-समय पर कालाबाजारी जैसे कारणों से कीमतों में बढ़ोतरी होती रहती है। इसे रोकने हेतु नीति-निर्माताओं को कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। यथा- जब भी कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो तुरंत प्रभाव से भंडारण क्षमता पर सीमाएँ आरोपित कर देनी चाहिये, निर्यात में कुछ समय के लिये कमी की जाए, उत्पादों के अंतर-राज्यीय पारेषण में कमी कर देनी चाहिये, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध त्वरित और सख्त कार्यवाही की जाए।

# तिलहन क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने का समय

## संदर्भ

यह अपेक्षा करना तर्कसंगत है कि कम आपूर्ति में वस्तुओं का बाज़ार मूल्य उच्च रहेगा लेकिन तिलहन हमारे देश में एक अपवाद है। विभिन्न तिलहनों (सोयाबीन, मूंगफली, सरसों) की कीमतें काफी लंबे समय से कम रही हैं जो उत्पादकों के हितों को चोट पहुँचा रही हैं।

### घरेलू तिलहन की उदासीन कीमतों का प्रमुख कारण

- घरेलू तिलहनों की उदासीन कीमतों का एक प्रमुख कारण विदेशों से कम कीमत वाले तेलों का निरंतर बड़े पैमाने पर आयात है।
- पाम ऑयल का देश के वार्षिक आयात के लगभग दो-तिहाई हिस्से के हिसाब से 14 मिलियन टन का आयात किया जाता है जो कि 11 अरब डॉलर ( 70,000 करोड़ रुपए) से अधिक है और यह भारत को दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना रहा है।
- पिछले दो दशकों में हमारी नीतिगत चूक का परिणाम यह है कि खाद्य तेल में हमारी आत्मनिर्भरता आयात-निर्भरता के साथ कम हो गई है, जबकि हमारी उपभोग आवश्यकताएँ 70 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।
- घरेलू तिलहन उत्पादकों का समर्थन करने के लिये सरकार ने 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में खाद्य तेल आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। यह एक महीने बाद पाम आयल समूह पर कर में बढ़ोतरी के साथ हुआ है।
- अंतिम शुल्क वृद्धि (पाम आयल पर) ने व्यापार के एक वर्ग की मुश्किलों को बढ़ाया है, जिसने मांग की है कि सोयाबीन, सूरजमुखी और रैपसीड आयल जैसे गैर-पाम आयल पर भी शुल्क बढ़ाया जाना चाहिये।

### अतार्किक मांग

- एक तरफ जब उद्योग, व्यापार, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उत्पादकों को घरेलू उत्पादन को अधिकतम करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिये मिलकर काम करना चाहिये, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग विदेशी मूल के सामानों के लिये भी खेल के मैदान की तलाश करने में लगे हैं।
- वास्तव में पाम आयल पर आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर मार्च में लिया गया सरकार का निर्णय राजस्व उत्पादन और घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के मामले में मज़बूत कदम है।
- पाम आयल का घरेलू उत्पादन नगण्य है। यह तेल विदेश से आता है।
- आयातित उत्पाद से राजस्व वसूलने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह देश के भीतर नहीं बनाया जाता है।
- आयातकों के अनुकूल शुल्क दरों के साथ लंबे समय तक इस तरह के आयात ने घरेलू तिलहन अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।
- नि:संदेह आयात अपरिहार्य है क्योंकि घरेलू खाद्य तेल की स्पष्ट कमी है। इसलिये ऐसा मामला नहीं है कि सामान्य रूप से खाद्य तेल आयात या पाम आयल के आयात को रोक दिया जाना चाहिये।
- इस क्षेत्र में एक मज़बूत विनियमन की आवश्यकता है जो आयात की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिये न कि अटकलबाज़ीयों पर आधारित हो।

### संरचनात्मक समस्याओं की उपेक्षा

- सरकारों ने निरंतर तिलहन उत्पादन को बढ़ाने वाले संरचनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर दिया है।
- दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से घरेलू तिलहन और तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी रणनीतियों पर काम करने की बजाय, सरकारों का झुकाव व्यापार और टैरिफ नीतियों की ओर रहा है। अक्सर, सरकार लॉबी के दबाव में झुक जाती है।

- हाल ही में कृषि सचिव द्वारा दिये गए स्पष्ट बयान में कहा गया है कि सोयाबीन, रैपसीड और सूरजमुखी के तेलों पर सीमा शुल्क जल्द ही बढ़ाया जाएगा। यह बयान इसके औचित्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
- सीमा शुल्क के मामले में वित्त मंत्रालय निर्णय लेता है और घोषणा करता है जबकि कृषि अधिकारी इसके दायरे से बाहर हैं।
- शुल्क वृद्धि पर बयान देकर कृषि सचिव ने बाज़ार प्रतिभागियों, विशेष रूप से सट्टेबाजों को अनुचित लाभ उठाने का मौका दे दिया है।
- दूसरी तरफ, यदि कृषि मंत्रालय तिलहन उत्पादकों को समर्थन देने के लिये वास्तव में गंभीर है, तो उसे अपनी खरीद प्रणाली को मज़बूत करना चाहिये।
- अब समय आ गया है कि देश व्यापार और टैरिफ नीतियों में सुधार के प्रयास करे तथा तिलहन क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करे।

## भारत के एनपीए और वैश्विक परिदृश्य

### संदर्भ

बैंकों के सामने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के मुद्दे कई महीनों से सुर्ख़ियों में बने हुए हैं और तथ्य यह है कि अभी भी इस मुद्दे पर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि इन सभी को मान्यता मिली है या नहीं। इस संदर्भ में यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली वैश्विक मापदंड पर कहाँ खड़ी है क्योंकि एनपीए के परिणामस्वरूप अतीत में कई निर्णय किये गए जो दूरदर्शिता की दृष्टि से गलत थे।

- बैंकिंग प्रणाली में उधार संचालन इस बात से जुड़ा हुआ है कि अर्थव्यवस्था कैसे व्यवहार करेगी। यदि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, तो यह माना जाता है कि भविष्य में भी यह प्रबल बनी रहेगी।
- इसलिये समस्या यह है कि उम्मीदों के अनुरूप अर्थव्यवस्था हमेशा अच्छी तरह से प्रगतिशील प्रतीत होती है लेकिन यह समझने की बात है कि कब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, निर्णय धुँधला दिखाई देने लगता है और सिस्टम में त्रुटियाँ आ जाती है क्योंकि क्रेडिट मूल्यांकन गलत हो जाता है।

### व्यापार चक्र

- जब व्यापार चक्र उत्साही होते हैं और ब्याज दरें कम होती हैं, तो कंपनियाँ बड़े निवेश के लिये आगे आती हैं और बैंक उत्साह में होते हैं क्योंकि सब कुछ व्यावहारिक लगता है।
- वित्त वर्ष 2008 और वित्त वर्ष 2012 के बीच बैंक क्रेडिट में औसत वृद्धि 19 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, जब रेपो दर पहली बार 7.75% से घटकर 5 प्रतिशत हो गई थी, जो वित्त वर्ष 2012 तक 8.5 प्रतिशत हो गई थी।
- इन चरणों के दौरान ब्याज लागत को भी रोक दिया गया क्योंकि यह माना जाता है कि यह लागत का एक छोटा सा घटक है और इसे तेज़ी से बढ़ने वाली टॉपलाइन के साथ अवशोषित किया जा सकता है।
- उन वर्षों में कॉर्पोरेट बिक्री वृद्धि आवर्ती आधार पर 15-20 प्रतिशत औसत थी।
- यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अवधि के दौरान बैंक क्रेडिट 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के साथ तेज़ी से बढ़ गया।
- तब अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्रों में विभिन्न विवादों से प्रभावित हुई थी, विशेष रूप से, निवेश को विफल कर दिया गया और स्थगित परियोजनाओं में वृद्धि हुई क्योंकि नौकरशाह निर्णय लेने को तैयार नहीं थे।
- बाद में बैंक क्रेडिट वृद्धि धीमी हुई और वित्त वर्ष 2013 तथा वित्त वर्ष 2016 के बीच औसत वृद्धि दर 11 प्रतिशत तक पहुँच गई।
- इसलिये इस अतियथार्थवाद (surrealism) को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई (जीडीपी वृद्धि भी विभिन्न आधार वर्षों के साथ इन दो अवधि के लिये लगभग 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष गिर गई)।
- कई देशों में तेज़ी से विकास हुआ 1980 और 1990 के दशक के साथ-साथ चीन में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने चीन की निवेश-संचालित मॉडल के आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की।
- 10 प्रतिशत के साथ भारत उच्च एनपीए वाले देशों के 'असंतोषजनक' लीग में शामिल है। ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड और रूस सबसे अधिक समस्याग्रस्त हैं।

- सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शीर्ष चार देश PIIGS समूह का हिस्सा थे, जो 2010 के यूरो संकट का प्रतीक था।
- स्पेन 4.5 प्रतिशत के अनुपात से दूर हो गया है, जबकि शेष अभी भी उन्हें फिर से रोकने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- एक चीज़ जो मौजूद है वह यह है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे कुछ लैटिन अमेरिकी राष्ट्र इस मोर्चे पर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि तुर्की के समक्ष मुद्रा और विकास के मामले में अन्य चुनौतियाँ भी हैं, जिनका अनुपात 3 प्रतिशत से कम है।
- कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन के तहत विभिन्न छद्म रूप उपलब्ध होने के बावजूद भारत के एनपीए लगभग 3 प्रतिशत थे।
- हालाँकि, आरबीआई ने 2016 में संपत्ति गुणवत्ता की मान्यता संबंधी अवधारणा के बारे में बताया था, इसलिये बैंकों ने सिस्टम पर ज़ोर दिया।
- अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले विकसित देशों में 2 प्रतिशत से कम एनपीए अनुपात के साथ मज़बूत बैंकिंग सिस्टम हैं, जबकि इस मामले में चीन 1.7 प्रतिशत पर है।
- एनपीए मुद्दा सिर्फ प्रतिकूल पोर्टफोलियो के साथ समाप्त नहीं होता है। चूँकि प्रावधानों की त्वरित पहचान पर ये उपाय किये गए हैं फिर भी बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।
- भारतीय बैंकों के लिये 0.33 प्रतिशत पर परिसंपत्तियों की वापसी बहुत से विकसित देशों के लिये तुलनीय है। हालाँकि, इससे एक भ्रामक निष्कर्ष निकल सकता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली उनके समतुल्य है।
- पश्चिमी बैंक छोटी ब्याज दर पर काम करते हैं जिनके बैलेंस शीट अधिक फैले हुए होते हैं जो परिसंपत्ति पर रिटर्न कम करता है। इसी प्रकार, पूंजी की एक बड़ी मात्रा शुद्ध मूल्य पर रिटर्न को कम करती है।
- इसका मतलब है कि यदि भारतीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की गई है तो वर्तमान स्तर पर लाभप्रदता को बनाए नहीं रखा जाएगा।
- इस प्रकार जमाधारकों के साथ ही उधारकर्त्ता प्रतिकूल ब्याज दर परिगणना का सामना कर रहे हैं।

### निष्कर्ष

- उम्मीद है कि आईबीसी (दिवालिया और दिवालियापन संहिता) को अपने मकसद में खरा उतरने के लिये उसमें कुछ बदलाव किये जाएंगे और उसका पालन करने के लिये समुचित कदम उठाए जाएंगे।
- यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत में रिकवरी दर 15-20 फीसदी कम है, जबकि सिस्टम को समय-समय पर 50-75 फीसदी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है।
- सिस्टम को और एक साल के लिये संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन 201 9-20 वित्तीय रूप से उज्ज्वल हो सकता है।

## सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ध्यान से देखभाल करने की आवश्यकता

### संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने पिछले हफ्ते एक भाषण में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की कार्य प्रणाली में लोगों का विश्वास निचले स्तर पर पहुँच गया है। इसका कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैड लोन के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं। इनमें से कई को आरबीआई की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है और वे उधार देने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में सरकार को इन बैंकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु तत्काल कुछ कदम उठाने होंगे।

### प्रमुख बिंदु

- मार्च तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ₹62,000 करोड़ से अधिक की हानि दर्ज की गई एवं इनकी सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (non-performing assets) लगभग ₹9 ट्रिलियन थी।
- हालाँकि, सरकार इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया में है। लेकिन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण संबंधी ₹2.11 ट्रिलियन के प्लान से इन बैंकों को पुन: पटरी पर लाया जा सकेगा, इसकी संभावना बेहद कम है।
- चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों का लगभग 70 प्रतिशत स्वामित्व अपने पास रखते हैं, अत: इनके ऋण प्रदान करने में असमर्थता का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

नोट :

- अत: यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि इनकी स्थिति की ध्यान से देखभाल की जाए। इस संदर्भ में, कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर इस चरण में ध्यान देने की आवश्यकता है।
- प्रथम, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है, 21 पीएसयू बैंकों में से चार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के लिये प्रतिस्थापन नियुक्त नहीं किया है और आने वाले महीनों में नौ और बैंकों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा पद छोड़ने की आशंका है।
- इस स्थिति को देखते हुए यह संभव है कि नए सीईओ की समय पर नियुक्ति न हो पाए। यह स्थिति निश्चित तौर पर वांछनीय नहीं है, खासतौर पर उस समय जब बैंक दबाव की स्थिति में हैं और त्वरित निर्णयन की विशेष आवश्यकता है।
- बैंकों के शीर्ष पर निर्विघ्न संक्रमण हेतु एक बेहतर प्लान होना बेहद आवश्यक है। हालाँकि, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सरकार को शीर्ष नेतृत्व के लिये कुशल प्रतिभा को आकर्षित करना मुश्किल होगा, क्योंकि अधिकांश बैंकरों में जाँच एजेंसियों का डर बैठा हुआ है।
- बहुत से कार्यरत और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जाँच के दायरे में हैं। ऐसे में सरकार को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि इन जाँच प्रक्रियाओं से डर का माहौल पैदा न हो।
- द्वितीय, सरकार अब बैड लोन के तेजी से समाधान के लिये एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (asset reconstruction company) के गठन पर विचार कर रही है और इस संबंध में सिफारिशें प्रदान करने के लिये एक समिति भी गठित की गई है। इस समिति द्वारा अगले दो सप्ताह में अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है।
- समिति क्या सुझाव देती है, यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा। लेकिन इस विचार के बहुत प्रभावी साबित होने की संभावना कम है।
- मूल समस्या तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की होगी। उदाहरणस्वरूप, यदि इन परिसंपत्तियों को पार मूल्य पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और रिजोल्यूशन को सरकारी स्वामित्त्व वाली एआरसी के जिम्मे छोड़ दिया जाता है, तो इससे और अधिक जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।
- साथ ही एआरसी को बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है।
- वास्तव में दिवालिया संहिता के बाद भारत को ऐसी एआरसी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंकों को वर्तमान ढाँचे के माध्यम से ही बैड लोन की समस्या का निपटान करने में सक्षम होना चाहिये।
- तृतीय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीगत आवश्यकताओं और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के अलावा गवर्नेंस संबंधी सुधारों की भी आवश्यकता है। यह ऐसा पहलू है, जिस पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है।
- सरकार को बैंकों के गवर्नेंस हेतु एक नए ढाँचे की स्थापना करनी होगी, जिसमें उच्च स्तर पर समयोचित नियुक्तियाँ किये जाने की व्यवस्था हो और बैंकों का शीर्ष नेतृत्व पेशेवर और उत्तरदायी हो।
- समग्र रूप से बात करें, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भविष्य के संदर्भ में स्पष्टता होनी चाहिये।
- वास्तव में कुछ बैंकिंग सुधार तभी प्रभावी हो पाएंगे, जब एक स्पष्ट रोडमैप परिभाषित किया जाए।
- बैंकों को उनके मज़बूती वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिये, ताकि वे समय के साथ अधिक कुशल हो जाएँ और विकास के लिये बजटीय समर्थन पर निर्भर न रहें।

## एयर इंडिया : विनिवेश का मार्ग

### संदर्भ

आश्चर्यजनक रूप से एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश निवेशकों को लुभाने में असफल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कंपनी को एक आकर्षक निवेश अवसर के रूप में देखा जाय, पूरी बिक्री प्रक्रिया और शर्तों पर फिर से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये कंपनी को छोटी इकाइयों में पुनर्गठित किया जाना चाहिये। साथ ही इन इकाइयों का पुनर्गठन और निर्माण कर बिक्री के दौरान अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना होगा।

### एयर इंडिया को सात इकाइयों में पुनर्गठित करने की आवश्यकता

कंपनी को सात इकाइयों में पुनर्गठित किया जाना चाहिये-

1. विमानन- यात्री और कार्गो (एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलायंस एयर शामिल हैं)

नोट :

2. लीज़िंग - सभी स्वामित्व वाली वायुयान संपत्तियाँ
3. हवाईअड्डा सेवाएँ-ग्राउंड हैंडलिंग (पहले से निर्मित)
4. होटल (पहले से निर्मित)
5. रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ, पहले से ही बनाया गया)
6. लॉयल्टी कार्यक्रम-उड़ान वापसी
7. विरासत (legacy) - अतिरिक्त संपत्तियों, मानव संसाधनों और देनदारियों को शामिल करना, यह अन्य कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण नहीं है।

## अन्य महत्त्वपूर्ण सुझाव

- इन इकाइयों का पुनर्गठन और निर्माण, बिक्री के दौरान अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करेगा और सरकार का वित्तीय नुकसान कम होगा।
- इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कंपनियों के बीच प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्रतिस्पर्द्धी और बाज़ार दरों के अनुरूप हों।
- विमानन इकाई के पुनर्गठन में टिकट मूल्य निर्धारण और लोड कारकों को अनुकूलित करने के लिये यातायात और मार्गों पर विस्तृत अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिये।
- 11 विमान उप-प्रकारों के मिश्रित विमानों में तीन से कम नहीं होने चाहिये।
- भारत की अग्रणी एयरलाइन, इंडिगो में केवल एक विमान प्रकार अनुदेशित है, जिससे लागत और जटिलता कम आती है।
- पूरे विमान पोर्टफोलियो, एमआरओ सेवाओं, हवाईअड्डा सेवाओं और लॉयल्टी कार्यक्रम को पट्टे पर देने के लिये अन्य संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धी सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
- पुनर्गठन का मानव संसाधन हिस्सा राजनीतिक रूप से मुश्किल होगा लेकिन वित्तीय रूप से आवश्यक होगा।
- सभी महत्त्वपूर्ण कर्मचारियों को "बाज़ार स्तर पर" विमानन इकाई में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये, यह किसी भी निवेशक के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रासंगिक विमानन अनुभव के साथ एक गतिशील और कुशल प्रबंधन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तरह नौकरशाही से प्रभावित न हो, आवश्यक होगा।
- सभी अतिरिक्त संपत्तियाँ (मुंबई कार्यालय, दिल्ली भूमि संपत्ति आदि) और अतिरिक्त कर्मचारियों को विरासत इकाई में स्थानांतरित किया जाना चाहिये।
- लगभग ₹ 50,000 करोड़ की सभी देनदारियों को भी विरासत इकाई में स्थानांतरित किया जाना चाहिये, कंपनी को ऋण मुक्त बेचना महत्वपूर्ण है।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि खरीदार को अपनी पूंजी संरचना आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी को खरीदने की स्वतंत्रता है, इस प्रकार व्यापक बोली-प्रक्रिया में भागीदारों की अनुमति मिलती है।
- पुनर्गठित विमानन इकाई, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए राजस्व (एक रूढ़िवादी अनुमान) के साथ एबिटदर (Abitdar) (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और किराए से अर्जित) 5,500 करोड़ रुपए होना चाहिये।
- विरासत ऋण बोझ को कम करने के साथ बिक्री में वित्तीय नुकसान को तुरंत रोक दिया जाएगा।
- विमानन इकाई की बिक्री के बाद लीज़िंग इकाई, हवाईअड्डा सेवाओं की इकाई और होटल इकाई का मुद्रीकरण किया जाना चाहिये।
- लीज़िंग इकाई का इक्विटी वैल्यू स्वामित्व वाले विमान के मूल्य में निहित होता है। वर्तमान में लाभप्रद एयरपोर्ट सेवा इकाई तीसरे पक्षों से अपने राजस्व का 50% कमाती है, जिससे इसे रणनीतिक खिलाड़ियों के लिये वांछित अधिग्रहण मिल जाता है।

## एमआरओ इकाई और लॉयल्टी कार्यक्रम इकाई की भूमिका

- लॉयल्टी कार्यक्रम व्यापारियों द्वारा डिज़ाइन की गई मार्केटिंग रणनीतियों की संरचना करने के लिये ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे प्रत्येक लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े व्यवसायों की सेवाओं पर खरीदारी कर सकें।
- एमआरओ (maintenance, repair and overhaul-MRO) इकाई और लॉयल्टी कार्यक्रम इकाई में महत्त्वपूर्ण अप्रयुक्त मूल्य होता है जिसे विमानन इकाई और अन्य तृतीय पक्ष ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पुनर्गठन और विस्तार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।

नोट :

- नागपुर में बोइंग द्वारा निर्मित एक नई सुविधा के निर्माण के दावे के साथ भारत में एमआरओ सुविधाएँ सर्वश्रेष्ठ हैं।
- भारतीय एमआरओ सेवा प्रदाताओं को बिक्री से पहले इक्विटी हिस्सेदारी के लिये साझेदारी करने में रुचि हो सकती है, जो वित्तीय सुधार में मदद कर सकता है|
- वैकल्पिक रूप से बोइंग और एयरबस क्षेत्रीय एमआरओ केंद्र बनाने में रुचि रख सकते हैं।
- लॉयल्टी कार्यक्रम के ग्राहक और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्त्ता आधार में वृद्धि की जानी चाहिये और लॉयल्टी बिंदु ऋणमुक्ति (redemption) (उदाहरण के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स) के अधिक मार्गों की अनुमति भी दी जानी चाहिये।
- इससे विमानन इकाई के आकर्षक मार्ग नेटवर्क और टिकटों के लिये लॉयल्टी अंक का उपयोग कर आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- एमआरओ और लॉयल्टी कार्यक्रम इकाइयों को इक्विटी मूल्य अधिकतम करने तथा सरकार को लौटाने के लिये अपने ग्राहक आधार बनाने के बाद, तीन से पाँच वर्षों में बेचा जा सकता है।
- 50,000 करोड़ रुपए के मौजूदा विरासत ऋण को अन्य कंपनियों की बिक्री से ₹ 15,000 करोड़ (लगभग 70% कमी) घटाया जा सकता है।
- सरकार के साथ शेष भूमि, कार्यालयों और दुनिया भर की अन्य संपत्तियों की बिक्री से ऋण को और कम किया जा सकता है|
- इस इकाई में सभी मानव संसाधन संपत्तियों को अन्य सरकारी उद्यमों में व्यवहार्य माना जाना चाहिये।

### निष्कर्ष

- उपरोक्त सुझावों से एयर इंडिया को संभावित बोलीदाताओं के लिये एक आकर्षक निवेश मिलेगा| इस प्रकार अतिरिक्त कर्मचारियों की बाधाओं, उपरोक्त बाज़ार अनुबंध और अन्य विरासत लागतों को पुनर्निर्मित किया जा सकता है।
- उत्तरी अमेरिकी लीगेसी कैरियर तथा एशियाई, यूरोपीय और मध्य-पूर्वी फ्लैग कैरियर के पुनर्गठन में समान दृष्टिकोण लागू किया गया है।
- हालाँकि उपरोक्त सुझावों को निष्पादित करना आसान नहीं है लेकिन इसे आसान किया गया है और यहाँ भी इसे आसान किया जा सकता है।
- नागपुर में बोइंग द्वारा निर्मित नई एमआरओ सुविधाएँ भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं|

## भारतीय रोज़गार बाजार में तेजी से बढ़ रहे शिक्षा से रिटर्न

### चर्चा में क्यों?

21वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से भारत के रोज़गार बाजार में शिक्षा से रिटर्न तेजी से बढ़ा है। यह तथ्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के पंचवार्षिक रोज़गार सर्वेक्षण के तीन चरणों के आँकड़ों से सामने निकल कर आया है।

### प्रमुख बिंदु

- 1999 -2000 के दौरान एक स्नातक कामगार आठवीं कक्षा तक पढ़े कामगार से 2.4 गुना अधिक वेतन प्राप्त करता था।
- 2011-12 तक यह अंतराल और अधिक बढ़ गया। अब एक औसत स्नातक कामगार एक बेसिक शिक्षा प्राप्त औसत कामगार की तुलना में 3.3 गुना अधिक कमाने लगा।
- आँकड़ों से पता चलता है कि 21वीं शताब्दी के दौरान शिक्षा के उच्च स्तर पर उपार्जन प्रीमियमों (earnings premium) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शिक्षा के निचले स्तर पर उपार्जन प्रीमियम अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं।
- शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिये प्रीमियम की गणना शिक्षा के अगले स्तर के सापेक्ष की जाती है।
- विश्लेषण में समय के साथ शैक्षिक नामांकनों में आए उतार-चढ़ाव को देखते हुए केवल 25 साल से अधिक आयु वाले कामगारों को ही शामिल किया गया है।
- मध्य स्तर की स्कूली शिक्षा पर प्रीमियमों में काफी गिरावट आई है, जबकि माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में 1999-2000 के दौरान प्रीमियम अपरिवर्तित रहे।
- इसी अवधि के दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षा और स्नातक पाठ्यक्रमों पर प्रीमियमों में तेजी से वृद्धि हुई।
- उच्च स्तरीय शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में प्रीमियमों के इस पैटर्न के पीछे दो अंतर्निहित कारक हो सकते हैं।

- पहला, प्रौद्योगिकी में बदलाव ने दुनियाभर की ही तरह भारत में भी अधिक कुशल और बेहतर शिक्षित श्रमिकों की मांग में वृद्धि कर दी है।
- दूसरा, भारतीय स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट संबंधी रिपोर्टों ने नियोक्ताओं को देश की स्कूली शिक्षा के मूल्य को कम करने के लिये प्रेरित किया है।
- औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पर प्रीमियम के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, उनकी आय में व्यावसायिक प्रशिक्षण से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन, माध्यमिक और मध्य-स्तरीय शिक्षा प्राप्त कामगारों के मामले में व्यावसायिक शिक्षा से आय में बढ़ोतरी हुई है।
- लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माध्यमिक और मध्य-स्तरीय शिक्षा प्राप्त लोगों में से बहुत कम ने ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अधिकांश उच्च माध्यमिक शिक्षा और स्नातक डिग्री धारकों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण का चुनाव किया है।
- शिक्षा से बढ़ते रिटर्न को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय लोगों ने शताब्दी की शुरुआत से, विशेषकर 2004-05 और 2011-12 के बीच शैक्षिक संस्थानों में अधिक संख्या में दाखिला लिया।
- हालाँकि, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों में शिक्षित लोगों का हिस्सा बहुत कम है। 2011-12 की स्थिति के अनुसार, हाशिये वाले समूहों में यह स्थिति विशेष तौर पर देखने को मिलती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूह के अधिकांश कामगार या तो अनपढ़ हैं या उनके पास पर्याप्त स्कूली शिक्षा नहीं है।
- ओबीसी समूह के लगभग आधे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के पास औपचारिक स्कूली शिक्षा की कमी है। लेकिन सामान्य वर्ग के मामले में तक यह अनुपात पाँचवे हिस्से से भी कम है।
- सामान्य श्रेणी के श्रमिकों में से लगभग एक तिहाई स्नातक थे, जबकि ओबीसी के श्रमिकों में से केवल 10वें हिस्से के श्रमिकों के पास स्नातक की डिग्री थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कामगारों में से लगभग 6% स्नातक थे।
- हालाँकि, हाशिये वाले जाति समूहों के कामगारों में कम स्नातक लोग ही थे, लेकिन इन समूहों के जिन कामगारों ने स्नातक की डिग्री अर्जित की, वे दूसरों की तुलना में नियमित रूप से काम करने की अधिक संभावना रखते थे।
- नियमित नौकरी वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी स्नातक श्रमिकों का हिस्सा सामान्य श्रेणी के श्रमिकों के मुकाबले ज्यादा था। इसके पीछे दो कारक थे- पहला, इन समुदायों में कम स्नातक हैं। और दूसरा, इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है।
- हालाँकि, नियमित नौकरी तक पहुँच का मतलब अनिवार्य तौर पर सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों या समान उपार्जन तक पहुँच नहीं है। आमतौर पर हाशिए वाले समूहों के लोगों को सामान्य श्रेणी के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम वेतन प्राप्त होता है।
- हालाँकि, शिक्षा पूरी तरह से किसी विशेष जाति से संबंधित विशेषाधिकारों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह सबसे वंचित लोगों की अवसरों तक पहुँच बढ़ाने में मदद अवश्य करती है।

---

# सेबी ने विदेशों में शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिये विशेषज्ञ समिति गठित की

## चर्चा में क्यों ?

भारतीय शेयर बाज़ार नियामक सेबी घरेलू कंपनियों को विदेश में अपने शेयर सूचीबद्ध कराने की इज़ाज़त दे सकता है। उसने विदेश में लिस्टिंग के नियमों का खाका तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। पैनल की सिफारिश लागू होने के बाद घरेलू कंपनियाँ विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में अपने शेयर सूचीबद्ध करा सकेंगी।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मौजूदा नियम के अनुसार, भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों का कारोबार विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह विदेशों में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की खरीद-फरोख्त भारतीय शेयर बाज़ार में नहीं की जा सकती।
- सेबी का कहना है कि पूंजी बाजारों के विकास एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण को देखते हुए भारत में गठित कंपनियों को सीधे विदेशों में अपने शेयर सूचीबद्ध कराने तथा विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाज़ारों में सूचीबद्धता की सुविधा देने का विचार पूर्णत: युक्तिसंगत है।
- वर्तमान में, भारत में निगमित कंपनियाँ अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीप्ट या ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीप्ट के माध्यम से विदेशों में सूचीबद्ध हो सकती हैं।

नोट :

- इसी प्रकार, भारतीय एक्सचेंजों पर व्यापार करने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियों को भारतीय डिपाजिटरी रिसीप्ट के माध्यम से सूचीबद्ध होना ज़रूरी है।
- पूंजी बाज़ार के विकास और उसके ग्लोबल बनने के मद्देनजर, यह माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होने का अवसर दिया जाए और विदेशी कंपनियों को भी भारत में ऐसा ही मौका मिले।
- अब तक नियामक और सरकार भारतीय कंपनियों को विदेशों में सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के लिये अनिच्छुक रही है, इस बात पर चिंता जताई गई है कि पूंजी देश छोड़ देगी, घरेलू प्राथमिक बाज़ार कम हो जाएगा और कंपनियाँ अपनी नियामक परिधि से बाहर जा सकती हैं।
- अब तक नियामक एक ही पहलू पर गौर कर रहा था कि इससे भारत पूंजी खो सकता है, लेकिन अब एक नई सोच के अनुसार, इससे विदेशों में भारतीय कंपनियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने और भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा।
- इससे भारत को प्रत्यक्ष लिस्टिंग व्यवस्था के लिये पारस्परिक क्षेत्राधिकारों तक पहुँचने की आवश्यकता होगी। अत: उन अधिकार क्षेत्र में नियामकीय संशोधन की भी आवश्यकता होगी।
- यह फायदेमंद होगा यदि कुछ विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में प्रभावी मूल्य खोज, लचीले लिस्टिंग नियम, उच्च तरलता आईपीओ करने के लिये कम लागत के साथ होता है।
- 2014 में सरकार ने असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति में संशोधन के माध्यम से शुरू में दो साल की अवधि के लिये भारत में सूचीबद्ध किये बिना विदेशों में पूंजी जुटाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन इस योजना में कुछ ही लोग शामिल थे।
- यह सिद्धांत रूप में एक अच्छा प्रस्ताव है क्योंकि इसमें भारतीय कंपनियों के लिये धन उगाहने के मार्गों को बढ़ाने की क्षमता है।
- यह बाज़ार को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना सकता है क्योंकि विदेशी कंपनियाँ भारतीय एक्सचेंजों पर सीधे पूंजी जुटा सकती हैं और कुछ भारतीय कंपनियाँ जिन्होंने अपनी विदेशी संस्थाओं को पूंजी जुटाने के लिये सूचीबद्ध किया है, उनके पास विकल्प होगा।

### 9 सदस्यीय समिति का गठन

- सेबी ने इस कदम के आर्थिक, कानूनी, नियामकीय प्रभावों की जाँच और उपयुक्त ढाँचे की सिफारिश करने के लिये नौ सदस्यीय समिति बनाई है।
- समिति में शामिल हैं- रेनू वोहरा (सह-संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड), सिरिल एस श्रॉफ (प्रबंध भागीदार, अमरचंद मंगलदास), कमल यादव (प्रबंध निदेशक, मॉर्गन स्टेनली प्रौद्योगिकी, मीडिया और टेलीकॉम बैंकिंग), एस रमेश (प्रबंध निदेशक और सीईओ, कोटक इनवेस्टमेंट बैंकिंग), नीरज भार्गव (वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और सीईओ, ज़ोडियस कैपिटल एडवाइज़र्स), दीप कालरा (अध्यक्ष और ग्रुप सीईओ, MakeMyTrip.com), राजीव गुप्ता (पार्टनर, सिंगापुर लथम और वाटकिंस एलएलपी), जमील खत्री (लेखा सलाहकार सेवाओं के वैश्विक प्रमुख, केपीएमजी एलएलपी) और सुजीत प्रसाद (कार्यकारी निदेशक, सेबी और संयोजक)।
- अलग-अलग बाज़ार नियामकों ने मौजूदा संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ITP) ढाँचे की देखभाल के लिये एक समूह गठित किया है और स्टार्टअप की सूची को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सुझाव दिया है।
- समूह वर्तमान संदर्भ में आईटीपी ढाँचे की समीक्षा करेगा, वर्तमान आईटीपी ढांचे पर फिर से विचार करेगा तथा क्षेत्रों की पहचान करेगा ( यदि कोई है, जिसके लिये और परिवर्तन की आवश्यकता है)।
- समूह एक महीने में सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

## प्रतिबंध के बावजूद नए तरीकों से बढ़ रहे हैं क्रिप्टो-एक्सचेंज

### चर्चा में क्यों?

आरबीआई ने अप्रैल में जारी किये एक सर्कुलर द्वारा भारतीय बैंकों को क्रिप्टो करेंसी विनियमनों (crypto-currency exchanges) को डील करने से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन कई नए तरीकों के माध्यम से इन विनियमनों में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। यथा- क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से परिवर्तन या विनियामकीय कार्रवाई से बचने हेतु विदेशों में बेस शिफ्टिंग करना।

### प्रमुख बिंदु

- एक क्रिप्टो-करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के फाउंडर के अनुसार, वर्तमान में भारतीय करेंसी से क्रिप्टो करेंसी के बीच ट्रेडिंग पर प्रभावी प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग या एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी में विनियमन किया जा सकता है।
- आरबीआई ने 'आभासी मुद्राओं में लेनदेन पर रोकथाम' (Prohibition on dealing in Virtual Currencies) नामक एक नोटिस के माध्यम से बैंक, ई-वॉलेट और अन्य भुगतान गेटवे प्रदाताओं से देश में आभासी मुद्रा विनियमनों और अन्य ऐसे व्यवसायों, जो आभासी मुद्रा लेनदेनों में शामिल हैं, का समर्थन न करने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन हेतु 3 महीने का समय दिया गया था।
- उदाहरणस्वरूप, ज़ेबपे और कियोनेक्स क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं। इसी प्रकार यूनोकॉइन ने एक मल्टी-क्रिप्टो परिसंपत्ति एक्सचेंज यूनोडैक्स (UNODAX) लॉन्च किया है।
- एक अन्य क्रिप्टो-एक्सचेंज बइयूकॉइन (BuyUcoin), जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, एक क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज और वॉलेट कंपनी है। इसने खुद का बइयूकॉइन टोकन (BUC) लॉन्च किया है। इस कंपनी के सीईओ का कहना है कि इस प्रकार के कुल 100 मिलियन टोकन की आपूर्ति की जाएगी। ध्यातव्य है कि बइयूकॉइन 30 से अधिक क्रिप्टो-करेंसियों के विनियमन की सुविधा प्रदान करती है। इनमें बिटकॉइन, रिप्पल, लाइटकॉइन, इथीरीयम, डैश जैसी क्रिप्टो-करेंसियाँ शामिल हैं।

### बेस स्थानांतरण

- कई कंपनियाँ विनियामकीय कार्रवाई से बचने के लिये विदेशों में अपना बेस स्थानांतरित कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर बइयूनिकॉइन कंपनी को लिया जा सकता है, जो अपना बेस सिंगापुर में स्थानांतरित कर रही है।
- ऐसी कई अन्य कंपनियाँ हैं, जो इसी तरह अपने बेस स्थानांतरित कर रही हैं।
- कई क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंजों ने आरबीआई के इस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जुलाई में सुनवाई होनी है।

### क्या होती है क्रिप्टो करेंसी ?

- क्रिप्टो करेंसी (crypto-currency) एक डिज़िटल या आभासी मुद्रा है, जिसमें सुरक्षा के लिये क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है।
- इसके सुरक्षा वैशिष्ट्य के कारण इसका जाली रूप बनाना मुश्किल है। इसे सामान्यत: किसी केंद्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अत: सैद्धांतिक रूप से यह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
- सन् 2009 में 'बिटकॉइन' के नाम से पहली क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी।

## निवेश की लुभावनी तस्वीर

### संदर्भ

किसी भी वर्ष में आर्थिक वृद्धि या तो मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग या नए निवेश की वज़ह से हो सकती है। हालाँकि, मध्यम से दीर्घ अवधि तक विकास का मुख्य चालक निवेश है। उच्च निवेश दर के बिना, उच्च वृद्धि दर को बनाए रखना मुश्किल है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के बजाय हाउसहोल्ड 2011-12 और 2016-17 के बीच निवेश दर में गिरावट के लिये ज़िम्मेदार है।

### आय और निवेश के हालिया रुझान

- आय और निवेश पर हाल के रुझानों का एक विश्लेषण दो चीजों को इंगित करता है। पिछले चार वर्षों में विकास दर को उचित स्तर पर बनाए रखा गया है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की औसत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रही है।
- हालाँकि, परेशान करने वाली प्रवृत्ति में गिरावट आई है। 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत थी। अगले वर्ष यह 7.1 प्रतिशत तक पहुँच गई जबकि 2014-15 में यह 6.7 प्रतिशत थी।
- एक और परेशान करने वाली बात जो रही है, वह है निवेश दर में गिरावट। 2011-12 में सकल नियत पूंजी निर्माण दर (Gross Fixed Capital Formation Rate) सकल घरेलू उत्पाद का 34.31 प्रतिशत थी। 2016-17 तक यह 28.53 प्रतिशत नीचे आ गई थी।
- इसलिये नियत पूंजी निर्माण के विभिन्न घटकों के व्यवहार पर नज़दीक से नज़र डालना आवश्यक है और यह इस लेख का उद्देश्य है।

### बचत का व्यवहार

- चूँकि वित्तपोषण हेतु निवेश का प्रमुख स्रोत घरेलू बचत है, इसलिये पिछले छह वर्षों की बचत प्रवृत्ति को देखना सबसे उपयोगी है। 2011-12 में सकल घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद के 34.65 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 29.98 प्रतिशत हो गई है।
- बचत कम होने से पता चलता है कि घरेलू क्षेत्र के संबंध में सबसे ज्यादा गिरावट आई है जहाँ कुल बचत 2011-12 में GDP का 23.6 प्रतिशत था, से गिरकर 2016-17 में 16.2 प्रतिशत हो गई|
- जीडीपी के अनुपात के रूप में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत वास्तव में लगभग 2.5 प्रतिशत अंक बढ़ी है। सरकार समेत सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर में कोई बदलाव नहीं दिखता है।
- घरेलू मामले में भौतिक संपत्तियों में वित्तीय बचत और बचत दोनों में छह साल की अवधि में काफी तेज़ी से गिरावट आई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया गया डाटा विशेष रूप से 2016-17 के लिये वित्तीय बचत में कुछ अंतर दिखाता है। हालाँकि प्रवृत्ति वैसी ही है।

### निवेश का व्यवहार

- निवेश (सकल पूंजी निर्माण) में तीन तत्त्व, सकल नियत पूंजी निर्माण, स्टॉक और क़ीमती सामान (सोना) में परिवर्तन शामिल हैं।
- सबसे महत्त्वपूर्ण घटक सकल नियत पूंजी निर्माण है, अर्थात मशीनरी, उपकरणों और आवासों पर पूंजीगत व्यय।
- सकल नियत पूंजी निर्माण दर 2011-12 में 34.31 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 28.53 हो गई। सरकार समेत सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया।
- सकल नियत पूंजी निर्माण जीडीपी के 7 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहा। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश में वास्तव में 2011-12 में 11.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2016-17 में 12.29 प्रतिशत थी।
- इसलिये निवेश में गिरावट के लिये एकमात्र ज़िम्मेदार घरेलू क्षेत्र है। छः वर्ष की अवधि में घरेलू क्षेत्र की नियत पूंजी निर्माण दर में गिरावट के चलते यह 15.75 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत दर्ज की गई है।

### ये संख्याएँ क्यों लुभावनी प्रतीत होती हैं ?

- सबसे पहले आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला के अनुसार निवेश अनुपात 2004-05 के साथ पुरानी श्रृंखला की तुलना में बहुत अधिक दर दिखाता है।
- उदाहरण के लिये 2007-08 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था 9.4 प्रतिशत बढ़ी, सकल नियत पूंजी निर्माण दर केवल 32.9 प्रतिशत थी।
- 2011-12 के लिये डाटा के साथ-साथ पुरानी श्रृंखलाओं के लिये डाटा भी उपलब्ध है। पुरानी श्रृंखला के अनुसार, 2011-12 के लिये सकल नियत पूंजी निर्माण दर 31.8 प्रतिशत थी। उसी वर्ष नई श्रृंखला के अनुसार, यह 34.3 प्रतिशत थी।
- हालाँकि, नई श्रृंखला के मुताबिक, 2011-12 से निवेश दर घट रही है।
- दूसरा दिलचस्प कारक यह है कि 2011-12 से 2016-17 के बीच सकल नियत पूंजी निर्माण दर में गिरावट घरेलू क्षेत्र के बजाय कॉर्पोरेट क्षेत्र के कारण हुई है।
- विकास में मंदी को लेकर ज़्यादातर चर्चा कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा कमज़ोर निवेश मांग के आसपास केंद्रित है। कई विश्लेषकों ने स्थगित परियोजनाओं की संख्या पर ध्यान दिया है।
- निवेश की भावना को कमज़ोर करने के लिये कॉर्पोरेट क्षेत्र की निवेश में विफलता के रूप में व्याख्या की गई है लेकिन ऐसा नहीं लगता है।
- यह सच है कि 2007-08 में कॉर्पोरेट निवेश दर, जब हमारी सबसे ज्यादा वृद्धि दर थी, सकल घरेलू उत्पाद का 14.3 प्रतिशत थी। निश्चित रूप से उस स्तर से गिरावट आई है। लेकिन छह साल की अवधि में कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तव में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- भौतिक संपत्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचत जो निवेश के समान है, आमतौर पर आवास के रूप में होती है। केवल आवास निवेश में कमी को तेज़ गिरावट का श्रेय देना मुश्किल है।
- आँकड़े बताते हैं कि 2011-12 से 2015-16 के बीच घरेलू आवास दरों में निवेश दर 4 प्रतिशत कम थी।
- शायद, स्पष्टीकरण का एक हिस्सा इस तथ्य में भी निहित है कि 'हाउसहोल्ड' शब्द में न केवल व्यक्तिगत हाउसहोल्ड बल्कि गैर-कॉर्पोरेट व्यवसाय भी शामिल हैं।

- दरअसल, परिभाषा के अनुसार सरकार और निजी कॉर्पोरेट हाउसहोल्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- मशीनरी और उपकरण में घरेलू निवेश 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.90 प्रतिशत हो गया। इसलिये कुछ हिस्सों में छोटे व्यवसायों को अधिक नुकसान हुआ है और निवेश कम हुआ है।
- व्यापार क्षेत्र में गैर-कॉर्पोरेट व्यवसाय ने एक बड़ा बोझ पैदा किया है।

# एक राष्ट्रीय रबड़ नीति की ज़रूरत

## संदर्भ

राष्ट्रीय रबड़ नीति ( National Rubber Policy-NRP) पर सरकार की पहली रिपोर्ट लंबे इंतज़ार के बाद भी अभी तक जारी नहीं हो सकी है। जाहिर है, विभिन्न हितधारकों के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के बीच मतभेद, तीन साल से अधिक समय तक दस्तावेज़ को रोकने का प्रमुख कारण रहा है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इसी बीच, केरल सरकार और प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber-NR) उत्पादकों के हितों के चलते बढ़ते दबाव के कारण 22 मार्च को सरकार द्वारा रबड़ क्षेत्र के पुनरुद्धार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया।
- दुर्भाग्य से, एनआर उत्पादन के उच्च क्षेत्रीय संकेंद्रण से उत्पन्न होने वाले हितों के संघर्ष के कारण NRP की आवश्यकता तथा रबड़ की खपत के विसरित (Diffused) पैटर्न को लेकर सर्वसम्मति पर भ्रामक स्थिति बनी रही।
- भारत में NRP विकसित करने की रणनीतिक आवश्यकता समय के साथ अपनी विकासवादी गतिशीलता से उत्पन्न क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं से उत्पन्न होती है।
- विश्व रबड़ अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत का उद्भव घरेलू बाज़ार अभिविन्यास में निहित खंडों के बीच परस्पर संबद्धता के लिये अनूठा था जो 1940 के दशक के आरंभ से संरक्षित नीति व्यवस्था के तहत विकसित हुआ था।
- यह चीन के अपवाद के साथ अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में निर्यात उन्मुख 'रबड़ अंत:क्षेत्र' (rubber enclaves) के विकास के विपरीत है।
- संक्षेप में निर्यात बाज़ारों और बाहरी प्रतिस्पर्द्धा के सीमित संपर्क के साथ घरेलू मांग-संचालित परस्पर संबद्धता भारत के रबड़ क्षेत्र की पहचान थी।

## पूर्व के सुधार

- हालाँकि, 1991-92 के बाद से व्यापार नीति में सुधार शुरू हुआ और बहुपक्षीय तथा आरटीए मार्गों के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप अनाश्रयता (exposure) ने परिदृश्य को बदल दिया है।
- निर्यात बाज़ारों की तुलना में घरेलू बाज़ार में रबड़ और रबड़ उत्पादों के आयात में वृद्धि के कारण बाज़ार एकीकरण की चुनौतियों का सामना किया जाता है।
- एनआर की कीमतों की अस्थिरता और कृषि आय में उतार-चढ़ाव ने परंपरागत कृषि प्रबंधन प्रथाओं के साथ रिप्लांटिंग को प्रभावित किया है।
- इस प्रवृत्ति का एक परिणाम यह हुआ है कि देश के कुल टैप वाले क्षेत्र में जीर्ण (senile) पेड़ों (50 प्रतिशत से अधिक) में लगातार वृद्धि हुई है।
- केरल में एनआर उत्पादकता में नकारात्मक वृद्धि दर (- 2.8 प्रतिशत) तथा 2007-08 और 2016-17 के बीच अखिल भारतीय वृद्धि दर (- 2.7 प्रतिशत) से पता चलता है कि नीति संबंधी निर्देश विफल हो गए हैं।
- इसी प्रकार, संकटग्रस्त गैर-टायर सेगमेंट को अस्थिर कच्चे माल की कीमतों और आयात में वृद्धि ने प्रभावित किया है।
- बाहरी व्यापार मोर्चे पर 2007-08 के बाद से भारत के रबड़ क्षेत्र के व्यापार का नकारात्मक संतुलन पिछले चार दशकों के दौरान व्यापार के सकारात्मक संतुलन के विपरीत रहा है। 2016-17 में रबड़ और रबड़ उत्पादों में भारत का नकारात्मक संतुलन $ 415 मिलियन था। इसलिये खंडित प्रयास इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने में विफल रहे।
- अन्य प्रमुख एनआर उत्पादक देशों के विपरीत भारत के रबड़ क्षेत्र की निर्यात तीव्रता नगण्य रही है। 2014-15 के दौरान अनुमानित निर्यात तीव्रता केवल 22.5 प्रतिशत थी।

- इसलिये, एक आत्मनिर्भर रबड़ क्षेत्र को बनाए रखना जिसमें घरेलू वस्तुओं से लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तक के अनुप्रयोग शामिल हों, एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है।
- फिर भी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों के तहत गैर-विचारणीय व्यापार नीति प्रतिबद्धताओं द्वारा बनाई गई बाज़ार एकीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में एनआरपी की आवश्यकता काफी महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि भारत ने 1942 के प्रारंभ में एक टिकाऊ रबड़ क्षेत्र की प्रासंगिकता को पहचाना था, लेकिन बाज़ार एकीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिये कोई अनुकरणीय मॉडल नहीं है।
- 2002 में शुरू हुई चीन की 'गोइंग ग्लोबल' रणनीति एक मूल्यवान आदर्श प्रारूप है। 2007 में चीन द्वारा प्राकृतिक रबड़ एसोसिएशन की स्थापना और 2011 में चीन इंडस्ट्री एसोसिएशन की रबड़ वैली परियोजना ने संस्थागत ढाँचा प्रदान किया।
- भारत मुक्त व्यापार के लिये पिछले सात दशकों में बनाए गए अपने रबड़ क्षेत्र के क्रमिक विघटन को बर्दाश्त कर रहा है।
- एक व्यापक एनआरपी केवल एक आत्मनिर्भर रबड़ क्षेत्र को बनाए रखने के रणनीतिक महत्त्व को पहचानने के लिये अनिवार्य नहीं है बल्कि बाज़ार एकीकरण के युग में सहभागिता को बनाए रखने के लिये अंतर्निहित ताकत और एम्बेडेड संरचना की संचित कमजोरियों की पहचान करना भी अनिवार्य है।

### रबड़ क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे

- इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों में प्राकृतिक रबड़ के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात पर प्रतिबंध, न्यूनतम आयात मूल्य, कृषि उत्पाद के रूप में प्राकृतिक रबड़ का वर्गीकरण, कप गाँठों का आयात, सुरक्षा शुल्क और रबड़ बोर्ड को आवंटित बजट राशि में वृद्धि करना शामिल है।
- देश में करीब 13.2 लाख रबड़ स्माल होल्डिंग हैं, जिनमें से लगभग 9 लाख केरल में हैं।
- टायर और गैर-टायर क्षेत्रों में 10.45 लाख टन की खपत के मुकाबले 2016-17 में रबड़ उत्पादन 6.91 लाख टन था।
- 2016-17 में प्राकृतिक रबड़ का आयात 4.27 लाख टन हो गया जो पिछले वित्त वर्ष में 4.58 लाख टन था।

## कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' संस्थानों की तीन वर्षीय कार्य योजना को मिली मंज़ूरी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास हेतु कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों के लिये 2225.46 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन वर्षीय कार्य योजना (2017-2020) को जारी रखने की मंज़ूरी दी है।

इसमें शामिल हैं:

- देश में उच्च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिये 2050.00 करोड़ रुपए
- ICAR-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (NAARM)– 24.25 करोड़ रुपए
- ICAR – गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP-HS) सहित केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान (CIWA) – 151.21 करोड़ रुपए

### उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य उच्च कृषि शिक्षा संस्थानों से गुणवत्ता परक मानव संसाधन तैयार करना है।
- इसके लिये कई नई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें शामिल हैं-
- किताबी ज्ञान को कम करना।
- फैकल्टी की कमी को दूर करना।
- इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने के उपाय करना।

नोट :

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालयों की गुणवत्तापरक रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिये इन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- इसके तहत कई ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा यथा-
  - पर्यावरण अनुकूल पहल।
  - अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग।
  - पूर्व छात्रों की भागीदारी।
  - नवाचार को बढ़ावा देना।
  - प्रेरित अध्यापक नेटवर्क।
  - तकनीकी सक्षम शिक्षा।
  - डॉक्टरल डिग्री के बाद की फेलोशिप।
  - कृषि शिक्षा पोर्टल।
  - वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व।
- आधुनिक बेहतरीन कार्यक्रम के ज़रिये छात्रों और फैकल्टी की ज़रूरतों से संबंधित बुनियादी ढाँचे तथा फैकल्टी और छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिये सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण में सहायता करना, जिससे शिक्षण में सुधार होगा और छात्रों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

### योजना के लाभ

- इससे प्रतिस्पर्द्धी और आत्मविश्वास से भरे मानव संसाधन का निर्माण होगा।
- इसके अतिरिक्त ICAR – CIWA द्वारा कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े लैंगिक मसलों के समाधान हेतु, कृषि क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, नीतियाँ/कार्यक्रमों और कृषि क्षेत्र में लैंगिक जागरूकता जैसे मुद्दों पर अनुसंधान किया जाएगा।
- संपूर्ण राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली (NARES) के द्वारा मानव संसाधनों और हितधारकों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, जिससे ICAR-NAARM द्वारा NARES में किसानों, युवा वैज्ञानिकों, छात्रों और कृषि आधारित उद्योग सहित हितधारकों की सामर्थ्य और क्षमताओं में वृद्धि होगी।

### पृष्ठभूमि

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) देश भर में स्थापित 75 कृषि विश्वविद्यालयों (AU) के साथ साझेदारी के माध्यम से योजना तैयार करने, विकास, समन्वय और गुणवत्तापरक उच्च कृषि शिक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है।
- कृषि शिक्षा के प्रति आकर्षण और इसके सामर्थ्य को बढ़ाने, प्रतिभावान युवाओं को इस क्षेत्र में बनाए रखने एवं शिक्षण और शिक्षा से संबंधित छात्रों तथा फैकल्टी की ज़रूरतों के अनुसार संपूर्ण बुनियादी ढाँचे में सुधार करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली (NARES) की संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (NAARM) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- महिला कृषकों को सशक्त करने में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान ने प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि बदलते कृषि परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ अति आवश्यक हैं।

---

## आयुष्मान भारत के लिये प्रीमियम दरें अलग-अलग होंगी

### चर्चा में क्यों?

10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी आयुषमान भारत योजना यह सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ कि बीमाकर्त्ता और ग्राहक को उचित दरें प्राप्त हो सकें, अक्टूबर से लागू की जा सकती है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सरकार ने बीमाकर्त्ताओं को आश्वस्त किया है कि यह योजना एक निविदा-संचालित प्रक्रिया होगी, जिससे उन्हें प्रत्येक राज्य में पिछले अनुभव के साथ बीमारी दर के आधार पर प्रीमियम प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाएगी।
- सभी राज्यों में दरें भिन्न-भिन्न होंगी। इसमें अधिकतम सीमा नहीं होगी। यह एक निविदा-संचालित प्रक्रिया होगी। चूँकि योजना का आकार बड़ा है, अत: बीमाकर्त्ताओं को भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- उदाहरण के लिये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक छोटी योजना है। इसलिये, यहाँ यदि मूल्य निर्धारण कम है और हानि अनुपात लगभग 200 प्रतिशत है तो भी हम इससे प्रभावित नहीं होंगे।
- सरकारी सूत्रों के अनुसार, फोकस यह सुनिश्चित करने पर होगा कि प्रीमियम दर सालाना 1,000 से 1,100 रुपए (प्रति पाँच परिवार में एक) से अधिक न हो। यह बाज़ार संचालित प्रक्रिया के अंतर्गत होगी।
- बीमाकर्त्ताओं ने यह भी कहा कि ज़्यादातर राज्यों ने ट्रस्ट मॉडल की बजाय बीमा मॉडल में उत्सुकता दिखाई है क्योंकि इससे योजना के आसान प्रशासन में मदद मिलेगी।
- निविदा दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य पूरे राज्य या क्लस्टर के लिये निविदा जारी करेंगे और जो भी सर्वश्रेष्ठ बोली लगाएगा उसका चयन किया जाएगा।

## कार्यान्वयन की तिथि

- माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की औपचारिक रूप से घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किये जाने की संभावना है लेकिन इसे अक्तूबर से ही कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस संबंध में तैयारी चल रही है लेकिन इसके लागू होने से पहले अभी भी बहुत सारे कार्यों को किये जाने की ज़रूरत है।
- योजना को लागू करने के लिये बीस राज्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

## आयुष्मान भारत क्या है?

- इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिये पाँच लाख रुपए का लाभ कवर किया गया है।
- इस योजना के लक्षित लाभार्थी दस करोड़ से अधिक परिवार होंगे। ये परिवार एसपीसीसी डाटाबेस पर आधारित गरीब और कमज़ोर आबादी के होंगे।
- आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (Ayushman Bharat : National Health Protection Mission - AB-NHPM) में चालू केंद्र प्रायोजित योजनाएँ : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (Rashtriya Swasthya Bima Yojana -RSBY) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (Senior Citizen Health Insurance Scheme -SCHIS) समाहित होंगी।

---

# उत्तर-पूर्व पर्यटन के 2019 तक 12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद

उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि उत्तर-पूर्व बुनियादी ढाँचे और एयर कनेक्टिविटी के बेहतर हो जाने के कारण पर्यटकों के लिये पसंदीदा स्थान बन गया है और 2019 में पर्यटकों की संख्या में 10-12 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले साल इसी अवधि (अप्रैल-जून) की तुलना में इस वर्ष उत्तर-पूर्व में पर्यटकों की संख्या 18 प्रतिशत बढ़ी है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- बेहतर बुनियादी ढाँचे और एयर कनेक्टिविटी ने इस विशाल क्षेत्र में पर्यटन विकास को गति देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है जिसमें आठ राज्य शामिल हैं।
- पिछले साल इस क्षेत्र में खुलने वाले नए मार्गों के साथ एयर कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। शिलॉन्ग को चेरापूंजी और मावलिनोंग जैसे मेघालय के अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिये एक केंद्र के रूप में उपयोग करके नई उड़ानों की शुरुआत की गई है।
- पकीओंग (सिक्किम) का नया हवाई अड्डा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये राज्य के उत्तरी हिस्से, खासकर नाथू ला पास तक पहुँच जाएगा।

नोट :

- अधिकांश पर्यटक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे महानगरों से आते हैं जिनकी आयु 25-50 साल के बीच होती है।
- हालाँकि, दूसरी या तीसरी बार यात्रा करने वाले यात्री, उत्तर-पूर्व के आकर्षण, जीवनशैली और इस क्षेत्र की संस्कृति और व्यंजनों को समझने के लिये अपनी यात्रा करते हैं।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र का चयन करने वाले यात्रियों की उच्च वृद्धि का कारण न केवल बेहतर सड़क बुनियादी ढाँचा और रेल कनेक्टिविटी है, बल्कि नई दिल्ली और मुंबई के लिये आसान उड़ान संपर्क को भी इसका श्रेय दिया जा सकता है।
- इसके अलावा, इस क्षेत्र में अधिक संख्या में होटल खुल रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिये उन जगहों पर आवास ढूंढना आसान हो गया जहाँ पहले संपर्क की सुविधा नहीं थी।
- जब से इस क्षेत्र में अवकाश पैकेज की शुरुआत की गई है तब से असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के स्थलों को चुनने वाले यात्रियों की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- दार्जिलिंग समेत क्षेत्र की गर्मियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है।
- एमएमटी प्लेटफॉर्म में गंगटोक में यात्रा बुकिंग में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जबकि शिलॉन्ग और मेघालय में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- असम-मेघालय क्षेत्र शीर्ष मेट्रो बाज़ारों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है।
- ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल और हॉर्नबिल म्यूज़िक फेस्टिवल जैसे संगीत महोत्सवों ने भी कई पर्यटकों को आकर्षित किया है। पिछले 2-3 वर्षों में इन आयोजनों ने उत्तर-पूर्व को युवा पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य बनाने में मदद की है।

# भारत में स्विस चैलेंज की प्रासंगिकता

## संदर्भ

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोलीदाताओं के बीच झड़पों से बोली प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तथा इन झड़पों के कारण भारत में कई कॉर्पोरेट दिवालियापन के मामले सामने आते हैं, इसलिये भारतीय बैंक अब बोली लगाने वालों पर फैसला करने के लिये स्विस चैलेंज रूट का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिये इस सप्ताह अदानी विल्मर और पतंजलि के बीच रुचि सोया इंडस्ट्रीज खरीदने के लिये जिस प्रकार की होड़ देखी गई, उसे देखते हुए भारत में स्विस चैलेंज की प्रासंगिकता बढ़ गई है।

## स्विस चैलेंज क्या है?

- स्विस चैलेंज बोली लगाने का एक तरीका है जो अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है जिसमें एक इच्छुक पार्टी अनुबंध के लिये प्रस्ताव या किसी परियोजना के लिये बोली शुरू करती है।
- तब सरकार जनता के बीच परियोजनाओं का विवरण विज्ञापित करती है और इसे निष्पादित करने में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के प्रस्ताव आमंत्रित करती है।
- इन बोलियों की प्राप्ति पर मूल ठेकेदार को इनका मिलान सर्वोत्तम बोली से करने का अवसर मिलता है।
- एक स्विस चैलेंज डिस्ट्रेस कंपनी या उसकी संपत्ति के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया को दो दौर में शामिल किया जा सकता है जो पहले से चल रहे दिवालियापन के मामलों पर लागू होती है।
- मान लीजिये कि कंपनी A बिजली संयंत्र के लिये 5,000 करोड़ रुपए की कीमत उद्धृत करके बोली लगाने का पहला दौर जीत लेती है। इसे सार्वजनिक किया जाएगा और बोलियों का दूसरा सेट आमंत्रित किया जाएगा।
- अगर कंपनी B ने 5,500 करोड़ रुपए उद्धृत किये हैं तो कंपनी A को इसे प्राप्त करने के लिये एक और मौका दिया जाएगा।
- अगर कंपनी A द्वारा इससे इनकार कर दिया जाता है तो कंपनी B को विजेता बोली लगाने वाला घोषित किया जाएगा।
- अगर कंपनी A आगे आती है तो उसे बिजली संयंत्र के लिये 5,500 करोड़ रुपए के स्तर पर आना होगा।

नोट :

### स्विस चैलेंज महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

- स्विस चैलेंज विक्रेता को एक परिसंपत्ति के लिये सर्वोत्तम मूल्य की खोज हेतु खुली नीलामी और बंद निविदा दोनों की विशेषताओं का मिश्रण और मिलान करने की अनुमति देता है।
- बिनानी सीमेंट्स की हालिया दिवालियापन की कार्यवाही में भारतीय बैंक एक कठिन परिस्थिति से गुज़रे, जहाँ आधिकारिक बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने डालमिया समूह द्वारा जीती जाने वाली बोली को चकनाचूर कर दिया।
- इस स्थिति को डालमिया समूह द्वारा कानूनी रूप से चुनौती दी गई थी।
- स्विस चैलेंज विधि बोली लगाने की प्रक्रिया के दो दौर की अनुमति देकर समस्या को हल कर सकती है।

### स्विस चैलेंज के अन्य उपयोग

- स्विस चैलेंज विधि के अन्य उपयोग भी हैं। अपने मूल रूप में एक स्विस चैलेंज बुनियादी ढाँचा डेवलपर को सरकार द्वारा बोलियों के लिये बुलाए जाने का इंतजार किये बिना एक नई परियोजना के लिये स्व-प्रेरणा (suo motu) से प्रस्ताव के साथ आने की अनुमति देता है।
- यह नवाचार को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि ठेकेदार या डेवलपर्स परियोजनाओं को शुरू कर सकते हैं|
- सार्वजनिक परियोजनाओं के लिये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस विधि को अपनाए जाने की सलाह दी थी और भारत सरकार ने सड़क तथा रेलवे परियोजनाओं में इस विधि को आजमाया है।

### नकारात्मक पक्ष

- यदि इस विधि को सार्वजनिक परियोजनाओं पर लागू किया जाता है तो इससे अधिक अभिनव परियोजना का प्रस्ताव और उसका त्वरित निष्पादन हो सकता है, क्योंकि एक अच्छे विचार के साथ बोली लगाने वाले को कार्य शुरू करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि दिवालियापन के मामलों में स्विस चैलेंज लागू किया जाता है तो बैंक तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की नीलामी से अधिक धन उगाह सकते हैं।
- लेकिन इस प्रक्रिया से बोली लगाने वाले को एक विचार शुरू करने और उसे अस्वीकार करने का पहला अधिकार प्रदान करने की अनुमति देकर स्विस चैलेंज भ्रष्टाचार के दरवाजे खोलने, सार्वजनिक परियोजनाओं के अवार्ड में पक्षपात को बढ़ावा दे सकता है।
- इसके खिलाफ सुरक्षा के लिये कानूनी विशेषज्ञ सार्वजनिक परियोजनाओं की एक खुली सूची का सुझाव देते हैं जो सरकार को प्रस्ताव प्राप्त करते समय स्विस चैलेंज और बोली विवरणों के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण की अनुमति देता है।

## 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा का लक्ष्य

### चर्चा में क्यों ?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy - MNRE) ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के तहत मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किये हैं। वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है।

- वैसे तो भारत में तय किये गए 60 गीगावाट के तटवर्ती पवन ऊर्जा लक्ष्य एवं 34 गीगावाट पवन ऊर्जा की प्राप्ति और वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट के सौर ऊर्जा लक्ष्य की तुलना में उपर्युक्त लक्ष्य मामूली नज़र आता है, लेकिन खुले समुद्र में विशाल पवन ऊर्जा टर्बाइन लगाने में होने वाली भारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण नज़र आती है।
- उल्लेखनीय है कि तटवर्ती पवन ऊर्जा टर्बाइनों की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा टर्बाइनों के आकार के साथ-साथ उनकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा की बदौलत देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद समूह में एक नया अवयव शामिल होगा।

नोट :

## राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को मंज़ूरी दी गई थी और अक्तूबर, 2015 में इसे अधिसूचित किया गया।
- इसके बाद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अपतटीय क्षेत्रों के उपयोग के लिये प्रमुख मंत्रालय के रूप में अधिकृत किया गया।
- यह योजना देश भर में मान्य होगी, जो अपतटीय पवन क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
- इसी तरह राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (National Institute of Wind Energy-NIWE) को देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास और अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों के आवंटन तथा संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय व संबद्ध कार्यों के लिये प्रमुख एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया।
- इसके अंतर्गत अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और आधार रेखा से 200 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) की दूरी तक देश में अथवा उसके आस-पास जल में अनुसंधान व विकास कार्यों समेत अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया।

## अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावनाएँ

- प्राथमिक अध्ययनों से भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर और पश्चिमी तट पर अपतटीय पवन ऊर्जा के लिये बड़ी मात्रा में हवाएँ उपलब्ध होने की संभावनाओं के बारे में पता चला है। इसके लिये गुजरात और तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्रों में प्राथमिक अध्ययन कराए गए।
- पवन की गुणवत्ता को सटीक रूप से मापने के लिये गुजरात तट के निकट एक 'लिडार' लगाया गया है जो नवंबर, 2017 से ही अपतटीय क्षेत्रों में बहने वाली हवाओं की गुणवत्ता से जुड़े डेटा को सृजित कर रहा है।
- अपतटीय हवाओं की बेहतर गुणवत्ता से प्रोत्साहित होकर निजी क्षेत्र की एक कंपनी ने भी अपतटीय पवन संसाधन को मापने के उद्देश्य से गुजरात के कच्छ की खाड़ी में एक लिडार लगाया है।
- तमिलनाडु एवं गुजरात में भी इसी तरह के कई और उपकरण लगाने की योजनाएँ बनाई गई हैं।
- विश्व स्तर पर ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और चीन की अगुवाई में लगभग 17-18 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है।

भारत सरकार द्वारा गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी (Gulf of Khambat) में प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिये अभिरुचि पत्र (Expression of Interest-EoI) आमंत्रित किये गए हैं जिसमें देश-विदेश के उद्योग जगत ने काफी रुचि दिखाई है। हालाँकि पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना 1,000 मेगावाट है, तथापि सरकार की योजना वर्ष 2022 तक कम-से-कम 5 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। यह इस बात के महत्त्व को रेखांकित करता है कि अमेरिका और चीन के बाद ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में भारत अपनी प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। यही कारण है कि यह अपनी 7,600 किलोमीटर की तटरेखा पर पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करते हुए अपतटीय ऊर्जा शुल्क को कम करने की योजना बना रहा है।

# दिल्ली मेट्रो दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा

## चर्चा में क्यों?

दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन के लगभग 11 किमी लंबे मुंडका-बहादुरगढ़ खंड का 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह खंड राजधानी को हरियाणा से जोड़ता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही बीजिंग, लंदन, शंघाई और न्यूयॉर्क के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा मेट्रो कॉरीडोर बन जाएगा।

## छह लाख वाहन सड़कों से कम हुए

- प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क ने सड़कों पर 6 लाख वाहन कम कर दिये हैं जिससे, आम जनता का समय व धन की बचत हुई है तथा प्रदूषण भी कम हुआ है।
- उन्होंने कहा कि भारत के 12 शहरों में मेट्रो सेवाएँ प्रारंभ की जा रही हैं और स्वदेशी कोच बनाने के लिये आधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

- केंद्र और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, "सहकारी संघवाद" का एक उदाहरण है।
- मेट्रो के इस कॉरीडोर को खोले जाने के बाद इंद्रलोक-बहादुरगढ़ खंड 26.33 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 208 स्टेशनों के साथ अब 288 किलोमीटर का हो गया है। यह दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से जुड़ा तीसरा खंड है।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरगढ़ को "हरियाणा के गेटवे" के रूप में जाना जाता था और अब मेट्रो के आगमन के साथ "विकास का गेटवे" के रूप में जाना जाएगा।
- क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ता उद्योग मेट्रो कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहा था, इससे नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और छात्रों को भी फायदा होगा।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क में एकरूपता लाने और मानकीकृत करने के लिये पिछले साल मेट्रो से संबंधित एक नई नीति बनाई थी।

### स्मार्ट बुनियादी ढाँचा

- प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक नए और स्मार्ट बुनियादी ढाँचे के लिये प्रतिबद्ध है। उनके शासन के दौरान वायुमार्ग, जलमार्ग, राजमार्ग और आई-वे (i-way) (सूचना तरीकों) में अधिकतम निवेश किया गया है।

### दिल्ली मेट्रो के बारे में

- दिल्ली मेट्रो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, नोएडा और गाजियाबाद शहरों को आपस में जोड़ने वाली एक परिवहन प्रणाली है।
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 3 मई, 1995 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र सरकार की समान इक्विटी भागीदारी के साथ निर्माण और संचालन को पूरा करने के लिये पंजीकृत किया गया था। यह दिल्ली मेट्रो का निर्माण और संचालन करती है।
- दिल्ली मेट्रो भारत में बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- शानदार और आधुनिक मेट्रो सिस्टम ने भारत में पहली बार आरामदायक, वातानुकूलित और पारिस्थितिकी-अनुकूल सेवाएँ पेश कीं और न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर परिवहन परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव किया।
- रिकॉर्ड समय में 208 स्टेशनों के साथ 288 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क बनाने के बाद, आज DMRC एक उदाहरण के रूप में सामने आया है कि कैसे विशाल तकनीकी रूप से जटिल आधारभूत संरचना परियोजना समय से पहले और सरकारी एजेंसी द्वारा बजट लागत के भीतर पूरी की जा सकती है।

---

## AIIB इंफ्रा फंड में 200 मिलियन डॉलर निवेश करेगी

### चर्चा में क्यों?

एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के बोर्ड ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट फंड (NIIF) में 100 मिलियन डॉलर के निवेश को मंज़ूरी दे दी है। शेष 100 मिलियन डॉलर अगली श्रृंखला में जारी किये जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो के दौरान शुरू होने वाली AIIB की तीसरी वार्षिक बैठक से पहले दी है।

### प्रमुख बिंदु

- यह पहली बार है जब भारत AIIB की वार्षिक बैठक की मेज़बानी कर रहा है, जिसे 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा।
- चीन के बाद AIIB में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इस बहुपक्षीय एजेंसी से धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता भी है।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार AIIB द्वारा जारी किये गए कुल धन का लगभग 25% सरकारी और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये प्रतिबद्ध है।

- आर्थिक मामलों के सचिव एस.सी. गर्ग के अनुसार मूल निवेश पर 10-12 गुना लाभ होगा, जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना परियोजनाओं में 2.4 अरब डॉलर तक का प्रवाह हो सकता है।
- AIIB ने अपना कार्य जनवरी 2016 में शुरू किया था। इसने अब तक 4.4 बिलियन डॉलर निवेश को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें भारत 1.2 अरब डॉलर के साथ अब तक का सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है।
- सरकार ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना -3 के लिये 475 मिलियन डॉलर का एक प्रस्ताव AIIB को भेजा था जिसे सैद्धांतिक रूप से पहले ही मंज़ूरी दे दी गई थी।
- चीन की बेल्ट और रोड पहल तथा उसमें भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) शामिल है और जो पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से गुज़रता है, AIIB के उपाध्यक्ष डैनी अलेक्जेंडर का कहना है कि AIIB एक गैर-राजनैतिक संगठन है जो सदस्य देशों द्वारा तय की गई बोर्ड नीति के अनुसार परियोजनाओं में निवेश करता है।

### AIIB क्या है?

- एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिये एक मिशन के रूप में कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में इसके 86 अनुमोदित सदस्य हैं।
- टिकाऊ बुनियादी ढाँचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके AIIB लोगों, सेवाओं और बाज़ारों को बेहतर ढंग से जोड़ रहा है, जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे।
- AIIB ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा व कृषि विकास, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और प्रचालन में ठोस और टिकाऊ परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण प्रदान करता है।

---

## मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के रायगढ़ ज़िले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह परियोजना कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा के साथ-साथ इस क्षेत्र के गाँवों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगी।

### प्रमुख बिंदु

- परियोजना की कुल लागत 3866.34 करोड़ रुपए है।
- इस परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था। फरवरी 2018 में निर्माणावधि से पहले इसे पूरा कर लिया गया।
- इस बांध में करीब 61.63 करोड़ घन मीटर जल भराव की क्षमता है। 456.50 मीटर लंबा और 77.50 मीटर की ऊँचाई वाला पक्का बांध बनाया गया है।
- इस बांध के निर्माण से करीब 1.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी।
- इस परियोजना से मध्यप्रदेश की राजगढ़ ज़िले के 727 ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत उद्योगों और पेयजल के लिये 5-5 मिलियन घन मीटर पानी आरक्षित किया गया है।
- 17 गेट वाला यह बांध ज़िले का सबसे बड़ा और भोपाल संभाग का दूसरा सबसे बड़ा बांध है।

### अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के साथ-साथ कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया।
- प्रधानमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan), 2018 के विजेताओं की भी प्रशंसा की।
- प्रधानमंत्री ने इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'सूत्र सेवा' नामक राज्य सरकार की शहरी परिवहन योजना का भी उद्घाटन किया।
- यह किफायती बस सेवा 'सूत्र सेवा: एमपी की अपनी बस' (Sutra Seva: MP Ki Apni Bus) राज्य के 20 चयनित शहरों में पेश की जा रही है।

नोट :

- शहरी विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) निजी साझेदारी के माध्यम से अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation - AMRUT) के तहत शहरों के अंदर और बाहर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 'सूत्र सेवा' के पहले चरण में 127 बसें चार नगर पालिका शहरों- भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में और दो नगर पालिका कस्बों गुना व भिंड में चलाई जाएंगी।
- प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 278.26 करोड़ रुपए की लागत से 23 विकास परियोजनाएँ भी राष्ट्र को समर्पित की।
- कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 14 शहरी क्षेत्रों के लिये पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया। ये स्थान हैं: धरमपुरी नगर परिषद (धार ज़िला), रायसेन नगर परिषद, बेगमगंज, ओबेदुल्लागंज (Obaidullaganj), बेरसिया (भोपाल), अथनर (बेतूल), भाववद (रतलाम), डिंडोरी, लखनादोन (सेनी), नरसिंहपुर, सबलगढ़, बमर, पोर्सा (मुरैना) और बामौरी (शहडोल)।

## तमिलनाडु द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के साथ 'प्रति बूंद अधिक फसल' की अवधारणा को प्रोत्साहन

### चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार 2018-19 में 3.57 लाख एकड़ कृषि भूमि की ड्रिप सिंचाई हेतु 2982.18 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय की योजना बना रही है। 2017-18 के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 692.26 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 3.01 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र को कवर किया गया है।

#### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 2011-12 और 2016-17 के बीच राज्य द्वारा 1,170.88 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय पर माइक्रो सिंचाई के तहत 4.72 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया गया जिससे 1.52 लाख छोटे और सीमांत किसानों सहित 2.05 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिये 100 प्रतिशत सब्सिडी तथा अन्य किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सब्सिडी का अनुपात 60:40 है।
- सब्सिडी योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने पिछले साल से माइक्रो सिंचाई प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है।
- किसानों हेतु बागवानी और वृक्षारोपण विभाग द्वारा बनाई गई सुविधा के माध्यम से खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं और इसकी निगरानी सब्सिडी रिलीज़ होने तक की जा सकती है।
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली निर्माताओं और किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यह जल उपयोग दक्षता और उत्पादकता को बढ़ा कर स्पष्ट लाभ प्रदान करने में सक्षम है। हालाँकि, वे उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र कवरेज में तेज़ी लाने के लिये कुछ और उपाय लागू किये जाएंगे।
- राज्य में जीएसटी छोटे और सीमांत किसानों के लिये सब्सिडी में शामिल है। लेकिन अन्य किसानों को 12 प्रतिशत कर देना होगा।
- राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में योजनाबद्ध तरीकों के साथ बड़ी एकीकृत माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना पर विचार करना होगा। सिंचाई के बुनियादी ढाँचे के हिस्से के रूप में यहाँ कई सौ एकड़ माइक्रो सिंचाई हेतु सफल प्रयास किये गए हैं।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने 1000 एकड़ के लिये परियोजना शुरू की है जिसमें दो प्रमुख ड्रिप सिंचाई निर्माताओं के साथ 500 एकड़ का संचालन किया गया है।
- उद्योग सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक में भी इसी तरह की परियोजना शुरू की गई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

## मिलावट के खिलाफ नियमों में संशोधन हेतु एफएसएसएआई का मसौदा

### संदर्भ

हाल ही में खाद्य पदार्थों की नियामक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव हेतु एक मसौदे का प्रस्ताव पेश किया है। नए नियमों एवं सिफारिश

के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है तो इस अपराध के लिये 10 लाख के जुर्माने के साथ-साथ उम्रकैद तक की सज़ा की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने 'खाद्य सुरक्षा और पोषण निधि' निर्मित किये जाने का भी सुझाव दिया है जिसका उद्देश्य खाद्य व्यवसाइयों और उपभोक्ताओं के बीच इसका प्रचार और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करना है।

## एफएसएसएआई की सिफारिशें

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून को 2006 में पारित किया गया था, लेकिन इसकी अधिसुचना 2011 में जारी की गई। FSSAI ने खाद्य परिवर्तन और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं-
- अधिनियम की धारा 59 में एक नए खंड को जोड़ने की सिफारिश की गई है, इसके अंतर्गत सात साल के कारावास का प्रावधान किया गया है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों और व्यवसाइयों पर 10 लाख रुपए के जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है जो जान-बूझकर खाद्य वस्तुओं में मिलावट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मिलावट से किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान हुआ है अथवा नहीं।
- इसके अंतर्गत मिलावट किये जाने तथा मिलावट से नुकसान होने की आशंका में भी आजीवन कारावास की सज़ा की सिफारिश की गई है। यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान समय में यदि खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट से उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो ही उम्रकैद का प्रावधान है, लेकिन इन प्रस्तावों पर सहमति बनने के बाद मिलावट की आशंका होने की स्थिति में भी उम्रकैद का प्रावधान किया गया है।
- प्रस्तावित अन्य संशोधनों में राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों का गठन करने की बात भी कही गई है ताकि कानून का सही अर्थ में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के काम में बाधा डालने या उन्हें परेशान करने अथवा उन पर हमला करने वालों के लिये सज़ा को बढ़ाकर न्यूनतम छह महीने व अधिकतम दो साल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ-साथ पाँच लाख रुपए जुर्माने का भी प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम तीन महीने की सज़ा और एक लाख रुपए जुर्माने की व्यवस्था है।
- इसके अतिरिक्त, निर्यात किये जाने वाले खाद्य पदार्थों को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में केवल वे खाद्य पदार्थ इस कानून के दायरे में शामिल होते हैं जिनकी बिक्री घरेलू बाज़ार में होती है अथवा जिनका आयात किया जाता है।
- इसके अलावा, खाने का सामान आयात करने वाली कंपनियों के संदर्भ में भी ज़िम्मेदारी तय की गई है जिससे कि किसी भी सामान में मिलावट न हो। साथ ही, इस संबंध में किसी प्रकार की दुविधा से बचने के लिये उपभोक्ताओं की परिभाषा में भी बदलाव किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, पशुओं के खाद्य पदार्थों को भी कानून के दायरे में लाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया है।

## भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
## (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया।
- जिसे 1 अगस्त, 2011 को केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

नोट :

## भारत में घट रही है अनाज उत्पादकता : वर्ल्ड एटलस ऑफ डेज़र्टीफिकेशन रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय कमीशन के ज्वांइट रिसर्च सेंटर की 'वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टीफिकेशन' (World Atlas of Desertification) नामक रिपोर्ट में पर्यावरण के प्रभावों के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। इन आँकड़ों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया में भोजन की समस्या ज़ोर पकड़ने वाली है। इस रिपोर्ट में जो सबसे चिंताजनक पहलू उजागर किया गया है वह यह कि भारत, चीन और उप-सहारा के अफ्रीकी देशों में स्थिति सबसे गंभीर होने वाली है।

### इस समस्या का मूल कारण

- इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदूषण, भू-क्षरण और सूखे जैसी समस्याओं ने जहाँ पृथ्वी के तीन-चौथाई भूमि क्षेत्र की गुणवत्ता को नष्ट कर दिया है, वहीं दूसरी ओर, इसका परिणाम भोजन की कमी के रूप में नज़र आ रहा है।
- यदि क्षति की यही दर चलती रही तो सदी के मध्य तक इस आँकड़े में और भी अधिक वृद्धि हो जाएगी जो कि एक बेहद चिंतनीय मुद्दा है।
- स्पष्ट है कि यदि इसी गति से भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होता गया तो कृषि पैदावार के साथ-साथ जल जैसे दूसरे महत्त्वपूर्ण आवश्यक संसाधनों में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

### वनों का कटाव और बढ़ता शहरीकरण : अन्य उत्तरदायी कारक

- इसके साथ-साथ वनों के कटाव और बढ़ते शहरीकरण को भी अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों के रूप में चिह्नित किया गया है।
- इस भयावह स्थिति से बचने के लिये मृदा संरक्षण, सतत् भूमि और जल के सीमित उपयोग जैसी नीतियों एवं उपायों को कृषि, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी लागू करना होगा ताकि भावी पीढ़ी के लिये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ-साथ सभी के लिये भोजन के सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

### 2030 तक भू-क्षरण प्रक्रिया को थामना है बेहद ज़रूरी

- इस मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण एवं विकास की अहमियत पर विशेष बल दिया गया है।
- इसके अनुसार, मानव स्वास्थ्य प्रर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 2030 तक भूमि क्षरण प्रक्रिया को थामे रखना बेहद ज़रूरी है।

### भारत के परिपेक्ष्य में बात करें तो

- भारत में भूमि क्षरण का दायरा 96.40 मिलियन हेक्टेयर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.30 प्रतिशत है। देश में प्रति मिनट 23 हेक्टेयर शुष्क भूमि सूखा और मरुस्थलीकरण की चपेट में आ जाती है जिसकी वज़ह से 20 मिलियन टन अनाज का संभावित उत्पादन प्रभावित होता है।
- देश का 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र शुष्क भूमि के रूप में है, जबकि 30 प्रतिशत ज़मीन भू-क्षरण और 25 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुज़रती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष करीब 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी और 27 हज़ार जैव प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं।
- जहाँ तक बात है शुष्क क्षेत्रों की तो दुनिया की करीब 30 प्रतिशत आबादी शुष्क क्षेत्रों में रहती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 21 विश्व धरोहर स्थलों में से 8 शुष्क क्षेत्रों में हैं।

### जहाँ तक बात है सुधारों की तो

- भू-क्षरण रोकने के लिये अन्य देशों द्वारा किये गए उपायों की सराहना करते हुए मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में बुरकिना फासो के साहेल एकीकृत समतल भूमि पारिस्थितिकी प्रबंधन तथा भू-क्षरण और सूखे से निपटने में चीन की ओर से उसके अपने क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया गया।
- भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड में आजीविका का स्तर सुधारने के लिये भूमि, जल और जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी उपाय किये जा रहे हैं।

नोट :

- भूमि और पारिस्थितिकी प्रबंधन क्षेत्र में नवाचार के ज़रिये टिकाऊ ग्रामीण आजीविका सुरक्षा हासिल करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- भूमि क्षरण दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के लिये अच्छी खबर यह है कि इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा रहा है।

### यूएनसीसीडी के तहत चार दिवसीय एशिया प्रशांत कार्यशाला

- विदित हो कि अप्रैल माह में मरुस्थलीकरण की समस्या से निबटने के लिये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) के तहत चार दिवसीय एशिया प्रशांत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- भारत में संपन्न यह क्षेत्रीय कार्यशाला दुनिया भर में आयोजित यूएनसीसीडी कार्यशालाओं की श्रृंखला में चौथी है। इस चार दिवसीय कार्यशाला में (24-27 अप्रैल, 2018) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था।
- मरुस्थलीकरण पर 1977 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पहली बार उपजाऊ भूमि के मरुस्थल में तब्दील होने की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई थी। इसके बाद 17 जून, 1994 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसके लिये बाकायदा एक वैश्विक संधि तैयार की गई जिसे दिसंबर 1996 में लागू किया गया।
- भारत 14 अक्तूबर, 1994 को इस संधि में शामिल हुआ और 17 दिसंबर, 1996 को उसने इसकी पुष्टि की। भारत के संदर्भ में संधि से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रमुख ज़िम्मेदारी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की है।

## ECGC तथा NEIA में पूंजी निवेश को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

### संदर्भ

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा छोटे निर्यातकों की मदद के उद्देश्य से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC) तथा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (NEIA) को मज़बूती देने के लिये क्रमश: 2,000 करोड़ रुपए 1,040 करोड़ रुपए की निधि को मंज़ूरी दी गई है। ये पूंजी निवेश 3 वित्त वर्षों (2017-18, 2018-19 तथा 2019-20) के दौरान किये जाएंगे।

### ECGC के लिये पूंजी निवेश का आवंटन

- वित्त वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ रुपए
- वित्त वर्ष 2018-19 में 1,450 करोड़ रुपए
- वित्त वर्ष 2019-20 में 500 करोड़ रुपए

### NEIA के लिये पूंजी निवेश का आवंटन

- वर्ष 2017-18 के लिये NEIA को 440 करोड़ रुपए की रकम पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
- वर्ष 2018-19 और 2019-20 में प्रत्येक वर्ष के लिये NEIA को 300 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
- इस निधि से NEIA रणनीतिक एवं राष्ट्रीय महत्त्व की निर्यात परियोजनाओं को मदद देने में समर्थ होगा।

### ECGC को पूंजी निवेश से होने वाले लाभ

- इस पूंजी निवेश से MSME क्षेत्र में निर्यात के लिये बीमा कवरेज में सुधार होगा और अफ्रीका, कामनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (Commonwealth Independent States-CIS) तथा लैटिन अमेरिकी देशों के उभरते एवं चुनौतीपूर्ण बाज़ारों में भारत के निर्यात को मज़बूती मिलेगी।
- इस निवेश से पूंजी अनुपात के मुकाबले ECGC की बट्टेखाते में डालने की क्षमता व जोखिम में उल्लेखनीय सुधार होगा।
- बट्टेखाते (Bad Debt Account) में डालने की मज़बूत क्षमता होने से ECGC नए एवं उभरते बाज़ारों में भारतीय निर्यातकों को मदद देने के लिये बेहतर स्थिति में होगी।
- अधिक पूंजी निवेश से ECGC को अपने उत्पाद पोर्ट फोलियो में विविधता लाने और निर्यातकों को सस्ता बीमा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिससे वे चुनौतीपूर्ण बाज़ारों में भी स्वयं को स्थापित करने में समर्थ होंगे।

नोट :

## ECGC के तहत बीमा कवर से लाभ

- ECGC के तहत बीमा कवर से भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।
- ECGC के तहत बीमा कवर से लाभान्वित होने वाले 85 फीसदी से अधिक ग्राहक MSME के हैं। ECGC विश्व के करीब दो सौ देशों के लिये निर्यात बीमा मुहैया कराती है।

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु 2 अक्तूबर, 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED Act), 2006 विनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत MSMEs को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

- विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम- इसमें उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी (Plant & Machinery) में किये गए निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

| उद्यम का प्रकार | संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया निवेश (रुपए में) |
|---|---|
| सूक्ष्म (Micro) | 25 लाख तक |
| लघु (Small) | 25 लाख से अधिक किंतु 5 करोड़ से कम |
| मध्यम (Medium) | 5 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम |

- सेवा क्षेत्र के उद्यम- सेवाएँ प्रदान करने में लगे उद्यमों को उपकरणों (Equipment) में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।

| उद्यम का प्रकार | उपकरणों में किया गया निवेश (रुपए में) |
|---|---|
| सूक्ष्म (Micro) | 10 लाख तक |
| लघु (Small) | 10 लाख से अधिक किंतु 2 करोड़ से कम |
| मध्यम (Medium) | 2 करोड़ से अधिक किंतु 5 करोड़ से कम |

## एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC)

- ECGC भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यात ऋण बीमा सेवा मुहैया कराने वाली भारत सरकार की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है।
- ऋण पर निर्यात करने के जोखिम को कवर कर निर्यात संवर्द्धन अभियान को मज़बूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC) की स्थापना की गई।
- इसमें निर्यातकों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में होने वाली हानि के बदले ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदाब करने का प्रावधान है तथा यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को गारंटी भी प्रदान करती है जिसमें जिससे निर्यातक उनसे बेहतर सुविधाएँ प्राप्त कर सकें।
- इसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिये बीमा कवर प्रदान करना है-
  - निर्यातकों को राजनैतिक और वाणिज्यिक जोखिमों के लिये
  - निर्यातकों को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिये
  - बैंकों को उनके द्वारा प्रदत्त निर्यात ऋण और गारंटियों के लिये
  - विदेशों में भारतीय निवेशकों को राजनैतिक जोखिमों के लिये।

## राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA)

- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। इसका प्रशासन ECGC लिमिटेड के अंतर्गत किया जाता है।
- भारत के परियोजना निर्यात को परंपरागत और विकासशील देशों के नए बाजारों में बढ़ावा देने के लिये NEIA के तहत क्रेता को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस वित्तपोषण कार्यक्रम के तहत संप्रभु विदेशी सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को भारतीय माल एवं सेवाओं के आयात के लिये आस्थगित ऋण शर्तों पर मध्यम तथा लंबी अवधि के लिये ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

नोट :

# 6.5 लाख टन क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने को मंज़ूरी

## चर्चा में क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 लाख टन (MMT) क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve-SPR) स्थापित करने को मंज़ूरी दी है। इसके साथ-साथ इन दोनों एसपीआर के लिये समर्पित सिंगल पॉइंट मूरिंग (Single Point Mooring) के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

## महत्त्वपूर्ण तथ्य

- इस परियोजना के बजटीय आवंटन के संदर्भ में अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। यही कारण है कि इस परियोजना को पीपीपी मॉडल के तहत सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई है और इस पर विस्तृत ब्योरा बाद में तैयार किया जाएगा।
- इन गोदामों के संबंध में नियमों और शर्तों का निर्धारण वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- चांदीखोल और पदुर के लिये SPR प्रतिष्ठान भूमिगत (अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न) होंगे।
- इनकी क्षमता क्रमश: 40 लाख टन और 25 लाख टन होगी।
- सरकार ने वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में दो अतिरिक्त एसपीआर स्थापित करने की घोषणा की थी।
- चांदीखोल और पदुर में एसपीआर के निर्माण चरण के दौरान ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के पर्याप्त अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

## मौजूदा क्षमता कितनी है ?

- ISPRL (Indian Strategic Petroleum Reserve Limited- ISPRL) द्वारा पहले ही तीन जगहों-विशाखापत्तनम (13.3 लाख टन), मंगलूर (15 लाख टन) और पदुर (25 लाख टन) में तेल भंडारण के लिये गोदाम स्थापित किये गए हैं।
- मौजूदा चट्टानी भंडार केंद्रों की क्षमता 53.3 लाख टन है।
- ISPRL, एक सरकारी स्वामित्व का विशेष उद्देश्य वाला उद्यम है।
- वित्त वर्ष 2016-17 के लिये खपत आँकड़ों के अनुसार, SPR कार्यक्रम के पहले चरण के तहत इसकी कुल 5.33 लाख टन क्षमता से करीब 10 दिनों के लिये भारत की कुल कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिये आपूर्ति की जा सकती है।
- इन गोदामों से आपातकाल में 12 से 22 दिनों के लिये तेल की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी बल मिलने की उम्मीद है।
- उल्लेखनीय है कि भारत अपनी ज़रूरत का तीन-चौथाई से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर इस कोशिश में है कि देश में आपातकालीन स्थिति में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये पेट्रोलियम का भण्डारण किया जाना चाहिये। अत: इस दिशा में सरकार का यह कदम प्रभावी साबित होगा।

## तेल खोज नियमों में छूट

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल खोज व्यवस्था को पहले की अपेक्षा और अधिक सरल बनाने के लिये तेल खोज नियमों में छूट देने का निर्णय लिया है।
- तेल उत्पादक कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि यदि इन कंपनियों के निर्धारित अनुबंधित क्षेत्र के समीप के किसी क्षेत्र में कहीं तेल भंडार मिलता है तो वे उस क्षेत्र को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। हालाँकि इस छूट के संदर्भ में कुछ आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
- इस निर्णय से किसी संचालक को भूकंप से संबंधित अध्ययन करने, डेटा को समझने और ज़्यादा सक्षमता से तेल की खोज करने में भी मदद मिलेगी।

नोट :

### मुद्दा क्या है ?

- कुछ समय पहले कृष्णा-गोदावरी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरआईएल) और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के बीच तेल भंडार का व्यापक अधिकार क्षेत्र काफी विवादास्पद रहा है।

## डॉलर के मज़बूत होने से भारतीय मुद्रा को अधिक जोखिम नहीं : मूडीज

### चर्चा में क्यों ?

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा ज़ारी एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन पाँच देशों में शामिल है जो डॉलर के मज़बूत होने से सबसे कम जोखिम की स्थिति में हैं। मूडीज़ का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में लगातार गिरावट जारी है।

### क्या कहती है मूडीज रिपोर्ट ?

इस रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर के मज़बूत होने से अन्य मुद्राओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन भारत सबसे कम जोखिम वाले देशों में है।

- अमेरिकी डॉलर के अन्य मुद्राओं की तुलना में मज़बूत होने के प्रभावों पर ज़ारी अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि डॉलर की मज़बूती से कई उभरते बाज़ारों के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय कमी आई है।
- भारत के अलावा  चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको और रूस इस सूची में शामिल हैं।
- मूडीज के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र में बड़ी बचत के ज़रिये ये अर्थव्यस्थाएँ घरेलू स्तर पर अपना वित्तपोषण करने में सक्षम हैं।
- हालाँकि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत के चालू खाता घाटे (CAD) में वृद्धि हुई है लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। इसकी पूर्ति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि के माध्यम से की जा सकती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि से डॉलर की माँग बनी हुई है।

### रुपए के मूल्य में गिरावट का कारण

- अमेरिका ने चीन सहित सभी सहयोगी देशों से ईरान से कच्चे तेल के आयात पर चार नवंबर तक प्रतिबंध लगाने को कहा था। इस घोषणा के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और डॉलर के मूल्य में भी वृद्धि हुई है।
- अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की बढ़ती आशंका के चलते भारतीय रुपए पर दबाव बन रहा है।
- उपर्युक्त कारणों के अलावा हर महीने के आखिर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL, IOC, BPCL) द्वारा डॉलर की माँग में वृद्धि की जाती है।

### वर्ष 2018 में डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट

- पिछले वर्ष डॉलर की तुलना में रुपए में 5.96 प्रतिशत की मज़बूती देखी गई थी लेकिन 2018 की शुरुआत से ही रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
- इस साल डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में लगभग 8 प्रतिशत की कमी आई है।
- इससे पहले रुपया 24 नवंबर, 2016 को यह प्रति डॉलर 68.68 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच गया था और 28 अगस्त, 2013 को यह 68.80 के न्यूनतम स्तर पर पहुँचा था।
- हाल ही में (28 जून, 2018) को यह 69.10 रुपए प्रति डॉलर के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया। यह रुपए के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक गिरावट है।

नोट :

# वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक में भारत 35वें स्थान पर

## चर्चा में क्यों ?

रियल्टी सलाहकार जेएलएल के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक-2018 (Global Real Estate Transparency Index-2018) में भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है। इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण में भारत 35वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछली सूचकांक में भारत का स्थान 36वाँ था। नीतिगत सुधार, रियल्टी तथा रिटेल क्षेत्र में एफडीआई में उदारीकरण, सार्वजनिक सूचना के क्षेत्र में मज़बूती और किफायती आवास के लिये उद्योग की स्थिति निर्दिष्ट करने आदि उपायों ने भारत की रैंकिंग में सुधार लाने में मदद की।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस पारदर्शिता के परिणामस्वरूप भारतीय रियल एस्टेट में पीई निवेश 2014 के 2.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 6.3 अरब डॉलर हो गया है, जो कि वैश्विक फंडों के प्रति बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।
- जेएलएल इंडेक्स के पिछले दो चक्रों पर भारत का प्रदर्शन इंगित करता है कि 2014 से भारत ने पाँच स्थान का सुधार किया है।
- भारत के सभी बाज़ारों के पारदर्शिता स्कोर में उल्लेखनीय सुधार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की मात्रा में वृद्धि की है। नीतिगत सुधार, एफडीआई के उदारीकरण, संपत्ति अभिलेखों के डिजिटलीकरण ने भी रेटिंग को प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता बढ़ाएगा।
- देश के रियल्टी बाज़ार को अभी "अर्द्ध-पारदर्शी समूह" (semi-transparent group) में रखा गया है।
- 2020 में होने वाले सर्वेक्षण में यह रैंकिंग और बेहतर होने की संभावना है। इसके पीछे अहम वजह बेनामी लेनदेन अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर (GST) और रियल एस्टेट (विनियम एवं विकास) अधिनियम जैसी कई सरकारी पहलें हैं।

### ब्रिक्स देशों की स्थिति

- ब्रिक्स देशों में चीन और दक्षिण अफ्रीका को क्रमश: 33वें और 21वें स्थान पर रखा गया है जो 2016 के सूचकांक में भी इसी स्थान पर थे। पूर्व की रैंकिंग की भाँति ब्राज़ील 37वें तथा रूस 38वें स्थान पर हैं।

### वैश्विक स्थिति

- सर्वेक्षण में ब्रिटेन शीर्ष पर है। इसके बाद 10 शीर्ष देशों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्राँस, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन शामिल हैं।
- भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का इस सूची में 66वाँ और पाकिस्तान का 75वाँ स्थान है। वेनेजुएला इस सूची में 100 वें स्थान पर है।

### सूचकांक कैसे तैयार किया जाता है ?

- सूचकांक, डेटा उपलब्धता, इसकी प्रामाणिकता और सटीकता, सार्वजनिक एजेंसियों के साथ-साथ रियल्टी क्षेत्र के हितधारकों, लेनदेन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी माहौल सहित संबंधित लागत एवं विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता का आकलन किया जाता है।

# रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना में साझेदारी हेतु सऊदी अरामको और एडनॉक में समझौता

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सऊदी अरामको और एडनॉक ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन परिसर को संयुक्त रूप से विकसित एवं निर्मित करने के लिये एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किये। यह परियोजना रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (Ratnagiri Refinery & Petrochemicals Ltd.-RRPCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

- इस महत्त्वपूर्ण समझौते पर सहमति उस समय बनी जब संयुक्त अरब अमीरात के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री माननीय शेख अब्दुल्ला बिन जायेद बिन सुल्तान अल नहयान भारत के आधिकारिक दौरे पर आए।

नोट :

### 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम में बनी थी सहमति

- इससे पहले सऊदी अरामको ने 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम के मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर 11 अप्रैल, 2018 को भारतीय कंसोर्टियम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके इस परियोजना से अपना जुड़ाव सुनिश्चित किया था।
- सऊदी अरामको ने एक विदेशी निवेशक के रूप में इस परियोजना में सह-निवेश के लिये रणनीतिक भागीदार के रूप में शामिल होने की इच्छा जताई थी।

### समझौते के प्रमुख बिंदु

- यह भारत के परिशोधन (रिफाइनिंग) क्षेत्र में सर्वाधिक एकल विदेशी निवेश है।
- यह परियोजना भारतीय कंसोर्टियम और सऊदी अरामको एवं एडनॉक के बीच 50:50 प्रतिशत की संयुक्त अंशभागिता वाले उद्यम के रूप में स्थापित की जाएगी।

### रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना

- रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) एक संयुक्त उद्यम की कंपनी है, जिसका गठन आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के बीच क्रमश: 50:25:25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ 22 सितंबर, 2017 को हुआ था।
- इस कंपनी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 60 एमएमटीपीए (1.2 एमएमबीडी) की क्षमता वाली एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन परियोजना क्रियान्वित करनी है।
- पेट्रोरसायन का अनुमानित उत्पादन लगभग 18 एमएमटीपीए होने की आशा है।

### वर्तमान स्थिति

- रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना प्रतिदिन 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल (60 मिलियन मीट्रिक टन सालाना) का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करने में सक्षम होगी।
- यह रिफाइनरी बीएस-VI ईंधन दक्षता मानकों पर खरे उतरने वाले पेट्रोल एवं डीज़ल सहित अनेक परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेगी।
- यह रिफाइनरी उस एकीकृत पेट्रोरसायन परिसर के लिये आवश्यक कच्चा माल भी सुलभ कराएगी, जो प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलियन टन पेट्रोरसायन उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम होगा।
- इस रिफायनरी की गिनती विश्व की सबसे बड़ी परिशोधन एवं पेट्रोरसायन परियोजनाओं में होगी और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की जाएगी, जिससे कि यह भारत में तेज़ी से बढ़ती ईंधन एवं पेट्रोरसायन की मांग को पूरा करने में समर्थ होगी।
- इस परियोजना पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए (44 अरब अमेरिकी डॉलर) की लागत आने की संभावना है।

## आदेश का पालन न करने वाले उद्योग बंद किये जाएंगे

### चर्चा में क्यों?

कठोर उत्सर्जन निगरानी मानदंडों को लागू करने के लिये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिये हैं जिन्होंने ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (Online Continuous Emission Monitoring System-OCEMS) स्थापित नहीं की है। संचालन शुरू करने हेतु एक नई औद्योगिक इकाई को OCEMS स्थापित करना अब अनिवार्य हो जाएगा।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस उद्देश्य के लिये CPCB ने इस महीने दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है जिसके तहत तैनात किये जा सकने वाले सेंसर और निगरानी उपकरणों के प्रकारों को निर्दिष्ट किया गया है।
- 2015 से सीपीसीबी ने उद्योगों के लिये ओसीईएमएस स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है।

- हालाँकि सरकार ने लगभग 80% अनुपालन का दावा किया है, लेकिन इस साल आदेश का पालन न करने वाले उद्योगों के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## निरंतर निगरानी

- अत्यंत प्रदूषित उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष उत्सर्जन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- जब भी अमोनिया डिस्चार्ज के स्तर का किसी उद्योग द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उन अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिये अधिकृत हैं।
- अप्रैल में जारी एक विज्ञप्ति में सीपीसीबी, एसपीसीबी / पीसीसी (प्रदूषण नियंत्रण समिति) को जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत उन 17 उद्योगों को बंद करने संबंधी निर्देश जारी करने के लिये निर्देशित किया गया है जो OCEMS के बिना परिचालित हो रहे हैं।

## उद्योग जिनके लिये OCEMS की आवश्यकता होती है

- जिन उद्योगों को OCEMS की आवश्यकता होती है उनमें डिस्टिलरीज़ (किण्वन उद्योग समेत), चीनी, उर्वरक, लुगदी और कागज़, फार्मास्यूटिकल्स, डाई और डाई-इंटरमीडिएट्स, कीटनाशक, चर्म शोधशाला, थर्मल पावर प्लांट, लौह और स्टील, जिंक, कॉपर तथा एल्युमीनियम स्मेल्टर शामिल हैं।
- सीपीसीबी ने कहा कि 2014 में उपरोक्त 17 श्रेणियों के तहत आने वाले अत्यंत प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों की संख्या 3,266 थी, जिनमें से 2,328 इकाइयाँ पर्यावरण मानकों के अनुरूप थीं।
- 550 से अधिक उद्योगों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया जबकि 367 उद्योगों को बंद कर दिया गया।

# अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

## भारत सरकार और विश्व बैंक में 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता

### चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये विश्व बैंक 50 करोड़ डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना के अंतर्गत 7,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जानी हैं, जिसमें से 3,500 किलोमीटर का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया जाएगा।

- विश्व बैंक वर्ष 2004 के शुरुआत से ही पीएमजीएसवाई को सहयोग दे रहा है। अभी तक इसके तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर और पहाड़ी राज्यों में 180 करोड़ डॉलर के कर्ज के माध्यम से निवेश किया जा चुका है।
- इसके अंतर्गत लगभग 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार किया जा चुका है, जिससे लगभग 80 लाख लोगों को फायदा हुआ है।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 50 करोड़ डॉलर के कर्ज़ के साथ 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि (ग्रेस पीरियड) और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि जुड़ी हुई है।

### प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-PMGSY)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य हर मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण कर सम्पर्क स्थापित करना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेत से बाज़ार तक सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिये उन्नयन-घटक भी हैं, जिसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों के बेहतरीकरण का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II का उद्देश्य मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कर सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के मापदंड पर आधारित है।
- ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण द्वारा निर्धनता निवारण की सम्पूर्ण रणनीति में ग्रामीण-हब एवं वृद्धि-केंद्रों का विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वृद्धि केंद्र/ग्रामीण-हब बाज़ार, बैंकिंग एवं अन्य सेवा संबंधी सुविधाएँ मुहैया करवाते हैं जिनसे स्वरोज़गार एवं जीविकोपार्जन के अवसर सृजित होते हैं।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपारंपरिक सामग्रियों जैसे- बेकार प्लास्टिक, कोल्ड-मिक्स, फ्लाई एश, तांबे एवं लोह की धातु इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है एवं हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत तय कुल सड़कों के 15% सड़कों का निर्माण नवीन हरित प्रौद्योगिकी के ज़रिये किया जा रहा है, जैसे बेकार प्लास्टिक, कोल्ड-मिक्स, फ्लाई एश, तांबे एवं लोहे की धातु इत्यादि।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता एवं निर्माण की गति के संबंध में नागरिक शिकायतों के पंजीकरण के लिये "मेरी सड़क" नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है।

### वर्तमान स्थिति : समस्याएँ एवं समाधान

- अतिरिक्त वित्तपोषण से हरित प्रौद्योगिकी और कम कार्बन वाली डिज़ाइन व सड़क निर्माण की जलवायु अनुकूल तकनीकों से निर्माण की प्रौद्योगिकी में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा ग्रामीण समुदायों की आर्थिक अवसरों और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- 46 लाख किलोमीटर की मौजूदा सड़क का पर्याप्त रखरखाव भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है। मौजूदा सड़क नेटवर्क के कई हिस्से या तो कमज़ोर स्थिति में हैं या बाढ़, भारी बारिश, अचानक बादल फटने और भू-स्खलन जैसी घटनाओं से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर समुदायों व परिवारों को सहयोग देने के लिये यह सुनिश्चित करना अहम होगा कि बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाए और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुइ इनका रखरखाव हो।
- इस परियोजना से यह सुनिश्चित होगा कि कैसे ग्रामीण सड़कों की रणनीति और योजना के साथ जलवायु अनुकूल निर्माण को एकीकृत किया जा सकता है।

### विश्व बैंक के सहयोग से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

- इस अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत पीएमजीएसवाई और बैंक की भागीदारी से महज वित्तपोषण के अलावा हरित तकनीक, कम कार्बन वाली डिज़ाइन और नई तकनीकों के इस्तेमाल से हरित और जलवायु अनुकूल निर्माण के माध्यम से ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जाएगा:
  - बाढ़, जलभराव, बादल फटने, तूफान, भूस्खलन, खराब जल निकासी, अत्यधिक कटाव, भारी बारिश और ऊँचे तापमान से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिये डिज़ाइन की प्रक्रिया के दौरान जलवायु जोखिम का आकलन करना।
  - जल की सुगम निकासी के लिये पर्याप्त जलमार्गों और सबमर्सिबल सड़कों, कंकरीट ब्लॉक पेवमेंट्स के इस्तेमाल, जल निकासी में सुधार के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विशेष रखरखाव।
  - पर्यावरण अनुकूल सड़कों के डिज़ाइन और नई तकनीकों के उपयोग, जिनमें टूटे हुए पत्थरों के स्थान पर स्थानीय सामग्री और रेत, स्थानीय मिट्टी, फ्लाई ऐश, ब्रिक क्लिन वेस्ट तथा अन्य सामग्रियों जैसे औद्योगिक उपोत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है।
  - सड़कों और पुलों के लिये प्री-फैब्रिकेटेड/प्री-कास्ट यूनिट्स के उपयोग के माध्यम से नवीन पुलों और पुलियों का निर्माण, जो भूकंप और पानी के दबाव की स्थिति में टिके रहने में सक्षम होते हैं।
  - पहाड़ी इलाकों की सड़कों के निर्माण में पहाड़ों की कटाई हेतु सामग्री का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने और उनके निस्तारण की समस्या का समाधान के लिये जैव अभियांत्रिकी उपायों के इस्तेमाल, निकासी में सुधार और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिये अन्य उपाय तथा पर्याप्त ढाल सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- अतिरिक्त वित्तीय सहायता से निर्माण और रखरखाव में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर तैयार करके लिंग भेद भी कम किया जाएगा।
- पिछली परियोजना में उत्तराखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव के लिये महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से समुदाय आधारित रखरखाव अनुबंध की योजना बनाई गई थी।
- एसएचजी द्वारा नियंत्रित रखरखाव अनुबंधों को 5 राज्यों की 500 किलोमीटर सड़कों तक बढ़ाया जाएगा।

परियोजना के सभी भाग जलवायु के लिहाज से खासे लाभकारी और भारत में जीएचजी उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिये सड़क एजेंसियों के वास्ते मददगार हैं। सड़कों में सुधार से ही वार्षिक तौर पर जीएचजी उत्सर्जन में 26.8 लाख टन की कमी आएगी और सड़क संपदा मूल्य में 9 अरब डॉलर की वार्षिक बचत होगी व वाहन परिचालन की ऊँची लागत के रूप में इतनी ही धनराशि की बचत होगी।

## अमेरिका ने लगाया स्टील, एल्युमीनियम पर आयात शुल्क: वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका

### चर्चा में क्यों?

अमेरिका ने 31 मई की मध्यरात्रि से यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको से इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है साथ ही शुल्क से मिल रही रियायत को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में स्टील पर 25% और एल्युमीनियम पर 15% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी।
- 30 अप्रैल को अमेरिका ने इन देशों के लिये अस्थायी रियायत 30 दिनों के लिये बढ़ा दी थी, ताकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुँच सके।
- किंतु वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण ट्रंप प्रशासन ने स्टील पर 25% और एल्युमीनियम पर 10% आयात शुल्क लागू कर दिया है।

नोट :

- अर्थात् अब जो भी देश अमेरिका को ये धातुएँ निर्यात करेंगे, उन्हें टैक्स के रूप में इसकी अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी।
- अमेरिका हर साल यूरोपियन यूनियन से 593 बिलियन डॉलर्स (करीब 40 लाख करोड़ रुपए) का सामान आयात करता है, वहीं 501 बिलियन डॉलर्स (करीब 33 लाख करोड़ रुपए) का सामान निर्यात करता है।

## अमेरिका ने क्यों उठाया यह कदम?

- ट्रंप प्रशासन ने 8 मार्च को इस्पात और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालाँकि, कनाडा और मेक्सिको को इस टैक्स घेरे से बाहर रखा गया था।
- ट्रंप ने कहा, 'अनुचित' विदेश व्यापार गतिविधियाँ न केवल मात्र 'आर्थिक बर्बादी' है बल्कि यह 'सुरक्षा आपदा' भी है और उन्होंने दो आदेशों पर हस्ताक्षर कर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव किया है।
- ट्रंप प्रशासन के मुताबिक स्टील और एल्युमीनियम उत्पादक अमेरिकी देशों की सुरक्षा के लिये यह अहम फैसला है। वैश्विक सप्लायर्स की भरमार से उन पर खतरा उत्पन्न हुआ है।
- यूरोपियन यूनियन, कनाडा और मेक्सिको के साथ आगे की वार्ता में प्रगति नहीं हो पाना भी अमेरिका के इस कदम के लिये ज़िम्मेदार है।

## वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका

- यूरोपियन यूनियन (EU), कनाडा और मेक्सिको ने इस फैसले को अनुचित करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।
- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो ने कहा कि इस फैसले से जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम अमेरिका पर टैक्स लगाकर करेंगे।
- अमेरिका और यूरोप के बीच हर साल 73 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होता है।
- EU ने 10 पन्नों की लिस्ट जारी की है इस पर उन अमेरिकी उत्पादों का जिक्र है जिन पर टैक्स लगाने की चेतावनी दी गई है। EU ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में भी अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है।
- कनाडा 1 जुलाई से 13 बिलियन डॉलर की कीमत के अमेरिकी उत्पादों पर 25% शुल्क लगा सकता है।
- मेक्सिको भी अमेरिका से आयात होने वाले स्टील, पोर्क, सेब, अंगूर और पनीर पर टैरिफ लगा सकता है।
- ब्रिटेन ने कहा है कि इस्पात पर 25% आयात शुल्क अधिरोपित करना असंगत है इससे सहयोगी देशों में बदले की भावना से की गई कार्रवाई का भाव आएगा और दूरियाँ बढ़ेंगी।
- ट्रंप प्रशासन ने कार आयात पर टैरिफ लगाने की चीन को धमकी दी है। साथ ही अमेरिका ने बीजिंग को चीन से 50 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ लगाकर उसकी तकनीक चुराने के लिये दंडित करने की चेतावनी भी दी है।
- अमेरिका और चीन के बीच पिछले 3 महीनों से ट्रेड-वार जारी है। अमेरिका ने चीन से निर्यात होने वाले उत्पादों के बड़े हिस्से पर आयात शुल्क लगा दिया था।
- अमेरिका का कहना था कि चीन का ज़्यादातर सामान बिना किसी आयात शुल्क के अमेरिका पहुँचता है, जबकि वह अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचता है।

## ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को रियायत

- ट्रंप प्रशासन ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को टैरिफ से अनिश्चितकालीन छूट दी है। अमेरिका ने यह कदम इन व्यापारिक भागीदार देशों से सैद्धांतिक सहमति के मद्देनज़र उठाया है।
- अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ हुई वार्ता के बाद उसे इस्पात शुल्क से स्थायी छूट दी गई है।

## क्या होगा आर्थिक प्रभाव?

- कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन संघ ने 2017 में यूएस को 23 बिलियन डॉलर (£17 बिलियन) स्टील और एल्युमीनियम का निर्यात किया जो पिछले साल के कुल स्टील और एल्युमीनियम आयात के 48 अरब डॉलर का आधा है।
- यूरोपियन फर्में इस बात से भयभीत हैं कि अमेरिका में विदेशी स्टील की मांग कम होने से नौवहन का मार्ग बदल न जाए।
- इससे अमेरिका को आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उच्च कीमतों और रोज़गार के नुकसान के रूप में दिखाई देगा।

नोट :

- अमेरिका में स्टील की कीमतें अनिश्चितता के कारण पहले ही बढ़ी हैं और टैरिफ आयात में वृद्धि के कारण और बढ़ सकती हैं।
- अमेरिका के बाहर उपभोक्ता कुछ सामानों की कीमतों में गिरावट देख सकते हैं, जबकि अमेरिका में लोगों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

# भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता

## संदर्भ

भारत और सिंगापुर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये अपने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को अपग्रेड करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने हाल ही में लोक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों के नियंत्रण और रक्षा सहयोग समेत आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

### समझौते के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत और सिंगापुर ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) की दूसरी समीक्षा संपन्न की जिसे 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया।
- समीक्षा में 30 अतिरिक्त उत्पादों के लिये विस्तारित टैरिफ रियायतें शामिल हैं। समीक्षा में सिंगापुर के साथ निर्यात के लिये भारत को अधिमान्य शुल्क हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिये नियमों में अधिक लचीलापन लाने पर विचार किया गया।
- बैठक में स्टार्ट-अप सेक्टर, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत एवं सिंगापुर के बीच सहयोग पर भी बातचीत की गई।
- भारत-सिंगापुर CECA 1 अगस्त, 2005 को लागू हुआ और इसकी पहली समीक्षा 1 अक्तूबर, 2007 को संपन्न हुई थी।
- भारत को इससे एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि सिंगापुर म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (mutual recognition agreement-MRA) के तहत सात नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देकर भारतीय नर्सिंग संस्थानों के कवरेज का विस्तार करने पर सहमत हो गया।
- इस समझौते ने हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संस्थागत रूप से विदेशी बाज़ारों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- भारत और सिंगापुर ने 2005 में CECA पर हस्ताक्षर किये थे। सिंगापुर भारत के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है।

### आठ समझौतों पर हस्ताक्षर

- भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जो आपसी समन्वय, नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के विमानों के रखरखाव और लॉजिस्टिक्स से संबंधित है।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) और सिंगापुर की साइबर सुरक्षा टीम के सिंगापुर कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया समूह (SINGCERT) के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और सिंगापुर के सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के बीच मादक पदार्थों, मनोत्तेजक (Psychotropic) पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग के लिये एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए।
- कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने सिंगापुर के लोक सेवा विभाग के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारतीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने फिनटेक पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह (JWG) के गठन संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- नियोजन के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत के नीति आयोग और सिंगापुर कोऑपरेशन इंटरप्राइज़ (SCE) ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- नर्सिंग पर साझी मान्यता को लेकर एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- दोनों पक्ष हवाई सेवाओं को मज़बूती प्रदान करने और उसे बढ़ावा देने के लिये जल्द ही नागरिक विमानन समझौते की समीक्षा करेंगे।

नोट :

### समझौते से क्या फायदे होंगे?

- अपग्रेड किये गए समझौतों से सिंगापुर की अधिकांश कंपनियाँ कम टैरिफ के लिये अर्हता प्राप्त करने में सक्षम होंगी।
- इससे स्थानीय निर्यातकों की भारतीय बाज़ार में पहुँच बढ़ेगी।
- इससे सिंगापुर की कंपनियों को अपग्रेडेड समझौतों का पूर्ण उपयोग करने और भारत में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
- अपग्रेड किये गए CECA से एक अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ नर्सिंग पर म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट है जिससे नर्सिंग के प्रशिक्षण और अनुशीलन को विनियमित करने में बेहतर समझ विकसित होगी।
- भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ा बाज़ार है इसलिये सिंगापुर को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जा रहा है।

## भारत-इंडोनेशिया : बदलते संबंधों का नया रूप

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी एशिया के तीन देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में वे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गए। इस अवसर पर भारत और इंडोनेशिया के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किये गए, जिनमें रक्षा, विज्ञान, तकनीक, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इनमें से छह समझौते विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के बीच संपन्न हुए हैं।
- इसके साथ-साथ इंडोनेशिया के बाली और भारत के उत्तराखंड राज्यों को 'सहोदर राज्य' के रूप में विकसित करने संबंधी घोषणा भी की गई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशियाई नागरिकों को भारत का 30 दिनों का वीज़ा मुफ्त में देने की घोषणा की।
- अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने SAGAR (Security And Growth For All In Region-SAGAR) विज़न की चर्चा करते हुए भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लिये भारत की प्रतिबद्धता को जाहिर किया।
- भारत की पूर्व की ओर देखो नीति और SAGAR विज़न बहुत हद तक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको जिदोदो की मैरीटाइम फलक्रम पॉलिसी के जैसा ही है।

### किन-किन प्रमुख बिंदुओं पर सहयोग हेतु सहमति व्यक्त की गई?

- भारत और इंडोनेशिया ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी हेतु कार्य करने पर सहमति जताते हुए सभी सदस्यों के लिये आर्थिक लाभ के साथ-साथ व्यापक एवं संतुलित कार्य के निष्पादन पर भी बल दिया।
- दोनों देशों द्वारा अपनी बहुमूल्य संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और फिल्मों के क्षेत्र में सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में भी सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों देशों द्वारा अक्षय उर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा दोनों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिये भी सहमति जताई गई। साथ ही एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गए।
- इसके अतिरिक्त दोनों देशों द्वारा वर्ष 2019 में अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ मनाए जाने की घोषणा भी की गई।

### इंडोनेशिया और भारत के मध्य संबंध

- इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। पिछले दो दशकों से यह इस्लामी आतंकवाद और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की समस्या से जूझ रहा है।
- आबादी के लिहाज़ से भले ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो लेकिन यहाँ के लोगों की जीवनशैली पर हिंदू संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में बहुत अधिक संख्या में हिंदू रहते हैं।

नोट :

- भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हज़ारों वर्ष पुराने हैं। ईसा के जन्म से पहले से ही भारत के सौदागर और नाविक इंडोनेशिया की यात्रा करते रहे हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच बहुत अधिक सांस्कृतिक समानताएँ देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव नज़र आता है।
- इंडोनेशियाई भाषा, स्थापत्य, राजशाही और मिथकों पर भी इसका साफ असर दिखता है। उदाहरण के लिये इंडोनेशिया के पुराने साम्राज्यों के नाम श्रीविजया और गजाह मधा हैं आदि।
- दोनों के खान-पान और बोली में भी काफी समानताएँ हैं। आज भी कई ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों के निकट संबंधों का उल्लेख करते हैं। इंडोनेशिया की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। कुछ शब्दों पर नज़र डालें तो भाई के लिये सहोदर, रंगों के लिये वर्ण, भहासा व भाषा, रुपिया और रुपया आदि कुछ उदाहरण हैं जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
- इंडोनेशिया के उत्सवों और झाँकियों आदि में रामायण और महाभारत के पात्र कठपुतलियों के रूप में नज़र आते हैं। हालाँकि इसके रामायण और महाभारत में प्रयुक्त प्रसंग कुछ भिन्न हैं, लेकिन कथानक में एकरूपता बरकरार है।
- इसके अतिरिक्त जावा द्वीप पर प्रांबानन में हिंदू मंदिर और बोरोबोदूर में संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अवस्थित है।

## पश्चिम एशिया में उभरता गतिरोध

### संदर्भ

मई की शुरुआत में अमेरिका के ईरान परमाणु समझौते से बाहर हो जाने के बाद इस बात पर गहरी असहमति है कि यूरोप और संयुक्त राज्य किस प्रकार 2015 के ईरान परमाणु समझौते को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा, यूरोप भी डील को सुरक्षित रखने की शर्तों पर ईरान से निपटने में परेशानी की स्थिति में है। ईरान परमाणु समझौता संकट निश्चित रूप से जटिल है और प्रबंधन की दृष्टि से कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है।

### क्या है ईरान परमाणु समझौता ?

- जुलाई 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्राँस और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान ने परमाणु समझौता किया था।
- इस समझौते के अनुसार, ईरान को अपने संवर्द्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना था और अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिये खोलना था।
- इसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक रियायत दी गई थी।
- वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि ईरान ने दुनिया से छिपकर अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा। वह किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था।

### ईरान के समझौते में बने रहने के लिये प्रस्तावित शर्तें

- ईरान के सर्वोच्च नेता, अयोतुल्लाह अली खमेनी ने ईरान के समझौते में बने रहने के लिये तीन यूरोपीय हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के लिये कुछ शर्तों को रेखांकित किया है जिन्हें स्वीकार करना ज़रूरी है।
- सबसे पहले, उन्हें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और मध्य पूर्व में किये गए किसी भी कार्रवाई पर वार्ता शुरू करने से बचने के लिये वचनबद्ध होना चाहिये।
- दूसरा, यूरोपीय बैंकों को तेहरान के साथ "व्यापार की रक्षा" करनी चाहिये और ईरान से तेल की खरीद जारी रखना चाहिये।
- तीसरा, यूरोपीय शक्तियों को "अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ खड़ा होना चाहिये" और समझौते का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र संकल्प को तोड़ने के लिये ट्रंप प्रशासन की निंदा करनी चाहिये।

### ईरान पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा ?

- पिछले हफ्ते ब्रसेल्स में हुई बैठक में फ्राँस, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने ईरान के तेल और निवेश प्रवाह को बढ़ाने का वचन देकर सौदे को संरक्षित करने का प्रयास किया था।

- हालाँकि, परमाणु समझौते से निलंबित अमेरिकी प्रतिबंधों को अब बहाल कर दिया गया है।
- जो लोग पहले से ही ईरान के साथ व्यापार में हैं, उनके पास अनुबंध समाप्त करने के लिये तीन से छह महीने का समय है, जबकि नवागंतुकों को ईरान में खरीद, बिक्री या निवेश से प्रतिबंधित किया गया है।
- इसके अलावा, 80 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी मुद्रा का उपयोग होता है, जो इसे अमेरिकी अनुमोदन के अधीन बनाता है।
- नतीजतन, भारी जुर्माने से प्रभावित यूरोपीय बैंकों ने ईरान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया है।
- परमाणु करार और पेरिस जलवायु सम्मेलन जैसे कुछ अहम समझौतों से ट्रंप का किनारा करना विश्व-व्यवस्था के लिये बड़ी चोट है|

### यूरोपियन रणनीति

- अमेरिकी प्रतिबंधों के मुकाबले के लिये यूरोप कई रणनीतियों पर योजना बना रहा है|
- सबसे पहले, वित्तीय सर्किट को स्थापित करना जो डॉलर के बिना भी संचालित हो सके|
- दूसरा, यूरोपीय क्षेत्र पर कुछ अमेरिकी कानूनों के प्रभाव को अवरुद्ध करने वाले 1996 के विनियमन को अद्यतन करना।
- तीसरा, यूरोप में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ प्रतिकार के उपायों को अपनाना।
- लेकिन प्रतिकार के इन उपायों में से कोई भी कम समय में नहीं हो सकता है।
- इसलिये ईरान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हुए यूरोपीय कंपनियों के पास वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है|
- जिस प्रकार ट्रंप प्रशासन और उसके सहयोगियों का रुख है उसे देखते हुए परिस्थितियाँ काफी भिन्न दिखाई दे रही हैं।
- बेरूत, दमिश्क, बगदाद और साना ने ईरान के लाभ वापस लेते हुए प्रतिबंधों को फिर से बहाल कर, अमेरिका, सऊदी अरब और इज़राइल ईरानी शासन को अपने घुटनों पर लाने की उम्मीद कर रहे हैं|
- राज्य सचिव माइक पोम्पो ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान के आकार में कटौती करने के लिये एक समन्वित क्षेत्रीय रणनीति तैयार कर रहा है।
- इस्लामी गणराज्य के दुश्मनों में से एक फारसी खाड़ी क्षेत्र में अरब देशों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो एक सशक्त और आक्रामक ईरान से लुप्तप्राय महसूस कर रहे हैं।
- हालाँकि संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देश पूरी तरह से आल आउट वार (all-out war) की तलाश में नहीं हैं, वे ईरान के जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा उत्पीड़न को प्रोत्साहित करने के लिये लाखों खर्च करने के लिये तैयार हैं।
- ईरान को सम्मिलित करना एक बड़ा काम है, अमेरिका और उसके सहयोगी इसे बेहतर तरीके से समझते हैं।
- ट्रंप प्रशासन निश्चित रूप से मध्य पूर्व में एक नए सैन्य जोखिम में भाग नहीं लेगा, जबकि यह सीरिया से 2,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने की योजना बना रहा है।
- हालाँकि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ शतरंज का खेल जीतने के लिये संकल्पित है।

## विभिन्न देशों के साथ भारत के अहम समझौते

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न देशों के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण समझौतों को मंज़ूरी प्रदान की है। इन समझौतों से होने वाले लाभ, इनकी पृष्ठभूमि आदि के विषय में इस लेख में वर्णन किया गया है। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 (भारत और विश्व) के अंतर्गत भारत और पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंधों के विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि उत्तर लेखन में इस प्रकार के समझौतों को उदहारण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो इससे उत्तर अधिक प्रमाणिक हो जाता है।

### भारत और डेनमार्क

केंद्रीय मंत्रिमंडल को सतत् और स्मार्ट शहरी विकास (Sustainable and Smart Urban Development) के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया।

### प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ज्ञान, संस्थागत सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा संबंधित मुद्दों पर वाणिज्यिक संबंधों के आदान-प्रदान के माध्यम से पारस्परिक और लाभ के आधार पर सतत् और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसके अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों जैसे- स्मार्ट शहरी समाधान, टिकाऊ व एकीकृत शहरी नियोजन, पुनर्विकास और भूमि उपयोग, ऊर्जा में अपशिष्ट समेत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ परिवहन प्रणाली, जल एवं स्वच्छता प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, संसाधनों का उपभोग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों आदि में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई।

### कार्यान्वयन रणनीति

- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एमओयू के ढाँचे के तहत सहयोग हेतु कार्यक्रमों की रणनीतियों और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु एक संयुक्त कार्यकारी समूह (Joint Working Group -JWG) की स्थापना की जाएगी।
- प्रतिभागियों की सहमति से भारत और डेनमार्क के ये संयुक्त कार्य समूह एक तय समय अंतराल पर मिलते भी रहेंगे।

### प्रमुख प्रभाव

- इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच सतत् और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

### लाभार्थी

- इस समझौता ज्ञापन के ज़रिये ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन प्रणाली, जल और स्वच्छता प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, संसाधन संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।

## भारत और रूस

केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और रशिया पोस्ट (रूसी संघ की संयुक्त साझेदारी वाली कंपनी 'मार्का') के बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते से अवगत कराया गया।

### प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य डाक टिकट जारी करने के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिये परिचालन उत्कृष्टता हासिल करना और डाक सेवा में सहयोग स्थापित करना है।
- भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध पारस्परिक हितों के मुद्दों पर व्यापक समझ से प्रेरित हैं। भारत और रूस द्विपक्षीय संबंध के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक सहयोग का फायदा उठा रहे हैं।

## भारत और ब्रिटेन

केंद्रीय मंत्रिमंडल को सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया।

### प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना और उसे मज़बूती देना है।
- सहयोग के क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी संस्थानों में क्षमता निर्माण, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी मोबिलिटी, बौद्धिक परिवहन प्रणाली एवं ट्रांज़िट-केंद्रित विकास, वित्तीय पहुँच में नवाचार एवं अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के लिये आपसी सहमति जताई थी।

### कार्यान्वयन रणनीति

- इस एमओयू के तहत एक भारत-यूके संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) गठित किया जाएगा जो एमओयू के दायरे में सहयोग पर रणनीति एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।
- शहरी विकास पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार होने की उम्मीद है। यह बैठक बारी-बारी से भारत और ब्रिटेन में होगी।

नोट :

## प्रमुख प्रभाव

- यह एमओयू दोनों देशों के बीच सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में दीर्घावधि द्विपक्षीय सहयोग को गहराई और मज़बूती देने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

## लाभार्थी

- इस एमओयू से स्मार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी मोबिलिटी बौद्धिक परिवहन प्रणाली जैसे क्षेत्रों में विकास किया जाएगा।

## भारत और फ्राँस

- केंद्रीय मंत्रिमंडल को मार्च, 2018 में भारत और फ्राँस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में हुए समझौते के बारे में जानकारी दी गई। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

## प्रमुख बिंदु

इस समझौते का उद्देश्य स्मार्ट सिटी, शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास, शहरी व्यवस्थाओं और सुविधाओं (जल आपूर्ति और सिवरेज प्रणाली) की पूर्ति, ठोस कचरे का निपटान और प्रबंधन, कचरा भराव वाले स्थानों में सुधार, गैर राजस्व जल का प्रबंधन, जल का दोबारा उपयोग और रिसाइकलिंग, तकनीकी बदलाव, जलदायी स्तर का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण द्वारा ताजे जल का संरक्षण, वृत्तीय अर्थव्यवस्था, सामूहिक आवास, पर्यावरण अनुकूल आवास, शहरी नियोजन, विरासत, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और दोनों पक्षों के आपसी सहमति से संबंधित अन्य क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।

## कार्यान्वयन रणनीति

इस समझौते के अंतर्गत सहयोग के आधार पर कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने और कार्यान्वयन के लिये इसके प्रारूप के तहत संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह वर्ष में एक बार बैठक करेगा, जो बारी-बारी से भारत और फ्राँस में आयोजित होंगी।

## प्रमुख प्रभाव

- इस समझौते से दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

## लाभार्थी

- इस समझौते से स्मार्ट सिटी विकास, शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, शहरी व्यवस्थाओं और सुविधाओं (जल आपूर्ति और सिवरेज प्रणाली) को मुहैया कराना, ठोस कचरे के निपटान और प्रबंधन, कचरा भराव वाले स्थानों में सुधार, किफायती आवास, कचरा प्रबंधन, शहरी वातावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में रोज़गार पैदा होने की संभावना है।

## भारत और ओमान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंज़ूरी दी। इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने फरवरी 2018 में मस्कट में हस्ताक्षर किये थे।

## प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू से इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा – अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग जैसे- पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं सौरमंडल से संबंधित खोज, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष प्रणाली एवं ग्राउंड सिस्टम का इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।
- इस एमओयू के तहत एक संयुक्त कार्य समूह का गठन होगा जिसमें डीओएस/इसरो और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय (एमटीसी) से सदस्य लिये जाएंगे जो समय सारणी एवं इस एमओयू को लागू करने के लिये साधनों सहित कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- इससे पृथ्वी के रिमोट सेंसिंग, उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में नई अनुसंधान गतिविधियों की संभावनाएँ तलाशने एवं संभावित अनुप्रयोगों को बल मिलेगा।

नोट :

## कार्यान्वयन रणनीति

- इस हस्ताक्षरित एमओयू से एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना होगी जो समय सारणी और इस एमओयू के प्रावधानों को लागू करने के साधनों सहित एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेगा।

## लाभ

- यह एमओयू मानवता की भलाई के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस प्रकार इससे देश के सभी क्षेत्रों और तबकों को लाभ मिलेगा।

## प्रभाव

- इस एमओयू के ज़रिये ओमान के साथ सहयोग बढ़ेगा और मानवता की भलाई के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

## पृष्ठभूमि

- ओमान ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार करने के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ सहयोग में दिलचस्पी दिखाई थी।
- इसी क्रम में मार्च 2011 में ओमान के संचार विभाग के एक 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इसरो का दौरा किया था और इसरो के तकनीकी प्रतिष्ठानों को देखा था।
- उसके बाद ओमान ने मई 2016 में ओमान में भारत के राजदूत के समक्ष इसरो के साथ अपने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहयोग की इच्छा जताई थी।
- तदनुसार दोनों पक्षों ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिये इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिये पारस्परिक रूप से सहमति जताई।
- इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने 11 फरवरी, 2018 में मस्कट में हस्ताक्षर किये थे।

## भारत और नीदरलैंड

केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और नीदरलैंड के बीच अप्रैल, 2018 में स्थानीय नियोजन जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्वीकृति दे दी है।

## प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू का उद्देश्य जल आपूर्ति एवं निकासी व्यवस्था, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुन: चक्रीकरण, जल स्रोतों के कृत्रिम विकास के द्वारा स्वच्छ जल का संरक्षण, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और धरोहर संरक्षण तथा परस्पर लाभ के लिये समानता, किफायती आवास, स्मार्ट सिटी विकास, भोगौलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर दोनों देशों के बीच स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्रों में भागीदारी को प्रोत्साहन देना और इसे मज़बूत बनाना है।

## कार्यान्वयन रणनीति

- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भागीदारी के वास्ते कार्यक्रमों के लिये रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिये एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की भारत और नीदरलैंड में बारी-बारी से साल में एक बार बैठक होगी।

## प्रमुख प्रभाव

- एमओयू से दोनों देशों के बीच स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

## लाभार्थी

- एमओयू से स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन, स्मार्ट सिटी विकास, किफायती आवास, अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी पर्यावरण और धरोहर संरक्षण के क्षेत्रों में रोज़गार पैदा होने का अनुमान है।

नोट :

# भारत हेग संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा

## चर्चा में क्यों ?

काफी विचार-विमर्श के बाद, केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण (1980) के नागरिक पहलुओं पर आधारित हेग संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह होगा कि सरकार को उन महिलाओं को विदेशों में वापस भेजना होगा, जो अनुपयुक्त विवाह से बचते हुए अपने बच्चों को भारत में निवास के लिये लाई हैं।

### बच्चों के अभिभावकीय अपहरण की चिंता

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक, 2016 के नागरिक पहलुओं पर अपना मसौदा जारी किया।
- संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये सरकार पर अमेरिका से बहुत अधिक दबाव रहा है, हालाँकि सरकार ने लंबे समय से यह विचार किया है कि संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय वैवाहिक विवाद या घरेलू हिंसा से बचने वाली महिलाओं के उत्पीड़न का कारण बन सकता है।
- अगर भारत इस पर हस्ताक्षर करता है तो वह जापान के उदाहरण का पालन करेगा तथा उसे हेग संधि में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना होगा।
- इन सबके बावजूद सरकार अभी हेग संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये तैयार नहीं है। सरकार का विचार विधि आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के विपरीत है, जिसमें हेग कन्वेंशन में प्रवेश करने का समर्थन किया गया है।
- भारतीय महिलाओं में ऐसे मामले अधिक दिखाई देते हैं जो अनुपयुक्त विवाह के कारण अक्सर भारत सुरक्षित लौट आती हैं।
- ऐसी महिलाएँ जो विदेशी नागरिक हैं तथा जिन्होंने भारतीय पुरुषों से शादी की है उनकी अपने बच्चों को छोड़कर वापस विदेश चले जाने की संभावना अधिक होती है।
- इसलिये हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से भारतीय महिलाओं को नुकसान होगा। इसके अलावा, जैसा कि हम सभी जानते है इस तरह के अधिकांश मामलों में पुरुषों की बजाय महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।
- मंत्रालय के मुताबिक, हेग कन्वेंशन को मंजूरी देने का मामला संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के समूहों द्वारा लॉबिंग के बाद लिया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक अपहरण में शामिल कानूनी मुद्दों की जाँच करने के लिये केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने हेग कन्वेंशन के केंद्रीय प्रावधान का विरोध करते हुए अप्रैल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- जिसमें कहा गया है कि बच्चे के निवास स्थान का मानदंड, जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि क्या बच्चे को माता-पिता द्वारा गलत तरीके से ले जाया गया था और साथ ही बच्चे को निवास स्थान के देश में वापस करना बच्चे के हित में नहीं था।

### नोडल निकाय

- मंत्रालय ने बच्चों के हिरासत के साथ-साथ ऐसे विवादों से निपटने के लिये मॉडल कानून पर निर्णय लेने हेतु एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिये चाइल्ड रिमूवल डिस्प्यूट रीज़ोल्यूशन अथॉरिटी की स्थापना की भी सिफारिश की।
- हालाँकि, सरकार न्यायिक विशेषज्ञों के साथ ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी बच्चों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग को सौंपने पर विचार कर रही है।

### क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर 1980 का हेग कन्वेंशन ?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो उन बच्चों की त्वरित वापसी को सुनिश्चित करती है, जिनका "अपहरण" कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
- अब तक 97 देश इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।
- कन्वेंशन के तहत हस्ताक्षर करने वाले देशों को उनके अभ्यस्त निवास स्थान से गैर-कानूनी ढंग से निकाले गए बच्चों का पता लगाने और उनकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिये एक केंद्रीय प्राधिकरण का निर्माण करना होगा।
- मान लिया जाए कि किसी देश ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं और इस मसले पर उस देश का अपना कानून कोई अलग राय रखता हो तो भी उसे कन्वेंशन के नियमों के तहत ही कार्य करना होगा।

नोट :

### भारत हेग-कन्वेंशन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता है?

- इस कन्वेंशन को लेकर पहला विवाद इसके नाम से ही संबंधित है। 'अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर 1980 का हेग कंवेंशन' उन बच्चों की बात करता है, जिनका 'अपहरण' किया गया है।
- इस मुद्दे पर विचार करने के दौरान विधि आयोग ने भी कहा था कि कैसे कोई माता-पिता अपने ही बच्चे का 'अपहरण' कर सकते हैं।
- विदित हो कि विदेशी न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णय, भारत के लिये बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन अब हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपरांत हम स्वयं के कानूनों के तहत फैसला लेने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के लिये बाध्य हो जाएंगे।
- शादी के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों में बसने वाली कई महिलाओं का उनके पतियों द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसे में वे अपने बच्चों के साथ भारत में रहने लगती हैं। यदि भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया तो उन्हें अपने बच्चों के बिना रहना होगा।

# भारत के लिये शंघाई सहयोग संगठन के मायने

## संदर्भ

9-10 जून, 2018 को भारत चीन के किंगदाओ में आयोजित हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। स्मरणीय है कि भारत और पाकिस्तान को पिछले वर्ष कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुए संगठन के 17वें शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

### प्रमुख बिंदु

- जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के संचालन हेतु नहीं किया जाना चाहिये।
- उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देश संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन भारत ने उस समय पहली बार संगठन में शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त की थी और भारतीय प्रधानमंत्री उस सम्मेलन में शामिल हुए थे।
- तब से लेकर अब तक वैश्विक राजनीति में बहुत सारे बड़े बदलाव आ चुके हैं। यथा-
    - अमेरिका ने ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया है, जबकि चीन,रूस और डील में शामिल अन्य यूरोपीय देश इसमें बने हुए हैं।
    - लगभग ढाई महीने तक चले डोकलाम गतिरोध के बाद भारत और चीन ने फिर से संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और भारतीय प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के मध्य चीन के वुहान में एक अनौपचारिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
    - भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल और फिलिस्तीन की यात्रा संपन्न की।
    - भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को पुनर्जीवित किया।
    - किंगदाओ में चल रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष यहाँ कई चुनौतियाँ भी होंगी और अवसर भी उपस्थित होंगे।
    - यह सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को सम्मेलन से इतर अनौपचारिक रूप से मिलने का अवसर प्रदान करेगा।
    - दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय विवादों को किनारे रखकर पारस्परिक हित के मुद्दों पर सहयोग करना होगा।
    - वुहान में हुई वार्ता के पश्चात् यह सम्मेलन भारत और चीन के शीर्ष नेताओं को वार्ता करने और मिलने का अवसर प्रदान करेगा।
    - किंगदाओ सम्मेलन चीन के लिये अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और मजबूत करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।
    - एससीओ में प्रवेश कराने में रूस भारत का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। रूस ने भारत को संगठन में प्रवेश दिलाने के लिये चीन पर निरंतर दबाव डाला। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के मध्य पिछले माह रूस के सोची शहर में एक अनौपचारिक वार्ता संपन्न हुई थी। दोनों नेता इस वार्ता को भी एससीओ सम्मेलन के इतर जारी रखना चाहेंगे।
    - भारत पहले ही यह साफ कर चुका है कि रूस के साथ भारत के संबंध पश्चिमी जगत के रूस के प्रति अपनाए जा रहे रवैये के कारण प्रभावित नहीं होंगे।

- भारत का इसी प्रकार का दृष्टिकोण ईरान के लिये भी रहने की उम्मीद है, जो कि संगठन में एक पर्यवेक्षक राज्य के तौर पर शामिल है और संगठन की पूर्ण सदस्यता के लिये आवेदन कर चुका है।
- इस सम्मेलन के दौरान ही भारतीय प्रधानमंत्री ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी वार्ता कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि भारत का ईरान के चाबहार बंदरगाह के साथ बड़ा राजनीतिक हित जुड़ा हुआ है।
- शंघाई स्पिरिट, जो कि एससीओ की प्रमुख विचारधारा है, सद्भाव, सर्व सम्मति, दूसरी संस्कृतियों का सम्मान, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और गुटनिरपेक्षता पर जोर देती है।
- वास्तव में शंघाई सम्मेलन भारत को उस प्रकार की शक्ति के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है, जैसा भारत चाहता है।

### शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी।
- उज़्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 26 अप्रैल 1996 में स्थापित 'शंघाई पाँच' समूह के सदस्य हैं।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- 2005 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे।

## भारत-ईरान संबंध और ट्रंप

### संदर्भ

8 मई, 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ईरान परमाणु समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी। इस समझौते को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) के नाम से भी जाना जाता है। इसे ईरान के कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम के मद्देनजर तेहरान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य एवं जर्मनी (P5+1) के मध्य संपन्न किया गया था।

### प्रमुख बिंदु

- ट्रंप के निर्णय के बाद इस बात की संभावना और अधिक हो गई है कि अब अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- ये प्रतिबंध, पहले की तरह, भारत-ईरान संबंधों को एक और चुनौतीपूर्ण चौराहे पर ले जाएंगे।
- प्रतिबंधों के कारण, ईरान से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं में तेल एक ऐसी वस्तु है, जो सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है।
- यूएस ट्रेजरी ने कहा है कि ईरान से कच्चा तेल खरीदने और बेचने वाली संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। कई वैश्विक कंपनियाँ ईरानी व्यवसाय से खुद को दूर कर चुकी हैं।
- ध्यान देने योग्य बात है कि भारत द्वारा आयातित तेल का 80 प्रतिशत से अधिक भाग विदेशी तेल टैंकरों के माध्यम से लाया जाता है। ऐसे में इन पर कोई भी अमेरिकी प्रतिबंध भारत के लिये नुकसानदेह साबित हो सकता है।
- हालाँकि, भारत के लिये यह स्थिति नई नहीं है। भारत ओबामा प्रशासन के समय भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है जब अमेरिका और ईरान के संबंध बेहद खराब थे और भारत को दोनों देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाना बेहद आवश्यक था।
- प्रतिबंधों के पहले चरण के पूर्व ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष के तीन देशों में शामिल था।
- भारत-ईरान संबंधों के मध्य तेल केवल एक व्यापारिक वस्तु नहीं है, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को बनाए रखने का एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- यदि दोनों देशों के मध्य से तेल व्यापार को हटा दिया जाए, तो इनके बीच होने वाले अन्य व्यापार की मात्रा बहुत कम है।
- यह बात भी तर्कसंगत है कि जेसीपीओए के पतन के कारण यदि दोनों देशों के बीच तेल व्यापार में कमी आ गई, तो भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास का महत्त्व भी बहुत कम हो जाएगा।

- ओबामा प्रशासन के दौरान भी, जब अमेरिका के साथ भारत के संबंध तुलनात्मक रूप से अच्छे थे, अमेरिका ने तत्कालीन भारतीय सरकार पर शिकंजा कसते हुए, भारत द्वारा ईरान से आयात किये गए तेल के लिये लगभग $6 बिलियन डॉलर की भुगतान राशि के हिस्सों को स्थानांतरित करने में अडंगा डाल दिया था।
- तेल एक विश्व स्तरीय व्यापारिक वस्तु है और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में एक प्रबल शक्ति है। इसे ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस और शिपिंग संस्थानों ने ईरानी तेल व्यापार से दूरी बना ली है।
- पूर्व में भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से ईरानो-हिंद नामक एक शिपिंग कंपनी चलाई थी, जिसे 2013 में बंद कर दिया गया था। इसे 2016 में पुनर्जीवित करने की बात चली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यदि उस समय इसका संरक्षण किया गया होता, तो यह आज एक वरदान साबित हो सकती थी।
- हालाँकि, ईरान अमेरिकी संबंधों के उतार-चढ़ाव वाले पुराने अनुभव के बावजूद वर्तमान सरकार प्रतिबंधों की स्थिति में अपनी पूर्ववर्ती सरकार से भिन्न प्रतिक्रिया कर सकती है।
- इस बार ईरानी समस्या के समाधान के बहुपक्षीय प्रयासों को तबाह करने के लिये अमेरिका स्वयं जिम्मेदार है। इस वजह से वह अपने कुछ करीबी यूरोपीय सहयोगियों से भी दूरी बना बैठा है।
- अमेरिका के साथ बेहतर संबंध होने के बावजूद वर्तमान सरकार का ट्रंप प्रशासन के साथ तालमेल उतना अच्छा नहीं है। भारत ने कई बार संकेत दिये हैं कि वह अमेरिकी नाराजगी के बावजूद ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा।
- क्योंकि अमेरिका केवल ईरान के मामले में ही भारतीय संस्थाओं को नहीं रोक रहा है, बल्कि रूस के साथ व्यापार करने पर भी इन्हें धमका रहा है, अत: भारत को अमेरिका का यह कदम बिलकुल पसंद नहीं आ रहा।
- चीन और रूस के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किये गए अनौपचारिक सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री वी के सिंह की उत्तर कोरिया की अचानक यात्रा इस बात का संकेत देते हैं कि भारत ट्रंप प्रशासन के व्यापार और कूटनीति के संबंध में 'यूएस फर्स्ट' के अतिवादी दृष्टिकोण से खुश नहीं है।
- फरवरी में ईरानी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, प्रतिबंधों की आशंका के मद्देनजर, दोनों देशों ने ऐसे तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया जो कंपनियों को रुपये में कारोबार करने में सक्षम बनाएगा।
- हालाँकि, यह तंत्र कुछ वस्तुओं के संदर्भ में मुद्रा हस्तांतरण के डर को कम कर देगा, लेकिन तेल व्यापार सघनता से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र और वैश्विक भू-राजनीति से संबद्ध है, जहाँ अमेरिका हस्तक्षेप की अभूतपूर्व क्षमता रखता है।
- भले ही भारत-अमेरिकी संबंध सुधार के रास्ते पर हैं, लेकिन ईरान पर नए प्रतिबंधों की दशा में भारत ट्रंप प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दे सकता है कि भारत केवल ट्रंप प्रशासन की नाराजगी से बचने के लिये अपने वैश्विक संबंधों और व्यापार संबंधों के गुणों के स्वतंत्र मूल्यांकन के संदर्भ में समझौता नहीं करेगा।

# डिजिटल सिल्क रोड पर पीछे छूटता भारत

## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के किंगदाओ सम्मेलन में भारत पहली बार पूर्ण सदस्य राष्ट्र के तौर पर शामिल हुआ जहाँ भारत को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई) के पक्ष में सर्वसम्मति के बावजूद खुद को अलग करना पड़ा।
- वहीं दूसरी ओर जकार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के साथ बंदरगाह अवसंरचना के विकास सहित समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की इच्छा प्रकट की। किंतु कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रदर्शन और भारत के वादे के बीच में व्याप्त अंतर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बीच, जब नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली चीन की यात्रा करेंगे तो चीन की बीआरआई परियोजना भारत के और करीब आ जाएगी। भारत के अधिकांश अन्य पड़ोसियों की तरह, नेपाल पहले ही चीन की इस पहल का समर्थन कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव की तरह नेपाल प्रमुख बीआरआई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने के लिये तैयार है।

- इनमें से कई परियोजनाओं को तथाकथित ट्रांस-हिमालयी कनेक्टिविटी पहल के तहत रखा जाएगा। इसमें तेल भंडारण टर्मिनलों, रेल और सड़क लिंक, जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली संचरण लाइनों को शामिल किये जाने की संभावना है।
- यद्यपि चीन की परियोजनाओं से संबंधित लागतों पर हाल ही में मलेशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में सवाल उठाया गया है, लेकिन इससे भारत के पड़ोसियों के बीच बीआरआई के प्रति उत्साह में कमी होने की संभावना कम दिखाई देती है। उनके लिये इन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का महत्त्व आर्थिक और राजनीतिक दोनों है।
- पाकिस्तान के लिये चीन के बीआरआई में भागीदारी भारत को संतुलित करने हेतु दशकों पहले गढ़ी गई उसकी सामरिक साझेदारी का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य पड़ोसियों के लिये बीआरआई भारत से "कूटनीतिक स्वायत्तता" के तौर पर खुद को प्रस्तावित करता है।
- बड़े पड़ोसियों से कूटनीतिक स्वायत्तता की मांग का विचार दक्षिण एशिया के लिये नया नहीं है। पूर्वी एशिया में चीन के खास पड़ोसियों में से कई ने ऐसा ही किया है- वे भारत सहित कई देशों के साथ विविध प्रकार की साझेदारी के माध्यम से सुरक्षा की तलाश करते हैं। लेकिन चीन के विपरीत, भारत अपने पूर्वी एशियाई भागीदारों से किये गए वादे को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है।

## बेल्ट और रोड परियोजना (बीआरआई)

- इस नीति का उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है। दरअसल, चीन विकासशील पूर्वी एशिया के आर्थिक केंद्रों को विकसित यूरोपीय आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ना चाहता है। यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है-
  - चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग।
  - चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर से जोड़ने वाला मार्ग।
  - चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।
- 'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिन्द महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिये किया गया है।

## भारत के लिये संभावनाएँ

- यदि भारत को अपनी सीमाओं के पार और परे अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत क्षमताओं को विकसित करना कठिन लगता है, तो भी डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत के लिये कुछ संभावनाएँ हैं।
- डिजिटल और अंतरिक्ष ज्ञानक्षेत्र में भारत के पास लंबे समय से महत्त्वपूर्ण और बढ़ती हुई राष्ट्रीय क्षमताएँ विद्यमान हैं। लेकिन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षा रणनीतियों के साथ इन्हें एकीकृत करने में भारत बहुत पीछे रहा है।
- प्रधानमंत्री की सिंगापुर की यात्रा के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया जहाँ उन्होंने दोनों देशों के वित्तीय बाजारों को जोड़ने के लिये कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इनमें भारत के रुपे कार्ड, भीम क्यूआर कोड और एसबीआई के सीमा पार प्रेषण ऐप का शुभारंभ शामिल था। पिछले साल, भारत ने 'पड़ोसी पहले' की नीति के हिस्से के रूप में दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया था।
- लेकिन यहाँ भी फिर से, चीन हमसे आगे है। बीजिंग ने कई महत्वाकांक्षी पहलों की शुरुआत की है, जिसे अब "डिजिटल सिल्क रोड" के रूप में जोड़ा जा रहा है।

## डिज़िटल सिल्क रोड

- चीन का डिज़िटल सिल्क रोड एजेंडा इंटरनेट अवसंरचना को मज़बूत करने, अंतरिक्ष सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने, ई-कॉमर्स की बाधाओं को कम करने, सामान्य प्रौद्योगिकी मानकों को विकसित करने, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने और बीआरआई देशों के बीच पुलिस व्यवस्था की दक्षता में सुधार के बारे में है।
- चीन इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, क्लाउड स्टोरेज और क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित अपने राष्ट्रीय तौर पर विकसित प्लेटफॉर्मों को तैनात करना चाहता है।

## चीन द्वारा डिज़िटल कनेक्टिविटी की दिशा में किये जा रहे प्रयास

- चीन और नेपाल ने इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक ऑप्टिक फाइबर लिंक को कार्यान्वित किया है। यह लिंक अंतत: इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये भारत पर नेपाल की निर्भरता को कम करेगा।

नोट :

- पिछले साल चीनी कंपनी हुवावे ने पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका केबल एक्सप्रेस (पीएसीईई) का निर्माण करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जो पाकिस्तान को जिबूती के माध्यम से केन्या से जोड़ेगा। हुवावे इस केबल को उत्तर में मिस्र और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका तक बढ़ा सकता है। इसका निर्माण पूरा होने पर केबल की कुल लंबाई 13,000 किमी. हो सकती है।
- अंतरिक्ष सहयोग को प्रगाढ़ करना भी चीन की डिज़िटल पहल में शामिल है। पाकिस्तान के साथ अपने दीर्घकालिक अंतरिक्ष सहयोग के अलावा, चीन नेपाल के लिये राष्ट्रीय उपग्रह लॉन्च करने की योजना पर चर्चा कर रहा है। पिछले साल श्रीलंका, चीन के बेईदोउ नेविगेशन सिस्टम में शामिल हुआ।
- चीन पर्यावरण की निगरानी से आपदा प्रबंधन तक के कई क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूती प्रदान करने के लिये अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्षमताओं का लाभ उठाना चाहता है।
- भविष्य में चीन द्वारा नेपाल में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जाने की उम्मीद है जो चीन की राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली से जुड़ा होगा।

### भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- अगर भारत ने अपने पड़ोसियों को मज़बूत भौगोलिक परस्पर निर्भरता प्रदान करने की अनुमति दी होती और 21वीं सदी के हिसाब से इन्हें आधुनिक बनाने के लिये थोड़ा भी प्रयास किया होता, तो हमारे पड़ोसियों के पास इसे अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता जो कि अब उनके पास चीनी कनेक्टिविटी पहल के रूप में है। हालाँकि हो सकता है यह एक महँगा विकल्प साबित हो लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के बीआरआई को अपना रहे हैं।
- अधिक विनियमन के संबंध में नौकरशाही पूर्वाग्रह, घरेलू निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध, नवाचार पर बाधाएँ और बाहरी सहयोग पर संदेह ने डिज़िटल विकास और कूटनीति पर भारत की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।
- शताब्दी के अंत में भारत ने चीन की बीआरआई परियोजना के अंतर्गत आने वाली आंतरिक, सीमापार और अंतर्राष्ट्रीय आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर थोड़ा ध्यान दिया। फलतः, भारत उपमहाद्वीप और हिंद महासागर के रणनीतिक परिणामों से निपटने के लिये प्रयासरत है।
- भारत को शीघ्र ही अपनी डिज़िटल रक्षात्मकता का विस्तार करते हुए चीन के सिल्क रोड नीति के नवीनतम संस्करण का प्रत्युत्तर तैयार करना चाहिये।

---

## WIPO बैठक में भारत अन्यायपूर्ण प्रस्ताव के खिलाफ

### संदर्भ

छोटे देशों के लिये पेटेंट की प्रक्रिया हेतु प्रतिनिधित्व देने का मार्ग प्रशस्त करने वाले एक प्रस्ताव ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में घबराहट पैदा कर दी है। जिनेवा में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization -WIPO) की बैठक में प्रस्तावित पेटेंट सहयोग संधि (Patent Cooperation Treaty-PCT) कार्यकारी समूह की बैठक में चर्चा के लिये तैयार है। संधि विनियमन में संशोधन पर भारत के आपत्ति व्यक्त करने की उम्मीद है।

### संशोधन से छोटे देशों के संप्रभु अधिकारों के प्रभावित होने का डर

- इस कदम से उन छोटे देशों के संप्रभु अधिकार प्रभावित हो सकते हैं जिनके पास अपने खुद के पेटेंट करने की क्षमता नहीं है।
- जिस प्रकार व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) समझौता सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में विकासशील देशों को अनुमति देता है ठीक वैसे ही एक छोटे से देश द्वारा पेटेंट के लिये अधिकार प्रदत्त देश लचीलेपन का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- इसके अलावा, WIPO-PCT बैठक इस विषय पर चर्चा करने के लिये सही मंच नहीं है, फोकस "क्षमता निर्माण" पर होना चाहिये ताकि छोटे देश अपनी पेटेंट प्रक्रमण क्षमताओं में सुधार कर सकें।
- PCT का लक्ष्य 152 सदस्य देशों में पेटेंट आवेदकों के लिये अपनी छत्र छाया में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
- लेकिन PCT विनियमों में एक नया नियम 50 bis पेश करने का प्रस्ताव ट्रिप्स के लचीले नियमों से समझौता करने के समान होगा।
- यदि छोटे देश ट्रिप्स के लचीले नियमों का उपयोग नहीं करते हैं और उन उत्पादों पर पेटेंट देते हैं जो वे अन्यथा नहीं देते थे, तो यह भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता है।

नोट :

- पेटेंट, अन्वेषक पेटेंट धारक को विनिर्माण और विपणन में 20 साल की विशिष्टता देता है जो कि औषधि की दुनिया में विवाद का प्रमुख कारण है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं ने ऐसा अनुभव किया है कि पेटेंट एकाधिकारवादी कार्यकलापों का कारण बनते हैं जहाँ औषधियों की कीमत सामान्य रोगियों की पहुँच से परे हो जाती है। अन्वेषक दावा करते हैं कि अनुसंधान की लागत की क्षतिपूर्ति के लिये कीमतें बढ़ाना आवश्यक था।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में ट्रिप्स समझौते ने विकासशील देशों को कुछ लचीलेपन की अनुमति दी थी। आईपी विशेषज्ञों ने इस पर सावधानी बरतने को कहा है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन में लचीलेपन से समझौता किया जा सकता है।
- विश्व व्यापार संगठन-प्रशासन ने ट्रिप्स समझौते को प्रशासित किया है जिसके तहत नवाचारों को पेटेंट कराने की आवश्यकता होती है जिसमें एक नया आविष्कार शामिल होता है, लेकिन मानदंडों को परिभाषित करने के लिये इसे उन देशों के कानूनों पर छोड़ दिया जाता है जहाँ ऐसे नवाचारों की खोज होती है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि विकासशील देशों को सलाह दी गई थी कि वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, जीनों, पौधों, बीजों, नए उपयोगों और मौजूदा औषधियों को पेटेंट से बाहर करने के लिये कठोर पेटेंट मानकों को लागू करें।
- ऐसे मानकों को लागू करके एक देश गुणवत्ता वाले पेटेंट रख सकता है और किफायती दवाओं तक पहुँच बना सकता है।
- लेकिन यह सब संशोधन के तहत ही बदला जा सकता है। पेटेंट आवेदनों का परीक्षण प्रतिनिधि कार्यालयों के पेटेंटिबिलिटी मानदंडों और प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा जो ट्रिप्स के लचीलेपन का उपयोग नहीं कर सकते।दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च स्तर के पैनल की रिपोर्ट (सितंबर 2016) में भी यह सुझाव दिया गया था कि WIPO कठोर सार्वजनिक स्वास्थ्य-संवेदनशील पेटेंटिबिलिटी मानदंडों को लागू करने के लिये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पेटेंट परीक्षकों की क्षमता को मज़बूत करे।

### विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है।
- WIPO का गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।
- WIPO के वर्तमान में 191 देश सदस्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रबंधित करते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के साथ कुक द्वीप समूह, होली सी और नियू (niue) WIPO के सदस्य हैं।

### पेटेंट सहयोग संधि (PCT)

- पेटेंट सहयोग संधि (PCT) 1970 में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है।
- यह प्रत्येक अनुबंधित राज्य में आविष्कारों की रक्षा के लिये पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करता है।
- PCT के तहत दायर पेटेंट आवेदन को अंतर्राष्ट्रीय आवेदन या PCT आवेदन कहा जाता है।

## भारत-अमेरिका बैठक की रूपरेखा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय तथा अमेरिकी विशेषज्ञों ने एक तीन दिवसीय परामर्श शुरू किया है जिसमें भारत तथा अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच जुलाई में होने वाली अपनी तरह की पहली द्विपक्षीय बैठक के लिये प्रमुख विषयों का निर्धारण किया जाएगा। भारतीय तथा अमेरिकी विदेश मंत्रियों एवं रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता जिसे 2+2 वार्ता का नाम दिया गया है, से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मज़बूत होंगे।

### 2+2 वार्ता क्या है?

- यदि दो देशों के बीच एक साथ ही दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ताएँ आयोजित की जाएँ तो इसे 2+2 वार्ता का नाम दिया जाता है।
- भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता में दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता होनी है।
- इस मॉडल के तहत भारत और जापान तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी वार्ता हुई है।

## क्या है उद्देश्य ?

- भारत और अमेरिका के बीच संवाद को नया रूप देने के लिये नियमित वार्ता का एक ऐसा ढाँचा विकसित किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी और मज़बूत होगी।
- इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में भारत-अमेरिका मिलकर अपनी भूमिका निभाएँ।
- प्रस्तावित संरचना के तहत अब भारत और अमेरिका के बीच '2+2' व्यवस्था के अंतर्गत नियमित रूप से मंत्रिस्तरीय वार्ता होती रहेगी और दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश सचिवों के बीच सतत् संपर्क बना रहेगा।
- मंत्रिस्तरीय वार्ता का नया तंत्र शुरू कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ाने से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विचार-विमर्श और बढ़ेगा।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बैठक में प्रमुख विशेषता वाले क्षेत्रों में से एक संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA) में उत्पन्न दरारों को भरना है। यह उन चार आधारभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका द्वारा अपने किसी साथी राष्ट्र को दिये जाने वाले रक्षा सहयोग में मदद करता है।
- अमेरिकी पक्ष से उभर रहे संकेत यह दर्शाते हैं कि वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति में भारत को दिये गए महत्त्व पर ज़ोर देने के इच्छुक हैं। हाल ही में अमेरिका के पैसिफ़िक कमांड (PACOM) को इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM) नाम दिया गया था, जो इस क्षेत्र में भारत के महत्त्व का प्रतीक है।
- आधारभूत समझौतों के अलावा अमेरिका भारत के साथ व्यापक खुफिया जानकारी-साझाकरण समझौते के लिये भी उत्सुक है क्योंकि दोनों देशों ने अपने आतंकवाद विरोधी सहयोग में व्यापक विस्तार किया है।
- इस संदर्भ में चौथा आधारभूत समझौता मूल विनिमय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement –BECA), भू-स्थानिक सहयोग के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होगा।
- COMCASA और BECA दो आधारभूत समझौते हैं जिन पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- इसने पहले ही जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फार्मेशन एग्रीमेंट (General Security Of Military Information Agreement -GSOMIA) और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement -LEMOA) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- अमेरिका वर्ष 2002 से ही आधारभूत समझौते से भारत को जोड़ना चाहता है लेकिन एक के बाद एक आने वाली सरकारें अमेरिकी मांगों को मानने के प्रति सावधान रही हैं।

## ड्रोन की बिक्री

- COMCASA समझौता एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- अमेरिका भारत को उच्च तकनीक वाले सैन्य हार्डवेयर विशेष रूप से सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करना चाहता है, इसलिये ये समझौते वाशिंगटन के लिये अधिक आवश्यक हैं।
- सशस्त्र ड्रोन की बिक्री का मुद्दा 2 + 2 वार्ता के मुख्य विषयों में सबसे ऊपर है।
- नई दिल्ली ने हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुई कई दौर की वार्ताओं में इस मुद्दे पर पहले की ही तरह अपनी अनिच्छा व्यक्त की है और यह COMCASA के लिये अनिर्णीत रहा है।

## उच्च तकनीकी सहयोग में सुधार

उच्च तकनीकी सहयोग में सुधार के रूप में, भारत और अमेरिका ने महत्त्वाकांक्षी रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की घोषणा की तथा भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया। लेकिन इस क्षेत्र में भी इससे अधिक कुछ नहीं किया गया है।

### उच्च स्तरीय समझौते

भारत और अमेरिका के बीच तीन उच्च स्तरीय रक्षा समझौतों में से केवल एक पर ही हस्ताक्षर हुए हैं।

## COMCASA

संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA) एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता अमेरिका की प्रमुख आवश्यकता है।

## BECA

मूल विनिमय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement) भू-स्थानिक जानकारी के विनिमय को आसान बनाता है।

## LEMOA

लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये थे। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता है।

### निष्कर्ष

भारत द्वारा अब तक इन समझौतों पर हस्ताक्षर न किये जाने का कारण यह है कि भारत को भय है, इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने का मतलब है रूस के साथ वर्षों पुराने सैन्य संबंधों तथा उसके हथियार प्रणाली तक पहुँच के साथ समझौता करना पड़ेगा। उम्मीद है कि 2 + 2 वार्ता से पहले दोनों देशों के बीच व्यापक समझ उत्पन्न हो सकती है।

---

## जी-7 विभाजन की राह पर

### संदर्भ

8-9 जून, 2018 को क्यूबेक, कनाडा में आयोजित हुए संगठित समूह G-7 की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रुख के कारण विभाजित और उलझन में दिखाई दिये। विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये इन सातों के बीच समझौता अब संकट की स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लंबे समय से इस समूह के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

### पिछले कुछ दशकों में समूह ने दुनिया को क्या दिया है?

- सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से यह समूह ज़्यादातर विकासशील देशों के खर्च पर विकसित हुआ है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का उद्देश्य अपने प्रशासन में व्याप्त बाधाओं का समाधान करते हुए उभरते बाज़ारों को विश्व पटल पर लाना है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) ने अपने कृषि बाज़ारों के लिये प्रतिस्पर्द्धा की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने ब्राज़ील और भारत जैसे उभरते बाज़ारों पर दबाव डालने के लिये करों को कम करके आयात में कमी की है।
- इन देशों ने अपने प्रभाव और रुचि को बनाए रखने के लिये गरीब देशों के बीच विभाजन की स्थिति उत्पन्न की।
- वे चीन के असाधारण रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में उभरने को लेकर बेहद चिंतित थे, जो धीरे-धीरे उनकी क्षमताओं को आत्मसात करता जा रहा था।
- समूह की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण चीन पश्चिम में आइना दिखाने में कामयाब रहा।
- गरीब देशों की मदद करने की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को नज़रंदाज करते हुए जी-7 अभी भी लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों को अपने उत्पादों के बाज़ार के रूप में देखना चाहता है।

नोट :

- इसने विकासशील देशों में औद्योगीकरण में वृद्धि की संभावनाओं का उपहास उड़ाया है। चीन की विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने वाले अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के दो या तीन देशों के प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है।
- चीन और भारत के उदय पर ये देश खुश नहीं होंगे। इसलिये, वे इन दोनों देशों के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों को उभरता हुआ देखना पसंद नहीं करेंगे।
- वे पहले ही भारत और चीन पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। घरेलू उत्पादन और विनिर्माण के प्रोत्साहन को लेकर यूरोपीय संघ भारत से परेशान है।
- भारत ने पूरी तरह से देश में निर्मित कारों पर उच्च टैरिफ लगाया है। भारत ने अपने घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग को विस्तार देते हुए और इसे गहराई की ओर ले जाने के लिये प्रयास कर रहा है।
- भारत में बनाई गई कारें और इनके पार्ट्स दुनिया भर में बेचे जाते हैं। यूरोपीय और अमेरिकी ऑटो कंपनियों ने भारतीय बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा उनके उत्पादों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये अरबों रुपए निवेश किये हैं।
- अब भी, यूरोपीय संघ पूरी तरह से वहाँ निर्मित कारों पर कम आयात शुल्क के लिये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ यह चाहता है कि भारत यूरोप में इस्तेमाल की जाने वाली कारें खरीदे।
- इसी तरह, अमेरिका अपनी सौर-निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में भारत को परेशान कर रहा है। उसे यह पसंद है कि भारत विनिर्माण की बजाय आयात करे।
- मई में अमेरिका ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चीन और भारत भी आपस में लड़ रहे हैं।
- भारत ने भी आयातित स्टील पर शुल्क बढ़ाने के लिये अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में मामला दर्ज किया है।

## चीन का मज़बूत दृष्टिकोण

- चीन ने निश्चित रूप से अपने दृष्टिकोण पर काफी मज़बूती दिखाई है। इसने जी-7 द्वारा निर्धारित नियमों को मानने से इनकार कर दिया है।
- भारत इसका विरोध कर सकता है क्योंकि चीन की बेल्ट और रोड पहल उसी तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद है जिसे जी-7, विशेष रूप से ब्रिटेन ने सदियों से दुनिया पर लगाया था।
- अब एशियाई देश परिपक्व हो गए हैं, पश्चिमी बाज़ारों को समान नीतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनका उपयोग उन्होंने दुनिया को नियंत्रित करने के लिए किया था।
- क्या भारत, चीन और अन्य उभरते बाज़ार पश्चिमी देशों की कमजोरी का फायदा उठाएंगे?
- सवाल यह है कि क्या भारत, चीन और अन्य उभरते बाज़ार पश्चिमी देशों की कमज़ोरी का फायदा उठाने के लिये अब एक मज़बूत रणनीति तैयार कर सकते हैं?
- इसके लिये दो महत्त्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता होगी। पहली, चीन और अन्य उभरते बाज़ारों के बीच बेहतर संबंध। दूसरी, आर्थिक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना।
- भारत को आंतरिक सुधारों की ज़रूरत है, जबकि चीन पहले से ही ऐसा करता आ रहा है। जनसंख्या का आकार पर्याप्त नहीं है।
- उदाहरण के लिये, भारत और चीन को अपनी न्यायिक और शैक्षणिक प्रणाली में सुधार करना है। आंतरिक शासन क्षमताओं के लिये गहरे संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता होती है।

## G-20 व G-7 विभाजन की राह पर

- बहुपक्षीय स्तर पर जी-20 समूह, जी-7 से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होगा।
- कोई भी समूह जो अर्थव्यवस्था या सुरक्षा पर वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह सफल नहीं होगा जब तक कि इसमें ब्रिक्स देशों को शामिल न किया जाए।
- जी-7 की तरह जी-20 भी गतिशीलता बनाए रखने में सक्षम नहीं है क्योंकि पुरानी और उभरती शक्तियों के बीच एक स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है।

नोट :

- शंघाई सहयोग संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे फोरम वैश्विक नेतृत्व की नई संभावनाओं को इंगित करते हैं क्योंकि यहाँ एशियाई देश प्रभावशाली हैं।
- पश्चिम में तकरार का माहौल दिखाई दे रहा है जिसे रूस चुपचाप देख रहा है और चीन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एशिया के उदय के लिये केंद्रित समन्वय की ज़रूरत है।

## ऑस्ट्रेलिया में यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय स्तर की जाँच की शुरुआत

### चर्चा में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया ने कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की जाँच करने के लिये एक स्वतंत्र जाँच की शुरुआत की है। यह दुनिया में अपनी तरह की पहली जाँच है। उम्मीद है कि इस जाँच से वैश्विक आंदोलन #Me too द्वारा प्रकाश में लाई गई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह जाँच यौन उत्पीड़न के खिलाफ वैश्विक #MeToo आंदोलन पर प्रतिक्रिया है।
- इस जाँच को पूरा करने में 12 माह का समय लगेगा।
- इसका उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत करने के साथ ही व्यापक मानकों को लागू करना है।

### ऑस्ट्रेलिया में उत्पीड़न का स्तर कितना बुरा है?

- ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (AHRC) ने यौन उत्पीड़न को ऑस्ट्रेलियाई कार्यस्थलों में "लगातार और व्यापक समस्या" के रूप में वर्णित किया है।
- AHRC के अनुसार, 15 साल से अधिक उम्र के 20% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों का कार्यस्थलपर यौन उत्पीड़न किया गया है।
- हालाँकि अधिकांश नियोक्ताओं ने उत्पीड़न संबंधी नीतियाँ लागू की हैं फिर भी इन्हें कार्यस्थलपर व्यवहार में नहीं लाया गया था।
- ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत यौन उत्पीड़न को किसी भी अवांछित यौन अग्रिम या यौन प्रकृति के आचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ कोई नाराज़, अपमानित या भयभीत महसूस करता है।

### इस जाँच में क्या महत्त्वपूर्ण है?

- इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन ने भी कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न की जाँच के लिये संसदीय समिति गठित की थी।
- लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि AHRC (एक स्वतंत्र मानवाधिकार निकाय) द्वारा बड़े पैमाने पर निरीक्षण और जाँच कार्य वैश्विक रूप से अभूतपूर्व होगा।
- ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की मंत्री (Minister for Women ) केली ओ'डवियर (Kelly O'Dwyer) के अनुसार, किसी अन्य देश ने इस मुद्दे को इतने व्यापक तरीके से नहीं देखा है।

### जाँच की लागत

- जाँच की अनुमानित लागत 900,000 डॉलर होगी, जिसका आधे से अधिक भाग सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

### ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (AHRC)

- हालाँकि AHRC एक विधायी निकाय नहीं है फिर भी यह संघीय और राज्य सरकारों को कानूनों के बारे में सिफारिशें कर सकता है।
- इस जाँच में आपराधिक कानूनों की सिफारिश करने की संभावना सहित "सभी विकल्पों" पर विचार किया जाएगा।

### यह कैसे काम करेगा?

- आयुक्त पूरे ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक परामर्श करेंगे और व्यक्तियों और संगठनों से सुझाव भी आमंत्रित करेंगे।

- नए कार्यस्थल पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में यह जाँच समिति निम्नलिखित तथ्यों की जाँच और मूल्यांकन करेगी:
    - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कारण
    - प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग
    - वर्तमान कानूनों और नीतियों की प्रभावशीलता

## भारत के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

- भारत की वयस्क महिलाओं की जनसंख्या (जनगणना 2011) से पता चलता है कि 14.58 करोड़ महिलाओं (18 वर्ष से अधिक उम्र) के साथ यौन उत्पीड़न जैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ है।

## कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

- यह अधिनियम 9 दिसंबर, 2013 को प्रभाव में आया था।
- यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जहाँ दस से अधिक लोग काम करते हैं।
- यह क़ानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है।
- यह क़ानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है।
- यह क़ानून हर उस महिला के लिये बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो।
- इस क़ानून के अनुसार यह ज़रूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है, वहां वह नौकरी करती हो।
- कार्यस्थल कोई भी कार्यालय/दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी।

## #Me too अंदोलन

- मी टू आंदोलन (या "#MeToo") यौन उत्पीड़न और हमले के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है।
- अक्तूबर, 2017 में हॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में शामिल हार्वी वाइनस्टीन पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए हैं। वाइनस्टीन पर आरोप लगने के बाद दुनिया भर में #MeToo आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए थे।
- एक सामाजिक कार्यकर्त्ता तराना बर्क ने 2006 में "मी टू" वाक्यांश का उपयोग करना शुरू किया था और इस वाक्यांश को वर्ष 2017 में अमेरिकी अभिनेत्री एलिसा मिलानो द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जब उन्होंने महिलाओं को इसके बारे में ट्वीट करने के लिये प्रोत्साहित किया।

## निष्कर्ष

कई कार्यस्थल वास्तव में यौन उत्पीड़न को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध हैं और वे नीतियों और प्रक्रियाओं जैसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।

# भारत का जवाबी पलटवार : अमेरिकी सामान पर लगाया भारी शुल्क

## चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए आयात शुल्क के खिलाफ भारत ने जवाबी पलटवार करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित होने वाले कृषि उत्पादों सहित स्टील और लौह के कुल 29 उत्पादों पर आयात शुल्क में इजाफा करने की घोषणा की है। इस निर्णय के साथ ही भारत अमेरिकी निर्णय के विरुद्ध खड़े यूरोपीय यूनियन और चीन की सूची में शामिल हो गया है।

## मुद्दा क्या है?

- अमेरिका द्वारा स्टील एवं एल्युमिनियम पर आयात शुल्क में वृद्धि किये जाने के निर्णय का यूरोपीय यूनियन और चीन दोनों ने कड़ा विरोध किया था।

- अमेरिका के इस निर्णय के प्रत्युत्तर में चीन ने भी अमेरिका के कई उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अभी एक दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने का निर्णय किया था। ये निर्णय 4 अगस्त से प्रभावी होंगे।

## भारत के निर्णय का कारण

- भारत द्वारा लिये गए इस निर्णय की कोई वजह स्पष्ट नहीं की गई है, ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्णय अमेरिका के साथ व्यापार में सामंजस्य बनाए रखने के लिये लिया गया है।
- यहाँ एक और बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि कुछ दिनों में अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिम्सकॉट भारत आ रहे हैं।
- स्पष्ट रूप से दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई अहम कारोबारी मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान हालिया शुल्क वृद्घि के मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना है।

## किन-किन वस्तुओं के आयात शुल्क में वृद्धि की गई है?

- भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी शुल्क दरों में सेब, बादाम, काबुली चना, मसूर की दाल, एक प्रकार की झींगा मछली और अखरोट आदि की किस्मों के संबंध में आयात शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से अधिकांश सामान भारत में अमेरिका से आता है।
- हाल ही में अमेरिका ने चुनिंदा इस्पात एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी थी। इससे भारत पर 24.1 करोड़ डॉलर (करीब 1650 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त शुल्क भार आ गया था। भारत ने इसी के जवाब में शुल्क वृद्धि का निर्णय लिया है।
- हालाँकि, अमेरिका से आयातित मोटरसाइकिलों पर शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। जहाँ एक ओर दालों आदि पर शुल्क को 30 फीसदी से बढाकर सीधे 70 फीसदी कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर लोहे और इस्पात पर पुरानी दर में कम-से-कम 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
- पिछले माह भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क वृद्धि किये जाने की शिकायत की थी।

## विश्व व्यापार संगठन के समक्ष भारत का पक्ष

- भारत ने पिछले सप्ताह विश्व व्यापार संगठन को 30 उत्पादों की एक सूची भेजी थी, जिनके संदर्भ में 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना जताई गई थी। अमेरिका के इस निर्णय से भारतीय उत्पादों पर करीब 24 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।

## क्या यह एक नए ग्लोबल ट्रेड वार की शुरुआत है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद से ग्लोबल ट्रेड वॉर की संभावना बढती प्रतीत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि चीन बीते कई सालों से अमेरिका के साथ व्यापारिक असमानता की वज़ह से फायदा उठाता रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी सरकार ने संबंधित विभाग को उन सभी चीनी उत्पादों को चिह्नित करने का आदेश दिया है जिन पर नए कर लगाए जा सकते हैं।
- कुछ समय पहले अमेरिका ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के चीनी माल पर 25 फीसदी की दर से कर लगाने की बात कही थी, जिसके जवाब में चीन ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत वाले 659 अमेरिकी उत्पादों पर इसका असर पड़ने की चेतावनी दी थी।
- वहीं, दूसरी ओर चीन ने भी अमेरीका के 34 अरब डॉलर के उत्पादों पर कर लगाने की घोषणा की है जो आगामी 6 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इन उत्पादों में कृषि से संबंद्ध उत्पाद, कारें और मरीन उत्पाद शामिल हैं।
- एक जानकारी के अनुसार जल्द ही चीन दूसरे अमेरीकी उत्पादों पर भी कर अधिरोपित करने की तैयारी में है।
  - एक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में अमेरिका ने चीन से 462 अरब डॉलर से अधिक का सामान ख़रीदा था।
  - वहीं दूसरी ओर, चीन जितना भी माल निर्यात करता है, उसमें से 18.2% माल अमेरीका द्वारा ही ख़रीदा जाता है।
  - वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2016 के बीच अमेरीका द्वारा किये गए चीनी सामान के निर्यात में तकरीबन 59.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
  - अमेरिका द्वारा 34 अरब अमेरिकी डॉलर के 800 से ज़्यादा चीनी उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर संबंधी निर्णय भी 6 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा।

नोट :

### अमेरिका के इस निर्णय का मुख्य कारण क्या है?

- अमेरीका के इस सख्त रेवैये का मुख्य कारण यह है कि अमेरिका चाहता है कि चीन उन सभी गतिविधियों को बंद कर दे जिनकी वज़ह से बौद्धिक संपदा जैसे कि डिज़ाइन और प्रोडक्ट आइडियाज़ आदि को ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है।
- इसका मूल कारण यह है कि विदेशी कंपनियों को चीनी बाज़ार में प्रवेश करने के लिये स्थानीय कंपनियों के साथ मालिकाना हक़ साझा करना पड़ता है, जिसका कि अमेरिका विरोध कर रहा है।
- अमेरिका ने चीन में बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श एवं उनकी जाँच करने के बाद ही कर लगाने का निर्णय किया है।

## कार्रवाई के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक : सतत् विकास के लिये जल 2018-2028' विषय पर सम्मेलन

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जहाज़रानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ''कार्रवाई के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक : सतत् विकास के लिये जल 2018-28'' विषय पर ताजिकिस्तान में 20-21 जून, 2018 को आयोजित सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया।

### आयोजक राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जल विषय पर विचार-विमर्श करने के लिये इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र और ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार द्वारा किया गया।

### महत्त्व

- भारत के विस्तारित पड़ोस में ताजिकिस्तान रणनीतिक साझेदार देश है। ताजिकिस्तान ने जल संबंधी वैश्विक विषयों पर अग्रणी भूमिका निभाई है।
- जल, सतत् विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित तत्त्व है। यह भोजन, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की कुंजी है और इसलिये यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल को एसडीजी 1,2,3,5,6,7,11,13 एवं 14 सहित कई सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया गया है।
- दुनिया में पर्याप्त जल है लेकिन जल प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण बहुत से लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, जनसांख्यिकी, प्रदूषण एवं शहरीकरण आदि जल के प्रबंधन के समक्ष अतिरिक्त चुनौतियाँ पेश कर रहे है।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति जल अभिशासन, वित्त एवं शिक्षा के लिये बेहद जरूरी है। सतत् जल प्रबंधन को बढ़ावा देने एवं एसडीजी के जल से संबंधित अन्य पहलुओं के साथ समन्वय की तलाश के लिये ज्ञान, अनुभव, नवोन्मेषों, समाधानों को साझा करने समेत सभी क्षेत्रों में एवं हितधारकों के सभी स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है।
- भारत और ताजिकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिये प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में विशेषत: सतत् जल विकास पर सहमति व्यक्त की गई है।

### इस दिशा में भारत के प्रयास

- संसाधन मूल्यांकन के क्षेत्र में भारत वैज्ञानिक विकास, संरक्षण एवं हमारे भू-जल तथा सतह जल संसाधनों के संयुक्त उपयोग के लिये अपने जल संसाधन सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन की प्रक्रिया में है।
- राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) सतह जल एवं भू-जल के आकलन, बाढ़ के पूर्वानुमान, जलाशय निगरानी, तटीय सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं नदी बेसिन प्रबंधन के लिये एक आधुनिक मंच है।
- भारत ने देश के मानचित्र निर्माण योग्य क्षेत्र के दो मिलियन वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण के लिये एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना आरंभ की है।
- नदी संरक्षण के क्षेत्र में नमामि गंगे, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा उसे पुनर्जीवित करने की भारत की प्रमुख योजना है। इसके साथ-साथ दूसरी नदियों के कायाकल्प के लिये भी ऐसे ही कदम उठाए रहे हैं जिससे कि उन्हें उनके मूल रूप में लाया जा सके।

- खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत आश्वस्त सिंचाई के तहत और अधिक क्षेत्रों को लाने के लिये प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के मद्देनज़र प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पीएमकेएसवाई (प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना) शुरू की गई है। इस योजना के तहत दिसंबर, 2019 तक 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे 7.62 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।
- इस कार्यक्रम के अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं- 'हर खेत को पानी' या कमान क्षेत्र विकास को विस्तारित करने और जल प्रबंधन कार्य आरंभ करना जिनके द्वारा प्रत्येक खेत को जल उपलब्ध कराना है।
- पीएमकेएसवाई का एक अन्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं ड्रिप सिंचाई के संवर्द्धन और बेहतर जल दक्षता सुनिश्चित कर 'प्रति बूंद अधिक फसल' सुनिश्चित करना है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नदियों एवं देश के भीतर अंत:राज्यीय, नदियों को लेकर बकाया मुद्दों का निपटान कर रहे हैं।
- पेयजल के क्षेत्र में भारत सरकार बुनियादी ढाँचे के सृजन द्वारा सतत् आधार पर पीने, खाना पकाने एवं अन्य घरेलू मूलभूत आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) आरंभ कर रही है।
- भारत सरकार की योजना, 2030 तक सभी के लिये सुरक्षित एवं किफायती पीने के पानी की सार्वभौमिक और समान सुविधा उपलब्ध करना है। सरकार का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन है, जिसका निष्पादन सुरक्षित व स्वच्छता पर फोकस के साथ भारत के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज अर्जित करना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलापों के स्तर में सुधार लाएगा और गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ), स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 6.6 मिलियन एकल परिवार शौचालयों, 0.25 मिलियन सामुदायिक शौचालयों एवं 0.26 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का लक्ष्य नगरपालिका अपशिष्ट का घर-घर जाकर 100 प्रतिशत संग्रह एवं वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य अर्जित करना है।
- बाढ़ एवं सूखे की घटनाओं में कमी लाने और देश को जल के संबंध में सुरक्षित बनाने के लिये सरकार नदियों को आपस में जोड़ने जैसे कार्यक्रमो के माध्यम से जल के अंत:बेसिन अंतरण के लिये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण एवं जल संभरण कार्य हेतु कुँओं, तालाबों की खुदाई एवं पारंपरिक जल निकायों, जलाशयों एवं नहरों की मरम्मत आरंभ किये जा रहे हैं।
- निष्कर्ष के रूप में भारत सरकार उन्नत जल मूल्यांकन, समान संसाधन आवंटन, बेहतर दक्षता, प्रदूषण में कमी, संरक्षण एवं जल संभरण के ज़रिये सतत् तरीके से जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिये ठोस कदम उठा रही है तथा सुरक्षित स्वच्छता उपलब्ध करा रही है।

---

## ओपेक बैठक भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है?

### संदर्भ

शुक्रवार को वियना में पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) के संगठन की द्विपक्षीय बैठक के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन द्वारा यह बताया गया कि कच्चा तेल निर्यातक देश एक "सौदे" के करीब हैं। आखिर यह "सौदा"(deal) क्या हो सकता है?

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ओपेक 500,000 से 600,000 बैरल प्रतिदिन (bpd) पंप करने का फैसला कर सकता है, जो रूस के 1.5 मिलियन bpd से काफी कम है।
- रूस ओपेक का हिस्सा नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। वह अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता है।
- सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री, वस्तुत: ओपेक के नेता खालिद अल-फलीह ने कहा कि 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की वृद्धि "काम करने के लिये एक बेहतर लक्ष्य" हो सकता है।
- रूस और ओपेक ने दिसंबर 2016 में उत्पादन में 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करने के लिये एक सौदा किया, जिसने तेल की कीमतों में लगभग तीन गुना वृद्धि करने में मदद की है।

नोट :

- समझौते को लेकर रूस बाद में अपनी प्रतिबद्धता पर बेरूखी दिखाई और वह पुन: परिशोधन के विकल्प के साथ उत्पादन (output) में तत्काल वृद्धि चाहता है।
- हालाँकि, इराक, ईरान और वेनेजुएला समेत अन्य ओपेक सदस्यों की सऊदी अरब या रूस जैसी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है और वे क्षमता बढ़ाने के लिये इच्छुक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
- उत्पादन में 500,000-600,000 bpd की वृद्धि वेनेजुएला, अंगोला और मेक्सिको के उत्पादन में गिरावट को दूर करने के लिये पर्याप्त होगी जिसके लिये ईरान को कोई आपत्ति नहीं होगी|

### ईरान ने उत्पादन में वृद्धि का विरोध क्यों किया ?

- प्रत्येक ओपेक देश में तेल का एक अनुमानित मूल्य होता है जिसका उपयोग वह अपने राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने के लिये करता है।
- जिन देशों के पास सब्सिडी और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिये कर या प्रेषण जैसा कोई अन्य प्रमुख राजस्व स्रोत नहीं है, उन्हें जादुई संख्या 80 डॉलर प्रति बैरल पर निगाह डालनी चाहिये।
- लेकिन रूस  जो कि अन्य वस्तुओं का निर्यात भी करता है, अपने खर्च को पूरा करने के लिये 68 डॉलर प्रति बैरल को पर्याप्त मानता है।
- तेल उत्पादन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी ह्रासमान मूल्य को बढ़ावा देगा  और तेल पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आय कम हो सकती है, जिससे बजट घाटे को बढ़ावा मिल सकता है।

### भू-राजनीतिक कारक

- मध्य पूर्व में सऊदी अरब का 'महान विरोधी, ईरान 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकलने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से आहत है और मंजूरी निरस्त होने से पहले जितना संभव हो उतना तेल राजस्व बढ़ाने के लिये उत्पादक संघ (cartel) पर अपना पूर्ण अधिकार कर लेना चाहता है|
- दूसरी ओर, सऊदी अरब ट्रंप के अनुरोध के साथ अतिरिक्त तेल के लिये दबाव डाल रहा है इसे 2019 की शुरुआत में सऊदी अरब के आईपीओ निवेशकों को आकर्षित करने के लिये भी बचाव की ज़रूरत है।
- रूस के साथ तीन तरह का सौदा और अमेरिकी तेल दिग्गजों का एक कंसोर्टियम ईरान को और अधिक चिंतित कर सकता है।

### क्या ऐसे कारकों की सूची है जो ओपेक के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है ?

- अनिवार्य रूप से ओपेक कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र रखते हुए अपने सदस्यों की बाज़ार हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, ताकि आय का उनका प्रमुख स्रोत आकर्षक बना रहे। लेकिन जैसा कि स्पष्ट है इसके लिये 14 सदस्यों के बीच वार्ता और समन्वय का होना महत्त्वपूर्ण है।
- किसी भी उत्पादक संघ की तरह  प्रत्येक सदस्य धोखा देने की कोशिश करता है  और दूसरों की अनदेखी करता है।
- 2014 के बाद सऊदी अरब ने वैश्विक बाज़ार में कीमतों को कम करने के लिये अधिक तेल प्रवाहित करना शुरू कर दिया।
- 40 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिरावट ने शेल आयल को अमेरिका से बहने से रोका  और तेल की दुनिया में मध्य पूर्व के आधिपत्य को बनाए रखने में मदद की।
- जब अमेरिका में शेल आयल का उत्पादन हुआ, तो सऊदी अरब को रूस और अन्य गैर-ओपेक देशों ने 2016 में संचयी रूप से 1.8 मिलियन bpd कटौती के लिये सहमति दी।
- लेकिन मज़बूत वैश्विक मांग के साथ एक अधिक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में कीमतों के 80 डॉलर से अधिक बढ़ने से शेल आयल की दुकानों के कायाकल्प का संकेत मिला।
- अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाओं ने अब तक शेल तेल के एक बड़े हिस्से को वैश्विक बाज़ारों से दूर रखा है, लेकिन एक बार इन बाधाओं को मंजूरी मिलने के बाद  अमेरिकी उद्यमी दुनिया के ऊर्जा प्रवाह को बदलने में सक्षम होंगे।
- कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली वृद्धि अमेरिका और कनाडा से शेल ऑयल के अत्यधिक प्रवाह को रोक सकती है।

### भारत के लिये बैठक महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

- बैठक से पूर्व  भारत ने ओपेक फोरम, जो कि उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों के मंत्रियों का एक कॉन्क्लेव है, के समक्ष आपूर्ति अंतराल को भरने की ज़ोरदार मांग की।

- भारत ने कहा था कि उच्च कीमतें "दर्द" दे रही हैं साथ ही उसने "उचित" मूल्य निर्धारण के लिये भी अपील की।
- कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत के तेल आयात बिल में वृद्धि हुई है और इसने व्यापार घाटे का बोझ बढ़ा दिया है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सरकार को उत्पाद शुल्क में कटौती, राजकोषीय घाटे में वृद्धि और अपनी क्रेडिट रेटिंग को कम करने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा।
- ओपेक से राहत मिलने के बाद भी तेल की वैश्विक कीमतों में कमी होने की संभावना नहीं है।

### ओपेक क्या है ?

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिये उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने हेतु सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है।
- यह विभिन्न देशों के उपयोग के लिये पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- इसकी स्थापना 1960 में इसके संस्थापक सदस्य देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के साथ बगदाद सम्मेलन में की गई थी।
- वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं, बाद में कतर, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी इसके सदस्य बने।
- इंडोनेशिया 2016 तक इसका सदस्य था बाद में वह इससे बाहर हो गया।

## ओपेक का एक और निर्णय : तेल कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास

### चर्चा में क्यों ?

सऊदी अरब की अगुआई वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries -OPEC) ने कच्चे तेल का उत्पादन एक लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय किया है। ओपेक के इस निर्णय से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है।

### प्रमुख बिंदु

- वियना में हुई औपचारिक बैठक में सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमतों को कम करने तथा आपूर्ति में कमी की समस्या का समाधान करने के लिये अपने धुर विरोधी ईरान को तेल उत्पादन बढ़ाने के लिये राजी करने में सफल रहा। बड़े उपभोक्ता देशों की चिंता को ध्यान में रखते यह निर्णय लिया गया है।
- इस बैठक में प्रत्येक देश के लिये उत्पादन वृद्धि का कोटा तय करने की बजाय आपूर्ति के लक्ष्य को हासिल करने के संबंध में सहमति व्यक्त की गई है। हालाँकि इस स्थिति में सऊदी अरब को अपने निर्धारित कोटे से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करना होगा।
- आपकी जानकारी के लिये बता दें कि अमेरिका, चीन और भारत द्वारा तेल की कमी से बचने के लिये ओपेक से तेल आपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया गया था। इसका कारण यह है कि तेल आपूर्ति बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### ईरान कर रहा था विरोध

- ओपेक के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक सदस्य ईरान द्वारा तेल आपूर्ति बढ़ाने का विरोध किया जा रहा था। ईरान के अनुसार, तेल की कीमतों में आए उछाल का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा ईरान और वेनेजुएला पर अधिरोपित प्रतिबंध हैं।
- अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप 2018 के अंत तक ईरान के तेल उत्पादन में लगभग एक-तिहाई तक गिरावट आने की संभावना है।
- अर्थात् ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि किये जाने संबंधी समझौते से शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब के विपरीत ईरान को कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

### 2017 में लिया गया था उत्पादन में कटौती का निर्णय

- आपकी जानकारी के लिये बता दें कि ओपेक और रूस समेत 24 देशों (ओपेक प्लस) के बीच 2017 से उत्पादन में 18 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने संबंधी एक समझौता किया गया था।
- इस निर्णय के बाद निश्चित तौर पर बाज़ार को पुन: संतुलित करने में मदद मिली लेकिन इस बीच कच्चे तेल की कीमतें 27 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गईं।
- हाल के कुछ महीनों में वेनेजुएला, लीबिया और अंगोला ने तेल आपूर्ति में लगभग 28 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की है। यही कारण है कि आपूर्ति की कमी से समस्या पैदा हुई।

### ओपेक

- तेल निर्यातक देशों के संगठन का नाम है ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC)।
- इसमें एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादक व निर्यातक देश शामिल हैं, जिनकी दुनिया के कुल कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 77 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- ओपेक की स्थापना 14 सितंबर, 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। ओपेक का सचिवालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है।
- ओपेक के पाँच संस्थापक देशों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब व वेनेजुएला शामिल हैं, बाद में इसमें कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन व अंगोला शामिल हुए।
- इंडोनेशिया जनवरी 2009 में ओपेक से हट गया और कुल मिलाकर अभी इसके 15 सदस्य देश हैं।
- ओपेक प्रतिदिन लगभग तीन करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा भारत के लिये सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता भी है।

---

## दक्षिण-दक्षिण सहयोग को विस्तार देंगे भारत-क्यूबा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा यात्रा के अंतिम चरण में क्यूबा में थे। यह यात्रा इसलिये महत्त्वपूर्ण थी कि 1959 के बाद पहली बार कोई भारतीय नेता क्यूबा गया था। राष्ट्रपति के इस दौरे में क्यूबा की राजधानी हवाना में जैव प्रौद्योगिकी और दवा की पारंपरिक प्रणाली और औषधीय पौधों पर समझौते हुए। चूँकि दोनों देश दक्षिण-दक्षिण एकजुटता के भी पक्षधर हैं, इसलिये भारत ने क्यूबा से विकासशील देशों को मज़बूत बनाने के लिये दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और विस्तार देने को कहा।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैश्विक क्रम में बेहतर स्थान हासिल करने के लिये भी दोनों देशों ने परस्पर सहयोग और बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की। भारत ने 'इंडिया एंड ग्लोबल साउथ' की चर्चा करते हुए कहा कि विकास के लिये साझेदारी दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में रही है।
- इसके अलावा दोनों देश इस बात पर एकमत थे कि विकासशील देशों के बीच परस्पर सम्मान और एकजुटता दक्षिण-दक्षिण सहयोग का केंद्र है। भारत लैटिन अमेरिका को अपने दक्षिण-दक्षिण सहयोग की आधारशिला के रूप में देखता है।
- गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रपति का यह दौरा क्यूबा से कास्त्रो युग के शासन की समाप्ति के बाद हुआ। वर्तमान में नवनिर्वाचित मिगेल डियाज़ कनेल क्यूबा के राष्ट्रपति हैं।

### पृष्ठभूमि

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ज़माने से भारत और क्यूबा के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जब अन्य पुराने गठबंधन और सहयोग कमजोर पड़ गए और बदलते वक्त की ज़रूरतें पूरी करने में अक्षम हो गए, तब दक्षिण-दक्षिण सहयोग का जन्म हुआ।

- विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये आपसी सहयोग के आधार की खोज को नाम दिया गया दक्षिण-दक्षिण सहयोग। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकासशील देशों के लिये 'दक्षिण' और विकसित देशों के लिये 'उत्तर' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था।
- वैश्विक व्यापार को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने के लिये वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में दक्षिण-दक्षिण सहयोग अनिवार्य और आवश्यक है।
- वर्तमान परिस्थितियों में यह 2030 तक के लिये निर्धारित 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट वाले सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## क्या है दक्षिण-दक्षिण सहयोग ?

- नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिये विकसित और विकासशील देशों में उत्तर-दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई। परंतु विकसित राष्ट्रों के उपेक्षापूर्ण व अड़ियल व्यवहार के कारण उत्तर-दक्षिण सहयोग के मुद्दे को आशानुरुप बल नहीं मिला।
- विकासशील देशों पर ऋणों का भार लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्हें प्राप्त होने वाली अधिकतर विदेशी सहायता का इस्तेमाल ब्याज के भुगतान के रूप में किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध और भी जटिल होते गए।
- विकासशील देशों को यह महसूस होने लगा कि उत्तर-दक्षिण सहयोग की बात से उनके हितों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Co-operation) के मुद्दे को बल दिया गया।

## भारत और दक्षिण-दक्षिण सहयोग

- जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वह दक्षिण-दक्षिण सहयोग को उत्तर-दक्षिण सहयोग के विकल्प के रूप में नहीं अपितु पूरक के रूप में देखता है।
- भारत ने व्यापार और निवेश से संबद्ध द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों, खास तौर पर द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण समझौते, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौते, दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के संबंध में विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया है।
- इतना ही नहीं भारत ने स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों का रुख करते हुए, ऊर्जा के हरित एवं अक्षय स्रोतों को विकसित तथा उनका इस्तेमाल करने की प्रौद्योगिकी के संबंध में भी निरंतर प्रगतिशील है।
- गौरतलब है कि विकासशील देशों में सतत् विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये भारत और संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय यानी UNOSSC ने एक भागीदारी कोष की स्थापना की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस का आयोजन भी करता है।

## दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लाभ

- लाभ बाजार निकटता, उत्पादों और प्रक्रियाओं में समानता तथा कारोबारी संस्कृति के संबंध विकासशील देशों के निवेशकों को व्यापार और निवेश के संबंध में व्यापक अवसरों की पेशकश करते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन और दोहा विकास एजेंडे के क्रियान्वयन में लगातार विफलता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली में विकासशील देशों के हितों के बेहतर प्रतिनिधित्व और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये देशों के बीच व्यापक एकजुटता की आवश्यकता है।
- दक्षिण-दक्षिण संपर्क और सहयोग से जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट से निपटते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसे महत्त्वपूर्ण मसलों के प्रति समान रुख तय करने में मदद मिलेगी। इसलिये भारत को दक्षिण-दक्षिण व्यापार बढ़ाने पर बल देना चाहिये।
- साथ ही विकासशील देशों की ओर से बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये निरंतर दक्षिण-दक्षिण व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जहाँ एक ओर दक्षिण का उदय द्विपक्षीय साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे रहा है वहीं दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप दक्षिण के भीतर रियायती वित्तीय ढांचागत निवेश एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कई विकल्प भी तैयार हो रहे हैं।

# ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जुबानी तकरार

## संदर्भ

सिंगापुर में कुछ मुद्रा (नोट) प्लास्टिक की बनी होती हैं जिसे पेपर की तुलना में फाड़ना आसान नहीं होता है। इसी प्रकार समझौतों को फाड़ने के लिये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के झुकाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्लास्टिक पर मुद्रित करने के संबंध में विचार किया जाना चहिये। उन्होंने JPOA (ईरान परमाणु समझौते) सहित जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौतों से अपने आप को अलग कर लिया है। साथ ही अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कनाडा के साथ रिश्ते खत्म करने की भी लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप अब चीन के शी जिनपिंग के साथ जुबानी तकरार की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देश एक-दूसरे से आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिये अपना रुख बदल रहे हैं।

- उत्पाद (merchandise) व्यापार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान देता है। इसलिये इस तरह के रुख के कारण उत्पन्न किसी प्रकार का व्यवधान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और शेयर बाज़ारों को नुकसान पहुँचाएगा।
- उदाहरण के लिये चीन, अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद, उन्हें अधिक महँगा बनाते हुए भारत के कपास स्रोत की तलाश में है।
- चीन में भारतीय कपास के शिपमेंट्स को पाँच मिलियन गाँठों तक पहुँचने की उम्मीद है।

## चाइनीज ट्रंप कार्ड

- इस तरह का रुख डोनाल्ड ट्रंप के लिये आर्ट ऑफ़ द डील का हिस्सा हो सकता है, उन्हें लगता है कि वह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यह न्यायोचित व्यापार नहीं है।
- चीन अन्य तरीकों से अमेरिकी व्यापार हितों को नुकसान पहुँचा सकता है। एप्पल, वॉलमार्ट, जीएम और स्टारबक्स सहित अन्य कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने चीन में सुविधाएँ दे रखी हैं। इन पर नियामकीय कार्यवाहियाँ, जुर्माना आदि लगाया जा सकता है।
- दक्षिण कोरिया की खुदरा विक्रेता कंपनी लोट्टे शॉपिंग के साथ प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई, इसका एक उदाहरण है।
- चीन ने दक्षिण कोरिया पर नाराज़गी तब जाहिर की थी जब वह मिसाइल प्रणाली तैनात कर रहा था और फायर सेफ्टी नियमों के कथित उल्लंघन के लिये उसने लोट्टे पर आरोप लगाया था।
- एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार वाली सरकार से लड़ने में असमर्थ, लोट्टे ने अपना काम बंद कर दिया और $ 1.8 बिलियन का जुर्माना अदा किया जो कि काफी अधिक था।

## चीन में अमेरिकी फर्मों की परिसंपत्तियाँ

- अमेरिकी कंपनियों ने चीन में 167 बिलियन डॉलर की बिक्री के साथ 627 बिलियन डॉलर परिसंपत्तियों में निवेश किया है, जबकि अमेरिका में चीन द्वारा 167 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है, जिसमें 26 बिलियन डॉलर की बिक्री शामिल है।
- समय के साथ व्यापार प्रवाह में सुधार होगा। भारत जैसे अन्य देश इसका लाभ उठा सकते हैं।
- उदाहरण के लिये चीन, अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद, उन्हें अधिक महँगा बनाते हुए भारत के कपास स्रोत की तलाश में है।
- चीन में भारतीय कपास के शिपमेंट्स को पाँच मिलियन गाँठों तक पहुँचने की उम्मीद है।

## बेतुकी मांग

- कर राजस्व में वृद्धि के लिये आर्थिक रूप से तनावग्रस्त सरकारें वैश्विक स्तर पर बेतुकी मांग कर रही हैं।
- उदाहरण के लिये, भारत में कर प्राधिकरण, भारतीय परिचालन से आय के लिये एक्कोर Accor) स्वामित्व वाले FRHI होटल पर कर लगाने की मांग कर रहे हैं।
- एक्कोर ने ग्लोबल रिजर्वेशन सर्विस जैसी सेवाएँ प्रदान कर अर्जित आय पर एएआर (authority for advance rulling-AAR) से अग्रिम आदेश की मांग की है।
- हालाँकि, AAR पूछताछ से परे जाकर कहा कि एक्कोर द्वारा विशेष नियंत्रण के कारण भारत में इसकी स्थायी स्थापना है और इस प्रकार, भारतीय कर कानूनों के तहत भारतीय आय पर कर अदा करने के लिये उत्तरदायी है।
- ऐसी मांग अतार्किक है और यदि जारी रखी गई तो अन्य होटलों सहित कई विदेशी होटल अनुबंध प्रभावित होंगे।

नोट :

## अंततः नौसेना बेस विकसित करने को तैयार हुआ सेशेल्स

### चर्चा में क्यों?

भारत और सेशेल्स एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए असम्पशन द्वीप पर नौसेना बेस विकसित करने के लिये एक परियोजना पर मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। उल्लेखनीय है की भारत दौरे पर आने से कुछ दिन पहले सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे ने कहा था कि वह भारत दौरे के दौरान असम्पशन आइलैंड परियोजना के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। सेशेल्स के इस कदम को भारत के कूटनीतिक प्रयासों की असफलता के रूप में देखा जा रहा था। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना हेतु भारत और सेशेल्स के बीच वर्ष 2015 में समझौता हुआ था।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दोनों देशों के बीच संस्कृति, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, संरक्षा व सहयोग, कूटनीति और बुनियादी ढाँचा विकास से संबंधित छह नए समझौते हुए हैं। साथ ही दोनों देश गैर-सैन्य वाणिज्यिक जहाजों की पहचान और उनकी गतिविधियों के संबंध में डेटा का आदान-प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- भारत ने सेशेल्स को समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिये 100 मिलियन डॉलर का कर्ज़ देने की भी घोषणा की।
- असम्पशन द्वीप पर बनने वाला यह नौसैनिक बेस भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा।
- भारत के समर्थन से सेशेल्स पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा।

### असम्पशन द्वीप (Assumption Island)

- असम्पशन द्वीप मेडागास्कर के उत्तर में स्थित सेशेल्स के बाहरी द्वीपों में से एक छोटा-सा द्वीप है। यह सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया से दक्षिण-पश्चिम की ओर 1,135 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- यह 11.6 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ एक कोरल द्वीप है।
- यह द्वीप मोज़ाम्बिक चैनल के बहुत करीब है और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। इसी द्वीप के निकट यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कोरल द्वीप 'एल्डब्रा एटोल' (Aldabra atoll) अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि एल्डब्रा एटोल कोरल द्वीप पर विशालकाय कछुओं (Giant Tortoise) की सर्वाधिक आबादी वास करती है।

### असम्पशन द्वीप भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- रणनीतिक अवस्थिति वाले इस द्वीप पर भारत की सैन्य उपस्थिति होने से दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों और कंटेनरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
- इस सैन्य अड्डे से भारतीय नौसेना को मोज़ाम्बिक चैनल की निगरानी करने और किसी भी तरह की समुद्री डकैती के प्रयासों को विफल करने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के माध्यम से संचालित होता है।
- इससे अन्य देशों को भी नौ-परिवहन सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।
- इस द्वीप से प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और खाड़ी क्षेत्र के मध्य स्थित मुख्य ऊर्जा मार्ग (Energy Route) की चौकसी की जा सकती है।
- साथ ही, इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सकेगा और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सुरक्षा घेरे से संबंधित व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

## भारत और अन्य देशों के बीच महत्त्वपूर्ण एमओयू तथा समझौते

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न देशों के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण समझौतों को मंज़ूरी प्रदान की। इन समझौतों से होने वाले लाभ, इनकी पृष्ठभूमि आदि के विषय में इस लेख में वर्णन किया गया है। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 (भारत और विश्व) के अंतर्गत भारत के इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि उत्तर लेखन में इस प्रकार के समझौतों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो इससे उत्तर अधिक प्रामाणिक हो जाता है।

## भारत और जर्मनी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है। इससे भारत और जर्मनी के बीच विमान परिवहन के क्षेत्र में कारगर विकास होगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है।
    - विमानन सुरक्षा तथा एयर ट्रैफिक प्रबंधन
    - हेलीपोर्ट तथा हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा (एचईएमएस)
    - नियमन तथा नीति
    - कॉरपोरेट तथा व्यवसाय विमानन विकास
    - पर्यावरण
    - प्रशिक्षण और कौशल विकास

## भारत और सिंगापुर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी नियोजन और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति दी है।

### उद्देश्य

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य शहरी विकास के प्रबंधन, संरक्षण एवं अन्य क्षेत्रों में सिंगापुर की एजेंसियों की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिये पालिका निकायों सहित केंद्र और राज्यों की सरकारी एजेंसियों की सहायता करना है।
- जहाँ एक ओर इससे नीति आयोग की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर, इसके कर्मचारी साक्ष्य आधारित नीति लेखन, मूल्यांकन आदि में कौशल संपन्न होंगे। निश्चित रूप से इससे नीति आयोग को और अधिक कारगर ढंग से थिंक टैंक की भूमिका निभाने में मदद मिलेगी।
- समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नियोजन के क्षेत्र में क्षमता सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें शहरी नियोजन, जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, परिवहन प्रणाली आदि का कार्य किया जाएगा।

## भारत और बहरीन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है। दोनों देशों के बीच सहयोग के विवरणों को व्यापक बनाने तथा समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये एक कार्यसमूह का गठन किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये गए हैं:

- प्रकाशनों तथा शोध परिणामों सहित सूचना का आदान-प्रदान।
- देशों के बीच एक-दूसरे के सरकारी अधिकारियों, अकादमिक स्टाफ, विद्वानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों का आवागमन।
- कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भागीदारी।
- निजी क्षेत्र तथा अकादमिक स्तर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- पारस्परिक सहमति से निर्धारित सहयोग का कोई अन्य विषय।

## भारत और इंडोनेशिया

केंद्रीय मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर 29 मई, 2018 को हस्ताक्षर किये गए थे।

समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये गए हैं:

- ज्ञान, टेक्नोलॉजी, क्षमता सृजन सहित संस्थागत सहयोग का आदान-प्रदान।
- रेलवे में रॉलिंग स्टॉक के साथ-साथ सिग्नल और संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
- रेल संचालन प्रबंधन तथा नियमन का आधुनिकीकरण।

नोट :

- अंतर-मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक पार्क तथा माल-भाड़ा टर्मिनलों का विकास।
- निर्माण तथा ट्रैक, पुल, सुरंग, ओवरहेड विद्युतीकरण तथा बिजली सप्लाई प्रणालियों सहित निर्धारित अवसंरचना के लिये रख-रखाव टेक्नोलॉजी।
- दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से सहमत सहयोग के अन्य क्षेत्र।

## भारत और डेनमार्क

### पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल को पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डेयरी विकास एवं संस्थागत सुदृढीकरण के आधार पर मौजूदा ज्ञान का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के लिये पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसके तहत संयुक्त कार्यक्रमों को तैयार करने, सहयोग एवं परामर्श मुहैया कराने और संबंधित कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिये प्रत्येक पक्ष के प्रतिनिधित्व के साथ एक संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूसी) का गठन किया जाएगा।
- डेनमार्क इस भागीदारी के तहत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य एवं डेयरी, चारा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेषज्ञता मुहैया कराएगा ताकि पारस्परिक हित वाले विषयों (जैसे-मवेशी व्यापार सहित भारतीय मवेशियों की उत्पादकता एवं उत्पादन) पर और अधिक बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके।

### विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच हुए समझौते से अवगत कराया गया। भारत और डेनमार्क के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौते पर 22 मई, 2018 को हस्ताक्षर किये जाने से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गए हैं
- इसके हितधारकों में भारत और डेनमार्क के विज्ञान संस्थान, शिक्षाविद, आरएंडडी प्रयोगशालाएँ एवं कंपनियों के अनुसंधानकर्त्ता शामिल होंगे। तात्कालिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा, जल, पदार्थ विज्ञान, किफायती स्वास्थ्य सेवा, कृत्रिम जीव विज्ञान, फंक्शनल फूड एवं समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

### भारत और फ्रांँस

केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फ्रांँस के बीच 10 मार्च, 2018 को हस्ताक्षरित 'मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस मिशन' के तैयार होने से पहले के अध्ययन के लिये इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट (Implementation Arrangement-IA) से अवगत कराया गया।

- इसका उद्देश्य समुद्री यातायात की निगरानी करना और अधिकतम संभावित आवृत्ति के साथ संदिग्ध जहाजों की पहचान करना है। यह निगरानी प्रणाली भारत और फ्रांँस के हितों के संदर्भ में जहाज़ों की निगरानी, पहचान एवं ज़ब्ती के लिये आद्योपांत (In practice) समाधान मुहैया कराएगी।
- इस इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट के तहत भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांँस की ओर से सेंटर नेशनल डेट्यूड्स स्पेशियल्स (Centre national d'études spatiales) विभिन्न गतिविधियों में संयुक्त रूप से भाग लेंगे। इस पर हस्ताक्षर होने के एक साल के भीतर इसे समीक्षा के लिये संबद्ध वरिष्ठ प्रबंधन के पास भेजा जाएगा।

---

# सेशेल्स को एक और डोर्नियर विमान का तोहफा

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने सेशेल्स को एक और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान (Dornier maritime patrol aircraf) उपहार में दिया है, यह विमान द्वीपीय राष्ट्र सेशेल्स की निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिये $ 100 मिलियन की ऋण राशि की घोषणा की जिसके तहत सेशेल्स भारत से सैन्य हार्डवेयर खरीद सकता है। यह निर्णय सेशेल्स की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से लिया गया है।
- इस विमान को Do-228 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited-HAL) द्वारा किया गया है।
- Do-228 विमान को औपचारिक रूप से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डेनी फौरे को सौंपा गया।
- HAL Do-228 विमान सौंपे जाने से जहाँ एक ओर भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग का क्षेत्र और अधिक विकसित, समेकित और विस्तारित होगा, वहीं दूसरी ओर, दोनों देशों के बीच आपसी प्रतिबद्धता और भागीदारी में भी वृद्धि होगी।
- इस विमान के सटीक परिचालन हेतु HAL द्वारा सेशेल्स के पायलट और मेंटेनेंस स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई है।
- मार्च 2015 में किया था वादा
- गौरतलब है कि मार्च 2015 में सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री खतरों से निपटने और हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स की निगरानी क्षमता में वृद्धि करने के लिये दूसरा डोर्नियर विमान उपहार में देने संबंधी घोषणा की थी।
- इससे पहले जनवरी 2013 में भारत ने सेशेल्स को पहला विमान भेंट किया था।
- समुद्री पड़ोसी के रूप में भारत और सेशेल्स निरंतर विकास की राह सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह से अपने समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित करने से जहाँ दोनों देशों की आर्थिक एवं रणनीतिक पहलों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर, इससे दोनों देशों और इनके लोगों की प्रगति व समृद्धि हेतु भी एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार होगा।

### डोर्नियर विमान

- डार्नियर-228 विमान 360 डिग्री वाले निगरानी रडार (surveillance radar) से लैस है। इसके अलावा इसमें फारवर्ड लुकिंग इन्फ्रारेड सिस्टम (Infra-red system), उपग्रह संचार (satellite communication), ट्रैफिक कोलाइजन एण्ड अवायडेंस सिस्टम (traffic collision and avoidance system), एन्हेंस्ड ग्राउंड प्रोक्सीमीटी वार्निंग सिस्टम (enhanced ground proximity warning system) के साथ-साथ अन्य सेंसर भी लगाए गए हैं।
- दो टर्बोप्राप इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल मुख्यतौर पर ईईजेड निगरानी, प्रदूषण निगरानी एवं नियन्त्रण, खोज तथा बचाव अभियानों के साथ-साथ अन्य बचाव कार्यों आदि में भी किया जाता है।
- दो पायलटों वाला यह विमान काफी दूर तक उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही इसके रख-रखाव पर भी काफी कम खर्च आता है।
- यह विमान न केवल सेशेल्स की तटीय निगरानी को मज़बूती प्रदान करेगा बल्कि व्यापक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (Exclusive Economic Zone - EEZ) को प्रभावी बनाने के लिये रणनीतिक गहनता भी प्रदान करेगा।

## एफएटीएफ ने पाकिस्तान के लिये 10 बिंदुओं की योजना बनाई

### चर्चा में क्यों?

फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान को निगरानी सूची (ग्रे-लिस्ट) में रखने के संबंध में फरवरी में लिये गए अपने फैसले को सर्वसम्मति से लागू करने की सहमति व्यक्त की है। इसके दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिये 10-बिंदुओं की कार्य-योजना तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कि फरवरी में आयोजित बैठक में पाकिस्तान को तीन महीने के लिये निगरानी सूची में शामिल करते हुए आतंकी फंडिंग रोकने के लिये जरूरी कदम उठाने की चेतावनी दी गई थी।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- आतंकवाद के खिलाफ विस्तृत कार्य योजना को लागू करने में पाकिस्तान की विफलता के परिणामस्वरूप अगले वर्ष इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

- पाकिस्तान को दूसरी बार ग्रे-सूची में सूचीबद्ध किया गया है। पाकिस्तान को यह निर्देश दिया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों हफीज सईद और मसूद अजहर की आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए, साथ ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और उनके सहयोगी आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए तथा उनके फंडिंग के स्रोतों को बंद करे।

## राजनीतिक प्रतिबद्धता

- FATF के अनुसार पिछले हफ्ते समाप्त हुए पेरिस प्लेनरी में पाकिस्तान ने एंटी-मनी लांड्रिंग और आतंक के विरुद्ध फंडिंग पर लगाम लगाने हेतु वैश्विक निगरानी और एशिया प्रशांत समूह (जिसका वह एक सदस्य है) के साथ काम करने के लिये उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई थी।

## उपचारात्मक उपाय

- पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने होंगे कि आतंकवाद के फंडिंग संबंधी जोखिमों की पहचान कर ली गई है और जोखिम की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्यवेक्षण कर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- उसे यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि वित्तीय संस्थानों को मनी लांड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण में शामिल होने से रोकने के लिये उसकी तरफ से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।
- पाकिस्तान को अवैध वित्तीय परिचालनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, नकदी हस्तांतरण की पहचान करनी होगी और मुद्रा के अवैध संचलन पर नियंत्रण पाना होगा।
- एफएटीएफ ने सभी नामित आतंकवादियों और उनके लिये कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों (एक व्यापक कानूनी दायित्व द्वारा समर्थित) के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की है।

## क्या है FATF?

- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) 1989 में इसके सदस्य देशों द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
- इसका उद्देश्य मनी लांड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिये कानूनी, नियामकीय और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- अतः FATF "नीति बनाने वाला निकाय" है जो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय, विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने का काम करता है।
- इसमें 37 स्थायी सदस्य हैं। इज़राइल और सऊदी अरब पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं।

नोट :

# विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

## सेल थेरेपी को बढ़ावा देने के लिये नई स्टोरेज तकनीक

### संदर्भ

यूके स्थित कंपनी एटेलिक्स ने एक तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो सामान्य तापमान पर कोशिकाओं को स्टोर करने और गतिशील बनाने में मदद करती है तथा इन कोशिकाओं को अच्छी तरह से एक एल्गिनेट जेल (Alginate gel) के रूप में पैक किया जा सकता है। एल्गिनेट भूरे रंग के समुद्री शैवाल से प्राप्त एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बहुलक है। खाद्य, रासायनिक और जैव चिकित्सा क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।

### रूपांतरित प्रौद्योगिकी (Transformative Technology)

- यह तकनीक मानव स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विस्तृत रूप से प्रयोग में आने वाली सेल थेरेपी की उम्मीदों को बढ़ाने के साथ स्टेम कोशिकाओं सहित जीवनरक्षक कोशिकाओं को स्टोर करने और उन्हें गतिशील बनाने में मदद करती है।
- वर्तमान में क्रायोशिपिंग (Cryoshipping) (शून्य या बहुत कम तापमान का उपयोग करके) कोशिकाओं को विभिन्न स्थानों पर संरक्षित और गतिशील करने के लिये आवश्यक है।
- एटेलेरिक्स (atelerix) जो कि न्यूकैस्टल (Newcastle) यूनिवर्सिटी का एक स्टार्ट-अप है, ने एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट (LVPEI), हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिये रूपांतरित प्रौद्योगिकी के एक हिस्से के रूप में करार किया है।
- LVPEI को इस करार से आँखों की कॉर्निया से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये स्टेम सेल आधारित थेरेपी का उपयोग कर इस समस्या को दूर किये जाने की उम्मीद है।

### इस तकनीक से कॉर्निया संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे होगा?

- भारत में कॉर्निया संबंधी अंधापन से पीड़ित लगभग 1,30,000 लोग हैं जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए रोगी जुड़ जाते हैं।
- इस बीमारी के 30 प्रतिशत मामलों में दोनों आँखें एक साथ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस रोग से बच्चे भी प्रभावित होते हैं।
- वर्तमान में देश में कॉर्निया प्रत्यारोपण ही इस रोग का उपयुक्त इलाज है।
- यद्यपि सर्जरी काफी तीव्र और सरल ढंग से होती है लेकिन इसमें जीवन भर प्रतिदिन आवश्यक इम्मुनोसप्रेसेंट आईड्राप (immunosuppressant eyedrops) के साथ उच्च स्तर पर देखभाल किये जाने की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से रोगी इसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं कर पाते।
- LVPEI कॉर्निया संबंधी समस्याओं के इलाज के लिये एक स्टेम सेल उपचार विकसित कर रहा है जिसके चिकित्सीय परीक्षणों से बहुत उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।

### पृथक् की गई कोशिकाओं की जीवन अवधि (shelf life)

- वर्तमान में चिकित्सक केवल हैदराबाद में मरीजों का इलाज कर सकते हैं जहाँ क्लिनिक आई बैंक के नज़दीक स्थित है जिससे वे कोशिकाओं को पृथक् करते हैं और उन्हें cGMP सुविधा में संवर्द्धित (Culture) करते हैं।
- इन पृथक् कोशिकाओं की जीवन अवधि 6-8 घंटे होती है जो कोशिकाओं को देश के अन्य हिस्सों या अन्य क्षेत्रीय केंद्रों या उनके कई छोटे केंद्रों में ले जाना असंभव बनाती है।
- इस पृष्ठभूमि में एटेलेरिक्स तकनीक 5 दिनों तक कोशिकाओं की जीवन अवधि को बढ़ाने में मदद कर सकती है जिससे उपचार के दायरे में काफी सुधार हो सकता है।

नोट :

### निष्कर्ष

- अपनी दृष्टि खो चुके दुनिया भर में लाखों लोगों की दृष्टि हासिल करने में मदद के लिये यह करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- यह करार आँखों के सेल थेरेपी तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कई अन्य आधुनिक उपचारों की खोज में सफलता हासिल की जा सकती है।

## रूस के साथ भारत का एस-400 रक्षा सौदा

### संदर्भ

रूस में विकसित एस-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रक्षेपात्र प्रणाली की खरीद करने की भारत की महत्त्वाकांक्षा वैश्विक रणनीतिक जटिलताओं के रूप में दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि इसके खरीद की सभी औपचारिकताएँ अंतिम दौर में हैं।

### एस-400 रक्षा सैन्य प्रणाली

- एस-400 एक जटिल सैन्य प्रणाली है जिसमें कई रडार, कमांड पोस्ट, विभिन्न प्रकार के मिसाइल और लांचर शामिल हैं जो कई दर्जन की संख्या में आ रही वस्तुओं को सैकड़ों किलोमीटर दूर एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, एक सेकेंड के भीतर काउंटर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और उन्हें बड़ी दक्षता के साथ शूट कर सकते हैं।
- साथ ही यह एक साथ 26 लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। आसमान में ही लक्ष्यों को भेदने वाले एस-400 ट्रायम्फ मिसाइलों की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है।
- एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली एस-400 खरीदने के बाद चीन या पाकिस्तान की ओर से किसी मिसाइल हमले की स्थिति में भारत मुँहतोड़ जवाब दे सकेगा।

### रणनीतिक दृष्टिकोण

- अपनी उन्नत क्षमताओं के कारण इस हथियार प्रणाली ने सीरिया, सऊदी अरब, कतर, चीन तथा पड़ोसी देशों सहित दुनिया भर में चल रहे स्टैंड-ऑफ (stand-off) के लिये एक नया रणनीतिक कोण जोड़ा है।
- रक्षा मंत्रालय सुरक्षा पर बनी कैबिनेट कमेटी (CCS) के समक्ष एस-400 सिस्टम के लिये खरीद प्रस्ताव पेश करने के लिये तैयार है।
- अधिकारियों का मत इस बात पर विभाजित है कि क्या नई दिल्ली संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों और चेतावनियों के बावजूद सौदे को आगे बढ़ाएगी।
- उन्होंने यह भी कहा है कि इससे अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- सरकारी सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली और मॉस्को ने वार्ता का निष्कर्ष निकाल लिया है और 5.5 अरब डॉलर के सौदे के लिये सीसीएस नोट तैयार किया जा रहा है।
- इस समझौते पर अक्टूबर में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है।
- लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मिलिट्री एयरोस्पेस के सीनियर फेलो डगलस बैरी ने कहा है कि इस सौदे पर चिंताएँ आंशिक रूप से तकनीकी और आंशिक रूप से राजनीतिक हैं।
- एस-400 (एसए -21 ग्रोलर), जब उचित रूप से संचालित किया जाता है, तो यह एक शक्तिशाली लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली एयर मिसाइल प्रणाली बन जाता है।
- हालाँकि, सबसे प्रभावी होने के लिये इसे अन्य वायु रक्षा प्रणालियों और घटकों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रडार।
- हालाँकि, इनमें से कुछ को यू.एस. या संभावित रूप से अन्य पश्चिमी देशों से खरीदा गया है, जहाँ सुरक्षा चिंताओं के कारण रडार सहित अन्य प्रभावी उपकरणों के एकीकरण के आवश्यक स्तर संभव नहीं होगा।

- हाल के दिनों में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के प्रस्ताव पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके अन्य घटकों के एकीकरण पर कोई संशय नहीं है।
- भारत अमेरिका के साथ अधिक प्रौद्योगिकी साझाकरण और सह-उत्पादन करना चाहता है।
- मुद्दा यह है कि यदि अमेरिका अधिक तकनीक प्रदान करता है और भारत एस-400 खरीदता है, तो इससे चिंताएँ और बढेंगी।
- इससे न सिर्फ भारत-अमेरिका-रूस के आपसी संबंध प्रभावित होंगे बल्कि एस-400 एक विवादित मुद्दा बन जाएगा।
- पिछले सप्ताह यह खबर सामने आई थी कि यदि पड़ोसी देश कतर रूस से एस-400 हासिल करने के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ता है तो सऊदी अरब उसपर सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
- खतरा किंग सलमान और फ्राँसीसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत का हिस्सा है।
- आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के कारण कतर पहले से ही अन्य खाड़ी देशों द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों को झेल रहा है।
- सीरियाई युद्ध क्षेत्र में एस-400 की तैनाती और तुर्की के उन्हें हासिल करने की ओर बढ़ने से जटिल वैश्विक परिदृश्य में नए आयाम जुड़ गए हैं।

# छोटे तथा बड़े वन्यजीवों की सुरक्षा

## संदर्भ

केंद्र सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रस्तावित संशोधनों के लिये राज्यों से इनपुट इकट्ठा कर रही है। अधिनियम में कुछ ऐसी अनुसूचियाँ हैं जो देश की जैव विविधता की विशालता को समझने के लिये पर्याप्त प्रतीत नहीं होती। इन अनुसूचियों पर विचार-विमर्श में राज्यों को काफी हद तक नज़रअंदाज किया गया है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीव अधिनियम की छः अनुसूचियों के अंतर्गत वन्यजीवों की सुरक्षा की विभिन्न कोटियों में दिये गए प्रजातियों की संख्या का विस्तार किया गया है।
- 1972 में कुल 184 जीवों को इन अनुसूचियों में शामिल किया गया था जिनमें वर्तमान में कशेरुकीय, अकशेरुकीय और पौधों समेत कुल 909 प्रविष्टियाँ दर्ज की गई हैं जो अभी भी अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
- इन अनुसूचियों में जीव-जंतुओं को शामिल करने या उन्हें बाहर करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है।
- ये अनुसूचियाँ महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अवैद्ध शिकार के विरुद्ध नियमों और यहाँ तक कि आवास संरक्षण को भी निर्धारित करती हैं, क्योंकि वन भूमि को अलग करना उन क्षेत्रों में मुश्किल है जहाँ बेहतर संरक्षित प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

## अनुसूची में असंगतताओं की अधिकता

- क्रिसमोन रोज़ (crismon rose), एक रंगीन तितली जो व्यापक रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है, को बाघ की श्रेणी में संरक्षित किया गया है।
- वहीं धारीदार लकडबग्घा (hyena) को अनुसूची III में जंगली सुअर या भौंकने वाले हिरण की "कम चिंता वाली" (least concern) प्रजातियों के साथ रखा गया है।
- भारत की लुप्तप्राय मछलियों की 659 प्रजातियों में से अधिकांश का उल्लेख अनुसूची में नहीं मिलता है, जबकि तितली की कुछ प्रजातियों का उल्लेख किया गया है।
- फ्रूट चमगादड़ (fruit bats) सहित चमगादड़ की 128 प्रजातियों को परागण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद हानिकारक और नुकसान पहुँचाने वाले जीवों के रूप में माना गया है।

## इन असंगतताओं के होते हुए क्या अखिल भारतीय सूची की आवश्यकता है ?

- पर्यावरणविदों के अनुसार जो देशज है वह दुर्लभ नहीं हो सकता और जो कहीं भी व्यापक रूप से पाया जाता है वह लुप्तप्राय हो सकता है।

नोट :

- जीव-जंतुओं के असंख्य परिदृश्य में सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हुए राज्यों के मत को अंतिम रूप से महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये।
- उदाहरण के लिये अंडमान और निकोबार द्वीपों में पारिस्थितिकीविदों की दुविधा यह है कि यहाँ अंग्रेज़ों ने एक शताब्दी पहले हिरण और हाथियों की प्रजातियों का प्रवेश कराया था।
- इन दो संरक्षित प्रजातियों (जिन्हें अनुसूची I और III में रखा गया है) ने देशी वनस्पतियों की संख्या को बड़े पैमाने पर कम किया है तथा अन्य देशी जीवों और वनस्पतियों के लिये खतरा उत्पन्न किया है।
- विधिवत संरक्षण, मूल्य रैंक, स्थानीय आवास नुकसान, सांस्कृतिक महत्त्व, आबादी में गिरावट और स्थानीय शोध जैसे पैरामीटर को शामिल करते हुए सूची को लगातार अद्यतन किये जाने की ज़रूरत है तभी इस केंद्रीय कानून का उद्देश्य साकार हो सकेगा।
- संशोधनों को मूर्तरूप देने में राज्यों के विचारों को अहमियत देना इस कानून के उद्देश्यों के लिये निहायत ज़रूरी है।
- यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय एंबोली टॉड के अतिरिक्त अन्य जीवों को संरक्षित करने का सबसे आसान तरीका हो सकता है, जो वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।

# 100 अरब रुपए से अधिक की इसरो परियोजनाओं को मंज़ूरी

## चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle -PSLV) के छठे चरण तथा जीएसएलवी एमके-III निरंतरता कार्यक्रम के प्रथम चरण को वित्तीय सहायता देने हेतु मंज़ूरी दी है।

### ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान

- PSLV, विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमोचन वाहनों (Launch vehicles) में से एक है।
- यह गत 20 वर्षों से भी अधिक समय से अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है। इसने चंद्रयान-1, मंगल ओर्बिट मिशन (Mars orbits mission), स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपरिमेंट Space capsule recovery experiment), भारतीय क्षेत्रीय दिशा-निर्देशन उपग्रह प्रणाली (Indian Regional Navigation Satellite System-IRNSS) आदि जैसे अनेक ऐतिहासिक मिशनों के लिये उपग्रहों का प्रमोचन किया है।

### ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 PSLV परिचालन प्रक्षेपण को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंज़ूरी दी गई है। इसके लिये कुल 6,131 करोड़ रुपए के कोष की आवश्यकता है।
- यह कार्यक्रम पृथ्वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिये उपग्रह के प्रक्षेपण की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। इससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में उत्पादन भी जारी रहेगा।

### प्रमुख प्रभाव

- PSLV के परिचालन से देश पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिये उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता में आत्मनिर्भर बना है।
- PSLV को जारी रखने के कार्यक्रम से राष्ट्रीय ज़रूरतों के अधिक उपग्रह प्रक्षेपण में क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- PSLV को जारी रखने के कार्यक्रम के छठे चरण के दौरान अधिकतम भारतीय उद्योग की भागीदारी से प्रतिवर्ष आठ प्रक्षेपण करने की उपग्रह प्रक्षेपण की मांग पूरी होगी। 2019-2024 की अवधि के दौरान सभी परिचालन अभियान संपन्न हो जाएंगे।
- PSLV जारी रखने का कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं तथा 2019-20 के पहले छह माह तक पाँचवें चरण के संपन्न होने की आशा है।
- छठे चरण की मंज़ूरी से 2019-20 से 2023-24 के पहले तीन माह के दौरान उपग्रह प्रक्षेपण अभियान में मदद मिलेगी।

### पृष्ठभूमि

- PSLV सन-सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (Sun-Synchronous Polar Orbit - SSPO), जीयो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Geo-synchronous Transfer Orbit - GTO) और लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit - LEO) प्रक्षेपण अभियान में बहुपयोगी प्रक्षेपणयान (versatile launch vehicle) के रूप में उभरा है।
- हाल ही में 12 अप्रैल, 2018 को PSLV-C41 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही PSLV ने तीन विकास और 43 परिचालन प्रक्षेपण संपन्न किये हैं तथा पिछले 41 प्रक्षेपण भी सफल रहे हैं।
- PSLV ने अपनी उत्पादन क्षमता से स्वयं को राष्ट्रीय उपग्रह के लिये कार्य-यान के तौर पर स्थापित किया है, जिससे व्यावसायिक प्रक्षेपण के अवसरों पर तेज़ी से कार्य किया जा सकेगा।

### जियो-सिंक्रोनस (भू-समकालिक) उपग्रह प्रक्षेपण वाहन मार्क-III [Geo-synchronous Satellite Launch Vehicle Mark-III (GSLV Mk-III)]

- जीएसएलवी एमके-III निरंतरता कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिये वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी गई है, इसमें 10 GSLV Mk-III उड़ानें शामिल हैं तथा इनकी कुल अनुमानित लागत 4338.20 करोड़ रुपए है।
- इस 4338.20 करोड़ रुपए में दस GSLV Mk-III वाहन, आवश्यक सुविधा वृद्धि, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान की लागत भी शामिल है।

### जीएसएलवी एमके-III

- यह तीन चरण वाला वाहन है जिसे जीटीओ में भारी संचार उपग्रह ले जाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- 43.498 मीटर की कुल ऊँचाई और 4 मीटर के कोर व्यास के साथ वाहन का द्रव्यमान 640 टन है।
- वाहन पर दो ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर्स-एस200, एक कोर द्रव बूस्टर चरण–एल 110, और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण-सी25 है। भारी पेलोड को समायोजित करने के लिये इसमें 5 मीटर व्यास के ओगिव आकार की पेलोड फेअरिंग (ogive shaped payload fairing) की गई है।

### प्रमुख बिंदु

- GSLV Mk-III निरंतरता कार्यक्रम-चरण 1 परिचालन उड़ानों का पहला चरण है जो देश की उपग्रह संचार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 4 टन वर्ग के संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षमता प्रदान करेगा।
- GSLV Mk-III के परिचालन से 4 टन संवर्ग के संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होने के कारण देश आत्मनिर्भर हो जाएगा और जिससे यह हमारे देश के अंतरिक्ष के बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने, इसे मज़बूत करने तथा विदेशी प्रक्षेपण पर निर्भरता को कम करने में मददगार साबित होगा।
- GSLV Mk-III निरंतरता कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये उच्च प्रवाह उपग्रहों की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने, डीटीएच, वीसैट और टेलीविज़न प्रसारणकर्त्ताओं के लिये ट्रांसपोंडर की उपलब्धता को बढ़ाने तथा बनाए रखने हेतु संचार उपग्रहों की प्रक्षेपण आवश्यकता को पूरा करेगा।
- GSLV Mk-III प्रक्षेपण वाहन की परिचालन उड़ानों का पहला चरण होगा और इसकी मंज़ूरी से 2019-2024 की अवधि के दौरान यह उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।

### पृष्ठभूमि

- GSLV Mk-III को जीटीओ (Geosynchronous Transfer Orbit - GTO) में उपग्रहों के 4 टन वर्ग में प्रक्षेपित करने के लिये विकसित किया गया है।
- इसने 2014 में एक प्रयोगात्मक उड़ान (experimental flight) LVM3-X और 2017 में एक विकास उड़ान (developmental flight) GSLV MkIII-D1 को पूरा कर लिया है।
- दूसरी विकास उड़ान को इस वर्ष 2018 के जुलाई-सितंबर में पूरा किया जाएगा।

नोट :

- निरंतरता कार्यक्रम-चरण 1 संचार उपग्रहों के 4 टन वर्ग के लिये अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुँच में सक्षम कर देगा।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ प्रक्षेपण सेवाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी वाणिज्यिक क्षमता को बढ़ावा देने हेतु संचार उपग्रहों के 4 टन वर्ग प्रक्षेपण में GSLV Mk-III एक लागत प्रभावी वाहन के रूप में स्थापित होगा।

## भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बढ़ता नेतृत्व

### चर्चा में क्यों ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। सरकार पिछले चार वर्षों के दौरान समग्र वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का काम करती रही है। इसमें प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और स्टार्टअप के लिये स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सक्षम बनाने के लिये अनुवाद अनुसंधान हेतु प्रभावशाली बुनियादी शोध की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि शामिल है।

### महत्त्वाकांक्षी मिशनों को लॉन्च करने की तैयारी

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, हमारा विज्ञान अब पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु, कृषि, खाद्यान के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने के लिये काम कर रहा है।
- भारत साइबर भौतिक प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, गहरे समुद्र, बायोफार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में भविष्य में महत्त्वाकांक्षी मिशन लॉन्च करने के लिये तैयार हो रहा है, जो हमें तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बना देगा।

### हर क्षेत्र में विज्ञान का बढ़ता योगदान

- सरकार ने विज्ञान को हमारी राष्ट्रीय ज़रूरतों, अवसरों और प्राथमिकताओं से भी जोड़ा है, जो मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत जैसे राष्ट्रीय मिशनों में दिखाई देता है।
- सरकार उद्योग, शिक्षा के साथ नया और मज़बूत संपर्क बनाने पर भी बल दे रही है।

### उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विश्व में सर्वश्रेष्ठ के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सहयोग हमारे वैज्ञानिक समुदाय और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को काफी लाभ प्रदान करेगा। पिछले चार वर्षों के दौरान हुए कुछ उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हैं:

- भारत देश में डिटेक्टर स्टेशन की स्थापना के लिये समझौते के साथ गुरुत्वाकर्षण लहर पहचान के लिये LIGO परियोजना में भागीदारी और भारत का CERN का सहयोगी सदस्य राज्य बनना।
- भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार निधि आदि।

### विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में निवेश पिछले पाँच वर्षों यानी 2009-10 से 2013-14 की तुलना में पिछले चार वर्षों के दौरान 2014-15 से 2018-19 में बढ़ा है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बजट आवंटन 19,764 करोड़ रुपए रहा जो 90% अधिक है।
- इसी तरह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिये आवंटन में 65% की वृद्धि हुई।
- CSIR के लिये निवेश में लगभग 43% की वृद्धि और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिये 26% की वृद्धि हुई।

### पिछले चार वर्षों की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उद्योग क्षेत्र को 800 से अधिक प्रौद्योगिकियों का अंतरण।
- अंतरमंत्रालयी प्रयोगशालाओं एवं अंतरमंत्रालयी संस्थानों के बीच एक नया संयोजन स्थापित किया गया है।
- वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं लगातार रेलवे, भारी उद्योग, शहरी विकास, रक्षा, पीने का पानी एवं स्वच्छता, बिजली, कोयला एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसी कई सरकारी एजेंसियों के समस्या-समाधान के लिये हब बनती जा रही हैं।

नोट :

- साइबर-भौतिक प्रणालियों के मिशन पर इस वर्ष की बजट घोषणा अनुप्रयोग विज्ञान का एक ऐसा ही उदाहरण है।
- सुपर कंप्यूटिंग, एरोमा, सिकल सेल एनीमिया एवं बायोफॉर्मा पर मिशन आधारित परियोजनाएँ अनुप्रयोग एवं समाधान विज्ञान पहलों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

## फसल उत्पादकता में सुधार

- फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिये कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्ति का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वर्तमान में 24 मिलियन किसानों को कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी परामर्श उपलब्ध कराता है, जो जुलाई, 2018 तक बढ़कर 40 मिलियन तक पहुँच जाएगा।
- समय पर उपलब्ध मौसम संबंधी सूचना ने कृषि कार्यकलापों में सहायता की है, जिसका परिणाम राष्ट्रीय जीडीपी पर 50,000 करोड़ रुपए के एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव के रूप में सामने आया है।

## मौसम एवं समुद्र पूर्वानुमान सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार

- पिछले चार वर्षों के दौरान मौसम एवं समुद्र संबंधी पूर्वानुमान सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- 01 जून, 2018 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संभाव्यता प्रखंड स्तर मौसम पूर्वानुमान सृजित करने के लिये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में एक इन्सेम्बल मौसम पूर्वानुमान प्रणाली (Ensemble Weather Prediction system ) आरंभ की।
- यह मंत्रालय द्वारा 6.8 पेटा फ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता के साथ नये सुपर कंप्यूटरों 'प्रत्यूष' एवं 'मिहिर' की खरीद के कारण संभव हो पाया है।
- इसी प्रकार की सूचना मछलियों की उपलब्धता पर संभावित मत्स्य-ग्रहण क्षेत्र के बारे में देश के मछुआरों को उपलब्ध कराई गई है।
- ये परामर्श प्रतिदिन चार लाख से अधिक उपयोगकर्त्ताओं तक पहुँचते हैं, जिनमें पिछले चार वर्षों के दौरान चौगुनी बढ़ोतरी हुई है।

## पाला प्रतिरोधी उन्नत सांबा महसूरी चावल

- CSIR, DBT एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक संयुक्त अनुसंधान के तहत उन्नत किस्म के सांबा महसूरी चावल का विकास किया गया है जो पाला प्रतिरोधी है, जिसकी खेती अब सात राज्यों के 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है।
- चावल की यह किस्म निम्न ग्लाइसेमिक सूचकांक के तहत आती है, जो परीक्षण किये गए चावल की किस्मों के न्यूनतम मूल्य के अंतर्गत है और साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिये बेहद उपयुक्त मानी जाती है।
- CSIR ने केमिकल इंटरमीडियरी एवं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रिडियेंट (API) के विकास के लिये मिशन-मोड में एक परियोजना आरंभ की है, जिससे विशेष रूप से चीन से होने वाले आयातों पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी।

## स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर ज़ोर

- भारत जैव ईंधन के उपयोग को कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- CSIR ने कई स्वदेशी तकनीकें विकसित की हैं। जैसे – कोयला डस्ट संग्रहण और ब्रिकेटिंग प्रणाली, सौर ऊर्जा, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सेल आदि।
- भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र (दूसरी पीढ़ी) का आधिकारिक रूप से अनावरण किया गया है और वाणिज्यिक स्तर पर बायोमास एथेनॉल संयंत्रों को स्थापित करने के लिये इसे भारत पेट्रोलियम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को हस्तांतरित किया गया है।
- स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 23 देशों के मिशन इनोवेशन नेटवर्क में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा इन्क्यूबेटर की घोषणा की है।

## सुरक्षित पेयजल के लिये कार्यक्रम

देश के कई क्षेत्र जल संकट झेल रहे हैं और पानी की खराब गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं। मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में सस्ती दर पर सुरक्षित पेयजल के लिये कई कार्यक्रमों की शुरूआत की है। इसके लिये स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है।

नोट :

### स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में विस्तार

- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने केवल डीएसटी मद के आवंटन में पाँच गुना वृद्धि की है।
- मंत्रालय ने 5000 स्टार्ट-अप और 200 इन्क्यूबेटर को सहायता प्रदान की है।
- इसके अलावा, छठी से दसवीं कक्षा के स्कूली बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय ने 'मनक-MANAK' (Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge) कार्यक्रम लॉन्च किया है।

### क्षमता निर्माण में वृद्धि

- विज्ञान व तकनीक मानव संसाधन अनुसंधान तथा विकास के आधार हैं। पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने वैज्ञानिकों, शिक्षकों, युवा शोधकर्मियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करने का प्रयास किया है।
- तीन वर्षों से कम अवधि में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़कर दोगुना हो गया है।
- स्कूल स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक मंत्रालय ने 11 लाख लोगों को सहायता प्रदान की है।
- युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिये विज्ञान व तकनीकी विभाग ने कई योजनाओं की शुरुआत की है।
- मंत्रालय विदेशों में बसे भारतीय मूल के 600 प्रमुख वैज्ञानिकों को देश में वापस लौटाने के कार्य में सफल हुआ है।

## डिजिटल क्रांति की ओर भारत

### संदर्भ

डिजिटल पहलों, जैसे- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ई-स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन की सहायता से भारत में डिजिटल क्रांति लाकर व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसने इस दिशा में कठिन समय और बाधाओं के बावजूद अपना रास्ता कभी धीरे-धीरे तो कभी त्वरित गति से कुशलतापूर्वक तय किया है। 2014 से डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और 'स्मार्ट सिटीज' जैसे अनेक नीतिगत उपायों की शुरुआत की गई है, जबकि नौकरशाही, लालफीताशाही को हटाने और देश में अधिक निवेशक-अनुकूल माहौल बनाने के लिये सार्थक प्रयास किये गए हैं।

### डिजिटल क्रांति की दिशा में सार्थक प्रयास

- डिजिटल क्रांति की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किये गए हैं जिनमें से अधिकांश का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक विकास में तेज़ी लाना और विश्वसनीय नेटवर्क, इष्टतम कनेक्टिविटी तथा क्लाउड जैसे डिजिटल हस्तक्षेपों सहित कुशल प्रौद्योगिकियों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से परिवर्तन लाना था।
- भारत का जीडीपी 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर पर वापस लौटने के साथ एक बार फिर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है।
- भारत डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है जो ई-भुगतान, ई-स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, कृषि, वित्तीय समावेशन, भौगोलिक मानचित्रण, ग्रामीण विकास, सामाजिक लाभ कार्यक्रम, भाषा स्थानीयकरण आदि जैसे क्षेत्रों में रूपांतरित परिवर्तनों को प्रेरित कर रहा है।
- क्लाउड प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने से हमारी डिजिटल गति में महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाई दिया है।
- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों में क्लाउड और अन्य डिजिटल हस्तक्षेपों को पहले से ही आधुनिक और समावेशी राष्ट्र बनाने में मदद के लिये अपनाया गया है।
- क्लाउड भारत जैसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये स्पष्ट रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह महँगी प्रौद्योगिकी की बाधाओं को दूर करने, छोटे व्यवसायों, स्टार्ट-अप और गैर-लाभकारी संगठनों को प्रोत्साहित करते समय नई सेवाओं और उत्पादों के लिये अवसर पैदा करने में मदद करता है।
- इसके अलावा, यह अकादमिक, व्यापारिक दुनिया, गैर-सरकारी संगठनों और भारतीय जनसामान्य के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को सक्षम बनाता है जिससे हमारे किसान, ग्रामीण उद्यमी और कारीगर सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।
- आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी नई और उभरती हुई तकनीकें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश कर रही हैं।

नोट :

- मोबाइल संचार, स्मार्ट फोन और एप्स को अपनाने के साथ, नई तकनीक को गले लगाने के लिये भारत ने अधिक परिपक्व बाज़ारों में छलांग लगा दी है।
- हमने नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में भी महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- इसके अलावा, भारत बौद्धिक पूंजी का एक सतत् स्रोत रहा है, खासकर प्रौद्योगिकी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी मेक इन इंडिया के माध्यम से मज़बूती आई है।
- देश भर में भारतीय इंजीनियर अगली पीढ़ी के सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं जो कि दुनिया के कुछ सबसे सफल और अभिनव व्यवसायों और विचारों को बल प्रदान करता है।

### चुनौतियों का विस्तार

- जिस प्रकार भारत एक विशाल देश है और यहाँ व्यापक रूप से भौगोलिक विविधता दिखाई देती है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसी अनुपात में चुनौतियों का विस्तार भी हुआ है।
- हालाँकि हमारी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता पाई है और नागरिकों के सामूहिक संकल्प ने बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है।
- मध्यकाल में तुलनात्मक दृष्टि से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था औसत रही है लेकिन सदियों से हमारा श्रमबल महत्त्वपूर्ण संपत्ति रहा है।
- जैसे-जैसे हमारी काम करने की उम्र बढ़ती जाएगी, यह बचत और निवेश को बढ़ाएगी और हमारी आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को और मज़बूत करेगी।
- एक युवा और विविधता से परिपूर्ण श्रमबल भी अधिक नवप्रवर्तनशील (innovative) मस्तिष्क का साधन होता है।
- इसलिये भारत को प्रभावी रूप से लोगों को सिखाने और प्रशिक्षित करने, उनकी क्षमता बढ़ाने और अपनी उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ लेना चाहिये।
- भारत की विविधता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिये अवसर पैदा कर रही है और भारत के कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में भारत के युवा छात्रों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश को जारी रखना चाहिये।
- एक अन्य प्रेरक बल शहरी क्षेत्रों में जन प्रवास है। इसने बुनियादी ढाँचे, विशेष रूप से सड़कों, परिवहन, भवनों और अगली पीढ़ी के लिये डिजिटल बुनियादी ढाँचे की बड़ी मांग निर्मित की है।
- तेज़ी से विकास करती हुई परस्पर संबद्ध अर्थव्यवस्था में भारत के शहर हॉटस्पॉट बन जाएँगे जो विकास को आगे बढ़ाएँगे और अपने चारों ओर उद्योगों की एक नई पीढ़ी पैदा करेंगे।
- क्लाउड प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने से हमारी डिजिटल गति को बढ़ाने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों में क्लाउड और अन्य डिजिटल हस्तक्षेपों को पहले से ही आधुनिक और समावेशी राष्ट्र बनाने में मदद के लिये अपनाया गया है।

### आगे की राह

- सभी विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण इंजन बनने के लिये जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ता जाएगा हम वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिये एक परिवर्तनीय अवसर के कगार पर होंगे।
- यह हमारे लोगों के लिये वास्तविक परिवर्तन लाने और भारत को एक सच्चे विश्व नेता बनाने के लक्ष्य पर दृढ़ता के साथ मिलजुल कर सहयोगपूर्ण निर्णय लेने का समय है।

## कैंसर से बचने के लिये विटामिन D का कवच

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन, अमेरिका के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन में कहा गया है कि विटामिन D का उच्च स्तर स्तन कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है।

### कैसे किया गया अध्ययन?

- महिला स्तन कैंसर के खतरे और 25-हाइड्रोक्सीविटामिन D -25 (OH)D - सांद्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच संबंध की जाँच करने के लिये वैज्ञानिकों ने 3,325 संयुक्त प्रतिभागियों के साथ-साथ दो यादृच्छिक नैदानिक परीक्षणों से डेटा एकत्र किये।

### परिणाम

- शोधकर्त्ताओं ने रक्त प्लाज़्मा में 25 (OH)D के न्यूनतम स्वस्थ स्तर (60 नैनोग्राम प्रति मिलिलिटर) की पहचान की है, जो कि 20 नैनोग्राम/मिलीलीटर के पिछले चिकित्सकीय मानक से काफी अधिक है।
- उन प्रतिभागियों में जिनमें 25(OH)D का स्तर 60 नैनोग्राम/मिलीलीटर से अधिक था, में स्तन कैंसर का खतरा 20 नैनोग्राम/मिलीलीटर स्तर वाले प्रतिभागियों की तुलना में पाँच गुना कम था।
- विटामिन D सीरम के उच्च स्तर के साथ ही कैंसर का खतरा कम होना पाया गया।

### पूर्व के अध्ययनों से संबंध

- अध्ययन पिछले महामारी विज्ञान अनुसंधान पर विटामिन D की कमी से होने वाले स्तन कैंसर के उच्च जोखिम से जुड़ा हुआ है।
- महामारी विज्ञान के अध्ययन स्वास्थ्य और बीमारी का वितरण तथा निर्धारकों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन इन बीमारियों के ज़रूरी कारण और प्रभाव को सिद्ध नहीं करते हैं।

### विटामिन D : एक दीर्घकालिक रक्षक

- शोध में शामिल वैज्ञानिकों ने विटामिन D के दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों का समर्थन किया है।
- 1980 में एक प्रभावशाली शोध प्रकाशित किया गया था जिसके अनुसार विटामिन D (धूप से संपर्क के माध्यम से शरीर द्वारा उत्पादित) और कैल्शियम (जो शरीर को विटामिन D अवशोषित करने में मदद करता है) एक साथ मिलकर कोलन कैंसर के खतरे को कम करते हैं।

### विटामिन D की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा

- 60 नैनोग्राम/मिलीलीटर के 25 (OH)D स्तर तक पहुँचने के लिये आमतौर पर प्रति दिन 4,000 से 6,000 (IU) आहार संबंधी अनुपूरक की आवश्यकता होती है इसके साथ ही कम-से-कम कपड़ों में सूर्य का धूप लेने की आवश्यकता होती है (लगभग 10-15 मिनट प्रति दोपहर में)।

### विटामिन D की मौज़ूदा निर्धारित मात्रा

- नेशनल एकेडमी ऑफ़ मेडिसिन, अमेरिका के अनुसार, वर्तमान में विटामिन D3 की अनुसंशित मात्रा 1 वर्ष तक के बच्चों के लिये 400 IU, 1 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वालों के लिये 600 IU (जिसमें गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएँ भी शामिल हैं) तथा 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिये 800 IU है।

### निष्कर्ष

- यह अध्ययन पश्च रजोनिवृत्ति (postmenopausal) स्तन कैंसर तक ही सीमित था।
- यह शोध मुख्य रूप से श्वेत महिलाओं पर आधारित था इसलिये आगे अन्य जातीय समूहों पर अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन अधिगम कौशल के साथ भावी चुनौतियों की तैयारी

### चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU) और अमेज़ॉन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AISPL) ने एक सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये है।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य अमेज़ॉन वेब सर्विसेज़ (AWS) के शैक्षणिक तक पहुँच सुनिश्चित करके क्लाउड-रेडी रोज़गार कौशल (Cloud-Ready Job Skills) विकसित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence -AI) तथा मशीन अधिगम (Machine Learning -ML) पर एक क्लाउड रिसर्च लैब की स्थापना में आवश्यक मदद करना है।

नोट :

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है- कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता।
- इसके ज़रिये कंप्यूटर या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार, यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने की विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात् मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह बौद्धिक ढंग से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।
- यह इस बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है।

## मशीन अधिगम (Machine Learning) क्या है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिये किया जाता है जो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें मनुष्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे किसी फोटो को देखकर उसके बारे में बताना।
- इसी प्रकार एक अन्य काम जो इंसान आसानी से कर लेते हैं, वह है उदाहरणों से सीखना; मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी यही करने की कोशिश करते हैं, यानी कंप्यूटरों को उदाहरणों से सीखने के बारे में बताना।
- इसके लिये बहुत सारे अल्गोरिद्म आदि जुटाने पड़ते हैं, ताकि कंप्यूटर बेहतर अनुमान लगाना सीख सकें। लेकिन अब कम अल्गोरिद्म से भी मशीनों को तेज़ी से सिखाने के लिये उन्हें ज़्यादा कॉमन सेंस देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे तकनीकी भाषा में 'रेग्यूलराइज़ेशन' कहा जाता है।

## प्रमुख बिंदु

- क्लाउड रिसर्च लैब विद्यार्थियों को भारत के लिये ऐसी अनुसंधान पहल करनेके लिये AWS क्लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अवसर प्रदान करेगी जिसके तहत AI तथा ML पर फोकस किया जाता है।
- यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेज़ॉन क्लाउड कम्प्यूटिंग, डेटा-सेट और कई अन्य ऐसी नई प्रौद्योगिकियों में आवश्यक मुफ्त सेवाएँ मुहैया कराने के लिये IIT-BHU से हाथ मिला रही है जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहतर तथा ध्यान केन्द्रित अनुसंधान के लिये सशक्त बनाएंगी।
- जब तक अभिनव उत्पाद नहीं बनाए जाएंगे, तब तक निरंतर समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती है। स्पष्टत: इसके लिये देश में हो रहे अनुसंधान एवं नवाचारों को अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है।
- इस दिशा में IISc (Indian Institute of Science) स्थित नैनोटेक्नोलॉजी लैब एक और सराहनीय पहल है। इससे लागत में कमी आएगी और समय भी बचेगा क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले बेहतरीन अनुसंधान से किसान एवं अन्य पक्षों के साथ-साथ समाज के सभी तबके लाभान्वित होंगे।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकरी के अनुसार, उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (HEFA) के शुभारंभ, अतिरिक्त संसाधनों से भारी-भरकम बजट आवंटन, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, इम्प्रिंट स्कीम तथा उच्चतर आविष्कार योजना जैसे कार्यक्रमों की बदौलत भारत में अनुसंधान एवं नवाचार को नया आयाम मिलेगा।

## एक्सेंचर रिपोर्ट के अनुसार

- 'Rewire for Growth' नामक एक एक्सेंचर रिपोर्ट (Accenture report) के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करने की क्षमता है।
- भारत, एक तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी राष्ट्र होने के साथ इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। स्पष्ट रूप से AI क्रांति को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आधारभूत अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और दूसरे अन्य क्षेत्रों में लागू और प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

नोट :

- अमेज़ॉन वेब सर्विसेज़ का शैक्षणिक कार्यक्रम (AWS Educate program)
- AWS Educate एक वैश्विक कार्यक्रम है जो छात्रों और शिक्षकों के लिये AWS क्लाउड सेवाओं का अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से सीखने की सामग्री, संसाधनों और AWS प्रोमोशनल क्रेडिट का एक मज़बूत सेट प्रदान करता है।
- इसके तहत छात्र और शिक्षकों की प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले वर्गों, ऑन-डिमांड ट्रेनिंग, स्वयं-केंद्रित प्रयोगशालाओं के साथ-साथ तत्कालीन तकनीकी सहायता और समर्थन तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है।

### भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएँ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है, अभी यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसे लेकर प्रयोग किये जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है।
- सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज़ से देश में जहाँ संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिये एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है।
- उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिये कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है:
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके विनियम-मानक तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे।
  - सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि इसके लिये उपयुक्त क्षेत्र हो सकते हैं।

---

## कश्मीर पर यूएन रिपोर्ट विवादित क्यों ?

### संदर्भ

हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human rights-OHCHR) के कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें 'जून 2016 से अप्रैल 2018' तक भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में घटनाक्रम और आज़ाद जम्मू-कश्मीर तथा गिलगित-बाल्टिस्तान में मानवाधिकार से जुड़ी आम चिंताएँ' विषय को शामिल किया गया। हिंसा की एक नई लहर ने कश्मीर घाटी पर उस समय हमला किया था, जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग किया गया था। उसके बाद के महीनों में करीब 51 प्रदर्शनकारियों और नागरिकों की मौत हो गई, जबकि हथगोलों और गोलियों से 9,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। नतीजतन, OHCRC ने भारत और पाकिस्तान से अपनी टीमों को वहाँ पहुँचने की अनुमति देने के लिये अनुरोध किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

### यह रिपोर्ट भारत के लिये विवादास्पद क्यों है ?

- रिपोर्ट में कथित हत्याओं तथा विरोध प्रदर्शनों की आलोचना से परेशान विदेश मंत्रालय मिलिटेंटों का वर्णन करने के लिये उपयोग की जाने वाली शब्दावलियों से भी परेशान है।
- उदाहरण के लिये हिजबुल मुजाहिदीन, जिसे भारत द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है, को रिपोर्ट में "सशस्त्र समूह" के रूप में वर्णित किया गया है।
- भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी माना जाने वाला वानी को संगठन के "नेता" के रूप में वर्णित किया गया है।
- भारत ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि रिपोर्ट "आतंकवाद के लिये शून्य सहनशीलता पर संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाली सर्वसम्मति को कमज़ोर करती है"।
- भारत ने सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेषाधिकार कानून, 1990 को तुरंत निरस्त करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी सुरक्षा बलों के खिलाफ अदालतों में मुकदमा चलाने के लिये केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की बाध्यता को भी हटाने की सिफारिश की है।
- हालाँकि भारत ने अपने तात्कालिक प्रतिक्रिया में इस रिपोर्ट को 'भ्रामक', 'विवादास्पद' और 'दुर्भावना से प्रेरित' बताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे अपने 'आंतरिक मामलों में दख़लंदाज़ी' और भारत की 'प्रभुसत्ता का उल्लंघन' भी करार दिया है।
- प्रत्यक्ष साक्षात्कार की अनुपस्थिति में OHCHR ने स्थानीय स्रोतों से रिपोर्ट तैयार करने के लिये "रिमोट मॉनीटरिंग" का इस्तेमाल किया।

### क्या रिपोर्ट का राजनीतिक या राजनयिक निहितार्थ है जो लंबे समय तक भारत को चोट पहुँचा सकता है?

- भारत ने कहा है कि रिपोर्ट "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" का उल्लंघन करती है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी नियंत्रण के तहत राज्य के हिस्से का वर्णन करने के लिये "आज़ाद जम्मू-कश्मीर" और "गिलगित बाल्टिस्तान" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।
- भारत कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के नियंत्रण को वैध नहीं मानता है और इस क्षेत्र का वर्णन पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर के रूप में करता है।
- दशकों बाद पाकिस्तान ने 27 मई, 2018 को भारत के सख्त विरोध के बावजूद गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को अपने संघीय ढाँचे में एकीकृत किया।
- रिपोर्ट में ऐसी शब्दावली का उपयोग करने के लिये OHCHR के निर्णय को इन क्षेत्रों को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में मान्यता दिये जाने के संकेत के रूप में माना जा सकता है।

### क्या रिपोर्ट विशेष रूप से भारत पर केंद्रित है और पाकिस्तान का बचाव करती है?

- यद्यपि रिपोर्ट का प्राथमिक ध्यान जम्मू-कश्मीर में बिगड़ती मानवाधिकार की स्थिति पर है, इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) की जनता के साथ बातचीत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अतिक्रमण पर भी बात की गई है।

### भारत ने रिपोर्ट पर इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया क्यों दी?

- भारत की प्रतिक्रिया को शायद इस तथ्य से समझा जा सकता है कि रिपोर्ट कश्मीर मुद्दे के अंतिम राजनीतिक समाधान को संदर्भित करती है ताकि दोनों पक्ष, भारत और पाकिस्तान निरंतर मानवाधिकारों के दुरुपयोग से बच सकें।

---

## भारत द्वारा नए एक्सोप्लैनेट की खोज और इसका वैज्ञानिक महत्त्व

### चर्चा में क्यों?

भौतिक शोध प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वैज्ञानिक हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट (Exoplanet) की खोज करने वाले पहले भारतीय बने। माउंट आबू वेधशाला में अवलोकन के दौरान 600 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की कक्षा में इसे देखा गया जिसकी एक्सोप्लैनेट के रूप में पुष्टि की गई। एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में इस खोज को प्रकाशित किया गया है। यह भारत के लिये विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है?

### एक्सोप्लैनेट को क्यों ट्रैक किया गया?

- हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कैसे ग्रह तारों के चारों ओर बनते हैं, यह जानने के लिये कि क्या हमारी सौर प्रणाली अद्वितीय है या ऐसी अन्य प्रणालियाँ भी हैं, और क्या ये ग्रह तारों से सही दूरी पर हैं ताकि यह समझा जा सके कि यहाँ जीवन के अस्तित्व के लिये उचित परिस्थितियाँ हैं अथवा नहीं।
- वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2012 से एक्सोप्लैनेट का अवलोकन किया जा रहा है।

### भारत ने किस ग्रह की पहचान की है?

- वैज्ञानिक EPIC 211945201b या K2-236b का डेढ़ साल से अवलोकन कर रहे थे। अवलोकन के दौरान महसूस किया गया कि यह (EPIC 211945201 या K2-236) वास्तव में तारे के चारों ओर घूमता एक ग्रह है।
- यह लगभग 70% लौह, बर्फ या सिलिकेट से बना है और इसमें 30% गैस है।
- यह लगभग 27 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान और 6 गुना पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, जो द्रव्यमान और त्रिज्या के संदर्भ में नेप्च्यून के लगभग बराबर है।
- इस ग्रह पर एक वर्ष लगभग 19.5 पृथ्वी-दिन के बराबर है और इसके सतह का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस है। अत: यहाँ रहने योग्य वातावरण नहीं है।
- सूर्य-पृथ्वी की दूरी की तुलना में यह अपने तारे से करीब सात गुना बड़ा है।

### खोज महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- एक्सोप्लैनेट का पता लगाना बहुत मुश्किल है। यह एक दीपगृह (lighthouse) की उज्ज्वल रोशनी में एक जुगनू को खोजने की कोशिश की तरह है।
- एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष इमेजिंग लगभग असंभव है, हालाँकि नासा और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा नई तकनीक विकसित की जा रही है।
- दुनिया भर में केवल 5-6 स्पेक्ट्रोग्राफ हैं जो उच्च परिशुद्धता (रेडियल वेग 2 मीटर से कम) पर एक्सोप्लैनेट के द्रव्यमान को माप सकते हैं।
- अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ है।

### PRL स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है?

- वैज्ञानिकों ने PRL को PARAS (PRL Advance Radial-velocity Abu-sky Search) स्पेक्ट्रोग्राफ में तैयार किया और न केवल भारत से बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष रूप से निर्मित घटक प्राप्त किये।
- इसे माउंट आबू वेधशाला में एक साथ लाया गया। जब स्पेक्ट्रोग्राफ बना लिया गया तब उसे एक बहुत स्थिर वातावरण में वैक्यूम चैंबर में रखा गया जिससे सटीक द्रव्यमान माप प्राप्त करने में मदद मिली। तत्पश्चात् इसे दूरबीन से प्रकाशमान स्पेक्ट्रोग्राफ में लाया गया।
- स्पेक्ट्रोग्राफ पर यह प्रयोग 2012 में शुरू किया गया था। एक्सोप्लैनेट की खोज एक सतत् कार्यक्रम है।

### प्रयोग कैसे किये गए?

- सबसे पहले एक्सोप्लैनेट की विशेषताओं और इसके मौलिक मानकों जैसे द्रव्यमान, त्रिज्या तथा इसमें किस तरह का वातावरण होता है, को समझना महत्त्वपूर्ण है।
- यदि आप द्रव्यमान और त्रिज्या जानते हैं, तो घनत्व प्राप्त करना आसान है, यदि आपके पास घनत्व है, तो आपको संरचना के बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा।
- यदि कोई ग्रह एक तारे के चारों ओर घूम रहा है तो ग्रह की उपस्थिति के कारण तारा डूब (wobble) जाएगा। इस संबंध में तारे का निरीक्षण कर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि यह डूब (wobble) रहा है या नहीं। इस जानकारी का उपयोग करके द्रव्यमान, कक्षा (orbit) के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की गई।
- यह वोबल (wobble) एक सटीक स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके मापा जाता है। ग्रह की त्रिज्या को तब मापा जाता है जब यह तारे और पृथ्वी के बीच से गुज़रता है। यदि बीच में कोई ग्रह है, तो तारे की रोशनी कम हो जाती है।
- तारे के बहाव में डूबने की गहराई को मापकर हम ग्रह के त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यह ग्रह के द्रव्यमान को नहीं बताता है। यही कारण है की नासा का केपलर या K2 इसे पहचानने में सफल हो पाया कि यह एक्सोप्लैनेट है।
- PARAS जैसे स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके डोप्लर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से वोबल निर्धारित करने के लिये आवश्यक है। पाँच-छह लोगों की एक टीम ने PARAS-1 का उपयोग किया।

### इस खोज से भारत में ग्रह विज्ञान की क्या संभावनाएँ हैं?

- इस खोज का अंतिम उद्देश्य निकट से पृथ्वी के द्रव्यमान (2 से 10 पृथ्वी द्रव्यमान) से ग्रहों का पता लगाना है।
- इसरो इसमें बहुत रुचि ले रहा है, इसलिये भविष्य में माउंट आबू में बड़ा स्पेक्ट्रोग्राफ वाला एक नया 2.5-मीटर दूरबीन स्थापित होगा। इसे PARAS-2 का नाम दिया जाएगा।
- यह पृथ्वी के द्रव्यमान से दो या चार गुना छोटे एक्सोप्लैनेट को भी माप सकता है। इसके 2020 तक कार्य करने की संभावना है।
- इसके अलावा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसरो एक्सोप्लैनेट से संबंधित कुछ अंतरिक्ष मिशन भी लॉन्च करेगा।

## ट्यूबरकुलोसिस के लिये इंजेक्शन या गोली?

### संदर्भ

पिछले सप्ताह, दक्षिण अफ्रीका रिफाम्पीसिन-प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस (Rifampicin-Resistant Tuberculosis) के उपचार के लिये नई ओरल मेडिसिन बेडाक्यूलिन (Bedaquiline) के साथ इंजेक्शन वाली दवाओं को प्रतिस्थापित करने वाला पहला देश

बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 2016 में दक्षिण अफ्रीका में टीबी के 4,38,000 मामले आमने आए। दुनिया में सबसे अधिक टीबी के मामले भारत में पाए जाते हैं। भारत में 2016 में टीबी के 2.79 मिलियन मामले सामने आए जो कि दुनिया भर के मामलों का एक-चौथाई था।

## मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी (multi-drug resistant TB-MDR-TB)

- MDR-TB का एक रोगी दो सबसे मज़बूत प्रथम-लाइन के एंटी-टीबी ड्रग्स, रिफाम्पीसिन (Rifampicin) और आइसोनियाज़िड (Isoniazid) पर प्रतिक्रिया बंद कर देता है।
- WHO की 2018 ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में MDR-TB के 1,47,000 रोगी हैं।
- MDR-TB के लिये दूसरे-लाइन के उपचार में न्यूनतम 9 महीनों के लिये दैनिक इंट्रा-मस्क्यूलर इंजेक्शन (Intra-Muscular Injection) दिया जाता है।
- तीन सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शन हैं, कनामाइसिन (Kanamycin), कैप्रियोमाइसिन (Capreomycin) और अमीकासिन (Amikacin), जिनके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें गुर्दे की बीमारियाँ, सुनने की अक्षमता और सामान्य विषाक्तता शामिल है।
- ब्रिटेन में 100 MDR-TB रोगियों के एक अध्ययन को पिछले साल प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि 40% ने श्रवण हानि के कारण इंजेक्शन योग्य उपचार बंद कर दिया था और 55% ने कान में विषाक्तता का अनुभव किया था।

## दक्षिण अफ्रीका का निर्णय

- 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने बड़ी संख्या में MDR-TB रोगियों के रोग का निदान करने के लिये जीनएक्सपर्ट (GeneXpert) मशीनों के उपयोग का विस्तार किया और 2013 में देश की मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल ने बेडाक्युलिन (Bedaquiline-BDQ) के उपयोग को मंजूरी दे दी जिसे सर्वाधिक मानक दवाओं के प्रतिरोधी रोगियों के लिये एक नई "चमत्कारिक दवा" के रूप में माना गया।
- परीक्षण के लिये BDQ पर 200 प्री-XDR और XDR रोगियों को 2015 तक रखा गया जिसमें 73% रोगियों में "अनुकूल परिणाम" पाए गए।
- एक पूर्ववर्ती समूह विश्लेषण ने बेडाक्यूलिन का उपयोग नहीं करने वाले मरीजों की तुलना में 41% इलाज में सफलता पाई है और मृत्यु दर में तीन गुना कमी आई है।
- 18 जून को दक्षिण अफ्रीका ने सभी रिफाम्पीसिन प्रतिरोधी मरीजों (Rifampicin-Resistant Patients) के लिये इंजेक्शन बंद कर दिये और इंजेक्शन के गंभीर जहरीले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, बेडाक्युलिन (Bedaquiline) की शुरुआत की। ये सभी इंजेक्शन अक्सर इलाज ड्रॉपआउट का कारण बनते थे।

## WHO की सिफारिश

- WHO दवा प्रतिरोधी टीबी के लिये इंजेक्शन के उपयोग की सिफारिश करता है।
- WHO सीमित अध्ययनों के आधार पर बेडाक्यूलिन पर कुछ शर्तों के तहत प्री-XDR या XDR रोगियों के लिये इसके उपयोग की सलाह देता है।
- WHO की जुलाई में गाइडलाइन डेवलपमेंट ग्रुप की बैठक में नई दवाओं बेडाक्यूलिन और डेलामीड के साथ ही इंजेक्शन के रूप में उपयोग पर चर्चा की जाएगी।

## भारत में स्थिति

- भारत में MDR-TB के रोगी अनुमानत: 79,000 हैं। यहाँ टीबी के इलाज में कानामाइसिन (Kanamycin), कैप्रियोमाइसिन (Capreomycin) और अमीकासिन (Amikacin) नामक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है।
- एक चरणवार नियंत्रण परीक्षण के बाद 2016 में बेडाक्यूलिन को पहली बार उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान में केवल 140 केंद्रों तक इसकी पहुँच है जिसमें लगभग 1000 रोगियों को यह दवा प्राप्त हुई है।
- 2018 में गुजरात और चेन्नई में 30 मरीजों पर इसके परीक्षण की शुरुआत करने के लिये उन्हें नामांकित किया गया है। लेकिन शुरुआती परिणाम 2021 तक आएंगे।

नोट :

- इसका उपयोग करने वाले रोगियों और चिकित्सकों के अनुसार यह ज़हरीला और दर्दनाक है, लेकिन अपरिहार्य हैं क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है।
- दक्षिण अफ्रीका ने परीक्षण के आधार पर इसके प्रयोग का फैसला लिया है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा, बेडाक्यूलिन पर कोई यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण परिणाम सामने नहीं आया है।
- मौजूदा अध्ययनों से पता चला है कि बेडाक्यूलिन से कार्डियोटॉक्सिसिटी (Cardiotoxicity) हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार, इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन वे शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाते हैं।

### उम्मीद है कि WHO का ध्यान बेडाक्यूलिन पर अधिक होगा

- दक्षिण अफ्रीका ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में देखता है। बेडाक्यूलिन को शुरू में अधिक जटिल प्रतिरोधी-टीबी के लिये इस्तेमाल किया गया था, लेकिन प्रतिकूल घटनाओं की पहचान के बाद इंजेक्शन के रूप में इसके इस्तेमाल में तेज़ी लाई गई।
- 60% मामलों में इंजेक्शन योग्य दवाओं से सुनने की क्षमता में कमी और गुर्दे की विषाक्तता जैसे अन्य गंभीर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं।
- मरीजों की मासिक ऑडीयोमेट्री और रक्त परीक्षण सहित बारीकी से निगरानी की जानी चाहिये, जो कम और मध्यम संसाधन वाले देशों में मुश्किल हो सकता है। चूँकि BDQ खाने के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है इसलिये रोगियों का इलाज लंबे समय तक जारी रखने की अधिक संभावना है।
- भारत में BDQ की शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर। हमें इस दवा के प्रयोग करने वाले मरीजों के चिकित्सकों, अनुवर्ती और प्रबंधन के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि नैदानिक परीक्षण खत्म होने के बाद इसका साइड इफेक्ट्स किस स्तर तक है।
- कई अन्य देशों की तरह भारत WHO के मार्गदर्शन का पालन करता है।
- कई संगठनों ने WHO से BDQ पर जानकारी को मज़बूत करने के लिये कहा है और आशा है कि अगले महीने संशोधित दिशा-निर्देशों से इस दवा के उपयोग के अधिक सबूत सामने आएंगे।
- बेडाक्यूलिन पिछले 50 वर्षों में विकसित टीबी की पहली नई दवा है और हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम रोगियों के लिये लाभों की बजाय अधिक समस्याएँ न उत्पन्न करें।
- जो चिकित्सक मरीजों पर BDQ का उपयोग करते हैं उन्हें साइड इफेक्ट्स से निपटने के लिये अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- इस संबंध में समुचित निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि BDQ का उपयोग नैदानिक परीक्षणों के संदर्भ में कार्डियोटॉक्सिसिटी से जुड़ा हुआ है।
- हमें प्रयोगशालाओं को मज़बूत करने की ज़रूरत है। BDQ के अत्यधिक उपयोग से बचने के लिये निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

## मधुमेह के रोगियों के लिये एक टीबी टीका

### चर्चा में क्यों?

एक वैज्ञानिक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि BCG (Baccilus Calmette-Guirin) नामक सैकड़ों वर्ष पुराना तपेदिक टीका, मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा को कम कर सकता है। यह अध्ययन एनपीजे वैक्सीन (npj vaccines) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

### अध्ययन के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अध्ययन में एडवांस टाइप-1 मधुमेह हाइपरग्लाइसीमिया (hyperglycemia) से ग्रसित तीन रोगियों को बीसीजी का वैक्सीन दिया गया और इससे उनके रक्त शर्करा में दीर्घकालिक कमी पाई गई। तीन साल बाद एक बार फिर 6 रोगियों का इसी विधि से इलाज किया गया।

- जब यू.एस. में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के इम्यूनोलॉजिस्ट डेनिस एल. फॉस्टमैन के नेतृत्व में जाँचकर्त्ताओं ने इन रोगियों का पाँच साल बाद परीक्षण किया तो उन्हें HbA1c नामक मार्कर में उच्च रक्त शर्करा में निरंतर गिरावट पाई गई।
- इसके अलावा, रोगियों में किसी को भी हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) या खतरनाक रूप से रक्त शर्करा का स्तर कम नहीं पाया गया, जैसा कि सामान्य रूप से इंसुलिन लेने वाले मरीजों में जीवन को जोखिम में डालने वाले दुष्प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
- यह अध्ययन बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षणों में दोहराए जाने पर टाइप-1 मधुमेह के लिये एक सुरक्षित और सस्ता उपचार का वादा करता है।
- भले ही बीसीजी टीका बचपन में टीबी के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है लेकिन यह कुष्ठ रोगियों, बच्चों को सेप्सिस और लीशमैनियासिस (Leishmaniasis) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह मूत्राशय कैंसर (Bladder Cancer) के लिये पहली स्वीकृत इम्यूनोथेरेपी (Immunotherapy) भी है।
- चरण-1 में परीक्षण के दौरान फॉस्टमैन और उनके सहयोगियों ने तीन रोगियों को बीसीजी टीका लगाया और पाया कि रोगियों ने अग्नाशयी इंसुलिन अधिक उत्पादित किया।
- इसके अलावा उन्होंने अनेक प्रकार के रेगुलेटरी टी सेल्स (regulatory T cells-tregs) नामक प्रतिरक्षा कोशिका भी प्राप्त की जो ऑटोइम्यून (Autoimmune) रोगों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।
- टाइप -1 मधुमेह, एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें इंसुलिन का स्राव करने वाली अग्नाशयी कोशिकाएँ अपनी ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट हो जाती हैं।
- लेकिन, हालाँकि बीसीजी चरण-1 के परीक्षण में पैनक्रियाज़ को पुन: उत्पन्न किया गया था, टीम ने अपने मरीजों के HbA1C स्तरों में थोड़ा सुधार पाया।
- यही कारण है कि उन्होंने परीक्षण जारी रखा और उम्मीद है कि वैक्सीन लंबे समय तक रक्त शर्करा को नियंत्रित करेगी।
- एनपीजे वैक्सीन अध्ययन से पता चलता है कि टीका पाँच से आठ साल की अवधि के लिये रक्त शर्करा को कम कर सकता है।
- चूहों पर यह प्रयोग कर शोधकर्त्ताओं ने यह प्रदर्शित किया कि वैक्सीन ने किस प्रकार शरीर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन (Oxidative Phosphorylation) नामक एक प्रक्रिया, जिसे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस (aerobic glycolysis) कहा जाता है, से ग्लूकोज़ को उपापचयित किया था। इसके अलावा BCG ने भी Tregs की संख्या में वृद्धि की।

## अंतरिक्ष के मलबे और कचरे की सफाई करेगा 'रिमूव डिब्री'

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतरिक्ष में फैले रॉकेटों और उपग्रहों के टुकड़ों को हटाने के लिये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिमूव डिब्री (Remove DEBRIS) नामक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- 100 किलोग्राम वज़न वाले इस स्पेसक्राफ्ट का निर्माण एयरबस की सहायक 'सरे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी' द्वारा किया गया है।
- यह स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ा जाने वाला सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है।
- यह यूरोपीय संघ की अनुसंधान परियोजना है जो भविष्य में सक्रिय मलबे को हटाने से संबंधित मिशनों के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकियों के परीक्षण में मददगार साबित हो सकता है।
- अंतरिक्ष में फैले कचरे को हटाने के लिये इस स्पेसक्राफ्ट में तीन एयरबस प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है।
- यह स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में तैर रहे छोटे लेकिन खतरनाक टुकड़ों को हटाने का प्रयास करेगा जो उपग्रहों या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्षति पहुँचा सकते हैं।
- यह परियोजना वैश्विक/यूरोपीय ADR (Active Debris Removal) रोडमैप में योगदान देने के उद्देश्य पर आधारित है।

नोट :

### पृष्ठभूमि

- पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई मानव-निर्मित उपग्रह वहीं नष्ट हो जाते हैं और छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं।
- नासा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर काफी तेज़ रफ़्तार से घूम रहा है। इसमें नष्ट हो चुके स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह प्रक्षेपण यानों के अवशेष, मिसाइल शार्पनेल व अन्य निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवशेष शामिल हैं।
- अंतरिक्ष में बिखरा यह कचरा न केवल उपग्रहों की कक्षा में बल्कि हमारे वायुमंडल के लिये भी काफी खतरनाक हो सकता है। यदि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो विनाशक प्रभाव पैदा कर सकता है।

## साइंस स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन को बढ़ावा देगा IISC

### चर्चा में क्यों?

वर्ष 1909 में जमशेदजी टाटा और मैसूर के पूर्व महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science) की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के बाद से संस्थान ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में बहुत-सी उपलब्धियाँ हासिल की है। आईआईएस, साइंस टेक कंपनियों को विकसित करने हेतु अगले तीन वर्षों में बंगलरू में एक शोध पार्क खोलने की योजना बना रहा है।

### कॉर्पोरेट सहयोग

- इस कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिये आईआईएस द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, वोल्वो, गूगल इंक, जनरल मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, आईबीएम रिसर्च, बोइंग, रॉबर्ट बॉश फाउंडेशन और प्रैट एंड व्हिटनी जैसी कंपनियों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
- इसके अलावा यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (Aeronautical Development Agency) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing) के साथ मिलकर काम कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट आर्म (एक अंतर अनुशासनिक निकाय) के अंतर्गत शामिल लगभग 12 कंपनियों द्वारा एंडोस्कोपी के लिये उपयोग किये जाने वाले सिमुलेटर, कम लागत पर इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु माइक्रोसाइटेलाइट्स, एक मेडिकल डायग्नोस्टिक किट और चंदन से तेल निकालने हेतु एक सुपरवेव तकनीक को शामिल किया गया है।

### प्रमुख उपलब्धियाँ

#### पाथशोध (Pathshodh) क्या है?

- यह सुपरवेव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला एक उपकरण है। इसकी सहायता से मरीज़ को बिना सुई लगाए दवा दी जा सकती है।
- इसके अलावा संस्थान ने खुले दूषित [नमूना] जल को साफ जल में परिवर्तित करने में सफलता हासिल की है।
- इसी प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा एक वातानुकूलित कंबल का भी आविष्कार किया गया है। यह बहुत-सी परतों वाला एक कंबल है जो कि व्यक्तिगत एयर कंडिशनर के रूप में कार्य करता है। इसके लिये पूरे कमरे को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती है।

#### रॉबर्ट बॉश सेंटर (Robert Bosch Centre)

- साइबर-भौतिक प्रणालियों (Cyber-Physical Systems) के लिये 2011 में रॉबर्ट बॉश सेंटर की स्थापना की गई। साइबर-भौतिक प्रणालियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये इसे एक अंत:विषय अनुसंधान (interdisciplinary research) और अकादमिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया।

#### एंडोस्कोपी सिम्युलेटर (Endoscopy Simulator)

- संस्थान से संबद्ध मिमिक मेडिकल सिम्युलेशन (Mimyk Medical Simulations) ने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट (gastroenterologists) के लिये एंडोस्कोपी सिम्युलेटर (Endoscopy Simulator) विकसित किया है।

- इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एक भौतिक नेटवर्क के संबंध में काम किया गया है जहाँ एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर सकती हैं।
- इसके साथ-साथ रोबोटिक्स (robotics) और स्वायत्त प्रणाली (autonomous systems) जैसी व्यवस्थाओं के संबंध में अनुसंधान प्रगति पर हैं।
- इन सबके अलावा भविष्य की परियोजनाओं में सबसे महत्त्वाकांक्षी परियोजना फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार की है। इस कार्य के संबंध में अनुसंधान प्रगति है, साथ ही विभिन्न स्रोतों से फंडिंग भी प्राप्त हो रही है।

दृष्टि The Vision

# पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

## अरब सागर के शैवाल

### संदर्भ

शैवालों का खिलना मानव नेत्रों के लिये तो सुंदरता की वस्तु हो सकती है लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि अरब सागर में शैवालों का खिलना मछलियों के लिये मृत्यु का कारण हो सकता है।

### क्या हैं ये समुद्र के आकर्षक दिखने वाले भाग ?

- ये अत्यधिक आकर्षक हरे भाग जो अक्सर रात में चमकते हैं, नोक्टिलुका शैवाल (Noctiluca algae) का संचय है।
- उनके रूप-रंग की ये दीप्ति, बायोल्यूमाइन्सेंस (bioluminescence) नामक घटना के कारण होती है।

### नोक्टिलुका शैवालों का प्रभाव

- 'सी स्पार्कल' के नाम से प्रचलित, ये सुंदर स्थल प्रतिकूल रूप से इस क्षेत्र के पतन की ओर संकेत करते हैं क्योंकि यहाँ मछलियाँ फल-फूल नहीं पाती और कभी-कभी इन शैवालों के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
- ये शैवाल मछली की खाद्य श्रृंखला के आधार कहे जाने वाले प्लैंकटोनिक जीवों, जिन्हें डायटम कहा जाता है, का तेज़ी से भक्षण करते हैं।
- ये शैवाल उच्च मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन भी करते हैं जो कि मछलियों की उच्च मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है
- इन शैवालों का प्रसार पश्चिमी तट पर स्थित शहरों में निम्न ऑक्सीजन और तटीय प्रदूषण के लिये भी ज़िम्मेदार है।

### शैवालों की संख्या में वृद्धि के कारण

- भारत-चीन के वैज्ञानिको द्वारा किये गए संयुक्त अध्ययन में शैवालों की संख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के लिये ग्लोबल वार्मिंग को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।
- इस समस्या के लिये वैज्ञानिकों द्वारा प्रदूषकों या रासायनिक प्रदूषण को ज़िम्मेदार नहीं माना गया है।

### अध्ययन में शामिल शोधकर्त्ता

संयुक्त अध्ययन के अंग के रूप में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इनफार्मेशन सर्विसेज (INCOIS), हैदराबाद, नेशनल ओसियनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) तथा नेशनल मरीन फिशरीज़ सर्विस (NMFS), अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 'समुद्री मत्स्यपालन और भारतीय समुद्रों में हानिकारक शैवालों के खिलने के संदर्भ में पूर्वानुमानित क्षमताओं का विकास' करने के हेतु संयुक्त रूप से कार्य किया।

### कैसे किया गया शोध ?

- वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर नमूने और डेटा एकत्र किये।
- डायटोम्स और हानिकारक नोक्टिलुका दोनों के विस्तार का निरीक्षण करने के लिये संवेदक उपग्रहों का उपयोग किया गया।
- इसके अलावा, समुद्री परिस्थितियों, पोषक तत्त्वों, और ऑक्सीजन सांद्रता का अध्ययन विशेष मुक्त-तैरने वाले और स्वयं-प्रक्षेपित एर्गो (Argo) बेड़े से जुड़े सेंसर के साथ किया गया था।
- जल के नमूने के रासायनिक विश्लेषण बोर्ड के शोध जहाज़ों पर किये गए।

### अध्ययन के निष्कर्ष

- अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया कि जलवायु के गर्म होने के कारण समुद्र के पृष्ठ में अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी।
- यह सतह पर इसकी सांद्रता को कम करते हुए, समुद्र तल से सिलिकेट जैसे पोषक तत्त्वों के ऊपर की तरफ़ अपवाहन को धीमा कर देगा।

नोट :

- सतह के पानी पर बढ़ने वाले डायटम को अपने खुर्दबीन अस्थिपंजर बनाने के लिये सूर्य का प्रकाश और सिलिकेट दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सिलिकेट कम उपलब्ध होने पर डायटम अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है।
- दूसरी तरफ, नोक्टिलुका पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके अलावा वह शेष बचे डायटम का भी शिकार करता है।
- अध्ययन में पाया गया कि इस क्षेत्र के जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मौज़ूदगी है इससे स्पष्ट होता है कि निम्न ऑक्सीजन तथा नोक्टिलुका की वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं है।
- अत: ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि को मछली की आहार श्रृंखला बाधित होने का कारण माना जा सकता है जिसके कारण इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या में कमी आई है।

### मोज़ेक नेटवर्क (MOSAIC Network)

- इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के प्रयास में INCOIS एक मरीन ऑब्जरवेशन सिस्टम अलोंग इंडियन कोस्ट (Marine Observation System Along Indian Coast -MOSAIC) की स्थापना करेगा।
- मोज़ेक नेटवर्क के अंतर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी प्रत्येक तट पर तीन वेधशालाओं की स्थापना की जाएगी।
- इसके अलावा, स्वचालित प्लावकों (buoys) का एक नेटवर्क तटीय पानी की गुणवत्ता की निगरानी करेगा और अन्य मानदंड एकत्रित करेगा जो क्षेत्र में मत्स्यपालन को बनाए रखने में मदद करेंगे और इन जानकारियों को वेधशालाओं तक प्रसारित करेगा।
- इस साल के अंत में लॉन्च होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री तटीय प्रदूषण की निगरानी करना है।

## कम तीव्रता वाली वर्षा में गिरावट से उत्तर भारत में भूजल रिचार्ज में आई कमी

### चर्चा में क्यों ?

देश भर में फैले 5,800 से अधिक भूजल कुओं से 1996 से 2016 के बीच एकत्रित किये गए आँकड़ों के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि वर्षा की तीव्रता भूजल रिचार्ज से घनिष्ठता से जुड़ी होती है।

### प्रमुख बिंदु

- मानसून काल के समय विशेषत: उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत के मामले में कम तीव्रता वाली वर्षा (low-intensity rainfall) भूजल रिचार्ज के लिये जिम्मेदार होती है, जबकि दक्षिण भारत में भूजल रीचार्ज हेतु अधिक तीव्रता वाली वर्षा मुख्य भूमिका निभाती है।
- इन निष्कर्षों को 'जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स' जनरल में प्रकाशित किया गया।
- यदि वर्षा की मात्रा प्रति दिन 1-35 मिमी के बीच है, तो वर्षा को कम तीव्रता वाली वर्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि प्रतिदिन 35 मिमी से अधिक वर्षा होती है, तो इसे उच्च तीव्रता वाली वर्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- आईआईटी गांधीनगर की एक टीम ने पाया कि अध्ययन किये गए तीन क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता के संदर्भ में भूजल स्तर एक्वीफायर की प्रकृति से अंतर्संबंधित हैं।
- उत्तर भारत में विशेष रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्र के एक्वीफायर जलीय मृदा द्वारा विशेषीकृत होते हैं, जबकि दक्षिण भारत में कठोर चट्टान वाले एक्वीफायर पाए जाते हैं।
- जलीय मृदा वाले एक्वीफायर वर्षण के दौरान भूजल रिचार्ज में अधिक समय लेते हैं।
- कम तीव्रता वाली वर्षा जल को प्रसरण और एक्वीफायर के रिचार्ज हेतु अधिक समय प्रदान करती है। इस कारण ये उत्तर भारत के भूजल के लिये अनुकूल होती है।
- इसके विपरीत, दक्षिण भारत में हार्ड-रॉक और बेसाल्टिक एक्वीफायर देखे जाते हैं। यहाँ, कम तीव्रता वाली वर्षा की तुलना में उच्च तीव्रता वाली वर्षा भूजल रिचार्ज में अधिक योगदान देती है।
- शोधकर्त्ताओं ने 1996 से 2016 के बीच के भूजल स्तर संबंधी आँकड़ों का उपयोग करते हुए प्रत्येक कुए के प्रत्येक वर्ष के भूजल रिचार्ज का अनुमान लगाया।

- भूजल रिचार्ज का अनुमान वाटर टेबल फ्लक्चुएशन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए मई और नवंबर के महीनों के मध्य के भूजल स्तर अंतराल के मापन द्वारा लगाया गया।
- ध्यातव्य है कि 1951 और 2016 के बीच गंगा के मैदानी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ भागों और पश्चिमी घाटों के क्षेत्र में वर्षा की वार्षिक मात्रा में कमी आई है।
- लेकिन विशेष रूप से पूरे भारत में कम तीव्रता वाली वर्षा की मात्रा में कमी आई है। खासकर मध्य भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्र में इसकी मात्रा में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और कुछ हद तक उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में भी इसकी मात्रा में गिरावट दर्ज की गई है।
- इसके विपरीत, उत्तर-पश्चिमी भारत (गुजरात और राजस्थान), दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उच्च तीव्रता वाली वर्षा में वृद्धि हुई है। केरल में दोनों प्रकार की वर्षा में गिरावट दर्ज की गई है।
- अध्ययन काल के दौरान दक्षिण भारत में उच्च तीव्रता वाली वर्षा में वृद्धि के कारण भूजल रिचार्ज में वृद्धि हुई है।
- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि उनके निष्कर्षों के अनुसार, उत्तर भारत में वर्षा की भूजल स्तर में बढ़ोतरी संबंधी प्रकृति में बदलाव आ चुका है, जबकि गहन कृषि की मांगों को पूरा करने हेतु सिंचाई के लिये भूजल की निकासी में वृद्धि हो रही है, जिसने एक असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है।

### आगे की राह

शोधकर्त्ताओं का मानना है कि उत्तर भारत को भूजल टेबल में गिरावट की जाँच करने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिये कृत्रिम भूजल रिचार्ज का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही सिंचाई हेतु भूजल की निकासी में भी कमी लानी होगी और इन दोनों उपायों को एक साथ अपनाना होगा।

## केंद्र राज्यों के 'ग्रीन जीडीपी' की गणना करेगी

### संदर्भ

भारत की पर्यावरणीय विविधता और समृद्धि को सार्वभौमिक रूप से पहचाना जाता है लेकिन इसका मात्रा निर्धारण कभी नहीं किया जाता। इस साल से सरकार देश की पर्यावरणीय संपदा के ज़िला स्तरीय आँकड़ों की गणना शुरू करने का काम करेगी।

### गणना कैसे की जाएगी?

- प्रत्येक राज्य के 'हरे' सकल घरेलू उत्पाद (green GDP) की गणना के लिये कुछ संख्याओं का उपयोग किया जाएगा।
- मापन की यह प्रणाली नीति-निर्णयों की एक श्रृंखला के साथ मदद करेगी, जैसे भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवज़े का भुगतान, जलवायु शमन के लिये आवश्यक धन की गणना आदि।
- यह पहली बार है जब इस तरह का राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण किया जा रहा है|
- इस साल सितंबर में 54 ज़िलों में एक पायलट परियोजना शुरू होगी।
- भूमि "ग्रिड" में सीमांकित की जाएगी जो प्रति ज़िले में लगभग 15-20 ग्रिड के साथ शुरू की जाएगी|
- राज्य की भौगोलिक स्थिति, कृषि भूमि, वन्यजीवन और उत्सर्जन के तरीकों में विविधता का आकलन किया जाएगा और इसके मूल्य की गणना करने के लिये उपयोग किया जाएगा|
- उदाहरण के लिये यदि कोई नो-गो क्षेत्र (no-go area) नहीं है, तो हमें इस बात की गणना करने की आवश्यकता है कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या है|
- सूची के लिये आवश्यक अधिकांश डेटा डेटासेट से प्राप्त किया जाएगा जो पहले से ही अन्य सरकारी मंत्रालयों के पास मौजूद है।

### ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम

- सरकार ने 'ग्रीन स्किलिंग' प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसके तहत युवा, विशेष रूप से स्कूल छोड़ चुके युवाओं को 'हरित नौकरियों' की एक श्रेणी में प्रशिक्षित किया जाएगा|

- इन्हें वैज्ञानिक उपकरणों के ऑपरेटर के रूप में पर्यावरण की गुणवत्ता को मापने के साथ प्रकृति पार्कों में फील्ड स्टाफ और पर्यटक गाइड के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।
- सर्वेक्षण के लिये आवश्यक श्रमिक भी हरित-कुशल श्रमिकों से प्राप्त किये जाएंगे।

### क्या होता है 'ग्रीन जीडीपी ?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक ग्रीन जीडीपी का मतलब जैविक विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों को मापना है।
- ग्रीन जीडीपी का मतलब पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद के उन आँकड़ों से है, जो आर्थिक गतिविधियों में पर्यावरणीय तरीकों को स्थापित करते हैं।
- किसी देश की ग्रीन जीडीपी से मतलब है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिये किस हद तक तैयार है।
- इसका मतलब यह है कि हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का प्रति व्यक्ति कचरा और कार्बन के उत्सर्जन का पैमाना है।
- हरित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम से कम हो, ऊर्जा और संसाधनों की प्रभावोत्पादकता बढ़े तथा जो जैव विविधता और पर्यावरण प्रणाली की सेवाओं के नुकसान कम करने में मदद करे।

## 2017 में भारत में खोजी गई 539 प्रजातियाँ

### चर्चा में क्यों ?

दो प्रमुख सर्वेक्षण संगठनों-भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) के प्रकाशनों के अनुसार, वर्ष 2017 में देश में वैज्ञानिकों और टैक्सोनोमिस्टों द्वारा पौधों और जानवरों की 539 नई प्रजातियों की खोज की गई।

### प्रमुख बिंदु

- विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 के अवसर पर जेडएसआई द्वारा जारी की गई 'एनिमल डिस्कवरी 2017' में 300 नई जंतु प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं, 'प्लांट डिस्कवरी 2017' में 239 नई वनस्पति प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है।
- इन खोजों के अतिरिक्त, देश की जैव विविधता में 263 अन्य प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है,जिसमें जानवरों की 174 और पौधों की 89 नई प्रजातियाँ शामिल हैं।
- उप-प्रजातियों और नई किस्मों की खोज के कारण पुष्प संबंधी खोजों की संख्या 352 पहुँच जाती है।
- खोजे गए जंतुओं में से 241 अकशेरुकी हैं, जबकि कशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत मछलियों की 27 प्रजातियाँ, उभयचरों की 18 और सरीसर्पों की 12 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- जानवरों संबंधी खोजों का मुख्य आकर्षण एक नई जीवाश्म सरीसर्प प्रजाति है। इसका नाम श्रिंगासौरस इंडिकस (Shringasaurus indicus) है, जिसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा खोजा गया है।
- अन्य महत्त्वपूर्ण खोजों में मेंढक की एक प्रजाति नासिकबत्राचुस भूपति (Nasikabatrachus bhupathi) शामिल है, जिसकी नाक सूअर जैसी है। साथ ही साँप की एक प्रजाति राब्डोप्स एक्वाटिकस को उत्तरी-पश्चिमी घाटों से खोजा गया है एवं इसका नाम ताजे पानी के निकायों में इसकी उपस्थिति के संदर्भ में पानी के लिये प्रयुक्त होने वाले लेटिन शब्द से लिया गया है।
- इन खोजों के पश्चात् देश में पशु प्रजातियों की संख्या 1,01,167 हो चुकी है, जो विश्व में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या का 6.45% है।
- पौधों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 49,003 हो गई है, जो विश्व वनस्पति का 11.4% है।
- 352 प्रजातिओं, उप-प्रजातियों और किस्मों में से 148 फूलों वाले पौधे हैं, जबकि 108 मैक्रो और माइक्रो कवक, 4 टेरिडोफाइट्स, 6 ब्रायोफाइट्स, 17 लाइकेन, 39 एल्गी और 30 माइक्रोब्स हैं।

नोट :

### पहाड़ी क्षेत्रों में पाई गई अधिक प्रजातियाँ

- पश्चिमी घाट और हिमालय खोजी गई अधिकांश प्रजातियों का घर हैं। जहाँ पश्चिमी घाट में पौधों की 19% प्रजातियों और उप-प्रजातियों की खोज की गई, वहीं जानवरों से संबंधित प्रजातियों और उप-प्रजातियों में इसका योगदान 37% था।
- हिमालय ने सभी पौधों की खोजों में 35% (पश्चिमी हिमालय से पौधों की खोजों का 18% और पूर्वी हिमालय से 17%) का योगदान दिया। पशुओं से संबंधित खोजों के संदर्भ में पूर्वी और पश्चिमी हिमालय दोनों से 18% से अधिक नई प्रजातियाँ खोजी गईं।
- सभी राज्यों में से केरल में खोजों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई। यहाँ पर पौधों की कुल 66 प्रजातियाँ, उप-प्रजातियाँ और किस्में पाई गईं। साथ ही जानवरों की 52 प्रजातियाँ भी पाई गईं।
- तमिलनाडु में जानवरों की 31 नई प्रजातियाँ और पौधों की 24 प्रजातियाँ, उप-प्रजातियाँ और किस्में पाई गईं।
- पश्चिम बंगाल, जहाँ हिमालयी और तटीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं, वहाँ जानवरों की 45 प्रजातियाँ और पौधों की 27 प्रजातियाँ खोजी गईं।

---

## जलवायु परिवर्तन के कारण अरब जगत की बढ़ती मुश्किलें

### संदर्भ

पिछले कुछ वर्षों में अरब जगत में पर्यावरणीय दशाओं में बहुत अधिक बदलाव आ चुका है। वहाँ की नदियाँ धीरे-धीरे सूखती जा रही हैं और उनका स्थान रेत के ढेर लेते जा रहे हैं। अकालों के कारण अरब जगत के किसानों को फसलों के उत्पादन को बंद करण पड़ रहा है। रेत के तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। लेकिन, वहाँ की सरकारों की इस संदर्भ में उदासीनता और भी बड़ा चिंता का विषय है।

### प्रमुख बिंदु

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह उदासीनता मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सामान्य है, जबकि इससे संबंधित स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है।
- जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टिट्यूट के अनुसार, राबात से लेकर तेहरान तक लंबे अकाल, हीटवेब्स, और रेतीले तूफानों की आवृत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है।
- पहले से ही शुष्क सीजनों की अवधि और शुष्कता में वृद्धि हो रही है, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं। तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और प्रति वर्ष गर्मियों के दौरान वहाँ तापमान नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है।
- यदि ये स्थितियाँ कुछ और सालों तक बनी रहती हैं, तो इनके भयावह परिणाम हो सकते हैं।
- इंस्टिट्यूट ने अनुमान लगाया है कि मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में ग्रीष्मकालीन तापमान वैश्विक औसत के मुकाबले दोगुनी गति से बढ़ रहा है।
- एक अध्ययन के मुताबिक, गल्फ क्षेत्र में 2100 तक 'वेट-बल्ब तापमान' (आर्द्रता और हीट का एक माप) इतना अधिक हो सकता है कि यह क्षेत्र निवास योग्य न रह पाए।
- पानी की कमी एक और बड़ी समस्या है। मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में पहले ही पानी की कम उपलब्धता है और आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ वर्षा में और गिरावट आने की संभावना है।
- मोरक्को उच्चभूमि जैसे क्षेत्रों में वर्षा में इसमें 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन से यमन जैसे तटीय देशों में अतिरिक्त वर्षा हो सकती है, लेकिन वाष्पीकरण की उच्च मात्रा इसका प्रभाव शून्य कर देगी।
- किसान फसलों की सिंचाई में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। फलस्वरूप, वे और अधिक कुओं की खुदाई कर रहे हैं और पुराने एक्विफायरों से अधिक पानी का निष्कर्षण कर रहे हैं।
- नासा द्वारा सैटेलाइट का उपयोग कर किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि 2003 से 2010 के बीच टिगरिस और यूफ्रेट्स बेसिनों से 144 घन किलोमीटर (मृत सागर के आयतन के बराबर) ताजा पानी समाप्त हो चुका है। इस कमी का मुख्य कारण कम वर्षा की भरपाई हेतु भूजल का निष्कर्षण था।

नोट :

- जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से भी अस्थिर बना रहा है। जब उत्तरी सीरिया में 2007 से 2010 के मध्य अकाल की स्थिति थी, तो वहाँ से लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने उन शहरों की तरफ पलायन किया, जहाँ पहले से ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
- ईरान में 1990 के दशक से ही अकालों की श्रृंखला ने बहुत सारे किसानों को ग्रामीण इलाकों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में इन समस्याओं ने किसी न किसी हद तक दोनों देशों की बिगड़ती दशा में आग में घी का काम किया है संसाधनों की कमी की आशंका मात्र ही टकराव को जन्म दे सकती है। इसका उदाहरण हमें तब देखने को मिला, जब इथियोपिया ने नील नदी पर एक बड़ा बांध बनाना शुरू किया, जो इस नदी के जल प्रवाह में कमी ला सकता था, तो मिस्र ने इथियोपिया को युद्ध की धमकी दे डाली।

### संभावित उपाय

- हालाँकि, वैज्ञानिकों ने ऐसे उपाय सुझाए हैं, जिन्हें अपनाकर अरब देश जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकते हैं। जैसे- कृषि उत्पादन को तापमान प्रतिरोधी फसलों की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- इजरायल ड्रिप सिंचाई का उपयोग करता है, जिससे पानी की बचत होती है। अन्य देश भी इस तरीके को अपना सकते हैं।
- शहरों की संरचना में परिवर्तन कर उन्हें 'नगरीय ऊष्मा द्वीप' बनने से बचाया जा सकता है।
- कुछ देश पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। उदाहरणस्वरूप, मोरक्को रेगिस्तान में एक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। सऊदी अरब तेल निर्यात को कम तो नहीं कर रहा है, लेकिन यह भविष्य में एक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अनिवार्य रूप से जलवायु अनुकूलन हेतु प्रयास करने होंगे। अन्यथा भविष्य में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

---

# PM 2.5 में नाइट्रोजन कण का सबसे बड़ा हिस्सा : अध्ययन

## चर्चा में क्यों?

भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण के पहले मात्रात्मक मूल्यांकन (quantitative assessment) रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 में नाइट्रोजन कणों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कार्डियोवैस्कुलर (हृदय संबंधी) रोगों और श्वसन से संबंधी बीमारियों से निकटता से जुड़ा है।

### नाइट्रोजन उत्सर्जन के कारण व प्रभाव

- अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतकालीन फसल अवशेषों को जलाने से उत्पन्न धुआँ नाइट्रोजन उत्सर्जन का महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता माना गया है।
- यह प्रतिवर्ष 240 मिलियन किलोग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx: नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिये एक सामान्य शब्द है जो वायु प्रदूषण, अर्थात् नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिये सर्वाधिक प्रासंगिक है) और लगभग 7 मिलियन किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$) का योगदान देता है।
- भारतीय नाइट्रोजन आकलन, भारतीय पर्यावरण में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन के स्रोतों, प्रभावों, प्रवृत्तियों और भविष्य के परिदृश्यों का आकलन करता है।
- यद्यपि कृषि अवशेष नाइट्रोजन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता बने हुए हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के गैर-कृषि उत्सर्जन भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसका कारण है बिजली, परिवहन, उद्योग और जीवाश्म ईंधन का जलना।
- 1991 से 2001 तक भारतीय NOx का उत्सर्जन 52% था जो 2001 से 2011 तक 69% पर पहुँच गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में कोयले, डीजल और अन्य ईंधन दहन स्रोतों से NOx उत्सर्जन सालाना 6.5% बढ़ रहा है।
- उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन कृषि के लिये मुख्य इनपुट में से एक है, लेकिन खाद्य श्रृंखला के साथ अक्षमता का मतलब है कि 80% नाइट्रोजन बर्बाद हो जाता है जो वायु तथा जल प्रदूषण के अलावा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है और इससे मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और आजीविका के लिये खतरा पैदा होता है।

नोट :

- कृषि योग्य मिट्टी ने 2010 में भारत से 70% से अधिक $N_2O$ उत्सर्जन में योगदान दिया, इसके बाद अपशिष्ट जल (12%) और आवासीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियों (6%) का योगदान है।
- 2002 से $N_2O$ ने भारतीय कृषि की दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस (GHG) के रूप में मीथेन का स्थान ले लिया है।
- रासायनिक उर्वरक (जिसमें 82% से अधिक यूरिया होता है) भारत में सभी कृषि संबंधी $N_2O$ उत्सर्जन में 77% से अधिक योगदान देता है, जबकि गोबर की खाद तथा वानस्पतिक खाद (compost) का योगदान $N_2O$ उत्सर्जन में 23% है|
- अधिकांश उर्वरक (70% से अधिक) की खपत अनाज, विशेष रूप से चावल और गेहूँ के उत्पादन में की जाती है, जो भारत में $N_2O$ उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार है।

### मवेशी उत्सर्जन

- 80% अमोनिया उत्पादन के लिये मवेशी ज़िम्मेदार हैं, हालाँकि स्थिर जनसंख्या के कारण उनकी वार्षिक वृद्धि दर 1% है।
- भारत विश्व स्तर पर अमोनिया उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है जो $NO_x$ उत्सर्जन का लगभग दोगुना है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि की वर्तमान दर के आधार पर $NO_x$ उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्जन से अधिक होगा और 2055 तक यह 8.8 टन तक पहुँच जाएगा|
- दूसरी ओर कुक्कुट उद्योग ने 6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, 2016 में 0.415 टन के प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों का उत्सर्जन दर्ज किया है। इसके 2030 तक 1.089 टन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि कृषि के लिये अपशिष्ट जल पोषक तत्त्व की रिकवरी / रीसाइक्लिंग से सीवेज और अपशिष्ट जल से $N_2O$ उत्सर्जन को 40% तक घटाया जा सकता है।

---

## भारत के भूजल में घुला है व्यापक मात्रा में यूरेनियम

### संदर्भ

शोधकर्त्ताओं ने 16 भारतीय राज्यों के भूजल में व्यापक यूरेनियम संदूषण पाया है। जर्नल एन्वायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित यह निष्कर्ष भारत के भूजल में यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा को लेकर पहली रिपोर्ट है।

### प्रमुख बिंदु

- कई अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि पीने के पानी में यूरेनियम की उपस्थिति के कारण गुर्दे से संबंधित ख़तरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा पिछले जल गुणवत्ता के अध्ययनों का विश्लेषण करके, उत्तर-पश्चिम भारत के 26 अन्य ज़िलों और दक्षिणी या दक्षिण-पूर्वी भारत के नौ ज़िलों में यूरेनियम के उच्च स्तर के साथ प्रदूषित जलवाही स्तरों की पहचान की गई।
- राजस्थान के कई जिलों में भूजल में सर्वाधिक यूरेनियम संदूषण पाया गया।
- भूजल में यूरेनियम के स्तर के लिये कोई निर्धारित मानक नहीं है।

### कैसे किया गया शोध?

- एन्वायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित शोध के अनुसार, शोधकर्त्ताओं ने जल के गुण-धर्मों का विश्लेषण करने के लिये राजस्थान और गुजरात राज्यों के 324 कुओं से पानी के नमूने एकत्र किये।
- नमूने के एक उप-समूह में उन्होंने यूरेनियम आइसोटोप के अनुपात को मापा। उन्होंने राजस्थान, गुजरात और 14 अन्य भारतीय राज्यों में भूजल के गुण-धर्मों के 68 पिछले अध्ययनों से इसी तरह के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया।

### राजस्थान का भूजल सर्वाधिक यूरेनियम संदूषित

शोधकर्त्ताओं के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों के भूजल में यूरेनियम का स्तर उच्च हो सकता है। राजस्थान में परीक्षण किये गए सभी कुओं में से लगभग एक-तिहाई के जल में यूरेनियम का स्तर पाया गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और US एन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के सुरक्षित पेयजल मानकों से अधिक है।

नोट :

### भूजल में यूरेनियम की व्यापकता के कारण

- निष्कर्षों से पता चला है कि यूरेनियम संदूषण का मुख्य कारण प्राकृतिक है, लेकिन भूजल स्तर मंह गिरावट, कृषि सिंचाई के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन और नाइट्रेट प्रदूषण जैसे मानवीय कारक इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसके कारण भूजल में यूरेनियम का स्तर बढ़ जाता है।

### निर्धारित मानक

WHO ने सुरक्षित पेयजल मानक के अंतर्गत भारत के लिये प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम निर्धारित की है। यह मात्रा अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मानकों (U.S. EPA) के अनुरूप है। इसके बावजूद, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर के तहत निगरानी किये जाने वाले प्रदूषकों की सूची में यूरेनियम को शामिल नहीं किया गया है।

### निष्कर्ष

- हालाँकि पिछले अध्ययनों ने भारत के केवल कुछ ही ज़िलों में उच्च यूरेनियम के स्तर को संदर्भित किया है लेकिन इस विश्लेषण ने इस तरह के प्रदूषण के बारे में एक विहंगम दृष्टिकोण प्रदान किया है।
- इस अध्ययन के नतीज़ों से स्पष्ट है कि भारत को अपने मौजूदा जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रमों को संशोधित करने और उच्च यूरेनियम प्रसार के क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

---

## बन्नेरघट्टा बफर ज़ोन गंभीर खतरे में

### संदर्भ

कर्नाटक के 73 पर्यावरण-संवेदनशील गाँव, जिनमें से 22 'लाल सूची' में शामिल गाँव हैं, को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बफर ज़ोन से बाहर रखा गया है, जो कि बंगलूरू का सबसे बड़ा, शहरी वन क्षेत्र है। 'लाल सूची' में ऐसे गाँव शामिल हैं जो वन के नज़दीक हैं और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं। जबकि वन के नज़दीक खनन परियोजनाओं को रोकने के लिये शहर में एक आंदोलन शुरू किया गया है। खनन परियोजनाओं के कारण पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस राष्ट्रीय उद्यान के बफर ज़ोन पर दबाव बढ़ेगा जिससे इस पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है।

### पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (eco-sensitive zone-ESZ)

- सिद्धांत नोलखा ने बंगलूरू में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट के साथ एक फैलोशिप के दौरान इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) का अध्ययन किया।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 2016 की रिपोर्ट जो इस क्षेत्र में गाँवों को इको-सेंसिटीविटी की पाँच श्रेणियों में रखती है, का उपयोग करते हुए श्री नोलखा ने पाया कि इको-सेंसिटीविटी के शीर्ष दो स्तरों के 147 गाँवों में से 58 को ईएसजेड के मसौदे में शामिल किया गया था।
- 16 और गाँव आंशिक रूप से शामिल हैं (यानी गाँव में केवल 100 मीटर तक), जबकि 73 को बाहर रखा गया है।
- इनमें से शोधकर्त्ताओं ने 'लाल सूची' में 22 गाँवों को रखा। पर्यावरण और वन मंत्रालय घने आबादी वाले इलाकों में बफर ज़ोन को 100 मीटर तक कम करने की इज़ाज़त देता है और यह उत्तरी किनारे के संदर्भ में समझ में आता है जहाँ बंगलूरू स्थित है। लेकिन, निहित हितों के अलावा पार्क के केंद्रीय और दक्षिणी सीमाओं में कम निर्माण क्षेत्र वाले गाँवों को बाहर करने का कोई तार्किक कारण नहीं है।
- ईएसजेड में कमी को ध्यान में रखते हुए श्री नोलखा का मानना है कि बफर ज़ोन क्षेत्र की रक्षा करने में बहुत कम मदद करेगा।
- बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क 21 शहरी वनों में से पहला है जिस पर शोध किया गया है।
- निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किये जाएंगे, जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) के मामले की सुनवाई कर रहा है।

### मानव-हाथी संघर्ष

- अध्ययन में पाया गया है कि इस कम बफर ज़ोन को सुरक्षित करना एक चुनौती हो सकती है।

नोट :

- बीडीए का मास्टर प्लान ईएसजेड का उल्लेख करता है और यथा स्थिति बनाए रखने की सिफारिश करता है। अध्ययन के अनुसार जिन प्रमुख पारगमन परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है या जिन्हें लागू किया जा रहा है उन पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
- कनकपुरा रोड को फोर लेन में बदलने, बन्नेरघट्टा रोड पर मेट्रो, जो कि गौडिगेर तक जाती है के चलते बिदादी और रामानगरम को जोड़ने वाली उपनगरीय सीमा में भूमि की कीमतें बढेंगी और अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएँ दिखाई देंगी।
- जिगानी औद्योगिक क्षेत्र इसके निकट स्थित है और बन्नेरघट्टा के नज़दीक गाँवों में सस्ते आवासों की मांग है।
- यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासियों का समायोजन हो रहा है और इसने जंगल से क्षेत्र को पृथक कर दिया है, जिसे हम अन्य संरक्षित क्षेत्रों में नहीं पाते हैं, जहाँ कई लोग वनों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।
- इससे मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वन्यजीवन के लिये एक संगत गलियारा प्रदान करने को ईएसजेड के सिद्धांत बन्नेरघट्टा में कमज़ोर हैं।
- ईएसजेड सिर्फ 5 किलोमीटर तक का बफर क्षेत्र नहीं है इसे रोरीच फार्म से कनकपुर तक बढ़ाया जाना चाहिये जहाँ गाँव में अक्सर हाथी आते हैं।
- उचित बफर क्षेत्र और मार्गों की कमी के कारण आने वाले समय में फार्मों में बहुत अधिक संख्या में हाथी दिखाई देंगे, खासकर रागी कटाई के मौसम के दौरान।

### इको-सेंसिटिव ज़ोन

- इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) या पारिस्थितिक रूप से कमज़ोर (frazile) एरिया (EFA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र होते हैं।
- ईएसजेड घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संभावित जोखिम को कम करना है।

### बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान

- बंगलूरू, कर्नाटक के पास बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में हुई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था।
- 2002 में उद्यान का एक हिस्सा, जैविक रिज़र्व बन गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है।
- यह एक चिड़ियाघर, एक पालतू जानवरों का कार्नर, एक पशु बचाव केंद्र, एक तितली संलग्नक, एक मछलीघर, एक सांप घर और एक सफारी पार्क के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है।
- कर्नाटक का चिड़ियाघर प्राधिकरण, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरू और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट (ATREE), बंगलूरू इसकी सहयोगी एजेंसियाँ हैं।

## केरल के जंगलों में शिकारियों द्वारा हाथीदाँत का घातक खेल

### संदर्भ

हाल ही में शिकारियों की तलाश में जाँचकर्त्ताओं की टीम ने दक्षिण भारत में वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है और जाँच में पाया है कि इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों का शिकार कर उनके दाँतों की तस्करी की जा रही है। एक आयुर्वेदिक व्यवसायी और वन्यजीव ट्रॉफी के खरीदार के रूप में प्रस्तुत एक प्रवर्तन अधिकारी ने संदिग्धों से मुलाकात की जिसके तहत कुछ अमीर खरीदारों के नाम उजागर हुए हैं। जाँच के दौरान एक डिलीवरी स्पॉट की भी पहचान हुई है। जाँच टीम ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और 26 मई को 13 किलो हाथीदाँत जब्त किया गया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वन अधिकारियों का कहना है कि जनवरी 2017 के बाद से उन्होंने केरल में तस्करी से 50 किलो से ज़्यादा हाथीदाँत जब्त किया है।

- 2017 में क्रमश: वायनाड, कोट्टायम और त्रिशूर ज़िलों में चित्ताथु, नागरणपारा और पार्याराम में जंगली हाथियों के कम-से-कम तीन शवों की खोज की गई।
- अपघटित शवों का पोस्टमॉर्टम परीक्षण करना संभव नहीं था। हाथियों के क्षत-विक्षत शरीर विघटित अवस्था में पाए गए, जबकि एक हाथी का शव जले हुए अवस्था में पाया गया जो कि संभवत: जंगल की आग के कारण या वन्यजीव तस्करों द्वारा जलाया गया था।
- अधिकारियों का कहना है कि राज्य के 20 वन क्षेत्र हाथियों के शिकार के लिये संवेदनशील हैं, खासतौर पर मानसून के दौरान।
- संवेदनशील क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के वन क्षेत्र भी शामिल हैं।
- 2014-15 में मुख्य संरक्षक बी. एस. कोरी द्वारा की गई समीक्षा ने वन विभाग के लिये संवेदनशील संरक्षित स्थलों का मानचित्र बनाने में मदद की।

### ऑपरेशन शिकार

- 21 मई, 2015 को अथिरपल्ली वन सीमा के अधिकारियों के समक्ष के. डी. कुंजुमन की अपराध स्वीकारोक्ति ने उन्हें "ऑपरेशन शिकार" के लिये प्रेरित किया था, जिसके परिणामस्वरूप 464 किलोग्राम हाथीदाँत और 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
- जाँच में यह तथ्य सामने आया कि कैसे शिकारियों ने हाथियों को मार डाला, हाथियों के दाँत को निकाले और उन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित बिचौलियों तक पहुँचाया।
- तिरुवनंतपुरम दक्षिण भारत में हाथीदाँत व्यापार का प्रमुख केंद्र है क्योंकि यहाँ परंपरागत कारीगरों का विशाल पूल है जो पशुओं की हड्डी और हाथीदाँत से नक्काशीदार मूर्तियाँ व ट्राफियाँ बनाने में निपुण हैं।
- तस्कर इन मूर्तियों या इनसे बने अन्य वस्तुओं के लिये अधिक कीमत देते हैं।
- ऑपरेशन शिकार द्वारा हाथीदाँत तस्करी में लिप्त नई दिल्ली में एक गुप्त गोदाम को भी लक्षित किया गया।
- वीरप्पन ने दो दशक से अधिक समय तक दक्षिण के तीन राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 6,000 वर्ग किमी के घने जंगलों में राज किया था और 200 से अधिक हाथियों को मारकर करोड़ों रुपए के हाथीदाँतों की तस्करी की थी।
- अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हाथियों के बड़े झुंडों की पहचान और नामकरण करके उनके ऊपर आने वाले खतरों का बेहतर ढंग से जवाब दिया है।
- उन्होंने आवागमन को ट्रैक करने के लिये जीपीएस के साथ वन निरीक्षक को लैस करने और शिकारियों को रोकने के लिये कैमरा, जाल और अन्य रिमोट सेंसर लगाए जाने का भी सुझाव दिया है।

### हाथीदाँतों का तस्करी का कारण

- हाथीदाँत के लिये हाथियों का अवैध शिकार किया जाता है तथा उनकी संख्या तेज़ी से गिरने के कारण वह जंगल में संकटग्रस्त हो गए हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथीदाँत के व्यापार पर रोक लगा दी गई है।
- एक आयुर्वेदिक तेल 'हथादंथा माशी' (hathadantha mashi) को बनाने में हाथीदाँत का उपयोग होता है। यह आयल बालों को गिरने से रोकने के लिये इस्तेमाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस औषधि की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
- हाथीदाँत का उपयोग कीमती मूर्तियाँ व ट्राफियां बनाने तथा विभिन्न प्रकार के नक्काशी में भी किया जाता है।

---

## नदी पारिस्थितिकी पर छोटे बांधों का भी गंभीर प्रभाव

### चर्चा में क्यों ?

ऐसा माना जाता है कि छोटे बांध बड़े बांधों की तुलना में कम पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनते हैं। लेकिन भारत में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर पहला अध्ययन साबित करता है कि छोटे बांध भी बड़े बांधों की तरह गंभीर पारिस्थितिकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसमें मछली समुदायों में परिवर्तन और नदी के प्रवाह का बदलना शामिल है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह देखने के लिये कि वास्तव में ऐसे छोटे बांध कितने पर्यावरण अनुकूल हैं, बंगलूरू फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल रिसर्च, एडवोकेसी एंड लर्निंग (FERAL) तथा अन्य संगठनों के वैज्ञानिकों ने तीन सहायक नदियों की लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया।
- इसमें पश्चिम में नेत्रवती नदी के दो बांध तथा कर्नाटक के घाट शामिल हैं।
- उन्होंने तीन ज़ोनों का विस्तार से अध्ययन किया, बांध (अपस्ट्रीम) के ऊपर, बांध की दीवार और पावरहाउस के बीच का क्षेत्र जहाँ कभी-कभी पानी बिल्कुल नहीं होता है तथा पावरहाउस से नीचे (downstream) जो कि पूरी तरह से जल रहित होता है।
- यहां, उन्होंने पानी की गहराई और चौड़ाई में अंतर का अध्ययन किया, जो दर्शाता है कि नदी के बाशिंदों (denizens) के लिये कितना आवास उपलब्ध है और विघटित ऑक्सीजन सामग्री और पानी के तापमान सहित अन्य कारकों के माध्यम से आवासीय गुणवत्ता कैसी है।
- उनके द्वारा किये गए अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि अवरुद्ध भाग के जल प्रवाह में हुए परिवर्तन ने धारा की गहराई और चौड़ाई को कम कर दिया है साथ ही इन हिस्सों में पानी भी गर्म था और घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी कम था।
- ये परिवर्तन 'जल निष्कासित' क्षेत्रों में सबसे स्पष्ट थे जबकि सूखे भागों में और भी खराब हो गए थे।

### प्राकृतिक वास की गुणवत्ता

- प्राकृतिक वास की मात्रा और गुणवत्ता में कमी का असर मछलियों की विविधता में भी दिखाई दिया।
- टीम द्वारा अध्ययन के दौरान अनियमित हिस्सों में मछली प्रजातियों की एक उच्च विविधता दर्ज की गई है, जिसमें स्थानिक प्रजातियाँ (जो केवल पश्चिमी घाटों में देखी गई हैं) शामिल हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फैलाव वियोजित हो जाने से नदी के प्रवाह में बाधा आती है।
- घाटों में नदियों पर काफी संख्या में बनने वाली ऐसी छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को गंभीर चिंता का विषय माना गया है क्योंकि इनके लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं होती है।
- सवाल छोटे बनाम बड़े बांधों का नहीं है, यदि उचित विनियम हैं तो छोटे बांध बुरे नहीं होते हैं।
- विनियमों में नदी के बेसिन में बांधों की संख्या सीमित करना या उस नदी के बहाव पर बांधों के बीच न्यूनतम दूरी को बनाए रखना शामिल हो सकता है।

### जल विद्युत परियोजना

- ऐसे हाइड्रोप्रोजेक्ट्स, जो आमतौर पर 25 मेगावाट से कम बिजली उत्पन्न करते हैं तथा नदी में दीवार बनाकर पानी को रोका जाता है जो नदी के प्रवाह में बाधा डालते हैं, एक बड़ी पाइप द्वारा एकत्रित पानी को टरबाइन के माध्यम से पावरहाउस में बिजली उत्पन्न करने के लिये प्रयोग किया जाता है और फिर कैनाल द्वारा पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है।
- इन्हें बड़े बांधों से बेहतर माना जाता है क्योंकि ये कम क्षेत्रों को जल प्लावित करते हैं और नदी के प्रवाह को बहुत कम प्रभावित करते हैं।
- ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल होने के लिये वित्तीय सब्सिडी मिलती है यहाँ तक कि कार्बन क्रेडिट भी।

## बढ़ता $CO_2$ खतरनाक चरम मौसम की वृद्धि कर सकता है : अध्ययन

### चर्चा में क्यों ?

जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उच्च वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) सांद्रता सीधे तापमान और चरम वर्षा सीमा में वृद्धि करती है, जिसका अर्थ है कि इन चरम सीमाओं में खतरनाक परिवर्तन हो सकते हैं, भले ही वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रहे। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, चरम मौसम के कारण होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिये 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए अध्ययन में $CO_2$ सांद्रता पर स्पष्ट सीमाओं के साथ तापमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जलवायु नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- जलवायु परिवर्तन शमन के लिये अधिकांश ध्यान पेरिस में आयोजित 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर वार्मिंग सीमित करने के लक्ष्य पर रहा है।
- हालाँकि, वायुमंडलीय $CO_2$ की सांद्रता को 1.5 डिग्री सेल्सियस के वार्मिंग स्तर तक सीमित करना है लेकिन यह जलवायु की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।
- ऑक्सफोर्ड और HAPPI-MIP प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों के शोधकर्त्ताओं (आधा डिग्री अतिरिक्त वार्मिंग, प्रोग्नोसिस एंड प्रोजेक्ट इंपैक्ट्स मॉडल इंटरकंपरिजन प्रोजेक्ट-prognosis and project impacts model intercomparision project) $CO_2$ की सांद्रता की सीमा के तहत भविष्य के मौसम का अनुमान किया गया जो कि ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप हो सकता है।
- मॉडल में इस सीमा के ऊपरी छोर पर $CO_2$ के स्तर को उत्तरी गोलार्द्ध में ग्रीष्मकालीन तापमान, हीट स्ट्रेस और उष्णकटिबंधीय चरम वर्षा सीमाओं को बढ़ते हुए दिखाया गया था।
- अध्ययन के अनुसार यहाँ तक कि यदि कम तापमान प्रतिक्रिया, तापमान लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करती है, तब भी चरम सीमा में 'खतरनाक' परिवर्तन हो सकते हैं - दूसरे शब्दों में, वर्तमान में अपेक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का भी लोगों पर गंभीर मौसमी प्रभाव पड़ेगा।
- शोध उच्च प्रभाव वाले मौसमी चरम सीमाओं के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने के लिये स्पष्टत: $CO_2$ की सांद्रता के लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता को इंगित करता है।
- यह जीओ-इंजीनियरिंग के मौजूदा निष्कर्षों का भी समर्थन करता है जो समाधान प्रस्तावित करते हैं तथा जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से $CO_2$ सांद्रता को कम किये बिना चरमसीमा में बदलावों के विपरीत प्रभावी नहीं हो सकता है।
- जीओ-इंजीनियरिंग तकनीकें जो पृथ्वी की सतह पर प्रकाश डालने वाली सूर्य की किरणों को कम करती हैं, उन्हें पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों के रूप में माना जाता है क्योंकि वे सतह के तापमान को कम करती हैं।
- हालाँकि नतीजे बताते हैं कि चरम जलवायु जैसे हीटवेव के लिये, वैश्विक औसत तापमान बदलना पर्याप्त नहीं है, हमें $CO_2$ सांद्रता को कम करने की आवश्यकता है।
- यह शोध मेलबर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं, ईटीएच ज्यूरिख, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और जापान के सुकुबा में राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से किया गया था।

## देश में जल संकट पर नीति आयोग की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

नीति आयोग द्वारा जारी 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' के मुताबिक, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट की स्थिति का सामना कर रहा है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में जल की मांग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6% की कमी होने का अनुमान है। इससे करोड़ों लोगों के सामने जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।

### समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन की है। इस रिपोर्ट ने प्रतिबिंबित किया है कि जिन राज्यों ने पानी को सही तरीके से प्रबंधित किया है, उन्होंने उच्च कृषि वृद्धि दर प्रदर्शित की है।

- मध्य प्रदेश में 22-23 फीसदी की वृद्धि दर है, जबकि गुजरात में 18 फीसदी की वृद्धि दर है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर विकास किया है, साथ ही प्रवास को कम किया है और शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव कम किया है।
- जल प्रबंधन के मानकों पर राज्यवार प्रदर्शन रिपोर्ट, 2016-2017 के संदर्भ में गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ दूषित पानी के शोधन की क्षमता विकसित ही नहीं की गई है। भू-जल के इस्तेमाल का नियमन भी इन राज्यों में नहीं है। वहीं, ग्रामीण बसावट में साफ पेयजल की आपूर्ति लगभग नगण्य है।
- MoWR के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परिदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1,180 BCM होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता मात्र 695 BCM है।
- देश में प्रस्तावित जल की मांग 1137 BCM की तुलना में अभी भी काफी कम है|
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे जल संसाधनों और उनके उपयोग के लिये हमारी समझ को बढ़ाने और ऐसी जगहों पर हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ पानी को स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सके|
- सूचकांक (2015-16 स्तर से अधिक) में वृद्धिशील परिवर्तन के मामले में, राजस्थान अन्य सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।
- आयोग ने भविष्य में इन रैंकों को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया है|
- सूचकांक में 28 विभिन्न संकेतकों के साथ नौ व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भू-जल के विभिन्न पहलुओं, जल निकायों की बहाली, सिंचाई, कृषि प्रथाओं, पेयजल, नीति और शासन शामिल हैं।
- विश्लेषण के प्रयोजन के लिये विभिन्न जलविद्युत स्थितियों के कारण राज्यों को दो विशेष समूहों - 'उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों' तथा 'अन्य राज्यों' में बाँटा गया था।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिये उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

## प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता संजाल

### चर्चा में क्यों?

- हमारे समुद्र तटों, जलमार्गों, वनों और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी पाए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की भारी मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के लिये "प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ"(beat plastic pollution) विषय को चुना।
- भारत में भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है जिसे देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) के साथ मिलकर 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अवसर और चुनौतियाँ' नामक एक चर्चा-पत्र जारी किया गया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपीय संघ ने पर्यावरण दिवस के अवसर को चम्मच, कॉटन बड्स और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के बारे में चर्चा के लिये चुना। जब संबंधित कानून पारित होगा तो अपशिष्ट को इकट्ठा करने और निस्तारित करने का दायित्व इन उत्पादों के निर्माताओं पर होगा।
- इसके सदस्य देशों को 'उपयोग करो और फेंको' की संस्कृति को हतोत्साहित करने के लिये 2025 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पेय की बोतलों का 90 प्रतिशत इकट्ठा करने और निर्माताओं को टिकाऊ सामग्रियों में बदलने की भी आवश्यकता होगी।

नोट :

## भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये संगठित तंत्र का अभाव

- TERI द्वारा जारी किये गए पत्र ने कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत लगभग 11 किलोग्राम है, जो 28 किलोग्राम के वैश्विक औसत से काफी कम है, लेकिन इसमें से केवल 60 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण हो पाता है।
- चिंता का प्रमुख कारण प्रति दिन उत्पन्न 15,342 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिये एक संगठित तंत्र की कमी है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़ों के अनुसार, कुल ठोस कचरे में प्लास्टिक का योगदान 8 प्रतिशत होता है, इसमें सर्वाधिक योगदान दिल्ली का फिर कोलकाता और अहमदाबाद का है।
- इसके अलावा, चर्चा-पत्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमान का उद्धरण देता है, जिसमें 2022 तक भारत में 20 किग्रा. प्लास्टिक की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान लगाया गया है, जिसका समाधान न करना बड़े संकट को आमंत्रित करेगा।

## TERI द्वारा दिये गए कुछ सुझाव

- TERI के चर्चा-पत्र में कुछ वहनीय विकल्पों की सूची दी गई है, जिनकी खोज इसकी शोध और नीति दल ने इस मुद्दे को हल करने के लिये की है, हालाँकि कुछ परीक्षण अभी भी किये जा रहे हैं।
- पहला विकल्प है अल्पकालिक उपयोग वाले उत्पादों के लिये थोड़ा महँगे, बायो-आधारित और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन करना जो स्टार्च, सेलुलोज़ और पॉलिलेक्टिक एसिड का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है।
- दूसरा विकल्प जिसे चर्चा-पत्र में 'व्यवहार्य और तकनीकी रूप से सुसंगत' कहा गया है, वस्तुत: उन तकनीकों का उपयोग करके प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित है जिनके माध्यम से कच्चे माल की दूसरी आपूर्ति श्रृंखला का उत्पादन किया जा सकता है। अपशिष्ट पदानुक्रम के अनुसार, पुनर्चक्रण के माध्यम से द्वितीयक कच्चे माल की पुनर्प्राप्ति को पुन: उपयोग के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- शोध के तहत तीसरा विकल्प अपशिष्ट प्लास्टिक से ईंधन उत्पन्न करना है।
- चौथा विकल्प गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये अन्य उपयोगी अनुप्रयोगों को ढूँढना है। वर्तमान में इसको बिटुमिन के साथ मिलाकर सीमेंट भट्टियों में और सड़कों को बिछाने के लिये उपयोग किया जा रहा है।

## प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये कानूनी प्रावधान

- प्लास्टिक अपशिष्ट में हो रही वृद्धि के कारणों में कानूनों का उचित रूप से क्रियान्वयन न किया जाना एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।
- इन नियमों में अपशिष्ट एकत्रित करने की ज़िम्मेदारी राज्य निगरानी समितियों की देखरेख में शहरी स्थानीय निकायों पर डाली गई।
- साथ ही, इन नियमों में प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिये एक मानक निर्धारित किया गया और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लिये शुल्क वसूलना अनिवार्य कर दिया गया।
- 2016 में ये नियम कई पहलुओं में अधिक कड़े हो गए। सबसे महत्त्वपूर्ण पहल विस्तारित उत्पादकों की ज़िम्मेदारी (ईपीआर) की शुरुआत थी जहाँ निर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिये, एक कोल्ड ड्रिंक निर्माता को पीईटी बोतल वापस लेनी होती।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि निर्माताओं और प्लास्टिक वाहक बैग या बहु-स्तरीय पैकेजिंग का आयात करने वालों से ईपीआर के हिस्से के रूप में शुल्कों का संग्रह अनिवार्य था। फलस्वरूप इससे स्थानीय प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति मज़बूत होती और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा मिलता।
- लेकिन 2018 में नियमों में कुछ फेरबदल देखे गए, जो इन्हें थोड़ा लचर बनाते हैं। इसलिये, धारा 9 (3) के तहत अधिसूचित नियमों में, 'गैर-पुनर्चक्रण योग्य एमएलपी' शब्द को 'एमएलपी' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो कि गैर-पुनर्चक्रण योग्य या गैर-ऊर्जा प्राप्ति योग्य है और जिसका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है। कैरी बैग की कीमतों से संबंधित धारा 15 को भी छोड़ दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, एक विक्रेता को अब शहरी स्थानीय निकाय को शुल्क का भुगतान करने या इसमें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रही। इसकी बजाय, एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली शुरू करने की योजना है जहाँ दो से अधिक राज्यों में काम करने वाले उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा।

नोट :

### प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये किये जा रहे नए प्रयास

- कुछ राज्य कानूनों के अनुपालन में काफी सक्रिय रहे हैं। गोवा उनमें से एक है और हाल ही में महाराष्ट्र ने इसका पालन किया है, जिसने मार्च में कैरी बैग और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था।
- TERI के शोध-पत्र के अनुसार इस दिशा में छोटे उद्यमियों को पुनर्चक्रण के लिये प्रोत्साहित करने और कुछ नवाचारी आर्थिक मॉडल तैयार किये जाने की आवश्यकता है। जैसे- कबाड़ीवाला निवासियों को समाचार पत्रों को अलग करने के लिये प्रोत्साहित करता है और बदले में नगर पालिका द्वारा तय की गई पूर्व निर्धारित कीमतों के अनुसार सूखे अपशिष्ट संग्रह केंद्रों द्वारा उसे भुगतान किया जाता है।
- इस वर्ष 5 जून को प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये नई राहें खोलने का प्रयास किया गया, जिनमें उद्योग आधारित कंसोर्टियम स्थापित करना शामिल था जो प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने के लिये आपूर्ति श्रृंखला बनाएगा।
- कंसोर्टियम में आठ सदस्य आदित्य बिड़ला समूह, रेड एफएम, किडज़ानिया इंडिया - इमागीनेशन एड्यूटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया (भारत) सीमेंट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और डीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ शामिल हैं; इसका उद्देश्य होगा 'अपशिष्ट-प्रमाणन भविष्य', और ऐसा करने के लिये यह अपशिष्ट प्रबंधन को स्थायी रूप से प्रबंधित करने हेतु आवश्यक संस्थागत और नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान करेगा।

### निष्कर्ष

हालाँकि कंसोर्टियम ने विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के लिये आपूर्ति श्रृंखला बनाने की कोशिश की है जो कि सभी हितधारकों के लिये एक व्यापारिक मामला है, यह देखा जाना बाकी है कि इस तरह के प्रयास लंबे समय तक कैसे जारी रहेंगे। जनता और सरकार की सक्रिय भागीदारी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अति आवश्यक है। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि यदि समाधान जल्दी से नहीं मिलते हैं तो भारत को प्लास्टिक अपशिष्ट के नीचे दफन होने की सबसे खराब स्थिति के लिये तैयार होना होगा।

---

## तापमान में वृद्धि का एक और कारण : भू उपयोग में बदलाव

### संदर्भ

अर्बन हीट आइलैंड विषय पर किये गए एक अध्ययन में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बढ़ते तापमान की एक नई वज़ह सामने आई है और यह है भू-उपयोग में तेज़ी से बदलाव। यह अध्ययन स्कूल ऑफ़ एन्वायरनमेंटल स्टडीज़ तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स द्वारा किया गया है। कई वर्षों तक चले इस अध्ययन के परिणामों को इंडिया हेबिटैट सेंटर में आयोजित 'विश्व सतत् विकास सम्मलेन' के दौरान जारी किया गया।

### अर्बन हीट आइलैंड

- इसके बारे में सबसे पहले 1810 के दशक में ल्यूक हॉवर्ड ने चर्चा की थी, हालाँकि उन्होंने इसे कोई नाम नहीं दिया था।
- अर्बन हीट आइलैंड (UHI) ऐसे महानगरीय क्षेत्र को कहा जाता है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक गर्म होता है।
- UHI प्रभाव मुख्यत: ज़मीन की सतह में परिवर्तन यानी बढ़ते शहरीकरण (जिसमें लघु तरंग विकिरण को संचित करने वाली सामग्रियों, जैसे- कंक्रीट, तारकोल आदि का उपयोग होता है) के कारण होता है।
- ऊर्जा के उपभोग से उत्पन्न ताप में वृद्धि होती है और पेड़-पौधों में कमी, वाहनों की बढ़ती संख्या तथा बढ़ती आबादी का भी इसमें योगदान होता है।
- ऐसे क्षेत्रों को भी ग्रीष्म द्वीप कहा जाता है, जहाँ की आबादी चाहे अधिक न हो, पर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में वहाँ का तापमान लगातार बढ़ता रहता है।
- वास्तव में जितना तापमान होता है, UHI के प्रभाव से उससे कहीं अधिक महसूस किया जाता है।
- न्यूयॉर्क, लन्दन टोक्यो, मुंबई, दिल्ली जैसे विश्व के कई महानगर UHI के उदाहरण हैं।
- UHI की वज़ह से प्रदूषण बढ़ता है, वायु एवं जल की गुणवत्ता घटती है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ता है।

- मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। UHI शहरों में गर्म हवाओं (लू) के परिणाम एवं अवधि को बढ़ाते हैं, जिससे काफी संख्या में मौतें होती हैं।

### कैसे किया गया अध्ययन ?

- इस अध्ययन में चार वर्षों- 1998, 2003, 2011 तथा 2014 के दौरान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों के बीच दो से तीन वर्ष के तापमान के आधार पर तुलना की गई।

### अध्ययन के परिणाम

- अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार, उन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई है जहाँ भू उपयोग में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है।
- भू उपयोग में परिवर्तन का प्रभाव जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक देखा गया है वे क्षेत्र हैं पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी दिल्ली।
- हरे-भरे तथा कृषि योग्य स्थानों पर औद्योगिक इकाइयाँ लगाने, रिहायशी कालोनी विकसित करने तथा विकास से संबंधित अन्य कार्यों के कारण इन भू-भागों के उपयोग में बदलाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप इन स्थानों के तापमान में भी एक से तीन डिग्री तक वृद्धि देखी गई।

### तापमान में वृद्धि का कारण

- पेड़-पौधे तथा फसलें वातावरण में उपस्थित नमी को सोखकर वाष्पीकरण के माध्यम से वातावरण को अनुकूल बनाए रखने में मदद करते हैं लेकिन इनके स्थान पर भवन निर्माण या औद्योगिक इकाई विकसित करने पर इनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ईंटें, कंक्रीट तथा टाइल्स इत्यादि ऐसा नहीं करती हैं, अतः इन स्थानों का तापमान बढ़ जाता है।

### तापमान में कमी लाने के लिये सुझाव

इस अध्ययन में तापमान में कमी लाने के लिये दिये गए सुझाव निम्नलिखित हैं:

- कृषि योग्य भूमि को खाली और सूखा नहीं रखना चाहिए क्योंकि जिन स्थानों पर खाली कृषि भूमि अधिक तथा हरियाली कम देखी गई है उन्हीं स्थानों के तापमान में वृद्धि हुई है।
- यदि किसी कृषि योग्य भूमि पर लंबे समय तक किसी प्रकार की फसल न उगाई जाए तो ऐसे स्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये।
- हरित क्षेत्रों में वृद्धि की जाए।
- सडकों के किनारे किया जाने वाला पौधरोपण भी तापमान में हो रही वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकता है।
- फुटपाथ पर सीमेंट वाली ईंटों के स्थान पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिये जिससे वर्षा का पानी इनके बीच के अंतरालों से होता हुआ ज़मीन के अंदर प्रवेश कर सके।
- छत पर किये जाने वाले पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाए।
- ग्रीन बिल्डिंग कोड को बढ़ावा देते हुए घर तथा ऑफिस की दीवारों पर हल्के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

### निष्कर्ष

- दिल्ली का तापमान साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। विकास के नाम पर वृक्षों का दोहन किया जा रहा है जिसके कारण हर साल गर्मी भीषण रूप धारण करती जा रही है। इस बढ़ती समस्या पर गंभीरता से विचार किये जाने के साथ-साथ इसके समाधान के लिये उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

---

## बेलीज़ का रीफ संकटापन्न स्थिति से बाहर हो सकता है

### चर्चा में क्यों ?

मीज़ोअमेरिकन रीफ, पानी के नीचे एक आश्चर्य दुनिया जिसका अस्तित्व वर्षों से खतरे में माना जा रहा था, अब बेलीज़ियन सरकार और सक्रिय कार्यकर्त्ताओं द्वारा इसे बचाने के लिये उठाए गए साहसिक कदम के परिणामस्वरूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संकटापन्न (threatened) सूची से हटाया जा सकता है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- बेलीज़ के तट से बस एक पत्थर फेंकने पर  कैरेबियन सागर के जल के नीचे एक विशाल चट्टान (reef) के चारों ओर शार्क, मंता रेज़ और समुद्री कछुए के साथ उज्ज्वल रंगीन उष्णकटिबंधीय मछली दिखाई देती है।
- ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के बाद आकार में दूसरे स्थान पर इस कैरीबियाई रीफ को 1996 में प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया था लेकिन बेलीज़ के आस-पास तेल अन्वेषण योजनाओं की अनुमति देने के कारण 2009 में इसे लुप्तप्राय स्थिति में रखा गया।
- चेतावनी में उन मैंग्रोव को भी शामिल किया गया जो रीफ की रक्षा में मदद करते हैं और क्षेत्र में रहने वाली सैकड़ों मछलियों की प्रजातियों के लिये प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। जिसने कार्यकर्त्ताओं को कार्रवाई के लिये प्रेरित किया।
- कार्यकर्त्ताओं ने 2012 में एक अनौपचारिक जनमत संग्रह का आयोजन किया, जिसमें 96% बेलीज़ियन ने देश के संभावित आर्थिक लाभों पर रीफ का चयन करते हुए अपतटीय तेल अन्वेषण के खिलाफ मतदान किया।
- चूँकि शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक इस रीफ पर आसन्न खतरों को देखते हुए  बेलीज़ियन सरकार ने चट्टान की रक्षा के लिये कई कानून बनाए।
- बेलीज़ के रीफ को संकटापन्न सूची से बाहर निकालने का विचार मनामा, बहरीन में इस सप्ताह की यूनेस्को की बैठक के दौरान आया था, जिसके कारण यूनेस्को विरासत स्थलों की संकटापन्न सूची से इस रीफ को हटाने पर विचार कर रहा है।
- मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के अग्रभाग से ग्वाटेमाला और होंडुरास तक फैले इस  रीफ की लंबाई 380 किमी. है। इसका संपूर्ण हिस्सा विश्व विरासत सूची में शामिल है।

## मानव तथा हाथी के बीच संघर्षों को रोकने के लिये हाथियों का स्थानांतरण

### चर्चा में क्यों?

असम में मानव तथा हाथी के बीच संघर्ष का दौर जारी है। असम के वन्यजीव अधिकारी मानव तथा हाथी के बीच संघर्षों को कम करने के लिये उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तर्ज़ पर हाथियों का प्रतिस्थापन करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन यह कार्य कहने में जितना आसान लगता है इस कार्य को करना उतना ही मुश्किल है।

### असम में हाथी गलियारों की स्थिति

उत्तर-पूर्व में 52 हाथी गलियारे हैं जो कि पूरे भारत में स्थित हाथी गलियारों का 35% हैं, ये सभी असम में स्थित हैं। इन गलियारों में से 15 से अधिक गलियारे जिनका प्रयोग अनुमानत: 9,350 हाथियों द्वारा किया जाता है, नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आते हैं।

### हाथियों के निकलने के लिये मार्ग नहीं

- मानव बस्तियों और बिजली के बाड़ तथा खाइयों जैसी बाधाओं ने इन गलियारों में से कुछ को अवरुद्ध कर दिया है, जो कभी असम के गोलपाड़ा ज़िले और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 40-50 हाथियों के दो झुंडों के आवागमन को सुगम बनाता था।
- कहीं से भी निकलने का मार्ग न होने के कारण ये हाथी लगभग एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं।
- इन हाथियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे एक सीमित क्षेत्र में ही एक ओर से दूसरी ओर विचरण करते रहते हैं।
- तथ्य यह है कि ज़िले में स्थित कई आरक्षित वन क्षेत्रों तथा प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्रों को अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया है। साथ ही, मछुआरों द्वारा 50 वर्ग किमी. की आर्द्र भूमि जिसे 'उर्पद बिल' के नाम से जाना जाता है, पर कब्ज़ा कर लिया गया है। हाथियों द्वारा इस क्षेत्र का प्रयोग आनंद लेने के लिये किया जाता था।

### मानव तथा हाथी के बीच संघर्ष की घटनाएँ

- गोलपाड़ा में 103 आरक्षित वन क्षेत्र हैं जो ज़िले के 20% भू-भाग पर स्थित हैं। अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व से ही अधिकांश हाथी 300 वर्गकिमी. के क्षेत्र में ही भ्रमण कर पाते हैं। अत: आवागमन के लिये पर्याप्त स्थान न होने कारण ये हाथी आक्रामक होकर गाँवों पर हमला करने लगे। इस तरह की घटनाओं में इस वर्ष अब तक 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- वन्यजीव अधिकारियों तथा सक्रिय भागीदारों के लिये इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि जहाँ पूर्व में ये घटनाएँ केवल सर्दियों के मौसम में होती थीं अब पूरे वर्ष होती हैं।

### ब्रह्मपुत्र घाटी

- ब्रह्मपुत्र घाटी बहुत अधिक संकीर्ण है, यहाँ इतना स्थान नहीं है कि मानव तथा हाथी बिना किसी संघर्ष के एक साथ निवास कर सकें।
- यह एक दु:साध्य समस्या है क्योंकि हाथियों का आवागमन लगभग हर स्थान पर अवरुद्ध है।

### समस्या निवारण के उपाय उत्तराखंड से प्रेरित

- वन्यजीव अधिकारियों तथा पशु चिकित्सकों द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिये जो रणनीति तैयार की गई है उसके अनुसार, अकेले भ्रमण करने वाले आवारा हाथियों तथा अन्य प्रकार की परेशानी उत्पन्न करने वाले हाथियों को स्थानांतरित कर दिया जाए।
- यह फैसला उत्तराखंड स्थित राजाजी नेशनल पार्क के समीप किये गए ऐसे प्रयास की सफलता को देखते हुए लिया गया है।
- यहाँ भी एक आक्रामक हाथी को प्रशमक औषधि दी गई तथा उस स्थान से 40 किमी. दूर स्थित एक नदी के पार उसे स्थानांतरित किया गया। हालाँकि यह हाथी कभी-कभी पहले की तरह आक्रामक हुआ लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण यह काफी शांत हो गया था।

### हाथी गलियारा क्या होता है?

- हाथी गलियारा भूमि का वह संकीर्ण भाग होता है जो दो बड़े आवासों को आपस में जोड़ता है। बहुत से ऐसे गलियारे पहले ही किसी-न-किसी सरकारी एजेंसी जैसे- वन या राजस्व विभाग के नियंत्रण में हैं। गलियारों में बड़ी वाणिज्यिक संपदाओं तथा अनाज या कृषि भूमि में अप्रयुक्त स्थानों को शामिल किया जा सकता है।

### निष्कर्ष

- हो सकता है कि स्थान परिवर्तन के बाद ये हाथी शांत हो जाएँ लेकिन स्थानांतरण के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है स्थानांतरण के लिये अनुकूल स्थान की तलाश।

---

## तमिलनाडु ने नई इकोटूरिज्म नीति का अनावरण किया

### चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये इकोटूरिज्म नीति का अनावरण किया है। नीति में स्थानीय सशक्तीकरण के लिये स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर ज़ोर दिया गया है।

### नीति के उद्देश्य

- नीति के उद्देश्यों में शामिल हैं- इकोटूरिज्म गंतव्य के रूप में प्राकृतिक क्षेत्रों की पहचान और विकास, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल आधारभूत संरचना को बढ़ावा, इकोटूरिज्म स्थलों को विकसित करना, बढ़ावा देना, रख-रखाव के लिये सभी हितधारकों के बीच भागीदारी की सुविधा और आजीविका के अवसरों का निर्माण तथा इकोटूरिज्म के संरक्षण में सहयोग के लिये स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना।
- इकोटूरिज्म जैव विविधता और प्राकृतिक मूल्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित ईको-साइट्स के मूल निवासियों, संस्कृतियों और परंपराओं से भी संबंधित है।
- तमिलनाडु में इकोटूरिज्म स्थलों को क्षेत्र के जैव विविधता से जुड़े अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिये महत्त्वपूर्ण साधनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

### योजनाबद्ध गतिविधियाँ

- राज्य का वन विभाग नीति लागू करने के लिये नोडल एजेंसी होगा और स्टेट इकोटूरिज्म बोर्ड (SEB) के रूप में एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) तैयार करेगा।
- इकोटूरिज्म विभिन्न लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसमें लंबी पैदल यात्रा, ट्रेकिंग (trekking), वन्यजीवों को देखना, नौकायन, फोटोग्राफी, संरक्षित क्षेत्र में औषधीय पौधों को देखने, शिल्प निर्माण, स्थानीय हस्तशिल्प, स्थानीय त्योहारों को बढ़ावा देना और साहसिक खेल शामिल होंगे।

- तटीय आर्द्रभूमि स्थलों में समृद्ध तथा विशेष वनस्पतियों और जीवों को देखने और उनकी सराहना करने के लिये स्नॉर्कलिंग (snorkelling), स्कूबा डाइविंग (scuba diving), टहलना और नाव की सवारी जैसी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है।
- SEB मूल्य निर्धारण, उचित पैकेजिंग और इकोटूरिज्म स्थलों की ब्रांडिंग पर एक रणनीति को अंतिम रूप देगा।
- इस नीति की समीक्षा पाँच साल बाद की जाएगी।

## 2050 तक भारतीय जीडीपी के 2.8% क्षति हेतु उत्तरदायी होगा जलवायु परिवर्तन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और मानसूनी बारिश के बदलते प्रतिमान की कीमत भारत को जीडीपी में 2.8 प्रतिशत की कमी के रूप में चुकानी होगी। इसके कारण 2050 तक देश की लगभग आधी आबादी प्रभावित हो सकती है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित मध्य भारत के 10 ज़िलों (महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कुछ ज़िले) होंगे, जिन्हें रिपोर्ट में गंभीर "हॉटस्पॉट" के रूप में पहचाना गया है।
- अतीत के अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ और सूखे के साथ-साथ समुद्री जल स्तर की वृद्धि जैसे चरम मौसमी घटनाओं का इन क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पहली बार इस क्षेत्र के मौसम में क्रमिक परिवर्तनों के अवांछित परिणामों को सारणीबद्ध (tabulated) किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, उन स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ औसत तापमान और वर्षा में परिवर्तन जीवन स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- जिन स्थानों पर जीवन स्तर का नुकसान 8 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें गंभीर हॉटस्पॉट के रूप में और 4 से 8 प्रतिशत के बीच की स्थिति को "औसत दर्जे" (moderate) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

### गंभीर हॉटस्पॉट

- विश्व बैंक के मुताबिक, हॉटस्पॉट न केवल ऐसे स्थान हैं जहाँ उच्च तापमान पाया जाता है बल्कि ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये स्थानीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक क्षमता को भी प्रतिबिंबित करते हैं।
- इन गंभीर हॉटस्पॉट में 148 मिलियन भारतीय रहते हैं और उनमें से अधिकांश के जीवन स्तर को कार्बन-गहन परिदृश्य में लगभग 12 प्रतिशत का होता है।
- जबकि 441 मिलियन भारतीय "औसत दर्जे" के हॉटस्पॉट में निवास करते हैं जहाँ जीवन स्तर में औसत परिवर्तन 5.6 प्रतिशत होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 10 ज़िलों में से 7 गंभीर हॉटस्पॉट की श्रेणी में हैं। अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हैं।
- इन गंभीर हॉटस्पॉट में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हानि राष्ट्रीय औसत 2.8 प्रतिशत के मुकाबले 9.8 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कुल 1,178 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नीतिगत हस्तक्षेप से काफी सुधार हो सकता है। निवासियों की शैक्षिक स्थिति में वृद्धि, जल संकट की कमी और गैर-कृषि क्षेत्र में सुधार कर उल्लेखनीय बदलाव लाया जा सकता है।

# भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

## क्या है ग्रीष्म अयनांत का मतलब?

### संदर्भ

हर साल 21 जून को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति (Summer Solstice) होती है। उत्तरी गोलार्द्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है, साथ ही यह वर्ष का भी सबसे बड़ा दिन होता है। शीतकालीन अयनांत या संक्रांति 21 या 22 दिसंबर को होती है, इस तिथि को दिन की तुलना में रात अधिक बड़ी होती है। आखिर क्या कारण है कि दिन और रात रोज़ बराबर नहीं होते हैं?

### क्या है कारण दिन और रात की अवधि में अंतर का?

- इस प्रश्न का स्पष्टीकरण पृथ्वी के झुकाव में निहित है क्योंकि हमारी पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है।
- पृथ्वी के घूर्णन और कक्षा जैसे कारकों के साथ यह झुकाव संयुक्त रूप से वर्ष के विभिन्न दिनों में किसी भी स्थान पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की अवधि में विविधता का कारण बनता है।
- पृथ्वी के अक्ष पर यह झुकाव विभिन्न मौसमों के लिये भी ज़िम्मेदार है।

### दिन तथा रात

- पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ पर दिन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के साथ यह स्थिति परिवर्तित होती रहती और इसी कारण जो स्थान सूर्य की रोशनी की विपरीत दिशा में होता हैं वहाँ रात होती है।
- भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। जैसे-जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन और रात की अवधि के बीच का अंतर भी बढ़ता जाता है।
- ग्रीष्म ऋतु के दौरान दोनों गोलार्द्धों के ध्रुवीय भागों पर महीनों तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिससे वहाँ लगातार छः महीने तक दिन होता है, इसके विपरीत सर्दियों के दौरान इन क्षेत्रों में महीनों तक अंधेरा व्याप्त रहता है।

### मुख्य अक्षांश

- अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का एक मापक है। पृथ्वी का झुकाव कुछ परिचित काल्पनिक रेखाओं को परिभाषित करने में मदद करता है, यह झुकाव संक्रांति को निर्धारित करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं।
- 23.5 डिग्री अक्षांश (झुकाव के समान) पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कर्क और मकर रेखाएँ हैं।
- 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में क्रमशः उत्तर और दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित हैं। भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री से अधिक अक्षांश पर (किसी भी दिशा में) दिन या रात लगातार बने रहते हैं।

### अयनांत या संक्रांति

- प्रत्येक उष्णकटिबंध पर, वर्ष में एक बार दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश लम्बवत् पड़ता है।
- जब यह कर्क रेखा के उष्णकटिबंध पर होता है, तो उत्तरी गोलार्द्ध में इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति के नाम से जाना जाता है।
- मकर रेखा के उष्णकटिबंध में होने पर पर शीतकालीन संक्रांति होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य इन दोनों तिथियों को लम्बवत् होता है।
- मार्च में इसे वसंत विषुव और अगस्त में शरद ऋतु विषुव के नाम से जाना जाता है।
- पूरी पृथ्वी पर ये दो दिन ऐसे हैं जब दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं।

नोट :

# निएंडरथल समूह में और नज़दीक से शिकार करते थे : अध्ययन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में जर्मनी में प्राप्त प्रागैतिहासिक पशु अवशेषों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निएंडरथल प्रबुद्ध और सामूहिक रूप से शिकार करने की रणनीतियों में सक्षम थे। इससे पहले इस प्रारंभिक मानव के बारे में यह माना जाता था कि वे जीवों को दूर से कठोरतापूर्वक मारते थे। 1,20,000 वर्ष पुरानी पाई गई हिरण की हड्डियों पर बने "कट मार्क" या "हंटिंग लेसन" (घाव) इस बात का प्रमाण है। जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के एक अध्ययन के मुताबिक निएंडरथल शिकार का पीछा कर उसे भाले से नज़दीक से मारते थे।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग और बैलिस्टिक प्रयोगों ने आघात के प्रभाव को पुनः उत्पन्न करने की पुष्टि की है, ये लकड़ी के भाले को कम संवेग के साथ प्रयोग करते थे।
- इस अध्ययन से पता चलता है कि निएंडरथल जानवरों पर बहुत करीब से और ज़ोर से भाले से वार करते थे।
- अध्ययन के अनुसार, शिकार करने के दौरान इस तरह के एक टकरावपूर्ण तरीके में सावधानीपूर्वक योजना बनाने और छुपने तथा शिकारियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है।
- 300,000 साल पहले यूरोप में निएंडरथल पाए जाते थे। 30,000 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और वर्तमान मानव प्रजातियों ने उनका स्थान ले लिया।
- लंबे समय से यह सोचा गया था कि आधुनिक यूरोपीय और एशियाई लोगों में निएंडरथल डीएनए लगभग 2% है, जो प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे और उनमें प्रतीकात्मक संस्कृति की कमी थी, जो कि आधुनिक मानवों के लिये विशिष्ट रूप से अद्वितीय है।
- लेकिन हाल के निष्कर्षों ने इस तथ्य का खुलासा किया है कि यह अधिक बुद्धिमान और व्यवहार कुशल प्रजाति थी।
- उन्होंने कम-से-कम 64,000 साल पहले गुफाओं की दीवारों पर मृतकों को चित्रित किया, उपकरण बनाए और पशु भित्ति-चित्रों को भी चित्रित किया। होमो सेपियंस यूरोप में 20,000 साल पहले आए।
- होमिंस (homins) शब्द का उपयोग शुरुआती मानव प्रजातियों के साथ-साथ हमारे स्वयं के वर्णन के लिये किया जाता है जिन्होंने संभवतः पाँच लाख साल पहले हथियार के साथ शिकार करना शुरू कर दिया था।
- इंग्लैंड और जर्मनी में 3,00,000 से 4,00,000 वर्ष पुराने लकड़ी के डंडे पाए गए हैं जो भाले के आकार के हैं और उनका प्रयोग शिकार की हत्या करने के लिये किया जाता था, ये सबसे पुराना ज्ञात हथियार है। लेकिन वैज्ञानिकों को अनुमान लगाने के अलावा उनके उपयोग का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है।
- 1980 के दशक के बाद से जर्मनी के नीयूमार्क-नोर्ड क्षेत्र में खुदाई के दौरान स्तनधारियों की असंख्य हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें लाल हिरण, घोड़े और गो-जातियाँ शामिल हैं।
- उन्होंने हज़ारों पत्थर की कलाकृतियों को भी बदल दिया है, जो 135,000 और 115,000 साल पहले के एक अंतराहिमानी काल (interglacial period) के दौरान वन पर्यावरण में बढ़ते निएंडरथल की उपस्थिति को प्रमाणित करते थे।
- अध्ययन के दौरान जाँच में पुरानी हिरण की हड्डियों का पता 20 साल पहले चला था लेकिन नई प्रौद्योगिकियों ने इनके रहस्यों को उद्घाटित करने में मदद की, जैसे- कौन सी चोटें घातक थीं, किस प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया था और क्या भाले को दूरी से फेंका जाता था या नज़दीक से फेंकने का प्रयास किया जाता था।

## निएंडरथल मानव

- निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निअंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियाँ मिली है, इसलिये इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया है।
- इसका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था। यह पश्चिम यूरोप, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में रहता था।
- इसका श्रेणीविभाजन मनुष्य की ही एक उपजाति के रूप में किया जाता है। इसका कद 4.5 से 5.5 फिट तक था। 2007 में किये गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि इनके बालों का रंग लाल तथा त्वचा पीली थी।

नोट :

# सामाजिक मुद्दे

## 44% अफगान बच्चे स्कूल से दूर : यूनिसेफ

### संदर्भ

यूनिसेफ द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2002 के बाद पहली बार अफगानिस्तान में वर्ग संघर्ष, गरीबी, बाल विवाह और लड़कियों के प्रति भेदभाव के कारण देश के लगभग आधे बच्चे स्कूल से दूर हैं।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा फैलने के कारण कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
- इस देश में लड़कियों के लिये शिक्षा के महत्त्व को कमज़ोर कर दिया गया है जहां लाखों बच्चों ने कभी भी स्कूल में पैर नहीं रखा है।
- यूनिसेफ, यूएसएआईडी और स्वतंत्र सैमुअल हॉल के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, सात से 17 वर्ष उम्र की आयु वर्ग के लगभग 3.7 मिलियन बच्चे स्कूल से दूर हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 2.7 मिलियन है।
- बुरी तरह से प्रभावित प्रांतों में 85% लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं।
- इस साल अप्रैल में आतंकवादियों ने दो स्कूलों को नष्ट कर दिया और व्यापक हिंसा से सैकड़ों निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जब बच्चे स्कूल में नहीं होते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण के खतरे बढ़ जाते हैं।

---

## राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्त्वावधान में नए केंद्रीयकृत प्राधिकरण का प्रस्ताव

### चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति को देखते हुए महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम [Indecent Representation of Women (Prohibition) Act - IRWA], 1986 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय डब्ल्यूसीडी मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक, व्हाट्सएप और स्काइप जैसे डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफार्मों पर महिलाओं को अश्लील तरीके से पेश करने संबंधी कृत्यों को अवैध घोषित किया जाना चाहिये।]

### क्या संशोधन किये जाने चाहिये:

- विज्ञापन की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिये। इसके अंतर्गत डिजिटल स्वरूप या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा होर्डिंग या एसएमएस आदि के ज़रिये विज्ञापन को शामिल किया जाएगा है।
- वितरण की परिभाषा में भी संशोधन किया जाना चाहिये। इसमें प्रकाशन, लाइसेंस या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर अपलोड करने अथवा संचार उपकरण शामिल किये जाने चाहिये ।
- प्रकाशन शब्द को परिभाषित करने के लिये नई परिभाषा को जोड़ना।
- धारा-4 में संशोधन से कोई भी व्यक्ति ऐसी सामग्री को प्रकाशित या वितरित करने के लिये तैयार नहीं कर सकता, जिसमें महिलाओं का किसी भी तरीके से अशिष्ट निरूपण किया गया हो।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रदत्त दंड के समान दंड का प्रावधान।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW) के तत्त्वावधान में केंद्रीकृत प्राधिकरण का गठन। इस प्राधिकरण की अध्यक्ष NCW की सदस्य सचिव होंगी और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा महिला मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव रखने वाली एक सदस्य होगी।

- केंद्रीयकृत प्राधिकरण को प्रसारित या प्रकाशित किये गए किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन से संबंधित शिकायत प्राप्त करने और महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़े सभी मुद्दों की जाँच करने का अधिकार होगा।

### पृष्ठभूमि

प्रिंट मीडिया के साथ-साथ डिजिटल मिडिया जैसे कि इंटरनेट, एमएमएस, केबल टेलीविज़न आदि बहुत से नए माध्यमों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से पेश किया जाता है। इस प्रदर्शन पर रोक लगाने के ध्येय से इन संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है। मूल विधेयक को सर्वप्रथम वर्ष 1986 में लाया गया था, उस समय इसमें विज्ञापनों एवं प्रकाशनों, लेखों, चित्रकला आदि माध्यमों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से पेश किये जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी।

## स्वास्थ्य क्षेत्र में दलित महिलाओं की चिंतनीय दशा

### संदर्भ

भारत में दलित महिलाओं की सवर्ण जाति की महिलाओं की तुलना में कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और लगभग सभी स्वास्थ्य संकेतकों में दलित महिलाएँ पीछे रहती हैं। यह तथ्य हाल ही के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों से निकल कर सामने आया है।

### प्रमुख बिंदु

- दलितों के विरुद्ध हिंसा भले ही बाहरी दुनिया के लिये भेदभाव का दिखता हुआ मुख्य कारक हो सकता है, लेकिन कई अन्य कारक भी हैं, जो दलितों के साथ भेदभाव की वजह बनते हैं। स्वास्थ्य उन्हीं में से एक कारक है।
- दलितों के लिये, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% हैं, स्वास्थ्य असमानताएँ पूर्व और वर्तमान में हो रहे भेदभावों का परिणाम हैं। इनके अंतर्गत सीमित शैक्षिक अवसर, उच्च स्वास्थ्य जोखिम वाले व्यवसायों को अपनाने की मजबूरी, भूमिहीनता और रोजगार,आवास जैसे अन्य संसाधनों तक पहुँच में भेदभाव आदि कारक शामिल हैं।
- स्वास्थ्य से संबंधित लगभग सभी मानकों में दलित महिलाओं का राष्ट्रीय औसत से खराब प्रदर्शन रहा है। जैसे- एनीमिया के मामले में हालिया आँकड़ों के अनुसार, 25-49 आयु वर्ग की जो महिलाएँ एनीमिया का शिकार हुईं, उनमें से 55.9% दलित समुदाय से संबंधित हैं। जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 53% है।
- हालाँकि, एनीमिया भारत में महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली व्यापक समस्या है, लेकिन दलित महिलाओं के संदर्भ में यह समस्या और जटिल हो जाती है।
- जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में, दलित महिलाओं की मृत्यु की औसत आयु सवर्ण महिलाओं से 14.6 साल कम है। उच्च जाति की महिलाओं की औसत मृत्यु आयु 54.1 वर्ष है, जबकि दलित महिलाओं के लिये यह 39.5 वर्ष है।
- भारतीय कानून के तहत अस्पृश्यता के आधार पर अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि में प्रवेश से इनकार करना एक दंडनीय अपराध है। फिर भी, उत्तर प्रदेश के पूरनपुर में 2016 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग स्टाफ ने कथित तौर पर एक गर्भवती दलित महिला को एडमिट करने से इनकार कर दिया। महिला को बिना किसी की सहायता के बच्चे को जन्म देना पड़ा। परिणामस्वरूप, जन्म के कुछ घंटे पश्चात् बच्चे ने दम तोड़ दिया।
- भेदभाव का यह एकमात्र मामला नहीं है। दलितों को अस्पतालों में प्रवेश न देने या उपचार प्रदान न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें उन्हें एडमिट तो कर लिया गया, लेकिन उनके साथ उपचार में भेदभाव बरता गया।
- एनएफएचएस के आँकड़ों के अनुसार, दलित समुदाय की महिलाओं में से 70.4% को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके लिये अस्पताल जाने की इजाजत न मिलना, स्वास्थ्य सुविधाओं की दूर अवस्थिति, धन की कमी जैसे कारणों को जिम्मेदार पाया गया।
- संस्थागत और घरेलू प्रसव के संदर्भ में पिछले पाँच वर्षों में दलित समुदाय की 15-49 वर्ष आयु वर्ग की 52.2% महिलाओं ने डॉक्टर की उपस्थिति में बच्चे को जन्म दिया, जबकि उच्च जाति की महिलाओं के मामले में यह आँकड़ा 66.8% था।

- दलित महिलाओं की पोषण संबंधी स्थिति: 15-49 आयु वर्ग की दलित समुदाय की महिलाओं में प्रत्येक चार में से एक महिला को बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के अनुसार अल्प-पोषित करार दिया गया है, जबकि उच्च जाति की महिलाओं के संदर्भ में यह स्थिति प्रत्येक छह में से एक महिला के स्तर पर थी।

# बाल संरक्षण पर रेलवे के सहयोग से जागरूकता अभियान

## चर्चा में क्यों?

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights - NCPCR) के साथ संयुक्त रूप से "बाल संरक्षण पर रेलवे के सहयोग से जागरूकता अभियान" की शुरूआत की। इस प्रयास के तहत रेलवे के संपर्क में आने वाले यात्रियों के रूप में बच्चे, त्यागे हुए (abandoned) बच्चे, तस्करी कर लाए गए बच्चे तथा अपने परिवार से जुदा हुए बच्चों के संरक्षण के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

- यह अभियान पूरी रेलवे प्रणाली में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे को हल करने और सभी हितधारकों, यात्रियों, विक्रेताओं, कुलियों को संवेदनशील बनाने के लिये शुरू किया गया है।
- वर्तमान में, रेलवे के संपर्क में बच्चों की देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये रेलवे की यह मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) 88 स्टेशनों पर सफलतापूर्वक लागू की गई है। आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 174 स्टेशनों पर लागू करने की योजना है।
- बाल यौन उत्पीड़न कानूनी, सामाजिक, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाली एक बहु-आयामी समस्या है। इससे बचने के उपायों में बच्चों एवं आम लोगों में जागरूकता फैलाना और माता-पिता को अपने बच्चों के साथ सतर्क, उत्तरदायी, दोस्ताना व अभिव्यक्तिशील होना तथा इन मुद्दों को लेकर बच्चों को शिक्षित करना शामिल हैं।

### राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियाँ कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेंशन) में प्रतिपादित किया गया है।
- बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।
- यह आयोग राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में निहित अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं मज़बूतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य, ज़िला और खण्ड स्तरों पर पारिभाषित प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया गया है।
- प्रत्येक बालक तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत समुदायों तथा कुटुम्बों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में प्राप्त सभी प्रकार के सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाए।
- इस प्रकार, आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य के लिये एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेन्द्रीकरण के लिये सम्मान तथा इस दिशा में वृहद् सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।

### आयोग का गठन

- केंद्रीय सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने और इस अधिनियम के अंतर्गत इसे निर्दिष्ट किये गए कृत्यों का निष्पादन करने के लिये एक निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जाना जाएगा।
- इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष (जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये असाधारण कार्य किया है) और 6 सदस्य (जिसमें कम-से-कम दो महिलाएं होंगी) होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा; बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण व बाल विकास; किशोर न्याय या उपेक्षित/वंचित बच्चों की देखभाल, नि:शक्त बच्चे; बालश्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन; बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान; बच्चों से संबंधित कानून जैसे क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों में से की जाएगी।

नोट :

### आयोग के कार्य

- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये उस समय मौजूद कानून के तहत बचाव की स्थिति संबंधी जाँच और समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।
- इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
- उक्त मामलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और कार्यवाही के संबंध में सिफारिश करना।
- उन सभी कारकों की जाँच करना जो आंतकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, अनैतिक व्यापार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चित्रण तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावित बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और साधनों का अध्ययन करना तथा मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें करना।
- बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इस संबंध में जागरूकता फैलाना।
- किशोर संरक्षण गृह या निवास के अन्य किसी स्थान, बच्चों के लिये बनाए गए संस्थान का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना, ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन हैं (इनमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी शामिल है, जहाँ बच्चों को इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन से रखा या रोका जाता है) तथा इनके संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करना और निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों की स्वप्रेरणा से जानकारी लेना:
  - बाल अधिकारों से वंचित रखना और उल्लंघन।
  - बच्चों के संरक्षण और विकास के लिये बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन नहीं करना।
  - नीति निर्णयों, दिशा-निर्देशों या कठिनाई के शमन पर लक्षित अनुदेशों का गैर-अनुपालन और बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना।

## स्वच्छ भारत के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 85% से अधिक

### चर्चा में क्यों ?

विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का ग्रामीण स्वच्छता कवरेज बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण समुदायों को सक्रिय बनाने के लिये ग्रामीण भारत में 7.4 करोड़ शौचालय बनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 3.8 लाख से अधिक गाँव और 391 ज़िले खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किये गए हैं।

### मुख्य बिंदु

- यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किये जाने के समय से कवरेज बढ़कर दोगुना से अधिक हो गया है।
- एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा हाल में 6000 से अधिक गाँवों के 90 हज़ार परिवारों के कराए गए एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई कि इन परिवारों में से तकरीबन 93.4 प्रतिशत द्वारा शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है।
- 2017 में भारतीय गुणवत्ता परिषद तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2017 में कराए गए सर्वेक्षणों में शौचालयों का उपयोग क्रमश: 91 प्रतिशत और 95 प्रतिशत पाया गया था। यह सफलता स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छता के लिये अलग दृष्टिकोण अपनाने के कारण मिली है।

### स्वच्छ भारत मिशन

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर बल देने के लिये प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी।

- दो उप मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिये मिशन समन्वयकर्त्ता पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव हैं।
- दोनों मिशनों का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगाँठ को सही रूप में श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति करना है।
- इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तरों में वृद्धि होगी और गाँवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), स्वच्छ तथा शुद्ध बनाया जाएगा।

## विज़न

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य 02 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत के लक्ष्य की प्राप्ति करना।

## उद्देश्य

- स्वच्छता, साफ-सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कवरेज को बढ़ावा देकर 02 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना।
- जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता प्रक्रियाएँ और सुविधाएँ अपनाने के लिये समुदायों को प्रेरित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिये लागत प्रभावी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता की स्थिति लाने के लिये वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन पर बल देते हुए समुदायिक प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का आवश्यकतानुसार विकास करना।
- जेंडर पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव ड़ालना और विशेषकर सीमांत समुदायों के बीच स्वच्छता व्यवस्था सुधार करके उन्हें समाज से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित करना।

## कार्यनीति

- कार्यनीति पर बल देने का तात्पर्य राज्य सरकारों को स्वच्छ भारत के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। चूँकि स्वच्छता राज्य का विषय है इसलिये राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की कार्यान्वयन नीति तथा तंत्रों और निधियों के उपयोग पर निर्णय लेना आवश्यक है।
- इसमें देश के लिये इसकी आवश्यकताओं को समझते हुए मिशन को पूरा करने पर संकेंद्रित कार्यक्रम के ज़रिये राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में भारत सरकार की अहम भूमिका है।

कार्यनीति के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं

- ज़मीनी स्तर पर गहन व्यवहारगत परिवर्तन से संबंधित गतिविधियाँ चलाने के लिये ज़िलों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।
- कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से चलाने और परिणामों को सामूहिक रूप से मापने के लिये कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- समुदायों में व्यवहारगत परिवर्तन गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर की संस्थाओं के कार्यनिष्पादन को प्रोत्साहन देना।

## व्यवहारगत परिवर्तन पर बल

- स्वच्छ भारत मिशन को मुख्य रूप से भिन्नता प्रदान करने वाला कारक व्यवहारगत परिवर्तन है और इसलिये व्यवहारगत परिवर्तन संवाद (बीसीसी) पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है।
- बीसीसी, एसबीएम (जी) के घटक के रूप में अपनाई जाने वाली एक 'स्टैण्डअलोन' पृथक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह प्रभावी बीसीसी के माध्यम से समुदायों को सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिये परोक्ष रूप से दबाव डालने के विषय में है।
- जागरूकता सृजन, लोगों की मानसिकता को प्रेरित कर समुदाय में व्यवहारगत परिवर्तन लाने और घरों, स्कूलों, आँगनवाड़ी, सामुदायिक समूहों संबंधी स्थलों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने तथा और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है।

नोट :

- चूँकि सभी परिवारों और व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एवं प्रत्येक बार शौचालय के उपयोग पर वांछित व्यवहार अपनाए बिना खुले में शौच मुक्त गाँवों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

## राज्यों को छूट

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के प्रोत्साहन और उपयोग के संबंध में राज्यों को छूट प्राप्त है। गहन प्रेरणादायी और व्यवहारगत परिवर्तन कार्य-कलापों (आईईसी घटक में से) के अलावा, ग्रामीण परिवारों के लिये वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान राज्यों (आईएचएचएल घटक से) के पास उपलब्ध है। अत: कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिये भी इसे उपयोग में लाया जा सकता था ताकि समुदायिक परिणामों को प्राप्त किया जा सके।

## स्वच्छ भारत के ज़मीनी सैनिक

- स्वच्छाग्राही : ग्राम पंचायत स्तर पर समर्पित, प्रशिक्षित और उचित प्रोत्साहन प्राप्त स्वच्छता कार्य बल की आवश्यकता है। 'ज़मीनी सैनिक' अथवा 'स्वच्छाग्राही' जिन्हें पहले 'स्वच्छता दूत' कहा जाता था, की एक सेना तैयार की गई है और उन्हें वर्तमान व्यवस्थाओं, जैसे- पंचायती राज संस्थाओं, को-आपरेटिव्स, आशा, आँगनवाड़ी कार्यकताओं, महिला समूहों, समुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, वॉटर लाइनमैन/पंप ऑपरेटरों आदि के माध्यम से नियोजित किया गया है जो पहले से ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे थे अथवा विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ स्वच्छाग्राहियों के रूप में नियोजित किये गए थे।
- यदि संबद्ध विभागों में वर्तमान कार्मिकों का उपयोग किया जाता है तो उनके मूल संबद्ध विभाग, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गतिविधियों को शामिल करने के लिये इनकी भूमिकाओं के विस्तार की स्पष्ट व्यवस्था करेंगे।

## स्वच्छता प्रौद्योगिकियाँ

- परिवार और समुदाय दोनों स्तरों पर स्वामित्त्व और स्थायी उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये शौचालयों की संस्थापना में वित्तीय अथवा अन्य रूप से लाभार्थी/समुदायों की पर्याप्त भागीदारी की सलाह दी गई है।
- बहुत से विकल्पों की सूची में निर्माण संबंधी दी गई छूट यह है कि गरीबों और लाभ न प्राप्त करने वाले परिवारों को उनकी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति पर निर्भरता को देखते हुए उन्हें अपने शौचालयों की स्थिति को निरन्तर बेहतर बनाने के लिये अवसर दिये जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कर सकें जिसमें कंफाइनमेंट मल का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित हो।
- उपयोगकर्त्ता की पसंद और स्थान-विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिये प्रौद्योगिकी विकल्पों तथा उन पर आने वाली लागत की विस्तृत सूची उपलब्ध कराई गई है। जैसे-जैसे नई प्रौद्योगिकियाँ सामने आती हैं इस सूची को निरंतर अद्यतन किया जाता है और प्रौद्योगिकियों से जुड़े विकल्प उपलब्ध कराते हुए लाभार्थियों को सूचित किया जाता है।

## मॉनीटरिंग पद्धति

- गाँवों की खुले में शौच मुक्त स्थिति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा पारिवारिक शौचालयों, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों तथा समुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण और उपयोग की निगरानी करने के लिये एक सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था की गई है।
- इस निगरानी पद्धति में सामाजिक ऑडिट जैसी एक सुदृढ़ समुदाय चालित प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। समुदाय आधारित मॉनीटरिंग और सतर्कता समितियाँ, लोगों में दबाव पैदा करने में सहायक होती हैं। राज्य, समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिये अपनाए जाने वाले डिलीवरी पद्धति के बारे में निर्णय लेते हैं।

## ओडीएफ समुदायों का सत्यापन

- 'ओडीएफ' को भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है और इसके लिये संकेतक बनाए गए हैं। इन संकेतकों के अनुरूप गाँवों का सत्यापन करने के लिये विश्वसनीय प्रक्रिया लाने हेतु एक प्रभावशाली सत्यापन पद्धति बहुत आवश्यक है।
- चूँकि स्वच्छता राज्य का विषय है और राज्य ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मुख्य निकाय है, अत: ओडीएफ सत्यापन के लिये राज्य स्वयं एक बेहतर पद्धति तैयार कर सकते हैं।
- केंद्र की भूमिका विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को आपस में साझा करना है और राज्यों द्वारा ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतों/गाँवों के एक छोटे प्रतिशत का मूल्यांकन करने के लिये पद्धति विकसित करना है तथा आगे केंद्र/राज्य के अवमूल्यन में भारी अंतर होने पर राज्यों को सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना है।

नोट :

### ओडीएफ समुदायों में स्थायित्व लाना

- ओडीएफ की स्थिति प्राप्त करने में काफी हद तक व्यवहारगत परिवर्तन पर कार्य करना शामिल है, इसे बनाए रखने के लिये समुदाय द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने की ज़रूरत है। बहुत से ज़िलो और राज्यों ने ओडीएफ की निरंतरता को बनाए रखने के लिये पैरामीटर विकसित किये हैं।

### स्वच्छता : सब का कार्य

- एमडीडब्ल्यूएस (Ministry of Drinking Water and Sanitation) जिसे एसबीएम-ग्रामीण का प्रभार आवंटित किया गया है, के अलावा स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लिये यह सभी गतिविधियों और पहलों के लिये नोडल मंत्रालय भी है।
- इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिये यह मंत्रालय भारत सरकार के सभी अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थानों, गैर सरकारी और अर्द्ध सरकारी एजेंसियों, कॉरपोरेट, एनजीओ, धार्मिक संगठनों, मीडिया तथा शेष हिस्सेदारों के साथ मिलकर निरंतर कार्य कर रहा है।
- यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के आह्वाहन पर आधारित है जिसमें स्वच्छता, मात्र स्वच्छता विभाग का कार्य न रहकर सभी का कार्य है।
- इस प्रक्रिया में कई विशेष पहलें और परियोजनाएँ तेज़ी से सामने आई हैं। उन संगठनों की स्वच्छता में भागीदारी, जिनका मुख्य कार्य स्वच्छता नहीं है, से स्वच्छ भारत के इस आह्वान को अत्यधिक प्रेरणा मिली है।

### निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन देश का पहला स्वच्छता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आउटपुट (शौचालय) के स्थान पर परिणामों (ओडीएफ) को मापना है। स्वच्छ भारत मिशन का बल ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन पर है। इस संबंध में हुई प्रगति का कठोरता से सत्यापन किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है और जन भागीदारी की वज़ह से मिशन के अंतर्गत इसकी सफलता देखी जा रही है। यह मिशन अक्तूबर 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के निर्धारित रास्ते पर है।

---

## ICSSR का नया विज़न : प्रासंगिक नीति के लिये अनुसंधान को बढ़ावा

### चर्चा में क्यों ?

इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR) द्वारा प्रदान की गई शोध परियोजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने के प्रयास में नीतिगत अनिवार्यताओं के साथ समन्वित होने वाले "शुद्ध वैचारिक अनुसंधान" द्वारा आगे बढ़ने के लिये शीर्ष सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निकाय ने प्रमुख क्षेत्रों में भविष्य के लिये ब्लू प्रिंट तैयार किया है। इसने IMPRESS (Impactful Policy Research in Social Sciences -सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान) नामक एक विज़न दस्तावेज़ सरकार को भेजा है।

### विज़न डॉक्यूमेंट में शामिल विषय

- इसके अलावा निकाय ने संभावित विषयों की एक विस्तृत सूची भी तैयार की है जिसके आधार पर वे अनुसंधान का समर्थन करना चाहेंगे।
- सरकार को भेजे गए दस्तावेज़ में कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, मेक इन इंडिया (वर्तमान सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल), संघवाद, क्षेत्रवाद और इसके प्रभाव आदि पर शोध प्रस्ताव शामिल हैं।
- ज़रूरी बात यह है कि दस्तावेज़ में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने का विचार है।
- फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ और मीडिया स्वामित्व, अनुसंधान के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा दस्तावेज़ के अलावा, ICSSR ने आंतरिक रूप से अनुसंधान के लिये कुछ प्रमुख विषयों को भी तैयार किया है। इनमें कृषि क्षेत्र के मुद्दे, किसानों की समस्याएँ, कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, विनिर्माण पुनरुद्धार, व्यापार और निवेश नीति, उदारीकरण आदि शामिल हैं।

## इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR)

- इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR) की स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।
- इसके मुख्य कार्य हैं-

1. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और अपने उपयोगकर्त्ताओं को सलाह देना।
2. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रायोजित करना और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिये संस्थानों और व्यक्तियों को अनुदान देना।
3. सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिये छात्रवृत्ति और फैलोशिप की व्यवस्था करना।
4. उन क्षेत्रों को इंगित करना जिनमें सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और उपेक्षित या नए क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिये विशेष उपायों को अपनाना।
5. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, संगठनों और पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता देना।

दृष्टि The Vision

# कला एवं संस्कृति

## सांगली की हल्दी को मिला जीआई टैग

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने महाराष्ट्र स्थित सांगली की हल्दी को ज्यॉग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) रैंकिंग प्रदान की। सांगली में हल्दी की खेती करने वाले किसान लंबे समय से 'सांगली ची हलद' यानी सांगली की हल्दी को जीआई टैग देने की मांग कर रहे थे।

### जीआई टैग का लाभ

इस उपलब्धि के चलते सांगली की हल्दी को 'सांगली' ब्रांड के नाम से पूरे भारत के साथ-साथ विदेश में भी बेचा जा सकेगा। कोई भी अन्य संस्थान, कंपनी अथवा व्यक्ति 'सांगली हलद' के नाम से इसकी बिक्री नहीं कर सकेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सांगली ब्रांड के नाम से पहचान प्राप्त होगी।

### सांगली की हल्दी

- यह फसल यहाँ के किसानों के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- माना जाता है कि सांगली के किसानों द्वारा लगभग 200 साल पहले हल्दी के उत्पादन तथा भंडारण का एक विशिष्ट तरीका खोजा गया था।
- इस तरीके के तहत किसान हल्दी को ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में दबा देते थे ऐसा करने से ऑक्सीजन हल्दी तक नहीं पहुँच पाती थी तथा शीघ्र ख़राब भी नहीं होती थी।
- इस तकनीक के प्रयोग से न केवल हल्दी की पैदावार में वृद्धि हुई बल्कि इसकी गुणवत्ता तथा स्वाद में भी वृद्धि हुई जिसके कारण यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई।

### सांगली

सांगली महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में से एक है। यह शहर पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। यह शहर पूर्व में सांगली राज्य (1761-1947) की राजधानी था। इसके आस-पास का क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, गेहूं तथा दलहन हैं। अंगूर भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से उगाई जाती है तथा इसका भी एक बड़ा बाज़ार है। गन्ना इस क्षेत्र की मुख्य सिंचित फसल है जिसने कई चीनी मिलों के विकास में सहायता की है।

---

## सागरमाला' को 52वें स्कॉच सम्मेलन 2018 में स्वर्ण पुरस्कार मिला

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन 2018 में जहाजरानी मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम 'सागरमाला' को बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 'सागरमाला' को यह पुरस्कार भारत के सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण में इसके योगदान तथा त्वरित एवं बुनियादी क्षेत्र के विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है।

- इस सम्मेलन के दौरान सागरमाला कार्यक्रम को 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' से भी सम्मानित किया गया।
- स्कॉच पुरस्कार सामाजिक-आर्थिक बदलावों में तेज़ी लाने में उचित नेतृत्व एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये प्रदान किया जाता है।

सागरमाला परियोजना

- सागरमाला सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास की गति तेज़ करना है।

- यह योजना निम्नलिखित चार रणनीतिक पहलुओं पर आधारित है-
  - घरेलू कार्गो की लागत घटाने के लिये मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट का अनुकूलन करना।
  - निर्यात-आयात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय एवं लागत को न्यूनतम करना।
  - बल्क उद्योगों को कम लागत के साथ स्थापित करना तथा कर लागत में कमी करना।
  - बंदरगाहों के पास पृथक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना कर निर्यात के मामले में बेहतर प्रतिस्पर्द्धी क्षमता प्राप्त करना।
  - सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना तथा बंदरगाहों तक माल के शीघ्रगामी, दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से आवागमन के लिये आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।
  - साथ ही इंटर-मॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुँच विकसित करना तथा श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना और मुख्य मंडियों तक संपर्क साधनों में सुधार लाना तथा रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना है।

### सागरमाला परियोजना में विकास के तीन स्तंभों पर ध्यान दिया जा रहा है:

- समेकित विकास के लिये समुचित नीति एवं संस्थागत हस्तक्षेप तथा एजेंसियों, मंत्रालयों एवं विभागों के बीच परस्पर सहयोग को मज़बूत करने के लिये संस्थागत ढाँचा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों द्वारा बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना और उसे सक्षम बनाना।
- बंदरगाहों के आधुनिकीकरण सहित बुनियादी ढाँचे का विस्तार और नए बंदरगाहों की स्थापना।
- बंदरगाहों से प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों तक माल लाने के लिये और वहाँ से बंदरगाहों तक माल ले जाने के काम में दक्षता लाना।

# आंतरिक सुरक्षा

## बांग्लादेश सीमा : एक गुलाबी गोली बनी मौत का खेल

### चर्चा में क्यों ?

बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश के इकरामुल हक की हत्या की घटना को कैद किया गया है। यह वीडियो इकरामुल हक की पत्नी आयशा बेगम द्वारा जारी किया गया है, आयशा बेगम ने दावा किया है कि म्याँमार, बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध दवाओं के प्रवाह के कारण शुरू हुई हिंसा की वज़ह से पुलिस ने उनके पति की हत्या की। इस ऑपरेशन के केंद्र में एक गुलाबी मेथेम्फेटामाइन-कैफीन गोली (pink methamphetamine-caffeine pill) है जिसे याबा (Yaba) के नाम से जाना जाता है। याबा बांग्लादेश में व्यापक रूप से उपलब्ध है।

- रमजान का महीना शुरू होने के बाद बांग्लादेश सरकार द्वारा ड्रग उत्पादक संघों (drug cartels) और नशीली दवाओं के मालिकों पर लगातार हमले किये जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ दो हफ्तों में 120 संदिग्ध अपराधियों की मौत हो गई है। भारतीय सीमा से सीमा सुरक्षा बल द्वारा भी जवाबी कार्यवाही की जा रही है।
- भारतीय खुफिया विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के रास्ते बड़ी मात्रा में इसकी तस्करी की जाती है।
- हालाँकि भारत में इसके संदर्भ में कड़े नियम होने के कारण यहाँ इसका प्रभाव उतना नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांग्लादेश इसका एक बड़ा बाजार है।

### याबा क्या है ?

- याबा को थाई भाषा में 'पागलपन की दवा' (madness drug) के नाम से जाना जाता है. इसकी उत्पत्ति पूर्वी म्याँमार के शान, काचिन और दो अन्य राज्यों से होती है, यहाँ से यह लाओस-थाईलैंड-म्याँमार गोल्डन त्रिकोण से दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में पहुँचती है।
- इस गोली में मेथेम्फेटामाइन और कैफिन मिला होता है।
- याबा टैबलेट के रूप में एक दवा होती है। यह अक्सर लाल रंग की होती है तथा इसके कवर पर WY अक्षर लिखे होते हैं।
- याबा थाईलैंड में सबसे खराब श्रेणी की दवा होती है और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या तो उन्हें 20 साल तक के कारावास का सामना करना पड़ता है या उन्हें बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता है।
- वे लोग जो 20 ग्राम से अधिक याबा के साथ पकड़े जाते हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी यह मौत की सज़ा के रुप में सामने आती है। वस्तुत: कानून के अनुसार सज़ा का प्रावधान किया जाता है।
- शान राज्य में यह दवा घोड़ों को पहाड़ी क्षेत्रों की चढ़ाई अथवा भारी कामों के दौरान दी जाती थी।

### इसके लिये इस्तेमाल होने वाले नाम

- भारत में कभी-कभी याबा को "भूल भुलैया" कहा जाता है। फिलीपींस और इंडोनेशिया में आमतौर पर इसे शाबू कहा जाता है।
- उत्तरी थाईलैंड में इसे अक्सर "चोकली" के रूप में जाना जाता है क्योंकि मुँह में जाने के बाद कुछ हद तक इसका स्वाद मीठा और इसकी गंध चॉकलेट जैसी स्ट्राँग होती है।
- चीन में इसके लिये आमतौर पर "मा-गुओ" या "मा-गु" नाम का इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश में इसे "बाबा", गुट्टी, लाल, जिनीश, खवन, नैशोकोटा, लोपी, गारी, बिची इत्यादि के रूप में जाना जाता है।

### किस रूप में इसका सेवन किया जाता है ?

- आमतौर पर इन गोलियाँ को निगला जाता है। इसके सेवन की एक अन्य विधि है जिसे "ड्रैगन का पीछा करना" कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत उपयोगकर्त्ता याबा टैबलेट को एल्युमीनियम पन्नी पर रखकर इसे नीचे से गर्म करते हैं। जैसे ही टैबलेट पिघलती है, यह वाष्पीकृत होने लगती है, इसप्रकार उपयोगकर्त्ता इसका सेवन करता है।

नोट :

- दवा को पाउडर के रूप में पीसकर भी इसका सेवन किया जा सकता है, इसके बाद इसे सॉल्वेंट के साथ मिलाकर इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है।

### बांग्लादेश के संबंध में

- बांग्लादेश में याबा का प्रभाव बहुत गंभीर परिणाम वाला रहा है।
- यह गोली "आनंद की भावना" (sense of pleasure) को बढ़ाती है। बांग्लादेश के समृद्ध उच्च मध्यवर्गों में इसका प्रभाव सबसे अधिक है।
- वर्ष 2017 में बांग्लादेश में 4.60 करोड़ याबा गोलियाँ ज़ब्त की गई थीं। इस साल के शुरुआती तीन महीनों में ही यह आँकड़ा 2.60 करोड़ तक पहुँच गया है।
- द हिंदू समाचार पत्र द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, एक दशक पहले इस दवा ने बांग्लादेश में प्रवेश किया था, उस समय याबा के निर्माताओं पर थाईलैंड में गंभीर दबाव हुआ करता था।
- इसके बाद इस दवा की तस्करी के लिये दो प्रमुख मार्गों को चुना गया। पहला मार्ग, उत्तरी म्याँमार से नफ नदी को पार करके और दूसरा मार्ग बंगाल की खाड़ी के माध्यम से बरिशल (Barishal) या खुल्ना (Khulna) ज़िले में इसके प्रवेश के रूप में तय किया गया। उन्होंने कहा, भारत के माध्यम से एक "संभव" तीसरा मार्ग है।

### याबा व्यापारियों के संबंध में

- श्री लिंटनर Lintner, जिन्होंने मेथेम्फेटामाइन methamphetamines पर 'पागलपन के व्यापारी' नाम से एक पुस्तक लिखी है, के अनुसार याबा के निर्माण के लिये म्याँमार के मिलिशिया लोग ज़िम्मेदार हैं।
- श्री लिंटनर के अनुसार, इन मिलिशिया लोगों में से कुछ सैन्य-समर्थित संघ सॉलिडेरिटी और डेवलपमेंट पार्टी से चुने गए संसद सदस्य भी रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मिलिशियाई लोग हैं, जो इस काम से जुड़े हुए हैं।

## वित्त क्षेत्र में साइबर हमलों की संख्या पूर्व की तुलना में आधी : रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों ?

अक्सर बढ़ती प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण वित्त क्षेत्र को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। लेकिन डायमेंशन डेटा (Dimension Data) द्वारा ज़ारी NTT 2018 ग्लोबल इंटेलिजेंस थ्रेट रिपोर्ट (Global Intelligence Threat Report) के आँकड़ों से पता चलता है कि वित्त क्षेत्र के खिलाफ हमले में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज़ की गई है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2017 में यह आँकड़ा 46 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2018 में यह घटकर 26 प्रतिशत हो गया है फिर भी यह APAC (Asia-Pacific क्षेत्र) में ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ सबसे अधिक साइबर हमले हुए।
- इस वर्ष जारी रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि शिक्षा के खिलाफ साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। पिछले साल शिक्षा पर साइबर हमलों का प्रतिशत 9 था जबकि इस बार यह 18 है।
- साइबर अपराधियों द्वारा शिक्षा और खुदरा व्यवसायों में अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिये ब्रूट फोर्स हमलों (सभी प्रकार के पासवर्ड को हैक करने की तकनीक) का उपयोग किया गया था।
- प्रौद्योगिकी, खुदरा और सरकारी क्षेत्रों पर हमलों में कमी देखी गई जो क्रमश: 16, 15 और 13 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र पर हमलों में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई।
- अध्ययन में कहा गया है कि यह EMEA को लक्षित करने वाले विनिर्माण क्षेत्र के हमले के रुझानों में वृद्धि के विपरीत था और IoT (Internet of Things) उपकरणों को अपनाने में समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि सुरक्षा प्रक्रियाओं को केवल IoT विक्रेताओं द्वारा लागू किया जाना शुरू हो गया था।

नोट :

# नीतिशास्त्र

## पाँच साल के शांतिकाल के बाद, भारत में उत्थान पर नैदानिक परीक्षण

### चर्चा में क्यों ?

भारत में किये जा रहे नैदानिक परीक्षणों की संख्या में क्रमिक पुनरुत्थान हो रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा वर्ष 2013 में केवल 17 नैदानिक परीक्षणों को अनुमति प्रदान की गई थी, जबकि 2017 में यह संख्या बढ़कर 97 हो गई। अर्थात् पाँच वर्षों में इन परीक्षणों में 400 प्रतिशत से अधिक उछाल आया है।

### प्रमुख बिंदु

- नियामक और डोमेन विशेषज्ञों ने इस पुनरुत्थान का मुख्य कारण जारी किये गए कुशल और संतुलित दिशा-निर्देशों को माना है।
- हालाँकि, सामजिक कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि भारत अभी भी परीक्षणों की निगरानी के संदर्भ में एक निर्विवाद तंत्र से कोसों दूर है।
- लेकिन, संख्या में यह बढ़ोतरी 2013 के पूर्वकाल के आस-पास भी नहीं है। उदाहरणस्वरूप, 2012 में डीसीजीआई ने 253 परीक्षणों को मंज़ूरी दी थी, जबकि 2011 में यह संख्या 283 और 2010 में 529 थी।
- फरवरी 2012 में स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें नैदानिक परीक्षणों में कई अनियमितताओं के बारे में अलर्ट किया गया। इनमें जिनपर परीक्षण किया जा रहा है, उनकी सहमति और मुआवजे की कमी जैसे मुद्दे शामिल थे।
- लगभग उसी समय 59वीं संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि दवा निर्माताओं, डॉक्टरों और कुछ सरकारी नियामकों के बीच मजबूत गठबंधन है।
- जनवरी 2013 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मुआवजा हेतु योग्यता निर्धारित करने संबंधी एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई।
- इसका मुआवजे संबंधी खंड दुरुपयोग के लिये खुला था और परीक्षण में भाग लेने हेतु प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता था।
- इसमें नैदानिक परीक्षण के संदर्भ में अध्ययन संबंधी चोट (study related injury) और गैर-अध्ययन संबंधी चोट के मध्य कोई भेद नहीं किया गया था।
- कई अन्य खंड भी शामिल किये गए। जैसे- कोई भी जाँचकर्ता तीन से अधिक परीक्षण नहीं कर सकता, परीक्षण सरकारी अस्पतालों में ही संपन्न किये जाएंगे, परीक्षण साइट 50 बैड वाले अस्पताल होने चाहिये इत्यादि ।
- लेकिन अब धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नैदानिक परीक्षण संबंधी पर्यावरण को सुसंगत बनाना शुरू कर दिया गया है।
- अब 50% परीक्षण निजी अस्पतालों में आयोजित किये जा सकते हैं,अब प्रति जाँचकर्ता तीन परीक्षणों संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है और वित्तीय मुआवजे की गणना हेतु एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है।
- हालाँकि, हाल ही में जयपुर में नैदानिक परीक्षण संबंधी एक विवाद सामने आया था, जहाँ कथित तौर पर मरीजों को धोखे से परीक्षण में शामिल किया गया था। यह घटना सरकारी नियमों में खामियों को उजागर करती है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2012 में नैदानिक परीक्षणों में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (serious adverse events) से संबंधित मौतों के 436 मामले थे, जबकि 2013 और 2014 में यह संख्या क्रमश: 590 और 443 थी।

# विविध

## अमित खरे बने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव Amit Khare became Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting

1985 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अमित खरे ने 31 मई को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। इस पद से श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, आईएएस सेवानिवृत हुए हैं।

- नियुक्ति के पूर्व श्री खरे झारखण्ड सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। झारखण्ड सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति से पूर्व श्री खरे झारखण्ड सरकार के वित्त और योजना विभाग में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे।
- उन्होंने भारत सरकार के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग में सदस्य सचिव तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।
- श्री खरे ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री हासिल की है। उन्होंने साइराक्यूज़ विश्वविद्यालय, यूएसए से लोक प्रशासन में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

## इंडो-पैसिफिक कमांड Indo-Pacific Command

हाल ही में अमेरिका ने अपने सबसे पुराने एवं सबसे बड़े सैन्य कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड करके भारत के महत्त्व को प्रदर्शित किया है। पहले इस कमांड का नाम पैसिफिक कमांड था। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र यह निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते आर्थिक एवं सैन्य प्रभाव को नियंत्रित करना है।

- हिंद और प्रशांत महासागर में बढ़ती कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया हैं। यह अमेरिका की मुख्य लड़ाकू कमांड है जिसके अंतर्गत बहुत से अन्य देश भी शामिल हैं।
- प्रशांत एवं हिंद महासागर के साझेदारों के साथ अमेरिका के संबंध क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।
- वर्तमान में भारत समेत प्रशांत क्षेत्र में निगरानी के लिये पैसिफिक कमांड में तकरीबन 3,75,000 सैन्य और असैन्य कर्मियों को शामिल किया गया है।

### यूएस पैसिफिक कमांड

- दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस पैसिफिक कमांड अथवा पैकोम का गठन किया गया था। हालाँकि, यहाँ यह जानना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि कमांड का नाम बदलने का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन भेजे जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह भारत की बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक प्रगति को महत्त्व दे रहा है।
- वर्ष 2016 में अमेरिका और भारत के बीच एक-दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल हेतु एक समझौता किया गया था ताकि सैन्य संसाधनों की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु एक-दूसरे की सहायता की जा सके।

## संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड Santokba Humanitarian Award

30 मई, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और इसरो के पूर्व अध्यक्ष ए.एस. किरण कुमार को 'संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड' से सम्मानित किया। इस अवार्ड के तहत दोनों को एक-एक करोड़ रुपए की धनराशि और ट्रॉफी प्रदान की गई।

- जहाँ एक ओर कैलाश सत्यार्थी ने पुरस्कार के रूप में प्राप्त धनराशि को बच्चों के कल्याण के लिये सुरक्षित बचपन फंड को दान में देने की घोषणा की, जबकि ए.एस. किरण कुमार ने इस पुरस्कार राशि को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिये समर्पित करने की घोषणा की।
- हर साल श्री रामकृष्ण फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में सुधार के लिये बड़े पैमाने पर काम किया है।
- पूर्व में प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, सुधा मूर्ति, डॉ. एस. स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा और वर्गीस कुरियन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

## आंध्र प्रदेश के नए राजकीय प्रतीक New political symbol of Andhra Pradesh

2 जून, 2014 को तेलंगाना के गठन के चार वर्षों बाद आंध्र प्रदेश ने नए राजकीय चिन्हों की घोषणा की है। यह घोषणा आंध्र प्रदेश के पर्यावरण, वन, विज्ञान तथा तकनीकी विभाग द्वारा की गई है। इस घोषणा में आंध्र प्रदेश के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष तथा राजकीय फूल की घोषणा की गई है।

| क्र.सं. | प्रतीक | नाम | वैज्ञानिक नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय फूल | चमेली (Jasmine) | Jasminum officinale |
| 2. | राजकीय पशु | कृष्ण मृग (Black Buck) | Antilope cervicapara |
| 3. | राजकीय पक्षी | रामा चिलुका (Rose-ringed parakeet or parrot) | Psittacula krameri |
| 4. | राजकीय वृक्ष | नीम (Neem) | Azadirachta indica |

## विदेशी योगदान की निगरानी के लिये ऑनलाइन विश्लेषण टूल

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम [Foreign Contribution (Regulation) Act], , 2010 के अंतर्गत विदेशी धन प्रवाह तथा इसके उपयोग की निगरानी के लिये एक ऑनलाइन विश्लेषण टूल (Online Analytical Tool) की शुरूआत की। वेब आधारित यह टूल सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विदेशी योगदान के स्रोत और भारत में इसके उपयोग की जाँच करने में मदद करेगा।

- FCRA 2010 के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में यह टूल आँकड़ों तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में विभागों को सहायता प्रदान करेगा।
- इसमें वृह्द् आँकड़ों को ढूंढने और विश्लेषण करने की क्षमता निहित है।
- इसका डैशबोर्ड FCRA पंजीकृत बैंक खातों से जुड़ा होगा और यह लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- FCRA 2010 के अंतर्गत लगभग 25,000 सक्रिय संगठन पंजीकृत हैं। इन संगठनों को वर्ष 2016-17 के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा धार्मिक गतिविधियों के लिये 18,065 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है।
- प्रत्येक FCRA –एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त करने तथा इसे खर्च करने में कई प्रकार का वित्तीय लेन-देन करता है। इस टूल के माध्यम से इन लेन-देनों की निगरानी की जा सकती है।

## स्लीपिंग लॉयन

हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े साफ पानी के मोती को नीदरलैंड में ढाई करोड़ रुपए (374,000 डॉलर या 320,000 यूरो) में नीलाम किया गया। इस मोती को एक जापानी कारोबारी द्वारा खरीदा गया है।

नोट :

- एक जानकारी के अनुसार, यह मोती 18वीं सदी की रूस की महारानी कैथरीन से संबंधित है। अपनी विशिष्ट संरचना के कारण इस मोती को 'स्लीपिंग लॉयन' के नाम से जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि यह मोती 18वीं सदी के शुरुआती समय में पर्ल नदी में मूर्त रूप में आया था।
- इस मोती का भार 120 ग्राम (4.2 औंस) और लंबाई सात सेंटीमीटर (2.7 इंच) के करीब है। अपनी इसी विशेषता के कारण यह मोती दुनिया के तीन सबसे बड़े मोतियों में से एक है।

## डेक्कन क्वीन

1 जून, 1930 को महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों के बीच भारतीय रेल की अग्रणी 'डेक्कन क्वीन' रेल सेवा शुरू की गई, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसूला (जीआईपी) रेलवे की प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

- इस क्षेत्र के दो महत्त्वपूर्ण शहरों में सेवा प्रदान करने के लिये यह पहली डीलक्स रेलगाड़ी शुरू की गई थी। इसका नाम 'दक्कन की रानी' के तौर पर प्रसिद्ध पुणे शहर के नाम पर रखा गया था।
- शुरु में रेलगाड़ी में 7 डिब्बों के दो रैक थे। प्रत्येक को लाल रंग के सजावटी साँचों में सिल्वर रंग और अन्य पर नीले रंग के साँचों में सुनहरे रंग की रेखा उकेरी गई थी।
- डिब्बों के मूल रैक की नीचे के फ्रेम का निर्माण इंग्लैंड में, जबकि डिब्बों का ढाँचा जीआईपी रेलवे के माटुंगा कारखाने में निर्मित किया गया था।
- शुरुआत में 'डेक्कन क्वीन' में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी थे। प्रथम श्रेणी को 01 जनवरी, 1949 को बंद कर दिया गया और द्वितीय श्रेणी की डिज़ाइन दोबारा तैयार कर इसे प्रथम श्रेणी में परिवर्तित किया गया। इसके बाद जून 1955 में इस रेलगाड़ी में पहली बार तृतीय श्रेणी उपलब्ध कराई गई।
- इसे अप्रैल, 1974 से द्वितीय श्रेणी के तौर पर दोबारा डिज़ाइन किया गया था।

## 3डी प्रिंटेड स्मार्ट जेल

हाल ही में अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा 3डी प्रिंटेड स्मार्ट जेल तैयार किया गया है, जो न केवल पानी के भीतर कार्य कर सकता है, बल्कि चीज़ों को पकड़कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकता है। इस जेल की सहायता से भविष्य में ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीवों की नकल करने में सक्षम रोबोट भी तैयार किये जा सकते हैं।

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इस तकनीक से कृत्रिम हृदय, पेट और दूसरी अन्य माँसपेशियों का विकास किया जा सकता है।
- साथ ही बीमारियों का पता लगाने, उनका उपचार करने और शरीर के अंदर दवा पहुँचाने आदि के लिये आवश्यक उपकरण भी बनाए जा सकते हैं।
- 3डी प्रिंटेड स्मार्ट जेल में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिहाज़ से भी काफी संभावनाएँ व्याप्त हैं, क्योंकि संरचना में जेल मानव शरीर के ऊतकों जैसे होते हैं। उनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है और ये काफी नरम भी होते हैं।
- इस नवीन 3डी प्रिंटिंग प्रक्रिया में प्रकाश को ऐसे सॉल्यूशन से गुज़ारा जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है।

## सेवा भोज योजना

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिये कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से 'सेवा भोज योजना' नामक नई योजना शुरू की है।

### उद्देश्य

- इस योजना के तहत भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई) /भंडारे के लिये घी/तेल/आटा/मैदा/रवा, चावल, दाल, चीनी, बुरा/गुड़ जैसी कच्ची सामग्री की खरीदारी पर केंद्रीय वस्तु और सेवाकर (सीजीएसटी) तथा एकीकृत वस्तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का केंद्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ताकि लोगों/श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के नि:शुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई) /भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके।

नोट :

### कौन-कौन पात्र होंगे ?

- वित्तीय सहायता/अनुदान के लिये आवेदन करने से पहले कम-से-कम पाँच वर्षों तक कार्यरत मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, गिरिजाघर, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ जैसे परोपकारी धार्मिक संस्थान और एक महीने में कम-से-कम 5,000 लोगों को नि:शुल्क भोजन प्रदान करने तथा आयकर की धारा 10 (23बीबीए) के तहत आने वाले संस्थान या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की XXI) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्थान अथवा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक धार्मिक संस्था के बनने के समय लागू कानून के तहत जन न्यास के तौर पर या आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकृत संस्थान इस योजना के तहत अनुदान पाने के पात्र होंगे।

### अन्य प्रमुख बिंदु

- संस्कृति मंत्रालय वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होने वाली समयावधि के लिये पात्र परोपकारी धर्मार्थ संस्थान का पंजीकरण करेगा। इसके बाद संस्थान के कार्यों का आकलन करने के पश्चात् मंत्रालय पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है।
- जन साधारण, जीएसटी प्राधिकारियों और संस्था/संस्थान के लिये पंजीकृत संस्थान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- संस्था/संस्थान को जीएसटी और आईजीएसटी के केंद्र सरकार के हिस्से को वापस पाने के लिये इसे राज्य स्तर पर जीएसटी विभाग के निर्धारित अधिकारी को पंजीकरण की मान्यता के दौरान निर्दिष्ट प्रारूप में भेजना होगा। सहयोग ज्ञापन, कर्मचारियों या निशुल्क भोजन सेवा के स्थान को बढ़ाने/कम करने के किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में मंत्रालय को जानकारी देने की ज़िम्मेदारी संस्थान/संस्था की होगी।
- सभी पात्र संस्थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्यक है। मंत्रालय को प्राप्त हुए सभी आवेदनों की जाँच चार सप्ताह के भीतर इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा की जाएगी।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ऊपर बताई गई विशेष सामग्रियों पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केंद्र सरकार का हिस्सा वापस लौटाने के लिये परोपकारी धार्मिक संस्थानों का पंजीकरण करेगा।

## देश की पहली आधुनिक फोरेंसिक लैब

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Central Forensic Science Lab-CFSL), चंडीगढ़ में सखी सुरक्षा एडवांस फोरेंसिक डीएनए लैबोरेट्री (Sakhi Suraksha Advanced Forensic DNA Laboratory) की आधारशिला रखी। आपराधिक जाँच प्रक्रिया में फोरेंसिक परीक्षण की बहुत अहम भूमिका होती है।

- यह लैब आदर्श फोरेंसिक लैब के तौर पर स्थापित की जा रही है, जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही लैब शुरू की जाएंगी।
- CFSL, चंडीगढ़ की वर्तमान क्षमता 160 मामले/प्रतिवर्ष से भी कम है और सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री से यह क्षमता लगभग 2,000 मामले/प्रतिवर्ष बढ़ जाएगी।
- अगले तीन माह में पाँच और आधुनिक फोरेंसिक लैब मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे एवं भोपाल में खुलेंगी, जिससे प्रयोगशालाओं की कुल न्यूनतम वार्षिक क्षमता 50,000 मामले हो जाएगी।चेन्नई और मुंबई में प्रयोगशालाओं की स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय के कोष से होगी, जबकि शेष तीन लैब की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

## दुष्कर्म मामलों के लिये विशेष फोरेंसिक किट

- दुष्कर्म मामलों के लिये विशेष फोरेंसिक किट जुलाई तक सभी पुलिस थानों और अस्पतालों में वितरित कर दी जाएगी। खराब न होने वाली इस किट का इस्तेमाल अप्रदूषित सबूत देने के लिये किया जाएगा।
- इस किट में सबूत एकत्रित करने के लिये आवश्यक उपकरण के साथ लिये जाने वाले साक्ष्य/नमूनों की पूरी सूची होगी। इस किट को फोरेंसिक लैब में भेजने से पहले ताला लगाकर बंद कर दिया जाएगा। व्यक्ति का नाम, दिनांक और किट बंद करने का समय उस पर दर्ज किया जाएगा।
- यौन उत्पीड़न के मामलों में जाँच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने की आदर्श समयसीमा 90 दिन है। इसके अलावा, जैविक अपराध से संबंधित सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाना ज़रूरी है, ताकि कोई भी जाँच/रिपोर्ट तर्कसंगत तैयार हो सके।

नोट :

- वर्तमान में छह CFSL चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और भोपाल तथा प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में एक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। इन प्रयोगशालाओं में देश भर के यौन उत्पीड़न, आपराधिक पैतृत्व और हत्या सहित सभी मामलों की फोरेंसिक जाँच की जाती है।
- महिलाओं से जुड़े मामलों से निपटने के लिये सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक प्रयोगशाला में चार इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी-
  - यौन उत्पीड़न और हत्या इकाई
  - पैतृत्व इकाई
  - मानव पहचान इकाई
  - माइटोकोंड्रियल इकाई

## चीन का नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

- हाल ही में चीन ने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 'गाओफेन -6' (Gaofen-6) का सफल प्रक्षेपण किया। मुख्य रूप से इसका उपयोग कृषि संसाधन अनुसंधान और आपदा निगरानी के लिये किया जाएगा।
- इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च-2 डी रॉकेट से उत्तर पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (Jiuquan Satellite Launch Centre) से प्रक्षेपित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, इसी समय लुओजिया -1 (Luojia-1) नामक एक वैज्ञानिक प्रयोग उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 276 वाँ मिशन था।

### एक्सोप्लैनेट पर मिले पानी और धातु की उपस्थिति के संकेत

हाल ही में ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज तथा स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिसिया डी कैनेरियास के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के संबंध में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों को ग्रैन टेलीस्कोप कैनेरियास की सहायता से कम घनत्व वाले एक एक्सोप्लैनेट पर पानी और धातुओं की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं।

- डब्ल्यूएएसपी-127बी नामक यह एक्सोप्लैनेट बृहस्पति ग्रह से 1.4 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी तुलना में इस एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान 20 फीसदी ही है। अभी तक खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट में इतने कम घनत्व वाला यह अकेला ग्रह है।
- इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण में क्षारीय धातुओं के साथ-साथ सोडियम, पोटैशियम और लीथियम की उपस्थिति के भी संकेत मिले हैं। सोडियम और पोटैशियम की उपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी एक्सोप्लैनेट की तुलना में इस ग्रह का वायुमंडल स्वच्छ होगा।
- इसके अतिरिक्त इस एक्सोप्लैनेट पर पानी की उपस्थिति के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
- डब्ल्यूएएसपी-127बी जिस तारे की परिक्रमा कर रहा है उस तारे पर भी काफी अधिक मात्रा में लीथियम उपलब्ध है।
- यही कारण है कि इस एक्सोप्लैनेट पर मौजूद लीथियम के विषय में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में अध्ययन किया जा सके।

## अग्नि-5' मिसाइल

3 जून, 2018 को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह एक स्वदेशी मिसाइल है।

- डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज (Integrated Test Range) के लॉन्च पैड-4 से मोबाइल लॉन्चर की मदद से इसे प्रक्षेपित किया।
- यह अग्नि-5 का छठा सफल परीक्षण था। इससे पहले 18 जनवरी 2018 को यह परीक्षण किया गया था।

### विशेषताएँ

- मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर।
- एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम।
- एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम।
- ऊँचाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर, वज़न 20 टन एवं डेढ़ टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम।
- ध्वनि की गति से 24 गुना तेज़।

अग्नि मिसाइल श्रृंखला की दूसरी अन्य मिसाइलों के विपरीत, अग्नि-5 नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहैड और इंजन के संदर्भ में नई प्रौद्योगिकियों के साथ सबसे उन्नत मिसाइल है।

## प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana -PMBJP) के तहत पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन (Oxo-biodegradable Sanitary Napkin) 'जनऔषधि सुविधा' (JANAUSHADHI SUVIDHA) की शुरूआत की गई। अब किफायती सैनिटरी नैपकिन देश भर में 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 3600 से अधिक जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध होगा।

- यह विशिष्ट उत्पाद किफायती और सुविधाजनक होने के साथ-साथ नष्ट करने में भी आसान है। इस उत्पाद से स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित होगी।
- बाजार में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन की कीमत 8 रुपए प्रति पैड है, जबकि सुविधा नैपकिन 2 रुपए 50 पैसे का है। यह महिलाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करेगा।
- भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी महिलाएँ बाज़ार में उपलब्ध बड़े ब्रांडों की सैनिटरी नैपकिन की पहुँच से दूर हैं। महावारी के समय अस्वच्छ तौर-तरीके अपनाने की वज़ह से महिलाएँ कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 15 से 24 वर्ष आयु की महिलाएँ स्थानीय तरीके से बनाई गई सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, जबकि शहरों में 78 फीसदी महिलाएँ स्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। गाँवों में केवल 48 फीसदी महिलाओं की पहुँच सैनिटरी नैपकिन तक है।

## दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन

4 जून, 2018 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के उद्घाटन संबोधन के साथ दो दिवसीय राज्यपाल और उप-राज्यपाल सम्मेलन शुरू हुआ। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 49वाँ सम्मेलन है और राष्ट्रपति श्री कोविंद की अध्यक्षता में दूसरा सम्मेलन है।

- शासन प्रणाली में राज्यपाल के पद की विशेष गरिमा है। राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका संरक्षक और मार्गदर्शक की होती है और वे संघीय ढाँचे में महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। राज्य के लोग राज्यपाल के कार्यालय और राजभवन को आदर्श एवं मूल्यों के स्रोत के रूप में देखते हैं।
- हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों की लगभग दस करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहता है। राज्यपाल विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत पीछे रह गए इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उचित मदद कर सकते हैं।
- हमारे देश के सभी विश्वविद्यालयों में से 69 प्रतिशत राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। इन विश्वविद्यालयों के छात्रों में से लगभग 94 प्रतिशत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्यपाल इनमें से अधिकतर विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं।
- राज्यपाल अपने पद, अधिकार और अनुभव से शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये आवश्यक मार्ग-दर्शन और प्रेरणा देते हैं। अपने कार्यालय और सार्वजनिक जीवन के समृद्ध अनुभव के कारण राज्यपाल इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिये आदर्श हैं।

नोट :

- राज्यपाल राज्यों के विश्वविद्यालयों में समय पर पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों के दाखिले तथा अध्यापकों की नियुक्तियाँ सुनिश्चित कर सकते हैं। वे नियत समय पर परीक्षाओं, परिणामों की घोषणा तथा दीक्षांत समारोहों के आयोजन सुनिश्चित कर सकते हैं। उन पर इस अनुशासन और अखंडता को कायम रखने के लिये राज्य के विश्वविद्यालयों को प्रेरित करने की ज़िम्मेदारी है।

2018 के दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम और आंतरिक सुरक्षा की जानकारी तथा प्रस्तुति; राज्य के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा; रोज़गार के लिये कौशल विकास; 48वें राज्यपाल सम्मेलन में गठित राज्यपालों की समिति की रिपोर्ट पर उठाए गए कदम और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह शामिल हैं।

- केंद्रशासित प्रदेशों पर 5 जून, 2018 को विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उप-राज्यपाल/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
- इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल और उप-राज्यपाल के अतिरिक्त उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

## डब्ल्यूटीओ का अनौपचारिक सम्मेलन (Informal gathering of WTO)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 31 मई, 2018 को पेरिस में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रियों के अनौपचारिक सम्मेलन में भाग लिया। डब्ल्यूटीओ के 28 सदस्य देशों और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने इस अनौपचारिक सम्मेलन में भाग लिया।

- इस सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने ई-कॉमर्स सहित डब्ल्यूटीओ में निवेश संबंधी सुविधा जैसे नए मुद्दों के विषय में भारत की आपत्ति को रेखांकित किया। साथ ही डब्ल्यूटीओ के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिये आपस में मिलकर तेज़ी से काम करने पर भी विशेष ज़ोर दिया।
- वस्तुत: इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिये डब्लूटीओ को विभिन्न वार्ताओं और प्रक्रियाओं में आम सहमति एवं विकास की केंद्रीयता के आधार पर समावेश या समग्रता व निर्णय लेने के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने पर बल देना होगा।
- बिना किसी अपवाद के सभी विकासशील देशों और एलडीसी के लिये किये गए विशेष एवं पृथक् प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौतों का एक अभिन्न अंग है, ऐसे में भावी समझौतों में भी इस सिद्धांत का संरक्षण किया जाना चाहिये।

### डब्ल्यूटीओ

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) एक ऐसी संस्था है जो विश्व व्यापार के लिये दिशा-निर्देश जारी करती है तथा नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिये उत्तरदायी है।
- भारत भी इसका एक सदस्य देश है। कुल 164 देश इसके सदस्य हैं और चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था।
- डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी संस्था मंत्रिस्तरीय परिषद (Ministerial Conference) है, जो प्रत्येक दो वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्त्ता का चुनाव करती है।
- साथ ही यह सामान्य परिषद (General Council) का काम भी देखती है, जो कि विभिन्न देशों के राजनयिकों से मिलकर बनती है और संस्था के प्रतिदिन के कामों को देखती है। इसमें होने वाले फैसलों को लागू कराने के लिये सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं।
- विदित हो कि विश्व के सभी देशों को व्यापार के लिये एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में बनाए गए गैट (General Agreement on Tarrifs & Trade-GATT) के स्थान पर 1 जनवरी, 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी।
- डब्ल्यूटीओ को बनने में काफी समय लगा और 1986 से 1994 तक चले उरुग्वे वार्ताओं के लंबे दौर के बाद ही इसकी स्थापना संभव हो पाई। डब्लयूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

नोट :

## आरबीआई के डिप्टी गवर्नर : महेश कुमार जैन

आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक महेश कुमार जैन को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन को एस.एस. मुंद्रा के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

- वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति समिति द्वारा यह नियुक्ति की गई है। इस समिति में आरबीआई के गवर्नर, वित्तीय सेवाओं के सचिव के अलावा अन्य स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं।

### महेश कुमार जैन

- इससे पहले वे इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर भी काम कर चुके हैं।
- इसके अलावा वे बैंकिंग क्षेत्र की कई समितियों जैसे कि बसंत सेठ समिति, का भी हिस्सा रहे हैं। इस समिति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऑडिट प्रणाली की आंतरिक एवं समवर्ती समीक्षा तथा संशोधन करने हेतु गठित किया गया था।

### डिप्टी गवर्नर

- आरबीआई अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय बैंक में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिये। इनमें से दो डिप्टी गवर्नर, एक वाणिज्यिक बैंकर तथा एक अर्थशास्त्री होना चाहिये।
- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को सवा दो लाख रुपए का तय मासिक वेतन और अन्य भत्ते दिये जाते हैं।

## वित्तीय साक्षरता सप्ताह

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 4 जून से 8 जून, 2018 तक 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है। 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' की थीम- 'ग्राहकों का संरक्षण' (Customer Protection) है।

- वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को डिजीटल बैंकिंग के साथ-साथ सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली के बारे में जागरूक करना है।
- ग्राहकों को बैंकिंग संबंधी जोखिमों से सचेत करने तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2016 से 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु

- इस कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर ग्राहकों को चार विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इनमें फर्जी निवेश योजनाओं के झाँसे में न आने, बैंकिंग संबंधी शिकायत के लिये 'बैंकिंग लोकपाल' व्यवस्था का प्रयोग, सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने तथा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहक व बैंकों की देयता के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।
- वित्तीय रूप से पिछड़े एवं वंचित क्षेत्रों में सभी बैंकिंग शाखाओं में कार्यशालाओं, शिविरों, प्रश्नोत्तरी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- आरबीआई द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, एटीएम से असफल लेन-देन, ग्राहक की जानकारी के बिना बैंक खाते में शुल्क लगाने आदि के संबंध में कोई भी ग्राहक अपनी नज़दीकी शाखा में शिकायत कर सकता है। यदि ग्राहक की शिकायत के संदर्भ में एक महीने के अंदर समाधान नहीं होता है तो वह बैंकिंग लोकपाल के समक्ष इसकी शिकायत कर सकता है।

### वित्तीय साक्षरता

- वित्तीय साक्षरता का अर्थ है वित्त को समझने की क्षमता।
- 'वित्तीय शिक्षा' का अर्थ होता है, 'धन' के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना, जिससे हम अपने 'धन' का सही प्रबंधन करते हुए, अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित एवं बेहतर बना सकें l

नोट :

# बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

इस योजना को 1 जनवरी, 2006 में शुरू किया गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्रवाई करती है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार वर्ष 1995 में लागू की गई थी। वर्ष 2002 में इसे संशोधित किया गया।

## बैंकिंग लोकपाल

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं।
- यह एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। विचार-विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिये इसे दोनों पक्षों - बैंक और ग्राहक को बुलाने का अधिकार है। इनके कार्यालय अधिकांशत राज्यों की राजधानियों में स्थित होते हैं।
- बैंकिंग लोकपाल भारत में अपना खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों से विदेश से उनके विप्रेषित जमाराशियों और बैंक संबंधी अन्य मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विचार कर सकता है।
- बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिये कोई शुल्क वसूल नहीं करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना का गठन बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये किया गया है। यह बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों तथा इस योजना में यथा निर्दिष्ट अन्य मामलों के समाधान हेतु एक सांस्थिक (Statistical) और विधिक ढाँचा उपलब्ध कराता है।
- रिज़र्व बैंक अपने सेवारत वरिष्ठ अधिकारियों को भी बैंकिंग लोकपाल के रुप में नियुक्ति करेगा और बेहतर प्रभाव के लिये इसे पूर्णरुप से निधि भी प्रदान करेगा।

## बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है?

- किसी भी प्रयोजन हेतु अदायगी के लिये प्रद्त कम मूल्य वर्ग के नोटों का बिना पर्याप्त कारण के स्वीकार नहीं किया जाना तथा इस संबंध में किसी भी तरह का कमीशन वसूल करना।
- बैंक द्वारा अनुरक्षित बचत, चालू या अन्य खाते में जमाराशियों पर लागू ब्याज दर के संबंध में रिज़र्व बैंक के निर्देश (यदि कोई हों) का पालन न करना, जमाराशियों का भुगतान न करना, पार्टियों के खातों में आय जमा न करना या विलंब करना।
- निर्यातकों के लिये निर्यात प्राप्तियाँ मिलने, निर्यात बिलों पर कार्रवाई, बिलों की वसूली आदि में विलंब, बशर्ते कि ऐसी शिकायतें बैंक के भारत में परिचालन से संबंधित हों।
- एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन या क्रेडिट कार्ड परिचालन पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का बैंक अथवा उनके अनुषंगियों द्वारा अनुपालन न किया जाना।
- पेंशन संवितरण में विलंब अथवा संवितरण न करना (कुछ हद तक इस शिकायत हेतु संबंधित बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के लिये बैंक को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं लेकिन उनके कर्मचारियों के मामले में नहीं)।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करने से इनकार अथवा विलंब करना, या सेवा प्रदान करने में असमर्थता अथवा सेवा प्रदान करने या शोधन में विलंब करना।
- बिना पर्याप्त सूचना अथवा पर्याप्त कारण के जमा लेखों को जबरन बंद करना, लेखे बंद करने से इनकार या बंद करने में विलंब करना।

## बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, पुरानी बैंकिंग लोकपाल योजना 2002 से किस प्रकार भिन्न है?

- नई योजना का विस्तार क्षेत्र 2002 की पूर्व योजना से व्यापक है।
- नई योजना में शिकायतों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
- नई योजना लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील हेतु बैंक तथा शिकायतकर्त्ता दोनों के लिये अतिरिक्त रुप से 'अपीलीय प्राधिकार' नामक एक संस्था भी उपलब्ध कराती है।

नोट :

# भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

## उद्देश्य

भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाएं रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

## केंद्रीय निदेशक बोर्ड

रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।

- नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होता है।
- गठन : एक सरकारी निदेशक (पूर्णकालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर)।
- गैर- सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी तथा अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक)।

## प्रमुख कार्य

### मौद्रिक प्राधिकारी

- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
- उद्देश्य: विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

### वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक

- बैंकिंग परिचालन के लिये विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- उद्देश्य: प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।

### विदेशी मुद्रा प्रबंधक

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- उद्देश्य: विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना एवं उसे बनाए रखना।

### मुद्रा जारीकर्त्ता

- करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है।
- उद्देश्य : आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

### विकासात्मक भूमिका

- राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिये व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।

### संबंधित कार्य

- सरकार का बैंकर : केंद्र और राज्य सरकारों के लिये व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
- बैंकों के लिये बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है।

नोट :

## भारत - इंडोनेशिया समन्वित निगरानी अभियान

- 31वें भारत–इंडोनेशिया समन्वित निगरानी (इंड-इंडो कॉर्पेट) अभियान के समापन समारोह के लिये कमांडर दीपक बाली की कमान में आईएनएस कुलीश और अंडमान तथा निकोबार कमान का एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान बेलावन, इंडोनेशिया पहुँचा।
- समापन समारोह 6 से 9 जून, 2018 तक आयोजित किया जाएगा।
- 24 - 25 मई, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इंड-इंडो कॉर्पेट अभियान को शुरू किया गया था, इसके तहत 26 मई से 2 जून, 2018 तक समन्वित निगरानी की गई।
- दोनों देशों की नौसेनाएँ रणनीतिक साझेदारी की व्यापक परिधि के अंतर्गत वर्ष 2002 से वर्ष में दो बार 'अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा रेखा' (IMBL) पर समन्वित निगरानी को कार्यान्वित कर रही हैं।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मित्रवत देशों के साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति एवं एकता के लिये बेहतर माहौल सुनिश्चित करना तथा भारत-इंडोनेशिया के बीच मौजूदा संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौपरिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये सुरक्षित बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
- हाल के समय में क्षेत्र के समुद्री खतरों से निपटने के लिये भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और प्रगति) के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में कई राष्ट्रों की सहायता कर रही है।

### विशेष आर्थिक ज़ोन नीति का अध्ययन करने वाले समूह के प्रमुख होंगे: बाबा कल्याणी

भारत सरकार ने विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज़) नीति का अध्ययन करने के लिये प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है। सेज़ नीति 1 अप्रैल, 2000 से लागू है। इसके बाद मई, 2005 में संसद ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 पारित किया और इसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। सेज़ अधिनियम, 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है।

- यह समूह सेज़ नीति का अध्ययन करेगा, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा, सेज़ नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनाएगा, सेज़ नीति में सुधार का सुझाव देगा, सेज़ योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा और सेज़ नीति को अन्य समान योजनाओं के अनुरूप संगत बनाने के लिये सुझाव देगा।
- यह समूह तीन महीने में अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करेगा।

### विशेष आर्थिक क्षेत्र

- विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा 'सेज़' (Special Economic Zones – SEZs) उस विशेष रूप से पारिभाषित भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
- यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित किया जाता है।
- इसके लिये सरकार ने अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने; वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने; स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन; रोज़गार के अवसरों का सृजन; आधारभूत सुविधाओं का विकास इत्यादि के उद्देश्य से 2005 में एक अधिनियम पारित किया था।

## डॉ. वर्जीनिया ऐपगार

डॉ. वर्जीनिया ऐपगार के 109वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर उनको याद किया है। इस डूडल में डॉ. वर्जीनिया ऐपगार को एक लेटरपैड तथा पेन पकडे हुए दिखाया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्जीनिया ऐपगार का जन्म 7 जून 1909 को हुआ था।

नोट :

- उन्हें ऐपगार स्कोर (जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का त्वरित आकलन करने का एक तरीका) के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है।
- उनका शुरुआती जीवन अमेरिका के न्यू जर्सी में बीता।
- उन्होंने परिवार में बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखा जिसके कारण उनकी रुचि चिकित्सा एवं विज्ञान की तरफ बढ़ी गई।
- वर्ष 1949 में डॉ वर्जीनिया ने सर्जरी में अपनी पढ़ाई पूरी की।
- डॉक्टर वर्जीनिया पहली महिला थीं जो प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिज़िशियंस एंड सर्जंस में प्रोफेसर बनीं। उन्होंने यह उपलब्धि वर्ष 1949 में हासिल की।
- डॉक्टर ऐपगार और उनके साथियों ने वर्ष 1950 के दौरान अमेरिका में बढ़ते शिशु मृत्यु दर के समय कई हज़ार नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्रित की।
- वर्ष 1960 तक किसी बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के भीतर उसके स्वास्थ्य का पता लगाना बहुत आसान हो गया था।
- 1972 में डॉक्टर वर्जीनिया ने 'Is My Baby All Right?' नाम से एक किताब लिखने में भी योगदान दिया।
- इस किताब में जन्म के दौरान होने वाली समस्याएँ और उनके समाधान को स्पष्ट किया गया है।
- डॉ. ऐपगार की मृत्यु वर्ष 1974 में हो गई।

## ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी

फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में चिमाल्टेंगो, एस्कुइंटाला और सैकटेपेक्यूज़ की सीमाओं पर अवस्थित एक सक्रिय स्ट्रैटोज्वालामुखी है। जब मेग्मा सतह तक पहुँच जाता है, तो वह एक तरह के ढाल ज्वालामुखी या स्ट्रैटोज्वालामुखी के रूप में एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है।

- फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला के सबसे प्रसिद्ध शहरों और पर्यटक गंतव्य के तौर पर प्रसिद्ध है।
- फ्यूगो ज्वालामुखी, राजधानी ग्वाटेमाला सिटी के लगभग 40 किमी दक्षिण-पश्चिम में अवस्थिति है।

### ग्वाटेमाला

- यह मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर-पश्चिम में मेक्सिको, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर-पूर्व में बेलीज़, पूर्व में कैरेबियन और दक्षिण पूर्व में होंडुरास और अल साल्वाडोर स्थित है।
- इस देश की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला की समृद्ध जैविकी और अद्वितीय पारिस्थितिकी इसे जैव विविधता के लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण बनाती है।
- ग्वाटेमाला नाम की व्युत्पत्ति 'नहुआती' या 'नहुआटी' भाषा के शब्द 'क्वाटेमल्लान' से हुई है जिसका अर्थ है अनेक वृक्षों का स्थान।

## सेंटोसा द्वीप (Sentosa Island)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की वार्ता के लिये सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप को चुना गया है, यह द्वीप विश्व के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इस शिखर सम्मेलन के लिये सेंटोसा द्वीप को चुने जाने का निर्णय तार्किक है। यह सिंगापुर के मुख्य द्वीप के दक्षिणी तट से केवल आधा किलोमीटर दूर एक जलडमरू (Strait) के पार स्थित है। काफी एकांत में स्थित होने के कारण यह द्वीप न केवल गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि दोनों देशों के नेताओं के लिये एक सुरक्षित जगह भी है।

- इतिहास में यहाँ 400 से अधिक एलायड ट्रूप्स (सहयोगी सेना) के सैनिकों को कठोर स्थितियों में कैदी बनाकर रखने का उल्लेख मिलता था।
- वर्ष 1942 में सिंगापुर पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद यहाँ जापान विरोधी विचारधारा वाले लोगों की बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। सिंगापुर में रहने वाले चीनी नागरिकों सहित जापान विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले या संदेह वाले स्थानीय नागरिकों को सेंटोसा द्वीप पर फाँसी दे दी जाती थी।
- यह एक ब्रिटिश सैन्य बेस और एक जापानी युद्ध बंदी शिविर (prisoner of war camp) रहा है।
- 1972 तक सेंटोसा द्वीप को 'पुलाऊ बेलाकांग मति' (Pulau Blakang Mati) अर्थात् मृत्यु का द्वीप (Island of death from behind) नाम से जाना जाता था।
- इसके बाद एक सरकारी अभियान के भाग के रूप में इसका नाम बदलकर रिसॉर्ट द्वीप कर दिया गया।

नोट :

## गुरुग्राम में देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस

हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority-DLSA) का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस (Digital Front Office) शुरू किया गया। यह देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इस मॉडल को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु

- डिजिटल फ्रंट ऑफिस की स्थापना के बाद डीएलएसए का समस्त रिकॉर्ड डिजिटाइज़ किया जाएगा। अभी तक इन सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिये रजिस्टरों का उपयोग किया जाता है।
- फ्रंट ऑफिस से डीएलएसए के पास मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु आने वाले प्रार्थी को पैनल के किस अधिवक्ता के पास भेजा जाएगा, मामले की सुनवाई की तारीख आदि के संबंध में सभी जानकारियों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा।
- डिजिटल फ्रंट ऑफिस को कॉल सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि किसी भी अभावग्रस्त व्यक्ति को फोन करके भी बताया जा सके कि उसे कानूनी तौर पर कैसे राहत मिल सकती है।
- इसके साथ-साथ इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोगों को न्याय दिलाने में अधिक-से-अधिक सहायक प्रदान की जा सके।

## सीबीडीटी ने पखवाड़े को प्रभाव-पुष्टि मामलों की लंबित अपील को समर्पित किया

लोक शिकायतों का निपटान एवं करदाताओं की सेवा सीबीडीटी एवं आयकर विभाग के लिये शीर्ष प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। इसीलिये सीबीडीटी ने 1 जून से 15 जून, 2018 के पखवाड़े को प्रभाव-समाधान मसलों के लंबित अपील के त्वरित निपटान को समर्पित किया है।

- आकलन अधिकारियों को ऐसे मामलों को शीर्ष प्राथमिकता देने एवं इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है, जिससे इस वजह से आने वाली शिकायतों का जल्द-से-जल्द निपटारा किया जा सके।
- सभी करदाताओं, आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) के स्थानीय चैप्टर्स एवं बार एसोसिएशंस से आग्रह किया गया है कि वे इस अवसर का उपयोग अपील प्रभाव एवं समाधान के तहत अपने लंबित मुद्दों के समाधान के लिये करे।

### सीबीडीटी

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है। अपने पदेन सामर्थ्य में इसके अधिकारी मंत्रालय के प्रभाग के तौर पर भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों से व्यवहार करते हैं।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य शामिल होते हैं।

### पृष्ठभूमि

- विभाग के शीर्ष निकाय के तौर पर केंद्रीय राजस्व बोर्ड, कर प्रबंधन का उत्तरदायित्व, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। प्रारंभिक तौर पर बोर्ड को दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।
- जब कर का प्रबंधन एक बोर्ड के लिये संभालना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ तब बोर्ड को प्रभावी तिथि 1 जनवर, 1964 को दो भागों में विभक्त कर दिया गया जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम दिया गया।
- यह द्विभाजन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत दो बोर्डों के संविधान के अनुसार प्रस्तुत किया गया।

## प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये पेंशन में उर्ध्वमुखी संशोधन

खिलाड़ियों के कल्याण के संबंध में एक बड़े कदम के रूप में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये पेंशन में ऊर्ध्वमुखी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वालों के लिये पेंशन की वर्तमान राशि दोगुनी कर दी गई है।

नोट :

क्या संशोधन किये गये है-

- ओलम्पिक/पैराओलम्पिक खेलों में पदक विजेता के लिये पेंशन को 20,000 रुपए किया गया है।
- विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता (ओलम्पिक/एशियाई खेल प्रतिस्पर्धाओं) के लिये 16,000 रुपए।
- विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में रजत/कांस्य पदक विजेता (ओलम्पिक/एशियाई खेल प्रतिस्पर्धाओं) और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा-एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता के लिये 14,000 रुपए।
- एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा-एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेता के लिये 12,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

### मुख्य तथ्य

- पैरा-ओलम्पिक खेलों एवं पैरा-एशियाई खेलों में पदक विजेताओं की पेंशन की राशि क्रमशः ओलम्पिक खेलों एवं एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के समकक्ष होगी।
- पेंशन के लिये चार वर्षों में एक बार आयोजित की जाने वाली विश्व चैम्पियनशिप पर ही विचार किया जाएगा।
- संशोधित योजना में रेखांकित किया गया है कि खिलाड़ियों को इस योजना के तहत पेंशन के लिये आवेदन करने के समय सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिये तथा 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिये।
- इस आशय की स्वीकृति खिलाड़ियों द्वारा आवेदन प्रारूप में ही दी जाएगी तथा आवेदक की उपलब्धियों के सत्यापन के लिये आवेदन को अग्रसारित करते समय एसएआई से भी इसकी पुष्टि की जाएगी।
- वर्तमान पेंशनधारियों के मामले में पेंशन की राशि में संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

## बिज़नेस फर्स्ट पोर्टल

पंजाब सरकार द्वारा राज्य में व्यवसाय को सरल बनाने हेतु 'बिज़नेस फर्स्ट पोर्टल' लॉन्च किया गया है यह ऑनलाइन पोर्टल उद्योगपतियों को विनियामक निकासी और वित्तीय स्वीकृति के संबंध में एक मंच पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

- इस पोर्टल के द्वारा दूसरे विभागों को नियामक मंज़ूरियाँ प्रदान दी जाएंगी। पोर्टल में आवेदक को स्व-मूल्यांकन की सुविधा दी जाएगी जिससे व्यापारी अपने पहले आवेदन और उसके साथ संलग्न किये गए दस्तावेज़ों की जाँच करने में सक्षम हो सकेंगे।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इस वर्ष के अंत तक उद्योगपतियों को शत-प्रतिशत वैट रिफंड सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वैट रिफंड के मामलों का जल्द निपटारा करने के लिये इस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक दो महीने बाद 300 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है।
- इसके अलावा वैट रिफंड के सभी लंबित मामलों को दिसंबर 2018 तक निपटाए जाने के संबंध में भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। बिजनेस फर्स्ट पोर्टल के पहले फेस में पाँच यूज़र काम कर सकेंगे।
- नए निवेशकों को इससे राहत मिलने की संभावना है। इसे सिंगल विंडो के रूप में काम करने के लिये तैयार किया गया है।
- इसके तहत न केवल प्रोसेस वर्क में आनी वाली परेशानियों में कमी आएगी बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी आने की संभावना है।

## मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्राफी

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद [Maulana Abul Kalam Azad (MAKA) Trophy] ट्राफी प्रदान करने के लिये खेलों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन वाले विश्वविद्यालयों के चयन को सुसंगत तथा सरल बनाने के दृष्टिकोण से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) ने माका ट्राफी के लिये संशोधित मार्गदर्शन अनुमोदित किये हैं।

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्राफी (Maulana Abul Kalam Azad Trophy) अंतर-विश्वविद्यालयी टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। इस ट्राफी में अभी तक नकद पुरस्कार 10 लाख रुपए (प्रथम स्थान), पाँच लाख रुपए (दूसरा स्थान) दिया जाता था।
- संशोधित मार्गदर्शनों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों से आवेदन अब युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित किये जाएंगे जो अभी तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा आमंत्रित किये जाते थे।
- आवेदनों की जाँच भी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय/ भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
- माका ट्राफी के लिये विश्वविद्यालयों के चयन हेतु अंकों की गणना का मानदंड भी संशोधित किया गया है जिसमें विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा ओलंपिक खेलों/पैरा-ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, एशियन कप/एशियन चैंपियनशिपों, कॉमनवेल्थ खेलों, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिपों, विश्व विश्वविद्यालयी खेलों, विश्व विश्वविद्यालयी चैंपियनशिपों, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयी खेलों, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयी चैंपियनशिपों, खेलो भारत विश्वविद्यालय खेल, अंतर क्षेत्रीय चैंपियनशिपों और अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खेलों में किये गए निष्पादनों को शामिल किया गया है।
- समग्र अखिल विजेता विश्वविद्यालय के लिये पुरस्कार की राशि भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है तथा प्रथम और द्वितीय रनर-अप विश्वविद्यालयों के लिये पुरस्कार की राशि बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए कर दी गई है।

## 'भारत के प्रधानमंत्री' संग्रहालय के लिये तीन समितियों का गठन

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने तीन मूर्ति भवन (भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास) में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके 'भारत के प्रधानमंत्री' संग्रहालय की स्थापना के लिये तीन उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस संग्रहालय में देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

### समिति के बारे में

- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित की गई तीन समितियों में से एक समिति परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा शेष दो समिति संग्रहालय संग्रहालय की स्थापना से संबंधित प्रणाली पर कार्य करेंगी।

| समिति का नाम | विवरण |
|---|---|
| शक्ति सिन्हा समिति | इस समिति की अध्यक्षता नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एवं लाइब्रेरी (NMML) के निदेशक शक्ति सिन्हा द्वारा की जाएगी। इस समिति के अन्य सदस्य लेखक एवं इतिहासकार माखन लाल, प्रोफेसर श्रीप्रकाश सिंह होंगे। |
| स्वपन दासगुप्ता समिति | इस समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता द्वारा की जाएगी। इस समिति के सदस्यों में प्रसार भारती के चीफ ए. सूर्य प्रकाश होंगे। यह समिति संग्रहालय के निर्माण के लिये सहायता प्रदान करेगी। |
| शक्ति सिन्हा समिति | इस समिति की अध्यक्षता NMML के निदेशक शक्ति सिन्हा द्वारा की जाएगी। उनकी टीम में CPWD के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। यह समिति योजना कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। |

## रीसाइकिल न हो पाने वाले प्लास्टिक से बन सकेगा ईंधन

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology-IIT) मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी प्रणाली को विकसित किया गया है जिसका प्रयोग करके रीसाइकिल न हो सकने वाले प्लास्टिक को ईंधन में परिवर्तित किया जा सकेगा।

### प्रमुख बिंदु

- IIT-मद्रास के शोधार्थियों ने इस प्रोजेक्ट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में प्रदर्शित किया।
- इस तकनीक में एक मोबाइल इकाई को शामिल किया गया है जो प्लास्टिक कचरे को एकत्र करके उसकी प्रोसेसिंग करती है।
- इस तकनीक का इस्तेमाल करके 1 किग्रा. प्लास्टिक कचरे से लगभग 0.7 लीटर ईंधन तेल बनाया जा सकता है।
- शोधकर्त्ताओं की इस टीम का नेतृत्व दिव्या प्रिया ने किया तथा तकनीकी मार्गदर्शन IIT-मद्रास की प्रोफेसर इंदुमति नाम्बी ने किया।
- शोधकर्त्ताओं की इस टीम के इंडस्ट्रियल मेंटर चेन्नई के ही गैर-सरकारी संगठन 'समृद्धि फाउंडेशन' के श्रीराम नरसिम्हन थे।
- वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस नाम दिया गया है।
- इस प्रक्रिया में प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
- इस ट्रीटमेंट में प्लास्टिक कचरे को बहुत अधिक तापमान से गुज़ारा जाता है जिसके कारण इसके भौतिक तथा रासायनिक रूप में परिवर्तन आ जाता है।
- प्लास्टिक को 350 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से पॉलीमर श्रृंखला कम घनत्व वाले ईंधन तेल में विभाजित हो जाती है।
- इस ईंधन को जेनरेटरों, भट्टियों तथा इंजनों में डीज़ल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।

## विश्व महासागर दिवस

### चर्चा में क्यों ?

8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस (World Ocean Day) के रूप में मनाया गया। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के लिये मनाया जाता है।

### प्रमुख बिंदु

- विश्व महासागर दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'पृथ्वी ग्रह' नामक फोरम में लाया गया था।
- इसी दिन विश्व महासागर दिवस को हमेशा मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे संबंधित प्रस्ताव को 2008 में पारित किया था औऱ इस दिन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी।
- पहली बार विश्व महासागर दिवस 8 जून, 2009 को मनाया गया था।
- इसका उद्देश्य केवल महासागरों के प्रति जागरुकता फैलाना ही नहीं बल्कि दुनिया को महासागरों के महत्त्व और भविष्य में इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है।
- इस दिन कई महासागरीय पहलुओं जैसे- सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, पारिस्थितिक संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, तथा जलवायु परिवर्तन आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है।

## मॉरीशस करेगा विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी

### चर्चा में क्यों ?

11वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त, 2018 तक मॉरीशस में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरीशस सरकार के सहयोग से किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को मॉरीशस में आयोजित करने का निर्णय सितंबर 2015 में भारत के भोपाल शहर में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था।
- प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1975 में नागपुर में किया गया था।

- विश्व के अलग-अलग भागों में ऐसे 10 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है।
- 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिये विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। सम्मेलन के व्यवस्थित एवं निर्बाध आयोजन के लिये विभिन्न समितियाँ गठित की गई हैं।
- सम्मेलन का मुख्य विषय "हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति" है।
- सम्मेलन का आयोजन स्थल "स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र" पाई, मॉरीशस है।
- सम्मेलन स्थल पर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कई प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी।
- परंपरा के अनुरूप सम्मेलन के दौरान भारत एवं अन्य देशों के हिंदी विद्वानों को हिंदी के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिये "विश्व हिंदी सम्मान" से सम्मानित किया जाएगा।

अब तक संपन्न हुए 10 विश्व हिंदी सम्मेलनों की सूची

| क्रमांक | सम्मेलन | स्थान | सम्मेलन वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन | नागपुर, भारत | 10-12 जनवरी,1975 |
| 2. | द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन | पोर्ट लुई, मॉरीशस | 28-30 अगस्त,1976 |
| 3. | तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन | नई दिल्ली, भारत | 28-30 अक्तूबर,1983 |
| 4. | चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन | पोर्ट लुई, मॉरीशस | 02-04 दिसंबर,1993 |
| 5. | पाँचवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन | पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो | 04-08 अप्रैल,1996 |
| 6. | छठा विश्व हिंदी सम्मेलन | लंदन, यू. के. | 14-18 सितंबर,1999 |
| 7. | सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन | पारामारिबो, सूरीनाम | 06-09 जून, 2003 |
| 8. | आठवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन | न्यूयार्क, अमेरिका | 13-15 जुलाई, 2007 |
| 9. | नौवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन | जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका | 22-24 सितंबर, 2012 |
| 10 | दसवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन | भोपाल, भारत | 10-12 सितंबर, 2015 |

## कैंसर की लड़ाई में एक नया सहयोगी

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (NCI) के अमेरिका के इंटरनेशनल कैंसर प्रोटीजेनोम कंसोर्टियम (ICPC) में शामिल होने के साथ ही भारत इसमें शामिल होने वाला 12 वाँ देश बन गया। यह दुनिया के अग्रणी कैंसर और प्रोटीजेनोमिक शोध केंद्रों के बीच सहयोग के लिये एक मंच है।

### प्रमुख बिंदु

- यह पहली बार है जब भारत के शोधकर्त्ता कैंसर ट्यूमर के प्रोटीन और जीन का अध्ययन एक साथ करेंगे।
- दो आशाजनक विज्ञानों (प्रोटीमिक्स और जीनोमिक्स) के बीच विलय का उद्देश्य नई दवाएँ प्राप्त और व्यक्तिगत कैंसर उपचार प्रदान करना है।
- भारतीय टीम में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे प्रोटीमिक्स का अध्ययन करेगा और टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई (भारत का प्रमुख कैंसर संस्थान) तीन प्रकार के कैंसर यथा स्तन, सिर तथा गर्दन और गर्भाशय ग्रीवा के जीनोमिक्स का अध्ययन करेगा।
- एक पायलट परियोजना के रूप में शोधकर्त्ता इन कैंसर में से प्रत्येक समूह के 100 नमूनों का अध्ययन करेंगे।
- यह पहली बार है कि कैंसर ट्यूमर के प्रोटीमिक्स और जीनोमिक्स का अध्ययन एक ही नमूने से किया जाएगा।

नोट :

- जीनोमिक्स के क्षेत्र में सिस्टम या जीव के अंदर उपस्थित सभी संभावित जीनों का अध्ययन करना और उनके उत्परिवर्तनों का विश्लेषण करना शामिल है।
- डीएनए, जो आनुवंशिक निर्देशों का भंडार है एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण करता है।
- एनसीआई के अनुसार, पिछले अध्ययनों से पता चला है कि प्रोटीन स्तर पर जीनोमिक परिवर्तन हमेशा मौजूद नहीं होते हैं।
- यह पाँच साल की परियोजना संस्थानों धन प्राप्त कर पायलट चरण को पूरा करने का प्रयास करेगी।

## एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला प्लास्टिक

### चर्चा में क्यों ?

मिट्टी में अंत:स्थापित सिल्वर नैनोकणों को अब प्लास्टिक के अंदर फ़ैलाने में सफलता हासिल की गई है जिसे नई एंटीमिक्राबियल फिल्मों, फिलामेंट्स तथा प्लास्टिक की अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है।

### प्रमुख बिंदु

- सिल्वर नैनोपार्टिकल-एम्बेडेड प्लास्टिक में एस्चेर्चिया कोलाई (Escherchia coli) और स्टाफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus) जैसे सामान्य बैक्टीरियल रोगजनकों के खिलाफ 99% से अधिक एंटीबैक्टीरियल गतिविधियाँ देखी गई हैं।
- इस शोध में लगभग 10 नैनोमीटर आकार के सिल्वर नैनोकणों को लगभग 200-300 नैनोमीटर लंबाई के मिट्टी के कणों पर जमा किया गया था।
- शोधकर्त्ताओं ने इस प्रक्रिया में मोंटमोरीलोनाइट नामक ज्वालामुखीय साइटों में पाए गए एक अकार्बनिक मिट्टी का इस्तेमाल किया।
- मिट्टी तथा चाँदी का यौगिक जिसमें 10% चाँदी उपस्थित थी, को मेल्ट कंपाउंडिंग विधि का प्रयोग करके उच्च घनत्व वाले पालीथिलिन प्लास्टिक में लोड किया गया था।
- इसके बाद उन्होंने नए गठित चाँदी-मिट्टी-प्लास्टिक नैनोकोमोसाइट को फिल्मों, फिलामेंट्स में परिवर्तित कर दिया और इन्हें नमूने में ढाला और जीवाणुरोधी गुणों की जाँच की।
- फिल्मों और फिलामेंट्स ने ढाले गए प्लास्टिक की तुलना में उच्च गतिविधि प्रदर्शित की।
- टीम ने चांदी के स्थान पर जस्ता और तांबा जैसे अन्य धातु आयनों की भी कोशिश की।
- इन नैनोकोमोसाइट प्लास्टिक में चाँदी की सामग्री बहुत कम है इसलिये मानव कोशिकाओं के लिये कोई विषाक्तता नहीं है।

## मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' हुआ लॉन्च

### चर्चा में क्यों ?

रेल यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन या खाद्य पदार्थों के बारे में रेल यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आईआरसीटीसी द्वारा विकसित एक नए मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' को लॉन्च किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह मोबाइल एप सभी प्रकार की रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले मेन्यू (व्यंजन-सूची) के बारे में व्यापक जानकारी देता है।
- इसमें खाद्य पदार्थ चार श्रेणियों में शामिल हैं, अर्थात् पेय पदार्थ, नाश्ता, भोजन और ए-ला-कार्टे (अलग-अलग कीमतों के साथ सूचीबद्ध व्यक्तिगत व्यंजन वाले मेनू)।
- ए-ला-कार्टे में नाश्ता, हल्का भोजन, कॉम्बो भोजन, ,माँसाहारी, जैन भोजन, मिठाई, मधुमेह रोगियों के लिये खाद्य पदार्थ आदि की श्रेणियों के तहत 96 वस्तुओं की एक सूची शामिल है।

नोट :

- मानक खाद्य वस्तुओं के लिये दरों (करों सहित) को ट्रेनों के साथ-साथ स्टेशनों (खाद्य प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों को छोड़कर) के लिये निर्धारित किया जाता है।
- यह मोबाइल एप राजधानी/शताब्दी/दुरंतो समूह की ट्रेनों में परोसे जाने वाले मेन्यू के बारे में भी जानकारी देता है ।
- शताब्दी ट्रेनों में एक्जीक्यूटिव क्लास एवं चेयर कार क्लास और राजधानी एवं दुरंतो ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी तथा थर्ड एसी क्लास के लिये परोसे जाने वाले भोजन (पहले से ही बुक किये गए) को अलग से दर्शाया जाता है। दुरंतो ट्रेनों में स्लीपर क्लास के लिये भी खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किये जाते हैं। इन ट्रेनों के देरी से चलने की स्थिति में भी मेन्यू दिया जाता है।
- गतिमान और तेजस ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन (पहले से ही बुक किये गए) को भी दर्शाया जाता है।
- शताब्दी/राजधानी/दुरंतो/गतिमान/तेजस इत्यादि ट्रेनों के यात्रीगण पहले से ही खाद्य पदार्थों को बुक करने की स्थिति में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों और उनकी मात्राओं के बारे में अवगत होंगे।
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में यह मोबाइल एप खान-पान की वस्तुओं की अधिक कीमतें वसूले जाने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा।

## 'रेल मदद'

### चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेलवे ने पहली बार शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की पहल करते हुए 'रेल मदद' नामक एप जारी किया है। यह एप यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने एवं उसमें तेज़ी लाने के लिये जारी किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस मोबाइल एप्लीकेशन का विकास उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है।
- यह एप यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करेगा और शिकायतों के निवारण की स्थिति के बारे में उन्हें लगातार जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- यात्री को पंजीकरण के तुरंत बाद sms द्वारा शिकायत संख्या उपलब्ध कराई जाएगी जिसके बाद रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी sms द्वारा दी जाती रहेगी।
- रेल मदद यात्रियों की शिकायतों को न्यूनतम जानकारी एवं फोटोग्राफ के साथ दर्ज़ करता है तथा एक शिकायत संख्या जारी करता है और तुरंत ही इस जानकारी को डिवीजन के संबंधित फील्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाता है।
- यह एप यात्री को शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही से भी अवगत कराता है, जिससे शिकायत के पंजीकरण एवं समाधान की पूरी प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाता है।
- रेल मदद विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाओं के नंबर भी प्रदर्शित करता है और साथ ही तत्काल सहायता के लिये सीधे फोन करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
- आँकड़ों का विश्लेषण रेलगाड़ियों एवं स्टेशनों के विभिन्न पहलुओं जैसे- स्वच्छता और सुविधाओं के बारे में जानकारी देता है ताकि प्रबंधकीय निर्णय और सटीक एवं प्रभावी बन सकें।

## 'घोस्ट पार्टिकल'

### चर्चा में क्यों ?

जर्मनी के शोधकर्त्ताओं ने ब्रह्मांड के सबसे हल्के कण के द्रव्यमान को निर्धारित करने में मदद के लिये 60 मिलियन यूरो ($ 71 मिलियन) लागत से निर्मित मशीन के साथ डेटा एकत्र करना शुरू किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकविदों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को उम्मीद है कि 200-मीट्रिक टन वज़नी यह डिवाइस न्यूट्रिनो के वास्तविक द्रव्यमान का पता लगाने में मदद करेगा।

नोट :

- न्यूट्रिनो को कभी-कभी "घोस्ट पार्टिकल" भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है।
- शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि अगले दशक में न्यूट्रिनों के द्रव्यमान की सही माप ली जा सकेगी।
- न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का निर्धारण कण भौतिकी के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और यह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
- सात देशों के 20 संस्थानों के 200 लोग इस परियोजना का हिस्सा हैं।

## पृथ्वी के समान आकार वाले तीन नए ग्रहों की खोज

### चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों ने दो नई ग्रह प्रणालियों (planetary systems) की खोज की है, जिनमें से एक प्रणाली में पृथ्वी के आकार के तीन ग्रह हैं।

### प्रमुख बिंदु

- स्पेन इंस्टीटयूट डी एस्ट्रोफिसिका डी कैनारीस (आईएसी) और स्पेन में ओवियडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने नासा के K-2 मिशन द्वारा एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण किया जो कि 2013 में शुरू किया गया था।
- मासिक पत्रिका 'मंथली नोटिसिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी' (MNRAS) में प्रकाशित अध्ययन में सितारों के प्रकाश में उत्पन्न ग्रहण से पता चला है कि यहाँ दो नई ग्रह प्रणालियों का अस्तित्व भी है।
- पहला एक्सोप्लानेटरी सिस्टम स्टार K2-239 में स्थित है, जो कि रोक डी लॉस मुचैचोस ऑब्जर्वेटरी, गारफिया, ला पाल्मा (Roque de los Muchachos Observatory, Garafia, La Palma) में ग्रैन टेलीस्कोपियो कैनारीस (Gran Telescopio Canarias-GTS) के साथ किये गए अवलोकन से क्षुद्र तारा M3 की विशेषता बताता है।
- यह सूर्य से लगभग 160 प्रकाश वर्ष पर सेक्स्टेंट के नक्षत्र में स्थित है।
- इसमें पृथ्वी (1.1, 1.0 और 1.1 पृथ्वी त्रिज्या) के समान आकार के कम-से-कम तीन चट्टानी ग्रहों की एक कॉम्पैक्ट प्रणाली है।
- इन ग्रहों को अपने मूल तारे का चक्कर लगाने में क्रमश: 5.2, 7.8 और 10.1 दिन का समय लगता है।
- दूसरा लाल रंग का क्षुद्र तारा जिसका नाम K-240 है, के पास पृथ्वी के समान दो बड़े ग्रह हैं इनका आकार हमारी पृथ्वी के आकार का लगभग दोगुना है।
- K-239 तथा K-240 जिसके चारों ओर ये ग्रह परिक्रमा करते हैं, का वायुमंडलीय तापमान क्रमश: 3,450 तथा 3,800 केल्विन है जो कि सूर्य के तापमान का लगभग आधा है।

## मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' हुआ लॉन्च

### चर्चा में क्यों?

रेल यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन या खाद्य पदार्थों के बारे में रेल यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आईआरसीटीसी द्वारा विकसित एक नए मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' को लॉन्च किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह मोबाइल एप सभी प्रकार की रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले मेन्यू (व्यंजन-सूची) के बारे में व्यापक जानकारी देता है।
- इसमें खाद्य पदार्थ चार श्रेणियों में शामिल हैं, अर्थात् पेय पदार्थ, नाश्ता, भोजन और ए-ला-कार्टे (अलग-अलग कीमतों के साथ सूचीबद्ध व्यक्तिगत व्यंजन वाले मेनू)।
- ए-ला-कार्टे में नाश्ता, हल्का भोजन, कॉम्बो भोजन, ,माँसाहारी, जैन भोजन, मिठाई, मधुमेह रोगियों के लिये खाद्य पदार्थ आदि की श्रेणियों के तहत 96 वस्तुओं की एक सूची शामिल है।

नोट :

- मानक खाद्य वस्तुओं के लिये दरों (करों सहित) को ट्रेनों के साथ-साथ स्टेशनों (खाद्य प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों को छोड़कर) के लिये निर्धारित किया जाता है।
- यह मोबाइल एप राजधानी/शताब्दी/दुरंतो समूह की ट्रेनों में परोसे जाने वाले मेन्यू के बारे में भी जानकारी देता है ।
- शताब्दी ट्रेनों में एक्जीक्यूटिव क्लास एवं चेयर कार क्लास और राजधानी एवं दुरंतो ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी तथा थर्ड एसी क्लास के लिये परोसे जाने वाले भोजन (पहले से ही बुक किये गए) को अलग से दर्शाया जाता है। दुरंतो ट्रेनों में स्लीपर क्लास के लिये भी खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किये जाते हैं। इन ट्रेनों के देरी से चलने की स्थिति में भी मेन्यू दिया जाता है।
- गतिमान और तेजस ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन (पहले से ही बुक किये गए) को भी दर्शाया जाता है।
- शताब्दी/राजधानी/दुरंतो/गतिमान/तेजस इत्यादि ट्रेनों के यात्रीगण पहले से ही खाद्य पदार्थों को बुक करने की स्थिति में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों और उनकी मात्राओं के बारे में अवगत होंगे।
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में यह मोबाइल एप खान-पान की वस्तुओं की अधिक कीमतें वसूले जाने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा।

## 'रेल मदद'

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे ने पहली बार शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की पहल करते हुए 'रेल मदद' नामक एप जारी किया है। यह एप यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने एवं उसमें तेज़ी लाने के लिये जारी किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस मोबाइल एप्लीकेशन का विकास उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है।
- यह एप यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करेगा और शिकायतों के निवारण की स्थिति के बारे में उन्हें लगातार जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- यात्री को पंजीकरण के तुरंत बाद sms द्वारा शिकायत संख्या उपलब्ध कराई जाएगी जिसके बाद रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी sms द्वारा दी जाती रहेगी।
- रेल मदद यात्रियों की शिकायतों को न्यूनतम जानकारी एवं फोटोग्राफ के साथ दर्ज़ करता है तथा एक शिकायत संख्या जारी करता है और तुरंत ही इस जानकारी को डिवीजन के संबंधित फील्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाता है।
- यह एप यात्री को शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही से भी अवगत कराता है, जिससे शिकायत के पंजीकरण एवं समाधान की पूरी प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाता है।
- रेल मदद विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाओं के नंबर भी प्रदर्शित करता है और साथ ही तत्काल सहायता के लिये सीधे फोन करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
- आँकड़ों का विश्लेषण रेलगाड़ियों एवं स्टेशनों के विभिन्न पहलुओं जैसे- स्वच्छता और सुविधाओं के बारे में जानकारी देता है ताकि प्रबंधकीय निर्णय और सटीक एवं प्रभावी बन सकें।

## 'घोस्ट पार्टिकल'

### चर्चा में क्यों?

जर्मनी के शोधकर्त्ताओं ने ब्रह्मांड के सबसे हल्के कण के द्रव्यमान को निर्धारित करने में मदद के लिये 60 मिलियन यूरो ($ 71 मिलियन) लागत से निर्मित मशीन के साथ डेटा एकत्र करना शुरू किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकविदों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को उम्मीद है कि 200-मीट्रिक टन वज़नी यह डिवाइस न्यूट्रिनो के वास्तविक द्रव्यमान का पता लगाने में मदद करेगा।

नोट :

- न्यूट्रिनो को कभी-कभी "घोस्ट पार्टिकल" भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है।
- शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि अगले दशक में न्यूट्रिनों के द्रव्यमान की सही माप ली जा सकेगी।
- न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का निर्धारण कण भौतिकी के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और यह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
- सात देशों के 20 संस्थानों के 200 लोग इस परियोजना का हिस्सा हैं।

## पृथ्वी के समान आकार वाले तीन नए ग्रहों की खोज

### चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों ने दो नई ग्रह प्रणालियों (planetary systems) की खोज की है, जिनमें से एक प्रणाली में पृथ्वी के आकार के तीन ग्रह हैं।

### प्रमुख बिंदु

- स्पेन इंस्टीटयूट डी एस्ट्रोफिसिका डी कैनारीस (आईएसी) और स्पेन में ओवियडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने नासा के K-2 मिशन द्वारा एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण किया जो कि 2013 में शुरू किया गया था।
- मासिक पत्रिका 'मंथली नोटिसिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी' (MNRAS) में प्रकाशित अध्ययन में सितारों के प्रकाश में उत्पन्न ग्रहण से पता चला है कि यहाँ दो नई ग्रह प्रणालियों का अस्तित्व भी है।
- पहला एक्सोप्लानेटरी सिस्टम स्टार K2-239 में स्थित है, जो कि रोक डी लॉस मुचैचोस ऑब्जर्वेटरी, गारफिया, ला पाल्मा (Roque de los Muchachos Observatory, Garafia, La Palma) में ग्रैन टेलीस्कोपियो कैनारीस (Gran Telescopio Canarias-GTS) के साथ किये गए अवलोकन से क्षुद्र तारा M3 की विशेषता बताता है।
- यह सूर्य से लगभग 160 प्रकाश वर्ष पर सेक्स्टेंट के नक्षत्र में स्थित है।
- इसमें पृथ्वी (1.1, 1.0 और 1.1 पृथ्वी त्रिज्या) के समान आकार के कम-से-कम तीन चट्टानी ग्रहों की एक कॉम्पैक्ट प्रणाली है।
- इन ग्रहों को अपने मूल तारे का चक्कर लगाने में क्रमश: 5.2, 7.8 और 10.1 दिन का समय लगता है।
- दूसरा लाल रंग का क्षुद्र तारा जिसका नाम K-240 है, के पास पृथ्वी के समान दो बड़े ग्रह हैं इनका आकार हमारी पृथ्वी के आकार का लगभग दोगुना है।
- K-239 तथा K-240 जिसके चारों ओर ये ग्रह परिक्रमा करते हैं, का वायुमंडलीय तापमान क्रमश: 3,450 तथा 3,800 केल्विन है जो कि सूर्य के तापमान का लगभग आधा है।

## ऊर्जा कुशल अचल संपत्ति उद्योग के लिये पहला उत्कृष्टता केंद्र

### चर्चा में क्यों?

भारत में ऊर्जा कुशल अचल संपत्ति उद्योग को बढ़ावा देने के लिये, महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स और TERI ने ऊर्जा कुशल अचल संपत्ति उद्योग के लिये अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र (CoE) लॉन्च करने की घोषणा की है।

### प्रमुख बिंदु

- उत्कृष्टता केंद्र का उदेश्य बाज़ार में उपयोग के लिये तैयार, मापनीय और ऊर्जा कुशल सामग्री और तकनीक हेतु एक मज़बूत और सुसंगत डाटाबेस विकसित करना है।
- यह 'हरित' विकास को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और राज्य के मंत्रालयों के लिये नीति तैयार करने की दिशा में भी काम करेगा जो भारत के अचल संपत्ति उद्योग में बदलाव ला सकता है और इस प्रकार देश में कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने में भी मदद मिल सकती है।
- उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किये गए शोध, डेवलपरों को अधिक-से-अधिक हरित भवनों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेंगे।

नोट :

- अचल संपत्ति और भवन निर्माण सामग्री उद्योगों को डाटाबेस, दिशा-निर्देश और मापदंड उपलब्ध कराने से पूर्व शोध के निष्कर्षों को व्यावहारिक तौर पर परखा जाएगा।
- शोध के निष्कर्ष सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध रहेंगे।
- यह प्रयास किया जाएगा कि शोध के निष्कर्षों या उत्पादों और सिफारिशों का डेवलपर, वास्तुकार और निजी भवन निर्माता बड़े पैमाने पर उपयोग करें।
- भारत में वर्तमान समय में पाँच प्रतिशत से भी कम उर्जा कुशल निर्माण सामग्री उपलब्ध है; यह उत्कृष्टता केंद्र भारत में हरित भवनों को बढ़ावा देने के लिये अत्याधुनिक शोध तकनीक, उपकरण और काम-काज का आकलन कर सकने वाले उपाय अपनाने की दिशा में काम करेगा।
- यह संयुक्त शोध पहल, भारत के अचल संपत्ति क्षेत्र में ओपेन सोर्स और विज्ञान आधारित समाधान को विकसित करेगा।
- यह CoE वृहद शहरी साझेदारी वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा जो भारत के शहरों एवं कस्बों को 'हरित स्वरूप' में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करेगा।

## ग्लोबल वार्मिंग के कारण शाक-सब्जियाँ हो जाएंगी दुर्लभ

### चर्चा में क्यों?

हाल में शोधकर्त्ताओं द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि कृषि के विकसित नए तरीकों तथा फसलों की अनुकूल किस्मों को नहीं अपना जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में सब्जियाँ दुर्लभ हो सकती हैं।

### प्रमुख बिंदु

- नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शताब्दी के अंत तक कम पानी और गरम हवा के कारण स्वस्थ आहार के लिये आवश्यक लगभग एक-तिहाई सब्जियों की पैदावार कम हो जाएगी।
- वर्ष 2100 तक तापमान में 7.2 फारेनहाइट (4 सेल्सियस) की वृद्धि होने की उम्मीद है यदि ऐसा हुआ तो सब्जियों की औसत पैदावार 31.5 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
- तापमान में वृद्धि के कारण दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- यह निष्कर्ष वर्ष 1975 से अब तक सब्जियों और फलियों की उपज और पौष्टिक सामग्री पर पर्यावरणीय प्रदर्शन के प्रभाव की जाँच के 174 अध्ययनों की व्यवस्थित समीक्षा पर आधारित है।

## क्रेडिट इन्हान्समेंट फंड

### चर्चा में क्यों?

सरकार बीमा और पेंशन फंड द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश की सुविधा के लिये 500 करोड़ रुपए के क्रेडिट एन्हांसमेंट फंड का अनावरण करने के लिये तैयार है।

### प्रमुख बिंदु

- वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में पहली बार इस फंड की घोषणा की गई थी।
- यह फंड आधारभूत संरचना कंपनियों द्वारा जारी किये गए बॉण्ड की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने और पेंशन तथा बीमा फंड जैसे निवेशकों से निवेश की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) द्वारा प्रायोजित फंड की प्रारंभिक राशि 500 करोड़ होगी, और यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करेगा।
- योजना के अंतर्गत CEF में IIFCL हिस्सेदारी 22.5 प्रतिशत होगी।
- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने फंड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी को स्वीकृति दी है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी इस फंड में हिस्सेदारी लेने की स्वीकृति दी है।

नोट :

## भवानी नदी

### चर्चा में क्यों ?

कोयम्बटूर ज़िले में लगातार हो रही बारिश के कारण भवानी नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।

### भवानी नदी के बारे में

- यह तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- यह पलक्कड़ ज़िले के माध्यम से केरल में प्रवेश करती है।
- यह नदी केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से गुज़रती है।
- भवानी, कावेरी की सहायक नदी है जो तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों की नीलगिरि पहाड़ियों के दक्षिण-पश्चिम किनारे से उत्पन्न होती है।
- यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है।
- पश्चिम और पूर्वी वारागर नदियों समेत बारह प्रमुख सहायक नदियाँ दक्षिणी नीलगिरि की ढलानों से अपवाहित होने वाली भवानी नदी में शामिल हो जाती हैं।

## तेज़ी से रक्त परीक्षण करने वाला स्वचालित रोबोट डिवाइस

### चर्चा में क्यों ?

- शोधकर्त्ताओं ने रक्त का आहरण और उसका परीक्षण करने के लिये एक स्वचालित उपकरण विकसित किया है जो तेज़ी से परिणाम उपलब्ध कराता है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जर्नल टेक्नोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह उपकरण फ्लोरोसेंट माइक्रोबैड्स के साथ रक्त जैसे तरल पदार्थ का उपयोग करके, सफेद रक्त कोशिका परीक्षण के संबंध में अत्यधिक सटीक परिणाम प्रदान करता है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इसमें नसों से रक्त खींचने के लिये एक छवि-निर्देशित रोबोट, एक नमूना-हैंडलिंग मॉड्यूल आधारित रक्त विश्लेषक शामिल है।
- परीक्षण में प्लास्टिक ट्यूबों के साथ कृत्रिम उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है जो रक्त वाहिकाओं के रूप में कार्य करता है।
- रक्त नमूनों को मैन्युअल रूप से चित्रित करने की सफलता दर चिकित्सकों के कौशल और रोगी के शरीर विज्ञान पर निर्भर करती है।

## कछुए की नई प्रजाति

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेक्सिको में पाए जाने वाले कछुओं को नई प्रजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने इन कछुओं को दुनिया की नवीनतम प्रजातियों, किनोस्टर्नन वोग्टी (Kinosternon vogti) के रूप में नामांकित किया है।
- कछुओं की इस प्रजाति का नाम अमेरिकी सरीसृप विज्ञानवेत्ता (herpetologist) रिचर्ड वोगट ने रखा था, जिन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक अमेरिकी, मेक्सिकन और मध्य अमेरिकी कछुओं का अध्ययन किया है।
- नाक पर पीले रंग के निशान से पहचाने जाने वाले ये कछुए भी लुप्तप्राय हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये कछुए केवल प्वेर्टो वल्लर्टा के आसपास की धाराओं और नदियों में पाए जाते हैं।
- इन कछुओं की लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर (चार इंच) है तथा ये कछुए हाथ की हथेली में आसानी से फिट होते हैं।

नोट :

- लंबाई की तुलना में इन कछुओं की चौड़ाई अधिक है जो कि अन्य कछुओं के विपरीत है।
- अभी तक इस प्रजाति के केवल चार कछुए जीवित मिले हैं जिनमें से तीन नर और एक मादा है।
- पाँच अन्य कछुए मृत अवस्था में पाए गए हैं जिन्हें मेक्सिको के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में शोध के लिये ले जाया गया है।
- जीवित कछुओं में से एक नर और एक मादा को प्रजनन केंद्र में ले जाया गया है।
- अन्य दो कछुओं को प्वेर्टो वल्लर्टा के वन्यजीव पार्क में ले जाया गया है।
- इस खोज के बारे में चेलोनियन कंज़र्वेशन एंड बायोलॉजी (Chelonian Conservation and Biology) में प्रकाशित किया गया था जो कछुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली विशिष्ट शैक्षणिक पत्रिका है।

## संक्रमण का शीघ्र पता लगाने का नया तरीका

### चर्चा में क्यों?

हाल में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी विधि विकसित की गई है जो हानिकारक विषाणु या अन्य रोगाणुओं द्वारा किसी व्यक्ति के संक्रमित होने का तेज़ी से तथा सटीकता से पता लगा सकती है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह विधि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास एट सैन एंटोनियो (UTSA) द्वारा विकसित की गई है।
- यह विधि व्यक्ति में संक्रमण की स्थिति की उग्रता का सटीक प्रदर्शन करती है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा ऐसे अणुओं का निर्माण किया गया है जो ल्यूकोसाईट एंजाइम को संगठित करते हैं तथा संक्रमण की उपस्थिति को दर्शाने के लिये इलेक्ट्रिक करंट को संकेत के रूप में प्रेषित करते हैं।
- इन कणों को एक परीक्षण पट्टी (testing strip) पर संचित किया गया है।
- संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ से संपर्क करने के बाद पट्टी को एक कंप्यूटर मॉनीटर से जोड़ा जाता है जो संक्रमण की गंभीरता का प्रदर्शन करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया की एक स्पष्ट श्रृंखला को प्रदर्शित करता है।
- वर्तमान समय में संक्रमण की जाँच करने के लिये एक ऐसी पट्टी का प्रयोग किया जाता है जो संक्रमित तरल के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेती है।

## एक्सेंचर का नया टूल

### चर्चा में क्यों?

कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर (ACCENTURE) ने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेर में लैंगिक, नस्लीय तथा धर्म एवं भाषा से संबंधित पूर्वाग्रह का पता लगाने और उसे समाप्त करने के लिये एक नया टूल लॉन्च किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एक्सेंचर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर टूल तीन काम करता है:
  - यह उपयोगकर्त्ताओं को उन डेटा फ़ील्ड को परिभाषित करने देता है, जिन्हें वे संवेदनशील मानते हैं जैसे कि जाति, लिंग या आयु।
  - यह उत्पाद एक विज़ुअलाइजेशन भी प्रदान करता है जो डेवलपर्स को यह दर्शाता है कि उनके मॉडल की समग्र सटीकता कैसे प्रभावित होती है।
  - अंत में, एक्सेंचर की विधि "पूर्वानुमानित समानता" के संदर्भ में एल्गोरिदम की निष्पक्षता का आकलन करती है
- एक्सेंचर आपसी जानकारी नामक एक तकनीक का उपयोग करता है जो अनिवार्य रूप से एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह को समाप्त करता है।

नोट :

- यह टूल डेवलपर्स को दिखाता है कि उनके मॉडल की समग्र सटीकता के साथ क्या होता है।
- एक्सेंचर का टूल यह दृढ़ता से प्रदर्शित करता है कि अक्सर एल्गोरिदम और उनकी निष्पक्षता की समग्र सटीकता के बीच एक व्यापारिक संबंध होता है।
- एक्सेंचर के प्रदर्शन में, जिसने अल्गोरिदमिक निष्पक्षता की जांच करने वाले अकादमिक शोधकर्त्ताओं द्वारा जर्मन क्रेडिट स्कोर डेटा का व्यापक रूप से उपयोग किया।

## आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

14 जून, 2018 को 20 राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों ने आयुष्मान भारत– राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) को लागू करने के लिये सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये जो कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र नीति निर्माण करेगा और राज्यों को इस योजना को अपनाना होगा। AB-NHPM देश के 50 करोड़ लोगों (10 करोड़ परिवार) को सुरक्षा प्रदान करेगा।
- लाभार्थी बिना नकद और बिना किसी कागज़ात के भारत में कहीं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- AB-NHPM लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि स्वास्थ्य व वेलनेस केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे।
- आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य पर होने वाले अत्यधिक खर्च को कम किया जा सकेगा।

### आयुष्मान भारत योजना

- आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना है, जिसे 1 अप्रैल, 2018 को पूरे भारत मे लागू किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।

## भारतीय मूल की दिव्या बनी अमेरिकी कंपनी GM की मुख्य वित्तीय अधिकारी

हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला दिव्या सूर्यदेवरा को अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स (GM) का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दिव्या सूर्यदेवरा किसी भी ऑटो कंपनी में मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला हैं।
- जनरल मोटर्स विश्व की पहली कंपनी है जिसके CEO तथा CFO दोनों पदों पर महिलाएँ नियुक्त हैं।
- दिव्या सूर्यदेवरा 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगी और जनरल मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मैरी बर्रा को रिपोर्ट करेंगी।

### दिव्या सूर्यदेवरा

- भारत में जन्मी दिव्या ने चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक किया है।
- 22 साल की उम्र में वह उच्च शिक्षा के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड चली गईं। यहाँ से MBA की डिग्री ली और निवेश बैंक UBS में अपनी पहली नौकरी शुरू की तथा 25 साल की उम्र में जनरल मोटर्स से जुड़ी थीं।
- 2016 में दिव्या को ऑटोमोटिव क्षेत्र की 'राइजिंग स्टार' का खिताब मिला था।

नोट :

## तेज़ी से पिघल रही है अंटार्कटिका की बर्फ़

एक नए अध्ययन रिपोर्ट में विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा कहा गया है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 1992 से अब तक लगभग 3 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है।
- पिछले 25 सालों में दक्षिणी महाद्वीप की बर्फ़ इतनी तेज़ी से पिघली है कि इससे टेक्सास लगभग 13 फीट (4 मीटर) की गहराई तक ढक सकता है
- वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार, बर्फ पिघलने के कारण विश्व के सभी महासागरों के जल स्तर में 7.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है।
- 1992 से 2011 तक, अंटार्कटिका में वार्षिक रूप से 84 अरब टन बर्फ (76 बिलियन मीट्रिक टन) पिघल गई।
- नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2017 तक बर्फ़ पिघलने की दर सालाना 241 बिलियन टन (219 अरब मीट्रिक टन) से अधिक हो गई।
- रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम अंटार्कटिका का वह हिस्सा, जहाँ सबसे अधिक बर्फ पिघली है, पतन की स्थिति में पहुँच चुका है।
- यह अध्ययन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया दूसरा मूल्यांकन है।
- यह संभव है कि केवल अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलने के कारण सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर लगभग आधा फुट (16 सेंटीमीटर) तक बढ़ सकता है।

## विश्व रक्तदान दिवस

14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन रक्षक रक्तदान करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए उनका आभार व्यक्त करना है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100 फीसदी स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली थी।
- वर्ष 1997 में संगठन ने यह लक्ष्य रखा था कि विश्व के प्रमुख 124 देश अपने यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान को ही बढ़ावा दें।
- उद्देश्य यह था कि रक्त की ज़रूरत पड़ने पर उसके लिये पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिये, परंतु इस नीति पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही अमल किया है।
- विश्व रक्तदान दिवस 2018 की थीम "Be there for someone else. Give blood. Share life" है।

### 14 जून ही क्यों?

महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाईन का जन्म 14 जून, 1868 को हुआ था। उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एग्ल्युटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्तकणों का A, B और O समूह में वर्गीकरण किया।

इस वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी इसी खोज से आज करोड़ों से ज्यादा लोग रोज़ाना रक्तदान करते हैं और लाखों लोगों की जिंदगियाँ बचाई जाती हैं।

- इस महत्त्वपूर्ण खोज के लिये ही कार्ल लैंडस्टाईन को वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार दिया गया था।

## स्वच्छ आइकॉनिक स्थल चरण-III

### चर्चा में क्यों?

स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख परियोजना 'स्वच्छ आइकॉनिक स्थल (SIP) के तीसरे चरण के तहत दस नए महत्त्वपूर्ण दर्शनीय (आइकॉनिक) स्थलों पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

| क्र. सं. | चरण I | चरण-II | चरण-III |
|---|---|---|---|
| 1. | अज़मेर शरीफ़ दरगाह | गंगोत्री | राघवेंद्र स्वामी मंदिर (कुरनूल, आंध्र प्रदेश) |
| 2. | सीएसटी मुंबई | यमुनोत्री | हजारद्वारी पैलेस (मुर्शिदाबाद, प. बंगाल) |
| 3. | स्वर्ण मंदिर | महाकालेश्वर मंदिर | ब्रह्मा सरोवर मंदिर (कुरुक्षेत्र, हरियाणा) |
| 4 | कामाख्या मंदिर | चारमीनार | विदुर कुटी (बिजनौर, उ.प्र) |
| 5. | मणिकर्णिका घाट | कॉन्वेंट एंड चर्च ऑफ सेंट फ्राँसिस ऑफ असीसी | माणा गाँव (चमोली, उत्तराखंड) |
| 6. | मीनाक्षी मंदिर | कलादी | पैंगांग झील (लेह-लद्दाख, जम्मू-कश्मीर) |
| 7. | श्री माता वैष्णो देवी मंदिर | गोमतेश्वर | नागवासुकी मंदिर (इलाहाबाद, उ.प्र.) |
| 8. | श्री जगन्नाथ मंदिर | बैद्यनाथ धाम | इमा कैथल/मार्केट (इम्फाल, मणिपुर) |
| 9. | ताजमहल | गया तीर्थ | सबरीमाला मंदिर (केरल) |
| 10. | तिरुपति मंदिर | सोमनाथ मंदिर | कण्वाश्रम (उत्तराखंड) |

### स्वच्छ आइकॉनिक स्थल

- प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित यह परियोजना राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वित एवं संचालित की जा रही है।
- SIP इन तीन अन्य केंद्रीय मंत्रालयों -आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना है।
- इसमें संबंधित राज्यों के स्थानीय प्रशासन शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें प्रायोजक भागीदारों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियाँ भी शामिल हैं।
- SIP के तीसरे चरण का शुभारंभ माणा गाँव में किया गया जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के निकट अवस्थित है।

## यूरोपीय संघ फिल्म फेस्टिवल

### चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय सिनेमा पर प्रकाश डालने के लिये यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव (EUFF) का आयोजन 18 जून से 31 अगस्त, 2018 तक नई दिल्ली मके सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का आयोजन यूरोपीय संघ और विभिन्न सिटी फिल्म क्लबों में यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के दूतावासों के प्रतिनिधियों के साथ भागीदारी कर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया गया है।
- इस वर्ष के फिल्म महोत्सव में 23 यूरोपीय सदस्य देशों की 24 नई यूरोपीय फिल्मों के चयन के साथ ही सिनेमा प्रेमियों के लिये कुछ असाधारण कहानियाँ होंगी।
- EUFF के आयोजन के दौरान नई दिल्ली, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, पुद्दुचेरी, कोलकाता, जयपुर, विशाखापत्तनम, त्रिशुर, हैदराबाद और गोवा सहित देश के 11 शहरों में फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- विविधता को प्रदर्शित करती EUFF में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्पेन और स्वीडन की फिल्में दिखाई जाएंगी।

नोट :

### यूरोपीय संघ (EU)

- 28 देशों से मिलकर बना यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर चीन तथा भारत के बाद सबसे अधिक आबादी है।
- विविधताओं के बावजूद यूरोपीय देश (इसके सदस्य राष्ट्र) शांति, लोकतंत्र, कानून और मानवाधिकार का सम्मान करने के एकसमान आधारभूत मूल्यों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

## दुधवा के पसंदीदा हाथी की मौत

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों के बीच अपने उछल-कूद के लिये मशहूर रहे हाथी बटालिक (Batalik) की मृत्यु हो गई।

### दुधवा नेशनल पार्क

- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है।
- इसकी स्थापना 614 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को संरक्षित करके वर्ष 1977 में की गई थी।
- शिवालिक पर्वत श्रेणी की तराई में स्थित यह उद्यान राज्य में पर्यटन की दृष्टि से ख़ास महत्त्व रखता है।
- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घने जंगलों से घिरा हुआ है।
- उद्यान भारत और नेपाल सीमा से लगा हुआ एक विशाल वन क्षेत्र है।
- यह उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। उद्यान प्रमुख रूप से बाघों एवं बारहसिंगा के संरक्षण लिये विश्व प्रसिद्ध है।
- उद्यान क्षेत्र में हिरनों के झुण्ड देखे जा सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हिरनों की पाँच प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें बारहसिंगा मुख्य है।
- इसके अलावा काकड़ पाढ़ा, चीतल, सांभर भी बहुतायत में पाए जाते हैं।

## ग्रीस और मेसेडोनिया के बीच 27 साल पुराने विवाद का अंत

### चर्चा में क्यों?

यूरोप के दो देशों ग्रीस और मेसेडोनिया के बीच 27 साल से जारी विवाद का अंत हो गया है। दोनों देशों के बीच यह विवाद यूगोस्लाविया के नाम को लेकर था।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया बना था।
- इसके दक्षिण में स्थित ग्रीस के कुछ हिस्सों को भी मेसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। इस पर दोनों देशों के बीच विवाद प्रारंभ हो गया था।
- दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि मेसेडोनिया को अब 'रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया' के नाम से जाना जाएगा। मेसेडोनियन भाषा में इसे 'सेवेर्ना मकदूनिया' कहा जाएगा।
- नए नाम की आधिकारिक घोषणा से पहले मेसेडोनिया की जनता और ग्रीस की संसद की मंज़ूरी मिलनी आवश्यक है।
- ग्रीस के उत्तरी क्षेत्र को भी मेसेडोनिया नाम से जाना जाता है। सिकंदर महान इसी क्षेत्र का रहने वाला था। इसी वज़ह से ग्रीस के नागरिक इस नाम को लेकर नाराज़ थे।
- समझौते में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उत्तरी मेसेडोनिया को पुरानी ग्रीक सभ्यता से संबंधित नहीं माना जाएगा।

नोट :

## शरद कुमार नए सर्तकता आयुक्त

श्री शरद कुमार (भारतीय पुलिस सेवा, सेवानिवृत्त, 1979) को केंद्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली में सर्तकता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति, जिस दिन वह कार्यभार ग्रहण करेंगे, उससे चार वर्षों की अवधि, या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

### केंद्रीय सतर्कता आयोग

- केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1964 में संथानम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था। 2003 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाना, इसके महत्त्व को दर्शाता है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना स्वंय का सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड (Chief Technical Examiners' Wing -CTE) तथा विभागीय जाँच आयुक्त खंड (Commissioners for Departmental Inquiries -CDI) होते हैं।

#### कार्यप्रणाली

- केंद्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र न्यायिक है तथा इसे अपनी कार्यवाहियों के क्रियान्वयन हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- भ्रष्टाचार की आशंका पर यह केंद्र सरकार या इससे संबंधित प्रधिकरणों से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है।
- भ्रष्टाचार का आरोप होने पर यह अपने निर्देश पर किसी जाँच एजेंसी द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार या इससे संबंधित प्राधिकरण को कार्यवाही करने की सलाह देता है।
- केंद्र सरकार आयोग की सलाह पर अपेक्षित कदम उठाती है। यदि केंद्र सरकार आयोग की किसी सलाह को मानने से इनकार करती है तो उसे लिखित रुप में इसके कारणों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है।
- आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं।

## राउरकेला इस्पात संयंत्र की पुनर्निर्मित ब्लास्ट फर्नेस-1 राष्ट्र को समर्पित

केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (Rourkela Steel Plant-RSP) की पुनर्निर्मित ब्लास्ट फर्नेस-1 'पार्वती' राष्ट्र को समर्पित की। 'पार्वती' सेल की पहली ब्लास्ट फर्नेस (Blast Furnace of SAIL) है, जिसे देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 3 फरवरी, 1959 को राष्ट्र को समर्पित किया था।

- ब्लास्ट फर्नेस के पुनर्निर्माण के लिये इसे 6 अगस्त, 2013 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालाँकि पुरानी नींव पर खड़ी की गई बेहतर प्रौद्योगिकी से लैस पुनर्निर्मित फर्नेस की उच्च उत्पादन क्षमता है। इस नई फर्नेस की वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.438 मिलियन टन (Million tonnes -MT) से बढ़कर 1.015 एमटी हो गई है।
- इस अवसर पर इस्पात जनरल अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी विभाग (Burns and Plastic Surgery Department of Super Specialty) की आधारशिला भी रखी गई। इस क्षेत्र में यह एकमात्र बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी इकाई है तथा इससे न केवल राउरकेला बल्कि आसपास के ज़िलों और राज्यों के लोगों की भी ज़रूरतें पूरी होंगी।

#### राउरकेला स्टील प्लांट

- राउरकेला स्टील प्लांट (ओडिशा) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, इसे 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था।
- इसके बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 2 मिलियन टन हॉट मेटल (Hot Metal), 1.9 मिलियन टन कच्चा स्टील (Crude Steel) और 1.67 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील (Saleable Steel) कर दी गई
- बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के बाद राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाकर 4.5 मिलियन टन हॉट मेटल और 4.2 मिलियन टन कच्चा स्टील कर दिया गया है।

नोट :

## प्रोजेक्ट कश्मीर सुपर 50 (Project Kashmir Super 50)

- कश्मीर सुपर 50 कार्यक्रम भारतीय सेना, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप (Center for Social Responsibility and Leadership -CSRL) और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (PETRONET LNG Limited -PLL) की एक संयुक्त पहल है। कश्मीर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में बदलाव करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को 22 मार्च, 2013 को शुरू किया गया था।
- इसके तहत जेईई, जेकेसीईटी व अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिये छात्रों को आवास सुविधा के साथ कोचिंग की सुविधा दी जाती है। इस कार्यक्रम की अवधि 11 महीने है।
- कश्मीर सुपर 50 भारतीय सेना के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। इसने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है। युवाओं को सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है और उन्हें अपना भविष्य बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
- इस कार्यक्रम ने इन युवाओं के परिवारों को समृद्ध बनाया है। घाटी में सामान्य हालात बनाने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- हाल ही में कश्मीर सुपर 50 के अनुरूप भारतीय सेना ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (National Eligibility-cum-Entrance Test-NEET) के लिये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited - HPCL) और एनआईईडीओ (National Integrity Educational Development Organisation - NIEDO) के साथ समझौता किया है।

## 'अटसनमोबाइल' एप (Utsonmobile app)

डिजिटलीकरण और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। रेल सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railway Information System - CRIS) ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन 'अटसनमोबाइल' विकसित किया है।

### विशेषताएँ

- 'अटसनमोबाइल' एप्लीकेशन अनारक्षित टिकटों की बुकिंग करने, उन्हें रद्द करने, प्लेटफॉर्म टिकटों के नवीनीकरण, आर-वॉलेट की बकाया राशि की जाँच और लोड करने आदि में सक्षम है। यह उपयोगकर्त्ता का विवरण और बुकिंग की जानकारी कायम रखने में सहायक है।
- नि:शुल्क 'अटसनमोबाइल' एप्लीकेशन एंड्रॉइड और विंडोज स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। इसके अंतर्गत यात्री अपना मोबाइल नंबर, नाम, शहर, रेल की डिफ़ॉल्ट बुकिंग, श्रेणी, टिकट का प्रकार, यात्रियों की संख्या और बार-बार यात्रा करने के मार्गों का विवरण देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- पंजीकरण कराने पर यात्री का ज़ीरो बैलेंस का रेल वॉलेट (आर-वॉलेट) स्वत: ही बन जाएगा। आर-वॉलेट बनाने के लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस वॉलेट को किसी भी यूटीएस काउंटर पर या इससे संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है।
- इस एप के इस्तेमाल के लिये मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है। इसके तहत अग्रिम टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है।
- यात्री टिकट का प्रिंट लिये बगैर (हार्डकॉपी) भी यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार के पेपरलेस टिकटों को रद्द करने की अनुमति नहीं होगी। पेपरलेस टिकट बुक करने के एक घंटे के अंदर यात्रा करना अनिवार्य होगा।
- सावधिक टिकट को मोबाइल एप्लीकेशन से जारी/नवीनीकृत किया जा सकता है और यह टिकट बुकिंग के अगले दिन से मान्य होगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन से प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर यात्री मोबाइल पर टिकट दिखाने में सक्षम नहीं है तो उसे टिकट रहित यात्री माना जाएगा।
- इस मोबाइल एप के माध्यम से यात्री पेपर टिकट भी बुक कर सकता है। टिकट बुक करने पर यात्री को टिकट के अन्य विवरणों के साथ बुकिंग आईडी प्रदान की जाएगी। बुकिंग आईडी एसएमएस के माध्यम से भी बताई जाएगी।
- पेपर टिकट बुक करने के बाद, यात्रा शुरू करते समय स्टेशन पर लगे एटीवीएम से यात्री अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी दर्ज करके टिकट का प्रिंट ले सकता है। यह यात्रा केवल प्रिंटेड टिकट के साथ मान्य होगी।

नोट :

- पेपर टिकट को या तो प्रिंट करने के बाद काउंटर से या फिर प्रिंट करने से पहले एप के ज़रिये रद्द किया जा सकेगा। हालाँकि, इन दोनों स्थितियों में रद्द करने पर शुल्क भी लगेगा।
- कियोस्क मशीन से पेपर टिकट प्रिंट करने के एक घंटे के भीतर यात्रा शुरू हो जानी चाहिये।

## 'धरोहर गोद लें' योजना ('Adopt a Heritage' Scheme)

लाल किले से संबंधित समझौता ज्ञापन के बारे में हाल ही में मीडिया में प्रसारित कुछ रिपोर्टों के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने स्पष्ट किया है कि सरकार की 'धरोहर गोद लें' योजना अच्छा कार्य कर रही है। 'धरोहर गोद लें' योजना के तहत तीन समझौता पत्रों पर पहले ही हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और छह अग्रिम चरण में हैं तथा योजना के तहत कवरेज के लिये 31 अन्य आदर्श स्मारक शामिल किये गए हैं।

- विश्व पर्यटन दिवस अर्थात् 27 सितम्बर, 2017 को राष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्रालय की 'एक धरोहर गोद लें योजना' का शुभारंभ किया था।
- इस योजना को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

### उद्देश्य

- परियोजना का उद्देश्य "उत्तरदायी पर्यटन" को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिये सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है।
- योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत को शामिल कर देश के धरोहर स्थलों का विकास, संचालन और रखरखाव कर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएँ प्रदान करना है तथा संचालन एवं रख-रखाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर हमारे धरोहरों और पर्यटन स्थलों को और अधिक उन्नत बनाने की ज़िम्मेदारी लेना है।
- यह परियोजना मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने पर केंद्रित है जिसमें स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाएँ, पेयजल, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिये सुविधा, मानकीकृत संकेत, रोशनी और निगरानी प्रणाली, रात में देखने की सुविधा और उपयुक्त पर्यटन सुविधा केंद्र के माध्यम से उन्नत पर्यटन का अनुभव प्रदान करना है ताकि इन धरोहर स्थलों के प्रति घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटक ज़्यादा-से-ज़्यादा आकर्षित हो सकें।

## दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर

सुपर कंप्यूटर के निर्माण के संबंध में जापान और चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका ने एक बार फिर से इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम की है। अमेरिकी आइटी कंपनी आइबीएम ने अमेरिका के उर्जा विभाग की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिये विश्व के सबसे ताकतवर कंप्यूटर 'समिट' को लॉन्च किया है। यह कंप्यूटर पिछले सुपर कंप्यूटर टाइटन की तुलना में आठ गुना अधिक ताकतवर है।

### प्रमुख विशेषताएँ

- 10 पीटाबाइट मेमोरी
- एक सेकंड में दो लाख ट्रिलियन (दो लाख करोड़) गणनाएँ करने में सक्षम
- 200 पीटाफ्लॉप्स प्रोसेसिंग क्षमता
- आइबीएम एसी922 सिस्टम में मौजूद सर्वरों की संख्या 4608
- हर सर्वर में मौजूद 22-कोर आइबीएम पॉवर9 प्रोसेसर : 2
- एनवीडिया टेस्ला वी 100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सलेटर : 6

### लाभ

- विदित हो कि ऐसे सुपर कंप्यूटर जो प्रति सेकंड क्वाड्रिलियन अर्थात् दस लाख अरब (Quadrillion per second) तक गणनाएँ कर सकते हैं उनकी क्षमता को पीटाफ्लॉप्स में मापा जाता है।
- पीटाफ्लॉप्स (एक करोड़ गीगाबाइट) सुपर कंप्यूटर्स की कार्यक्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड (million instruction on Seconds) की बजाय फ्लोटिंग-प्वाइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड (floating-point operations per second- FLOPS) में मापा जाता है।

नोट :

- इसका इस्तेमाल उर्जा, एडवांस्ड मैटेरियल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अध्ययन करने के लिये किया जाएगा।
- इसकी सहायता से शोधकर्त्ता मानव स्वास्थ्य, हाइ एनर्जी फिजिक्स, तत्त्वों की खोज समेत कई क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकेंगे।

| देश | कंप्यूटर | प्रोसेसिंग स्पीड |
|---|---|---|
| जापान | एआइ ब्रिजिंग क्लाउड | 130 |
| चीन | सनवे तैहूलाइट | 93 |
| चीन | तिआनहे-2 | 34 |
| अमेरिका | टाइटन | 18 |
| अमेरिका | सिकोया | 17 |
| अमेरिका | कोरी | 14 |

## राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्र को समर्पित (National Digital Library of India)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India-NDLI) लॉन्च की है। सूचना व संचार तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (National Mission on Education through Information and Communication Technology - NMEICT) के तत्त्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।

- NDLI का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल आधारित शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिये उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है।
- NDLI भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, वीडियो-आडियो, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है।
- इस डिजिटल लाइब्रेरी को देश को समर्पित करने के साथ ही डिजिटल भारत के एक नए युग की शुरूआत हो गई है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। यह सेवा नि:शुल्क है और 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- NDLI में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्त्ताओं का पंजीयन हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष इस संख्या में 10 गुनी वृद्धि हो।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित होने वाले भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनाने में सक्षम होगी।
- शिक्षा और संस्कृति भारत की 'अनेकता में एकता' की अवधारणा के मूल सिद्धांत हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय इस दिशा में एक निर्णायक कदम है।
- इसके तहत कला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, रंगमंच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर शिक्षा, पुरातत्त्व, साहित्य, संग्रहालयों तक के सैकड़ों क्षेत्रों को कवर करने वाले संसाधनों के साथ एक विशाल ऑनलाइन लाइब्रेरी स्थापित की गई है। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के पुस्तकालयों पर आधारित राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है।

नोट :

## 150 साल बाद फिर से मिली दुर्लभ स्पाइडर की प्रजाति (Rare spider found again after 150 years)

वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary-WWS) से 150 साल बाद स्पाइडर की एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति की खोज की है, जिसे विलुप्त माना जा रहा था।

- इससे पहले बर्लिन जूलॉजिकल संग्रहालय के विश्व प्रसिद्ध आरकोलॉजिस्ट (Arachnologist) डॉ. फर्डिनेंड एंटोन फ्रांस कार्श (Ferdinand Anton France Karsch) ने 1868 में गुजरात की पेरीज़ झील (Periyej Lake) से मकड़ी की प्रजाति के खोजे जाने की बात कही थी लेकिन बाद में इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया।
- यह प्रजाति जंपिंग स्पाइडर (Salticidae) के परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम Chrysilla volupes था।
- हाल ही में सेंटर फॉर एनिमल टैक्सोनेमीशन एंड इकोलॉजी (Centre for Animal Taxonomy and Ecology), क्राइस्ट कॉलेज, इरिंजलकुडा (Irinjalakuda) के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से एक बार फिर इस मकड़ी के नर और मादा दोनों नमूनों की खोज की है।
- इस प्रजाति की मादा के सिर के दोनों किनारों पर नारंगी बैंड और सिर के ऊपर चमकदार ब्लूश स्केल (Bluish Scales) है। पेट की पृष्ठीय सतह (Dorsal Surface) चमकदार नीले-काले रंग की है।
- पीले रंग के पैरों पर काले रंग के छल्ले अथवा जोड़ (Annulations) और आठ काली आँखें हैं। मादा की तुलना में पुरुष दुबले होते है।
- यह स्पाइडर छोटे पौधों के हरे पत्तों के बीच छिपी रहती है और मादा आमतौर पर 5-6 अंडे रखती है।

## अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून, 2018 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून, 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस दिन दुनिया भर में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन 21 जून, 2015 को दिल्ली के राजपथ पर किया गया था। दूसरे एवं तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन क्रमशः 2016 में चंडीगढ़ तथा 2017 में लखनऊ में किया गया था। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है।

### 21 जून ही क्यों?

- 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है, इसलिये इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया है।
- ग्रीष्म संक्रांति का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर गति करना शुरू करता है।

### पृष्ठभूमि

- 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी।
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव को मंज़ूर करने के संदर्भ में लिया गया यह सबसे कम समय है।

## योग प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिये 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार

योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिये नासिक के श्री विश्वास मांडलिक और योग संस्थान, मुम्बई को वर्ष 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नकद पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए होगी। 2017 के लिये यह पुरस्कार राममणि आयंगर स्मारक योग संस्थान, पुणे को दिया गया था।

- 21 जून, 2016 को चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा योग के प्रोत्साहन और विकास के लिये पुरस्कार तय करने के लिये समिति गठित करने की घोषणा की गई थी।

नोट :

- इस पुरस्कार के लिये दिशा-निर्देश आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए हैं। पुरस्कार तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए समितियाँ – स्क्रीनिंग समिति (प्रारंभिक मूल्यांकन के लिये) तथा मूल्यांकन समिति (निर्णायक मंडल) बनाई गई हैं।

### विश्वास मांडलिक

- श्री विश्वास मांडलिक ने प्रामाणिक पतंजलि और हठ योग का गूढ ज्ञान प्राप्त किया है। अध्ययन के ज़रिये भगवद्गीता और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया और पिछले 55 वर्षों के प्राचीन हस्तलिपियों का अध्ययन किया है।
- श्री मांडलिक ने 1978 में योग विद्या धाम की पहली शाखा तथा 1983 में योग शिक्षा के लिये योग संस्थान - योग विद्या गुरुगुल की स्थापना की।
- 1994 में भारत के दूरदराज़ के हिस्सों में योग को लोकप्रिय बनाने के लिये श्री मांडलिक ने योग चैतन्य सेवा प्रतिष्ठान, ट्रस्ट की स्थापना की।
- 1918 में स्थापित योग संस्थान, मुम्बई ने इस वर्ष अपने 100 वर्ष पूरे किये हैं। संस्थान द्वारा अभी तक करीब 5000 से अधिक योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ-साथ योग से संबंधित 500 से अधिक प्रकाशन कार्य भी संपन्न किये गए हैं।

## विश्व शरणार्थी दिवस

विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देने के लिये संयुक्त राष्ट्र 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है।

- विश्व शरणार्थी दिवस 2018 का विषय है: 'Now More Than Ever, We Need to Stand with Refugees'.
- प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। वस्तुत: शरणार्थियों की दुर्दशा और समस्याओं का समाधान करने के लिये ही इस दिवस को मनाया जाता है।

### पृष्ठभूमि

- अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिये 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
- इस प्रस्ताव में 2001 को शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 की संधि की 50वीं वर्षगाँठ के रूप में चिह्नित किया गया।
- ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (ओएयू) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिये सहमत हो गया।
- इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी (International Rescue Committee) और एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस दिन निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करते हैं:
  - शरणार्थी स्थलों का निरीक्षण।
  - शरणार्थियों और उनकी समस्याओं से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन।
  - गिरफ्तार शरणार्थियों की मुक्ति के लिये विरोध प्रदर्शन।
  - जेल में बंद शरणार्थियों के लिये समुचित चिकित्सकीय सुविधा और नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिये रैलियों का आयोजन।

## शिलॉन्ग (मेघालय) 100वीं स्मार्ट सिटी

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग का चयन 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। शिलॉन्ग द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव के आकलन के बाद ही इस शहर का चयन किया गया है। अब तक संबंधित प्रतिस्पर्द्धा के चार दौर में 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था। इस घोषणा के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

- इससे पहले जनवरी 2016 में 20 शहरों, मई 2016 में 13 शहरों, सितंबर 2016 में 27 शहरों, जून 2017 में 30 शहरों और जनवरी 2018 में 9 शहरों का चयन किया गया था।
- शिलॉन्ग के चयन के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अंतिम रूप से चयनित 100 स्मार्ट सिटी में कुल प्रस्तावित निवेश 2,05,018 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गया है।

### स्मार्ट सिटी

- स्मार्ट सिटी की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसे सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। अलग-अलग लोगों के लिये इसका आशय अलग-अलग होता है। अत: स्मार्ट सिटी की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। ऐसे में स्मार्ट सिटी का भारत में अलग अर्थ होगा, जैसे कि यूरोप से। भारत में भी स्मार्ट सिटी को परिभाषित करने का कोई एक तरीका है।
- भारत के किसी भी शहर के निवासी की कल्पना में स्मार्ट शहर की तस्वीर में ऐसी अवसंरचना एवं सेवाओं की अभीष्ट सूची होती है जो उसकी आकांक्षा के स्तर को वर्णित करती है। नागरिकों की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शहरी योजनाकार का लक्ष्य आदर्श तौर पर पूरे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का इस प्रकार विकास करना होता है, जो व्यापक विकास के चार स्तंभों-संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में दिखाई देता है।
- यह दीर्घावधिक लक्ष्य हो सकता है और शहर 'स्मार्टनेस' की परतें जोड़ते हुए संवर्द्धित रूप से ऐसी व्यापक अवसंरचना तैयार करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

### स्मार्ट सिटी चयन का आधार

- संकल्पना और विकास के विभिन्न स्तर।
- परिवर्तन और सुधार की इच्छा।
- शहर के निवासियों के संसाधन।
- लोगों की आकांक्षाओं का स्तर।

## राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2018 (NATIONAL YOGA OLYMPIAD-2018)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा नई दिल्ली में 18 से 20 जून के बीच तीन दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2018 का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन यूनेस्को में निदेशक तथा इसके दिल्ली में स्थित कार्यालय में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा मालदीव के लिये प्रतिनिधि एरिक फाल्ट द्वारा किया गया।

### उद्देश्य

- योग ओलंपियाड का उद्देश्य बच्चों में योग के प्रति जागरूकता, टीम भावना तथा आत्मविश्वास पैदा करना है।

### नोडल निकाय

- एनसीईआरटी लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कर रही है। इसमें 26 राज्यों और चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के 500 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। पिछले वर्ष इसमें 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था।

### प्रमुख बिंदु

- पिछले कुछ समय से ओलंपियाड के माध्यम से वैज्ञानिक और समग्र जीवन शैली के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। इसका उद्देश्य लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और समाज में शांतिप्रिय जीवन पद्धति को बढ़ावा देना है।
- योग की सीमा महिला-पुरुष, संस्कृति एवं भाषा से आगे है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह उम्र एवं सक्षमता से भी आगे पहुँचती है तथा सामाजिक रूप से कहा जाए तो यह सभी के लिये समान रूप से लाभकारी है।

## 7-स्टार ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना (7-Star Gram Panchayat Indrahanush Yojna)

हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल के तहत 7-स्टार ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पंचायतों को सात सामाजिक मानदंडों के आधार पर स्टार रैंकिंग प्रदान की जाती है।

- इस योजना के तहत राज्य के करीब 1,120 गाँवों को स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है, स्टार रेटिंग प्राप्त इन गाँवों को 'स्टार विलेज' के रूप में पहचाना जाएगा।

गाँवों के चयन का आधार

- योजना के तहत लिंगानुपात, शिक्षा, अपराध मुक्त, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन एवं सामाजिक भागीदारी के आधार पर ग्राम पंचायतों का आकलन किया जाएगा।

### योजना के मुख्य बिंदु

- हरियाणा की कुल 6,204 ग्राम पंचायतों में से 1120 गाँवों (18 प्रतिशत ग्राम पंचायतों) को स्टार विलेज का दर्जा दिया गया है।
- 6-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले तीन गाँव पलवल ज़िले के है, पाँच स्टार वाले तीन गाँव पलवल एवं रोहतक ज़िले के हैं जबकि 4 स्टार प्राप्त करने वाले 9 गाँव अंबाला, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार एवं पलवल ज़िले के हैं।
- 407 स्टार रैंकिंग वाले गाँवों के साथ अंबाला ज़िला प्रथम स्थान पर है, जबकि 199 स्टार रैंकिंग वाले गाँवों की रेटिंग के साथ गुरूग्राम नंबर दो तथा 75 स्टार रैंकिंग वाले गाँव रेटिंग के साथ करनाल ज़िला तीसरे स्थान पर है।
- लिंगानुपात में सुधार के बिंदु को तीसरे नंबर और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को दूसरे नंबर पर रखा गया है, इसमें क्रमशः 109 एवं 567 गाँवों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई।

---

## इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018: सूरत को 'सिटी अवार्ड'
## (India Smart City Award 2018: Surat gets 'City Award')

हाल ही में 'इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड' 2018 के तहत तीन वर्गों अर्थात् सिटी अवार्ड, नवोन्मेषी विचार पुरस्कार एवं परियोजना पुरस्कार की श्रेणी में 9 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप सूरत को 'सिटी अवार्ड' के लिये में चुना गया है।

- 25 जून, 2017 को शहरों, परियोजनाओं एवं नवोन्मेषी विचारों को पुरस्कृत करने तथा नगरों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड को शुरू किया गया।

1. सिटी अवार्ड

- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष रूप से शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गत्यात्मकता तथा टिकाऊ समेकित विकास के वर्गों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी प्रदर्शित करने के लिये सूरत को सिटी अवार्ड के लिये चुना गया।

2. नवोन्मेषी विचार पुरस्कार

- नवोन्मेषी विचार पुरस्कार किसी परियोजना/विचार, विशेष रूप से टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में उनके नवोन्मेषी, बॉटम-अप एवं रूपांतरकारी दृष्टिकोण के लिये प्रदान किया जाता है।
- इस वर्ग में संयुक्त विजेता के रूप में भोपाल को समेकित कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के लिये तथा अहमदाबाद को सुरक्षित एवं भरोसेमंद अहमदाबाद (एसएएसए) परियोजना के लिये प्रदान किया गया।

3. परियोजना पुरस्कार

- सात वर्गों में सर्वाधिक नवोन्मेषी एवं सफल परियोजनाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सात वर्गों में अभिशासन, पर्यावरण, सामाजिक पहलू, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गत्यात्मकता व जल एवं स्वच्छता शामिल हैं।

---

## उरुग्वे के बाद कनाडा में भी वैध हुआ मारिजुआना
## (Marijuana also validated in Canada after Uruguay)

दिसंबर 2013 में उरुग्वे ने मारिजुआना के उत्पादन, बिक्री और खपत को वैध किया था। इसके बाद अब कनाडा में भी मारिजुआना को वैध बनाने संबंधी विधेयक को पारित किया गया है। 17 अक्तूबर, 2018 से कनाडा में मारिजुआना का इस्तेमाल वैध होगा। इस निर्णय के पीछे सरकार का मकसद संगठित अपराधों में कमी लाते हुए देश के युवाओं को सुरक्षित करना है।

नोट :

- इस नियमों के तहत कनाडा में वयस्कों को 30 ग्राम तक मारिजुआना खरीदने की अनुमति होगी।
- कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था जिसके तहत कम उम्र के बच्चों को मारिजुआना से दूर रखने और अपराध को कम करने का लक्ष्य तय किया गया था। इस अभियान के अगले कदम के रूप में विधेयक सी-45 (इसे कैनाबिस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है) को प्रस्तुत किया गया।
- कैनाबिस एक्ट के तहत देश के सभी प्रांतों को मारिजुआना के व्यापार को नियमित बनाकर लाइसेंस देने संबंधी अपनी व्यवस्था कायम करने की अनुमति होगी।

भारत में भी शशि थरूर द्वारा मारिजुआना को कानूनी रूप से वैध बनाने संबंधी सुझाव पेश किया गया है। इससे पहले योग शिक्षक रामदेव भी इस तरह की मांग कर चुके हैं।

## विश्व का पहला मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र ( World's First Humanist Forensic Center )

हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र शुरू किया गया। यह भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव और गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल का एक संयुक्त उद्यम है।

- यह एक उत्कृष्टता केंद्र है जो मानवतावादी सेवाओं के लिये फोरेंसिक का उपयोग करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर देश और दुनिया की सेवा करना है।
- गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, मानवतावादी फोरेंसिक में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा के दो अलग-अलग पाठ्यक्रम चलाएगी।

### मुख्य बिंदु

- यह केंद्र रेड क्रॉस द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सहायता प्रदान करेगा।
- यह न केवल आपदाओं अथवा आपातकाल के दौरान मृतकों के प्रबंधन के लिये कार्य करेगा बल्कि उनकी पहचान इत्यादि में भी सहायक की भूमिका का निर्वाह करेगा।
- यह वैश्विक स्तरीय उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ क्षमता निर्माण, अनुसंधान और अभिनव परियोजनाओं के लिये एशिया में उत्कृष्टता वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा।

## CEMS करेगा मुंबई और वीजैग में 24 प्रयोगशालाओं की स्थापना

मेरीटाइम और जहाज़ निर्माण क्षेत्र के कौशल विकास, स्टार्टअप मेरीटाइम और जहाज़ निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence in Maritime & Shipbuilding -CEMS) द्वारा 24 प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। इनमें से 6 प्रयोगशालाएँ मुंबई में तथा 18 प्रयोगशालाएँ विजैग में स्थापित की जाएंगी।

- CEMS ने शुरू किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची भी साझा की। स्थापित की जाने वाली प्रयोगशालाओं में प्रोडेक्ट डिजाइन एंड वैलीडेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हल डिज़ाइन, ऑटोमेशन, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस मशीन और रोबोटिक्स इलेक्ट्रिकल पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- CEMS ने 24 प्रयोगशालाओं के साथ एशिया प्रशांत में अपने किस्म की पहली अवसंरचना स्थापित की है।
- मुंबई और विजैग में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ ही CEMS विश्व स्तरीय संरचना से विभिन्न पाठ्यक्रमों के ज़रिये मेरीटाइम और जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में सक्षमता प्राप्त करेगा।
- जहाज़रानी के भारतीय रजिस्टर (Indian Registar of Shipping) द्वारा संवर्धित सीमेंस (Siemens) के साथ साझेदारी में और शिपिंग मंत्रालय के सागरमाला के समर्थन से CEMS जहाज़ निर्माण/मरम्मत तथा अन्य सहायक क्षेत्रों में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी द्वारा कौशल विकास के ज़रिये मेरीटाइम और जहाज़ निर्माण में सक्षम बनेगा।

- CEMS इस उद्योग के लिये प्रासंगिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाएगा और शिप हल डिज़ाइन (Ship Hull Design), विस्तृत डिज़ाइन, जहाज़ निर्माण और रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल (Maintenance, Repair & Overhaul - MRO) तथा उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (Product Lifecycle Management - PLM) के क्षेत्र में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और तकनीकी रूप से कौशल संपन्न बनाएगा।

## बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री' स्कोच अवार्ड

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किये गए कार्यों और महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों तथा पहलों की प्रशंसा करते हुए SKOCH ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 'बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री' अवार्ड से सम्मानित किया है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', छह माह का मातृत्व अवकाश, कार्य-स्थल पर यौन शोषण कानून, शी-बॉक्स, वन स्टॉप सेंटर्स, सर्वव्यापी महिला हेल्पलाइन (181), पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण जैसी उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं।
- हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आग्रह पर गृह मंत्रालय द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु एक विशेष विभाग का गठन किया गया है।
- यौन शोषण के मामले में दोषियों की धर-पकड़ में फोरेंसिक विश्लेषण को महत्त्व प्रदान करते हुए मंत्रालय द्वारा जून महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ में सखी सुरक्षा उन्नत डीएनए फोरेंसिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है और गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे तथा भोपाल में पाँच और उन्नत फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ बनाए जाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त मंत्रालय की आगामी योजनाओं में देश के सभी थानों और अस्पतालों को बलात्कार संबंधी मामलों के लिये विशेष फोरेंसिक किट उपलब्ध कराया जाना शामिल है। इस कार्य के लिये निर्भया फंड से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

## एनीड ब्लीटन पात्रों के नाम पर नई मकड़ी प्रजातियाँ
## (New spider species named after Enid Blyton characters)

हाल ही में श्रीलंका के जंगलों में खोजी गई मिनट गोब्लिन (minute goblin spiders) मकड़ियों की छह नई प्रजातियों का नाम लेखक एनीड ब्लीटन (Enid Blyton) द्वारा वर्णित काल्पनिक पात्रों के नाम पर रखा गया है।

- 'द गोब्लिन लुकिंग-ग्लास' (1947), 'बिलीज़ लिटिल बोट्स' (1971) और 'द फायरवर्क गोब्लिन' (1971) के काल्पनिक किरदारों से प्रभावित होकर इन नई प्रजातियों को गोबलिन बोम (goblins Cavisternum Bom), स्नूकी (Pelicinus Snooky) और टम्पी (Pelicinus Tumpy) तथा ब्राउनीज़ चिप्पी (brownies Ischnothyreus Chippy), स्निप्पी (Silhouettella Snippy) एवं टिग्गी (Silhouettella Tiggy) नाम दिये गए हैं।
- श्रीलंका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज़ (National Institute of Fundamental Studies) के वैज्ञानिक सुरेश पी बेंजामिन और ससंक रणसिंघे ने नई छठी पीढ़ी में नौ गोब्लिन मकड़ी प्रजातियों का वर्णन किया है।
- 13 पीढ़ियों में शामिल 45 प्रजातियों के साथ श्रीलंका में गोब्लिन स्पाइडर प्रजाति न केवल पहले से ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बल्कि अपनी चरम स्थानिकता के साथ विस्मित भी करती है। जबकि 'इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स' (Evolutionary Systematics) में वर्णित छः आँखों वाली गोबलिन्स को केवल कुछ क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है।

## फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशक मंडल का 19वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन
## (19th All India Conference of Directors of Finger Print Bureau)

22-23 जून को हैदराबाद में फिंगर प्रिंट ब्यूरो (Finger Print Bureau) के निदेशक मंडल के दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिंगर प्रिंटिंग अपराधियों का पता लगाने का एक सफल उपकरण है। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग न केवल दृढ़ विश्वास को आधार प्रदान करता है बल्कि नागरिकों के विश्वास में सुधार करने के साथ-साथ पुलिस की जाँच प्रक्रियाओं को भी पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है।

नोट :

## सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो ( Central Finger Print Bureau )

- फिंगर प्रिंट को व्यक्तिगत पहचान के माध्यम के रुप में प्रयोग किये जाने का विचार सर्वप्रथम 1858 में बंगाल प्रांत के ज़िला मजिस्ट्रेट सर विलियम हर्शिल दारा प्रतिपादित किया गया था।
- विश्व का सर्वप्रथम फिंगर प्रिंट ब्यूरो राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता (अब कोलकाता) में वर्ष 1897 में स्थापित किया गया था।
- 1976 में प्रशासनिक नियन्त्रण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया और जुलाई 1986 में अंततः सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो को नवगठित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कर दिया गया।

### प्रकार्यात्मक भूमिका एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियाँ

- ब्यूरो की अपराध अनुसूची के अंतर्गत आने वाले भारतीय और विदेशी दोष सिद्ध अपराधियों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इंटरपोल प्रभाग और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली दारा भेजे गए अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के रिकार्ड का अनुरक्षण करना।
- केंद्रीय सरकार के विभागों और भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा (विचारार्थ) भेजे गए संदिग्ध फिंगर प्रिंट की जाँच करना।
- फिंगर प्रिंट विज्ञान में पुलिस व भारत में राज्य सरकारों के गैर-पुलिस कार्मिकों और विदेशों से कार्मिकों को कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग भेजना, विशेष राष्ट्र मण्डल अफ्रीकी सहयोग प्लान और अन्य विकासशील देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राज्य फिंगर प्रिंट ब्यूरो के कार्य में समन्वय एवं फिंगर प्रिंट से संबंधित सभी मामलों में आवश्यक मार्गदर्शन करना।
- अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (1958 से) में फिंगर प्रिंट विज्ञान में प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता का संचालन करना।
- वार्षिक पत्रिका भारत में फिंगर प्रिंट का प्रकाशन करना जो देश में सभी फिंगर प्रिंट ब्यूरो के कार्य एवं गतिविधियों का गहन अध्ययन है।

### प्रमुख भूमिका

- सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो में संदिग्ध फिंगर प्रिंट सहित सभी संदिग्ध दस्तावेजों का और उनकी पहचान के संबंध में दिये गए मत या अन्य संबंधित बिन्दुओं का परीक्षण किया जाता है।
- सभी सरकारी संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिये यह सेवा निशुल्क है। प्राइवेट संस्थाओं या व्यक्तियों के मामले में दस्तावेज सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भेजे जाए।

## विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रो मोट ( Michigan Micro Mote )

हाल ही में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया है। सिर्फ 0.3 मिलीमीटर आकार वाले इस कंप्यूटर को मिशिगन माइक्रो मोट नाम दिया गया है।

- वैसे ये सूक्ष्म कंप्यूटर जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं इनकी प्रोग्रामिंग और डेटा समाप्त हो जाता है। इन कम्प्यूटरों में स्वयं को बूट करने की क्षमता नहीं है, चाहे ये बिजली से कनेक्ट हों या नहीं।
- इससे पहले वाले 2X2X4 मिलीमीटर आकार वाले मिशिगन माइक्रो मोट सहित अन्य सिस्टम बिजली से कनेक्ट न होने बावजूद इस प्रकार डिस्चार्ज नहीं होते थे। यही कारण है कि इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिक इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि इन्हें कंप्यूटर कहा जाना चाहिये या नहीं? इनमें कंप्यूटर की तरह न्यूनतम फंक्शन वाली चीजें हैं या नहीं?
- इसे बनाने वाली टीम ने इसका इस्तेमाल तापमान मापदंड की स्पष्टता तय करने के लिये किया। इसे एक सटीक तापमान संेसर के रूप में डिज़ाइन यह नया सूक्ष्म कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों के साथ तापमान को समय अंतराल में परिवर्तित करता है।
- परिणामस्वरूप बेहद सूक्ष्म स्तर पर मात्र 0.1 डि.से. गलती की संभावना के साथ यह तापमान बता सकता है। चूँकि तापमान से कैंसर के इलाज का पता लगाने में भी मदद मिल सकती है, इसलिये ये कैंसर के उपचार में सहायक हो सकते हैं।
- रैम और फोटोवोल्टिक्स के अलावा नए कंप्यूटिंग उपकरणों में प्रोसेसर व वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। बहुत छोटे होने के कारण इनमें पारंपरिक रेडियो एंटीना लगाना संभव नहीं था। ऐसे में इनमें दृश्य प्रकाश (Visible Light) की सहायता डेटा प्राप्त करने और संचारित करने की व्यवस्था की गई है। एक बेस स्टेशन प्रोग्रामिंग के लिये प्रकाश प्रदान करता है, तब यह डेटा प्राप्त करता है।

नोट :

- मिशिगन माइक्रो मोट को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यह सामने आई कि इसे बेहद कम पावर से कैसे ऑपरेट किया जाए। बेस स्टेशन से मिलने वाले प्रकाश और इस सूक्ष्म कंप्यूटर के अपने ट्रांसमिशन LED से इसके बारीक सर्किट में करेंट आ सकता था। इसीलिये ऐसा सर्किट बनाया गया जो बेहद कम पॉवर पर तो काम करे ही, प्रकाश को भी सहन कर सके।
- दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रो मोट इतना छोटा है कि ऐसे 150 कंप्यूटर एक अंगूठे में फिट हो सकते हैं। इसे विकसित करने का काम लगभग एक दशक पहले शुरू हुआ था।

## दुबई और आबुधाबी में भारतीयों को फ्री ट्रांज़िट वीज़ा

दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने दुबई और आबुधाबी होते हुए विश्व के अन्य हिस्सों की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को फ्री ट्रांज़िट वीज़ा देने का निर्णय लिया है।

- इसका अर्थ यह है कि दुबई और आबुधाबी होते हुए दुनिया की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को इन दोनों शहरों में 48 घंटे तक रुकने के लिये एक भी पैसा नहीं खर्च करना होगा। ये नियम कब से लागू होंगे इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

### प्रमुख बिंदु

- 48 घंटे से अधिक की अवधि को केवल 50 दिरहम यानि 930 रुपए देकर 96 घंटे अथवा 4 दिन तक के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- इस प्रकार के ट्रांज़िट वीज़ा को सभी यूएई एयरपोर्ट पर मौजूद पासपोर्ट कंट्रोल हॉल से प्राप्त किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त यूएई सरकार ने रोज़गार के लिये संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले लोगों के लिये एक नए 6 माह के वीज़ा की भी घोषणा की है।
- संयुक्त अरब अमीरात भारतीय नागरिकों को वीज़ा ऑन एराइवल की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। भारत के साथ-साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और जापान को भी यह सुविधा प्राप्त है।

## एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक : अर्जित बसु

अर्जित बसु को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति के साथ ही एसबीआई में 4 प्रबंध निदेशक हो जाएंगे। इनका कार्यकाल अक्तूबर 2020 तक का है। विदित को रजनीश कुमार को चेयरमैन बनाए जाने के बाद से यह पद खाली था।

### अर्जित बसु

- वर्ष 1983 में एसबीआई बैंक में पी.ओ. के रूप में इन्होने अपने करियर की शुरुआत की थी।
- इसके अलावा अर्जित बसु एसबीआई के अलग-अलग सर्कलों में अहम पदों पर अपनी सेवाएँ दी है।
- एसबीआई के प्रबंध निदेशक चुने जाने से पहले ये एसबीआई जीवन बीमा इकाई के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।

### भारतीय स्टेट बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक (इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम) भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना बैंक है। इसे अनुसूचित बैंक भी कहा जाता हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव वर्ष 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। इसके तीन साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी, 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल, 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। इन तीनों बैंकों का 27 जनवरी, 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन कर दिया गया।
- 1 जुलाई, 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर इसे 'भारतीय स्टेट बैंक' का नाम दिया गया। तब से हर साल 1 जुलाई को इसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

नोट :

## रानी रश्मोनी' ( Rani Rashmoni )

हाल ही में भारतीय तट रक्षक 'रानी रश्मोनी' के पाँच फास्ट पेट्रोल वेसल (Fast Patrol Vessel-FPV) प्रोजेक्ट में से अंतिम वेसल को भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Guard) में कमीशन किया गया। यह FPV स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित है।

- FPV उन्नत सेंसर और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके साथ-साथ यह निगरानी, हस्तक्षेप, खोज एवं बचाव, संचालन आदि जैसे बहुत-से कार्यों को करने में भी सक्षम है।
- रोल्स रॉयस कामवे जेट्स (Rolls Royce Kamewa jets) के साथ-साथ 51 मीटर लंबे इस जहाज़ को तीन एमटीयू 4,000 श्रृंखला के डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं में एकीकृत पुल सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल सिस्टम, इन्फ्रा-रेड कम्युनिकेशन सिस्टम और अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ नौसेना में एक सीआरएन 91 बंदूक को भी शामिल किया गया है।

इस प्रोजेक्ट के अन्य जहाज निम्नलिखित हैं:

- अब तक आईसीजीएस रानी अब्बाका, आईसीजीएस रानी अवंती बाई, आईसीजीएस रानी दुर्गावती और आईसीजीएस रानी गैदिन्लिउ (Gaidinliu) को कमीशन किया गया है ये सभी जहाज़ देश के पूर्वी समुद्र तट पर विभिन्न स्थानों पर सक्रिय हैं।

### तैयब एर्दोगन दूसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति निर्वाचित

एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने जीत हासिल कर ली है। एर्दोगन पिछले 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं।

## तुर्की में संविधानिक सुधारों का प्रभाव

- जनमत संग्रह के परिणामस्वरुप पहली बार तुर्की में राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव कराए गए।
- इन सुधारों के तहत देश में प्रधानमंत्री पद को समाप्त करते हुए सभी फैसले लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तुर्की के अंतिम प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दरिम थे।
- देश के मुख्य न्यायाधीश को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। इतना ही नहीं राष्ट्रपति को न्यायिक प्रक्रिया में अपना निर्णय देने का भी अधिकार होगा।
- राष्ट्रपति का शासनकाल पाँच साल का होगा और वह अधिकतम दो कार्यकाल तक यह पद धारण कर सकेगा।
- राष्ट्रपति अपने अधीन एक या उससे अधिक उप-राष्ट्रपति रख सकता है।
- राष्ट्रपति को देश में आपातकाल लागू करने का पूरा अधिकार होगा।

यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन में भी शामिल किया जा सकता है।

## लिबोर

अर्थव्यवस्था में विकास दर, महँगाई दर और एक्सचेंज दर की तरह ब्याज दरों की भी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी ही एक महत्त्वपूर्ण ब्याज दर है लिबोर, यह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रचलित एक ब्याज दर है। लंदन का इंटर-बैंक एक थोक बाज़ार की तरह काम करता है। यहाँ बैंक जिस ब्याज दर पर एक-दूसरे से उधार लेते हैं, उसे लिबोर अर्थात् लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट (london inter-bank offered rate) कहते हैं।

- वस्तुत: लिबोर ब्याज दरों के संबंध में एक बेंचमार्क का काम करती है। यह दर इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि दुनिया भर में अलग-अलग करेंसी में करीब 350 लाख करोड़ डॉलर कीमत के फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे- कॉरपोरेट लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड, मॉर्टगेज से लेकर सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की रेफरेंस दर लिबोर ही होती है।
- इसमें से तकरीबन 200 लाख करोड़ डॉलर के फाइनेंशियल प्रोडक्ट डॉलर में होते हैं। यही कारण है कि लिबोर में मामूली उतार-चढ़ाव आने से मनी मार्केट में अरबों का नफा-नुकसान हो जाता है। चूँकि डॉलर विश्व की सबसे महत्त्वपूर्ण करेंसी है, इसलिये डॉलर लिबोर सर्वाधिक प्रचलित ब्याज दर है।

नोट :

### लिबोर को कैसे तय किया जाता है?

- लंदन के इंटर-बैंक बाज़ार में प्रत्येक कारोबारी दिवस को (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सुबह 11 बजे से 16 बड़े बैंक आइसीई बैंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन के तत्त्वावधान में एक मंच पर आते हैं और यह सूचित करते हैं कि वे एक-दूसरे से किस ब्याज दर पर उधार लेने को तैयार हैं।
- ये बैंक 5 करेंसी (डॉलर, यूरो, पौंड, येन व स्विस फ्रेंक) के लिये 7 अवधियों (ओवरनाइट, एक सप्ताह, एक माह, दो माह, तीन माह, छह माह व एक साल) में उधार संबंधी अलग-अलग ब्याज दरें तय करते हैं।
- उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बैंक को डॉलर उधार में लेने हैं तो वह यह स्पष्ट करेगा कि एक सप्ताह या एक माह या एक साल की अवधि के लिये निर्धारित डॉलर राशि उधार लेने के लिये वह कितनी ब्याज दर चुकाने को तैयार है। अन्य 4 करेंसी उधार लेने के संबंध में भी बैंक को यही तरीका अपनाना होता है।
- बैंकों द्वारा अपनी-अपनी ब्याज दरें स्पष्ट की जाती हैं उसके बाद उन सभी दरों में से 4 उच्चतम तथा 4 न्यूनतम दरों को अलग कर बाकी बची दरों का एक औसत निकाला जाता है।
- औसत निकालने के बाद प्रत्येक करेंसी के संबंध में 7 अवधियों के लिये सात अलग-अलग ब्याज दरें तय की जाती हैं। चूँकि यही प्रक्रिया सभी पाँचों करेंसी (डॉलर, यूरो, पौंड, येन व स्विस फ्रेंक) के लिये दोहराई जाती है, इसलिये कुल 35 अलग-अलग ब्याज दरें तय की जाती हैं। इन सभी को एक रूप में लिबोर कहा जाता हैं।

## गौहर जान

गूगल ने प्रसिद्ध भारतीय गायिका एवं नृत्यांगना गौहर खान (इन्हें गौहर जान के नाम से भी जाना जाता है) को उनके 145वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी है। गौहर खान का जन्म 26 जून, 1873 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वह भारत में 78 आरपीएम (78 rpm) पर संगीत रिकॉर्ड करने वाली पहली महिला कलाकार थीं। उनके प्रसिद्ध गीतों में "मोरा नाहक लाए गवनवा" और "रस के भरे तोरे नैन .." शामिल हैं।

- गौहर जान का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। उनका नाम एंजेलिना योवर्ड था। गौहर के दादा ब्रिटिश थे, जबकि दादी हिंदू थीं। उनके पिता का नाम विलियम योवर्ड और माँ का नाम विक्टोरिया था। गौहर की माँ भी एक प्रशिक्षित गायिका और नृत्यांगना थीं।
- दुर्भाग्य से उनके माता-पिता की शादी सफल नहीं रही और 1879 में उनका तलाक हो गया, उस समय एंजेलिना केवल 6 वर्ष की थीं।
- इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता निवासी मलक जान से शादी कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यहीं से एंजेलिना गौहर जान बन गई।
- गौहर जान ने नृत्य और गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ से ग्रहण की। उन्होंने रामपुर के उस्ताद वज़ीर खान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से गायन की शिक्षा प्राप्त की।
- 13 वर्ष की आयु में बलात्कार की शिकार हुई गौहर ध्रुपद, खयाल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत थीं।
- गौहर की कहानी को लेखक विक्रम संपथ ने किताब का रूप देकर 'माई नेम इज गौहर जान' के नाम से प्रकाशित कराया।
- उन्होंने करीब 600 गीत रिकॉर्ड किये। गौहर के विषय में सबसे रोचक बात यह है कि वह दक्षिण एशिया की पहली गायिका थीं जिनके गाने ग्रामाफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किये थे।
- 1902 से 1920 के बीच 'द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया' ने गौहर के हिन्दुस्तानी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, अरबी, फारसी, पश्तो, अंग्रेज़ी और फ्रेंच गीतों के करीब छह सौ डिस्क निकाले थे।

## संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस 27 जून, 2018
## (UN MSME Day to be celebrated on 27th June 2018)

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रम (Ministry of Micro Small & Medium Enterprises - MSME) मंत्रालय द्वारा 27 जून, 2018 को संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (उद्यम संगम) का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया।

- इस सम्मेलन का उद्देश्य MSME आर्थिक प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद एवं साझेदारी को प्रोत्साहित करना तथा MSME संबंधित मुद्दों पर नवोन्मेषण को बढ़ावा देना एवं ज्ञान साझा करना है।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालय का सौर चरखा मिशन आरंभ किया गया। यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा
- इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, इसके तहत MSME मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी संवितरित करेगा।
- मंत्रालय का एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, जो प्रतिभाओं के समूह तथा प्रशिक्षित श्रम शक्ति की मांग करने वाले उपक्रमों के बीच एक सेतु का काम करेगा। पिछले वर्ष MSME मंत्रालय के 18 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्रों में लगभग डेढ़ लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी के लिये नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों के महत्व को स्वीकार करते हुए 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी।

## मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को चौथे अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये। पुरस्कार समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस मनाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 से मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2014 तक ये पुरस्कार वार्षिक तौर पर प्रदान किये जाते थे। अब ये पुरस्कार द्विवार्षिक तौर पर प्रदान किये जाते हैं।
- इस पुरस्कार योजना के तहत मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। अब तक तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। पुरस्कार वितरण समारोह 26 जून, 2013; 26 जून, 2014 और 26 जून 2016 को संपन्न हुए।
- मादक पदार्थ उत्पादक म्यांमार-लाओस-थाईलैंड के गोल्ड ट्राएंगल और ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान के गोल्डन क्रेसेंट कहे जाने वाले क्षेत्रों के बीच भारत की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की समस्या और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशे की लत को छुड़ाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। 24 घंटे, सातों दिन काम करने वाली इस हेल्पलाइन सेवा से मादक पदार्थों के शिकार एवं उनके परिवारों तथा समाज को मदद प्रदान की जा रही है।
- मंत्रालय ने नशा उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करने के लिये वित्त वर्ष 2014-15 में एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की।

## नासा करेगा सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर लाल रंग के विशाल धब्बे का अध्ययन

बृहस्पति (Jupiter) पर देखे गए लाल रंग के विशाल धब्बे (Great Red Spot) का अध्ययन करने के लिये नासा के अत्याधुनिक टेलीस्कोप 'जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' का प्रयोग किया जाएगा।

- इसकी सहायता से ग्रह की सतह पर पिछले 350 वर्षों से उठ रहे रहस्यपूर्ण तूफानों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी।
- जेम्स वेब टेलीस्कोप के निर्माणकर्त्ता वैज्ञानिकों द्वारा इस दूरबीन के लक्ष्यों में बृहस्पति के विचित्र तूफानों को भी शामिल किया गया है।

- शोधकर्त्ताओं द्वारा वेब टेलीस्कोप की सहायता से बृहस्पति ग्रह के विशालकाय लाल रंग के धब्बे का मल्टीस्पेक्ट्रल नक़्शा तैयार किया जा सकेगा, साथ ही उसकी तापीय, रासायनिक एवं बादल संरचनाओं का विश्लेषण भी करने में मदद मिलेगी।
- वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप की मदद से इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्यों का पर्यवेक्षण करने में सक्षम होंगे जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि बृहस्पति के धब्बे का रंग लाल क्यों है।
- अब तक यह माना जाता रहा है कि बृहस्पति पर पे गए के धब्बे के लाल होने का कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर और फ़ास्फ़रोस युक्त रसायनों के बीच होने वाली अंत:क्रिया है।
- बृहस्पति पर दिखाई देने वाले इस धब्बे का अस्तित्व संभवत: 350 से भी अधिक वर्ष से है तथा वैज्ञानिकों द्वारा 1830 से इस धब्बे पर नज़र रखी जा रही है।

## किफायती प्लास्टिक सेंसर करेगा बीमारियों की पहचान

सेमीकंडक्टर प्लास्टिक जिसका उपयोग अब तक केवल सोलर सेल में किया जाता था अब यह चिकित्सकीय कार्यों में भी सहायक होगा। वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) प्लास्टिक का इस्तेमाल कर एक किफायती सेंसर विकसित किया है।

- इसकी मदद से सर्जरी में आने वाली समस्याओं और न्यूरोडिजेनेरेटिव बीमारियों समेत कई रोगों की पहचान और रोकथाम की जा सकेगी।
- पहली बार चिकित्सकीय कार्यों में शामिल किये जाने वाले इस सेंसर की कीमत काफी कम है क्योंकि इस सेंसर में किसी महँगी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
- यह सेंसर मेटाबॉल्जिम के लिये ज़रूरी मेटाबोलाइट जैसे -लैक्टेट व ग्लूकोज़ आदि की मात्रा को माप सकता है। लैक्टेट व ग्लूकोज़ मुख्यत: पसीने, आंसू, सलाइवा और रक्त में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा का पता लगाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा तथा बेहतर निदान प्रदान किया जा सकेगा।
- फिलहाल इस सेंसर का उपयोग लैक्टेट की मात्रा मापने में किया गया है। लैक्टेट का पता लगने से सर्जरी कराने वाले मरीज़ों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- कैंब्रिज यूनिवर्सिटी की शोधकर्त्ता एना मारिया के अनुसार, इसे अन्य मेटाबोलाइट्स जैसे- ग्लूकोज़ व कोलेस्ट्रॉल आदि की पहचान करने के लिये भी आसानी से संशोधित किया जा सकता है।

## कट्टुपल्ली बंदरगाह

हाल ही में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमआईपीडीएल) में 97% हिस्सेदारी हासिल करने के लिये लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के साथ शेयर खरीद समझौता किया है।

### प्रमुख बिंदु

- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चेन्नई के पास स्थित कट्टुपल्ली बंदरगाह का विकास और संचालन करना है।
- इस बंदरगाह के विकास की अनुमानित लागत ₹ 1,950 करोड़ है।
- गौरतलब है कि ₹ 1,950 करोड़ की इस राशि में एपीएसईजेड,एमआईडीपीएल की बकाया राशि के निपटारे के लिये ₹ 1,562 करोड़ का भुगतान करेगा और ₹ 388 करोड़ शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- अदानी समूह इस समझौते के बाद इस बंदरगाह को दक्षिणी भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- उल्लेखनीय है कि कट्टुपल्ली बंदरगाह भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक है और चेन्नई/बंगलौर क्षेत्र में एक्ज़िम व्यापार के लिये एक नए प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है।

## आईआईटी चेन्नई ने तैयार किया मानव रहित वायुयान

- आईआईटी चेन्नई के छात्रों ने ड्रोन प्लेन के रूप में एक विशेष प्रकार का मानव रहित वायुयान (अनमैन्ड एयर व्हीकल-यूएवी) तैयार किया है जो शत्रु के ठिकानों की निगरानी कर रिपोर्ट भेजने में सक्षम होगा।

- यदि किसी प्रकार के हमले में घायल होकर इस यान का कोई हिस्सा टूट भी जाता है तो इसके हिस्से अपने आप जुड़ जाएंगे। हालाँकि ऐसा तभी संभव हो पाएगा, जब वह एक निश्चित दूरी में गिरे।
- यह मानव रहित वायुयान मैग्नेटिक तकनीक पर काम करता है।
- इसमें 5000 एमएएच की बैटरी लगी है जिससे यह 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।
- इसकी तुलना में ड्रोन क्षमता वाली बैट्री में महज़ 5 से 7 किलोमीटर तक की ही दूरी तय कर सकता है।
- इस यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसमें कम-से-कम लंबी वायरिंग का इस्तेमाल किया गया है।
- इस पर साधारण गुलेल या किसी पिलर के टकराने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालाँकि फायरिंग में यह अवश्य प्रभावित हो सकता है।

## कबीर की 500वीं पुण्य तिथि

- प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मगहर में महान संत और कवि कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- गौरतलब है कि महान संत और कवि कबीर की यह 500वीं पुण्य तिथि का अवसर था।
- इस दौरान प्रधानमंत्री संत कबीर गुफा भी गए और पट्टिका का अनावरण करते हुए 'संत कबीर अकादमी' की आधारशिला रखी।
- यह अकादमी संत कबीर की विरासत के साथ-साथ क्षेत्रीय बोलियों और लोक कलाओं का संरक्षण संस्थान होगी।
- इस अकादमी की आधारशिला का मुख्य लक्ष्य महान संत की शिक्षाओं और विचारों का प्रसारित करना है।

### मगहर के बारे में

- प्रशासनिक रूप में ये एक नगर पंचायत है और ख़लीलाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण और पर्यटन केंद्र कबीर चौरा या कबीर धाम ही है।
- उल्लेखनीय है कि सोलहवीं सदी के महान संत कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था और लगभग पूरा जीवन उन्होंने वाराणसी यानी काशी में ही बिताया था।
- जीवन के आख़िरी समय में कबीर मगहर चले आए और यहीं 1518 में उनकी मृत्यु हुई।
- दरअसल कबीर स्वेच्छा से उस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि जिसमें कहा जाता था कि काशी में मोक्ष मिलता है और मगहर में नरक।
- मगहर ही वह स्थान है जहाँ पर कबीर की समाधि और उनकी मज़ार दोनों इमारतें एक ही परिसर में स्थित हैं।

## पोषण अभियान के लिये टेक-थॉन का आयोजन

- हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में पोषण अभियान के लिये टेक-थॉन का आयोजन किया।
- इस सेमिनार में सरकार, बहुपक्षीय संगठनों, आईटी उद्योग, माईगव, यूआईडीएआई इत्यादि के विभिन्न हितधारक एकजुट हुए तथा सेमिनार में जन आंदोलन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission-NNM) की शुरुआत की गई थी।

### रणनीति एवं लक्ष्य

- एनएनएम एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करता है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवज़नी बच्चों में क्रमश: 2%, 2%, 3% तथा 2% की कमी लाना है।

नोट :

## चुनावी बॉण्ड योजना, 2018

हाल ही में भारत सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना, 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति/संस्था द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो।

- व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी व्यक्ति एकल या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों की खरीद कर सकता है।
- केवल वैसी राजनीतिक पार्टियाँ, जो जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने आम लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों का कम-से-कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी।
- चुनावी बॉण्डों को किसी योग्य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।
- बिक्री के चौथे चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 11 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्न) के माध्यम से 02 जुलाई, 2018 से 11 जुलाई, 2018 तक चुनावी बॉण्डों को जारी करने तथा भुनाने के लिये अधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के लिये वैध होंगे। वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद जमा किये गए चुनावी बॉण्डों पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा जमा किये गए चुनावी बॉण्डों की राशि को उसी दिन उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

## हायाबुसा 2

जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने जीवन की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठाने हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिये दिसंबर 2014 में हायाबुसा-2 नामक एक अभियान लॉन्च किया था, जो कि साढ़े तीन साल की यात्रा के बाद पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित क्षुद्रग्रह 'रायगु' (वैज्ञानिक नाम 162173 JU3) पर पहुँच गया है। इस अभियान का संचालन छह वर्षों के लिये किया जाएगा। इसका नाम फाल्कन पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे जापानी भाषा में हायाबुसा कहा जाता है।

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, सौरमंडल के विकास के शुरुआती चरण में ही क्षुद्रग्रह का निर्माण हो गया था। इसी आधार पर उन्होंने 'रायगु' पर जैविक पदार्थ, पानी और जीवन की उत्पत्ति के लिये ज़रूरी मूलभूत तत्त्वों के बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त की है।

### हायाबुसा - 2 की विशेषताएँ

- यह आकार में एक बड़े फ्रिज के बराबर है, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सोलर पैनल लगे हैं।
- हायाबुसा-2 में गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम के अलावा एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम लगा है।
- सबसे पहले हायाबुसा – 2 'रायगु' से 20 किलोमीटर ऊपर रहकर उसका चक्कर लगाएगा और सतह पर उतरने से पहले उसका नक्शा तैयार करेगा।
- इसके बाद क्षुद्रग्रह के एक क्रेटर को ब्लास्ट कर मलबा जमा किया जाएगा। शेष समय में (18 महीने) एस्टरॉइड के नमूने एकत्रित कर 2020 के अंत तक यह पृथ्वी पर लौट आएगा।

### पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि इससे पहले हायाबुसा-1 लॉन्च किया गया था लेकिन यह बहुत अधिक नमूने नहीं जुटा पाया, हालाँकि किसी क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर नमूने लाने वाला यह अपनी तरह का पहला अभियान था। हायाबुसा-1 अपने सात साल के लंबे सफर के बाद 2010 में समाप्त हो गया था।
- हायाबुसा-2 को सबसे पहले 30 नवंबर, 2014 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसे 3 दिसंबर, 2014 को लॉन्च किया गया।

## Re unite एप

केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय ने 'रीयूनाइट' (Re unite) नामक एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप की सहायता से देश में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इस एप को विकसित करने में स्वयंसेवी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' और 'कैपजेमिनी' (Capgemini) ने सहायता की है।

नोट :

- खोए हुए बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाने का यह प्रयास, तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग को दर्शाता है। यह एप जीवन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।
- इस एप के माध्यम से माता-पिता बच्चों की तस्वीरें, बच्चों का विवरण जैसे- नाम, पता, जन्म चिन्ह आदि अपलोड कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं तथा खोए बच्चों की पहचान कर सकते हैं।
- खोए हुए बच्चों की पहचान करने के लिये एमेजन रिकोगनिशन (Amazon Rekognition), वेब आधारित फेशियल रिकोगनिशन जैसी सेवाओं (web facial recognition service) का उपयोग किया जा रहा है। यह एप एंड्राएड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में 'बचपन बचाओ आंदोलन' (Bachpan Bachao Andolan -BBA) भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। बीबीए ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आंदोलन 2006 के निठारी मामले से शुरू हुआ है।

## शनि ग्रह के उपग्रह इंसेलेडस पर मिले जीवन के संकेत

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्रित डाटा का अध्ययन करने के बाद शनि के उपग्रह इंसेलेडस पर जीवन की संभावना के संकेत मिले हैं। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इंसेलेडस की बर्फीली सतह पर कई दरारें पाई गई हैं, जिनमें जैविक कार्बनिक अणुओं की खोज की गई है

- इन अणुओं की खोज से शनि के उपग्रह पर जीवन होने का संकेत और भी प्रबल हो गया है।
- इस शोध से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन जैविक कार्बनिक अणुओं का निर्माण उपग्रह की पथरीली कोर और वहाँ उपस्थित महासागर के गर्म पानी के बीच हुई रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुआ है।
- शनि के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिये नासा ने इटली और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कैसिनी अभियान को शुरू किया था। यह अभियान सितंबर 2017 में समाप्त हो गया था।
- इससे पहले शोधकर्त्ताओं ने इंसेलेडस पर कुछ कार्बन परमाणु वाले आर्गनिक अणुओं की खोज की थी। इस बार जिन अणुओं की खोज हुई है वह मीथेन से भी दस गुना अधिक भारी हैं।
- इस खोज के पश्चात् यह उपग्रह पृथ्वी के बाद जीवन की संभावना हेतु ज़रूरी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पहला खगोलीय पिंड बन गया है।

इससे पहले वहाँ महासागर होने के भी सबूत मिले थे। पृथ्वी के महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को हाइड्रोजन से ही रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस आधार पर माना जा रहा है कि शनि के उपग्रह पर भी सूक्ष्मजीव हो सकते हैं।

नोट :